वाश्वंनाथ विद्याश्रम प्रन्थमाला

: 24 :

उत्तराध्ययन-सन्न : एक परिशीलन

डा॰ सुदर्शनलाल जैन

सोहनहाल जैनधर्म प्रचारक सीमति

प्रवृत्तियां

- १. पार्श्वनाय विद्याश्रम शोध संस्थान
- २, शतावधानी रत्नचन्द्र पुस्तकालय
- ३. श्रमण (मासिक)
- ४. साहित्य-निर्माण
- ५. शोबबृत्तियां
- ६. छात्रावास एवं छात्रवृत्तियां
- ७. व्याख्यानमाला
- ८. प्रकाशन

: १४: डा० मोहनलाल मेहता

उत्तराध्ययन-सूत्रः एक परिशीलन

लेखक डा॰ सुदर्शनलाल जैन एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, ग्राचार्य (जैनदर्शन, साहित्य व प्राकृत)



प्रकाशक सोहनलाल जैनधमं प्रचारक समिति अमृतसर

व्यक्ति-स्थान पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान वाराणसी- ५

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध

प्रकाशक : सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति गुरु बाजार ममृतसर

प्राप्ति-स्थान : पारवंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान जैनाश्रम हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराग्रसी-५

मुद्धकः : अरुण प्रेस बी० १७/२, तिलभाण्डेश्वर वारागुसी–१


व्रकाशम-वर्ष : सन् १६७०

मुख्यः प्रमीतं प्रापे प्राप्तः

श्रद्धेय गुरुवर्य
डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य
को
सादर समर्पित



स्वर्गीय ला॰ लद्दा मल जी जैन (लाहौर वाले)



स्वर्गीय सेठ नाथालाल एम० पारख (बम्बई)

पश्चिय

जैन आगम-साहित्य में उत्तराष्ट्रयम का विशेष स्थान है। दिगम्बर-साहित्य में भी इसका सादर उल्लेख है। इस सूत्र का परिशीलन डा॰ सुदर्शनलाल जैन ने लिखा है। डा॰ जैन को सेठ नाथालाल एम॰ पारख के नाम पर उनके परिवार द्वारा प्रदत्ता रिसर्च स्कोलरिशय प्रदान की गई थी।

ग्रन्थ के प्रास्ताविक में उत्तराष्यियन के कालादि का विचार किया गया है। अंत में उपसंहार भी लिखा है। हर एक प्रकरण के अन्त में सुगम सरल अनुशीलन भी है।

विश्व अनादि है। उसी प्रकार अनन्त भी है। वह सदैव से है
और रहेगा। किसी ईश्वर या कर्ता ने उसे बनाया नहीं है।
वह स्वयंभू है। उसमें ऐसे तत्त्व मौजूद हैं जिनके कारण
वह स्वचालित यन्त्र की तरह निरन्तर चलता रहता है। जितना
हमें प्रतीत होता है विश्व उतना ही सच्चा और ठोस है। निःसन्देह
उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है परन्तु उसका सर्वथा नाश
नहीं होता है।

सूत्र में संसार की असारता, नश्वरता, अम-रूपता आदि सब आध्यात्मिक दृष्टि से कहे गये हैं।

सोना, तांबा, लोहा, गन्धक आदि धातुएं विश्व में दूसरे पदार्थों
से मिश्रित रूप में मिलती हैं, उसी प्रकार प्राणी भी दो पदार्थों—जीव
(चेतन) और अजीव (अचेतन) के मिश्रित रूप में उपलब्ध
होते हैं। सबसे अधिक विकसित प्राणी मनुष्य ने यही पाया कि
एक अदृष्ट तस्व जब शरीर से निकल जाता है तो शेष शरीर
निरर्थक और व्यथं हो जाता है। वह फेंक देने के सिवाय और किसी
काम का नहीं रहता। उसी अदृष्ट द्रव्य की विद्यमानता में शरीर
मनुष्य या प्राणी था। उस चेतन तस्व के निकल जाने से उसने

मरण का भी अनुभव किया। फलतः उस प्राणदाता तत्त्व को ढूँढ निकालने का विचार मनुष्य के मन में उत्पन्न हुआ। जैन तत्त्ववेत्ताओं ने आत्मा (जीव) को स्वतंत्र तत्त्व के रूप में स्थिर किया। यह तत्त्व हर प्राणी में मूलतः एक ही प्रकार का—समान गुणों वाला प्रतीत हुआ। हर प्राणी के जीव के साथ दूसरे द्रव्य का जो सम्बन्ध रहा हुआ था उसके कारण बाहरी फकं सामने आता रहा। वह दूसरा द्रव्य रूपी अचेतन पृद्गल है। उसके लक्षण हैं शब्द, अन्धकार, प्रकाश, कान्ति, छाया, आतप, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श और आकार। वायु, जल, आग और पृथ्वी भी पुद्गल हैं। वर्तमान विज्ञान के Matter और Energy भी पुद्गल हैं। रागद्वेष के कारण मनुष्य और अन्य प्राणियों द्वारा किये गये अच्छे बुरे कर्म भी पुद्गल हैं।

मिश्रित धातुओं को असल या शुद्ध रूप में लाने के लिए अनेक विधियों और साधनों से विशुद्ध करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीव तत्त्व को मिश्रित अजीव तत्त्व से अलग या स्वतन्त्र रूप में लाने के लिए अर्थात् मुक्त करने के लिए विधिपूर्वक प्रयत्न जरूरी है। उत्तराध्ययन सूत्र का यह विषय है। इस ग्रन्थ के निर्माता ने उस विषय का सरल, स्वाभाविक भाषा में सुन्दर वर्णन किया है। डा॰ रघुवीर के शब्दों में जैन तत्त्ववेत्ताओं ने Godless Spirituality (निरीश्वर अध्यात्मवाद) का विकास किया है। प्राणी मात्र से मैत्री का व्यवहार करना उसका निश्चित मत है। परस्पर मैत्री कर सकने का आधार उन्होंने स्वयं पर संयम रखना बताया है। उसी आचार के विकास का सर्वप्रथम नियम अहिंसा से आरम्भ किया गया है।

जीव किस प्रकार अजीव से पृथक् किया जा सकता है, उन साधारण और विशेष उपायों का साध्वाचार के दो प्रकरणों और रत्न त्रय में विस्तृत निर्देश है। इनके अलावा मुक्ति और उसकी अलोकिकता की चर्चा भी ग्रन्थ में है।

इस प्रकाशन का खर्च श्री मुनिलाल और भाई लोकनाथ ने अपने पिता श्री लाला लद्दामल की पुण्यस्मृति में किया है। लालाजी लाहौर के प्रतिष्ठित नौलखा ओसवाल वंश के थे। उनका जन्म वि० सं० १६३४ में हुआ था। पिता का नाम लाला धर्मचन्द और माता का नाम भगवान देवी था। पांच वर्ष की आयु में मां का और चौदह वर्ष में पहुँचते-पहुँचते पिता का साथा सिर से सदा के लिए उठ गया। परिवार का भार नन्हीं उमर में सिर आ पड़ा। आपने साबुन देशी के बनाने का धन्धा शुरू किया। इस व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। धर्माचरण में आप दृढ़ निष्ठावान रहे। आपके विशाल दिल ने किसी प्रार्थी को निराश नहीं लौटाया। ज्ञान, घ्यान, सेवा और पर-सहायता के कामों में आप अपने धन का सदुपयोग करते रहे। जीवन नित्य-नियम से व्यतित होता रहा।

जब देश का विभाजन हुआ तो अन्य हिन्दू-सिक्कों की भांति लालाजी ने विस्तृत विशाल कारोबार को छोड़ पंजाब को जो पाकिस्तान के हिस्से आया था त्याग कर शेष बचे भारत में शरण ली। दिल्ली में आकर उन्होंने पहले का व्यवसाय ही आरम्भ किया। उनके परिवार ने उस व्यवसाय को खूब उन्नत किया है। नये कारखाने भी लगाये हैं। उनके डिपो पर साबुन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। वि० सं० २०१२ में आपका देहावसान हो गया था। उसके २१ दिन पूर्व ही उन्होंने सांसारिक मोह त्यागने का यत्न आरम्भ किया था और स्वात्म शुद्धि के लिए घ्यान में लग गये थे।

सेठ नाथालाल एम० पारख का, जिनकी पुण्यस्मृति में डा० जैन को रिसर्च स्कोलरिशप प्रदान की गई थी, संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

सौराष्ट्र राज्यान्तर्गत जेतपुर नामक स्थान में सन् १६०६ में श्री नाथालाल पारल का जन्म हुआ था। पांच वर्ष की अवस्था में ही उनके पिताजी का देहान्त हो गया। फलतः उनके लालन-पालन का भार उनकी माता पर आ पड़ा तथा उन्हें १२ वर्ष की अवस्था में ही चावल की मिल में काम करने के लिए रंगून जाना पड़ा। वहां से लौटने पर दे बम्बई में एक बोतल-व्यापारी की

दुकान में लिपिक के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने स्वयं अपना व्यापार करने का निश्चय किया और घर-घर से खाली बोतलों का संग्रह करने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। बाद में उनका एक प्रमुख जर्मन-कम्पनी से सम्पर्क हुआ और उन्होंने जर्मन-लेबल भारत में बेचना प्रारम्भ किया। अपने अनुकूल अनुभव से प्रोत्साहित होकर उन्होंने छोटे लेबल उत्पादन करने का अपना एक छोटा-सा प्रेस शुरू किया जो अन्त में देश के एक बृहत्तम लेबल-उद्योग के रूप में परिणत हुआ।

तब श्री पारखजी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगे और अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने दो दर्जन से अधिक सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के ट्रस्टी, अध्यक्ष अथवा मत्री पद को सुशोभित किया। वे जन्मभूमि-समूह के समाचार पत्रों के स्वामी सौराष्ट्र-ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे।

कांग्रेस से विशेष सम्बन्ध होने के कारण श्री पारखजी बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस किमटी की स्मारिका-सिमिति तथा विला-सिमिति के अध्यक्ष बने। वे विधान परिषद् के सदस्य थे और पुनः १६६४ में निर्विरोध चुने गए। उनकी प्रशंसनीय सेवा से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें 'जिस्टिस ऑफ पीस' की उपाधि प्रदान की, जिसके गौरव की रक्षा श्री पारखजी ने अन्त समय तक की।

प्रकाशक

प्रकाद्यकीप्र

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी के नाथालाल पारल शोध-छात्र डा॰ सुदर्शनलाल जैन का उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन नामक प्रस्तुत प्रबन्ध सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति द्वारा प्रकाशित पांचवा शोध-ग्रन्थ है। डा॰ सुदर्शनलाल जैन समिति के छठे सफल शोध-छात्र हैं। इनके बाद समिति के पांच अन्य शोध-छात्रों ने अब तक सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में सात शोध-छात्र विभिन्न जैन विषयों पर पी-एच॰ डी॰ की उपाधि के लिए प्रबन्ध लिखने में संलग्न हैं।

प्रकृत प्रबन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जैन आगस-ग्रन्थ उत्तराघ्ययन-सूत्र का सर्वाङ्गीण समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। उत्तराघ्ययन प्राकृत वाङ्मय का एक उत्कृष्ट धार्मिक काव्य-ग्रन्थ है। इसमें प्रधानतया मुनियों के आचार-विचार के साथ जैनदर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा की गई है।

उत्तराध्ययन-सूत्र का अनेक आचार्यों एवं विद्वानों ने अनेक रूपों में अध्ययन एवं त्रिवेचन किया है। प्रस्तुत प्रबन्ध इस श्रृंखला में विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। इस प्रन्थ के अध्ययन से उत्तराध्ययन का हार्व सरलता से समझ में आ सकेगा।

सिमिति पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के अध्यक्ष डा॰ मोहनलाल मेहता के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने प्रस्तुत प्रस्थ का पर्याप्त परिश्रमपूर्वक सम्पादन किया है। यह ग्रन्थ स्वर्गीय लाला लद्दामलजी जैन की पुण्यस्मृति में प्रकाशित किया जा रहा है। सिमिति इस प्रकाशन से सम्बन्धित सब महानुभावों का आभार मानती है।

> हरजसराय जैन मन्त्री

प्राक्कथन

एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेरी उत्कट अभिलाषा शोधकार्य की ओर देखकर परम पूज्य डा० सिद्धेश्वर मट्टाचार्य, अध्यक्ष, संस्कृत-पालि विभाग (काशी विश्वविद्यालय), ने मुझे जैन आगम-साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराध्ययन-सूत्र पर शोध-कार्य करने का सुझाव दिया तथा अपने निर्देशन में अनुमति भी दी।

ग्रन्थ का अध्ययन करने के बाद मैंने अनुभव किया कि इस ग्रन्थ पर अन्य जैन आगम-ग्रन्थों की अपेक्षा विपुल व्याख्यात्मक साहित्य मौजूद होने पर भी इसका वैज्ञानिक एवं समालोचनात्मक अध्ययन बहुत ही आवश्यक और समयोपयोगी है। यद्यपि शार्पेन्टियर, याकोबी, विन्टरनित्स आदि पाश्चात्य विद्वानी ने इसके साहित्यिक, घार्मिक, दार्शनिक आदि पहलुओं के महत्त्व की ओर संकेत किया परन्तु ग्रन्थ के अन्तरङ्ग विषय का सर्वाङ्गीण समालोचनात्मक अघ्ययन प्रस्तुत नहीं किया । मेरे शोधकार्य के पूर्ण हो जाने के एक वर्ष बाद आचार्य तुलसीकृत 'उत्तराध्ययन-सूत्रः एक समीक्षात्मक अध्ययन' प्रकाशित हुआ। देखने पर ज्ञात हुआ कि तुलसीकृत प्रबन्ध से प्रस्तुत प्रबन्ध सर्वधाभिन्न प्रकार का है। प्रस्तुत प्रबन्ध में मूल ग्रन्थ के विषय को सरल व सुबोध गैली में प्रस्तुत किया गया है जबकि आचार्य तुलसीकृत प्रबन्ध में मूल व टीका-ग्रन्थों आदि का मिश्रण हो जाने से उत्तराध्ययन का मूल विषय गौण हो गया है। इस कारण प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रकाशन की आवश्यकता पूर्ववत् ही बनी रही।

प्रस्तुत प्रबन्ध में प्रास्ताविक और आठ प्रकरणों के अतिरिक्त चार परिभिष्ट हैं। प्रबन्ध के अन्त में सहायक ग्रन्थ-सूची, अनु-क्रमणिका, तालिकाएँ एवं वृत्तचित्र दिए गए हैं। प्रत्येक प्रकरण के अन्त में समालोचनात्मक अनुशीलन दिया गया है। अन्तिम प्रकरण में समस्त प्रबन्ध का परिशीलनात्मक उपसंहार प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए प्रस्तुत प्रबन्ध का नाम 'उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परि-शीलंन' रखा गया है। आचार्य तुलसीकृत प्रबन्ध से इस प्रबन्ध का पार्थक्य बतलाने के लिए भी यह नाम रखना उचित समझा गया।

प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रास्ताविक में जैन आगम-साहित्य में उत्तरा-ध्ययन का स्थान, विषय-परिचय, रचनाकाल, नामकरण का कारण, भाषा-शैली, मंहत्त्व तथा टोका-साहित्य के साथ विविध संस्करणों की सूची दी गई है। इसके बाद प्रथम प्रकरण में विश्व की भौगोलिक रचना, सृष्टि तत्त्व और द्रव्य के स्वरूप का निरूपण किया गया है। द्वितीय प्रकरण में संसार की दुःखरूपता और उसके कारणों का विचार करते हुए कर्म-सिद्धान्त का वर्णन किया गया है। तृतीय प्रकरण में मुक्ति-मार्ग का वर्णन करते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यक्तान और सम्यक्वारित्ररूप रत्नत्रय का विचार किया गया है। चौथे प्रकरण में ग्रन्थ के मुख्य प्रतिपाद्य विषय साध्ओं के सामान्य सदाचार का और पांचवें प्रकरण में साधुओं के विशेष सदाचार (तप) का वर्णन किया गया है। छठे प्रकरण में सम्पूर्ण साधना की प्रतिफलरूप 'मुक्ति' का तथा सातवें प्रकरण में समाज और संस्कृति का विवेचन किया गया है। आठवें प्रकरण में ग्रन्थ की जपयोगिता का वर्णन करते हुए सम्पूर्ण प्रबन्ध का परिशीलनात्मक सिहावलोकन किया गया है।

चार परिशिष्टों में से प्रथम परिशिष्ट में कथा-संवाद दिए गए हैं। द्वितीय परिशिष्ट में ग्रन्थोल्लिखित राजा आदि महापुरुषों का परिचय दिया गया है। तृतीय परिशिष्ट में साध्वाचार-सम्बन्धी कुछ अवशिष्ट तथ्यों को दर्शाया गया है। चतुर्थ परिशिष्ट में ग्रन्थोल्लिखित देशों व नगरों का परिचय दिया गया है।

इस तरह सम्पूर्ण प्रबन्ध को मूलग्रन्थ का अनुसरण करते हुए सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत प्रबन्ध यद्यपि २० मार्च, १९६७ को पूर्ण हो चुका था परन्तु पी-एच० डी० की उपाधि मिलने तथा प्रकाशन-कार्य में तीन वर्ष का विलम्ब हुआ। इस बीच मैंने अपने प्रबन्ध को यथासंभव पुनः परिमाणित व परिवर्धित किया। आज इसे छपे रूप में विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस तरह यद्यपि इस प्रबन्ध को सर्वाङ्गीण सुन्दर बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है फिर भी मानव की शक्तियाँ सीमित होने के कारण वह पूर्णता का दावा नहीं कर सकता। यदि इससे पाठकों का थोड़ा-सा भी लाभ हो सका तो मैं अपना परिश्रम सफल समझ्ंगा।

अन्त में उन सभी सज्जनों के प्रति आभार प्रकट करना में अपना कर्ताव्य समझता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुझे प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही साथ मैं उन सभी प्रन्थों, ग्रन्थकारों व ग्रन्थसम्पादकों आदि का भी आभारी हूँ जिनसे प्रस्तुत प्रबन्ध में सहायता मिली है। सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय पूज्य गुरुवर्य डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य का आभारी हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय व निर्देशन आदि देकर इस प्रबन्ध को इस रूप में प्रस्तुत करने के योग्य बनाया। इसके बाद पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के अध्यक्ष डा॰ मोहनलाल मेहता का आभारी हुँ जिन्होंने प्रस्तुत प्रबन्ध के संपादन में बहुमूल्य योगदान दिया। इसके बाद में पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान तथा स्याद्वाद महाविद्यालय व वहाँ के सभी पदाधिकारियों का आभारी हूँ जहाँ से मुझे प्रबन्ध-लेखन के काल में हर प्रकार की (आर्थिक, पुस्तकीय व आवासीय) सुविधाएँ प्राप्त हुई । पं० दलसुख मालवणिया तथा डा० नथमल टाटिया का भी आभारी हूँ जिन्होंने प्रस्तुत प्रबन्ध का परीक्षण करके अपने बहुमूल्य सुझाव दिए ।

वाराणसी १-द-७० सुदर्शनलाल जैन प्राच्यापक—संस्कृत-पालि विभाग काशी विश्वविद्यालय

संकेत सूची

उ० == उत्तराध्ययन उ० आ० टी० = उत्तराध्ययन-आह्माराम-टीका .उ० घा० टी० = उत्तराध्ययन-घासीलाल-टीका उ० तु० = उत्तराध्ययन-आचार्य तुलसी उ० नि० = उत्तराध्ययन-निर्युक्ति उ० ने० टी० = उत्तराध्ययन-नेमिचन्द्र-टीका उ० शा० = उत्तराध्ययन-शार्पेन्टियर उ० समी० = उत्तराध्ययन: एक समीक्षात्मक अध्ययन के० लि० जै० =हिस्टी आफ दी केनौनिकल लिटरेचर ऑफ दी जैन्स कै० जै० = जैनधर्म - कैलाशचन्द्र गो० जी० = गोम्मटसार-जीवकाण्ड जै० ध० = देखिए-कै० जै० जै॰ भा॰ स॰ = जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज जै० सा० इ० पू० = जैन साहित्य का इतिहास : पूर्वपीठिका ं जै० सा० बृ० इ० = जैन साहित्य का बृहद् इतिहास डा॰ जै॰ = डॉक्टिन ऑफ दी जैन्स ं तर्क सं० ≔तर्कसंग्रह त० स० = तत्त्वार्थसूत्र दः उः = दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन (आचार्य तुलसी) पुट = पुटर

परि० = परिशिष्ट

पा० दि० = पाद-हिप्पण
पा० यो० = पातळ्जल-योगदर्शन
प्रा० सा० इ० = प्राकृत साहित्य का इतिहास
बौ० द० = बौद्ध-दर्शन
भा० द० व० = भारतीय-दर्शन — बलदेव
भा० द० रा० = भारतीय-दर्शन — राधाकृष्णन्
भा० सं० जै०
भा० सं० जै०
भा० सं० जै०
भा० सं० जै० यो०

= भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान
महा० ना० = महाभारत की नामानुक्रमणिका
समवा० = समवायाङ्गसूत्र
सा० का० = सांख्यकारिका
से० बु० ई० = सेकेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट — भाग ४५
स्था० सू० = स्थानाङ्गसूत्र
ह० इ० लि० = हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर — भाग २
ह० के० लि० जै० = देखिए — के० लि० जै०

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रास्ताविक

जैन आगमों में उत्तराध्ययन-सूत्र	0-00
मूलसूत्र	१-५१
उत्तराघ्ययन-सूत्र का परिचय	६ १ ४
रचियता एवं रचनाकाल	र ० २६
उत्तराध्ययन-सूत्र : यह नाम क्यों ?	२५ ३७
भाषा-शैली और महत्त्व	४०
टीका-साहित्य	
प्रकरण १	४७
द्रव्य-विचार	४३-१२=
लोक-रचना	4. ()
ऊ र्घ्वलोक	4 4
मध्यलोक	रू ४७
अधोलोक	Ęo
षट्-द्रव्य	ĘŶ
अचेतन द्रव्य	£3
चेतन द्रव्य	٠ . ۶
संसारी जीवों के विभाजन के स्रोत	60
स्थावर जीव	£3
त्रस जीव	१०१
द्रव्य-लक्षण	, , ११=
· गुण	१२०
पर्याय	१ २१
अनुशीलन	? २३
प्रकरण २	2 / 4
संसार	१२६-१७=
संसार की दु:खरूपता	१२६
तिग्रंच और नरकगति के कष्ट	1,4
	171

(१२)

मनुष्य व देवगति के सुखों में दु:खरूपता	१३२
विषयभोग-जन्य सुखों में सुख़ाभासता	<i>\$38.</i>
दुःखरूप संसार की कारण-कार्य-परंपरा	888
कर्म∙ब न ्ध	१४७
कर्मबन्ध शब्द का अर्थ	१४७
विषमता का कारण—कर्मबंध	१५०
कर्म-सिद्धान्त भाग्यवाद नहीं	१५३
कर्मों के प्रमुख भेद-प्रभेद	१५३
कर्मों की संस्या, क्षेत्र, स्थिति-काल आदि	१६२
कर्मबन्ध में सहायक लेश्याएँ	१६५
अनुशीलन	१७३
प्रकरण ३	
रःनत्रय	१७६-२४६
नव तथ्य	३७१
मृक्ति का साधन-रत्नत्रय	१८६
सम्यग्दर्शन	१९७
सम्यग्दर्शन के आठ अंग	338
सम्यग्दर्शन के भेद	२०१
सम्यकान	२०७
ज्ञान के प्रमुख पाँच प्रकार	२०८
गुरु-शिष्यसम्बन्ध	२१४
गुरु के कर्ताव्य	२२६
सम्यक् चारित्र	२ २ ८
सम्यक्वारित्र के प्रमुख पाँच प्रकार	२३०
चारित्र के विभाजन का दूसरा प्रकार	२३४
अनुशीलन	२३६
प्रकरण ४	
सामान्य साध्वाचार	२४७-३२८
सामान्य साघ्वाचार	२४७
विशेष साघ्वाचार	२४८
दीक्षा की उत्थानिका	२४८
दीक्षा लेने का अधिकारी	२४६

दीक्षार्थ माता-पिता की अनुमति	*.11
परिवार एवं सांसारिक विषय-भोगों का त्याग	२ ५०
दीक्षा पलायनवाद नहीं	२५० २५२
दीक्षागुरु	74.7 2 4.3
वस्त्राभूषण का त्याग एवं केशलौंच	२ ५४
बाह्य उपकरण या उपिष	रथ्४
सामान्य उपकरण	२५५
विशेष उपकरण	7 ६ ०
पाँच महावत	२६०
अहिसा-महावत	રેદ્દેશ
सत्य-महाव्रत	२६४
अचौर्य-्महाव्रत	२६६
ब्रह्मचर्य-महाव्रत	રેફેહે
अपरिग्रह–महाव्रत	२७५
महाव्रतों के मूल में अहिंसा व अपरिग्रह की भावना	२८१
प्रवचनमाताएँ—गुप्ति और समिति	२५४
गुप्तियाँ – प्रवृत्ति-निरोध	२्द६
समितियाँ—प्रवृत्ति में सावधानी	રેદર
षट्- आवश्यक	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
सामाचारी	३०६
सामाचारी के दस अंग	00 ह
दिनचर्या एव रात्रिचर्या	ই ০দ
नसति या उपाश्रय	३१०
निवासयोग्य भूमि कैसी हो ?	३ ११
आहार	રે શેર
किने परिस्थितियों में आहार ग्रहण करे	3 2 3
किन परिस्थितियों में आहार ग्रहण न करे	ХŞЕ
किस प्रकार का आहार ग्रहण करे	३१६
बाह्यर के विषय में कुछ अन्य ज्ञातव्य बातें	३२०
अनुशीलन	३२२
प्रकरण प्र	
विशेष साघ्याचार	356-308
तंपस्यर्या—तप	378
तप के भेद	३३०

(१४)

बाह्यतप	३३२	
अनशन तप	३३२	
ऊनोदरी त प	३३४	
भिक्षाचर्या तप	३३६	
रस-परित्याग तप	३३६	
कायक्लेश तप	388	
प्रतिसंलीनता तप	३४०	
आभ्यन्तर तप	385	
प्रायश्चित्त तप	३४२	
विनय तप	\$ 88	
वैयावृत्य तप	३४४	
स्वाध्याय तप	३४६	
घ्यान तपं	३४५	
कायोत्सर्गं या व्युत्सगं तप	३४०	
परीषह-जय	३४२	
परीषह-जय के भेद व स्वरूप	३४३	
परीषय-जय की कठोरता	3,⊻€	
साधु की प्रतिमाएँ	३६०	
प्रतिमा-अनशन तपविशेष का अभ्यास	३६०	
समाधिमरण-सल्लेखना	३६१	
समाधिमरण आत्महनन नहीं	३६२	
समाधिमरण के भेद	३६३	
समाधिमरण की अवधि	<i>ई६</i> ४	
समाधिमरण की विधि	३६४	
समाधिमरण की सफलता	३६४	
अनुशीलन	३६८	
प्रकरण ६		
मुक्ति	३७४-३६०	
मुक्ति के अर्थ में प्रयुक्त कुछ शब्द	३७१	
मोक्ष में जीव की अवस्था	३७५	
मुक्तों के ३१ गुण	३८१	

(१५)

• •	
सादिमुक्तता	३८२
मुक्तात्माओं का निवास	३नर
मुक्ति किसे, कब और कहाँ से	3 = 3
मुक्त जीवों की एकरूपता	ξ≒χ
जीवन्युक्ति	३५४
अनुशीलन	३८८
प्रकरण ७	
समाज और संस्कृति	१६४-०३६
वर्णाश्रम-व्यवस्था	388
जाति व वर्ण-व्यवस्था	338
आश्रम-व्यवस्था	336
पारिवारिक जीवन	800
माता-पिता व पुत्र	४०१
भाई-बन्धु	४०२
नारी	४०२
रोति-रिवाज एवं प्रथाएँ	. ४० <i>६</i>
यज्ञ	४०६
विवाह्-प्रथा	४१०
सीन्दर्य-प्रसाधन	४१२
दाह-संस्कार	४१३
पशु-पालन	४१≇
खान-पान	४१४
मनोरंजन के साधन	४१६
्व्यापार और समुद्रयात्रा	४१८
रोगोपचार	४२०
मंत्र-शक्ति व शकुन में विश्वास	४२ १
राज्य-व्यवस्था व मानव-प्रवृत्तियाँ	४२२
राज्य-व्यवस्था	४२३
मानव-प्रवृत्तियाँ	४२=
र्घामिक एवं दार्शनिक सम्प्रदाय	४२६
अनु शील न	४३१

प्रकरण ८

उपसंहार	४३७-४४७
परिशिष्ट १	
कथा-संवाद	४४६-४७२
परिशिष्ट २	
विशिष्ट व्यक्तियों का परिचय	४७३-४८७
परिशिष्ट ३	
साध्वाचार के कुछ अन्य ज्ञातब्य तथ्य	४ ८८-४ ६ ४
परिशिष्ट ४	
देश तथा नगर	४९४-४०४
सहायक ग्रन्थ-सूची	ሂ०ሂ
बनुक्रमणिका "	प्रश्च
तालिकाएँ व वृत्तचित्र	रिष्

प्रास्ताविक

जॅन आगमों में उत्तराध्ययन-सूत्र

उत्तराध्ययन-सूत्र अर्थमागधी प्राकृत भाषा में निबद्ध एक जैन आगम-प्रन्थ है। भगवान् महावीर (ई॰ पू॰ ६ ठी शताब्दी) के जिन उपदेशों को उनके शिष्यों ने सूत्रप्रन्थों के रूप में निबद्ध किया वे प्रन्थ 'आगम' या 'श्रुत' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 'इन प्रन्थों में जो भगवान् महावीर के साक्षात् प्रधान शिष्यों (गणधरों) द्वारा रचित हैं वे अंगप्रविष्ट (अंग) कहलाते हैं और शेष जो उत्तरवर्ती श्रुतज्ञ शिष्यों द्वारा रचित हैं वे अंगबाह्य (अनंग)। इनमें साक्षात् महावीर के शिष्यों द्वारा रचित होने के कारण अंग प्रन्थों की प्रधानता है। इन्हें बौद्ध त्रिपटक की तरह 'गेणिपटक' तथा ब्राह्मणों के प्राचीनतम प्रन्थ वेदों की तरह 'वेद' कहा गया है। इनकी संख्या १२ नियत होने से

२. ''तं जहा---अंगपिवट्ठं, अंगबाहिरं च । से कि तं अंगबाहिरं ? अंगबाहिरं दुविहं पण्णतं । तं जहा---आवस्सयं च आवस्सयवइरित्तं च। ---नंदी, सूत्र ४३;

यद् मणधरिषाध्यप्रशिष्यैरारातीयैरिधिगतश्रुतार्थतत्त्वैः कालदोषादस्यमेधा-युर्वेलानां प्राणिनामनुग्रहार्यं मुपनिबद्धं सक्षिप्ताङ्गार्थवचनविन्यासं तदङ्गवाह्यम् ।

---तत्त्वार्यवातिक, १.२०.१३.

३. दुवालसंगे गणिपिडगे

--समवा०, सूत्र १ तथा १३६.

४. दुवालसंगं वा प्रवचनं वेदो

-प्रा० सार इ०, पृ० ४४.

प्राचीन काल में इसे 'श्रुत' कहते थे और श्रुतज्ञानी को 'श्रुतकेवली'। वर्तमान में आगम शब्द अधिक प्रचलित है। देखिए, जै॰ सा० बृ० इ०, भाग १, प्रस्तावना, प्र० ३१.

इन्हें 'द्वादशाङ्ग'' भी कहा जाता है। इस तरह अर्थरूप में ये सभी अंग-प्रन्थ महावीर-प्रणीत ही हैं परन्तु शब्दरूर में गणधर-प्रणीत हैं।

इनके अतिरिक्त जो अङ्गबाह्य आगम-ग्रन्थ हैं वे प्राचीन
परम्परानुसार प्रथमतः दो भागों में विभक्त है--आवश्यक और
आवश्यक-व्यतिरिक्त । अवश्यक में छः ग्रन्थ थे जो आजकल
एक आवश्यक-सूत्र में ही सन्निविष्ट हैं। आवश्यक-व्यतिरिक्त
के पुनः कालिक और उरकालिक –ये दो भेद किए गये हैं और
प्रत्येक के कई प्रकार हैं। जिनका अध्ययन किसी निश्चित समय
(दिन व रात्रि के प्रथम तथा अन्तिम प्रहर) में किया जाता है
उन्हें 'कालिक' और जिनका अध्ययन तदिरिक्त समय में किया
जाता है उन्हें 'उरकालिक' कहते हैं। उत्तराध्ययन आदि कालिक
श्रुत हैं तथा दशवैकालिक आदि उरकालिक।"

- १. वही; बारह अंग-आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञाप्ति (भगवती), ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तःकृद्शा, अनुत्तरोपपातिकदशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकश्रृत और दृष्टिवाद।
- २. अत्थं भासइ अरहा सुत्तं गंथति गणहरा निउणं। सासणस्स हियट्ठाए तओ सुत्तं पवत्तइ।। —आवश्यक-नियुक्ति, गाथा १६२.
- ३. देखिए-पृ० १, पा० टि० २.
- ४ वहीं ; आवश्यक के छः नाम ये हैं -सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण, कायोरसर्ग और प्रत्याख्यान ।
- ५. यदिहनिशाप्रथमचिरमपौरुषीद्वय एवं पठ्यते तत्कालेन निवृत्तं कालिकं—उत्तराध्ययनादि । यत्पुनः कालवेलावर्जं पठ्यते तदूर्ध्वं कालिकादित्युत्कालिकम्—दश्वैकालिकादीति ।

--स्था॰ सू० ७१ अभयवृत्ति । नंदी, सूत्र ४३, ४७ में इसकी विस्तृत सूची दी गई है ।

तदङ्गबाह्यमनेकविधम्—कालिकमुस्कालिकमिरयेवमादिविकल्पात् । स्वा-ष्यायकाले नियतकालं कालिकम् । अनियतकालमुस्कालिकम् । तद्भेदा उत्तराष्ययनादयोऽनेकविधाः ।

--तत्त्वार्थवातिक, १.२०.१४.

इस तरह यह कालिक और उत्कालिक का भेद सिर्फ अंगबाह्य आवश्यक-व्यतिरिक्त ग्रन्थों में है। परवर्ती काल में दृष्टिवाद को छोड़कर शेष ग्यारह अंग-ग्रन्थों को भी कालिक में गिनाया है। व्रिट्टवाद के विषय में स्पष्ट कथन नहीं मिलता है कि वह कालिक है अथवा उत्कालिक। परन्तु ग्यारह अंगरूप कालिक श्रुत के ही साथ कहीं-कहीं दृष्टिवाद को भी गिनाया है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि दृष्टिवाद का उच्छेद हो गया था। अतः इसके प्रति उपेक्षा होना स्वाभाविक है। दिगम्बर-परम्परा में सिर्फ अंगबाह्य ग्रन्थों को ही कालिक और उत्कालिक में विभक्त किया है, अंग ग्रन्थों को नहीं। 3

इस तरह आगम-साहित्य के प्राचीन विभाजन के अनुसार उत्तराघ्ययन-सूत्र अगबाह्य आवश्यक-व्यतिरिक्त कालिक श्रृत का एक भेद है।

वर्तमान परम्परा में अगबाह्य का विभाजन भिन्न प्रकार से किया जाता है। प्राचीन आगम-ग्रन्थों में इस प्रकार का विभाजन नहीं मिलता है। जहां तक ज्ञात है, इस विभाजन का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख श्री भावप्रभसूरि (१८ वीं शताब्दी) द्वारा विरचित

—आवश्यकनिर्युक्ति, ७६४;

ं एक्कारस अंगाइं पइण्णगं दिद्विवाओं य ।

— उ० २**५.२**३;

उत्तराष्ययन में अन्यत्र द्वादशाङ्ग ('बारसंगिवक बुद्धे' उ० २३.७; 'दुवालसंगं जिणवसायं' उ० २४.३) तथा अङ्ग और अङ्गबाह्यसूत्र ('जो सुत्तमहिज्जन्तो'''''अंगेण बहिरेण व' उ० २८.११) के रूप में भी उल्लेख मिस्रता है।

१ इहैकादशाङ्गरूप सर्वेमपि श्रुत कालग्रहणादिविधिनाऽघीयत इति कालिकमुच्यते ।

[—] विशेष। दश्यक भाष्य — मलधारी टीका, गाथा २२६४; विशेष — जै० सा॰ ६० पू०, पृ० ४७६ – ४७८.

२. कालियसुअ दिट्टीवाए य

[.]३ देखिए-पृ० २, पा• टि• ४.

जैनधर्मवरस्तोत्र (श्लोक ३०) की स्वोपज्ञ टीका में मिलता है। तदनुसार विभाजन-क्रम निम्नोक्त है:

१. अथ उत्तराष्ट्रययन १ आवश्यक २ पिण्डनियुँ कि तथा ओघनियुँ कि ३ दशकैकालिक ४ इति चत्वारिमूलसूत्राणि ।****गाथा —

इक्कारस अगाइ बारस उवंगाइ दस पयन्नाइं। छ छेप मूल चउरी नंदी अणुयोग पणयाला।।
— जैनधर्मवरस्तोत्र-स्वोपक टीका, पृ० ६४.

इस प्राकृत गाथा के उद्धृत करने तथा आगम ग्रन्थों के स्पष्ट विभाजन से प्रतीत होता है कि इसके पहले भी इस प्रकार का विभाजन हो चुका था। आठ तुलसी ने द० उ०—मूमिका, पृ० ६,६ पर समयसुन्दर (वि० सं० १६७२) कृत सामाचारीशतक का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसमें दशवैकालिक, ओवनियुंक्ति, पिण्डनियुंक्ति और उत्तराध्ययन को मूलसूत्र माना है। प्रभावक-चरित (वि० सं० १३३४) में भी अङ्ग, उपाङ्ग, मूल और छेद के भेद से आगमों के प्राचीन विभाजन का उल्लेख मिलता है—


ततश्चतुर्विधः कार्योऽनुयोगोऽतः परं मया । ततोऽङ्कोषाङ्गम्लास्यग्रन्थच्छेदकृतागमः ॥ —आर्यरक्षितप्रबन्घ, श्लो० २४१.

प्रभावक-चरित के इस उल्लेख से यह सिद्ध नहीं होता है कि कीन-कीन से ग्रन्थ किस-किस विभाग में थे ? परन्तु ऐसा विभाजन पहले से मौजूद था जिसकी आर्थरक्षित ने ४ अनुयोगों में विभक्त किया।

भद्रवाहु (द्वितीय) की आवश्यकित्युं िक (विश् सं ६ ठी शता०) में कल्पादि को छेदसूत्रों में परिगणित करने से इस प्रकार के विभाजन की और अधिक प्राचीनता का पता चलता है—

जंच महाकप्पसुर्यं जाणि य सेसाणि छेयसुत्ताणि'''''।
--आवश्यकनिर्युक्ति, गा० ७७८.

तथा देखिए-विशेषावश्यकभाष्य, गाथा २२६४.



इस तरह सामान्यतया ४६ आगम ग्रन्थ माने जाते हैं उनमें बारहवें अंग दृष्टिवाद का उच्छेद मान लेने पर ४५ आगम-ग्रन्थों की परम्परा है।

- १. बारह उपांग ये हैं— औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्धीपप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, किरिका, कल्पावतंतिका, पुष्पिका, पुष्पक्ता और वृष्णिदशा। अन्तिम पांच को निरयावित्या भी कहते हैं। इनका अंगों के साथ वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी इन्हें रूढ़ि से उपांग कहा जाता है। सिर्फ पांच निरयावित्यों की उपांग संज्ञा मिलती है।
 - देखिए-जै० सा० बृ० इ०, भाग २, ५० ७-- ८.
- २. छः छेदसूत्र ये हैं निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचारदशा या दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प तथा पंचकत्प या जीतकल्प। इनमें साधु-वर्म का पालन करते समय लगे हुए दोवों की प्रायश्चित्त विधि का वर्णन है। अतः ये छेदसूत्र कहताते हैं।
 - इ. यद्यपि नंदी (सूत्र ४३) में कालिकश्रुत को तथा उत्तराघ्ययन में (देखिए-पु॰ ३, पा० टि० २) अंगातिरिक्त को प्रकीर्णक कहा है परन्तु वर्तमान में इनकी संख्या १० नियत है—चतुःशरण, आतुरप्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा, संस्तारक, तंडुलबैचारिक, चन्द्रवेघ्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रत्याख्यान तथा वीरस्तव । इन नामों में कुछ सम्प्रदायगत अन्तर भी हैं।
 - ४. श्वेताम्बर स्थानकवासी इनमें से ३२ तथा कुछ मूर्तिपूजक श्वेताम्बर ६४ आगम मानते हैं।

दिगम्बर-परम्परा में इस प्रकार का विभाजन नहीं मिलता है। वहाँ प्रथमतः अंग और अंगबाह्य ऐसे दो भेद किए गए हैं, फिर अंग के १२ और अंगबाह्य के १४ भेद किए हैं। इस तरह दिगम्बर-परम्परा में २६ आगमों की मान्यता है। परन्तु उनकी मान्यता है कि दृष्टिवाद के अंग विशेष के आधार पर लिखे गये पट्खण्डागम और कषायप्राभृत को छोड़कर शेष अंग और अंगबाह्य आगम विच्छिन्न हो गये हैं, जबिक स्वेताम्बर-परम्परा में दृष्टिवाद का विच्छेद हुआ है और शेष आगम अविच्छिन्न हैं। दिगम्बर-परम्परा में अंगबाह्य के जो १४ भेद हैं, वे निम्नोक्त हैं:

१. सामायिक, २. चतुर्विशतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५. वैनयिक, ६. कृतिकर्म, ७. दशवैकालिक, ६. उत्तराध्ययन, ६. कल्पव्यवहार, १०. कल्पाकल्प, ११. महाकल्प, १२. पुंडरीक, १३. महापुण्डरीक और १४. निषिद्धिका।

इनमें आदि के छ: भेद कमशः छ: आवश्यकरूप हैं तथा अन्त के छ: भेदों का समावेश श्वेताम्बर-सम्मत कल्प, व्यवहार और निशीथ नामक छेद-सूत्रों में माना जाता है। शेष दो—दशवैकालिक और उत्तराध्ययन महत्त्वपूर्ण मूलसूत्र हैं। 3

इस तरह इस वर्तमानकालिक प्रचलित परम्परा में उत्तराध्ययन को अगबाह्य मूलसूत्र के भेदों में गिनाया जाता है। परन्तु उत्तरा-ध्ययन को मूलसूत्र क्यों कहा जाता है? इस पर विचार करने के पूर्व मूलसूत्रों पर दृष्टि डालना आवश्यक है।

मूलसूत्र :

सामान्यतया मूलसूत्रों की संख्या चार मानी जाती है परन्तु कुछ विद्वान् उत्तराष्ययन, आवश्यक और दशवैकालिक इन्हीं तीनों की

१. धवलाटीका-- बट्खण्डागम, पुस्तक १, पृ० ६६; गो० जी०, गाया ३६६-४६७.

ये दोनों ग्रन्थ अंग के १२ भेदों में से दृष्टिचाद के अन्तर्गत आते हैं।
 देखिए-षट्खण्डागम, भूमिका, पृ० ७१.

३. देखिए-भाव संव जैव योव, पृव १४; जैव साव इव पूव, पृव ६७६.

गणना मूलसूत्रों में करते हैं। विन्टरिनत्स आदि विद्वान् चौथा मूलसूत्र पिण्डनिर्युक्ति को मानते हैं। परन्तु कुछ दशवैकालिक और पिण्डनिर्युक्ति के स्थान पर ओघनिर्युक्ति और पाक्षिकसूत्र को मूलसूत्र मानते हैं तथा कुछ पिण्डनिर्युक्ति और ओघनिर्युक्ति को छेदसूत्रों में भी गिनाते हैं। स्थानकवासी (खेताम्बर) दशवैकालिक, उत्तराघ्ययम, नंदी और अनुयोगद्वार इन चार को मूलसूत्र मानते हैं। परन्तु ६४ आगम माननेवाले आवश्यक के साथ पाँच मूलसूत्र मानते हैं। परन्तु ६४ आगम माननेवाले आवश्यक के साथ पाँच मूलसूत्र मानते हैं। परन्तु ६४ आगम पाननेवाले आवश्यक के साथ पाँच मूलसूत्र मानते हैं। परन्तु ६४ तथा ने दशवैकालिक की दो चूलिकाएँ भी मूलसूत्रों में गिनाई हैं। इस तरह मूलसूत्रों की संख्या और नामों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है फिर भी उत्तराध्ययन के मूलसूत्र होने में किसी को संदेह नहीं है तथा कम में अन्तर होने पर भी प्रायः सभी उत्तराध्ययन को प्रथम मूलसूत्र मानते हैं। इस

६ मूलसूत्रों की संख्याव कम के विषय में विभिन्न मत :---

	विद्वान्	संख्या	अम
۲.	भावप्रभसूरि	४	उत्तराध्ययन, आवश्यक, पिण्ड-
			निर्युक्ति-ओघनिर्युक्ति तथा दश-
•			वैकालिक।
₹.	समयसुन्दर	४	दशवैकालिक, ओघनियूं क्ति,
	J		पिण्डनियुक्ति और उत्तरा-
			घ्ययन। —उद्धृत द० उ०,
			भूमिका, पृ०६
₹.	स्यानकवासी और	¥	उत्तराध्यथन, दशवैकालिक, नंदी
	तेरापन्थी क्वेताम्बर		और अनुयोगद्वार ।
X	कुछ मूर्तिपूजक श्वेताम्बर	: X	उत्तराष्ययन, दशकैकालिक, आदश्यक, नंदी और अनुयोगद्वार।

१. जैं० साठ ब्र इं, भाग-२, प्र १४३-१४४.

२. हि० इ० लि०, भाग-२, पृ० ४२६; जै० साठ बृ० इ०, भाग-१, प्रस्तावना, पृ० २८.

३. हि॰ इ० लि०, भाग-२, प्र० ४३०.

४. प्रा० सा॰ इ०, पृ० ३३, फुटनोट ।

५ हि० के० लि० जै०, प्र०४ ८.

संख्या, नाम और क्रम की तरह 'मूलसूत्र' का अयं भी विवादा-स्पद है। ये मूलसूत्र क्यों कहे जाते हैं ? इस विषय में विद्वानों ने भिन्न-भिन्न तर्क उपस्थित किए हैं क्योंकि प्राचीन कोई भी ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है जिसमें इसका अर्थ स्पष्ट किया गया हो। मूलसूत्रों के नामों में अन्तर होने से भी इसका स्पष्ट कथन कर सकना सम्भव नहीं है। 'मूलसूत्र' शब्द के अर्थ पर विचार

- ५. प्रो० वेबर और प्रो० बृह्लर ३ उत्तराध्ययन, आवश्यक और दशवैकालिक ।
- ६. डॉ॰ शारपेन्टियर, डॉ॰ ४ उत्तराघ्ययन, आवश्यक, दशकै-विन्टरनित्स और डॉ॰ कालिक और पिण्डनिर्युक्ति । गेरिनो
- ७. प्रो**॰ धुर्बिग**् ५ उत्तराघ्ययन, दशवैकालिक, आव^{ध्}यक, पिण्डनिर्युक्ति और ओघनिर्युक्ति ।
- ष्ट. प्रो० हीरालाल कापड़िया ६ आवश्यक, उत्तराघ्ययन, दशवै∙ कालिक, दशवैकालिक चूलिकाएँ, पिण्डनियुँ क्ति और ओघ-नियुं क्ति ।
 - . डॉ॰ जगदीशचन्द्र,पं॰दल- ४ उत्तराघ्ययन, दशकैकालिक, सुख मालवणिया और आवश्यक और पिण्डनियुंक्ति; डॉ॰ मोहनलाल मेहता अथवा उत्तराघ्ययन, आवश्यक, दशकैकालिक और पिण्डनियुंक्ति-ओघनियुंक्ति।
- १०. आचार्यतुलसी २ दशवैकालिक और उत्तरा घ्ययन।

— विशेष के लिए देखिए — जैं॰ सा॰ बृ॰ इ॰, भाग २, पृ॰ १४४; जैं॰ सा॰ बृ॰ इ॰, भाग १, प्रस्तावना, पृ॰ २८; हि॰ के॰ लि॰ जै॰, पृ॰ ४४ – ४८; प्रा॰ सा॰ इ॰, पृ॰ ३५; द॰ उ॰ भूमिका, पृ॰ ७ – ६० करने के पूर्व आवश्यक है कि सभी मान्य मूलसूत्रों का प्रथमतः संक्षिप्त परिचय दिया जाय।

१. उत्तराध्ययन-यह एक धार्मिक श्रमण काव्य-ग्रन्थ है। इसमें नवदीक्षित साधुओं के सामान्य आचार-विचार आदि का वर्णन किया गया है। कहीं-कहीं जैनदर्शन के सामान्य मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा की गई है। इसका विशेष विचार आगे किया जाएगा। २. दशवैकालिक - यह भी उत्तराध्ययन की ही तरह आचारधर्म का प्रतिपादक धार्मिक श्रमण-काव्य है। इसमें विनय, नीति, उपदेश और सुभाषितों की प्रचुरता है। कुछ अध्ययन और गाथाएँ उत्तराध्ययन और आचाराङ्ग से साम्य रखती हैं। 'इसके रचयिता शय्यंभव (ई० पू० ४५२-४२६) हैं। भद्रबाहु की निर्युक्ति के अनुसार इसका चौथा अध्ययन आत्मप्रवाद पूर्व से, पाँचवां कर्मप्रवाद पूर्व से, सातवां सत्यप्रवाद पूर्व से और बाकी के प्रत्याख्यानप्रवाद पूर्व के तीसरे अधिकार (वस्तू) से लिए गए हैं। कालान्तर में इस पर विपुल टीकासाहित्य लिखा गया। भाषा और विषय की दृष्टि से यह भी उत्तराध्ययन की तरह प्राचीन और महत्त्व-पूर्ण है। ३. आवश्यक-नंदीसूत्र के वर्गीकरण के अनुसार पहले यह छः स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में था। परन्तु अब यह एक ही ग्रन्थ के रूप में विद्यमान है। इसमें साधु की छः नित्यक्रियाओं (आवश्यकों) का वर्णन किया गया है। इस पर भी कालान्तर में विपुल टीका-साहित्य लिखा गया । ४. पिण्डनिर्युक्ति—यह दशवैकालिक सूत्र के पिण्डेषणा' नामक ५वें अध्ययन पर लिखी गई भद्रबाहु की रचना है। विस्तार एवं महत्त्व के कारण इसे पृथक् ग्रन्थ के रूप में माना

१ जै॰ सार बृ॰ इ॰, भाग-२, पृ० १६१; हि० के॰ लि० जै०, पृ०१४६.

२. प्राचीन काल में समस्त श्रुतज्ञान १४ पूर्व-प्रत्थों में अन्तिनिहित था । उनके नाम इस प्रकार हैं—उत्पाद, अग्रायणी, वीर्यप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, समयप्रवाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, विद्यानुप्रवाद, अवन्ध्य, प्राणावाय, ऋिवाविशाल और बिन्दुसार।

३. दशवैकालिक-निर्युक्ति, गाथा १६-१७. .

जाता है। पिण्ड का अर्थ है-भोजन। इसमें साधु के भोजन-विषयक सिद्धान्त की चर्चा की गई है। इसमें वर्णित साधु के भोजन-सम्बन्धी नियमों से कई महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। ५. ओघनिर्युक्ति - ओघ का अर्थ है -- सामान्य । इसमें साधु के सामान्य आचार-विचार का ही दृष्टान्तशैली में वर्णन है। इसमें श्रमणसंघ के इतिहास की झलक मिलती है। बीच-बीच में कथाएँ भी हैं। यह भी पिण्डानिर्युक्ति की तरह भद्रवाहु की ही रचना है। ६-७ नदी और अनुयोगद्वार - ये दोनों प्रत्य आगमों के लिए परिशिष्ट का काम करते हैं । अतः इन्हें चुलिकासूत्र कहा जाता है । आगमों के अध्ययन के लिए ये प्राथमिक भृभिका का भी कार्य करते हैं। नंदी में विशेष-कर ज्ञान की चर्चा की गई है और अनुयोगद्वार में मूलभूत सिद्धान्तों और पारिभाषिक णब्दों का स्पष्टीकरण किया गया है। नंदी' दूष्यगणि के णिष्य देववाचक की तथा 'अनुयोगद्वार' आर्यरक्षित की कृति है। ये महावीर निर्वाण के बहुत बाद में लिखी गई थीं। पाक्षिकसूत्र - इसमें साधु के पाक्षिक प्रतिक्रमण (आवश्यक का एक भेदे) का वर्णन किया गया है। ६, दशवंकालिक-च लिकाएँ ये वास्तव में दशवैका लिक के ही अंश के रूप में हैं। अतः इन्हें पृथक् गिनाना उचित नहीं है। इनमें संसार के प्रति राग-भावना का त्याग तथा साधुओं को मद्य-मांस आदि के त्याग का उपदेश देकर कर्तव्य-कर्म करने का उपदेश दिया गया है।

इस तरह इन संभाव्य मूलसूत्रों का संक्षिप्त परिचय देखने से मूल-सूत्र शब्द का अर्थ यद्यपि स्पष्ट नहीं होता है फिर भी अन्य अंगबाह्य प्रन्थों की अपेक्षा इनमें मूलरूपता, प्रामाणिकता और उपयोगिता को ध्यान में रखा गया है। वास्तव में उत्तराध्ययन, दशवैकालिक और आवश्यक को मूलसूत्र मानना उपयुक्त है क्यों कि ये प्राचीन भी हैं तथा साधु-जीवन के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रामाणिक प्रति-

१. आचार्य तृलसी का यह कथन (द० उ०, भूमिका, पृ० ७) कि अङ्गवाह्य आगम ग्रन्थों के आवश्यक और आवश्यक-व्यतिरिक्त इन दो विभागों में आवश्यक का अपना स्वतन्त्र न महत्त्वपूर्ण स्थान होने से 'आवश्यक' को मूलसूत्रों की संख्या में सम्मिलित करने का कोई हेनु प्रस्तुत नहीं है - ठीक प्रतीत नहीं होता वयों कि वर्तमान परम्परा में जो अङ्गबाह्य

पादन भी करते हैं। अन्य ग्रन्थों को जो मूलसूत्रों में गिना जाने लगा है वह या तो उनके महत्त्व को प्रकट करने के कारण या मूल आगम-ग्रन्थों से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण है। जैसे—पिण्ड-निर्युक्ति दशवैकालिक से और ओघनिर्युक्ति आवश्यकिनिर्युक्ति से सम्बन्धित होने से, पाक्षिकसूत्र आवश्यक का ही एक अंग होने से, दशवैकालिक चूलिकाएँ दशवैकालिक के ही अंशरूप होने से तथा नंदी और अनुयोगद्वार के समस्त आगमग्रन्थों की विश्लेषणरूप भूमिका होने से इन्हें मूलसूत्रों के साथ जोड़ा गया है। इस तथ्य की पुष्टि के पूर्व मूलसूत्र के विषय में विभिन्न विद्वानों के मतों का पर्यवेक्षण आवश्यक है।

१. जार्ल शार्पेन्टियर ने महावीर के शब्द होने से इन्हें मूल-सूत्र कहा है। परन्तु यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि महावीर के शब्द होने के नाते आचारांग आदि को ही मूल संज्ञा दी जा सकती है, अंगबाह्य को नहीं। इसके अतिरिक्त अंग और अंगबाह्य

ग्रन्थों को छेदमूत्र, मूलसूत्र, प्रकीण क आदि भागों में बाँटा जाता है उनमें से आवश्यक को किस विभाग में रखा जाएगा? आवश्यक के महत्त्वपूर्ण होने के कारण मूलसूत्र में ही रखना उचित है। अन्य विभागों में रखा नहीं जा सकता। अतः या तो इसे मूलसूत्र विभाग में ही रखा जाए या फिर अन्य प्रकार से विभाग को कल्पना की जाए। आचार्य तुलसी ने (द० उ०, भूमिका, पृ० ६) मूलसूत्र कहे जाने के कारण को बतलाते हुए लिखा है—'आचार की जानकारी के लिए आचारांग मूलभूत था, वैसे ही दशवैकालिक भी आचारज्ञान के लिए भूलभूत बन गया। संभव है, आदि में पढ़े जाने के कारण तथा मुनि की अनेक मूलभूत प्रवृक्तियों के उद्बोधक होने के कारण इन्हें मूलसूत्र की संज्ञा दी गई।' इससे भी स्पष्ट है कि 'आवश्यक' मुनि की आवश्यक किया का प्रतिपादक होने के नाते क्यों नहीं मूलसूत्र कहा जाएगा?

Mula in the sense of 'original text', and perhaps not so much in opposition to the later abridgments and commentaries as merely to denote the actual words of Mahavira himself.

-- उ० शा०, भूमिका, पृ० ३२

सभी ग्रन्थों का सम्बन्ध अर्थतः महावीर के वचनों से है। दशनैकालिकसूत्र शय्यंभव की रचना होने तथा पिण्डनियुं क्ति आदि भी बाद की रचनाएँ होने से उपर्युक्त कथन ठीक नहीं है। यह कथन कुछ अंशों में उत्तराध्ययन एवं आवश्यक की अपेक्षा से ठीक है। मालूम पड़ता है कि शार्पेन्टियर के इस कथन का आधार उत्तराध्ययन की अन्तिम गाथा रही है जिसमें बतलाया है कि भगवान् महावीर उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों का वर्णन करके परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये। इसी तरह 'समय गोयम मा पमायए', 'सुयं में आउस तेण भगवया एवमक्खायं' आदि स्त्रस्थल रहे हैं। डा० गेरिनो एवं प्रो० पटवर्धन का भी यही मत है। '

२. प्रो० विन्टरनित्स े ने मूल शब्द का अर्थ टीकाओं के आधारभूत 'मूलग्रन्थ के रूप में किया है। इसका तात्पर्य है कि इन

इय पाउकरे बुद्धे नायए परिनिब्बुए।
 छत्तीसं उत्तरज्झाए भवसिद्धीयसंबुडे।

-30 \$5. 758.

- २, उ. १०.१-३६.
- ३. उ.१६.१ (गद्य)।
- ४. उ. २६.१ (प्रारम्भिक गद्य); .२.१ (गद्य), ४६ आदि।
- 5. Guerinot (La Religion, Djaina, P. 79) translates Mūlasūtra by "trates originaux."

– के. लि. जै., पृ. ४२.

- Thus the term Mūla-sūtra would mean "the original text" i. e. "the text containing the original words of Mahāvīra (as received directly from his mouth).
 - दी दशर्वकालिक सूत्र : ए स्टडी, पृ० १६.
- 7. Why these texts are called "root-sūtras" is not quite clear. Generally the word mūla is used in the sense of "fundamental text" in contra-distinction to the commentary. Now as there are old and important commentaries in existence precisely in the case of these texts, they were probably termed "Mūla-texts."

—हि. इ. लि., भाग २, पृ. ४६६, पाद-टिप्पणी १.

सूत्र ग्रन्थों के उत्पर महत्त्वपूर्ण प्राचीन टीकाएं उपलब्ध हैं। अतः इन टीकाओं से मूल ग्रन्थ का पार्थक्य बतलाने के लिए ही 'मूलसूत्र' शब्द का प्रयोग हुआ है। परन्तु यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि केवल टीकाओं से भेद बतलाने के लिए ही मूल शब्द का प्रयोग नहीं है। पिण्डनिर्युक्ति और ओघनिर्युक्ति भी तो वास्तव में टीकाएं ही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई ग्रन्थों पर भी टीकाएं लिखी गईं फिर उन्हें क्यों नहीं मूलसूत्र कहा गया? अनेक टीकाओं का लिखा जाना उनकी प्रसिद्धि, उपयोगिता एवं प्रामाणिकता का परिचायक है। वेबर भी मूलसूत्र शब्द का अर्थ सूत्र से अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। प

३. डा० शुनिंग ने प्रारम्भिक साधु-जीवन के मूलभूत नियमों के प्रतिपादक होने के कारण इन्हें मूलसूत्र कहा है। पाठ एच० आर० कापिह्या³, डा० नेमिचन्द्र शास्त्री के, आचार्य तुलसी आदि विद्वान् कुछ संशोधन के साथ इसी सिद्धान्त के पक्ष में हैं। बहुत कुछ अंशों में यह कथन उचित भी प्रतीत होता है।

इन विभिन्न मतों को देखने तथा मूलाचार, मूलाराधना आदि ग्रन्थों में प्रयुक्त 'मूल' शब्द का अर्थ देखने से पता चलता है कि मूल का अर्थ है—बीजरूपता। उत्तराध्ययन आदि

१. देखिए-जैं० साठ इ० पूर् पृठ ७०१.

^{2.}This designation seems to mean that these four works are intended to serve the Jain monks and nuns in the beginning (मूल) of their career.

[—]दसवेयातिथ-सुत्त, भूमिका, पृ० ३ (उदघृत-के० लि० जै॰, पृ० ४२).

^{3. &}quot;My personal view is the same as one expressed by Prof. Schubring and mentioned on P. 42.

[—]के० लि० जै०, पृ• ४३.

४. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० १६२.

५. द० उ०, भूमिका, पृ० ३.

मूलसूत्रों में अंगप्रन्थों में निहित सिद्धान्त एवं आचार का बीजरूप से वर्णन किया गया है जिनका अध्ययन करने पर अन्य सूत्रप्रन्थों को समझना सहज हो जाता है। अतः इनका अध्ययन अन्य प्रन्थों की अपेक्षा पहले किया जाता था। वे सरल तथा नव-दीक्षित साधुओं के लिए प्रारम्भिक अभ्यासावस्था में सिद्धान्त एवं आचार का ज्ञान कराने के लिए उपयोगी हैं। इस तरह मूलसूत्र से तात्पर्य है जो नवदीक्षित साधुओं के लिए प्रारम्भिक अभ्यास की अवस्था में साधुजीवन के मूलभूत आचार एवं सिद्धान्त का सरल ढंग से स्पष्ट ज्ञान कराएं। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह 'मूलसूत्र' का विचार अंगबाह्य प्रन्थों की अपेक्षा से है क्योंकि अंगप्रविष्ट सभी प्रन्थ गणधर-प्रणीत होने से मूल-प्रन्थ ही हैं। मूलरूपता एवं प्राचीनता की दृष्टि से अंगबाह्य ग्रंथों में तीन ही मूलसूत्र हैं। अन्य पिण्डनिर्यृक्ति आदि रचनाएँ अपने महत्त्व के कारण मूलसूत्रों में गिनी जाती हैं।

उत्तराध्ययन-सूत्र का परिचय:

उत्तराध्ययन में ३६ अध्ययन (अध्याय) हैं जिनमें सामान्य-रूप से साधु के आचार एवं तत्त्वज्ञान का सरल एवं सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। समवायांग सूत्र के ३६वें समवाय में उत्तरा-ध्ययन के जिन ३६ अध्ययनों के नाम मिलते हैं उनसे वर्तमान उत्तराध्ययन के अध्ययन कुछ भिन्न हैं। नामों में सामान्य अन्तर परिकक्षित होने पर भी विषय की दृष्टि से कोई अन्तर प्रतीत नहीं

२. उत्तराध्ययन-निर्युवित और समवायांग के अनुसार उत्तराध्ययन के नामादि विषयक साम्य-वैषम्य:

होता है क्योंकि दोनों प्रकार के नामों के साथ विषयगत संगति ठीक बैठ जाती है। इन ३६ अध्ययनों के नामादि इस प्रकार हैं.

	अघ्ययन नाम	अध्ययन नाम	सूत्र-संख्या	विषयवस्तु
	(उ.नि. के अनुसार)	समवायांग के	(आत्माराय	म (उ.नि.के
		अनुसार टी	का के अनुसा	
			पद्य + गद्य	-
ŧ.	वि णयसुपं	विणयसुयं	٧ 5 —	विनय
₹.	परीसह	परीसह	४६ + ३	प्राप्त कष्ट-सहन
				का विधान
₹.	चउरंगिज्जं	चाउरंगिज्जं	₹o —	चार दुर्लभ अंगों
	-			का प्रतिपादन
¥ .	` असंखयं	असंखयं	— \$ 9	प्रमाद और
	•			अप्रमाद का
	~~~~ <del>~</del>		: •-	कथन
¥.	अकाममरण •	अकाममरणिज्ज	₹₹ —	मरणविभक्ति (अकाम और
. •	•			(जनाम आर सकामगरण)
Ę.	नियंठ (खुड्डागनियंठ)	पुरिसदिज्जा	१७ 🕇 १	विद्या और
		•		आचरण
<b>9.</b>	ओरब्भं	उ रभिज्जं	<b>3</b> ο −	रसलोलुपता का
_				त्याग
55	काविलिज्जं	कावि <i>लि</i> ज्जं	२० ─	अलोभ
.3	ं णमिप <del>व्यव</del> ्जा	नमिपव्यज्जा	₹₹ · —	निष्प्रकम्प भाव
₹o.	<b>दुमप</b> त्तयं	दुमपत्तयं	₹७	अनुशासन
११.	बहुसुयपुज्जं	<b>ब</b> हुसुयपू जा	३२ —	बहुश्रृत की पूजा
<b>१</b> २.	हरिएस	हरिए सिज्जं	₹ <b>७</b>	तप का ऐश्वर्थ
₹₹.	चित्तसंभूइ	चित्तसं भूयं	₹ <b>१</b>	निदान (भोगा- भिलाषा)
₹¥,	उसुआरिज्जं	उसुका रि <b>ज्जं</b>	<b>43</b> —	अनिदान
<b>१</b> ५.	सभिक्खु	सभिक्ख्गं	१६	भिक्षुके गुण
₹६.	समाहिठाणं	समाहिठाणा <u>ड</u> ं		ब्रह्मचर्य की
		-		. १२) गुष्तियाँ
			1 4	/ 3

## १६] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

१. विनयश्रुत—इसमें ४८ गाथाएँ (पद्य) हैं, जिनमें विनय-धर्म का वर्णन किया गया है। प्रसंगवश विनीत एवं अविनीत शिष्यों के गुणदोषादि के वर्णन के साथ गुरु के कर्त्तं व्यों का भी वर्णन किया गया है। गुरु-शिष्य-सम्बन्ध जानने के लिए यह अध्ययन बहुत ही उपयोगी है। दशवैंकालिक का नौवाँ अध्ययन भी विनयविषयक है।

<b>१७</b> ,	पावसमणिङजं	पावसमणिङ	जं २१		् पापवर्जन
१८.	संजईज्जं	संजङ्ज्ज	አጸ	_	भोगव ऋदि
			( ਫ.	तु. ५	३) का परिस्थाग
18.	मियचारिया	मियचारिता	33	. —	अपरिकर्म
			( ਰ.ਞ	n. E	८) (अपनी परि-
			( उ₊तु	. Es	) चर्थान करना)
₹0.	नियंठिङजं (महानियंद	८ ) अणाहपव्दक्र	ना६०	_	अनाथता
२१.	समुद्धपालिङ्गं	समुद्दपालिज्ज	र २४	-	विचित्रं चर्या (अ।चरण)
२२.	रहनेभीयं	रहनेमिज्जं	५१	نسر	आचरण का
			(उ.शा	<b>3</b> 8 ,	) स्थिरीकरण
			(ਰ. ਰੂ.	88	}
२३.	केसिगोयमिज्जं	गोयमकेसिज्ज	<b>५</b> €		धर्म (चतुर्याम-
					पंचयामरूप)का
		•			स्थिरीकरण
२४	समिङ्ओ (पवयणमाया)	समितीओ	.२७		समितियाँ
				(	पुष्तियों के साथ)
२५.	<b>জন্ম</b> হ্ডর্জ	जन्नतिङ्गं			
		_	(ਭ. ਰੂ		
२६.	सामायारी	समायारी			सामाचारी 💮
			(ਚ. ਰੂ		
२७.	-	खलु किञ्जं			
२६.	<b>मुक्</b> खगई	मोक्खमस्गगई	३६		मोक्षमार्ग
२६.	अव्यमाओ	अप्पमाओ	_	७४	अप्रमाद
	(सम्मत्तपर∉कमं)				

- २. परीषह—साधु के संयमी जीवन में आनेवाली प्रमुख २२ बाघाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक का दो-दो पद्यों में वर्णन किया गया है। प्रारम्भ में भूमिका-रूप कुछ गद्यखण्ड है और अन्त में उपसंहारात्मक पद्य।
- इ. चतुरङ्गीय—बीस गाथाओं में मोक्ष के साधनभूत चार दुर्लभ अंगों का प्रतिपादन किया गया है। प्रसंगवश कर्मों की विचित्रता तथा देवों के अमरत्व का खण्डन भी किया गया है।
- ४. असंस्कृत—तेरह गाथाओं में संसार की क्षणभङ्गुरता का प्रतिपादन करके भारण्डपक्षी की तरह अप्रमत्त रहने का उपदेश दिया गया है। इसमें जीवन के असंस्कृतरूप (नश्वरता) का चित्रण होने से इसका नाम असंस्कृत पड़ा है। यह सबसे छोटा अध्ययन है।
- ५. अकाममरण—इसमें बतीस गायाएँ हैं जिनमें धार्मिक और अधार्मिक की मृत्यु का वर्णन किया गया है। धर्महीन सामान्य व्यक्तियों की मृत्यु को अकाममरण और धार्मिक व्यक्तियों की मृत्यु को सकाममरण, समाधिमरण, पण्डितमरण आदि नामों से कहा गया है। सामान्य व्यक्तियों के मरण के आधार पर इसका नाम अकाममरण रखा गया है।
- ६. अहुतनक-निर्मन्थीय-इसमें १७ गाथाओं के साथ अन्त में थोड़ा-सा गद्य-खण्ड है। विद्वान् कीन है? मूर्ख कीन है? इसका

₹o.	तंव	तवोमगो ३७	तपस्याः
31.	चरण	चरणविही २१	ः चारित्र
३२.	पमायठाणं	पमायठाणाइं १११	प्रमादस्थान
₹₹.	कम्मप्पयडी	कम्मपगृडी २५	कर्मे
₹8.	लेसा	लेसज्झयणं ६१	लेश्या
₹¥.	अणगारमग्गे	अणगारमग्गे २१	भिक्षुके गुण
₹६.	जीवाजीवविभक्ती	जीवाजीववि- २६६	जीव-अजीव
		भत्ती (उ.शा.	२६७) काविवेचन
		(उ. तु.	२६८)

---देखिए--- नि., गाथा १३-२६, २३६, ४२४, ४४८, ४०३; समवा. ३६वाँ समवाय । परिचय देकर जैन साधु के सामान्य आचार-विचार का वर्णन किया गया है। अतः इसका नाम क्षुल्लक-निर्णन्थीय (जैनसाधु) रखा गया है। समवायांग में इसका नाम जो 'पुरुषविद्या' मिलता है उसका आधार इस अध्ययन की पहली गाथा (जावंतविज्जापूरिसा०) है।

- 9. एलय (उरभीय) एलय और उरभ का अर्थ है वकरा। प्रारम्भ में अतिथि के मोज के लिए स्वामी के द्वारा पाले जानेवाले बकरे आदि के दृष्टान्त से संसारासक्त जीवों की दुर्देशा का चित्रण किया गया है। इसके बाद धर्माचरण से होने वाले शुभ फल का वर्णन किया गया है। बकरे के दृष्टान्त की प्रमुखता होने से इस अध्ययन का नाम एलय रखा गया हैं। इसमें ३० गाथाएँ हैं।
- द. कापिलीय—इसके प्ररूपक कपिलऋषि हैं अत: इसका नाम कापिलीय रखा गया है। इसमें बीस गाथाओं द्वारा दुर्गति से बचने के लिए लोभत्याग का उपदेश दिया गया है।
- ६. निमत्रवज्या इसमें ६२ गाथाएँ हैं। इसमें प्रवज्या के लिए अभिनिष्क्रमण करनेवाले राजिंघ निम का ब्राह्मणवेशघारी इन्द्र के साथ आध्यात्मिक संवाद विणत है जिसमें प्रवज्या के समय उठने वाले सामान्य व्यक्ति के मानिसक अन्तर्द्धन्द्व का सुन्दर चित्रण किया गया है। इस संवाद में ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र मानिसक अन्तर्द्धन्द्वों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न करते हैं और प्रवज्याभिलाषी राजिंघ निम उत्तर देते हुए उन मानिसक अन्तर्द्धन्द्वों का समाधान करते हैं। इस प्रकार का अन्तर्द्धन्द्व प्रायः सभी प्रवजितों के हृदय में उठना स्वाभाविक है। निम की प्रवज्या का वर्णन होने से इसका नाम निमयवज्या रखा गया है।
- १०. द्रुमपत्रक इसमें सेंतीस गाथाएँ हैं। प्रारम्भ में वृक्ष के पीले पत्ते के दृष्टान्त द्वारा जीवन की क्षणभङ्गुरता का प्रतिपादन है अतः इस अध्ययन का नाम द्रुमपत्रक रखा गया है। इसमें गौतम को लक्ष्य करके साधु को अप्रमत्त रहने का उपदेश दिया गया है।

१. इइ एस धम्मे अन्साए कविलेणं च विमुद्धपन्नेणं।

[—] इ० ⊏.२०,

प्रत्येक गाया के अन्त में 'समयं गोयम मा प्रमायए' तथा अन्तिम गाया में 'सिद्धि गई गए गोयमे' पद आया है।

- ११. बहुश्रुत-पूजा—इसमें ३२ गाथाएँ हैं जिनमें शास्त्रज्ञ व्यक्ति (बहुश्रुत) की प्रशंसा की गई है। प्रारम्भ में विनय अध्ययन की तरह विनीत और अविनीत शिष्यों के गुण-दोषादि का वर्णन किया गया है। विनीत को बहुश्रुत और अविनीत को अबहुश्रुत कहा है।
- १२. हरिकेशीय—इसमें ४७ गायाएँ हैं जिनमें चाण्डाल जैसी नीच जाति में उत्पन्न हरिकेशियल मुनि के उदात्त चित्र का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त हरिकेशियल और ब्राह्मणों के मध्य हुए संवाद में कर्मणा जातिवाद की स्थापना, तप का प्रकर्ण तथा अहिंसा-यज्ञ की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है।
- १३. चित्तसंभूतीय—इसमें चित्त और संभूत नाम के दो भाइयों के छः जन्मों की पूर्व-कया का संकेत है। पुण्य-कमं के निदान-बन्ध के कारण भोगासक्त संभूत के जीव (ब्रह्मदत्त चक्र-वर्ती) का पतन तथा संयमी चित्तमुनि का उत्थान बतलाकर जीवों को धर्माभिमुख होने तथा उसके फल की अभिलाषा (निदान) न करने का उपदेश दिया गया है। इसमें यह भी बतलाया गया है कि साधु-धर्म का पालन न कर सकने पर व्यक्ति को गृहस्थ-धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें ३५ गाथाएँ हैं।
- १४. इषुकारीय—तियन गायाओं में इषुकार नगर के ६ जीवों के अभितिष्कमण का वैराग्योत्पादक वर्णन होने से इसका नाम इषुकारीय रखा गया है। इसमें पित-पत्नी तथा पिता-पुत्र के बीच होनेवाले सवाद दार्णनिक विषयों से सम्बन्धित होकर भी प्रभावोत्पादक हैं।
  - १४. सिभक्ष-इसकी सोलह गाथाओं में साघुओं के सामान्य गुणों का वर्णन है। प्रत्येक गाथा के अन्त में 'स भिक्लू' पद आया है। सतः इस अध्ययन का नाम 'सिभक्षु' रखा गया है। दशवैकालिक के १०वें अध्ययन का भी नाम 'सिभक्षु' है।

- १६. ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान → इसकी सत्रह गाथाओं में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए १० बातों का त्याग आवश्यक बतलाया है। ब्रह्मचर्य का महत्त्व प्रकट करने वाले इस अध्ययन को गद्य तथा पद्य में पुनरावृत्त किया गया है।
- १७. पापश्रमणीय—इसमें पथम्रष्ट श्रमण (साधु) का वर्णन होने से इसका नाम पापश्रमणीय रखा गया है। इसकी २१ गाथाओं में से तीसरी गाथा से लेकर उन्नीसवी गाथा पर्यन्त प्रत्येक गाथा के अन्त में 'पावसमणि त्ति बुच्चई' पद आया है।
- १८. संजय इसमें ५४ गाथाएँ हैं जिनमें रार्जीष संजय की दीक्षा लेने का वर्णन है। प्रसंगवश कई राजाओं आदि का उल्लेख है जिन्होंने साधुधर्म में दीक्षित होकर मुक्ति प्राप्त की थी।
- १६० मृगापुत्रीय—इसमें ६६ गाथाएँ हैं जिनमें मृगापुत्र की वैराग्यसम्बन्धी कथा के साथ मृगापुत्र और उसके माता-पिता के बीच होनेवाला संवाद बहुत ही सुन्दर है। इसमें साधु के आचार के प्रतिपादन के साथ प्रसंगवश नारकीय कष्टों का भी वर्णन है। मृगचर्या के दृष्टान्त द्वारा भिक्षाचर्या का वर्णन होने से संभवतः समवायांग में इसका नाम 'मृगचर्या' दिया गया हो जो बाद में मृगापुत्र की प्रधानता के कारण मृगापुत्रीय कर दिया गया हो।
- २०. महानिर्ग्रन्थीय इसमें ६० गाथाएँ हैं। इसमें अनाथी मुनि और राजा श्रेणिक के बीच सनाथ और अनाथिविषयक संवाद बड़ा ही रोचक है। अनाथी मुनि की प्रव्रज्या की घटना का विशेष-रूप से वर्णन होने के कारण समवायांग में संभवतः अनाथप्रव्रज्या नाम दिया गया हो। प्रकृत-ग्रन्थ में जो महानिर्ग्रन्थीय नाम मिलता

१. कुछ टीकाकारों ने इस अध्ययन का संस्कृत नाम 'संयतीय' लिखा है जबिक प्राकृत में 'संजइ जजं' नाम है। संजय राजा का वर्णन होने से 'संजय' नाम ही ठीक प्रतीत होता है। याकीबी तथा नियुं क्तिकार की भी यही मान्यता है।

[—]देखिए-से० बु० इ०, भाग-४४, पृ० ८०; उ० ति०, गाथा ३६४.

- है उसका संकेत इस अध्ययन की दो गाथाओं में मिलता है। महानिर्ग्रन्थ का अर्थ है—सर्वविरत साधु। इस तरह क्षुल्लक-निर्ग्रन्थीय अध्ययन का ही विशेष रूप से वर्णन करने के कारण इसका नाम महानिर्ग्रन्थीय है।
  - २१. समुद्रपालीय—इसमें २४ गाथाएँ हैं जिनमें विणक्-पुत्र समुद्रपाल की कथा के साथ प्रसंगानुक्ल साधु के आचार का वर्णन है।
  - २२. रथनेमीय—इसकी ५१ गाथाओं में यदुवंशी अरिष्टनेमी, कृष्ण, राजीमती, रथनेमी आदि का चरित्र-चित्रण है। यह अध्ययन कई दृष्टियों से 'महत्त्वपूर्ण है। रथनेमी के संयमच्युत होने पर राजीमती के उपदेश से संयम में दृढ़ होने की घटना को प्रधानता देने के कारण इसका नाम रथनेमीय रखा गया है। अन्यथा राजीमती और अरिष्टनेमी की भी प्रभावोत्पादक घटना के आधार पर इस अध्ययन का नाम रखा जा सकता था। दशकैकालिक का दुमपुष्टिपत अध्ययन इससे साम्य रखता है।
  - २३. केशिगौतमीय—इसमें भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य केशी और भगवान् महावीर के शिष्य गौतम के बीच एक ही धर्म में सचेल-अचेल, चार महावत और पाँच महावत रूप परस्पर विपरीत द्विविध धर्म के विषय-भेद को लेकर एक संवाद होता है जिसमें समयानुकूल धर्म में परिवर्तन आवश्यक समझकर समन्वय किया गया है। यह अध्ययन कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इससे वर्तमान में प्रचलित धर्मविषयक मतभेदों के समन्वय की प्रेरणा मिलती है। इसमें जैनधर्म के श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दो सम्प्रदायों के भेद का स्रोत भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। गाधाएँ ६ ह हैं।
  - २४. सिमतीय—नेमिचन्द्र की वृत्ति में इसका नाम 'प्रवचन-माता' मिलता है क्योंकि इसमें प्रवचनमाताओं (गुप्ति और समिति)

मग्गं कुसीलाण जहाय सन्वं महानियंठाण वए पहेणं।

<del>--</del>ड० २०.**५**१.

महानियण्डिज्जिमणं महासुयं से काहए महया वित्थरेणं।

[—] **७० २०.५**३,

का वर्णन है। प्रवचनमाता के अर्थ में समिति शब्द का भी प्रयोग होने से समितीय नाम भी उपयुक्त है। इसकी गाथा-संख्या २७ है।

- २५. यज्ञीय-इसमें '४५ गाथाएँ हैं। जयघोष मुनि यज्ञ-मण्डण में व्राह्मणों के साथ होनेवाले संवाद में सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप, यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या और कर्म से जातिवाद की स्थापना करते हुए साधु के आचार का वर्णन करते हैं। इसकी १६ से २६ गाथाओं के अन्त में 'तं वयं बूम माहण' पद पुनरावृत्त है। 'सिभिक्षु' और 'पाप-श्रमणीय' अध्ययन की तरह इसका नाम 'सब्राह्मण' रखा जा सकता था परन्तु ब्राह्मणों के मुख्य कर्म यज्ञ की दृष्टि में रखकर तथा यज्ञविषयक अध्यात्मिक व्याख्या होने से इसका नाम 'यज्ञीय' रखा गया है। यद्यपि हरिकेशीय-अध्ययन में भी यज्ञ-विषयक घटना विणत है परन्तु वहाँ पर हरिकेशी को ही प्रधानता देने के कारण 'हरिकेशीय' नाम रखा गया है।
- २६**. सामाचारो**—इसमें ५३ गायाएँ हैं। साधुकी सामान्य सम्यक् दिन और रात्रिचर्या का वर्णन होने से इसका नाम सामा-चारी रखा गया है।
- २७. खलुङ्कीय—खलुङ्कीय का अर्थ है—दुष्ट बैल । इसमें दुष्ट बैल के दृष्टान्त द्वारा अिवनीत शिष्यों की क्रियाओं का वर्णन है अतः इसका नाम खलुङ्कीय रखा गया है। अविनीत शिष्यों का संपर्क होने पर साधु के कर्ताव्यों को भी बतलाया गया है। गाथा-संख्या १७ है।
- २८. मोक्षमार्गगित—इसमें ३६ गाथाएँ हैं। मोक्षमार्ग (रत्नत्रय! का वर्णन होने से इसका नाम मोक्षमार्गगित है।
- २६. सम्यक्त्व-पराक्रस—इसमें ज्ञान, श्रद्धा (दर्शन) और सदाचार के विभिन्न अंशों को लेकर ७३ प्रश्नोत्तरों में आध्यात्मिक

**-- उ० २४.१.** 

एयाओ अट्ठ समिईओ समायेण वियाहिया ।

<del>--</del>उ० २४.३.

अटुपवयणमायाओ समिई गुत्ती तहेव य ।

विकास का वर्णन किया गया है। यह पूरा अध्ययन गद्य में है। दूसरे और सोलहवें अध्ययन की तरह 'सुयं मे आउस तेण भगवया' आदि गद्यांश अध्ययन के प्रारम्भ में पुनरावृत्त है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सम्यक्त्व-रूप होने से इसका नाम 'सम्यक्त्व-पराक्रम' रखा गया है। समवायांग में इसका नाम 'अप्रमाद' है। परन्तु प्रकृत-ग्रन्थ में इस अध्ययन का नाम स्वष्टरूप से सम्यक्त्व-पराक्रम ही मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि संभवतः यह अध्ययन लुप्त हो गया हो जो बाद में गद्ध-खण्ड में लिखा गया हो। इसमें वर्णित ७३ प्रश्नोत्तरों का वर्णन न्यूनाधिकरूप से भगवतीसूत्र ( क्यारूयाप्रज्ञप्ति ) में भी मिलता है। र

- ३०. तपोमार्ग-इसमें तपश्चर्या का वर्णन होने से इसका नाम तपोमार्ग है। इसमें ३७ गाथाएँ हैं।
- ३१ चरणविधि इसमें १-३३ की संख्या को माध्यम बनाकर कमणः साधुके चारित्र और ज्ञान से सम्बन्धित कुछ सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। प्रथम गाथा में चारित्र की विधि के वर्णन की प्रतिज्ञा होने से इसका नाम 'चरणविधि' रखा गया है। सम-वायांग और स्थानांगसूत्र में भी इसी प्रकार संख्या-गणना द्वारा जैन-सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है । उत्तराध्ययन में मात्र सिद्धान्तों का संकेत है जबकि समवायांग आदि में विस्तृत वर्णन । इसकी २१ गाथाओं में से ७-२० के अन्तिम दो चरण ज्यों के त्यों पुनरावृत्त हैं। तीसरेसे छठे पद्य में तीसरे चरण की मात्र क्रिया में परि-वर्तन है, शेष अन्तिम दो चरण पूर्ववत् पुनरावृत्त हैं।
- ् ३२**. प्रमादस्थानीय—**इन्द्रियों की राग-द्वेषमयी प्रवृत्ति को प्रमादस्थानीय मानकर इस अध्ययन का नाम प्रमादस्थानीय रखा गबा है। इसमें १११ गाथाएँ हैं। इसकी २१वीं गाथा में वर्णित

इह खलु सम्मत्तपरवक्तमे नाम अञ्ज्ञयणे समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं पवेडए जं सम्मं ""।

[—] उ० २६ का प्रारम्भिक तथा ७४ वांगद्यांश । २. से० बु० इ०, भाग-४४, पू० ८०.

विषय का ही आगे की गाथाओं में विस्तार हुआ है। इसमें मनोज्ञामनोज्ञ विषयों की ओर प्रवृत्त इन्द्रियों की वृत्ति को हटाने का मुख्यरूप से उपदेश दिया गया है।

- ३३. कर्मप्रकृति—इसमें २५ गाथाएँ हैं। कर्मों की विभिन्न अवस्थाओं (प्रकृतियों) का वर्णन होने से इसका नाम कर्मप्रकृति रखा गया है।
- ३४. लेश्या-इसमें ६१ गाथाएँ हैं। कर्मी की स्थिति में विशेषरूप से सहायक लेश्याओं का वर्णन होने से इसका नाम लेश्या-अध्ययन है।
- ३५. अनगार अनगार का अर्थ है गृहत्यागी साधु। इसकी २१ गाथाओं में साधु के गुणों का वर्णन है अतः इसका नाम 'अनागार' रखा गया है।
- ३६. जीवाजीविभक्ति—इसमें चेतन (जीव) और अचेतन (अजीव) का सिवस्तार वर्णन होने से इसका नाम जीवाजीविभिक्ति रखा गया है। इसमें २६६ गाथाएँ हैं और यह सबसे बड़ा अध्यय है। अध्ययन के अन्त में समाधिमरण (सल्लेखना) का भी वर्णन है। इसकी अन्तिम गाथा में उत्तराध्ययन को भगवान महावीर का अन्तिम उपदेश कहा है और ग्रन्थ के अध्ययनों की ३६ संख्या का संकेत किया है।

इस तरह इन अध्ययनों में मुख्यरूप से संसार की असारता तथा साधु के आचार का वर्णन किया गया है। यद्यपि उत्ताराध्ययन का धर्मकथानुयोग में परिगणन किया गया है परन्तु इस में आचार का प्रतिपादन होने से चरणानुयोग का और दार्शनिक सिद्धान्तों का वर्णन होने से द्रव्यानुयोग का भी मिश्रण

१. जे इन्दियाणं विसया मणुक्ता न तेसु भावं निसिरे कथाई।
 न यामणुन्नेसु मणं पि कुज्जा समाहिकामे समणे तवस्सी।।

^{--- 30} **३२. २१.** 

२. अत्र धम्माणुयोगेनाधिकारः।

[—] उ० चूर्णि, पृ० **१**.

- हो गया है। उत्तराध्ययन के इन ३६ अव्ययनों में से कुछ अध्ययन शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों का, कुछ धम्मपद की तरह उपदेशात्मक साधु के आचार एवं नीति का और कुछ कथा एवं संवाद के द्वारा साधु के आचार का ही प्रतिपादन करते हैं। मोटेरूप से निम्न विभाजन संभव है:
  - (अ) शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादक अध्ययन—२४वाँ समितीय, २६वाँ सामाचारी, २८वाँ मोक्षमार्गगति, २६वाँ सम्यक्त्व-पराक्रम, ३०वाँ तपोमार्ग, ३१वाँ चरणविधि, ३३वाँ कर्म-प्रकृति, ३४वाँ लेश्या और ३६वाँ जीवाजीवविभक्ति । इनके अति-रिक्त दूसरे और सोलहवें अध्ययन का गद्य-भाग ।
  - (ब) नीति एवं उपदेशप्रधान अध्ययन—१ला विनय, २रा परीषह, ३रा चतुरङ्गीय, ४था असंस्कृत, ५वाँ अकाममरण, ६ठा क्षुल्लक-निर्म्रन्थीय, ७वाँ एलय, ६वाँ कापिलीय, १०वाँ द्रुम-पत्रक, ११वाँ बहुश्रुतपूजा, १५वाँ सभिक्षु, १६वाँ ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान का पद्यभाग, १७वाँ पापश्रमणीय, २७वाँ खलुङ्कीय, ३२वाँ प्रमा-दस्थानीय और ३५वाँ अनगार।
  - (स) आख्यानात्मक अध्ययन ६वाँ निमप्रवर्ण्या, १२वाँ हरि-केशीय, १३वाँ चित्तासंभूतीय, १४वाँ इषुकारीय, १८ वाँ संजय (संयतीय), १६वाँ मृगापुत्रीय, २०वाँ महानिर्म्रन्थीय, २१वाँ समुद्रपालीय, २२वाँ रथनेमीय, २३वाँ केशिगौतमीय और २५ वाँ यज्ञीय।

ं इस तरह ऊपर जिन अघ्ययनों का विभाजन किया गया है वह प्रधानता की दृष्टि से हैं। अन्यथा इस प्रकार का विभाजन

१. डा० नेमिचन्द्र ने अपने प्राकृत भाषा और साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास (पृ०१६३) में यज्ञीय-अध्ययन को इस विभाग में नहीं गिनाया है और काणिलीय को इस विभाग में गिनाया है। उत्तराध्ययन की टीकाओं में कपिल-ऋषि की कथा मिलती है जिसकी पुष्टि उत्तराध्ययन के कुछ पद्यों से होती है। इस अध्ययन में आख्यान की उतनी प्रधानता नहीं है जितनी उपदेश की प्रधानता है। क्योंकि इस अध्ययन के प्रथम पद्य

संभव नहीं है क्योंकि प्रायः सभी अध्ययनों में सैद्धान्तिक वर्चा आदि का सिम्मिश्रण है। उपर्युक्त जिन अध्ययनों की गाया-संख्याएँ दी गई हैं वे आत्मारामजी के संस्करण के आधार पर दी गई हैं। वहअन्यत्रकहीं-कहीं २-३ संख्याओं का अन्तर पाया जाता है। परन्तु कोई खास महत्त्वपूर्ण नहीं है। इन अध्ययनों में आपस में यद्यपि कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है परन्तु कुछ टीकाकारों ने उनमें सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की है।

## रचयिता एवं रचनाकालः

उत्तराध्ययन-सूत्र किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक काल में लिखी गई रचना नहीं है अपितु यह एक संकलन-ग्रन्थ है। शुद्ध

में दुर्गति में न ले जानेवाले कर्म के विषय में कोई प्रश्न पूछता है तो किपल-ऋषि उसका उत्तर देते हैं, ऐसा अंतिम गाथा से सूचित होता है। यह संभव है कि उन्होंने जो उपदेश दिया है वह उनके जीवन से सम्ब-न्धित हो और टीकाकारों ने उसे अपना लिया हो। अथवा इसका पूर्व-रूप अन्य रहा हो। शार्पेन्टियर ने भी अपनी उत्तराध्ययन की भूमिका, पृ० ४४ में उपर्युक्त तथ्य को ही स्वीकार किया है।

सम्यवस्त-नराकम में यद्यपि प्रश्नोत्तर-ग्रैजी है परन्तु वह मुद्ध सैद्धान्तिक व वर्णनात्मक ही है। एलक-अव्ययन में बकरे के दृष्टान्त की प्रमुखता होने से उसे आख्यानात्मक कहा जा संकता है। परन्तु वास्तव में बहाँ प्रधानता नीति एवं उपदेश की ही है। जहाँ तक यज्ञीय-अव्ययन का प्रश्न है, उसमें स्रब्टह्य से दी ब्राह्मणों का संवाद है। अत: उसे आख्यानात्मक विभाग में रखना ही उचित है। आचार्य तुलसी (उत्तरज्ञ्ञयणाणि, भाग-१, भूमिका, पृ०१) ने उत्तराष्ट्ययन के अध्ययनों का विभाजन इस प्रकार किया है:

- रै. धर्मकथात्मक १४ अध्ययन हैं -७ से ६, १२ से १४,१ स से २३, २४,२७.
- २. उपदेशात्मक ६ अध्ययन हैं-१, ३ से ६, १०.
- ३. आचारात्मक ६ अघ्ययन हैं—२, ११, १५ से १७, २४, २६, ३२, ३४.
- ४. सैद्धान्तिक ७ अध्ययन हैं-- २८ से ३१, ३३-३४, ३६.

सैद्धान्तिक विषयों का प्रतिपादन करनेवाले अध्ययन तथा गद्यभाग कुछ बाद के प्रतीत होते हैं। शेष भाग अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। इनमें भी समय-समय पर संशोधन एवं परिवर्तन होते रहे हैं। आगमों के संकलन के लिए ध्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार होनेवाली तीन वाचनाओं (सम्मेलनों) से इस बात की पुष्टि हो जाती है।

भगवान् महावीर के निर्वाण (ई० पू० ५२७) के लगभग १६० वर्ष बाद चन्द्रगृप्त मौर्य के शासन-काल में मगध में भयंकर अकाल (दुर्भिक्ष) पड़ा जिससे बहुत से साधु भद्रवाहु के नेतृत्व में समुद्रतट की और चले गये। जो बाकी बचे वे स्थलभद्र (स्वर्गगमन वी० नि० सं० २१९) के साथ वहीं रहे। अकाल के दूर होने पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में जैन-साधुओं का एक सम्मेलन हुआ और मौसिक चले आ रहे अंग-प्रत्थों का संकलन किया गया। बारहवां अंग दृष्टिवाद भद्रबाह को छोड़कर किसी को याद नहीं था। अतः उसको बाद में संकलन नहीं हो सका और शनै:-शनै: वह लुप्त हो गया। इसके बाद (महावीर-निर्वाण के द२७ या द४० वर्ष बाद, ई० सन् ३००-३१३) आर्य स्कन्दिल के नेतृत्व में दूसरा सम्मेलन मयुरा में बुलाया गया । इस सम्मेलन में जिसे जो याद था उसे संकलित कर लिया गया। करीब इसी समय नागार्जुनसूरि के नेतृत्व में वलभी (सौराष्ट्र) में एक दूसरा सम्मेलन हुआ। इसके बाद दोनों नेता आपस में मिल नहीं सके जिससे पाठभेद बना रह गया । महावीर-निर्वाण के लगभग ६८०-६६३ वर्ष पश्चात् वलभी में ही देवधिगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में एक तीसरा सम्मेलन हुआ।

बौद्ध साहित्य में भी इसी प्रकार की तीन संगीतियों का उल्लेख मिलता है जिनमें प्रत्यों को सुदृढ़ किया गया था। अन्तिम बौद्ध-संगीति बुद्ध-परिनिर्वाण के २३६ वर्ष बाद अशोक के राज्यकाल में हुई थी। जैनों की अंतिम वाचना बहुत बाद (वी० नि० ६००-६६३) में हुई। जैनों के सम्मेलन की तरह बौद्ध-संगीतियों का कारण दुभिक्ष नहीं था।
—-देखिए—जुद्धवर्या, पृ० ५४५-५८०.

[्]र १. प्रा॰ सा० इ०, पृ० ३६-३६.

इसे चौथा सम्मेलन भी कह सकते हैं। इस सम्मेलन में आगमों को संकलित करके लिपिबद्ध कर दिया गया। वर्तमान में उपलब्ध सभी आगम-ग्रन्थ इसी वाचना में लिपिबद्ध किए गए थे।

इससे स्पष्ट है कि अकाल आदि के पड़ने से तथा मौखिक-परम्परा से चले आने के कारण स्वाभाविक है कि आगमों में समय-समय पर (विस्मृति के कारण) परिवर्तन और संशोधन किए गए हों तथा सम्मेलन बुलाकर उन्हें सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया गया हो। इस तरह ई० पू० ५ वीं शताब्दी से लेकर ई० ५ वीं शताब्दी तक (१००० वर्ष के मध्य) उनमें अनेक संशोधन एवं परिवर्तन होते रहे जिससे जैन आगम-ग्रन्थ अपने पूर्ण मूलरूप में सुरक्षित न रह सके। फिर उत्तराध्ययन में ऐसा न हुआ हो, यह सम्भव नहीं है। देविधगणि की अध्यक्षता में लिपिबद्ध समवायांग में उत्तराध्ययन के अध्ययनों के नाम भिन्न प्रकार से आने के कारण यह स्पष्ट है कि वर्तमान उत्तराध्ययन में देविधगणि की वाचना के बाद भी कुछ संशोधन अवश्य हुए हैं। पाठभेद, विषय की पुनरावृत्ति आदि कुछ ऐसे सामान्य तत्त्व हैं जिनसे इसके संशोधन एवं परिवर्तन की पुष्टि होती है। इन परिवर्तनों के होने पर भी उत्तराध्ययन की मूलरूपता अधिक नष्ट नहीं हुई है। अब यहाँ कुछ तथ्यों को लेकर इसके प्राचीन-रूप और अविधीन-रूप का विचार किया जाएगा:

उत्तराध्ययन पर मिलनेवाले टीका-साहित्य में सर्वप्रथम आचार्य भद्रबाहु की निर्युक्ति मिलती है। इनका समय वि० सं० ५००-६०० के वीच सिद्ध होता है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि इस समय से पूर्व उत्तराध्ययन अपनी

१. दिगम्बर-परम्परा इस प्रकार की वाचनाओं को प्रामाणिक नहीं मानती है। उसके अनुसार महाबीर-निर्वाण के ६८३ वर्ष बाद तक अंगज्ञान की परम्परा रही है। किन्तु उसे संकलित करने या लिपिबद्ध करने का कोई सामूहिक प्रयत्न नहीं किया गया।

⁻⁻⁻देखिए-जै० सा० इ∙ पू॰, पृ० ५२८.

२. श्रमण, सितम्बर-१६५४, पृ० १४.

पूर्ण-स्थिति में आ चुका था। दिगम्बर-परम्परा में भी इसका सादर उल्लेख मिलने से स्पष्ट है कि संघभेद होने के पूर्व यह मान्यता प्राप्त कर चुका था। अन्यथा इसका वहाँ उल्लेख न मिलता। किंच, दश्वैकालिक की रचना में उत्तराध्ययन के अंशों का आधार होने से तथा दश्वैकालिक की रचना हो जाने पर उत्तराध्ययन का दश्वैकालिक के बाद पढ़े जाने का उल्लेख होने से दश्वैकालिक के रचना के पूर्व इसकी रचना होनी चाहिए। दश्वैकालिक के कर्ता शय्यंभवसूरि का काल महावीर-निर्वाण के ७५ वर्ष बाद माना जाता है। उत्तराध्ययन की अन्तिम गाथा तथा अन्यत्र भी उल्लिखत इसी प्रकार के प्रमाणों से प्रतीत होता है कि इसके उपदेष्टा साक्षात् महावीर हैं जिन्होंने अपने निर्वाण-प्राप्ति के अन्तिम समय में बिना पूछे प्रश्नों के उत्तर के रूप में उपदेश दिया था और इसके बाद परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये थे। सभवतः इसीलिए शार्षेन्टियर उत्तराध्ययन की भूमिका में इसे महावीर के वचन स्वीकार करते हैं।

ईस तरह उत्तराध्ययन की प्राचीनता महावीर के निर्वाण-काल तक पहुँच जाती है। परन्तु इसके विपरीत भी उल्लेख मिलते हैं। जैसे—समवायांग-सूत्र के ४४वें समवाय में ४४ पृण्यफलविपाक और ४४ पापफलविपाक के अध्ययनों का कथन करने के उपरान्त

१. देखिए-पृ० १४, पा० टि० १.

२. देखिए-पृ०१२, पा॰ टि० १.

३. षट्त्रिशत्तमाप्रश्नव्याकरणान्यभिधाय च । प्रधानं नामाष्ययनं जगद्गुरूरभावयत् ॥

[—]त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, १०. १३. २२४. तेणं कालेणं.....पणपन्नं अज्झयणाइं कल्लाणफलविवागाइं पणपन्नं अज्झयणाइं पायफलविवागाइं छत्तीसं अपुटुवागरणाइं वागरित्ता पहाणं नाम अज्झयणं...परिनिब्बुडे सब्बदुक्खपहीणे

[—]कल्पसूत्र, ११ वीं वाचना।

उत्तराध्ययनं वीरनिर्वाणगमनं तथा

⁻⁻हरिवंशपुराण, १०. १३४.

महावीर का परिनिर्वाण बतलाया गया है। परन्तु ३६वें समवाय में, जहाँ पर उत्तराध्ययन के अध्ययनों के नाम गिनाये हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त कल्पसूत्र में उल्लिखत पाठ से प्रतीत होता है कि भगवान ने अपने परिनिर्वाण के समय ५५ पुण्यफलविपाक का और ५५ पापफलविपाक का कथन करने के उपरान्त बिना पूछे हुए ३६ अध्ययनों का भी कथन किया था। कल्पसूत्र के इस उल्लेख से ग्रन्थ में उल्लिखित कारिका (३६ २६६) और समवायांग से समन्वय हो जाता है। ग्रन्थ में एक स्थान पर और इसी प्रकार की गाथा है जहाँ पर क्षत्रिय-ऋषि संजय मुनि से कहते हैं कि विद्या और चारित्र से युक्त सत्यवादी-सत्यपराक्रमी ज्ञातपुत्र भगवान महावीर इस तत्व को प्रकट करके परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इस उल्लेखों से सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययन में महावीर का अन्तिम उपदेश है।

अब यहाँ एक शका उपस्थित होती है कि ऐसा स्वीकार करने पर निर्मुक्ति और उसके आधार पर लिखी गई जिनदासगणि महत्तर की चूणि और वादिवेताल शान्तिसूरि की टीका का यह कथन कि उत्तराध्ययन के कुछ अध्ययन अगग्रन्थों से (जैसे—दृष्टि-वाद से परीषह) लिए गए हैं, कुछ जिन-भाषित (जैसे—द्रुपपत्रक) हैं, कुछ प्रत्येक-बुढ़ों (जैसे—कापिलीय) द्वारा प्ररूपित हैं और कुछ

१. समणे भगवं महावीरे अंतिमराइयसि पणपन्नं अज्झयणाइं कल्लाणफल-विवागाइं पणपन्नं अज्झयणाइं पावफलिववागाइं वागरित्ता सिद्धे जाव सब्बदुक्खप्पहीणे ।

२. छत्तीसं उत्तरज्झयणा पण्णता तं जहा.....।

⁻समवा० ३६ वां समवाय ।

३. देखिए-पृ० २६, पा० टि॰ ३.

४. इ**६ पाउकरे बुद्धे** नायए परिणिव्युए । विज्ञाचरणसंपन्ने सच्चे सच्चपरक्कमे ।

⁻⁻ उ० १८. २४.

संवादरूप में (जैसे—केशिगौतमीय) कहे गये हैं, कैसे संगत होगा? संभवतः निर्युक्तिकार का उपर्युक्त कथन 'उत्तराध्ययन एककर्तृ क नहीं हैं', की अपेक्षा से ही है। अतः निर्युक्तिकार ३६वें अध्ययन की अन्तिम गाथा की निर्युक्ति में उत्तराध्ययन का महत्त्व बतलाते हुए स्पष्टरूप से इसे जिन-प्रणीत लिखते हैं। इस तरह उत्तराध्ययन के रचनाकाल की अविध महावीर-निर्वाण के काल तक पहुँच जाती है।

उत्तरकाल की ओर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि इसमें कुछ अंश बाद में जोड़े गये हैं जो लगभग तृतीय—वलभी-वाचना तक के अवश्य हैं। दिगम्बर ग्रन्थों में उत्तराध्ययन का जो विषय बतलाया गया है उससे दूसरे परीषह अध्ययन को छोड़कर शेष अधिकांश भाग संघभेद के बाद का प्रतीत होता है। इससे कम से कम इतना तो स्पष्ट है कि उत्तराध्ययन अपने अपरिवर्तित रूप में नहीं

१. अंगप्पभवा जिणभासिया य पत्तेयबुद्धसंवाया ।

[ं] बंधे मुक्खेय कया छत्तीसं उत्तरज्झयणा।।

⁻⁻ उ॰ नि०, गाया ४; इसी निर्युक्ति पर शान्तिसूरि की टीका, पृ०५; उ० चूर्णि, पृ०७.

२. च उब्बिहोनसमाणं बावीसपरिस्सहाणं च सहणिवहाणं। सहणफल-मेदम्हादो एदमुत्तरनिदि च उत्तरज्झेणं वण्णेदि।

[—]कसायपाहुड-जयधवलाटीका, भाग-१, पृ० १२०.

उत्तरज्झयणं उग्गमुष्पायणेसणदोसगयपायच्छितविहाणं कालादिविसेसिदं परूवेदि ।

[—]षट्खण्डागम, पुस्तक ६, पृ० १६०.

उत्तराणि अहिज्जंति उत्तरज्झयणं पदं जिणिदेहि। बाबीसपरीसहाणं उवसम्गाणं च सहणविहि। वण्णेदि तत्फलमवि एवं पण्हे च उत्तरं एवं। कहदि गुरुसीसयाण पश्णिय अट्टमं तं खु।

⁻⁻अंगपण्णति-चृलिका गाथा, २५-२६,

उत्तरज्ञयणं उत्तरपदाणि वण्णेड ।

⁻ पदला (षट्खण्डामम-टीका), पृ० ६७ (सहारतपुर-प्रति, लिखित).

रहा। भगवती-आराधना पर लिखी गई अपराजितसूरि की संस्कृत-टीका से उत्ताराध्ययन के दो पद्य उद्धृत करते हुए पं के के शासचन्द्र शास्त्री ने अपने जैन साहित्य के इतिहास में लिखा है कि वर्तमान उत्ताराध्ययन में ये पद्य नहीं मिलते हैं। अतः उत्ताराध्ययन में बलभी-वाचना के बाद भी परिवर्तन हुआ है। इतना होने पर भी मूलरूपता का अधिक अभाव नहीं हुआ है क्योंकि वर्तमान उत्तराध्ययन में ध्ययन में वे दोनों पद्य सामान्य परिवर्तन के साथ अब भी मौजूद हैं। र

जब हम उत्तराध्ययन के अन्तःभाग का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनके आधार पर कुछ अंशों को महावीर-निर्वाण के बहुत बाद की रचना कहा जा सकता है। जैसे :

१. अंग-ग्रन्थों में ग्यारह अंगों से पृथक दृष्टिवाद का उल्लेख ग्रह सिद्ध करता है कि उस समय तक दृष्टिवाद का लोप हो चुका था। दृष्टिवाद के महत्त्व को प्रकट करने के लिए ऐसा कथन किया गया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्यों कि आचाराङ्ग का महत्त्व सर्वाधिक माना गया है। इसके अतिरिक्त ३१वें अध्ययन में जहाँ पर कि साधु को कुछ ग्रन्थों के अध्ययन में यत्नवान् होने को कहा गया है उनमें दृष्टिवाद का समावेश क्यों नहीं किया गया है ?

१. परिचित्तेसु वत्थेसु ण पृणो चेलमादिए।
अचेलपवरे भिक्षू जिणरूपघरे सदा ॥
सचेलगो सुखी भवदि असुखी वावि अचेलगो।
अहं तो सचेलो होक्खामि इदि भिक्खु न चितए।
(उद्धृत—भगवती आराधना—जै• सा० इ० पू०, पृ० ५२५-५२७.)

३. देखिए-पृ० ३, पा० टि० २.

- २. सूत्रक्वि-सम्यग्दर्शन के लक्षण में अंग और अंगबाह्य प्रन्थों का तथा अभिगम-क्वि सम्यग्दर्शन के लक्षण में 'प्रकीर्णक' प्रन्थों का उल्लेख आया है। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक अंग, अंगबाह्य और प्रकीर्णक ग्रन्थों की रचना अवश्य हो चुकी होगी।
- ३. चरणविधि नामक ३१वें अध्ययन में साधु को सूत्रकृताङ्ग, ज्ञाता-सूत्र और प्रकल्प (आचाराङ्ग निशीयसहित) इन अंग-ग्रन्थों तथा दशादि (दशाश्रुत, कल्प और व्यवहार) अंगबाह्य ग्रन्थों के अध्य-यन में यत्नवान् होने का विधान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि तब तक ये ग्रन्थ अपने महत्त्व के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे। अन्यथा इनके विषय में साधु को यत्नवान् होने का उल्लेख न किया जाता।

४ ग्रन्थ में बहुत्र 'ऐसा भगवान् ने कहा है', 'कपिल ऋषि ने ऐसा कहा है' आदिरूप के से ग्रन्थोक्त वचनों की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करने से यह तो स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ साक्षात् महावीर-प्रणीत नहीं है अपितु अर्थतः महावीर-प्रणीत है और शब्द किसी अन्य व्यक्ति के हैं। इसका और अधिक स्पष्ट उल्लेख १०वें अध्ययन की अन्तिम गाथा (बुद्धस्य निसम्म भासियं, सुकहियमटुपओवसोहियं) में मिलता है। इसके अतिरिक्त अंगग्रन्थों का महावीर के प्रधान शिष्यों द्वारा और अंगबाह्य का तदुत्तरवर्ती शिष्यों द्वारा प्रणयन माना जाने से भी सिद्ध है कि उत्ताराध्ययन शब्दतः महावीर-प्रणीत न होकर उनके शिष्यों द्वारा रचित रचना है।

५. केशिगौतम-संवाद के सचेलकत्व (सान्तरोत्तर) और अचेलकत्वविषयक सवाद से संघभेद का स्पष्ट सकेत मिलता है।

१. वही।

२. उ० ३१.१३-१४, १६-१८. विशेष के लिए दैखिए—परिशिष्ट ३.

३, देखिए--पृ॰ १८, पा० टि० १; पृ० २३, पा० टि० १; उ० दूसरे एवं १६वें अध्ययन का प्रारम्भिक गद्य ।

- ६. द्रव्य, गुण, पर्याय आदि सैद्धान्तिक विषयों की इतनी संक्षिप्त एवं परिमाणित परिभाषाएँ यह सिद्ध करती हैं कि इनका प्रणयन दार्शनिक क्रान्ति के काल में हुआ है क्योंकि आगमों में इस प्रकार की संक्षिप्त परिभाषाएँ उपलब्ध न होकर प्रायः विवरणा-त्मक अर्थ ही मिलते हैं।
- ७. उत्ताराध्ययन का प्रायः बहुवचनात्मक प्रयोग मिलने से ज्ञात होता है कि यह एककर्तृक न होकर अनेक अध्ययनों का संकलन है। र

हन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान उत्तराध्ययन किसी एक काल की एवं किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है अपितु एक संकलन-प्रनथ है जिसका प्रणयन किसी निश्चितकाल में न होकर विभिन्न समयों में हुआ है। इसमें पाए जानेवाले परिवर्तन एवं संशोधन आदि महावीर-निर्वाण के काल से लेकर तृतीय—वलभी-वाचना के समय (महावीर-निर्वाण से लेकर करीब १००० वर्ष—ई० पू० ५ वीं शताब्दी से ई० सन् ५ वीं शताब्दी) तक के अथवा इसके भी कुछ समय बाद तक के प्रतीत होते हैं। वयों कि तृतीय-वाचना के समय लिपिबद्ध किए गए समवायांग-सूत्र में उत्तराध्ययन के जिन ३६

 गुणाणमासवी दब्बं एग दब्बिसिया गुणा । लक्खण पज्जवाण तु उभक्षो अस्सिया भवे ।।

---- उ० २८, ६.

तथा देखिए-प्रकरण १, धर्मादि द्रव्यों की परिभाषा।

२. ऐतेसि चेव छत्तीसाए उत्तरज्झयणाणं समुदयसमितिसमागमेणं उत्तरज्झ-यणभादसुतवखंघेति लब्भइ, ताणि पुण छत्तीसं उत्तरज्झयणाणि इमेहि नामेहि अणुगंतव्वाणि ।

--- उ० चूर्णि, पृ० व.

तथा देखिए--पृ० १२, पा॰ टि॰ १; पृ० ३१, पा॰ टि॰ १; पृ० ३६, पा॰ टि॰ १; नंदी, सूत्र ४३; उ० बृहद्वृत्ति, पत्र ५; समवा०, समवाय ३६.

अध्ययनों के नामों का उल्लेख मिलता है उनसे वर्तमान में उपलब्ध उत्तराध्ययन के नामों में कुछ वैषम्य है। यह वैषम्य यद्यपि नगण्य है फिर भी इससे उसके परिवर्तन व संशोधन की स्पष्ट प्रतीति होती है।

नियुं क्तिकार (६ ठी शताब्दी) प्रकृत ग्रन्थ को एककर्तृ के स्वीकार न करते हुए भी उत्तराध्ययन की अन्तिम गाथा के व्याख्यान में इसे भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के समय का उपदेश बतलाते हैं। वास्तव में नियुं क्तिकार का उपयुं क्त कथन प्रकृत पद्म का व्याख्यान मात्र है। संभव है, यह पद्म उत्तराध्ययन के महत्त्व को प्रकट करने के लिए बाद में जोड़ दिया गया हो और नियुं क्तिकार ने पूर्व-परम्परा का निर्वाह किया हो। छत्तीसवें अध्ययन की अन्त की कुछ गाथाओं को देखने से तथा अठारहवें अध्ययन की जीवीसवीं गाथा के साथ छत्तीसवें अध्ययन की अन्तिमगाथा की तुलना करने से उपर्यु क्त कथन की पुष्टि होती है। बृहद्वृत्तिकार शान्त्याचार्य भी उत्तराध्ययन को भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के समय का अन्तिम उपदेश मानने को पूर्णतः तैयार नहीं हैं। अतः उन्होंने 'परिनिब्वुए' शब्द का अर्थ स्वस्थीमूत' किया है। व

इस उद्धरण का पृ० १२, पा० टि० १ से मिलान की जिए।

१. इइ पाउकरे बुद्धे नायए परिणिब्बुए ।

[्]विञ्जाचरणसंपन्ने सच्चे सच्चपरक्रमे ॥

⁻⁻⁻ उ० **१**८. २४.

२. अथवा पाउकरे, त्ति प्रादुरकार्णीत् प्रकाशितवान् , शेषं पूर्ववत् नवरं 'परिनिवृतः' कोषादिदहनोपशमतः समन्तात्स्वस्थीभूतः ।

⁻⁻⁻उ० बृहद्वृत्ति, पत्र ७१२.

इत्येदं रूपं 'पाउकरे' त्ति प्रादुरकार्यीत्—प्रकटितवान् ''''''''' 'परिनिवृतः' कषायानलविष्यापनात्समन्ताच्छीतीमूत: ।

⁻⁻ उ॰ बृहद्वृत्ति, एत्र ४४४.

निर्युक्तिकार ने ग्रन्थ की प्रशंसा में उत्तराघ्ययन को जो जिन-प्रणीत कहा है उसका तात्पर्य शब्दतः जिन-प्रणीतता से नहीं है अपितु अर्थतः जिन-प्रणीतता से है। अर्थ की अपेक्षा से सभी मान्य ग्रन्थ जिन-प्रणीत ही हैं अन्यथा उनमें प्रामाण्य ही न रहेगा। उत्तराघ्ययन के अगवाह्य-ग्रन्थ होने से भी स्पष्ट हैं कि इसकी रचना न तो भगवान् महावीर ने की और न उनके प्रधान शिष्यों (गणधरों) ने; अपितु तदुत्तरवर्ती श्रुतज्ञों ने की है। इसीलिए बृहद्वृत्तिकार 'जिन' शब्द का अर्थ 'श्रुतजिन' या 'श्रुतकेवली' करते हैं। व

इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि उत्तराघ्ययन शब्दतः भगवान् महावीर-प्रणीत नहीं है। इसके अतिरिक्त इसका प्रारम्भिक रूप दशवैकालिक की रचना (वीo निo १ ली शताब्दी, ईo पूठ ४५२-४२६) के पूर्व निर्धारित हो चुका था क्योंकि दशवैकालिक की रचना हो जाने के बाद उत्तराध्ययन की अध्ययन-परम्परा का क्रम दूसरे से तीसरा हो गया था। उच्चिण के एक वैकल्पिक उद्धरण के आधार पर आचार्य तुलसी की यह संभावना कि उत्तराध्ययन का छठा अध्ययन भगवान् पार्थ्व द्वारा कथित है, उचित प्रतीत नहीं होती है।

जे किर भवसिद्धीया परित्तसंसारिया य जे भव्वा ।
 ते किर पढति एए छत्तीस उत्तरज्ञाए ।।
 तम्हा जिणपण्यत्ते, अणंतगम-पञ्जवेहि संजुते ।
 अज्ञाए जहजीगं, गुरुष्पसाया अहिज्जिज्ञा ।।
 —उ०, ने० व०, पृ० ३६१.

२. तस्माज्जिनै: श्रुतजिनादिभि: प्ररूपिता: ।
—उ० बृहद्वृत्ति, पत्र ७१३.

३. देखिए-पृ० १४, पा० टि० १.

<sup>४. केचिदग्यया पठिन्त—
 एवं से उदाहु अरहा पासे पृरिसादाणीए ।
 भगवंते वेसालीए बुद्धे परिणुब्दुडे ।।
 —उ• वूणि, पृ० १५७.
 तथा देखिए-द० उ०, भूमिका, पृ० २४, २६.</sup> 

इस तरह उत्ताराध्ययन की रचना का आदिकाल बी० नि० की १ ली शताब्दी का प्रारम्भिक काल निश्चित होता है। उत्तराध्ययन में देविधगिण की वाचना के समय (वी० नि० ६८०-६६३) तक के तथा इससे भी कुछ समय बाद तक के परिवर्तन उपलब्ध होने से इसका अन्तिम रूप वी० नि० के १००० वर्ष बाद तक का है। इसके संवाद, कथा एवं उपदेश-प्रधान अध्ययनों का प्रणयन संद्धान्तिक अध्ययनों की अपेक्षा प्राचीन प्रतीत होता है।

इन सभी बातों पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपलब्ध उत्तराध्ययन में भगवान् महाबीर के निर्वाण से लेकर करीब १००० वर्ष तक की कुछ न कुछ विचार-धारों मौजूद है। अतः उत्तराध्ययन किसी एक व्यक्ति की किसी एक कालविशेष की रचना न होकर विभिन्न समयों में संकलित किया गया एक संकलन-ग्रन्थ है। शार्पेन्टियर, विन्टरनित्स आदि सभी विद्वान् प्रायः इसी मत से सहमत हैं।

# उत्तराध्ययन-सूत्रः यह नाम क्यों :

उत्तराध्ययन-सूत्र में तीन शब्द है-उत्तर +अध्ययन + सूत्र। उत्तर शब्द के तीन अर्थ समव हैं - १. प्रधान, २. जबाब

१. तथा, ऋषिभाषितान्युत्तराष्ययनानि तेषु च निम-किपलादिमहर्षीणां सम्बन्धीनि प्रायो धमिल्यानकान्येव कथ्यन्त इति धर्मकथानुयोग एव तत्र व्यवस्थापित: ।

[—]विशेषावश्वकभाष्य (गाथा २२६४)-मलधारी-टीका, पृ० ६३१.

२. देखिए-पृ० ४४, पा० टि० १; पृ० ४५, पा० टि० १.

२. निर्युक्तिकार भी उत्तर शब्द के संभाव्य अर्थों को सूचित करते हुए लिखते हैं—

जहण्णं सुत्तरं खलु उक्कोसं वा अणुत्तरं होई । सेसाइं उत्तराइं अणुत्तराइं च नेयाणि ।।

⁻⁻ उ० नि०, गाथा २.

और ३. पश्चाद्भावी। यद्यपि अध्ययन शब्द का अर्थ पढ़ना होता है परन्तु यहाँ पर अध्ययन शब्द परिच्छेद (प्रकरण या अध्याय) के अर्थ में प्रयुक्त है। निर्युक्तिकार और चूर्णिकार ने इसका कुछ विशेष अर्थ भी किया है। परन्त् तात्पर्य परि-च्छेद से ही है क्योंकि ग्रन्थ में प्रत्येक परिच्छेद के लिए 'अध्ययन' शब्द का प्रयोग हुआ है। सूत्र शब्द का सामान्य अर्थ है-जिसमें शब्द तो कम हों और अर्थ विपुल हो । जैसे--तत्त्वार्थसूत्र, पातज्जल-योग-सूत्र, ब्रह्मसूत्र आदि । उत्तराध्ययन में इस प्रकार की सूत्ररूपता नहीं है अपितु इसके विपरीत शब्दों का विस्तार ही अधिक हुआ है। यद्यपि चरणविधि आदि कुछ अध्ययनों के कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहां पर शब्द कम और अर्थ अधिक है। प्रायः अन्यत्र विषय का विस्तार ही अधिक है। यद्यपि आत्मारामजी ने उत्तराध्ययन की भूमिका में कुछ निर्युक्ति की ग।थाएँ उद्धृत की हैं तथा सूत्र शब्द की कई प्रकार से व्युत्पित्ता करके उत्तराध्ययन को 'सूत्र-ग्रन्थ' सिद्ध किया है । रपरन्तु सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त सूत्र शब्द का लक्षण यहाँ घटित नहीं होता है। इसका प्राकृत रूप 'सुत्ता' है और यह वैदिक सूक्तों (मन्त्रों) की ही तरह 'गाथा' के अर्थ का सूचक है। 'उत्तराध्ययन-सूत्र' शब्द का सामान्य अर्थ यही है। 'उत्तर' शब्द के अर्थ में 'मूलसूत्र' की तरह विद्वानों में कुछ मतभेद है। इसका कारण है –उत्तराध्ययन की रचना के विषय में विभिन्न संकेत । अतः यहाँ 'उत्तर' शब्द का अर्थ विचारणीय है।

१. अउझप्पस्साणयणं कम्माणं अवचओ उथिचयाणं। अणुवचओ व णवाणं तम्हा अज्झयणिमच्छिति।। अहिगम्मिति व अत्था अणेण अहियं व णयणिमच्छिति। अहियं व साहु गच्छइ तम्हा अज्झणिमच्छिति।। ---उ० नि०, गाथा ६-७. तथा देखिए--उ० बृहद्वृत्ति, ५० ६-७; उ० पूणि, ५० ७.

२. उ० आ० टी०, भूमिका, पृ० १३-२१.

निर्युक्तिकार ने उत्तर शब्द का अर्थ किया है—जिसका आचा-राङ्ग आदि के बाद अध्ययन किया जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि आचाराङ्गादि के बाद पढ़े जाने के कारण इसकी 'उत्तर' संज्ञा हुई है। चूणिकार, बृहद्वत्तिकार आदि इसी मत का समर्थन करते हैं।

उत्तर शब्द के पूर्व-सापेक्ष होने से तथा उत्तरकाण्ड, उत्तररामचरित आदि में प्रयुक्त 'उत्तर' शब्द का अर्थ पश्चाद्भावी होने से
उत्तराध्ययन में प्रयुक्त 'उत्तर' शब्द का अर्थ 'पश्चाद्भावी' समुचित प्रतीत होता है। इसके अध्ययन उत्तरोत्तर प्रधान (श्रेष्ठ)
हैं इसलिए इसकी उत्तर संज्ञा हुई है यह उपलब्ध उत्तराध्ययन के
आधार पर नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार 'जबाव' (बिना
पूछे प्रश्नों का उत्तर) अर्थ भी उपलब्ध उत्तराध्ययन की अपेक्षा
समुचित नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि धवला-टीका आदि
दिगम्बर-ग्रन्थों तथा कल्प-सूत्र, त्रिष्ध्यिलाकापुरुषचरित आदि
श्वेताम्बर-ग्रन्थों में उल्लिखित उत्तराध्ययन के विषय से यह अर्थ
कथि इचत् संगत हो सकता है। अरन्तु उपलब्ध उत्तराध्ययन
के आधार पर ऐसा कहना संभव नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन से 'उत्तर' शब्द का अर्थ पश्चाद्भावी ही सिद्ध होता है। यहाँ एक प्रश्न और है कि पश्चाद्भावी से क्या तात्पर्य है? बाद की रचना या बाद में जिसका अध्ययन किया जाय। मेरा विचार है कि उत्तराध्ययन-निर्युक्ति आदि श्वेताम्बर-ग्रन्थों तथा गोम्मटसार-जीवकाण्ड आदि दिगम्बर-ग्रन्थों के आधार से

कम उत्तरेण पगयं आयारस्तेव उविरिमाइं तु ।
 तम्हा उ उत्तरा खलु अज्झयणा हुंति णायव्या ।।

[—] उ० नि०, गाथा ३.

२. उ० नि॰, गाथा ३ पर चूर्णि और वृह्द्वृत्ति। तथा देखिए-पृ० १४, पा० टि० १.

३. उत्तरःणि अधीयते पठ्यंते आत्मिन्नितः उत्तराघ्ययनम् ।
 --गो० जी० (गाया ३६७) जीवप्रबोधिनी संस्कृतःटीका ।
 तथा देखिए-पृ० २६, पा० टि० ३; पृ० ३१, पा० टि० २.

बाद में जिसका अध्ययन किया जाय, यही अर्थ उचित प्रतीत होता है। उत्तराध्ययन में प्रयुक्त अध्ययन शब्द से भी यही अर्थ प्रतीत होता है क्योंकि अन्य किसी आगम-प्रन्थ के साथ अध्ययन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।

## भाषा-शंली और महत्त्व:

भाषा-शैली की दृष्टि से उत्तराध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषाशास्त्रियों की दृष्टि में उत्तराध्ययन की भाषा अत्यन्त प्राचीन है। आचार्य तुलसी ने उत्तराध्ययन की भाषा को महा-राष्ट्री से प्रभावित अर्धमागधी कहा है। भाषा और विषय की प्राचीनता की दृष्टि से समस्त अंग और अंगवाह्य आगम-साहित्य में आचाराङ्ग और सूत्रकृताङ्ग की भाषा के बाद तीसरे स्थान पर उत्तराध्ययन का नाम गिनाया जाता है। भाषा-शैली की

2. The language of this canon is a Prākrit which is known as Ārṣa (i.e., "the language of the Rṣis") or Ardha-Māgadhī (i.e., "half-Māgadhī"). Mahāvīra himself is said to have preached in this language. There is however, a difference between the language of prose and that of verses. As was the case with the Pāli verses in the Buddhist Canon, here too, the verses present more archai forms. The most archai language is to be found in the Āyāramga-Sutta, and next to this, in the Sūyagadamga-Sutta and the Uttarājjhayana. Ardha-Māgadhī is quite different from Jaina Mahārāṣtrī, the dialect of the non-canonical Jaina texts.

— দ্ভিত হত লিত, মান্ত্ৰ, দুত ধায়ত ধায়ত স্থান্ত, দুত ধায়ত জিত, মান্ত্ৰ, দুত ধায়ত কৰিব দুত্ৰ দুত্ৰ দুত্ৰ কৰিব দুত্ৰ কৰ

described as Mūla-Sūtras.

—बही, पृ० ४६५-६६.

१. द० उ०, भूमिका, पृ० ४२-४३;
व्याकरण-विमर्श के लिए देखिए-द० उ०, भूमिका, पृ० ३७-३६;
उ० समी०, पृ० ४७१-४दद;
छन्दो-त्रिमर्श के लिए देखिए-उ० समी०, पृ० ४६३-४७०.

दृष्टि से इसमें साहित्यिक गुण भी मौजूद हैं। इसे केवल नीरस और
शुष्क साहित्य नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि ग्रन्थ में बहुत्र पुनरुक्तियाँ हैं और सैद्धान्तिक अध्ययनों में नीरसता भी है फिर
भी अन्य आगम-ग्रन्थों की तुलना में इसकी भाषा-शैली साहित्यिक,
सरल, नैस्गिक, उपदेशात्मक, दृष्टान्त-अलंकारबहुल और सुभाषितात्मक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है यदि उत्तराध्ययन में से
सैद्धान्तिक (वर्णनात्मक) फ्रकरणों को पृथक् कर दिया जाय तो
यह विशुद्ध धार्मिक काव्य-ग्रन्थ हो सकता है। उपदेशात्मकता
और पुनरुक्तियों के वर्तमान रहने पर भी इसका साहित्यिक महत्त्व
घटता नहीं है क्योंकि उपमा, दृष्टान्त आदि अलंकारों के साथ
आख्यानों और संवादों के हृदयस्पर्शी प्रयोग से इसमें प्रभावशालिता
आ गई है। जैसे:

उपमा और दृष्टान्त अलकार — विषय को सुबोध बनाने
 के लिए प्रचलित दष्टान्तों का प्रयोग बहुत किया गया है। जैसे —

٤,	उत्तराध्ययन में प्रयुक्त उपमा और	दृष्टान्त ३	पलंकारों की सूची:
अध्ययः	न • गाथा-संरुषा	अध्ययन	गाया-संख्या
संस्या		सङ्या	
१-	8. X. 12, 36, 38, 84.	₹.	३, १०, १७, २४
₹.	प्र, १२, १¥.	٧.	३, ५-६, ५.
뵛.	¥. ₹0, १४-१६, २७.	€.	१६.
৬.	₹-E. ११, १४-१५, २३, २ <b>४.</b>	듁.	<b>५-७, ६, १</b> ≂.
٤.	४८, ५३, ६२.	१०.	१-२, २८, ३३.
११.	१५-३१.	१२.	<b>१</b> २, २ <b>६-</b> २७.
	२२, ३० <b>-३१</b> ,	१४.	१, १८, २६-३०,
• •			३३-३६, ४१-४द.
१६.	१३	१७.	२०-२१.
ξ≒.	१३, <b>१</b> ४, ३६ <b>, ४</b> ७-४८, ४२.	₹€.	₹, १२, <b>१</b> ४, १ <b>८-२४,</b>
			३४, ३६-४३, ४८-४६,
			५१, ५४, ५६-५८,
			६४-६८, ७०, ७८-८४,
			८७-८८, ६३, ६७.

रात्रि और दिन का अतिक्रमण होने पर वृक्ष का पत्ता जिस प्रकार पीला पड़कर नीचे गिर जाता है उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी (परिवर्तनशील—नश्वर) है। अतः हे गौतम ! क्षणभर का भी प्रमाद मत कर। यहाँ उपदेश भी है और सरल दृष्टान्त के द्वारा विषय को स्पष्ट भी किया गया है। इससे पाठक के हृदय पर अमिट छाप बन जाती है। इसी प्रकार के अन्य उपमा और दृष्टान्त अलंकारों का प्रयोग प्रकृत ग्रन्थ में बहुतायत से हुआ है।

२. प्रतीकात्मक-रूपक — धर्म की आध्यात्मिक व्याख्या में प्रतीकात्मक रूपकों का प्रयोग किया गया है। जैसे — इन्द्र-निम संवाद में दीक्षाविषयक, केशि-गौतम संवाद में धर्मभेदविषयक. हिरिकेशीय अध्ययन में यज्ञविषयक आदि। इसी प्रकार महा- निर्ग्रन्थीय अध्ययन में अनाथी मुनि अनाथ शब्द की व्याख्या में वक्रोक्ति का प्रयोग करते हैं।

२०.	<b>३</b> , २ <b>०-</b> २१, ४२, ४४, ४७ <b>-</b> ४ <b>८, ५</b> ०, ५८, ६०.	२१	હ, <i>१४, ૧</i> ७, <i>૧</i> ૯, २३-૨૪.
२२.	<i>९४-४७, ४१.</i> ७, १०, ३०, ४१ <b>,</b>	₹₹,	१ द.
२५.	१ <b>७-१</b> ६, २१, २७, ४२ <b>-</b> ४३.	२७.	न, १३-१४, १६.
२८.	२२.	. <b>२</b> ६.	१२, ५६.
₹0.	<b></b>	₹ <b>२.</b>	६, १०-१३, १ <b>८</b> , २०, २४, ३४, ३७, ४७, ५०, ६०, ६३, ७३, <b>७</b> ६. ८६, ८६, ६६.
₹¥.	४-१६.	₹.	६०-६१.

नोट—इनमें से कुछ दृष्टान्त सामान्य हैं और कुछ प्रकासन्तर सेभी आए हैं।

टुम पत्तए पंडुयण् जहा निवडड राडगणाण अच्चए।
 एवं मण्याण जीवियं समयं गोयम! मा पमायए।।

— उ० १°. **१**.

- ३. सुभाषित ै— धर्म-प्रधान ग्रन्थ होने से इसमें स्वाभाविक-रूप से सुभाषितों का प्रयोग हुआ है। उपमा और प्रतीकात्मक-रूपक अलंकारों के प्रयोग में सुभाषितों की झलक अधिक मिलती है।
- ४. पुनरुक्ति—लोगों की प्रवृत्ति विषय-भोगों के प्रति अधिक होने से तथा धर्म के प्रचार का प्रारम्भिक काल होने से प्रतिपाद्य विषय के स्पष्टीकरण में पुनरुक्ति का होना स्वाभाविक है। कहीं एक चरण में, कहीं दो चरणों में, कहीं तीन चरणों में तथा कहीं-कहीं सम्पूर्ण गाथा ज्यों की त्यों पुनरुक्त है। अब्द और अर्थ की यह पुनरुक्ति दोषजनक नहीं है क्योंकि विषय के स्पष्टी-करण के लिए इस प्रकार की शैली का प्रयोग वेदों और बौद्ध त्रिपिटक-ग्रन्थों में भी बहुतायत से पाया जाता है।
- प्रे कथा एवं संवाद कथा-विभाग में गिनाए गए अध्ययनों में कथा एवं संवादों के द्वारा धार्मिक और दार्शनिक विषयों को

र. 'तं वयं बूम माहणं' यह चरण २५. १६-२६, ३४ में तथा 'समयं गोयम मा पमायए' यह चरण १०. १-३६ में ज्यों का त्यों पुनरुक्त है। 'जे भिक्सू जयई निच्च, से न अच्छद्र मंडले' ये दोनों चरण ३१. ७-२० में पुनरुक्त हैं। 'एयमट्ठं निसामित्ता हैऊकारण चोइड। तउ निम रायिशिंस देविन्दों इण महबवी' (६. ११, १७ आदि) यह इन्द्र की उक्ति और 'एयमट्ठं निसामित्ता वे' (६. ६, १३ आदि) यह निम की उक्ति और 'एयमट्ठं निसामित्ता वे' (६. ६, १३ आदि) यह निम की उक्ति (चारों चरण सहित) नौ-नौ बार पुनरुक्त हैं। ऐसे अन्य कई स्थल हैं जिन्हें यहां दिखलाना सम्भव नहीं है।

समझाया गया है। जैसे—इन्द्र-निम-संवाद में प्रव्रज्या के समय उत्पन्न होनेवाले अन्तर्द्वन्द्व का समाधान, हरिकेशी और ब्राह्मणों के संवाद में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या, मृगापुत्र और उसके माता-पिता के साथ हुए संवाद में साधु के आचार का प्रति-पादन। इसी प्रकार के अन्य कई संवादस्थल हैं जो बहुत ही समयोपयोगी और प्रभावोत्पादक हैं। जैसे—अनाथी मुनि और राजा श्रेणिक के बीच हुआ अनाथ-विषयक संवाद, अगुपुरोहित और उसके पुत्रद्वय के बीच हुआ आत्मा के अस्तित्व-विषयक संवाद, अगुपुरोहित और उसकी पत्नी के बीच हुआ दीक्षा-विषयक संवाद, अगुपुरोहित और उसकी पत्नी कमलावती के बीच हुआ राजा के कर्राव्यविषयक संवाद, केशि और गौतम के बीच हुआ आध्यात्मिक संवाद।

इन सभी तथ्यों के कारण विन्टरनित्स, कानजी भाई पटेल आदि उत्तराध्ययन को श्रमण धार्मिक-काव्य स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त याकोबी, शार्पेन्टियर, विन्टरनित्स आदि प्रसिद्ध विद्वानों ने इसकी तुलना धम्मपद, सुत्तानिपात, जातक,

Above all, the first Mūla-sūtra, the Uttarājjhayaņa or Uttarādhyayana-sūtra, as a religious poem, is one of the most valuable portions of the canon. The work, consisting of 36 sections, is a compilation of various texts, which belong to various periods. The oldest nucleus consists of valuable poems—series of gnomic aphorisms, parables and similes, dialogues and ballads —which belong to the ascetic poetry of ancient India, and also have their parallels in Buddhist literature in part.

[—]हि० इ० लि०, पृ० ४६६.

तथा देखिए-श्रमण, मई-जून १६६४, पृ० ४८

महाभारत आदि प्रसिद्ध जैनेतर ग्रन्थों से की है। आचा-राङ्ग, सूत्रकृताङ्ग, दणवैकालिक आदि जैन आगम-ग्रन्थों से भी

₹.	दुलना	कीजिए
----	-------	-------

(30 €)

उत्तराध्ययन	धम्मपद	उत्तरा <b>ध्ययन</b>	मुत्त-निपात
१.१५	१२.४	महानिर्प्रन्थीय	पव्यञ्जासुत्त
8,38	۲.8	(३०वाँ अध्ययन)	(महाव <b>ःग-१)</b>
6.80	<b>4.</b> 9	उत्तराध्ययन	महाभारत
88,3	¥. ११	१. इषुकारीय	शान्तिपर्व
२४.२७	२६.१६	(अ०१४)	(अ० १७४, २७७)
२४.२६	२६.२४	२. नमित्रव्रज्या	शान्तिपर्व
२४.३४	२६,४०	(૩•૬)	(স <b>০</b> १७५ <b>-२७</b> ६)
उत्तराध्ययन		जातक	
- उत्तराध्य	यन	জা	तक
उत्तराध्य १. वित्तसम्मृ			<b>.तक</b> :सम्भूत
	तीय	चित्त	
१. चित्तसम्भू	तीय )	चित्त ( <i>सं</i>	।सम्भूत
१. चित्तसम्मू ्(अ०१३	तीय )	चित्त (सं हत्यि	सम्भूत ० ४६=)
१. चित्तसम्भू (अ०१३ २. इषुकारीय	तीय )	चित्त (सं हत्यि	सम्भूत ० ४६८) पालजातक
१. चित्तसम्मृ (अ०१३ २. इषुकारीय (भ्रगुपुरो	तीय ) हित—	चित्त (सं हत्थि (सं	सम्भूत ० ४६८) पालजातक
१. चित्तसम्मृ (अ० १३ २. इषुकारीय (भ्रगुपुरी अ• १४)	तीय ) हित- ल	चित्त (सं हत्य (संद मातं	त्सम्भूत ० ४६८) पालजातक १ ५०६)

(सं० ४३६)

The Uttaradhyayana is not the work of one single author, but is a collection of materials in age and derived from different sources. It was perhaps in its

#### उत्तराध्ययन-प्रुत्र : एक परिशोलन

इसकी तुलना की जाती है। इस तरह उत्तराध्ययन-सूत्र न केवल अंगबाह्म-ग्रन्थों से अपितु समवायांग आदि अंगग्रन्थों से भी प्राचीन और महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है। उत्तराध्ययन के ३६ वें अध्ययन के अन्तिम पद्य की निर्युक्ति में आचार्य मद्रबाहु ने इसका महत्त्व प्रकट करते हुए इसे जिन-प्रणीत तथा अनन्त गूढ शब्दाथों से युक्त बतलाया है। विर्युक्तिकार के इस कथन से उत्तरा-ध्ययन के महत्त्व और प्राचीनता दोनों का बोध होता है।

original contents more like the old Buddhist works, the Dhammapada and the Sutta-Nipāta.

--- उ० शाः, भूमिका, पृ० ४०.

४६ ]

तथा देखिए---हि॰ इ० लि०, पृ० ४६७-४७०; उ० आ० टी०, भूमिका, पृ० २२-२४; औ० सा० बृ० इ०, भाग-२, पृ० १४७, १४२, १४६, १४६, १६७; उ० समी०, कथानक-संक्रमण, प्रत्येकबृद्ध तथा तुलनात्मक-अध्ययन प्रकरण, पृ० २४४-३७०, ४३६-४४४.

- १. उत्तराध्ययन दशवैकालिक उत्तराध्ययन सूत्रकृताङ्ग २२. ४२-४६ ₹. ७-१० ३२, १८ 3. 3. 2% विनय-समाधि द, १६ १. ४. १^८ विनय (नीवां) उत्तराध्ययनके पच्चीसर्वे अध्य-(बहला) सभिक्षु अध्ययन यन में तथा सूत्रकृताङ्ग, प्रथम सभिक्ष (दसवां) भाग के नौवें और बारहवें अध्य-(पन्द्रहवां) भगवती यन में ब्राह्मण और जैन-साधु को उत्तराध्ययन २६ वाँ अध्ययन १७. ३. ६०० समान बतलाया गया है। -देखिए-जै० सा० बु० इ०, भाव-२, पु. १८१.
- २. देखिए-पृ० ३६, पा० टि० १.

दिगम्बर-परम्परा में इसका सविशेष उल्लेख होने से तया इसके विपुल टीका-साहित्य से इसके महत्त्व और प्राचीनता के साथ इसकी लोकप्रियता का भी पता चलता है। यदि हम संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उत्तराध्ययन अंगबाह्य-ग्रन्थ होने पर भी अंगग्रन्थों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

इसके अतिरिक्त इसके उपदेशात्मक, धार्मिक एवं दार्शिनक प्रन्य होने पर भी इसमें धार्मिक-काव्य के सामान्य गुणों का अभाव नहीं हुआ है। जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तदनुसार उत्तराव्ययन में तत्कालीन समाज एवं संस्कृति आदि का भी पर्याप्त समावेश हुआ है। विविध प्रकार के संवादों, प्रतीकों, उपमाओं, सुभाषितों आदि के प्रयोग से इसमें रोचकता आ गई है। इसीलिए उत्तराध्ययन को जैन समाज में हिन्दुओं की भगवद्गीता तथा बौद्धों के धम्मपद की तरह महत्त्वपूर्ण कृति माना जाता है।

### टीका-साहित्यः

पालि-त्रिपिटक पर लिखी गई अट्ठकथाओं की भाँति जैन आगम-साहित्य पर भी कालान्तर में विपुल व्याख्या-साहित्य लिखा गया। उत्तराध्ययन के महत्त्व और लोकप्रियता के कारण इस पर अपेक्षाकृत अधिक व्याख्यात्मक-साहित्य मिलता है। सरस-कथानक, सरस-संवाद और सरस-रचना-शैली के कारण अंग और अंगबाह्य-ग्रन्थों में इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप कालान्तर में उत्तराध्ययन पर सर्वाधिक टीका-ग्रन्थ लिखे गए। कुछ प्रमुख टीका-ग्रन्थ निम्नोक्त हैं:

१. निर्युक्ति—व्याख्यात्मक-साहित्य में निर्युक्ति का स्थान सर्वोपिति है। निर्युक्ति का अर्थ है—सूत्र में निबद्ध अर्थ का सयुक्तिक प्रतिपादन। उत्तराध्ययन पर सबसे प्राचीन टीका भद्रवाहु-

१. निर्युक्तानामेव सूत्रार्थानां युक्तिः ?—परिवाद्या योजनं ।
 —दश्रवैकालिकवृत्ति, पृ० ४ (उद्धृत-प्रा० सा० इ०, पृ० १६४, फुटनोट) ।

द्वितीय (वि०की ६ ठी शताब्दी) की निर्युक्ति है। इसमें प्राकृत-भाषा में निबद्ध ५५६ गाथाएँ हैं। ये मूल उत्तराध्ययन की गाथाओं (करीब १७४६ गाथाएँ तथा ५७ गद्याश) से बहुत कम हैं। इसके बहुत ही संक्षिप्त और सांकेतिक होने से कालान्तर में उत्तराध्ययन के साथ निर्युक्ति पर भी टीकाएँ लिखी गईं। उत्तराध्ययन के गुरु-परम्परागत अर्थ को समझने के लिए भद्रबाहु की निर्युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए यह उत्तरवर्ती सभी टीका-ग्रन्थों की आधारमित्ति रही है। इसमें विषय को स्पष्ट करने कें लिए कहीं-कहीं दृष्टान्त और कथानकों का भी प्रयोग किया गया है।

- २. चूणि—उत्तराष्ट्रययन और उसकी निर्युक्ति पर जिनदासगणि महत्तर (ई० सन् ६ ठी शताब्दी) ने सर्वप्रथम चूणि की रचना
  की है। इसमें मूलग्रन्थ के साथ निर्युक्ति के भी अर्थ को स्पष्ट
  किया गया है। यह प्राकृत-संस्कृत भाषा से मिश्रित गद्ध रचना है।
  इसमें कई शब्दों की विचित्र ब्युत्पित्तयाँ भी मिलती हैं। साषाशास्त्र की दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व है। तत्कालीन समाज
  और संस्कृति का चित्रण भी इसमें मिलता है। इसमें अन्तिम
  अठारह अध्ययनों का ब्याख्यान बहुत ही संक्षिण्त है।
- ३. शिष्यहिता-टोका या बृहद्वृत्ति (पाइय-टोका)—इसके रचिता वादिवेताल शान्तिसूरि (मृत्यु, सन् १०४०) हैं। यह उत्तराध्ययन और उसकी निर्युक्ति पर संस्कृत-गद्य में लिखी गई

१. कडए ते कुंडले य ते अंजियिक्ल ! तिलयते य ते । पवयणस्य उड्डाहकारिए । दुट्ठा सेहि ! कतो सि आगया ।। राईसरिसविम्ताणि परिछिद्दाणि पासिस । अष्णणो बिल्लमित्ताणि पासंतोऽवि न पासिस ।

⁻⁻ उ० नि० १३६-१४०.

२. धूर्णंत इति घोरा, परतः कामदीवि पराकमः, पर वा कामति ः दस्यते एभिरिति दन्ताः।

[—]उ० चूणि, पृ० २०५.

टीका है। यह भी कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। संस्कृत टीकाओं में यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। बीच-बीच में प्राकृत कथाएँ भी उद्धृत की गई हैं।

४. मुखबोधा-टीका या वृत्ति — शान्तिसूरि की शिष्यहिता-टीका के आधार पर बृहद्गच्छीय श्री नेमिचन्द्राचार्य (वि॰सं० ११२६) ने मूल-प्रन्थ पर संस्कृत-गद्य में सुखबोधा-टीका की रचना की है। इसमें निर्युक्ति की गाथाओं को भी यथास्थान उद्धृत किया गया है। दीक्षा के पूर्व आप देवेन्द्रगणि कहलाते थे। संस्कृत में मूल सूत्र-प्रन्थ का अध्ययन करने के लिए यह बहुत उपयोगी टीका है।

इतके अतिरिक्त कालान्तर में अन्य अनेक विद्वानों ने उत्तराध्ययन पर कई व्याख्यात्मक टीकाएँ लिखी हैं। जैसे-त्यागच्छाचार्य
देवसुन्दरसूरि के शिष्य ज्ञानसागरसूरि (वि०सं०१४४१) की
अवचूरि, महिमरत्न के शिष्य विनयहंस (वि०सं०१४६७-६१)
की वृत्ति, सिद्धान्तसूरि के शिष्य कीर्तिवल्लभगणि (वि०सं०१४१२) की टीका, खरतरगच्छीय जिनभद्रसूरि के शिष्य कमलसंयम उपाध्याय (वि०सं०१५४४) की वृत्ति, तपोरत्नवाचक
(वि०सं०१४४०) की लघुवृत्ति, मेरुतुंगसूरि के शिष्य माणिक्यशेखरसूरि की दीपिका-टीका, महेश्वरसूरि के शिष्य अजितदेवसूरि (वि० सं०१६२६) की टीका, गुणशेखर की चूणि, लक्ष्मीवल्लम (वि०१६ वीं शताब्दी) की दीपिका, भावविजयगणि
(वि० सं०१६६६) की वृत्ति, हर्षनन्दनगणि (वि०सं०१७११)
की टीका, धर्ममन्दिर उपाध्याय (वि०सं०१७५०) की मकरन्दटीका, उदयसागर (वि०सं०१४४६) की दीपिका-टीका, हर्षकुल
(वि०सं०१६००) की दीपिका, अमरदेवसूरि की टीका,
शान्तिभद्राचार्य की वृत्ति, मुनिचन्द्रसूरि की टीका, ज्ञानशीलगणि

१. उ० शा०, भूमिका, पृ० ५२-५३.

२. शार्पेन्टियर ने भी इस टीका को शिष्यहिता-टीका से अधिक उपयोगी माना है और इसीका उपयोग किया है।

ल्म-देखिए–उ० शा०, प्रीफेस, पृ०६ तथा भूमिका, पृ०५ द.

की अवचूरि आदि। इन टीकाओं में अधिकांश अप्रकाशित हैं। वर्तमान में अंग्रेजी, हिन्दी और गुजराती अनुवाद आदि के साथ कुछ टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं। ग्रन्थ की लोकप्रियता और महत्ता के कारण वर्तमान में इसके विविध-संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और आगे भी प्रकाशित होते रहेंगे। जार्ल शार्पेन्टियर

१. जिनरत्नकोश-ग्रन्थिवभाग, १० ४२ ४६ में इसकी विस्तृत सूची है। तथा देखिए—जैन भारती, वर्ष ७, अंक ३३, पृ० ५६५-६०.

२. (क) अंग्रेजी प्रस्तावना और टिप्पणी के साथ जाले शार्पेन्टियर का संशोधित मूल संस्करण, सन् १६२२; (ख) याकोबी का अंग्रेजी अनुवाद-सेo बुo ईo, भाग-४४, आवसकोई, १८६५; (ग) लक्ष्मी-वल्लभ की मधंदीपिका-टीका के साथ गुजराती भाषानुवाद, आगम-संग्रह, कलकत्ता, सन् १९३४-३७; (घ) जयकीति-टीका के साथ हीरालाल हंसराज, जामनगर, सन् १६०६; (ङ) भद्रबाहु की निर्युक्ति और शान्तिसूरि की शिष्यहिता-टीका के साय, देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १६१६-१७; (च) भाव-विजयगणि की सूत्रवृत्ति (विवृति) सहित, विनयभक्ति सुन्दरचरण ग्रन्थमाला, वेणप, वि० सं० १६६७; (छ) कमलसंयम की टीका के साय, यशीविजय जैन ग्रन्यमाला, भावनगर, सन् १६२७; (ज) नेमिचन्द्र की मुझबोघा वृत्तिसहित, आत्मवस्लमग्रन्थावली, बलाद, अहमदाबाद, सन् १६३७; (झ) जिनदासगणि महत्तर की चूर्णि मात्र श्वेताम्बर संस्था, इन्दौर प्रकाशन, सन् १९३३; (अ) धासीलाल की प्रियदर्शिनी संस्कृत-टीका एवं हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १६४६-६१; (ट) लक्ष्मी-वल्लमटीका एवं गुजराती अनुवाद के साय, मुद्रक-श्रीशचन्द्र भट्टाचार्य, कलकत्ता-७१; (ठ) भोगीलाल साँडेसरा (उ० १-१८) के गुजराती अनुवाद आदि के साथ, गुजरात विद्यासमा, अहमदाबाद, -१६५२; (ड) रतनलाल डोकी के हिन्दी अनुवाद आदि के साथ, श्री अरु भारु साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना (मरु प्र०), वी॰ सं॰ २४८६; (ढ) अस्माराम के हिन्दी अनुवाद आदि के साथ, जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, सन् १६३६-४२;

का अंग्रेजी प्रस्तावना और टिप्पणी के साथ संशोधित मूलपाठ, सेकेंड बुक्स आफ द ईस्ट, भाग-४५ में याकोबी का अंग्रेजी अनुवाद, आर० डी० वाडेकर तथा एन० व्ही० वैद्य का संशोधित मूलपाठ, भोगीलाल सांडेसरा का मूल के साथ गुजराती अनुवाद, आत्मारामजी का मूल के साथ हिन्दी अनुवाद, आचार्य तुलसी का मूल के साथ हिन्दी अनुवाद आदि उत्तराघ्ययन के महत्त्वपूर्ण संस्करण हैं।

इस तरह उत्तराध्ययन के इस विपुल व्याख्यात्मक टीका-साहित्य से इसके महत्त्व और लोकप्रियता का पता चलता है।

(ण) घेवरचन्द्र बांठिया के अनुवाद के साथ, सेठिया जैन ग्रन्थमाला, बीकानेर, सन् १९५३; (त) मुनि अमीलक के हिन्दी अनुवाद के साथ, हैदराबाद, जैन शास्त्रोद्धार मुद्रणालय, वी० सं० २४४६; (थ) मृति त्रिलोक, आत्माराम शोघ संस्थान, होशियारपुर, पंजाब, (पृथक्-पृथक् अध्ययन के रूप में प्रकाशित हो रहा है); (द) महावीर स्वामिनो अंतिम उपदेश के नाम से गुजराती खायानुवाद, गोपालदास न्जीवाभाई पटेल, जैनसाहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन् १९३८; (ध) गुजराती अर्थ एवं कथाओं आदि के साथ (१-१५), र्जन प्राच्य विद्या-भवन, अहमदाबाद, सन् १९५४; (न) मूल सुत्ताणि, संपादक-मुनि श्री कन्हैयालाल 'कमल', गुरुकुल प्रिटिंग प्रेस, व्यावर, वि० सं० २०१०; (प) मुनि सौभाग्यचन्द्र सन्तबाल (हिन्दी मात्र ), ध्वे रूपा० जैन कान्फरेंस, बम्बई, वि० १९६२; (फ) आर० डी० वाडेकर तथा एन० व्ही० वैद्य (मूलमात्र), पुना १९५४; (ब) जीवराज घेलाभाई दोशी (मूलमात्र), अहमदाबाद, सन १६११; (स) गुजराती अनुवाद-संतवाल, अहमदाबाद; (म) जयन्तविजय-टीका, आगरा, सन् १६२३; (य) आचार्य तलसी — हिन्दी अनुवाद आदि के साथ, आगम अनुसन्धान प्रत्यमाला, सन् १६६७; आदि। इन विविध संस्करणों के अतिरिक्त और भी अनेक संस्करण, लेख आदि उत्तराध्ययन के विविध-विविध अंशों पर समय-समय पर प्रकाशित हुए हैं।



### प्रकरण १

# द्रव्य-विचार

यह विश्व जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, वह इतना ही है जितना हमें दिखलाई पड़ता है अथवा इससे भी परे कुछ है? इसका प्रारम्भ कब से हुआ? इसका कभी अन्त होगा या नहीं? इसके मूल में क्या है जिससे इसका इतना विकास हुआ? इसके मूल में कुछ है या नहीं अथवा सिर्फ भ्रम है? इसका कोई व्यवस्थापक है या नहीं? आदि अनेकों प्रश्न आज भी मानव के हृदय में जिज्ञासा के विषय बने हैं। इन जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों का समाधान विभिन्न तत्त्ववेताओं ने विभिन्न प्रकार से किया है। आज का विज्ञान भी इसी तथ्य की खोज में अनवरत प्रयत्नशील है। जैन-तत्त्वज्ञान पर आधारित उत्तराध्ययन सूत्र से इस विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है उसे निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है:

१. प्रत्यक्ष विखलाई पड़नेवाले इस संसार के परे बहुत कुछ है। हमें जो विखलाई पड़ रहा है वह समुद्र की एक बिन्दु के बराबर भी नहीं है। आज का विज्ञान जितनी खोज कर सका है वह भी बहुत ही अल्प है। यह प्रत्यक्ष-दृश्यमान संसार और इससे परे अनन्त-भाग को हम विश्व शब्द से कहते हैं। इससे इस विश्व के विस्तार का सिर्फ अनुमान किया जा सकता है। मुख्यतः इस विश्व के वो भाग हैं: १. जहां पर सृष्टि-तत्त्वों की मौजूदगी है (लोक) और २. जहां शुद्ध आकाश को छोड़कर अन्य सभी सृष्टि-तत्त्वों का पूर्ण अभाव है (अलोक)। इसमें से जितने भाग में सृष्टि-तत्त्व वर्तमान हैं उसकी तो कुछ सीमा है परन्तु इसके परे जो सृष्टि-तत्त्वों से शून्य शुद्ध आकाश प्रदेश है उसकी कोई सीमा नहीं है।

- २. इस विश्व का प्रारम्भ कब से हुआ और यह कब तक चलेगा? इस विषय में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रायः सभी भारतीय दर्शन इस विषय में एकमत हैं कि इस मृष्टि का प्रारम्भ-काल और अन्त-काल नहीं है। अतः इसे अनिद और अनन्त कहा है। किसी वस्तु की वर्तमान अवस्था-विशेष की दृष्टि से प्रारम्भ और अन्त दोनों संभव हैं।
- ३. यह विश्व श्रून्यवादी बौद्धों की तरह अभावरूप (श्रून्य-रूप) तथा वेदान्तियों की तरह कल्पनाप्रसूत (मायारूप) नहीं है। अपितु यह उतना ही सत्य और ठोस है जितना हमें प्रतीत होता है। यह बात अवश्य है कि इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है परन्तु परिवर्तन के होते रहने पर भी उसका सर्वथा विनाश नहीं होता है, क्योंकि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि विद्यमान (सत्) का कभी विनाश नहीं होता और अविद्यमान् (असत्) का कभी आविर्भाव नहीं होता है। ससार की असारता, नश्वरता, भ्रम-रूपता आदि का जो वर्णन ग्रन्थ में किया गया है वह आध्यात्मिक दृष्टि से किया गया है।
- ४. इस विश्व का व्यवस्थापक या रचियता कोई ईश्वर आदि नहीं है। यह स्वचालित-यंत्र की तरह अनवरत एवं अबाधरूप से चल रहा है।

इन उपर्युक्त तथ्यों का विश्लेषण आवश्यक होने से सर्वप्रथम लोक-रचना का निरूपण किया जाएगा।

#### ळोक रचना

पहले लिखा जा चुका है कि यह विश्व दो भागों में विभाजित है: एक वह भाग जहाँ पुरुष, स्त्री, गाय, बैल, कीड़े, पत्थर, जलाशय आदि की स्थिति है जिसे 'लोक' या 'लोकाकाश' के नाम से कहा गया है तथा दूसरा वह भाग जहाँ पुरुष, स्त्री, गाय, बैल, कीड़े, पत्थर, जलाशय आदि किसी की भी सत्ता त्रिकाल में संभव

१. नासतो विद्यते मावो नामावो विद्यते सतः।

⁻⁻गीता २. १६.

नहीं है—सिर्फ आकाश प्रदेश है जिसे 'अलोक' या 'अलोकाकाश' के नाम से कहा गया है। 'इस तरह के विभाजन का आधार है सृष्टि-तत्त्वों की मौजूदगी अथवा गैरमौजूदगी। यदि इस तरह का विभाजन न किया जाता तो इस विश्व को असीम मानना पड़ता। आकाश-प्रदेश की कोई सीमा न होने से इसकी लोक के बाहर (अलोक में) भी सत्ता मानी गई है। अलोक की कोई सीमा न होने से तथा वहाँ किसी भी जीव की गित संभव न होने से विवेचनीय विषय लोक ही है।

क्षेत्र की दृष्टि से लोक को तीन भागों में विभाजित किया गया है : १. ऊपरी-भाग (ऊर्घ्वलोक), २. मध्यभाग (तिर्यक्लोक या मध्यलोक) तथा ३. अधोभाग (अधोलोक)। लोक के जो ये तीन भागं किए गये हैं इनका यद्यपि प्रन्थ में विस्तृत वर्णन नहीं है फिर भी इसे समझे बिना आगे का विवेचन समझना सरल नहीं है। अतः ग्रन्थ में प्राप्त संकेतों के आधार पर तीनों लोकों का वर्णन आवश्यक है।

### अर्ध्वलोक :

जहाँ हमारा निवास है उसके ऊपर के भाग को ऊर्घ्वलोक कहते हैं। ऊर्घ्वलोक में मुख्यरूप से देवों का निवास होने के कारण इसे देवलोक, ब्रह्मलोक, यक्षलोक तथा स्वर्गलोक भी

्. तथा देखिए—उ० २८. ७; ३६. ७.

२. उड्ढं अहे य तिरियं च।

—उ. **३**६. ४०.

तथा देखिए-उ. ३६. ५४.

३. विशेष के लिए देखिए-तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय १; त्रिलोकप्रज्ञित्, जीवाभिगमसूत्र, चन्द्रप्रज्ञित, भगवतीसूत्र आदि !

श्रीवा चेव अजीवा य एस लोए वियाहिए।
 अजीवदेसमागासे अलोए से वियाहिए।।
 —उ० ३६. २.

कहा गया है। १ इस ऊर्ध्वलोक में ऊपर-ऊपर देवताओं के कई विमान हैं। सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाले 'सर्वार्थसिद्धि' नामक अन्तिम विमान से १२ योजन (करीब ४८००० क्रोश क्षेत्र-प्रमाण) ऊपर एक 'सिद्ध-शिला' है। यह सिद्ध-शिला ४५ लाख योजन लम्बी तथा इतनी ही चौड़ी है। इसकी परिधि (घिराव) कुछ अधिक तीन गृनी (१४२३०२४६ योजन से कुछ अधिक) है। मध्यभाग में इसकी मोटाई आठ योजन है जो क्रमशः चारों ओर से कृश होती हुई मक्खी के पर से भी अधिक कृश हो गई है। इसका आकार खोले हुए छत्र के समान है। शंख, अंक-रत्न (श्वेत कान्तिवाला रत्न-विशेष) और कुन्द-पूष्प के समान स्वभावतः सफोद, निर्मल, कल्याणकारिणी एवं सुवर्णमयी होने से इसे 'सीता' नाम से कहा गया है। ऊपरी-भाग में अत्यन्त लघु होने के कारण इसे 'ईंघत्प्राग्मारा' नाम से भी उल्लिखित किया गया है। इससे एक योजन-प्रमाण ऊपर वाले क्षेत्र को लोकान्तभाग कहा गया है क्योंकि इसके बाद लोक की सीमा समाप्त हो जाती है और अलोक का प्रारम्भ हो जाता है। इसी एक योजन-प्रमाण लोकान्त-भाग के ऊपरी क्रोश के छठे भाग में मुक्त-आत्माओं का निवास माना गया है। 3 ग्रन्थ में

१. 'कम्मई दिवं' — उ० ४. २२; 'देवलोगचुओ संतो' — उ० १६. ५; 'से चुए बम्भलोगाओ' — उ० १८. २६; 'गच्छे जनसम्लोगयं' — उ० ४. २४; 'साए समिद्धे सुरलोगरम्मे' — उ. १४. १.

२. अवचूरिकार ने आठ योजन प्रमाण में 'उत्सेघाङ्गुल' से तथा अनुयोगद्वार में 'प्रमाणाङ्गुल' से क्षेत्र-सीमा नापने की कल्पना की है। इससे क्षेत्र-सीमा में काफी अन्तर हो जाता है। --उ० आ० टी०, पृ० १६६८.

३. बारसिंह जोयणेहिं सञ्बहुस्सुवरि भवे । ईसिवन्भारनामा उ पुढवी छत्तसंठिया ।। पणयालसयसहस्सा जोयणाणं तु आयया । तावइयं चेव वित्थिण्णा तिगुणो तस्सेव परिरओ ।। अट्ठजोयणबाहल्ला सा मण्झिम्मि विवाहिया । परिहायन्ती चरिमन्ते मिण्छियपत्ता तण्यरी ।।

' 'लोकान्त' को ही 'लोकाग्र' भी कहा गया है क्योंकि यह प्रदेश लोक का सर्वश्रेष्ठ भाग होने से शीर्ष स्थानापन्न भी है।'

# मध्यलोक (तिर्यक्लोक) :

ग्रन्थ में मध्यलोक को 'तिर्यक्लोक' कहा गया है वियोकि इस लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र परस्पर एक-दूसरे को घरे हुए तिर्यक्ष्प (आजूबाजू-तिरछे) से (स्वयम्भूरमण समुद्र तक) अव-स्थित हैं तथा इसका आकार खड़े किए गए मृदंग के अर्थभाग सदृश है। इतने विशाल क्षेत्र में से केवल ढाई-द्वीपों में ही मानव का निवास माना गया है। ढाई-द्वीप को 'समयक्षेत्रिक' कहा गया

अज्जुणसुवण्णगमई सा पुढवी निम्मला सह।वेणं । उत्तराषगच्छतगसंठिया य भणिया जिणवरीहि ॥ संसंककुंदसंकासा पंडुरा निम्मला सुहा । सीयाए जीयणे तत्ती लोयंतो उ वियाहिओ ॥ जोयणस्स उ जो तत्य कोसो उवरम्मि भवे । तस्स कोसस्स छक्ष्माए सिद्धणोगाहणा भवे ॥

—उ. ३६. ४७-६२. तथा देखिए—डा॰ जै० , पृ० २४६.

अलोए पडिहया सिद्धा लोयग्गे य पइट्ठिया ।

**--** उ. ३६. ४६.

- २. देखिए-प० ५५, पा० टि० २.
- ३. तत्वसमुच्चय, पृ० ६७. तथा वृत्त-चित्र १-२.
- ४. प्राङ् मानुषोत्तरान्मनुष्याः । —त० सू० ३.३४.
- ५. समय-क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ समय, आवितिका, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि का कालिविभाग परिज्ञात होता है। समय-क्षेत्र का दूसरा नाम मनुष्य-क्षेत्र भी है क्योंकि जन्मत: मनुष्य केवल समय-क्षेत्र (ढाई द्वीप) में ही पाए जाते हैं। समय-क्षेत्र के बाहर काल-विभाग नहीं होता है क्योंकि मनुष्य-क्षेत्र में विद्यमान सूर्य-चन्द्रमा ही अपनी गति द्वारा समय, मास आदि का विभाजन करते हैं। मनुष्य-क्षेत्र के बाहर यद्यपि असंख्यात सूर्य और चन्द्रमा है परन्तु वे गतिशील

है। उन ढाई-द्वीपों के नाम हैं—जम्बूद्वीप, धातकीखंडद्वीप और आधा पुष्करद्वीप (पुष्करार्ध)। इन ढाई द्वीपों की रचना एक समान है; अन्तर केवल इतना है कि इनका क्षेत्र क्रमणः दुगुना-दुगुना होता गया है। पुष्कर-द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत आ जाने के कारण पुष्करद्वीप आधा लिया गया है। अतः इसका क्षेत्र-फल धातकीखण्ड द्वीप के ही बराबर है। जम्बू-द्वीप में ७ प्रमुख क्षेत्र हैं—भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। विदेह-क्षेत्र में दो अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके नाम हैं—देवकुर और उत्तरकुर। धातकीखंड और पुष्करार्ध-द्वीप में इन सभी क्षेत्रों की दुगुनी-दुगुनी संख्या है। ये सभी क्षेत्र कर्मभूमि, अकर्मभूमि और अन्तरद्वीप के भेद से तीन भागों में विभाजित हैं।

नहीं हैं। अत: व्यवहार-काल का विभाग मनुष्यक्षेत्र तक ही सीमित होने से मनुष्य-क्षेत्र को समय-क्षेत्र कहा जाता है।

-देखिए-उत्तरज्झयणाणि (आ० तुलसी), भाग-२, पृ०३१६.

१. समए समयखेत्तिए।

---- उ० ३६.७

२. इन क्षेत्रों में जम्बूद्धाए जी याली के आकार का है सबके बीचों-बीच है। इसके चारों और लवणसमुद्र है। इसके बाद चुड़ी के आकार में घातकीखण्डद्वीप लवणसमुद्र के चारों ओर स्थित है। इसके बाद घातकीखण्डद्वीप के चारों ओर कालोदधिसमुद्र है। इसके बाद कालोदिधिसमुद्र के चारों ओर पुष्करद्वीप है। इसीप्रकार आगे भी समुद्र और द्वीप के कम से स्वयम्भूरमण समुद्र तक रचना है। —देखिए—वत्त-चित्र २.

३. भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवर्तरावतवर्षाः क्षेत्राणि ।
--त०स्० ३.१०.

४. कम्मअकम्मभूमा य अंतरहीवया तहा ।

—उ० ३**६. १६**४.

पन्नरसतीसविहा भेगा अट्टवीसइं। संखाउकमसो तेसि इइ एसा वियाहिया।।

—ड० ३६.१६६.

(क) कर्मभूमि—जहाँ पर मनुष्य कृषि, वाणिज्य, शिल्पकला आदि के द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं अर्थात् जहाँ बिना कर्म किए जीवन-यापन संभव न हो उसे 'कर्मभूमि' कहते हैं। यहाँ का जीव ही सबसे बड़ा पाप-कर्म और सबसे बड़ा पुण्य-कर्म कर सकता है। इसकी सीमा में भरत, ऐरावत तथा महाविदेह (विदेह का वह भाग जो देवुकुर और उत्तरकुर क्षेत्र से रहित है) ये तीन क्षेत्र आते हैं। ये तीन क्षेत्र ही ढाई-द्वीपों में १५ क्षेत्रों की संख्या पूर्ण कर लेते हैं। जैसे—जम्बूद्वीप में एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविदेह हैं। धातकीखंड द्वीप में दो भरत, दो ऐरावत और दो महाविदेह हैं। धातकीखंड द्वीप में दो भरत, दो ऐरावत तथा दो महाविदेह हैं। इस तरह ढाई-द्वीपों में कर्मभूमि के कुल मिलाकर १५ क्षेत्र हैं। अज का विज्ञान जितने भू-खण्ड की खोज कर सका है वह सब कर्मभूमि के जम्बूद्वीप स्थित भरतक्षेत्र का बहुत छोटा-सा भाग है। इससे इस पूरे मध्यलोक तथा तीनों लोकों के विस्तार का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है।

(स) अकर्मभूमि (भोगभूमि) — जहाँ कृषि आदि कर्म किए बिना ही भोगोपभोग की सामग्री उपलब्ध हो जाती है और जीवन-यापन करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है उसे 'अकर्मभूमि' कहते हैं। यहाँ पर भोगोपभोग की सामग्री इच्छा करने मात्र से उपलब्ध हो जाती है जिससे लोग भोगों में लीन रहते हैं। इसीलिए इसे भोगभूमि' भी कहते हैं। अआदिकाल का जो प्राकृतिक-साम्यवाद इतिहास में मिलता है प्रायः उसी तरह का सुविकसित-इप भोगभूमि के विषय में मिलता है। अविशब्द कर्मभूमि के सुखसदृश यहाँ सुख की ही प्रधानता है। अविशब्द कर्मभूमि के १५ क्षेत्र छोड़कर) ३० क्षेत्रों में भोगभूमियाँ मानी

[.]१. भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ।

[—]त• सू० **३.३७.** 

२. बही, तथा उ० ३६.१६६ (आत्माराम-टीका)

३. वहीं।

गई हैं। जैसे - जम्बूद्वीप में एक हैमवत, एक हरि, एक रम्यक, एक हैरण्यवत, एक देवकुर और एक उत्तरकुर - ये ६ क्षेत्र हैं। इसी तरह धातकी खण्डद्वीप और पुष्करार्धद्वीप में हैमवतादि प्रत्येक के २-२ क्षेत्र होने से दोनों द्वीपों के १२-१२ क्षेत्र हैं। इस तरह कुल मिलाकर अकर्मभूमि के ३० क्षेत्र माने गए हैं।

(ग) अन्तरद्वीप-कर्मभूमि और अकर्मभूमि के प्रदेश के अतिरिक्त जो समुद्र के मध्यवर्ती द्वीप बच जाते हैं उन्हें 'अन्तरद्वीप' कहते हैं। इसके २८ क्षेत्रों यो भी मनुष्यों का निवास माना गया है।

इस तरह इस मध्यलोक के इतना विशाल होने पर भी तीनों लोकों के क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल शून्य के बराबर है।

### अधोलोक:

यह मध्यलोक से नीचे का प्रदेश है। इसमें क्रमशः नीचे-नीचे सात पृथिवियां हैं जो क्रमशः सात नरकों के नाम से प्रसिद्ध हैं।

२. जम्बूद्वीप के चारों ओर फैले हुए लवणसमुद्र में हिमवान् पर्वतसम्बन्धी २८ अन्तरद्वीप हैं। ये अन्तरद्वीप सात चतुष्कों में विद्यमान हैं। इनके कमशः नाम ये हैं:

प्रथम चतुष्क—एकोहक, आभाषिक, लाङ्ग्लिक और वैषाणिक ।
द्वितीय चतुष्क—हयकर्ण, गजकर्ण, गोकर्ण और शष्कुलीकर्ण ।
तृतीय चतुष्क—आदर्शमुख, मेवमुख, हयमुख और गजमुख ।
चतुर्थ चतुष्क—अश्वमुख, हस्तिमुख, सिहमुख और व्याध्मुख ।
पंचम चतुष्क—अश्वकर्ण, सिहकर्ण, गजकर्ण और कर्णशावरण ।
पष्ठ चतुष्क—उत्कामुख, विद्युन्मुख, जिह्नामुख और मेघमुख ।
सप्तम चतुष्क—घनदन्त, गूढ्दन्त, श्रेष्ठदन्त और शुद्धदन्त ।

इसी प्रकार से शिखरणीपर्वत सम्बन्धी भी २८ अन्तरद्वीप हैं। इस तरह कुल मिलाकर ५६ अन्तरद्वीप होते हैं। परन्तु दोनों को अभिन्न मानकर ग्रन्थ में अन्तरद्वीपों के २८ अवान्तरद्वीप गिनाए हैं। —देखिए—३६.१६६. (आत्माराम-टीका, पृ० १७५६-१७६०; घासीलाल-टीका, भाग-४ पृ० १०५-१०७)

१. वही ।

इनमें मुख्यतया नारकी जीवों का निवास है। उनके क्रमशः नाम ये हैं— रत्नप्रभा, अर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा तथा महातमःप्रभा। इनके साथ जो 'प्रभा' (कान्ति) शब्द जुड़ा हुआ है वह उनके रंग को अभिव्यक्त करता है।

इस तरह इस लोक-रचना के तीन प्रमुख भागों में से ऊर्घ्यलोक के सबसे ऊपरी-भाग में मुक्त आत्माओं का निवास है। उसके नीचे 'सिद्धशिला' नामकी पृथिवी है तथा उसके नीचे देवताओं के आकाश-गामी विमान हैं। उसके नीचे मध्यलोक में मुख्यरूप से मानवजगत् है। इसके बाद सबसे नीचे अधोलोक में नरकसम्बन्धी सात पृथिवियां हैं जिनमें मुख्यरूप से नारकी जीव रहते हैं। इस लोक की सीमा के चारों ओर अनन्त-सीमारहित अलोकाकाश है। यह लोक-रचना इतनी विशाल एवं जटिल है कि आज का विशान इसके बहुत ही सूक्ष्म-अंश को जान सका है।

### षट-द्रग्य

सम्पूर्ण लोक में सामान्य तौर से दो ही तत्त्व पाए जाते हैं: चेतन और अचेतन। ग्रन्थ में इनके कमशः नाम हैं—जीव-द्रव्य और अजीव-द्रव्य। इन दो द्रव्यों के संयोग और वियोग से ही इस नाना प्रकार की सृष्टि का आविर्माव एवं तिरोभाव होता है। यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये दोनों द्रव्य जिन्हें तत्त्व शब्द से भी कहा गया है, सांख्य-दर्शन के पुरुष (चेतन) और

—उ० ३६. १४६-१४७.

विशेष — लोक में कुल आठ पृथिवियां हैं जिनमें से सात अधोलोक में हैं और एक सिद्धिशाला नाम की उर्ध्वलोक में है। मध्यलोक में जो पृथिवी है वह अधोलोक की रत्नप्रभा नाम की प्रथम पृथिवी की ऊपरी सतह हैं।

२. देखिए-पृ० ४४, पा० टि० १.

१. नेरहया सत्तिविहा पुढवीसू सत्तसू भवे ।
 रथणामसक्कराभा बालुयाभा य आहिया ।।
 पंकामा घूमाभा तमा तमतमा तहा ।

प्रकृति (अचेतन) की तरह एकरूप नहीं हैं। यद्यपि चेतन-तत्त्व सांख्य के पुरुष की तरह अनेक हैं परन्तु उनके स्वरूप में भिन्नता है । इसी तरह अचेतन-तत्त्व भी अनेक हैं । वे सांख्य की प्रकृति की तरह एकरूप नहीं हैं अपितु मुख्यरूप से पांच स्वतन्त्र तत्त्वों वाले हैं। उन पांच अचेतन तत्त्वों के नाम हैं-गतिद्रव्य (धर्मद्रव्य), स्थितिद्रव्य (अधर्मद्रव्य), समयद्रव्य (काल), प्रदेशद्रव्य (आकाश) और रूपोद्रब्य (पुद्गल)। ऐसा नहीं है कि किसी एक अवेतन-तत्त्व से इन पांचों का आविभाव हुआ हो। अपितु ये पांचों ही द्रव्य अपने आप में पूर्ण स्वतन्त्र हैं। चेतन और अचेतन गुण के सदभाव और असद्भाव के आधार पर ही लोक के समस्त द्रव्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अतः मुख्यरूप से चेतन और अचेतन ऐसे दो मूल-तत्त्व मानने के कारण सांख्य की तरह द्वैतवाद नहीं कहा जा सकता है। दो से अधिक मूल-तत्त्वों की सत्तास्वीकार करने से बहुत्ववाद ही कहा जा सकता है। जिस तरह चेतन गुण के सद्भाव और असद्भाव के आधार से द्रव्यों के दो भेद संभव हैं उसी प्रकार रूपादिगुण के सद्भाव और असद्भाव से, बहुप्रदेशत्व (अस्तिकाय) और एक-प्रदेशत्व (एक-प्रदेशवर्ती-अनस्तिकाय) के आधार से, लोक-प्रमाणत्व और लोकालोक-प्रमाणस्य के आधार से, एकत्वसंख्या-विशिष्टत्व और बहुत्व-संस्या-विशिष्टत्व आदि के आधार से और भी अन्य अनेक दैतात्मक भेद संभव हैं। इनका आगे यथा-प्रसंग वर्णन किया जाएगा। परन्तु इस प्रकार का द्वैतात्मक-विभाजन ग्रन्थ में अभिप्रेत नहीं है क्योंकि इससे चेतन-तत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता में बहुत बड़ा आघात पहुंचता है और जबिक अचेतन-तत्त्व से चेतन-तत्त्व की स्वतन्त्र सत्तासिद्ध करना ग्रन्थका मुख्य उद्देश्य है। अतः इस प्रकार का द्वैतात्मक-विभाजन संभव होने पर भी लोका-लोक में पाए जाने वाले सभी द्रव्यों को मुख्यरूप से छः स्वतन्त्र भागों में विभक्त किया गया है। इन छः द्रव्यों के स्वतन्त्र भेदों

धम्मो अधम्मो आगासं कालो पुग्गल-जन्तवो ।
 एस लोगो ति पन्नत्तो जिणेहि बरदंसिहि ।।
 —उ॰ २८.७.

में चेतन जीव-द्रव्य के अतिरिक्त अचेतन-द्रव्य-सम्बन्धी पांच स्वतन्त्र द्रव्यों को भी मिला लिया गया है। इस तरह छः द्रव्यों के नाम ये हैं—१. चेतन—जीव, २. रूपी-अचेतन—पुद्गल, ३. गति-हेतु—धर्म, ४. स्थिति-हेतु—अधर्म, ५. समय—काल और ६. प्रदेश (अव-काश)—आकाश।

यद्यपि इन छः द्रव्यों में से जीव, पुद्गल और काल द्रव्य के अन्य अवान्तर अनेक स्वतन्त्र भेद हैं परन्तु उन्हें सामान्यगुण की अपेक्षा से एक में अन्तर्भाव करके छः ही स्वतन्त्र द्रव्यों को गिनाया गया है। इन छः द्रव्यों के अतिरिक्त सम्पूर्ण लोक तथा अलोक में कोई अन्य स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। इन छः मूल द्रव्यों से ही इस सृष्टि का संचालन होता है। इनके अतिरिक्त ईश्वर आदि अन्य कोई संचालक तत्त्व नहीं है।

अल्प-विषय होने से पहले अचेतन-द्रव्य का वर्णन किया जाएगा ।

### अचेतृन द्रव्यः

अचेतन-द्रव्य से तात्पर्य है जिसमें जानने और देखने की शिक्त नहीं है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का है । १ जिसमें रूपादि का सद्भाव पाया जाता है वह 'रूपी' तथा २ जिसमें रूपादि का अभाव रहता है वह 'अरूपी'। जिसका कोई ठोस आकार-प्रकार आदि संभव है उसे रूपी या मूर्तिक कहते हैं तथा जिसका कोई ठोस आकार-प्रकार आदि संभव नहीं है उसे अरूपी या अमूर्तिक कहने हैं। इन दोनों प्रकारों में रूपी-द्रव्य का मुख्य रूप से एक ही भेद है जिसका नाम है—पुद्गल। अरूपी-अचेतन-द्रव्य के प्रमुख चार भेद हैं जिनके नाम ये हैं—धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस तरह कुल मिलाकर अचेतन-द्रव्य के प्रमुख पांच भेद हैं। इसके अति-


तया देखिए-उ०३६.२४६.

रु. रुविणो चेवरूवी य अजीवा दुविहा भवे । अरूवी दसहा वृत्ता रूविणौ य चउविवहा ।।
 ---उ० ३६.४.

#### ६४ ] उ

उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

रिक्त जो अन्य अवान्तर-भेद किए गए हैं वे सब इनके ही अवान्तर-रूप हैं। अचेतन-द्रव्य के अवान्तर भेद निम्नोक्त हैं:



अब क्रमशः इन द्रव्यों का विचार किया जाएगा।

# (क) रूपी अचेतन-द्रव्य (पुद्गल) ः

रूपी अचेतन-द्रव्य से तात्पर्य है – जिसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और आकार पाया जावे। जो मुना जा सके, खाया जा सके, तोड़ा जा सके, देखा जा सके वह सब रूपी अचेतन-द्रव्य है। इसका एक विशेष नाम दिया गया है – 'पुद्गल'। छः द्रव्यों में 'पुद्गल' ही एक मात्र ऐसा द्रव्य है जिसमें रूपादि गुण पाए जाते हैं।

### १. वही।

धम्मत्यिकाए तद्देसे तप्पएसे य आहिए। अहम्मो तस्स देसे य तप्पएसे य आहिए।। आगासे तस्स देसे य तप्पएसे य आहिए। अद्धासमए चेव अरूवी दसहा भवे।। —उ०३६.५—६.

खंघा य खंघदेसा य तप्पएसा तहेन य। परमाणुओ य बोद्धक्वा रूविणो य चउव्विहा ॥ —-उ० ३६.१०. रूपादि गुणों के भेद-प्रभेद और उनका परस्पर सम्बन्ध-पुद्गल द्रव्य में पाए जानेवाले रूपादि गुणों के प्रमुख पांच भेद हैं। इन पांचों भेदों के अन्य अवान्तर पच्चीस भेद निम्नोक्त हैं:

- १. रूप (वर्ष)—रूप या वर्ण से तात्पर्य है—द्रव्य में पाया जाने वाला 'रंग' जिसका बोध हमें अपनी आँखों से होता है। इसके मुख्य पाँच प्रकार इस प्रकार गिनाए हैं—काला (कृष्ण), नीला (नील), लाल (लोहित), पीला (पीत) और सफेद (शुक्ल)। इन प्रमुख ५ रंगों के अतिरिक्त जो अन्य रंग हमें दिखलाई पड़ते हैं वे इन्हीं के सम्मिश्रण से बनते हैं। अतः उनका पृथक् कथन न करके इन्हीं में अन्तर्भाव कर लिया गया है।
- २. रस-रस से तात्पर्य है-'स्वाद' जिसका बोध हमें अपनी जिह्ना इन्द्रिय से होता है। इसके भी प्रमुख पाँच प्रकार गिनाए हैं-चरपरा (तिक्त), कडुआ (कटुक), कसैला, खट्टा (अम्ल) और मीठा (मधुर)।
- ३: गन्ध-गन्ध से तात्पर्य है-नासिका इद्रिय द्वारा अनुभव की जानेवाली 'सुगन्ध या दुर्गन्ध'। इसके प्रमुख दो प्रकार हैं-सुगन्ध (जिससे आसक्ति बढ़े। जैसे-चन्दनादि से निकलनेवाली गन्ध) और दुर्गन्ध (जिससे घृणा पैदा हो। जैसे-लशुन आदि से निकलनेवाली गन्ध)। अमुक वस्तुएँ सुगन्धवाली हैं और अमुक वस्तुएँ दुर्गन्धवाली हैं ऐसा विभाजन संभव नहीं है क्योंकि इस विषय में अलग-अलग जीव की अलग-अलग अनुभूति है।

संठाणभो परिणया जे उपंचहाते पिकत्तिया। परिमंडलाय बट्टाय तंसाच उरंसमायया।।

---उ**० ३६. १६-**२१.

ं स्वायदर्शन में रूपादि के भेद-प्रभेद भिन्न प्रकार से गिनाए हैं। —देखिए-तर्कर्सग्रह, प्रत्यक्ष-परिच्छेद, पृ० ११-१२.

१. वण्णओ परिणया जे उपचहा ते पिकत्तिया। किण्हा नीलाय लोहिया, हालिहा सुक्किला तहा।

एक ही वस्तु किसी को सुगन्धित लग सकती है और किसी को दुर्गन्धित।

- ४. स्पर्श-स्पर्श से तात्पर्य है-हस्तादि के द्वारा छूने से होने वाला अनुभव। यह मुख्यरूप से आठ प्रकार का बतलाया गया है-कठोर (कर्कश), मुलायम (मृदु), वजनदार (गुरु), हल्का (लघ्), ठंडा (शीत), गरम (उष्ण), विकना (स्निग्घ) और ख्ला (रुक्ष)।
- ४. संस्थान—संस्थान से तात्पर्य है—आकृति या आकार (रचना)। इसका बोध हमें चक्षु इन्द्रिय एवं स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा होता है। इसके प्रमुख पाँच प्रकार हैं—गोलाकार (परि-मंडल—चूड़ी की तरह गोल), वृत्ताकार (गेंद की तरह वर्तुलाकार), त्रिकोणाकार (ज्यस्र), चतुष्कोण (चतुरस्र—चार कोनों वाला) और लम्बाकार (आयत)।

ह्वादि के इन पाँचों भेदों में परस्पर सम्बन्ध भी है। जिस द्रव्य में रूप के पाँच भेदों में से कोई एक रूप होगा उसमें रसादि के अवान्तर भेदों में से भी प्रत्येक का कोई न कोई भेद अवश्य होगा। कोई भी रूपी-द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई रस, स्पर्श, गन्ध और आकार न हो। अर्थात् जिसमें रूपादि में से कोई गुण प्रकटरूप से होगा उसमें अन्य रसादि सभी गुण भी किसी न किसी मात्रा में अवश्य रहेंगे क्योंकि जिसमें रूप हो उसमें रसादि गुण न हों, यह संभव नहीं है। अतः इन रूपादि गुणों के परस्पर सम्मिश्रण की स्थिति-विशेषके भेद से ग्रन्थ में इनके ४६२ भेद (भङ्ग) गिनाए हैं। जैसे -रूप के पाँचों भेदों का रसादि के बीस भेदों के साथ संयोग करने पर (५×२०) १०० भेद रूप-सम्बन्धी होते हैं। पाँच रस के भेदों का अन्य रूपादि के बीस

वण्णओ जे भवे किण्हे भइए से उगंधओ ।
 रसओ फासओ चेव भइए संठाणओवि य ।

जे आययसंठाणे भइए से उ वण्णजो । गंधओ रसक्षो चेव भइए फासओवि य ॥ —उ० ३६. २२-४६.

मेदों के साथ संयोग करने पर (५ × २०) १०० भेद रस-सम्बन्धी बनते हैं। गन्ध के दो भेदों का तदितर रूपादि के तेईस भेदों के साथ संयोग करने पर (२ × २३) ४६ भेद गन्धसम्बन्धी बनते हैं। स्पर्ध के आठ भेदों का तदितर रूपादि के सत्रह भेदों के साथ संयोग करने पर ( = × १७) १३६ भेद स्पर्ध-सम्बन्धी बनते हैं। संस्थान के पाँच भेदों का तदितर रूपादि के बीस भेदों के साथ संयोग करने पर (५ × २०) १०० भेद संस्थान-सम्बन्धी बनते हैं। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वजातीय का स्वजातीय के साथ संयोग नहीं होगा क्योंकि जो कृष्णवर्ण वाला होगा वह श्वेतवर्ण वाला नहीं होगा। ग्रन्थ में रूपादि के जो ये ४६२ भेद गिनाए हैं वे सामान्य अपेक्षा से गिनाए हैं अन्यथा रूपादि के तरतमभाव की अपेक्षा लेकर यदि उपर्युक्त प्रकार से भेदों की कल्पना की जाएगी तो रूपादि के अनेक भेद हो जाएँगे।

वायु आदि में रूपादि की सिद्धि—रूपादि के आपस के सम्बन्ध को देखने से पता चलता है कि जिसमें कोई भी रूप होगा उसमें कोई न कोई रस, गन्ध, स्पर्श और आकार भी अवश्य होगा। इसी तरह जिसमें कोई रस या गन्ध या स्पर्श या आकार होगा। इसी तरह जिसमें कोई रस या गन्ध या स्पर्श या आकार होगा। उसमें तदितर अन्य गुण भी किसी न किसी मात्रा में अवश्य होंगे। ऐसा कोई भी रूपीद्रव्य नहीं होगा जिसमें रूप तो हो परन्तु रस-गन्ध आदि न हों, या गन्ध तो हो किन्तु रूप-रस आदि न हों। यह संभव है कि अन्य रसादि गुणों की स्पष्ट प्रतीति न हो। अतः किसी पुद्गल विशेष में किसी गुण विशेष का सर्वथा अभाव नहीं है। इस तरह इस सिद्धांत से वैशेषिकों द्वारा परिकल्पित वायु का यह लक्षण कि 'जो रूपरहित

१. प्रज्ञापना-सूत्र की वृत्ति में स्पर्श के १६४ मेद (भङ्ग) गिनाए हैं। वह इस अ। धार पर कि कर्कण स्पर्शवाला ति इरोधी मृदुस्पर्श को छोड़कर अन्य स्वजातीय स्पर्शवाला भी हो सकता है। इसी प्रकार अन्य स्पर्शवाला भी तद्विरोधी स्पर्श को छोड़कर अन्य स्पर्शवाला हो सकते से स्पर्श के (२३ × ६) १६४ मेद संभव हैं।

^{—-}व॰ आ॰ टी॰, पृ॰ **१६५**५.

स्पर्भवाली वस्तु हो, वायु है । ठीक नहीं है क्योंकि वेशेषिकों ने वायु में स्पर्श को स्वीकार करके भी उसे रूप-रसादि से रहित माना है। अनुभव में आता है कि जब वायु किसी दीवाल आदि से अवरुद्ध हो जाती है तो उसका कोई न कोई ठोस आकार भी अवश्य होना चाहिए अन्यथा वायु को दीवाल आदि से रुकना नहीं चाहिए। बायू में जब कोई ठोस आकार है तो उसमें कोई न कोई रूप भी अवश्य होना चाहिए; भले ही वह हमें प्रत्यक्ष न हो । इस तर्क के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि चेतन आत्मा में भी रूपादि होना चाहिए क्योंकि वह भी कोई वस्तु है। आत्मा ऐसी ठोस वस्तु नहीं है जो किसी दोवाल आदि से रुके। वायु की ही तरह जलादि में भी रूपादि पाँचों गुणों का सद्भाव है क्योंकि पृथिवी आदि सभी द्रव्य जब रूपी-पृद्गल के विकार (पर्याय) हैं तो फिर उनमें रूपादि पाँचों गुण क्यों नहीं होंगे ? अतः जहाँ रूपादि में से कोई भी गूण प्रकट होगा वहां रसादि अन्य गुण भी किसी न किसी अंश में अवश्य होंगे। इस तरह जलादि में पाँचों गुणों का सद्भाव न मानने वाले वैशेषिकों की मान्यता का खण्डन हो जाता है।

पुद्गल का लक्षण—ग्रन्थ में पुद्गल का लक्षण करते हुए शब्द, अन्धकार, उद्योत (प्रकाश), प्रभा (कान्ति), छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श इन १० नामों को गिनाया है।

—तर्क संग्रह, पृ० ७.

वैशेषिकदर्शन की मान्यता है कि पृथिवी में रूप, रस, गन्व और स्पर्श ये चारों गुण पाए जाते हैं परन्तु जल में गन्ध का, तेज में गन्ध और रस का, वायु में रूप-रस और गन्ध का अभाव है। वेदान्तदर्शन के अनुसार ये सब ब्रह्म के ही विकार हैं। इनका उत्पत्तिकम है---आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी।

२. सहन्धयार-उज्जोओ पभा छाया तबो इ वा । वण्णरसगन्धकासा पुग्गलाणं तु लक्खणं ।।

**- 30 ₹=. १**₹.

१. रूपरहितस्पर्शवान्वायुः।

इसका तात्पर्य है कि शब्दादि सभी पुद्गल हैं। शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप ये सभी पुद्गल ही हैं यह बात सिद्ध करने के लिए ही पुद्गल के लक्षण में इन्हें गिनाया गया है: अन्यथा वर्णादि के कहने मात्र से पुद्गल का लक्षण हो सकता था। जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रकार ने किया है। यहाँ एक बात विचारणीय है कि पुद्गल के लक्षण में वर्णादि के उल्लेख के साथ संस्थान (आकार) को क्यों छोड़ दिया गया है ? जबकि रूपादि के भेदों में संस्थान को भी गिनाया गया है। तत्त्वार्थसूत्रकार ने भी पुद्गल के लक्षण में संस्थान का सन्निवेश नहीं किया है, जबकि पुद्गल की विभिन्न अवस्थाओं (पर्यायों) का उहलेख करते समय शब्दादि के साथ संस्थान का भी तत्त्वार्थसूत्रकार ने सन्नि-वेश किया है। ^२ इससे प्रतीत होता है कि पूद्गल के लक्षण में संस्थान भी गतार्थ है। क्योंकि जब किसी पुद्गल में रूपादि चार गुणों का सद्भाव होगा तो उसका कोई न कोई आकार भी अवश्य होगा। अतः ग्रन्थ में पुदगल के स्वभाव (परिणाम) का वृर्णन करते हुए उसे स्पष्टरूप से रूपादि पाँच गुणों से युक्त बतलाया है।3

शन्दादि में पुद्गलत्व की सिद्धि - वैशेषिकदर्शन में 'शब्द' को आकाश का गुण माना है। जबिक यहाँ पर शब्द को पुद्गल-द्रव्य की अवस्था विशेष (पर्याय) माना गया है। हम श्रवणेन्द्रिय से शब्द का ज्ञान करते हैं परन्तु उसमें न तो कोई रूप है, न रस

१. स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ।

<del>--त</del>० सू० ४. २३.

[ः] २. शब्दबन्धसीक्ष्म्यस्थीस्यसंस्थानभेदतमञ्ज्ञायातपोद्योतवन्तश्च ।

[—]त∘ सृ० ४. २४**.** 

वण्णको गंबको चेव रसको फासको तहा । संठाणको य विन्नेको परिणामो तेसि पंचहा ।।

[—]उ० ३६.१५.

४. शब्दगुणकमाकाशम् ।

[—]तर्कसंग्रह, पृ० **६**.े

और न गन्ध। शब्द का स्पर्शभी ऐसानहीं होता जिसे हम छुकर बता सकें कि इसमें कठोर या मृदु स्पर्श है। परन्तू कर्ण-इन्द्रिय से शब्द का सम्पर्कहोने पर उसका ज्ञान अवश्य होता है। हम शब्द को तालु आदि के प्रयत्न से उत्पन्न करते हैं और उसे रिकार्ड भी कर लेने हैं जिससे ज्ञात होता है कि उसका कोई आकार एवं स्पर्श भी अवश्य होना चाहिए। जब शब्द में आकार और स्पर्श है तो रूपादि अन्य गुण भी अवश्य होने चाहिए जिनका हमें प्रत्यक्ष-ज्ञान नहीं होता है। शब्द की तरह 'अन्धकार' भी प्रकाश का अभाव मात्र नहीं है अपितुवह भी रूपादि से युक्त होने के कारण पुद्गल की ही अवस्था विशेष (पर्याय) है। यदि 'अन्धकार' मात्र प्रकाश का अभाव होता तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होना च।हिए क्योंकि अभाव का कभी प्रत्यक्षात्मक अनुभव नहीं होता है। यद्यपि प्रकाश के आने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश के चले जाने पर अन्धकार छा जाता है। परन्तु इससे उलटा भी कहा जा सकता है कि अन्धकार के आने पर प्रकाश चला जाता है और अन्धकार के चले जाने पर प्रकाश आ जाता है। अतः अन्धकार अभाव-मात्र न होकर प्रकाश को तरह सत्तात्मक पुद्गल द्रव्य है। इसी तरह **'छाया', 'आतप', 'प्र**मा' और **'उद्योत'** आदि को भी पुद्गल-द्रव्य की पर्याय जानना चाहिए। विज्ञान इस तथ्य को स्वीकार करता है। इस तरह शब्द, अन्ध-कार आदि में रूपादि गुणों का सद्भाव होने से ये सभी पुद्गल-द्रव्यरूप ही हैं। इसके अतिरिक्त पृथिवी, जल, तेज (अग्नि) और वायु ये चारों भौतिक द्रव्य वैशेषिकों की तरह स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं अपितु ये सभी पुद्गल की ही विभिन्न अवस्था-विशेष (पर्याय) हैं। इसके अतिरिक्त राग-द्वेष के कारण मानव के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मभी पुद्गलरूप ही हैं। इसका आगे वर्णन किया जाएगा। इस तरह आधुनिक विज्ञान के मेटर और एनजीं सभी पुद्गलरूप ही हैं।

१. देखिए-मोक्षशास्त्र (४. २३-२४)-पं० फूलचन्द्र, पृ० २२६-२३६.

२. पंचास्तिकाय (गाथा ८२) में पुद्गल के समस्त-विषय का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा है—

पुद्गंल के भेद और उनका स्वरूप-ग्रन्थ में रूपी पुद्गल-द्रव्य के जिन चार भेदों का कथन किया गया है उनके नाम ये हैं: १. स्कन्ध (समुदाय), २. देश (स्कन्ध का कल्पित-भाग), ३. प्रदेश (स्कन्ध से मिला हुआ समूहात्मक द्रव्य का सबसे छोटा अवि-भाज्यांश) तथा ४. परमाणु (स्कन्ध से पृथक् सबसे छोटा अवि-भाज्य अंश )। रूपीद्रव्य का वह भाग जो कम-से-कम दो भागों में विभक्त किया जा सके 'स्कन्ध' (समूह-समुदाय) कहलाता है । दृष्टि-गोचर होने वाले सभी द्रव्य स्कन्ध-रूप ही हैं क्योंकि उन्हें दो या अधिक भागों में विभक्त किया जा सकता है। रूपी-द्रव्य का वह भाग जो दो भागों में विभक्त न किया जा सके ऐसा सबसे छोटा अंश (जो समूहात्मक द्रव्य से पृथक् हो) 'परमाणु' कहलाता है। जब परमाणु किसी समूहात्मक द्रव्य से सम्बद्ध हो जाता है तो उसे 'प्रदेश' कहते हैं। अर्थात् स्कन्ध के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं और उस सबसे छोटे अविभाज्य अंश के स्कन्च से पृथक् हो जाने पर उसे ही परमाणु कहते हैं। बड़े स्कन्ध के कल्पित भाग-विशेष को जो सबसे छोटा अंश न हो, देश' कहते हैं। इस तरह 'देश' और 'प्रदेश' इन दो भेदों के स्कन्धरूप होने से पुद्गल-द्रव्य के दो ही मुख्य भेद हैं: स्कन्ध और परमाणु। तत्त्वार्थसूत्रकार ने पुद्गल-द्रव्य के अणु और स्कन्ध के भेद से दो ही भेद किए हैं। र

उवभोज्जमिदिएहि य इंदिय काया मणो य कम्माणि । जंहवदि मुत्तमण्णं तं सब्वं पुरगक्षं जाणे ॥

१. देखिए-उ० आ० टी॰, पृ० १६३२. पंचास्तिकाय (गाया ७४-७५) में भी पुद्गल के इसी प्रकार चार भेद किए हैं। परन्तु वहाँ स्कन्ध के आधे भाग की 'देश' और स्कन्ध के चतुर्थांश की 'प्रदेशा' कहा है— संघाय खंघदेसा खंघपदेसाय होति परमाणू। इदि ते चदुव्वियप्पा पुगगलकाया मुणेयव्वा।। संघं सयलसमत्यं तस्स दु अखं भणित देसोत्ति। अद्धं च पदेशो परमाण् चेव अविभागी।।

२, अणवः स्कन्धाश्च ।

—त० सू० ५.२५.

परमाणु का यद्यपि चक्षु से प्रत्यक्ष-ज्ञान नहीं होता है फिर भी उसमें रूपादि का अभाव नहीं है। यदि उसमें रूपादि का अभाव मान लिया जाएगा तो उसमें पुद्गल का सामान्य-लक्षण ही घटित नहीं होगा तथा अनेक परमाणुओं के संयोग होने पर भी स्कन्ध में कभी भी रूपादि की प्रतीति नहीं होगी क्योंकि सर्वथा असत् से सत् कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। परमाणु के अतिसूक्ष्म होने के कारण हमें उसके रूपादि की प्रतीति नहीं होती है।

पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश (अतिसूक्ष्म स्थान) में और पुद्गल स्कन्ध आकाश के बहुत प्रदेश (अधिक स्थान) में ठहरता है। इस तरह सामान्यतौर से पुद्गल-स्कन्ध अधिक-स्थान (बहु-प्रदेश) को घरता है परन्तु कुछ स्कन्ध ऐसे भी हैं जो अपने गुण-विशेष के कारण एकप्रदेश में भी ठहर जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति की अपेक्षा से परमाणु के एकप्रदेशी होने पर भी शक्ति की अपेक्षा से उसमें भी बहुप्रदेशीपना माना गया है। अतः पुद्गल-द्रव्य की स्थित एक से अधिक प्रदेश में होने के कारण इसे जैनदर्शन में 'अस्तिकाय' कहते हैं। अस्तिकाय का अर्थ है—जो बहुत प्रदेश में ठहरे। धारा-प्रवाह की अपेक्षा से ये स्कन्ध और परमाणु

--- 30 \$ **६.११**.

अणवश्च महान्तश्च व्यक्तिशवितरूपाभ्यामिति परमाणूनामेकप्रदेशा-त्मकत्वेऽपि तत्सिद्धिः ।

-पंचास्तिकाय-तत्त्वदीपिका टीका, पृ० १३.

२. जीवा पुग्गलकाया घम्माघम्मा तहेव आयासं । अत्थितम्हि य णियदा अणग्णमइया अणुमहंता ।।

—पंचास्तिकाय, गाथा ४.

ते चेव अस्यिकाया'''''।

--पंचास्तिकाय, गाथा ६.

एगत्तेण पृहुत्तेण खंधा य परमाणु य ।
 लोएगदेसे लोए य भइयव्वा ते उ खेलको ।।

अनांदि-काल से वर्तमान हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे। इनका कभी अभाव न था, न है और न होगा। परन्तु अमुक स्थितिविशेष की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाणु का प्रारम्भकाल और अन्तकाल दोनों संभव हैं। अर्थात् स्थिति-विशेष की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाण में उत्पत्ति और विनाश दोनों होते हैं। इस उत्पत्ति और विनाश की एक सीमा जैसे भ्यदि कोई परमाणु या स्कन्ध किसी एक निश्चित स्थान पर ठहरते हैं तो वे अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) असंख्यात-काल (संख्यातीतवर्ष) तक और कम से कम (जघन्य) एक क्षण (समय) तक वहाँ रहेंगे। इस उत्कृष्ट अवधि के बाद वे किसी न किसी निमित्त को पाकर क्षेत्रान्तर में अवश्य चले जाएँगे। यदि कोई परमाण्या स्कन्ध किसी विवक्षित स्थान से स्थानान्तर में चला जाता है तो उसे पुनः उसी स्थान पर आने में कम-से-कम एक क्षण और अधिक से अधिक अनन्तकाल लग सकता है। मध्यम-सीमा का काल कम से कम (जघन्य) और अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) सीमा के बीच कोई भी हो सकता है।

इस तरह रूपादि गुण से युक्त जो भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सब पुद्गल-द्रश्य है। बौद्धदर्शन में भी पुद्गल शब्द का प्रयोग मिलता है परन्तु वहाँ पर इसका प्रयोग शारीरधारी-प्राणियों के लिए किया गया है।

१. एतो कालविभागं तु तेसि वुच्छं चउव्विहं ॥ संतई पट्प तेऽणाई अपज्जवसिया वि य । ित्रं पडुच्च साईया सपज्जवसिया वि य ॥ असंखकालमुक्कोसं इक्कं समयं जहन्नयं । अजीवाण य रूवीणं ित्रई एसा वियाहिया ॥ अणीतकालमुक्कोसं इक्कं समयं जहन्नयं । अजीवाण य रूवीणं अंतरेयं वियाहिया ॥

<del>-</del> उ० ३६, **११-**१४,

२. पालि-अंग्रेजी शब्दकोष, पवर्ग, पृष्ट ६५.

## (ख) अरूपी अचेतन-द्रव्य (धर्म-अधर्म-आकाश-काल) :

रूपादि से रहित अचेतन-द्रव्य मुख्यतः चार प्रकार का है और अवान्तर भेदों के साथ १० प्रकार का बतलाया गया है। इसके अवान्तर भेद काल्पनिक हैं। इसके प्रमुख चार भेदों के नाम ये हैं--धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य । धर्मद्रव्य, अधर्म-द्रव्य और आकाशद्रव्य के बहुप्रदेशी होने के कारण इन्हें पूदगल की तरह स्कन्ध, देश और प्रदेश के भेद से तीन-तीन प्रकार का बत-लाया गया है। इनके एक अखण्डरूप द्रव्य होने के कारण इनका परमाणुरूप चौथा भेद नहीं किया गया है। कालद्रव्य के परमाण-रूप ही होने के कारण उसका कोई अन्य अवान्तर भेद नहीं किया गया है क्योंकि बहुप्रदेशी द्रव्य में ही स्कन्ध, देश और प्रदेश ये अवान्तर भेद बन सकते हैं। धर्मादि द्रव्यों के परमाण्रूप न होने और बहुप्रदेशी (अस्तिकाय) होने से ग्रन्थ में धर्मादि द्रव्यों को संस्थाकी अपेक्षा एक-एक अखण्ड-द्रव्य बतलाया है। काल-द्रव्य के परमाणुरूप होने तथा एकप्रदेशी (अनस्तिकाय) होने से उसे अनेक संख्यावाला बतलाया है। इसीलिए तत्त्वार्थसूत्रकार ने भी कालद्रव्य को छोड़कर शेष धर्मादि तीन अचेतन द्रव्यों को बहप्रदेशी (अस्तिकाय) तथा निष्क्रिय कहा है।

ये चारों ही द्रव्य अरूपी होने से भावात्मक तथा शक्तिरूप हैं। इन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। इनके कायों से इनकी

आ आकाशादेक द्वव्याणि । निष्क्रियाणि च । —त० सू ५. ६-७.

१. धम्मो अधम्मो आगासं दब्बं इक्किक्कमाहियं। अणंताणि य दब्बाणि कालो पुग्गलजंतवो।। — उ० २८. ८.

२. अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः। — त० सू० ५. १.

सत्ता की केवल कल्पना कर सकते हैं। इन चारों द्रव्यों का न तो कभी विनाश होता है और न उत्पत्ति। अतः इन्हें सन्तित-प्रवाह की अपेक्षा अनादि-अनन्त स्वीकार किया गया है। अपेक्षा-विशेष की दृष्टि से इनमें सादि-सान्तता (उत्पत्ति-विनाग भी है। यद्यपि प्रन्थ में सिर्फ काल-द्रव्य के विषय में सादि-प्रान्तता का कथन है परन्तु उपाधि की अपेक्षा धर्मादि द्रव्यों में भी सादि-सान्तता अभीष्ट है। धर्म और अधर्म द्रव्य का स्थिति-क्षेत्र लोक की सीमा-प्रमाण (असंख्यात-प्रदेशी) माना है। आकाश-द्रव्य के लोक और अलोक में वर्तमान होने से उसे लोकालोक-प्रमाण (अनन्त प्रदेशी) माना है। मनुष्य-लोक में ही घड़ी, घंटा आदि रूप से काल की गणना की जाने के कारण काल-द्रव्य को ढाई-द्वीपप्रमाण (समयक्षेत्रिक) कहा है। अन्यथा अन्य द्रव्यों की तरह यह भी लोक-प्रमाण ही है। क्योंकि ऐसा न मानने पर ढाई-द्वीप के बाहर कालद्रव्यकृत परिवर्तन कैसे संभव हो सकेगा? अतः अन्यत्र जैन-प्रन्थों में काल-द्रव्य को भी लोक-

—उ० ३६<u>.</u>८-६.

३. धन्माधनमे य दो चेव लोगमित्ता वियाहिए। लोगालोगे य आगासे समए समयक्षेत्तिए।।
---उ० ३६.७.

समयावितकापक्षमासर्त्वयनसञ्जिताः । नृलोक एव कालस्य वृत्तिर्नान्यत्र कुत्रचित् ॥ —उद्धृत उ० घा० टी०, भाग-५, पृ० ६९४.

तया देखिए-पृ० ५७, पा० टि० ५.

४. देखिए-पृ० ४४, पा० टि० १.

१. चम्माधम्मागासा तिन्ति वि एए अणाइया । अपज्जवसिया चेव सञ्चद्धं तु वियाहिया ।। समए वि संतइ पण एवमेव वियाहिए । आएसं पण्प सईए सपज्जवसिए वि य ।।

२. वही ।

प्रमाण माना है। १ इन धर्मादि अरूपी अचेतन द्रव्यों का स्वरूप इस प्रकार है:

- १. धर्मद्रव्य—यहाँ पर धर्मद्रव्य से तात्पर्य पुण्य से नहीं है अपितु गित में सहायता देने वाले द्रव्य-विशेष से है। अतः ग्रन्थ में गित को धर्म का लक्षण बतलाया है। धर्मद्रव्य गितमान् चेतन और पुद्गल का मात्र गित में सहायक कारण है, प्रेरक कारण नहीं है। वास्तव में गित चेतन और पुद्गल में ही है। इसे हम रेल की पटरी की तरह गित का माध्यम कह सकते हैं। यह लोकाकाण-प्रमाण एक अखण्ड-द्रव्य होने से स्वतः निष्क्रिय है। लोक की सीमा के बाहर चेतन और पुद्गल का गमन नहीं सके अतः इसे लोक की सीमा-प्रमाण माना गया है। अलोक में इस प्रकार के गित के माध्यम का अभाव होने से वहाँ जीवादि की गित का निरोध हो जाता है।
- २. अधमंद्रध्य धर्मद्रव्य की तरह यह भी पापरूप अधमं अर्थ का वाचक नहीं है अपितु इसके द्वारा चेतन और पुद्गल जो क्रिया- शील द्रव्य हैं उनके ठहरने में सहायता मिलती है। अतः स्थिति को अधमं का लक्षण बतलाया है। अर्थात् ठहरनेवाले द्रव्यों (जीव-पुद्गल) के ठहरने में सहायता करना इसका कार्य है। इस तरह यह धर्मद्रव्य से ठीक विपरीत द्रव्य है। धर्मद्रव्य गमन में सहायक है तो अधर्मद्रव्य ठहरने में सहायक है। शेष सभी लक्षण धर्मद्रव्य की तरह हैं।

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य के मानने का मूल कारण है सृष्टि के नियन्ता ईश्वर को न मानना तथा वस्तु-व्यवस्था के साथ लोका-

१. भा० सं॰ जै॰, पृ॰ २२२,

२. गइलक्खणो उधम्मो।

⁻⁻⁻ उ० २५.६.

३. पंचास्तिकाय, गाथा ६३, ६४; कै० जै०, पृ० ६३.

४. अहम्मो ठाणलक्खणो।

**⁻⁻**∃० २**५.**€.

लोक का विभाजन सुनियोजित बनाए रखना। प्रेरक कारण न मानकर सहायक कारण मात्र मानने का कारण है पूर्ण व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को कायम रखना तथा द्रव्यों में परस्पर संघर्ष न होना। विश्व में जो हलनचलनरूप क्रिया देखते हैं उन सब में धर्मद्रव्य कार्य करता है और जो हलन-चलन की किया से रहित हैं उन सबमें अधर्मद्रव्य कार्य करता है। दोनों के अचेतन एवं स्वतः निष्क्रिय होने के साथ गति-स्थिति में सहायक कारण मात्र होने से आपस में झगड़े का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। झगड़ा सिकय-द्रव्य में ही संभव है, निष्किय में नहीं। यहाँ एक बात और विचारणीय है कि गति और स्थिति में सहायक इन दो द्रव्यों के क्रमशः नाम धर्म और अधर्म क्यों रखे गए जबकि धर्म और अधर्म शब्द का प्रयोग सर्वत्र क्रमशः पृष्यरूप और पापरूप कार्यों के अर्थ में प्रच-लित था। इसके अतिरिक्त प्रकृत ग्रन्थ में भी धर्म और अधर्म शब्द का प्रयोग क्रमशः अच्छे और खराब कार्यों के अर्थ में किया गया है। अतः मालूम पड़ता है इसके मूल में घार्मिक भावना कार्य करती है। वह यह कि अधर्म (बुरे कार्य) करने-वाला संसार में पड़ा रहता है और धर्म (शुभ कार्य) करनेवाला स्वर्गया मुक्ति के लिए ऊपर गमन करता है। इसीलिए धर्मको गति का और अधर्म को (संसार में स्थित रहने से) स्थिति का सहायक कारण मानकर उनके नाम क्रमश: गति और स्थिति न रखकर धर्म और अधर्म नाम रखे गए हैं।

३ आकाशद्रव्य - द्रव्यों के ठहरने के लिए स्थान (अवकाश) देना आकाश का कार्य है। यह सभी द्रव्यों का आधारभूत भाजन (पात्र-विशेष) है। चेतन और अचेतन द्रव्यों के ठहरने के लिए किसी आधार विशेष की कल्पना आवश्यक थी क्योंकि विना आधार के ये द्रव्य कहाँ ठहरते? इसके लिए जिस द्रव्य की कल्पना की गई उसका नाम है—आकाश। आकाश कोई ठोस द्रव्य नहीं है अपितु खाली स्थान ही आकाश है। जहाँ हम उठते

[.]१. उ० २०. ३८; ७.१४-२१.

२. भायणं सन्वदन्वाणं नहं ओगाहलक्सणं। — उ० २८.६.

हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, सर्वत्र आकाश है । अलोक में भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ आकाश न हो । ऐसे द्रव्य की सत्ता स्वीकार कर लेने से द्रव्य अनाधार नहीं रहते हैं अन्यथा आघार के विना आधेय कहाँ रहेंगे ? सर्वशक्तिसम्पन्न ईश्वर-द्रव्य को स्वीकार कर लेने पर ऐसे द्रव्य की कल्पना निरर्थक थी। यद्यपि बौद्ध, वैशेषिक. सांख्य और वेदान्त दर्श्वनों में भी आकाण-द्रव्य माना गया है परन्तु प्रकृत ग्रन्थ में स्वीकृत आकाश-द्रव्य से वहां भिन्नता है। बौद्धदर्शन में आकाश का स्वरूप आवरणाभाव माना है तथा उसे असंस्कृत-धर्मों (जिनमें उत्पाद-विनाश नहीं होता) में गिनाया है। परन्त् उत्तराध्ययन में आकाश को अभावात्मक स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आकाश को असंस्कृत-घर्म भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें उत्पाद विनाश और स्थिरतारूप द्रव्य का सामान्य लक्षण पाया जाता है। द्रव्य के इस स्वरूप का आगे विचार किया जाएगा । वैशेषिकदर्शन में आकाश को यद्यपि एक स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है परन्तु वहाँ शब्द-गुण के जनक को आकाश कहा गया है। इसके अतिरिक्त 'दिशा' को आकाश से पृथक् माना गया है। उत्तराघ्ययन में 'दिशा' को आकाश से पृथक् नहीं माना गया है क्योंकि आकाश के प्रदेशों में ही दिशाकी कल्पना की जाती है। इसके अतिरिक्त आकाश शब्द-गुण का जनक नहीं हो सकता है क्योंकि शब्द मूर्तिक पुद्गल विशेष है और आकाश अमूर्तिक द्रव्य है। अमूर्तिक द्रव्य मूर्तिक का जनक कैसे हो सकता है ? इसी प्रकार प्रकृति (अचेतन) का विकार या ब्रह्म का विवर्त भी आकाश नहीं हो स**क**ता है ³ क्योंकि आकाश एक स्वतन्त्र द्रव्य है।

१. बौ० द०, पृ० २३६.

[—] तर्क सं॰, पृ० २,६.

• आकाश को वेदान्तदर्शन में ब्रह्म का विवर्त तथा सांख्यदर्शन में प्रकृति

का विकार माना गया है।

— देखिए-वेदान्तसार, पृ० ३२; सां० का०, प्रलोक ३.

यद्यपि धर्मद्रव्य की तरह आकाश के भी स्कन्ध, देश और प्रदेश ये तीन भेद किए गए हैं परन्तु प्रकृत-ग्रन्थ में अन्य प्रकार से भी दो भेद मिलते हैं। उनके नाम हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश से तात्पर्य है—आकाश के जितने भाग में धर्मादि द्रव्यों की सत्ता है, वह प्रदेश। अलोकाकाश से तात्पर्य है— जहाँ धर्मादि द्रव्यों की सत्ता नहीं है (अलोक)—मात्र आकाश ही आकाश है, वह प्रदेश। इस तरह आकाश का यह द्विविध विभाजन लोक की सीमा के आधार पर किया गया है। आकाश के उपर्युक्त सभी भेद काल्पनिक या उपाधिजन्य हैं क्योंकि इस प्रकार से आकाश के घटाकाश, मठाकाश आदि अनेक भेद हो सकते हैं। वास्तव में आकाश भी धर्मादि-द्रव्य की तरह एक अखण्ड अस्तिकाय-द्रव्य है जिसे पुद्गल की तरह तोड़कर दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। व

अलोक में धर्माद द्रव्यों का अभाव होने से अलोकाकाश में आश्रय प्रदानरूप आकाश के सामान्य लक्षण का अभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आकाश अलोक में भी आश्रय देने को तैयार है। यदि कोई द्रव्य किसी कारण गश वहाँ आश्रय प्राप्त करने के लिए नहीं जाता है तो इसमें आकाश का क्या दोष है? वास्तव में धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रतिबन्धक होने से ही अलोकाकाश में अन्य द्रव्यों की सत्ता नहीं है। सीमारहित होने के कारण आकाश को अनंत माना गया है। अध्निक दर्शनशास्त्र में धर्म, अधर्म और आकाश इन तीनों द्रव्यों की शक्तियाँ आकाश में ही मानी जाती हैं।

तया देखिए-पृ० ५५, पा० टि॰ १.

- भा० द० रा०, पृ० ३१६.

१. देखिए-पृ॰ ५५, ना० टि० १; पृ० ७५, पा० टि० ३.

२. देखिए--पूर ७४, पाठ टिठ १; पूरु ४५ पार टिर १.

इच्छा हु आगाससमा अणितया ।
 —उ० ६.४८.

These three functions of subsistence, motion and rest are assigned to space in modern philosophy.

### ५० ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

४. कालद्रव्य-द्रव्यों में होनेवाले परिवर्तन से जो समय की गणना की जाती है उसे 'वर्तना' कहते हैं और वर्तना (वस्तुमात्र के परिवर्तन में कारण होना) काल का लक्षण है। सब द्रव्यों के परिवर्तन (परिणमन) में कारण कालद्रव्य ही है। जैन साहित्य में काल के दो भेद किए गए हैं—१. निश्चयकाल और २. व्यवहारकाल । र ग्रन्थ में काल को जो ढाई-द्वीपप्रमाण (समय-क्षेत्रिक) कहा गया है वह व्यवहारकाल की दृष्टि से कहा गया है क्योंकि परिवर्तन तो सब क्षेत्रों में प्रतिसमय होता रहता है और उसकी (निश्चयकाल की ) द्रव्यात्मक सत्ता समस्त लोक में व्याप्त है। ग्रन्थ में व्यवहारकाल की ही दृष्टि से काल को 'अद्धासमय' 3 भी कहा गया है। काल के जितने भी भेद संभव हैं वे सब व्यवहार की दृष्टि से ही संभव हैं क्योंकि कालके परमाणुरूप होने से ग्रन्थ में अनंत संख्यावाले काल का एक ही भेद गिनाया है। बौद्ध और वैशेषिक-दर्शन में भी काल का ब्यवहार होता है। बौद्धदर्शन में काल स्वभावसिद्ध द्रव्य नहीं है। वह मात्र व्याव-हारिक काल है। वैशेषिकदर्शन में काल व्यापक और एक

कालशब्दो हि वर्णप्रमाणकालादिष्वपि वर्तते, ततोऽद्धाशब्देन विशिष्यत इति, अयं च सूर्यक्रियाविशिष्टो मनुष्यक्षेत्रान्तवंतीं समयादिरूपीऽवसेयः।
— स्थानाङ्ग-सूत्र (४.१.२६४) वृत्ति, पत्र १६० (उद्धृत—उत्तरज्ञय-णाणि माग २, आ० तुलसी, पृ० ३१५, पा० टि० १. तथा देखिए-पृ० ७५ पा० टि० ३.

१. बत्तणालक्खणोकालो।

[—]उ० २८,१०**.** 

२. भाव सं• जैव, पृव २२२; तब सूव ५.३६-४० (सर्वार्थसिद्धि टीका)।

३. यह देशज शब्द है। इसका अर्थ है-सूर्य आदि की किया (परिभ्रमण) से अभिव्यक्त होनेवाला समय।

⁻⁻ पाइअसद्मंहण्यवो, पृ० ५२.

४. देखिए-- १० ६४, पा॰ टि॰ १.

५. सो पनेस सभावतो अविज्जमानत्ता पञ्जतिमत्तको एवा ति वेदितव्यो । —अट्ठशालिनी १.३.१६.

है। परन्तु उत्तराघ्ययन में काल अणुरूप और अनेक संख्या-वाला है। कुछ श्वेताम्बर जैन-आचार्य काल की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। व

इस तरह इन पाँचों प्रकार के रूपी और अरूपी अचेतन-द्रव्यों में पुद्गल-द्रव्य को छोड़कर शेष चार द्रव्य भावात्मक, निष्क्रिय और अरूपी हैं। पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसे हम देख सकते हैं, और स्पर्श आदि भी कर सकते हैं। इसका जीव के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है और जीवों के विभाजन आदि का आधार भी यही है।

### चेतनद्रव्य—जीव :

अचेतन-द्रव्य के अतिरिक्त जिस द्रव्य की सत्ता है उसका नाम है—जीव। जीव से तात्पर्य है जिसमें देखने एवं जानने की शक्ति हो ऐसा चेतनात्मक द्रव्य। चेतन्य के होने पर ही होने वाले परिणाम को या चेतन्य को ही उपयोग कहते हैं। अतः ग्रन्थ में जीव का लक्षण उपयोग (चेतना) बतलाया है। जैनदर्शन में यह उपयोग मुख्यरूप से दो प्रकार का माना गया है: दर्शनोपयोग (निराकारज्ञान—स्वसंवेदनात्मक) और ज्ञानोपयोग (साकारज्ञान—परसंवेदनात्मक)। उद्यंन शब्द का अर्थ है—किसी वस्तु का सामान्य अवलोकन करना। ज्ञान शब्द का अर्थ है—किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना। अतः ज्ञान के पहले दर्शन अवश्य होता है। यहाँ पर दर्शनोपयोग से तात्पर्य है स्व का निराकार संवेदन होना और ज्ञानोपयोग से तात्पर्य है स्व और पर का साकार बोध होना। जिसमें ज्ञान-दर्शन रूप चेतना

१. बतीतादिव्यवहारहेतुः कालः । स चैको विभुनित्यक्ष्य ।

⁻⁻⁻तकंसं∘, पृ० ६.

२. जैनदर्शन-महेन्द्रक्मार, पृ● १६३.

**२. जीवो** उवओगलक्खणी ।

[—]उ० २**६.१०**.

४. उपयोगो लक्षणम् । स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः।

[—]त० सू० २.५-६.

(उपयोग) नहीं है वह अचेतन है और जिसमें चेतन्य का कुछ भी अंश मौजूद है वह चेतन या जीव है। जीव ही आत्मा है।

ऊपर जो जीव का लक्षण बतलाया गया है वह अचेतन से पृथक् करने वाला स्वरूप-लक्षण है। जीव के इसी स्वरूप का समर्थन करते हुए प्रन्थ में अन्य प्रकार से भी लिखा है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, दुःख, चारित्र, तपस्या (तप), वीर्य और उपयोग—ये सब जीव के लक्षण हैं। इस लक्षण में जीव के जिन असाधारण धर्मों का कथन किया गया है वे सिर्फ जीव में ही संभव हैं। यद्यपि वीर्य (सामथ्यं) अचेतन में भी पाया जाता है परन्तु अचेतनसम्बन्धी वीर्य उपयोग-शून्य होने से यहाँ अभीष्ट नहीं है। क्योंकि ज्ञान-दर्शन आदि असाधारण धर्मों का सम्बन्ध अन्ततः उपयोग से ही है। उपयोग के होने पर ही ज्ञान, दर्शन आदि देखे जाते हैं। अतः जीव के प्रथम लक्षण में सिर्फ उपयोग को ही जीव का लक्षण बतलाया गया है। तत्त्वार्थसूत्र में भी उपयोग को जीव का लक्षण बतलावर उसे ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का बतलाया है। अतः उपयोग या चेतना ही जीव का प्रमुख लक्षण है।

शरीर से पृथक् जीव के अस्तित्व के विषय में एक सबसे जबदंस्त शंका है कि यदि उसका अस्तित्व है तो दिखलाई क्यों नहीं पड़ता? उत्तराध्ययन में जब अगुपुरीहित अपने पुत्रों को धन, स्त्री आदि के प्रलोभन द्वारा आकृष्ट नहीं कर पाता है तो वह धर्म के आधारभूत आत्मा के अस्तित्व में इसी प्रकार की शंका करता हुआ कहता है कि जैसे अविद्यमान भी अग्नि अरणिमन्थन (दो लकडियों की रगड़ से) से, घृत दूध से, तिलों से तेल उत्पन्न हो जाते हैं वैसे ही चेतन जीव की चार भौतिकद्रक्यों (पृथिवी, अप, तेज और वायु) से उत्पत्ति हो जाती है और उनके अलग हो जाने

१. नाणं च दंसणं चेद चरित्तं च तवो तहा ।
 वीरियं उवओगो य एयं जीवस्स लक्खणं ।।
 ---उ० २५,११.

२. देखिए-पृ० द१, पा० टि० ४.

पर चेतन (जीव) भी नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य चेतनात्मक स्वतन्त्र जीव-द्रव्य नहीं है। वि

इसके उत्तर में अगुपुरोहित के दोनों पुत्र कहते हैं कि आत्मा (जीव) चूंकि रूपरहित (अमूर्त) है अतः उसका इन्द्रियों के द्वारा प्रहण नहीं किया जा सकता है। जो अमूर्त है वह नित्य भी है। इस तरह यहाँ बतलाया गया है कि आत्मा के अमूर्त होने से उसका प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता है। जब मूर्त होकर भी वायु हमें दिखलाई नहीं पड़ती तो फिर जो अमूर्त जीव है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हो सकता है? जीव के अस्तित्व का ज्ञान उसके कार्यों द्वारा ही (अनुमान-प्रमाण से) किया जा सकता है। ग्रन्थ में ऐसे चार मुख्य कार्य गिनाए हैं जि़नसे जीव के अस्तित्व का ज्ञान होता है। वे ये हैं: अस्ति हों ज्ञान होता है। वे ये हैं: अस्ति हैं ज्ञान वान् हूँ, २. मैं अपने आप को जानता हूँ, ३ मैं सुखी हूँ, ४ मैं दुःखी हूँ। इस प्रकार से तथा इसी प्रकार के अन्य अनुभवों से प्रतीत होता है कि शरीर से अतिरिक्त कोई चेतन द्रव्य है। म्रगुपुरोहित ने अर्णिमन्थन आदि से जो अविद्यमान अग्न आदि की उत्पत्ति बतलाई है वह भी अनुभव से विपरीत

१. जहा य अगो अरणी असन्तो खीरे घर्य तेल्ल महातिलेखु।

एमेव जाया सरीरित सत्ता संमुच्छई नासइ नावचिट्ठे।

—उ० १४.१८.

२ नो इन्दियगोज्झ अमुत्तभावा अमुत्तभावा वि य होई निच्चो । —उ० १४.१६.

३. नाणेणं दंसणेणं च सुहेण य दुहेण य । —७० २८.१०.

४. हम अनुभव करते हैं 'मेरा शरीर', 'मेरा हाय' आदि। इस प्रकार के भेदात्मक अनुभव से जात होता है कि शरीर और आतमा भिन्न-भिन्न हैं। यदि शरीर और आतमा अनिन्न होते तो 'मेरा शरीर' ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। अगर कहा जाए कि 'मेरी आत्मा' ऐसा भी तो अनुभव होता है। तो हम कहेंगे कि इससे आत्मा स्वतः सिद्ध हो जाती है। क्योंकि यहां 'मेरी' शब्द का प्रयोग शरीर के लिए हुआ है। इस तरह आत्मा शरीर से भिन्न ही सिद्ध हुआ।

है। यदि अरिण में अग्नि, दूध में घी, और तिल में तैल पहले से विद्यमान न हो तो वे उनसे उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। यदि इस तरह असत् से भी सत् पैदा होने लगे तो फिर तैल आदि के लिए तिलों को ही क्यों खोजा जाता है? बालू आदि के द्वारा क्यों नहीं तेल आदि निकाला जाता है?

इसके अतिरिक्त यदि शरीर से चेतन-द्रव्य पृथक् नहीं है तो फिर क्या कारण है कि मृत-पृरुष को शरीर के वर्तमान रहने पर भी सुख-दु:ख आदि का अनुभव नहीं होता है ? विशेषावश्यक-भाष्य में बतलाया गया है कि मृत-शरीर में यदि वायु का अभाव हो जाता है तो पम्प आदि के द्वारा हवा भरने पर उसे जीवित हो जाना चाहिए। यदि उसमें तेज का अभाव हो जाता है तो वायु की तरह तेज का प्रवेश कराने पर उसे जीवित हो जाना चाहिए। यदि उसमें विशिष्ट-प्रकार के तेज का अभाव है तो वह विशिष्ट-तेज क्या है ? आत्मा से अतिरिक्त वह तेज कुछ भी नहीं है। किख, जिसका निषेध किया जाता है उसकी सना अवश्य रहती है। इसीलिए उत्तराध्ययन में भी शरीर को जीवत्व के अभाव में तुच्छ कहा है। इसी प्रकार के अन्य अनेक तकों द्वारा प्रायः सभी आत्मवादी भारतीय दर्शन जीव या आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करते हैं।

—विशेषावश्यकभाष्यटीका ─तृतीयगणभर, पृ० ५१७.

 र यित्रिषिध्यते तत् सामान्येन विद्यते एव ।

 —षड्दर्शनसमुद्ध्य-गुणरत्न, पृ० ४८-४६

 पाश्चात्यदर्शन में आधृनिक-युग के संस्थापक देकार्त भी इसी तरह आत्मा की सिद्धि करते हैं।

 —देखिए-पाश्चात्यदर्शन, पृ० ८६-८८.

३. तं एक्कगं तुच्छशरीरगं से। ---उ० १३-२५.

१. स्याद्—अज्ञातोपालम्भोऽयं, तस्या भूतसमुदायोपलिब्धिसद्धेः, न मृत-शरीरे व्यभिचारात्, तत्र वाय्त्राभावे न व्यभिचार इति चेत्, न, निलकाप्रयोगप्रक्षेपेऽप्यनुपलब्धेः, तेजो नास्तीति चेत्, न, तस्यापि तथैव क्षेपेऽनुपलब्धेः, विशिष्टं तेजो नास्तीति चेत् आत्मभाव इत्यारभ्यतां तहि भूम्यालिङ्गनम् ।

उत्तराध्ययन में जीव के सामान्य चेतन गुण के अतिरिक्त कुछ अन्य भी गुण बतलाए हैं जो अजीव से व्यावर्तक तो नहीं हैं परन्तु जीव के स्वरूपाधायक अवश्य हैं। जैसे :

- १. जीव अमूर्त है संसारावस्था में जीव शरीर के सम्बन्ध से यद्यपि मूर्तिक की तरह है परन्तु वास्तव में रूप, रस, गन्ध आदि से रिहत होने के कारण उसे अमूर्त स्वभाववाला माना है। अमूर्त-स्वभाव होने के कारण ही वह हमारी इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता है।
- २. जीव अविनश्वर हैं -- जो अमूर्त है उसका शस्त्रादि के द्वारा विनाश संभव न होने से वह अजर-अमर भी है। गीता में भी इसे अजर-अमर कहा गया है। अग्व्य में इसीलिए नश्वर संसार में जीव को सारवान् वस्तु माना है। अनादि काल से शरीर के साथ सम्बन्ध होने के कारण जीव एक शरीर के नाश होने पर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। अतः शरीर-सम्बन्ध के कारण जीव अनित्य भी है।
- ३. जीव स्वदेहपरिमाणवाला है अात्मा स्वतः अमूर्त है परन्तु गरीर के सम्बन्ध से मूर्तिक-सा हो रहा है। अतः जीव में

३. नायं हिन्त न हन्यते "" न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।
---गीता २.१६-२०.

१. देखिए-पृ० ६३, पा० टि० २ तथा प्रवचनसार २.५०.

२. वही। नित्यजीवस्स नासु ति। — उ० २.२७.

४. जहा गेहे पिलत्तिम्मि तस्स गेहस्स जो पद । सारभांडाणि नीणेड असारं अवउज्झद्द ।। एवं सोए पिलसम्मि जराए मरणेण य । अप्पाणं तारइस्सामि तुब्मेहि अणुमन्त्रिओ । --- उ० १६. २३-२४.

उस्सेहो जस्स जो होई भवस्मि चरिमस्मि उ ।
 तिभागहीणो तत्तो य सिद्धाणोगाहणा भवे ।।
 —उ० ३६.६४.

स्वतः कोई आकार-प्रकार आदि के न होने से शरीर के सम्बन्ध के कारण उसे स्वदेह-परिमाणवाला माना है। जीव के स्वदेह-परिमाणवाला होने से वह न तो व्यापक है और न अणुरूप हो है। अपितु छोटे या बड़े शरीर में जितना स्थान पाता है उतने में ही विस्तार या संकोच को प्राप्त करके रह जाता है। यदि उसे स्वदेह-परिमाण न मानकर व्यापक माना जाता तो उसे भरीर के बाहर भी संवेदन होना चाहिए था। यदि अणुरूप माना जाता तो पूरे-शरीर में संवेदन नहीं होना चाहिए था। हमें शरीर-प्रदेश-मात्र में ही संवेदन होता है, न तो शरीर के एक-प्रदेश में और न शरीर के बाहर। इसीलिए आत्मा को शरीर-परिमाण वाला माना है। यहां एक प्रश्न है कि मुक्त-जीवों के शरीररूपी बन्धन न होने से उन्हें समस्त-लोक में व्याप्त हो जाना चाहिए। यहाँ मालुम पड़ता है कि मुक्त-जीवों के व्यापक मानने पर शरीर-प्रमाण वाले सिद्धान्त से विरोध होता है। अत: उन्हें भी व्यापक न मानकर पूर्वजन्म के शरीर-प्रमाण की अपेक्षा है भाग न्यून क्षेत्रप्रमाण माना है। पूर्वजन्म के शरीर की अपेक्षा है भाग न्यून मानने का कारण है कि शरीर में कुछ छिद्र भाग रहते हैं और मुक्त-जीवों के शरीर न होने से उनके आत्म-प्रदेश सघन हो जाते हैं। अतः पूर्व जन्म के शरीर की अपेक्षा है भाग न्यून क्षेत्र माना है। बन्धन का अभाव होने से तथा उसमें संकोचं-विकास स्वभाव होने से मुक्त-जीव को यातो अणुरूप या व्यापक हो जाना चाहिए था। उसका अभाव माना नहीं जा सकता क्योंकि सतु का कभी विनाश नहीं होता है।

४. जीव कर्ता-भोक्ता तथा पूर्ण स्वतन्त्र है - स्वयं के उत्थान और पतन में जीव को पूर्ण स्वतन्त्र, कर्ता एवं भोक्ता माना है।

१. वही।

२. अप्पा नई वेयरणी अप्पा मे कूडसामली।
अप्पा कामदुहा घेणू अप्पा मे नन्दणं वर्णः।
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तमित्तं च दुप्पिट्ठय सुपिट्ठओ ।।
—उ० २०, ३६-३७.

अतः ग्रन्थ में कहा है—आत्मा अपना कर्ता, विकर्ता (उत्थान और पतन का), अच्छा मित्र, खराब शत्रु, वैतरणी नदी (एक नारकी नदी जो दु:खकर है), कूटशाल्मिल वृक्ष (दु:ख देने वाला पेड़), कामदुधा धेनु तथा नन्दन वन (ये दोनों सुखकर हैं) है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा जैसा चाहे वैसा कर्म करके अपने को अच्छे या खोटे मार्ग पर ले जा सकता है। यदि अच्छा काम करता है तो अपना सबसे बड़ा मित्र है, कामधेनु है तथा नन्दनवन है। यदि बुरे कार्य करता है तो अपना सबसे बड़ा शत्रु है, वैतरणीनदी है तथा कूटशाल्मिल वृक्ष है। इसमें ईश्वर-कर्तृक कोई हस्त-क्षेप नहीं है। जीव जैसा करता है वैसा ही भोगता है। अच्छे कर्म करता है तो सुखी होता है और बुरे कर्म करता है तो दु:खी होता है।

५. जीवं ऊर्ध्वंगमन-स्वभाववाला है - मुक्त-जीवों का निवास लोक के ऊर्ध्वभाग में माना गया है। अतः जीव का स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन वाला होना चाहिए जोकि बन्धन के कारण नीचे (संसार में) पड़ा हुआ है। यदि ऐसा न माना जाता तो मुक्त-जीवों को वहीं रहना पड़ता जहां शरीर का त्याग करते हैं।

इस तरह ग्रन्थ में जीव को ज्ञान-दर्शन स्वभावरूप चेतनगुण के अतिरिक्त अमूर्त, नित्य, स्वदेह-परिमाण, कर्ता, भोक्ता, स्वतन्त्र, ऊर्ध्वगमनस्वभाव तथा नश्वर संसार में सारभूत द्रव्य माना है। जीव का ऐसा ही स्वरूप अन्य जैन ग्रन्थों में भी मिलता है।

३. जीवो उवओगमओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो । भोत्ता संसारत्यो मुत्तो सो विस्तसोड्ढगई ।।

—द्रब्यसंग्रह, गाथा २. तीसत्र २.१०: १३.४: स्याताच्य ४३ ४३०

तथा देखिए-भगवतीसूत्र २.१०; १३.४; स्थानाङ्ग ४.३.५३०; नवपदार्थ, पृ० २१.

१. वही ।

२. अलोए पिंडहया सिद्धा लोयग्ये य पइट्ठिया । इहं बोदि चद्वताणं तत्य गंतूण सिज्झई ।। —उ० ३६. ५६.

जीवों के भेद-जीवों की संख्या ग्रन्थ में कालद्रव्य की तरह अनन्त बतलाई गई है। हवा, पानी, पृथिवी, अग्नि, पौघा, कुत्ता, बिल्ली, पशु. स्त्री, पुरुष आदि में सर्वत्र जीवों की सत्ता मानी गई है। इन सभी जीवों को सर्वप्रथम मुक्त और बद्ध की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें ही क्रमशः 'सिद्ध' और 'संसारी' के नाम से कहा गया है। इन्हें क्रमशः 'अशरीरी' और 'सशरीरी' भी कह सकते हैं क्योंकि सभी मुक्त-जीव शरीर-रहित होते हैं और सभी संसारी-जीव शरीर-सहित। ऐसा कोई भी समय या स्थान नहीं है जब संसारी-जीव शरीर-रहित रहता हो। मृत्यु के उपरान्त (एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय) भी वह एक विशेष-प्रकार के शरीर (कार्मण-शरीर) से युक्त रहता है। इन सिद्ध और संसारी जीवों के स्वरूपाद अधो-लिखित हैं:

१. सिद्ध-जीव भ-जो बन्धन से रहित स्वस्वरूप में स्थित हैं उन्हें सिद्ध-जीव कहते हैं। ये बन्धन का अभाव होने से 'मुक्त', शरीर से रहित होने के कारण 'अशरीरी', और पूर्ण-ज्ञान से युक्त होने के कारण 'खुद्ध कहलाते हैं। इनका निवास लोक के ऊर्ध्व-भाग (लोकान्त) में बतलाया गया है। इनका आकार पूर्व-जन्म के शरीर की अपेक्षा है भाग न्यून होता है। ये अनंत-दर्शन और अनन्त-ज्ञान के साथ अनन्त-सुख से भी युक्त होते हैं। इनके सुखों के समक्ष हमारे सुख तुच्छ (नगण्य) हैं। इनका ससार में पुनः आगमन नहीं होता है। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप बतलाया गया है वे उसी स्वरूप में सर्वदा रहते हैं।

यद्यपि सिद्ध जीवों के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि में कोई भेद नहीं है क्योंकि सभी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त सुखों से युक्त तथा

उ० ३६.४८,२४६.

संसारिणो मुक्ताश्च ।

—त० सू० २.१०.

१. देखिए-पृ० ७४, पा० टि० १.

२. संसारत्था य सिद्धा य दुविहा जीवा वियाहिया।

३. उ० १०.३५; ३६.४८-६७; विशेष के लिए देखिए-प्रकरण ६.

सकल बन्धनों से रहित हैं परन्तु पूर्वजन्म की उपाधि की अपेक्षा से उनके भी कई भेद हो सकते हैं।

२. संसारी-जीव-जो किए हुए कर्मों का फल भोगने में परतन्त्र है, तथा शरीर से युक्त है वे सब संसारी-जीव हैं। इन्हें 'बद्ध' या 'सशरीरी' जीव भी कह सकते हैं। ये यद्यपि कर्म करने में स्वतन्त्र हैं परन्तु उसका फल भोगने में परतन्त्र हैं। इन्हें कर्म-फल भोगने के लिए शरीर का आश्रय लेना पडता है। संसार का अर्थ है - आवागमन । अर्थात जहाँ पर कर्म-फल भोगने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर की ग्रहण करना पड़े या जन्म-मरण के चक्र में चलना पड़े उसे संसार कहते हैं। अतः संसारी से तात्पर्य लोक में निवास करना नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर सिद्ध जीव भी लोक के भीतर ही रहने के कारण संसारी कहलाएँगे। इस तरह संसारी से तात्पर्य है जो अपने शुद्ध-स्वरूप को प्राप्त न करके कर्म-फल भोगने के लिए परतन्त्र हैं तथा शरीर से युक्त हैं। संसारी-जीवों के मुख्यरूप से पाँच प्रकार के शरीर माने गए हैं: १. औदारिक-वह स्थूल-शरीर जिसका छेदन-भेदन किया जा सके, २ वैकियक-जिसका छेदन-भेदन न हो सके परन्तु स्वेच्छा से छोटा-बडा, पतला-मोटा आदि अनेकरूप किया जा सके, ३ आहारक-किसी विशेष अवसर पर मूनि के द्वारा बनाया गया भरीर, ४ तैजस-अन्नादि पाचन-क्रिया में तेज उत्पन्न करनेवाला और ५. कार्मण-पूण्यपापरूप कर्मी का पिण्ड। इन पाँच प्रकार के शरीरों में से तैजस और कार्मण शरीर प्रत्येक संसारी जीव के साथ हमेशा रहते हैं। अतः इनका जीव के साथ अनादि सम्बन्ध है। इन दो शरीरों के अतिरिक्त जीवित अवस्था में जीव के साथ औदारिक और वैक्रियक में से कोई एक शरीर और रहता है। इस तरह सामान्यतः जीवित अवस्था

तथा देखिए--२.३७-४६.

१. तक्षो ओरालियतेयकम्माइं सब्बाहि विष्पजहणाहि विष्पजहित्ताःः।
--उ० २€.७३.

अोदारिकवैक्रियकाहारकतैजसकामंगानि शरीराणि । ~~त० सूर् २.३६०

में एक जीव के एक-साथ तीन शरीर होते हैं। औदारिक और वैक्रियक शरीर का अभाव सिर्फ मृत्यु के समय होता है। दूसरा जन्म लेने पर औदारिक और वैक्रियक में से कोई न कोई शरीर पुन: प्राप्त हो जाता है। साधारणतया मनुष्य और पशु-पक्षियों (तिर्यञ्चों) में औदारिक-शरीर पाया जाता है। देव और नारिकयों में वैक्रियक शरीर पाया जाता है। अत: संसारी जीवों को 'सशरीरी' या 'बद्ध' जीव कहने में कोई आपित्त नहीं है।

# संसारी जीवों के विभाजन के स्रोत:

ग्रन्थ में संसारी जीवों के विभाजन के कई स्रोत हैं उनमें से कुछ निम्नोक्त हैं:

- १. गमन करने की शक्ति जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं उन्हें एक विभाग में रखा जा सकता है और जो ऐसे सामथ्य वाले नहीं है उन्हें दूसरे विभाग में रखा जा सकता है। ग्रन्थ में इनके क्रमशः नाम त्रस और स्थावर दिए गए हैं। इसी विभाजन को मूल आधार मानकर आगे विभाजन किया गया है। यहाँ एक बात स्मरणीय है कि यद्यपि सभी जीव सक्रिय हैं परन्तु गतिशीलता के आधार पर जो विभाजन किया गया है वह वर्तमान में चलने-फिरने की शक्ति की अपेक्षा से हैं।
- २. शरीर की स्थूलता और सूक्ष्मता जिनका शरीर स्थूल है उन्हें एक विभाग में और जिनका शरीर सूक्ष्म (लघु) है उन्हें

तथा देखिए-उ• ४.६; ६.१०; २४.२३; त० सू० २.१२.

संसारत्था उ जे जीवा दुविहा ते वियाहिया ।
 तसा य थावरा चेव थावरा तिविहा तिहि ।।
 —उ० ३६.६८.

दूसरे विभाग में रख सकते हैं। यहाँ स्थूलता से तास्पर्य लम्बे-चौड़े शरीर से तथा सूक्ष्मता से तास्पर्य छोटे-शरीर से नहीं है अपितु जो दीवाल आदि से अग्नि की किरणों की तरह हकें नहीं वे सूक्ष्म हैं और जो हक जावें वे स्थूल हैं। इस विषय में ग्रन्थ में एक कर्म-विशेष (नामकर्म स्वीकार किया है जिसका आगे वर्णन किया जाएगा।

- ३. शरीर की उत्पत्ति (जन्म) 1—जो माता-पिता का संयोग होने पर माता के गर्भ से उत्पन्न होवें वे गर्भ ज' हैं। जो माता-पिता के संयोग के बिना यत्र-तत्र अपितत्र स्थानों में पैदा होवें वे 'सम्मू च्छिम' हैं। जो किसी स्थान-विशेष से ऐसे उठकर खड़े हो जावें मानो सोकर जाग रहे हों, वे 'उपपादजन्म' वाले जीव हैं। मनुष्य और पशु आदि में प्रथम दो प्रकार के जन्म संभव हैं। देव और नारिकयों में तृतीय प्रकार का जन्म होता है। इस तरह शरीर की उत्पत्ति (जन्म) के आधार से संसारी जीवों के तीन भेंद होते हैं।
- ४. शरीर की पूणंता तथा अपूर्णता शरीर की पूर्णता से तात्पर्य है जिस जीव को जिस प्रकार के शरीर को प्राप्त करना है उसका पूर्ण आकार-प्रकार बन जाना। जिन्हें शरीर की पूर्णता प्राप्त हो चुकी है वे 'पर्याप्तक' कहलाते हैं और जिन्हें शरीर की पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है वे 'अपर्याप्तक' कहलाते हैं। जैनदर्शन में छः पर्याप्तियाँ मानी गई हैं जिनकी मात्रा पृथक्-पृथक् जीवों में पृथक्-पृथक् निश्चित है। 3
  - १. संमुच्छिमाय मणुयागढभवनकंतियातहा। — त० ३६.१६४.

तथा देखिए--भा० सं० जै०, पृ• २१६-२१६.

२. पज्जन्तमपज्जत्ता एवमेव दुहा पुणो।

—30 ₹**.**७०.

तथा देखिए-उ० ३६.५४, ६२,१०८,११७ बादि ।

३ आहारसरीरिदियपज्जत्ती आणवाणभासमणो। चत्तारि पंच खप्पि य एइदियवियलसण्णीणं।।

—गो० जी०, गाया ११८ (टीका सहित) ।

- ४. जन्मसम्बन्धी शरीर की अवस्था-विशेष (गित ) -जन्म-सम्बन्धी शरीर की मुख्य चार अवस्थाएँ (पर्याएँ) हैं जिन्हें 'गित' नाम से कहा गया है। यद्यपि गित शब्द का सामान्य अर्थ गमन है परन्तु यहाँ देवादि चार अवस्था-विशेषों में जीव के गमन करने के कारण उन्हें गित कहा गया है। इस विषय में एक प्रकार का कर्म-विशेष स्वीकार किया गया है जिसके आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। इस गित भेद के आधार से जो चार भेद जीव के हैं उनके नाम ये हैं—देव, मनुष्य, तियंश्व (पशु-पक्षी, वृक्ष आदि) और नारक।
- ६. धर्माचरण—जो अहिंसा आदि धर्म का पालन करते हैं वे 'सनाथी-जीव' हैं तथा जो ऐसा नहीं करते हैं वे 'अनाथी-जीव' हैं। इस अन्य प्रकार से तीन भागों में भी विभक्त किया गया है। उ जैसे: मनुष्य जन्म को मूलधन मानकर—१. मूलधन-रक्षक—ऐसे कार्य करने वाला जिससे मनुष्य-जन्म की पुनः प्राप्ति हो, २. मूलधन-विनाशक—जो खोटे-कर्म द्वारा मूलधनरूपी मनुष्य जन्म की नष्ट करके पशु एवं नरकादि योनियों में जन्म लेता है और ३. मूलधनवर्षक—जो अच्छे कार्यों को करके देवपने को प्राप्त करता है।
  - पंचिदिया उ जे जीवा चउव्विहा ते वियाहिया।
     नेरइया तिरिक्खा य मण्या देवा य आहिया।

२. इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा तामेगिचित्तो निहुओ सुणेहि मे । नियण्ठधम्मं लहियाण वी जहा सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ।।

—उ०२०३८.

तुज्झं सुखद्धं स मणुस्सजम्मं लाभा सुलद्धाय तुमे महेशी। तुब्भे सणाहाय सबन्धवाय जंमे ठिया मग्गि जिणुत्तमाणं।।

─ ਤο २० ४४.

माणुसत्तां भवे मूलं लाभो देवगई भवे ।
 मूलच्छेएण जीवाणं नरमितिरक्खत्तणं धुवं ॥

---उ० ७.१६.

तथा देखिए--उ० ७.१४,२१.

७. जानेन्द्रियाँ -जान के स्रोत पाँच इन्द्रियाँ मानी जाती हैं। उनके क्रमशः नाम ये हैं--स्वर्शन, रसना, घाण, चक्ष, तथा कर्ण। इनमें से जो क्रमणः एक इन्द्रिय वाला है उसे एकेन्द्रिय, जो दो इन्द्रियों वाला है उसे द्वीन्द्रिय, जो तीन इन्द्रियों वाला है उसे त्रीन्द्रिय, जो चार इन्द्रियों वाला है उसे चतुरिन्द्रिय और जो र्पांचों इन्द्रियों वाला है उसे पञ्चेन्द्रिय जीव कहते हैं। इन इन्द्रियों की संख्या में वृद्धि क्रमशः ही होती है।

इस तरह ये कुछ मुख्य प्रकार हैं जिनके आधार पर जीवों का विभाजन किया गया है। शरीर में पाए जानेवाले रूपादि के तरतमभाव तथा स्थान-विशेष आदि के आधार से जीव के अनन्त भेद हो सकते हैं जिनकी ग्रन्थ में सूचना मात्र दी गई है। र वस्तूत: ये सभी भेद शृद्ध जीव के नहीं हैं अपित शरीरादि की उपाधि से विशिष्ट जीव (आत्मा) के हैं।

गमन करने की शक्ति की अपेक्षा जो त्रस और स्थावर के भेद से दो भेद किए गये थे उननें से प्रथम स्थावर जीवों के भेदादि का विचार किया जाता है।

### स्थावर जीव:

चलने-फिरने की शक्ति से रहित जीव स्थावर कहलाते हैं। इसके प्रमुख तीन भेद किए गए हैं³: १. पृथिवी शरीर

- १. उराला तसा जे उचउहा ते पिकतिया। वेइंदिया तेइंदिया चउरो पंचिदिया चेव ॥ —उ० ३६.१२६.
- ेर. एएसि वण्णको चेव गंधको रसफासको । संठाणादेसओ वावि विहाणाई सहस्ससी ।। —ভ° ३६.**५**३. तथा देखिए- उ० ३६.६१, १०४, ११६, १२४ आदि ।
  - ३. पुढवी खाउजीवा य तहेब य वणस्सई। इच्चेए थावरा तिविहा तेसि भेए सुणेह मे ॥ —उ० ३६.**६**६.

तया देखिए-उ० ३६.६८.

वाले (पृथिवीकायिक), २. जल शरीर वाले (अप्कायिक) और ३. बनस्पति शरीर वाले (बनस्पतिकायिक)। यह गमनकर्तृक् विभाजक रेखा ग्रन्थ में सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होती है क्योंकि अन्यत्र अग्निशरीर वाले (अग्निकायिक) तथा वायु शरीर वाले (वायुकायिक) एकेन्द्रिय जीवों को भी इनके साथही गिनाया गया है तथा शेष को त्रस कहा है। इसी तरह जहाँ त्रस जीव के भेद गिनाए गए हैं वहाँ द्वीन्द्रियादि को प्रधान (उराल) त्रस कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि वायुकायिक और तेजस्कायिक को किसीं अपेक्षा से त्रस कहा जा सकता है। अन्यथा वे स्थावर ही हैं। अतः उन्हें हम अप्रधान त्रस शब्द से भी कह सकते हैं। यहाँ एक बात और विचारणीय है कि जिस प्रकार अग्नि के ऊर्ध्वगमन करने से तथा वायु के तिर्यक्गमन करने से उनमें त्रसरूपता मानी जाती है उसी प्रकार जल में भी अधोगमन तथा वनस्पतियों में ऊर्ध्व और अधोगमन दोनों होने से जलकायिक और वनस्पति-कायिक में त्रसरूपता क्यों नहीं है? इसका तात्पर्य है कि यदि अग्नि को त्रस कहा जाता है तो वनस्पति को भी त्रस कहना चाहिए क्योंकि ये दोनों अपने मूल स्थान से सर्वथा न हटते हुए ही गमन करते हैं। यदि वायु को स्वस्थान से हटने के कारण वस कहा जाता है तो जल में भी यही बात होने से उसे भी त्रस कहना चाहिए। मालूम पड़ता है इस विषय को लेकर पहले भी स्थावर जीवों के विभाजन में मतान्तर रहे हैं। अतः उत्तराध्ययन में बहुत स्थलों पर छ:काय के जीवों का उल्लेख किया गया है। छ:काय के जीवों में पाँच स्थावर और एक त्रस का भेद लिया गया है।

--- उ**०** २६.३०.

तथा देखिए-उ० २६.३१.

२. इसो उतसे तिनिहे बुच्छामि अणुपुन्वसो । तेऊ वाऊ य बोषन्वा उराला य तसा तहा ॥

-30 \$4.804.

तथा देखिए---उ० ३६.१०७, १२६. ३. देखिए--पृ० ६४, पा० टि० १.

१. पुढवी-आउनकाए तेऊ-वाऊ-वगस्सइ-तसार्ग ।

इस तरह अग्निकायिक और वायुकायिक के जीवों में स्थावरपने की ही प्रधानता होने से तथा विषय की समानता होने से यहाँ पर एकेन्द्रिय के पाँचों भेदों को दृष्टि में रखकर विचार किया जाएगा:

- १ पृथिवीकायिक जीव जिनका पृथिवी ही सरीर है उन्हें पृथिवीकायिक जीव कहते हैं। सूक्ष्म और स्थूल (वादर) के भेद से इनके प्रथमतः दो भेद किए गए हैं फिर इन दोनों के ही पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से अवान्तर दो-दो भेद किए गए हैं। बादर पर्याप्तक को प्रथमतः मृदु (श्लक्ष्ण) और कठिन (खर) इन दो भागों में विभक्त किया गया है। इसके बाद मृदु पृथिवी के सात और खर-पृथिवी के छत्तीस प्रकारों को गिनाया गया है। व
- (क) मृदु-पृथिवो के सात प्रकार—काली, नीली, लाल, पीली, श्वेत, पाण्डु (कुछ श्वेत तथा कुछ अन्य रंग वाली भूरी) तथा पनकमृत्तिका (आकाश में फैलने वाली अत्यन्त सूक्ष्म रज)। इस तरह
  रंग के आधार पर ये सात प्रकार मृदु-पृथिवी के गिनाए गए हैं।
- (स) सर-पृथिवी के छत्तीस प्रकार शुद्ध-पृथिवी (समूहरूप), शर्करा, बालुका, उपल, शिला, लवण, क्षार, लोहा, ताम्बा, तरुआ (त्रपु), सीसा, रूप्य (चांदी), सुवर्ण, वक्त (हीरा), हरिताल (पीली और सफेद), हिंगुलुक (शिंगरफ), मनःसिल, सासक (एत्न विशेष), अंजन (सुरमा), प्रवाल, अभ्रपटल (अभ्रक), अभ्रवालुक, गोमेदक,
  - दुविहा पुढनीजीवा य सुहुमा बायरा तहा ।
     पज्जन्तमपञ्जला एवमेव दुहा पुणी ।।
     उ० ३६ ७०.
  - २ नायरा जे उपज्जता दुविहा ते वियाहिया। सण्हा खरा य बोधन्वा सण्हा सत्तविहा तर्हि।।

एए खर पुढवीए भेया अत्तीसमाहिया एगविहमनाणत्ता सुहुमा तस्य वियाहिया ।।

22 B B

—ৱ০ ३६.७**१-७**७

रुचक, अंक, स्फटिक-लोहिताक्ष, मरकत-मसारगल्ल, भुजमोचक, इन्द्र-नील, चन्द्रनगेरक-हंसगर्भ, पुलक, सौगत्धिक, चन्द्रप्रम, वैडूर्य, जल कान्त और सूर्यकान्त । खर-पृथिवी के इन ३६ प्रकारों में कठोर स्पर्शवाले धातु. पाषाण, मणि आदि को गिनाया गया है । गोमेदक से लेकर अन्त तक के सभी भेद मणि-विशेष के नाम हैं। सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीव एक ही प्रकार का है। '

- २. अप्कायिक जीव-जल ही है शरीर जिनका उन्हें अप-कायिक जीव कहते हैं। सूक्ष्म-पर्याप्तक, सूक्ष्म-अपर्याप्तक, बादर-पर्याप्तक और वादर-अपर्याप्तक के भेद से पृथिवीकायिक की तरह इसके भी चार भेद किए गए हैं। वादर-पर्याप्तक जीवों के पांच भेद गिनाए हैं 3 - शुद्धोदक (मेघ या समुद्रादि का जल), अवश्याय (ओस), हरतनु, महिका अौर हिम (वर्फ)।
- ३. वनस्पतिकाथिक जीव-वनस्पति (वृक्ष-पौधे आदि) ही है शरीर जिनका उन्हें वनस्पतिकायिक जीव कहते हैं। पृथिवी के भेदों की ही तरह इसके भी मुक्ष्म-पर्याप्तक, सुक्ष्म-अपर्याप्तक, बादर-पर्याप्तक और बादर-अपर्याप्तक के भेद से चार भेद किए गए हैं।" बादर-पर्याप्तक को पुन∶दो भागों में विभक्त किया गया है : १. स।धारणशरीर (जिनके शरीर में एक से अधिक जीवों

१. वही ।

२. दुविहा आउजीवा उ'''(शेष पृ० ६५, पा॰ टि० १ की तरह)।

३. बायरा जे उपज्जत्ता पंचहा ते पिकत्तिया । मुद्धोदए य उस्से हरतणू महिया हिमे ॥ —ডo ३६.८५.

४. 'हरतनुः' स्निग्धपृथिवीसमुद्भवः तृणाग्रबिन्दुः, 'महिका' गर्ममासेषु —उ० ने० वृ०, पृ० ३८१.

प्र. दुविहावणस्सईजीवा[ः] (शेष पृ०६४, पा०टि०१ की तरह)ा --- 30 34.67.

६. बायरा जे उपज्जत्ता दुविहा ते वियाहिया। साहारणसरीरा य पत्तेया य तहेव य ।। —ত০ ३६.**६३.** 

का निवास रहता है और एक के आहार आदि से सबका पोषण होता है ) तथा २. प्रत्येक शरीर (जिनके शरीर में एक ही जीव का निवास रहता है या जिस शरीर का एक ही स्वामी होता है)। इसके बाद इन दोनों के अनेक भेदों में से कुछ अवान्तर प्रकारों को गिनाया गया है। जैसे:

- (क) साधारण-शरीर बादर पर्याप्तक के कुछ प्रकार—आलू, मूली, श्रृङ्गवेर (अदरक), हरिली, सिरिली, सिस्सिरिली, यावितक, कन्दली, पलांडु, लशुन, कुहुव्रत, लोहिनी, हुताक्षी, हूत, कुहक, कृष्ण, वज्रकन्द, सूरणकन्द, अश्वकर्णी, सिहकर्णी, मुमुण्डी, हरिद्राकन्द आदि अनेक कन्दमूल इस विभाग में आते हैं। इनके नामों का परिज्ञान वैद्यक निषण्टु तथा देश-देशान्तर की भाषाओं से हो सकता है।
- (ख) प्रत्येक-शरीर बादर पर्याप्तक के कुछ प्रकार—वृक्ष, गुच्छ, गुल्म (नवमिल्लका आदि), लता (चम्पकादि), वल्ली (करेला आदि), तृण (घास), वलय (नारियल आदि। इसमें त्वचा वलयाकार होती है; शाखाएँ नहीं होती), पर्वज (जो पर्व या सिच वाले हैं। जैसे—बांस, ईख आदि), कुहुण (कु:=पृथिवी का भेदन करके उत्पन्न होने वाले, छन्नाकार), जलरुह (कमल आदि), ओषधितृण (शाल्यादि धान्य), हरितकाय (चुलाई आदि की शाक) आदि अनेक पेड़-पोधे इस विभाग में आते हैं।
- ४. अग्निकायिक जीव--अग्नि ही है शरीर जिनका उन्हें अग्नि-कायिक जीव कहते हैं। पृथिवी की तरह इसके भी चार भेद हैं।

मुसुंढी य हलिद्दा य णेगहा एवमायओ ।।

**--30 ३६.**€४-**.**€

२. दुविहा तेऊजीवा उ ''' (शेष पृ० १६, पा० टि० १ की तरह) । —व० ३६.१० स

१. पत्तेयसरीरा उणेगहा ते पिकत्तिया ।

उनमें से वादर-पर्याप्तक के अनेक भेद हैं। जैसे: अंगार (धूम रहित अग्नि), मुर्मुर (भस्मयुक्त अग्निकण), अग्नि (सामान्य— शुद्ध-अग्नि), अचि (समूल अग्निशिखा), ज्वाला (मूलरहित अग्निशिखा), उल्का, विद्युत् आदि।

प्र. वायुकायिक जीव—वायु ही है शरीर जिनका उन्हें वायु-कायिक जीव कहते हैं। पृथ्वीकायिक की तरह इनके भी चार भेद हैं। उनमें से बादर-पर्याप्तक वायुकायिक के अनेक प्रकार हैं। जैसे: उत्कलिका (क्क-रुक कर बहनेवाली), मण्डलिका (चक्राकार), घन (नरकों में बहनेवाली), गुञ्जा (शब्द करनेवाली), शुद्ध (मन्द-मन्द पवन), संवर्तक (जो तृणादि को साथ में उड़ाकर बहती है) आदि।

इस तरह ग्रन्थ में संक्षेप से बादर (स्थूल) एकेन्द्रिय स्थावर जीवों का विभाजन किया गया है। रूपादि के तरतम-भाव के आधार से इनके अन्य अवान्तर अनेक भेद हो सकते हैं। स्पूक्ष्म एकेन्द्रिय सभी स्थावर जीवों का एक-एक ही भेद बतलाया गया है व्योकि स्थूल में ही अवान्तर भेद संभव हैं। सभी सूक्ष्म

- कायरा जे उपञ्जता णेगहा ते वियाहिया।
   इंगाले मुम्मुरे अगणी अच्चिजाला तहेव य ।।
   उक्का विञ्जू य बोधव्वा णेगहा एवमायओ।
   एगिवहमणाणता मुहुमा ते वियाहिया।।
   उ० ३६,१०६-११०.
- २ दुविहा वाउजीवा उ^{...} (भेष पृ० ६४, पा० टि० १ की तर**ह**)। —उ**०** ३६.११७.
- ३. बायरा जे उ पज्जता पंचहा ते पिकत्तिया । उक्कित्या मंडलिया घणगुंजा सुद्धवाया य ।। संवट्टगवाया य णेगहा एवमायको । —उ० ३६,११६-११६.
- ४. देखिए-पृ० ६३, पा० टि० २.
- ५. एगविहमणाणत्ता सुहुमा तत्य वियाहिया । सुहुमा सब्वलोगम्मि एगदेसे य बायरा ॥ —-उ० ३६.७७-७८, ८६, १००, ११०, ११६-१२०

जीव चंकि किसी से स्कावट को प्राप्त नहीं होते हैं अतः सर्वलोक में व्याप्त हैं। इनका गमन सिद्धों के निवास-स्थान तक संभव है। इसीलिए प्रारम्भ में जो लोक का विभाजन किया गया है वह जीवों के निवास के आधार पर नहीं किया गया है। बादर-कायिक जीव चुँकि अवरोध को प्राप्त होते हैं अतः उनका निवास लोक के एक देश में माना गया है। १ इन एकेन्द्रिय स्थावर जीवों की सन्तान-परम्परा अनादि काल से वर्तमान है तथा अनन्त काल तक रहेगी। परन्तु जब हम किसी जीव विशेष की अवस्था विशेष की अपेक्षा से विचार करते हैं तो उसका प्रारम्भ भी है और अन्त भी है। इन सभी एकेन्द्रिय स्थावर जीवों की आयू (भवस्थिति) कम से कम अन्तर्महर्त (एक अत्यन्त सूक्ष्म क्षण से लेकर ४ मिनट तक ) तथा अधिक से अधिक पृथिवी-कायिक की २२ हजार वर्ष, अप्कायिक की ७ हजार वर्ष, वनस्पति-कायिक की १० हजार वर्ष, अग्निकायिक की तीन दिन-रात (अहोरात्र) और वायुकायिक की ३ हजार वर्ष है।³ इस आयु के पूर्ण होने के बाद ये जीव नियम से एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर घारण कर लेते हैं। यदि एक पृथिवीकायिक जीव मरकर पुनः-पुन: (बारम्बार ) पृथिवीकायिक जीव ही बनता है तो उसे कायस्थिति कहेंगे। यह कायस्थिति सभी एकेन्द्रिय स्थावर जीवों की कम से कम अन्तर्मूहर्ततथा अधिक से अधिक वनस्पतिकायिक को छोडकर शेष की असंख्यातकाल ( संख्यातीत वर्ष ) है। वनस्पतिकायिक की अधिकतम कायस्थिति अनंतकाल

१. वही ।

संतद्व पच्च णाईया अपज्जवसियावि थ ।
 ठिइ पहुच्च साईया सपज्जवसियावि य ।।

⁻⁻⁻ उ० ३६.७६,८७,१०१,११२,१२१.

बावीससहस्साई वासाणुक्कोसिया भवे । आउठिई पुढवीणं अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।।

⁻⁻उ० ३६.५०.

अप्कायिक आदि के लिए देखिए-उ० ३६.६८,१०२,११६,१२२.

बतलाई गई है। यदि कोई पृथिवीकाय का जीव मरकर किसी अन्य काय वाला जीव बन जाता है और उसके बाद कालान्तर में पुन: पृथ्वी-कायिक जीव बनता है तो उस व्यवधान-काल को स्वकाय-अन्तर या अन्तर्मान कहेंगे। इस प्रकार का अन्तर्मान कम से कम अन्तर्मूहर्त है तथा अधिक से अधिक अनंतकाल (सीमातीत) है परन्तु वनस्पतिकाय का अधिकतम काल असंख्यात-काल है। 2

इस तरह इन एकेन्द्रिय स्थावर जीवों में जीवत्व स्वीकार करने के ही कारण जैन-साधु को पृथिवी आदि पर मल-सूत्रादि का त्याग करते समय सावधानी वर्तने को कहा गया है। उप्थिवी आदि में जीवत्व स्वीकार कर लेने पर पुद्गल-द्रव्य का अभाव नहीं होता है क्योंकि पृथिवी आदि की काया वाले जीवों का शारीर तो

१. असंखकालमुक्कोसा अंतोमुहुतं जहन्तिया । कायिठई पुढवीणं तं कायं तु अमुंचओ ।।

गणुपनाः। —उ०**३६.**न१.

अर्णतकालमुक्कोसा अंतोमुहुत्तं जहन्निया । कायठिई पणगाणं तं कायं तु अमुंचक्षो ।:

**—उ०** ३६.१०३.

तथा देखिए—उ० १०.५.६. अप्, तेज और वायुकायिक के लिए देखिए—उ० ३६.८६.११४, २२३; १०.६-८.

२. अर्णतकालमुक्कोसं अंतोमुहुत्तं जहन्नयं। विजर्हेमि सए काए पुढवीजीवाण अंतरं।।

<del>---</del>उ० ३६.६२.

असंखकालमुक्कोसं अंतोमृहृत्तं जहन्नयं । विजढिम्म सए काए पणगजीवाण अंतरं ।।

—उ० ३६ १०४.

अप्, तेज और वायुकायिक के लिए देखिए-उ० ३६.८०,११५,१२४.

३. देखिल्--प्रकरण४, उच्चारसमिति ।

पुद्गल का ही है। पृथिवी आदि में जीवों की सत्ता होने के कारण ही महाभारत में भी संसार को नाना जीवों से भरा हुआ बतलाया गया है।

# त्रस जीवः

दो इन्द्रियों से लेकर पाँच इन्द्रियों वाले जीव त्रस कहलाते हैं। इन्हें ही ग्रन्थ में प्रधान-त्रस कहा गया है। इनके प्रथमतः द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय के भेद से चार भेद किये गए हैं। इनमें स्थावर जीवों की तरह सूक्ष्म नाम का भेद नहीं पाया जाता है। द्वीन्द्रियादि जीव आकार में सूक्ष्म (छोटे) हो सकते हैं परन्तु ऐसे सूक्ष्म नहीं हैं जो दीवाल आदि से भी रुकें नहीं। अतः ग्रन्थ में द्वीन्द्रियादि जीवों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से प्रथमतः दो भेद किए गए हैं। परन्तु पञ्चेन्द्रिय जीवों के विषय में इस प्रकार के भेद को बतलाने वाली कोई गाथा नहीं है। द्वीन्द्रियादि त्रस जीवों के भेदादि निम्नोक्त हैं:

- १. द्वीन्द्रिय जीव—जो स्वर्शन और रसना इन दो इन्द्रियों से युक्त हैं वे द्वीन्द्रिय जीव कहलाते हैं। जैसे: कृमि (विष्टा आदि अपवित्र स्थान में उत्पन्न होने वाले), सुमंगल, अलस (यह वर्षा-ऋतु में पैदा होता है), मातृवाहक (काष्ठ-भक्षक-घुण), वासीमुख,
  - उदके बहुवः प्राणाः पृथिव्यां च फलेषु च ।
     न च कश्चित्र तान् हिन्त किमस्यत् प्राणयापनात् ।
     सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित् ।।
     पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात् एकन्धपर्ययः ।।
     —महाभारत, शान्तिपर्व, १४.२४-२६.
- ् २. देखिए-पृ० ६३, पा० टि० १.
  - वेइंदिया उ जे जीवा दुविहा ते पिकत्तिया ।
     पञ्जत्तमपञ्जत्ता तेसि भेए सुणेह मे ।।
     उ० ३६.१२७.

इसी तरह श्रीन्द्रियादि के लिए देखिए — उ॰ ३६. १३६, १४५ तथा आ॰ टी॰, पृ॰ १७१७.

४. किसिणो सोमंगला चेव "णेगहा एवमायओ। —उ० ३६,१२८-१३०.

शुक्ति, शंख, लघुशङ्ख (घोंघे आदि), पल्लक, अनुपल्लक, बराटक (कौड़ी), जलौका (जोंक आदि), जालका, चन्दना आदि ।

- २. त्रीन्द्रिय जीव जो स्पर्शन, रसना और घाण इन तीन इन्द्रियों से युक्त हैं वे त्रीन्द्रिय जीव कहलाते हैं। जैसे: कुन्थ, पिपीलिका, उद्सा, उत्कलिका, उपदेहिका, तृणहारक, काष्ठहारक, मालुका, पत्रहारक, कार्पासिक, अस्थिजात. तिन्दुक, त्रपुष, मिगज (मिञ्जक), शतावरी, गुल्सी, इन्द्रकायिक, इन्द्रगोपक आदि।
- 3. चतुरिन्द्रिय जीव-जो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियों से युक्त हैं वे चतुरिन्द्रिय जीव कहलाते हैं। जैसे: अन्धिका, पौक्तिका, मिक्षका, मशक, अमर, कीट, पतंग, ढिंकण, कुंकण, कुक्कुट, श्रृङ्गरीटी, नन्द्यावर्त, वृश्चिक, डोला, भृङ्गरीटक, विरली, अक्षिबेधक, अक्षिला, मागध, अक्षिरोडक, विचित्र, चित्रपत्रक, उपिधजलका, जलकारी, नीचक, तामृक आदि।

उपर्युक्त तीनों प्रकार के द्वीन्द्रियादि जीव स्थूल होने से लोक के एक देश में रहते हैं। ये अनादिकाल से वर्तमान हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे। ये किसी जीव विशेष की स्थिति विशेष की अपेक्षा से सादि और सान्त भी हैं। इनकी स्थिति (आयु) कम से कम अन्तर्मृहर्त तथा अधिक से अधिक द्वीन्द्रिय की १२ वर्ष, त्रीन्द्रिय की ४६ दिन, चतुरिन्द्रिय की ६ मास है। कायस्थित

२. अंधिया पोत्तिया चेत्र मच्छिया मसया तहा ।

- ३. लोगेगदेसे ते सब्वे न सब्बत्य वियाहिया । —उ० ३६,१३०, १३६, १४६.
- ४. उ. ३६.१३१, १४०, १५० (पृ० ६६, पा० टि० २ की तरह)
- थ. वासाइं वारसा चेव उक्कोसेण वियाहिया ।
   वेइंदियआउठिई अंतोमुहृत्तं जहिल्लया ।
   — ७० ३६.१३२.

कुंधुपिवीलिउड्डंसा ं गोविहा एवम।यज्ञी ।
 जुंधुपिवीलिउड्डंसा ं गोविहा एवम।यज्ञी ।
 जुंधुपिवीलिउड्डंसा ं गोविहा एवम।यज्ञी ।

कम से कम अन्तर्मुहर्त और अधिक से अधिक संख्यात-काल है। ै अन्तर्मान कम से कम अन्तर्म्हर्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल है। र रूपादि के तारतस्य से इनके भी स्थावर जीवों की तरह हजारों भेद हो सकते हैं। एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के सभी जीव तिर्यञ्च ही कहलाते हैं।

४. पञ्चेन्द्रिय जीव--जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पाँचों इन्द्रियों से युक्त हैं वे पञ्चेन्द्रिय जीव कहलाते हैं। सभी जीवों में पञ्चेन्द्रिय जीवों की ही प्रधानता है। नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव गति के भेद से इन्हें चार भागों में विभक्त किया गया है। इनका विशेष परिचय निम्नोक्त है:

नार्की-जो पाप कमों के कारण द:सों को झेलते हैं तथा अधोलोक में निवास करते हैं उन्हें नारकी जीव कहते हैं। ये सभी

एगूणपण्णहोरत्ता उक्कोसेण विदाहिया । तेइंदियआउठिई अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥

--- 30 35.888.

छच्चेव य मासाऊ उक्कोसेण वियाहिया । चर्जारदियभाउठिई अंतोमुहत्तं जहन्निया ।। --- ७० ३६,१४१.

१. संबिज्जकालमुक्कोसा अंतोमुहत्तं जहन्निया । बैइंदियकायठिई तं कायं तु अम्चओ ॥ **--**-30 ३६,१३३.

तथा देखिए—उ० ३६.१४२, १४२; १०१०−१२,

२. अणंतकालमुक्कोसं अंतोमुहत्तं जहन्नयं । बेइंदियजीवाणं अंतरं च वियाहियं।।

**—**उ० ३६.१३४.

इसी तरह क्रीन्द्रिय आदि के लिए देखिए - ए० ३६.१४३, १५३.

३. देखिए--पृ० ६२, पा० टि० १.

नपुंसक और उपपाद-जन्म वाले होते हैं। अधोलोक में नीचेनीचे सात पृथिवियाँ होने से उनके ही नाम से सात नरक माने
गए हैं और तत्तत् नरकों में निवास करने वाले जीवों के भेद से
नारिकयों के भी सात भेद किए गए हैं। इनकी अधिकतम आयु
क्रमणः (ऊपर से नीचे के नरकों में) १ सागर³, ३ सागर,
७ सागर, १० सागर, १७ सागर, २२ सागर और ३३ सागर है।
प्रथम नरक की कमसे कम आयु १० हजार वर्ष तथा अन्य नरकों
में पूर्व-पूर्व के नरकों की उल्कृष्ट आयु ही आगे-आगे के नरकों में
निम्नतम आयु है। नारकी जीव मरकर पुनः नरकों में उल्पन्न
नहीं होते। अतः इनकी आयु (भवस्थिति) और कायस्थिति में
कोई भेद नहीं है। अर्थात् नारकी जीवों की जो सामान्य आयु
(भवस्थिति) बतलाई गई है उतनी ही उनका कायस्थिति भी

तेत्तीससागराऊ उक्कोसेण वियाहिया । सत्तमाए जहन्नेणं वावीसं सागरोवमा ॥

--- 30 36. ? \$0-**?** \$ \$.

देवनारकाणामुपपादः । औपपादिकं वैकिथिकम् । लब्धिप्रत्यय च । नारक सम्मूर्विछ्नो नपुंसकानि । न देवाः ।

[—]त० स० २ ३४, ४६-४७, ५०-५१.

२. देखिए-पृ० ६१, पा० टि॰ १.

३. सागर या सागरोपम का अर्थ—सद्योत्पन्न बकरे के अभेद्य सूक्ष्मतम् रोम-अंशों से भरे हुए एक योजन प्रमाण लम्बे और इतने ही चौड़े गढ़्ढे से यदि प्रति १०० वर्ष के बाद एक रोम-खण्ड निकाला जाए तो जितने समय में वह गड्ढा खाली होगा उसे पत्य, पत्योपम या पालि कहेंगे। ऐसे दश कोटाकोटि (करोड़ × करोड़) पत्यों का एक सागर या सागरोपम होता है।

अ. सागरोवसमेगं तु उक्कोसेण वियाहिया ।
 पढमाए जहन्तेणं दसवाससहिस्स्या ।।
 तिण्णेव सागराऊ उक्कोसेण वियाहिया ।

ै है। शेष क्षेत्र और कालसम्बन्धी सभी बातें चतुरिन्द्रिय की तरह हैं। २

इन नारकी जीवों के दु:ख मनुष्यों के दु:खों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं तथा नीचे-नीचे के नरकों के दुख: पूर्व-पूर्व के नरकों की अपेक्षा कई गुने अधिक हैं: 3 इन नरकों में किस प्रकार के कष्ट मिलते हैं इसका विशेष वर्णन आगे किया जाएगा।

तिर्यश्व—एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रियों वाले जीव तथा पञ्चे-न्द्रियों में पशु-पक्षी आदि तिर्यञ्च कहलाते हैं। उत्पत्ति को अपेक्षा से पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों के दो भेद हैं —१. सम्पूच्छिम और २. गर्भेज। दोनों के पुन: जल, स्थल और आकाश में चलने की शक्ति की अपेक्षा से तीन-तीन भेद किए गए हैं। "

देवे नेरइए य अइगओ उनकीस जीवो उ सबसे ।
 इक्किक्कभवगहणे समयं गोयम मा पमायए ।।

-30 go. gk.

्जाचेव उ आउठिई नेरइयाणं वियाहिया। सातेसि कायठिई जहन्तुककोसियाभवे।।

—उ० ३६.१६७**.** 

- ₹. ७० ३६.१४=-१४€, १६=-१६€.
- जहा इहं अगणी उण्हो इत्तोऽणंतगुणी ताह । नरएमु वेयणा उण्हा अस्ताया वेदया मए ।।

**—**∃**०** १६,४५.

तथा देखिए-उ० १६.४६; प्रकरण २, नारकीय कष्ट।

४. पंचिदियतिरिक्साओ दुविहा ते वियाहिया । समुच्छिमतिरिक्साओ गञ्मवक्कंतिया तहा ॥

**—30 ₹€.१७0**.

जरायुजाण्डजपोतानां गर्मः । शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ।

-त० सू० २.३३**-१**४.

पु. दुविहा ते भवे तिविहा जलयरा थलयरा तहा ।
 नहयरा य बोघव्या तेसि भेए सुणेह मे ।।

**-30 ₹₹.१७१.** 

**क. जलचर तियंश्व-**जल में चलने-फिरने के कारण इन्हें जलचर तिर्यञ्च कहते हैं । इनके पाँच भेद गिनाए हैं । उनके नाम ये हैं-मत्स्य, कच्छप, ग्राह, मकर और सुंसुमार ।° ख. स्थलचर तिर्यश्व - स्थल (भूमि) में चलने के कारण इन्हें स्थलचर तिर्यञ्च कहते हैं। इनमें कुछ चार पैरों वाले (चतुष्पाद) और कूछ रेंगने वाले (परिसर्प) हैं। चार पैरवालों में कुछ एक खुर (पैर के नीचे एक स्थूल अस्थिविशेष, वाले हैं (जैसे-अश्व आदि), कुछ दो खुर वाले हैं (जैसे —गवादि), कुछ वर्तुलाकार (गंडीपद ⊸गोल पैर वाले हैं (जैसे–हस्ती आदि) तथा कुछ नक्षों से युक्त पैर वाले (सनस्वपद) हैं (जैसे-सिहादि पशु)। रेंगने वाले जीवों में कुछ भुजाओं के सहारे रेंगते हैं (भुजपरिसर्प, जैसे—गोधा—छिपकली आदि) और कुछ वक्षस्थल के सहारे रेंगते हैं (उर:परिसर्प, जैसे - सर्प आदि)। ग. नभचर तिर्यञ्च – आकाश में स्वच्छन्द विचरण करने में समर्थ जीव नभचर तिर्यञ्च कहलाते हैं। ऐसे जीव मुख्यतः चार प्रकार के बतलाए गए हैं: १. चर्मपक्षी (चमड़े के पंखों वाले। जैसे-चमगादड़:, २. रोमपक्षी (हंस, चकवा आदि), ३. समुद्गपक्षी (जिनके पंख सदा अविकसित रहते हैं और डब्बे के आकार सदृश सदा ढके रहते हैं) और ४. विततपक्षी (जिनके पंख सदा खुले रहते हैं)।

- चउष्पया य परिसप्पा दुविहा घलयरा भवे ।
   चउष्पया चउविहा ते मे कित्तयओ सुण ।।
   एगखुरा दुखुरा चेव गंडीपय सणप्पया ।
   हयमाई गोणमाई गयमाई सीहमाइणो ।।
   भुओरगपरिसप्पा य परिसप्पा दुविहा भवे ।
   गोहाई अहिमाई य एक्केक्का गेगहा भवे ।।
   चउ १६१७६-१६१.
- ३. चम्मे उ लोमपनस्तो य तहया समुग्गपनिस्तया । विययपनस्तो य बोधव्वा परिस्तणो य चउव्विहा ॥ —उ० १६.१८७.

मच्छाय कच्छभाय गाहाय मगरा तहा।
 सुंसुमारा य बोघव्या पंचहा जलसराहिया।।
 उ० ३६ १७२.

इस तरह ये सभी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। इनकी निम्नतम आयु अन्तर्मुहूर्त तथा अधिकतम आयु जलचर की १ करोड़ पूर्व. स्थलचर की ३ पल्योपम और नभचर की पल्योपम के असंख्येयभाग प्रमाण बतलाई है। दिनकी कायस्थिति निम्नतम अन्तर्मुहूर्त तथा अधिकतम क्रमशः पृथक्त्वपूर्वकरोड़, ३ पल्योपम सहित पृथक्कोटि तथा पल्योपम के असंख्येयभाग अधिक पृथक्त्वपूर्वकोटि बतलाई है। शेष क्षेत्र एवं काल-सम्बन्धी सभी बातें द्वीन्द्रियादि की तरह हैं।

- १. ७०४६००० करोड़ वर्षों का एक 'पूर्व' होता है। दो से लेकर नव तक की संख्या 'पृथक्' कहलाती है। अतः 'पृथक्पूर्व' का अर्थ हुआ २ से लेकर ६ पूर्व के मध्य की अविधि।
- २. एगा य पुब्वकोडीओ उक्कोसेण विवाहिया। आउठिई जलवराणं अंतोमुहुत्तं जहन्निया।।

---30 ₹.86x.

पिलञोवमाइं तिन्नि उ उक्कोसेण वियाहिया । आउठिई थलयराणं अंतोमुहत्तं जहन्निया ।।

**—उ० ३६.१**५४.

पिलश्रीवमस्स भागो असंक्षेज्जइमो भवे । आउठिई खहयराणं अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।।

--उ० ३६.१६०.

३. पुरुवकोडिपुहृत्तं तु उक्कोसेण वियाहिया । कायिठई जलयराणं अंतोमहुत्तं जहन्नयं ॥

—**ड० ३६.१७**६.

पिलओवमाइ तिन्नि उ उक्कोसेण वियाहिया । पुव्यकोडिपुहुत्तोण अंतोमुहुत्तं जहन्निया । कायिठई थलयराणं ।

---उ० ३६ १८४.

ं असंखभागो पलियस्स उक्कोसेण उ साहिया । पुत्र्वकोडिपुहुत्तेण अंतोमुहुत्तं जहन्तिया । कायठिई खहयराणं ।

- उ० **३**६.१**६१.** 

४. उ० ३६.१७३-१७४, १७७-१७८, १६२-१८३,१८६,१८८-१८६, ४. २० ३६.१७३-१७४, १७७-१७८, १६२-१८३,१८६,१८८-१८३. मनुष्य—मध्यलोक के २३ द्वीपप्रमाण मनुष्य-क्षेत्र में निवास करने वाली मानवजाति इस कोटि में आती है। इसके सुखादि वैभव को यद्यपि देवों के वैभव की अपेक्षा अनन्तगुणा हीन बतलाया गया है। फिर भी सभी संसारी जीवों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है तथा चार दुर्लभ अङ्गों की प्राप्ति में मनुष्यजन्म भी एक है। मोक्ष, जोकि प्रत्येक जीव का चरम लक्ष्य है, को मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य-पर्याय की प्राप्ति पुण्यकर्म विशेष से होती है। उपन्य में उत्पत्ति-स्थान की अपेक्षा से मनुष्यों के तियं इनों की तरह सम्मूच्छिम और गर्भव्युत्क्रान्तिक (गर्भज) ये दो भेद किये गए हैं। इसके बाद दोनों प्रकार के जीवों के कर्मभूमि, अकर्मभूमि तथा अन्तरद्वीप के क्षेत्रों (१५ + ३० + २८ = ७३) में

१. एवं माणुस्सगा कामा देवकामाण अन्तिए।
 सहस्सगुणिया भुज्जो आउं कामा य दिविवया।।
 —उ० ७.१२.

जह। कुसम्मे उदमं समुद्देण समं मिणे । एवं माणुस्सगा कामा देवकामाण अंतिए ।।

**~---उ० ७.२**३.

तथा देखिए - उ० ७.२४.

चत्तरि परमंगाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो ।
 माणुसत्तं सुद्द सद्धा संजमिम य वीरियं ।

—उ० **३.१.** 

दुल्लहे खलु माणुसे भवे चिरकालेण वि सव्वपाणिणं।

---30 €0.¥.

तथा देखिए-उ०१०.१६.

कम्माणं तु पहाणाए आणुपुन्नी कयाइ उ !
 जीवा सीहिमणुप्पत्ता आययंति मणुस्सयं !!
 —उ० ३.७.

तथा देखिए-उ० ३.६,२०; २०.११; २२.३८.

४. मणुवा दुविहभेया उते मे कित्तयक्षो सुण। संमुच्छिमाय मणुवागव्भवक्कंतियातहा।।

—30 ₹€.8€४.

निवास करने की अपेक्षा से तत्तत् क्षेत्रों के भेदों के आधार पर मनुष्यों के भी ७३ भेद गिनाए गए हैं। १

इनकी निम्नतम आयु अन्तर्मुहूर्तं तथा अधिकतम आयु ३ पत्यो-पम बतलाई गई है। १ एक जगह कुछ कम १०० वर्ष आयु बतलाई गई है ३ जो वर्तमान की अपेक्षा से जनसामान्य की आयु मालूम पड़ती है। कायस्थिति ३ पत्यसहित पृथक्-पूर्व-कोटि है। १ एक स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा सात या आठ बार लगातार मनुष्य-पर्याय में जन्म लेने की सीमा बतलाई गई है। १ शेष क्षेत्र, अन्त-मनि आदि का वर्णन चतुरिन्द्रिय जीवों की तरह ही बतलाया गया है। १

१. गब्भवक्कंतिया जे उ तिविहा ते वियाहिया।

-30 3€.86¥.

संमुच्छिमाण एसेव भेओ होई वियाहिओ।

**— ૩**◦ ३६.१६७.

विशेष के लिए देखिए--पृ० ५७-६०, मध्यलोक का वर्णन।

- २. पालिओवमाइं तिन्ति य उनकोसेण वियाहिया । आउठिई मणुयाणं अंतोमुहुत्तं जहन्तिया ॥
  - —उ० ३६ **१**६६.
- जाणि जीयन्ति दुम्मेहा ऊणे वाससयाउए ।

— उ० ७.१३.

४. पालिओवमाइं तिसिउ उनकोसेण वियाहिया ।
 पुन्वकोडिपुहुत्तेण अंतोमुहुत्तं जहस्रिया ।।
 कायिठिई मणुपाणं स्थानिकारिक स्थानिकायिक

--- 30 \$4.700-709.

प्रिंचिदियकायमइगओ उनकोसं जीवो उ सबसे ।
 सत्तट्ठभवगहणे समयं गोयम मा पमायए ।।
 --उ० १०-१३-

यहाँ 'पंचिदिय' से तात्पर्य पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्यों से हैं क्योंकि देव और नारकी पुन: उसी काया में उत्पन्न नहीं होते हैं।

६. ७० ३६.१६७-१६८, २०१-२०२.

#### ११० ] उत्ताराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

देव – सामान्यतः पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव देवपर्याय को प्राप्त करते हैं। पुष्य कर्मों के प्रभाव से मनुष्य-पर्याय की और खोटे तपादि के प्रभाव से देव-पर्याय की भी प्राप्ति होती है। जो खोटे तपादि के प्रभाव से देव-गति को प्राप्त करते हैं वे बहुत ही निम्न श्रेणी के देव कहलाते हैं। संभवतः उनकी स्थिति मनुष्यों से भी बदतर होती है। इस्वतः सर्वसामान्य देवों की परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है: 'जो उपपाद-जन्म वाले तथा 🕟 जन्म से ही इच्छानुकुल शरीर धारण करने की सामर्थ्य (वैक्रियक-शरीरधारी) वाले स्त्री और पुरुष हैं वे देव कहलाते हैं।' यद्यपि मनुष्य भी तपादि के प्रभाव से वैक्रियक-शरीर धारण कर सकते हैं परन्तु जन्म से नहीं। यद्यपि नारकी जीव उपपाद-जन्म वाले तथा जन्म से ही वैक्रियक शरीरधारी होते हैं परन्तु वे नपुंसक ही होते हैं। इस तरह 'उपपाद-जन्म वाले ( सोते से जागते हुए की तरह जो पलङ्गपर से उठ खड़े होते हैं) स्त्री-पुरुष' ऐसा लक्षण भी देवों का कर सकते हैं क्यों कि मनुष्यों और तिर्यञ्चों का उपपाद-जन्म नहीं होता है तथा नारकी उपपाद-जन्म वाले होकर भी स्त्री-पुरुष नहीं होते हैं। ऐश्वर्य, आयु, अजरता, निवास-क्षेत्र आदि के आधार पर देवों का स्वरूप वर्णित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मनुष्यों आदि में भी उत्कृष्ट ऐश्वर्य आदि पाया जाता है तथा कुछ निम्न जाति के देवों की स्थिति बहुत ही बदतर

१. बीरस्स पस्स धीरतां सन्वयममाणुवत्तिणो । चिच्चा अधम्मं धम्मिट्ठे देवेसु उववज्जई ॥ — उ० ७.२६

तया देखिए--- ड० ७.२१,२६; ५.२२, २६-२७.

२. परमाहम्मिएसुं य।

--- 30 38.82.

यहाँ पर परमाधामिक देवों को गिनाने से स्पष्ट है कि कुछ देव निम्न श्रेणी के भी होते हैं। अत: कहा भी है: 'एता भावना भावियत्वा देव-दुर्गित थान्ति, ततश्च च्युताः सन्तः पर्यटन्ति भवसागरमनन्तम्।' देखिए--उ० आ० टी०, पृ० १८०६-१८१२

३. देखिए--पृ० १०४, पा० टि० १.

होती है। आयु की अपेक्षा से नारकी जीव भी देवों के समान आयु वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त देवों को अमर नहीं माना गया है। देवों का निवास सिर्फ ऊर्घ्वलोक में ही नहीं है अपितु मध्य और अघोलोक में भी उनका निवास है। अतः ग्रन्थ में 'देव-गित' नामक एक कर्म विशेष स्वीकार किया गया है जिसके उदय से जीव को देव-पर्याय की प्राप्ति होती है। इन देवों को प्रमुख-रूप से चार भागों में विभक्त किया गया है?—१. भवनवासी (भवनपित), २. व्यन्तर (स्वेच्छाचारी), ३ ज्योतिषा (सूर्यादि) तथा ४. वैमानिक (विशेष पूजनीय)। इनके अवान्तर प्रमुख २५ भेद किए गए हैं। इकतीसवें अध्ययन में जिन २४ प्रकार के देवों (रूपाधिक देवों) के की संख्या का उल्लेख किया गया है वे मेरी समझ से प्रसिद्ध २४ जैन तीर्थ छूर ही हैं। टीकाकारों ने वैमानिक देवों का एक भेद मानकर भवनवासी आदि २४ देवों को भी गिनाया है। "

भवनवासी देव—भवनों ( महलों ) में रहने एवं उनके स्वामी होने के कारण इन्हें 'भवनवासी' या 'भवनपति' कहते हैं । आहार-विहार, वेषभूषा आदि राजकुमारों की तरह होने के कारण इन्हें 'कुमार' शब्द से अभिहित किया जाता है । इनकी प्रमुख १० जातियां हैं—१. असुरकुमार, २. नागकुमार, ३. सुपर्णकुमार, ४. विद्युत्कुमार, ४. अग्निकुमार, ६. द्वीपकुमार, ७. उदिधिकुमार,

तथा देखिए-उ० ३४. ५१.

**--30 ₹१.₹**६.

प. उ० बार टी॰, पृ० १३६६; उ० ने॰ वृ०, पृ० ३४८.

१. देखिए-प्रकरण २, कर्म-विभाजन ।

२. देवा चउ ब्विहा बुत्ता ते मे कित्तयओ सुण । मोमिज्ज वाणमंतर जोइस बेमाणिया तहा ॥ —उ० ३६. २०३.

३. दसहा उ भवणवासी अट्ठहा वणचारियो । पंचविहा जोइसिया दुविहा वेमाणिया तहा ।। —उ० ३६. २०४.

४. रूवाहिएसु सुरेसु व ।

द. दिक्कुमार, ६. वायुकुमार. और १०. स्तनितकुमार। १ इनका निवास अधोलोक की प्रथम पृथिवी का मध्यभाग माना गया है।

ध्यन्तर देव—इन्हें 'वाणव्यन्तर' तथा 'वनचारी' देव भी कहा गया है क्योंकि ये देव तीनों लोकों में स्वेच्छापूर्वक भ्रमण करते हुए पर्वत, वृक्ष, वन आदि के विवरस्थलों में निवास करते हैं। इनकी प्रमुख आठ जातियां बतलाई गई हैं—१. पिशाच, २. भूत, ३. यक्ष, ४. राक्षस, ५ किन्नर, ६ किपुरुष, ७. महोरग और ८. गन्धर्व । ये देव जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उनकी रक्षा, सेवा आदि भी करते हैं। ४

ज्योतिषी देव — ज्योतिरूप होने से इन्हें ज्योतिषी देव कहते हैं।
सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह और तारागण के भेद से ये मुख्यतः
पाँच प्रकार के बतलाए गए हैं। इन देवों में से कुछ स्थिर हैं
और कुछ गतिमान। मनुष्य-क्षेत्र के ज्योतिषी देव गतिमान हैं।
इनके गमन से ही घड़ी, घंटा आदि रूप से समय का ज्ञान होता है।
मनुष्यक्षेत्र से बाहर के ज्योतिषी देव स्थिर हैं। इसीलिए कालद्रव्य को मनुष्य-क्षेत्रप्रमाण कहा गया है। सूर्य, चन्द्र आदि रूप जो
ज्योतिषी देवों के भेद गिनाए गए हैं वे उनके निवास-स्थान की
अपेक्षा से हैं।

२. पिसायभूया जनस्वा य रनस्ता किन्तराकिपुरिसा । महोरगा य गंधव्वा अट्टविहा वाणमंतरा ।। —उ० ३६. २०६.

तया देखिए-पृ० १११, पा० टि॰ ३.

- ६. वहीं।
- ४. जक्खा हु वेयावडियं करेन्ति ।

— उ० १२**.** ३२.

५. चंदासूरा य नक्खत्ता गहा तारागणा बहा ।

ठियानि च।रिणो चेव पंचहा जोइसालया ।।

—उ० ३६,२०७. ु

१. असुरा नागसु वण्णा विज्जू अग्गी य आहिया ।
दोवोदहिदिसा वाया थणिया भवणवासिणो ॥
—उ० ३६. २०५.

भवनवासी आदि तीनों प्रकार के देवों की अधिकतम आयु क्रमशः कुछ अधिक १ सागर, १ पत्योपम और लाख वर्ष अधिक पत्योपम है। निम्नतम आयु क्रमशः १० हजार वर्ष, १० हजार वर्ष और पत्योपम का आठवां भाग है। इनकी कायस्थिति आयु (भवस्थिति) के ही बराबर है क्यों कि नारकी जीवों की तरह देव भी मरकर पुनः देव नहीं होते हैं। देव मरकर या तो मनुष्य होते हैं या तिर्यञ्च। इसीलिए देवों की आयु से पृथक् कायस्थिति नहीं बतलाई गई है। इनमें अन्तर्मान, क्षेत्रस्थिति आदि सभी बातें मनुष्यों की ही तरह हैं। अ

वैमानिक देव—विशेषरूप से माननीय (सम्मानार्ह) होने के कारण तथा विमानों में निवास करने के कारण ये वैमानिक कह- लाते हैं। इन्हीं देवों को लक्ष्य में रखकर प्रायः देवों के ऐश्वर्यं आदि का वर्णन किया जाता है। ये कल्पोत्पन्न और कल्पातीत के भेद से दो प्रकार के हैं। का कल्पोत्पन्न वैमानिक देव—कल्प शब्द का अर्थ है—मर्यादा या कल्पवृक्ष (जो इच्छा करने मान से अभीष्ट वस्तु को दे देते हैं)। अतः जो अभीष्ट फल देने वाले इन कल्पों में उत्पन्न होते हैं वे कल्पोत्पन्न वैमानिक देव कहलाते हैं। इन्द्र आदि की कल्पना कल्पोत्पन्न देवों में ही होती है क्यों कि इसके ऊपर के सभी देव 'अहमिन्द्र' कहलाते हैं। अतः स्वामी-सेवक भाव यहाँ पर ही होता है,

१. साहियं सागरं एक्कं उक्कोसेण ठिई भवे।

पिल्झोवमदुभागो जोइसेसु जहन्निया ॥
—उ० ३६.२१८-२२०.

२. जा चेव उ आउठिई देवाणं तु वियाहिया। सा तेसि कायठिई जहन्तुकोसिया मने।। —उ० ३६.२४४.

तथा देखिए-पृ० १०५, पा० टि० १.

- ३. उ० ३६.२१६-२१७, २४८.
- ४. वेमाणिया उ जे देवा दुविहाते वियाहिया। कप्पोवगाय बोधव्या कप्पाईया तहेव य ॥ ----उ० ३६.२० म.

इसके ऊपर नहीं। कल्पों की संख्या १२ होने से इनके भी १२ भेद गिनाए गए हैं। इनके क्रमशः नाम ये हैं: सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तक (लान्तव), महाशुक्र, सहस्रार आनत, प्राणत, आरण और अच्युत । ये सभी क्रमशः ऊर्ध्वलोक में ऊपर-ऊपर हैं। ख. कल्पातीत वैमानिक देव--कल्प मर्यादा, स्वामी-सेवकभाव) से रहित होने के कारण इन्हें कल्पातीत कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं - ग्रैंवेयक और अनुत्तर। ³ १० ग्रैंवेयक -जिस प्रकार ग्रीवा गर्दन) में कीमती हार आदि आभूषण धारण किए जाते हैं उसी प्रकार जो पुण्यशाली जीव लोक के ग्रीवाभूत ऊपर के भाग में निवास करते हैं उन्हें ग्रैवेयक कहते हैं। इनकी संख्या नव बतलाई गई है और ये तीन त्रिकों (अधोभाग के तीन भाग, मध्यभाग के तीन भाग तथा ऊर्घ्वभाग के तीन भाग, में वि-भक्त किए गए हैं। ४ २. अनुत्तर (न उत्तर-श्रेष्ठ-अनुत्तर)--जिनके समान ऐश्वर्य किसी अन्य संसारी जीव का न हो उन्हें अनुक्तरदेव कहते हैं। ये पाँच प्रकार के बतलाए गए हैं: विजय, वैजयन्त, जयन्त अपराजित और सर्वार्थसिद्ध । अगले भव में नियम से मुक्त होने वाले

- २. कप्पोवगा बारसहा सोहम्मीसाणगा तहा ।

  सणकुमारमाहिंदा बम्भलोगा य लंतगा ।।

  महासुक्का सहस्सारा आणया पाणया तहा ।

  आरणा अच्चुमा चेव इइ कप्पोवगा सुरा ।।

  ---उ० ३६.२०६-२१०,
- ३ कप्पाईया **उ जे देवा दु**विहाते वियाहिया । गेविज्ज।णुत्तराचेव ' '' ''' ।। — उ०३६२**११**
- ४. गेविज्जा नविहा तहिं ं इय गेविज्जगा सुरा ।। —उ० ३६.२११-२१४. वया वेदियाः च्या बीठ प्रति प्रति १७७२

तथा देखिए--उ॰ बा॰ टी॰, पृ॰ १७७२.

५. विजया वेजयंता य जयंता अपराजिया ।।
 सद्यत्यसिद्धिगा चेव पंचहाणृत्तरा सुरा ।
 —उ० ३६.२१४-२१५०

१. इस विषय में दिगम्बर-श्वेताम्बर मतभेद के लिए देखिए--त० सू० ४.१६ पर पं० फूलचन्द्र शास्त्री और पं० मुखलाल संघवी की टीकाएँ।

जीव ही अनुत्तर देवलोक को प्राप्त करते हैं। इनके ऊपर अन्य देवों का निवास नहीं है।

इन २६ प्रकार के वैमानिक देवों में से आदि के सात देवों (सौ-धर्म से लेकर महाशुक्र तक) की अधिकतम आयु क्रमशः २ सागर, कुछ अधिक २ सागर, ७ सागर, कुछ अधिक ७ सागर, १० सागर, १४ सागर, १७ सागर बतलाई गई है। इसके बाद सहस्रार देव से लेकर नवग्रैवेयक तक क्रमशः १-१ सागर बढ़ते हुए ३१ सागर तक है। पाँचों प्रकार के अनुत्तरवासी देवों की अधिकतम आयु क्रमशः १ एत्योपम, कुछ अधिक एक पत्य, २ सागर, कुछ अधिक २ सागर और ७ सागर है। इसके बाद चार अनुत्तर पर्यन्त पूर्व-पूर्व के देवों की उत्कृष्ट आयु ही आगे-आगे के देवों की निम्नतम आयु बतलाई गई है। सर्वार्थसिद्धि के देवों की अधिकतम और निम्नतम आयु ३३ सागर ही बतलाई गई है। यद्यपि ग्रन्थ में कहीं-कहीं देवों की आयु अनेकवर्षनयुत' तथा १०० दिन्य वर्ष भी बतलाई गई है उपस्तु

 दो चेव सागराई उक्कोसेण वियाहिया । सोहम्मिम जहन्नेण एगं च पलिओवमं ।।

बजहन्नमणुबकोसा तेत्तीसं सागरीवमा । महाविमाणे सञ्वट्ठे ठिई एसा वियाहिया ॥

**--**∃० ३६.२२१-२४३.

- २. अनेकवर्णनयुत— न४ लाख वर्षों का एक 'पूर्वाङ्ग' होता है। एक पूर्वाङ्ग में न४ लाख का गुणा करने पर एक 'पूर्व' होता है। एक पूर्व में पुन: न४ लाख का गुणा करने पर एक 'नयुताङ्ग' होता है। एक नयुताङ्ग में पुन: न४ लाख का गुणा करने पर एक 'नयुत' होता है। ऐसे असंख्य वर्षों वाले नयुत को 'अनेकवर्षनयुत' कहते हैं। उ० आ० टी०, पृ० २००.
- --- ५० आ० ८१० ३. अणेगवासानज्या जा सा पण्णावको ठिई। जाणि जीयन्ति दुम्मेहा ऊणे वाससयाज्य ॥

~ उ*०*७.१३.

बहमासी महापाणे जुडमं वरिसस्त्रीवमे । जासा पालीमहापाली दिव्दा वरिससञीवमा ॥

--उ० १८.२५.

वह सामान्य कथन की अपेक्षा से हैं। सौधर्म देव से लेकर सहस्रार देव पर्यन्त अधिकतम अन्तर्मान अनन्तकाल है तथा जघन्य अन्तर्मान अन्तर्महूर्त है। आनत से लेकर नवग्रेवेयक पर्यन्त जघन्य अन्तर्मान पृथक्वर्ष है क्योंकि ये देव मरकर ऐश्वर्यसम्पन्न मनुष्य ही होते हैं। इनका उत्कृष्ट अन्तर्मान अनन्तकाल है। प्रथम चार अनुत्तर देवों का जघन्य अन्तर्मान पृथक्काल है तथा अधिकतम अन्तर्मान संख्येय सागर है। सर्वार्थसिद्धि के देव एकमवावतारी होते हैं। ये अपनी आयु पूर्ण करने के बाद मरकर मनुष्य गित में पैदा होते हैं। ये अपनी आयु पूर्ण करने के बाद मरकर मनुष्य गित में पैदा होते हैं। अतः इनके अन्तर्मान का प्रश्न ही नहीं उठता है। श्रेष क्षेत्रादि-सम्बन्धी सभी बातें भवनवासी आदि देवों की तरह हैं। व

देवों के विषय में कुछ अन्य ज्ञातन्य बातें—ये देव अजर होकर भी अमर नहीं होते हैं क्योंकि एक निश्चित आयु के बाद मनुष्य या तिर्यन्त्र क्यांति में जन्म लेकर अपने शेष कमों का फल अवश्य भोगते हैं। के देवों की बहुत अधिक लम्बी आयु होने के कारण उन्हें अमर कहा जाता है। सर्वार्थसिद्धि के देव भी, जो देवों में सर्वोत्तम हैं, अपनी आयु के पूर्ण होने पर मनुष्य-लोक में जन्म लेते हैं। गीता में भी कहा है: 'पुण्य कर्म के क्षीण हो जाने पर देव विशाल स्वर्गलोक से मनुष्यलोक में प्रवेश करते हैं।'' ये देव अपने-अपने

- २. संखेजजसागरुकोसं वासपुहत्तं जहन्तयं । अणुत्तराणं देवाणं अंतरेयं वियाहियं ॥ —उ० ३६.२४७.
- ३. उ० ३६.२१६-२१७, २४८.
- ४. उ० १४.१-२; ३.१४,१६; ६.१; १३.१;**१**६.८,
- ५. ते तं भुक्त्वा स्वर्गेलोकं विद्यालम् । क्षीणे पुण्ये मर्त्येलोकं विद्यान्ति ॥ —मीता ६.२१..

अविशिष्ट पुण्य-कर्मों के अनुसार मनुष्य-लोक में सांसारिक मनुष्य सम्बन्धी १० प्रकार के ऐश्वयों को प्राप्त करते हैं। इनका ऐश्वयं और प्रभाव सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा अधिक होता है। इनके ऐश्वयोंपभोग सम्बन्धी १० साधनों के नाम ये हैं: १. क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, पशु आदि का समूह, २. मित्र, ३. सम्बन्धीजन, ४. उच्चगोत्र, ५. सुन्दररूप, ६. निरोगशरीर, ७. महाप्राज्ञ, ६. विनय, ६. यश और १० बल। इस तरह ये जीव मनुष्य-लोक में आकर यदि विशुद्ध-आचार का पालन करते हैं तो मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। यदि विशुद्ध-आचार का पालन नहीं करते हैं तो संसार-चक्र में भटकते रहते हैं।

जिस प्रकार मनुष्यों और तिर्यञ्चों का विषभक्षण आदि के द्वारा अकालमरण देखा जाता है उस प्रकार देवों का अकालमरण नहीं होता है। ये अपनी पूर्ण आयु का भोग करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनके ऐश्वर्य और आयु के समक्ष मनुष्यों के ऐश्वर्य और आयु के समक्ष मनुष्यों के ऐश्वर्य और आयु कुशा के अपभाग में स्थित जलबिन्दु की तरह नगण्य हैं। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा चक्रवर्ती राजाओं का ऐश्वर्य अनन्तगुणा अधिक होता है तथा उनसे भी अनन्तगुणा अधिक ऐश्वर्य देवों का होता है। इनका तेज अनेक सूर्यों से भी अधिक होता है तथा ये इच्छानुकूल शरीर धारण करने की सामर्थ्य से युक्त होते हैं। सीधर्म देवलोक से लेकर अनुतर

रै. तत्थ ठिच्चा जहाठाणं जन्मा आउन्सए चुया । उनेन्ति माणुसं जीरिंग स दसंगेऽभिजायए।। —उ०३ १६.

तथा देखिए--उ० ३. १७-१८; ७.२७.

भोच्चा माणुस्सए भोए अप्पडिक्ष्वे अहाउयं ।
 पुञ्चि विसुद्ध सद्धम्मे केवलं बोहि बुज्झिया ।।
 चड २.१६.

३. देखिए-पृ० १०८, पा॰ टि० १.

प्रतिसालिसेहि सीलेहि जनका उत्तर उत्तरा ।
 महासुक्का व दिप्पता मन्तता अपुणच्चय ।।

देवलोक पर्यन्त देवों का यण, प्रकाण, ऐश्वर्य आदि उत्तरोत्तर बढ़त। जाता है तथा मोह, जो संसार का हेतु है, क्रमणः कम होता जाता है। असुर, यक्ष, राक्षस, पिणाच आदि निम्न श्रेणी के देव कहलाते हैं। अतः ग्रन्थ में जहाँ भी देवों के ऐश्वर्य आदि का वर्णन किया गया है वह श्रेष्ठ देवों की अपेक्षा से किया गया समझना चाहिए।

इस तरह चेतन और अचेतन-रूप षड्-द्रव्यों का वर्णन किया गया।

#### DESCH MEST

छः द्रव्यों का पृथक्-पृथक् स्वरूप ज्ञात कर लेने के बाद प्रक् उठता है कि आखिर द्रव्य का स्वरूप क्या है ? जिसके आधार से इन छः द्रव्यों में ही द्रव्यता है, कम या अधिक में नहीं। जैन-दर्शन में उत्पाद, विनाश और ध्रुवता इन तीन विशेषणों से विशिष्ट सत्तावान् को द्रव्य कहा गया है। इसका तार्द्य है कि द्रव्य सत्रूप है, अभावात्मक नहीं है। वह वेदान्तियों की तरह कूटस्थ-नित्य तथा बौद्धों की तरह एकान्ततः अनित्य नहीं है। वास्तव में द्रव्य नित्य होकर भी प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तनों से युक्त है। इन परिवर्तनों के होते रहने पर भी द्रव्य की नित्यता में व्याघात नहीं होता है।

अप्पिया देवकामाणं कामरूव विउव्विणो । उड्ढं कप्पेमु चिट्ठन्ति पुन्वा वाससया बहू ॥ — उ० ३.१४-१५.

तथा देखिए-उ० ४.२७.

- १. उत्तराइं विमोहाइं जुइमन्ताऽणुपुव्यसो । समाइण्णाइं जक्खेहिं आवासाइं जसंसिणो ।। —-ज• ४. २६.
- २. सत् द्रव्यलक्षणम् । उत्पादन्ययघ्नौन्ययुक्तं सत् —त० सू० ५.२६-३०
- इ. जीसे सीने के पिण्ड से घट बनाने पर पिण्डरूप पर्याय का विनाश, घटरूप पर्याय की उत्पक्ति तथा सुवर्णरूपता की स्थिरता वर्तमान रहती है वैसे ही द्रव्य में अनेक परिवर्तनों के होते रहने पर भी घ्रुवांश सर्वथा विनष्ट नहीं होता है।

• इस तरह द्रव्य की इस परिभाषा के अनुसार द्रव्य में परस्पर विरोधी दो अंश हैं : १. नित्य (ध्रुव) और २. अनित्य (उत्पाद और व्यय)। नित्यांश को गुण कहा जाता है और अनित्यांश को 'पर्याय' (अवस्था-विशेष)। ये दोनों अंश द्रव्य से सर्वेथा पृथक्-पृथक् नहीं हैं क्योंकि ध्रुवांक परिवर्तन के अभाव में और परिवर्तनरूप अंश ध्रुवांश के अभाव में कुछ भी नहीं है । अतः ग्रुण ंऔर पर्याय को सिर्फ समझाया जा सकता है, उनकी द्रव्य में पृथक्-पृथक् स्थिति नहीं बतलाई जा सकती है कि अमुक द्रव्यांश गुणरूप है और अमुक पर्यायरूप है। जिस प्रकार गुण और पर्यायों को द्रव्य से पृथक्-पृथक् नहीं बतलाया जा सकता है उसी प्रकार गुण और पर्यायों से पृथक् द्रव्य को भी नहीं बतलाया जा सकता है क्योंकि गुण और पर्यायों से पृथक् इब्य कुछ भी नहीं है। अतः तत्त्वार्थसूत्र में गुण और पर्यायों से युक्त को द्रव्य कहा गया है। ै द्रव्य में होने वाली अनुगताकार (अभेदाकार समानाकार) प्रतीति तो गुण है और भेदाकार प्रतीति पर्याय है। 'गुण' द्रव्य के नित्य-धर्म हैं तथा पर्याएँ आगन्तुक-धर्म हैं। 'गुण' द्रव्य-स्वरूप हैं और पर्याएँ उसकी जपाधि द्रव्य की तरह गुणों की भी पर्याएँ होती हैं और पर्यायों की भी अवान्तर पर्याएँ होती हैं। गुण और पर्याय दोनों द्रव्य के अङ्ग हैं एवं द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। अत. गुण और पर्यायों के साथ द्रव्य का अङ्गाङ्गिभाव तथा आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध है। इनके इस सम्बन्ध को संयोग-सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि संयोग-सम्बन्ध उन्हीं वस्तुओं में होता है जिन्हें एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् कियाजा सके। इस तरह गृण और पर्यायों की द्रव्य से सर्वथा पृथक् स्थिति न होने के कारण हम उनमें तादात्म्य-सम्बन्ध स्वीकार कर सकते हैं।

गुणों का द्रव्य के साथ नित्य-सम्बन्ध होने के कारण ग्रन्थ में द्रव्य का लक्षण किया है 'जो गुणों का आश्रय हो'। र गुण किसी

१. गुणपयिवत्द्रव्यम् ।

[—]त० सू० ४. ३५.

२. गुणाणमासवी दब्वं।

[—]उ० २८.६.

न किसी के आश्रय से रहते हैं और वे जिसके आश्रय से रहते हैं वहीं द्रव्य है। इस परिभाषा के अनुसार ग्रन्थ का आशय यह नहीं है कि द्रव्य में सिर्फ गुण ही रहते हैं क्योंकि द्रव्य में पर्याएँ भी रहती हैं। अतः पर्याय कालक्षण करते हुए लिखा है 'जो द्रव्य और गुण दोनों के आश्रय से रहती हों।' इसी प्रकार ग्रन्थ में विस्तार-रुचि-सम्यग्दर्शन के प्रकरण में द्रव्य के सभी भावों को जानने का उल्लेख किया गया है र जिसका तात्पर्य है –द्रव्य में रहने वाली समस्त पर्यायों का ज्ञान । तत्त्वार्थसूत्र में भी द्रव्य का लक्षणं गूण-पर्याय . वाला स्वीकार करने से स्पष्ट है कि गुण की तरह पर्याएँ भी द्रव्याश्रित हैं। गुणों की अपेक्षा पर्यायों के विषय में इतनी विशेषता है कि वेद्रव्याश्रित ही हों ऐसी बात नहीं है, अपितू गुणाश्रित भी हैं। गुण एकमात्र द्रव्य के ही आश्रय से रहते हैं। अत: ग्रन्थ में द्रव्य के लक्षण में सिर्फगुण को ही ग्रहण किया गया है। इस तरह सिद्ध है कि द्रव्य न तो कूटस्य नित्य है और न एकान्ततः अनित्य अपितु गुणों की अपेक्षा से नित्य एवं अपरिवर्तनशील है तथा पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य एवं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है।

#### गुण :

जो एकमात्र द्रव्य के आश्रय से रहत हैं उन्हें गुण कहा गया है। जै जैसे — जीव में रहने वाले ज्ञानादि गुण। वेशेषिक-दर्शन की तरह गुणों की संख्या रन तो नियत है और न द्रव्य से पृथक् उनकी सत्ता है। गुणों को केवल द्रव्याश्रित कहने से यह भी सिद्ध है कि गुण स्वतः निर्गुण हैं। अर्थात् गुणों में गुण नहीं रहते हैं। अतः परवर्ती काल में गुणों का लक्षण किया गया है

१. लक्खणं पञ्जवाणं तु उभओ अस्सिया भने ।

[—] उ० २**५.**६.

२. दव्व।ण सव्वभावा । —उ♦ २८.२४.

३. एगदव्वस्सिया गुणा । —उ० २८,६.

४. रूपरसगन्धः संस्काराध्चतुर्विगतिर्गुणाः । —तर्कसं०, ५० ३.

'जो द्रव्याश्रित तो हों परन्तु स्वतः निर्गुण हों।' ये गुण द्रव्य के सहभावी नित्य-धर्म हैं तथा द्रव्य के स्वरूपधायक भी हैं। अतः गुण और द्रव्य को सर्वथा भिन्न या अभिन्न न मानकर शक्ति और शक्तिमान की तरह भिन्नाभिन्न समझना चाहिए। र

#### पर्याय :

द्रव्य और गुण इन दोनों के आश्रित रहने वाले धर्म को पर्याय कहा गया है। उपाएँ द्रव्य और गुण की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। गुण और पर्यायों में मुख्य अन्तर यह है कि गुण (वस्तुत्व, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि) सम्पूर्ण द्रव्य और उसकी समस्त पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं परन्तु पर्याएँ नहीं। अर्थात् गुण द्रव्य के साथ सदा रहते हैं और पर्याएँ द्रव्य में सदा एक रूप से नहीं रहती हैं अपितु क्रम-क्रम से बदलती रहती हैं। ये प्रतिक्षण उत्पन्न और विनष्ट होती रहती हैं। कुछ पर्याएँ जो एक क्षण से अधिक समय तक ठहरती हैं उनकी अवान्तर पर्याएँ भी होती हैं। इस तरह पर्याएँ द्रव्याश्रित और गुणाश्रित की तरह पर्यायाश्रित भी होती हैं। दीर्घ कालस्थायी पर्याय जो अन्य पर्यायों की आश्रय है किसी न किसी गुण या द्रव्य के आश्रित अवश्य रहती है। अतः पर्याय

[.] १. द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः । —त० सु० ५ ४१.

अदि हबदि दञ्वमण्णं गुणदो य गुणा य दञ्यदो अण्णे ।
 द्व्याणतियमधवा दञ्वामावं पकुञ्वंति ॥
 अविभत्तमण्णत्तं दञ्वगुणाणं विभत्तमण्णतं ।
 णिच्छंति णिच्चयण्ट् तिब्वदरीदं हि वा तेसि ॥
 — पंचास्तिकाय, गाथा ४४-४%.

[.] ३. देखिए-- पृ० १२०, पा० टि० १**.** 

४. यावद्द्रव्यमाविनः सकलपर्यायानुवर्तिनो गुणाः वस्तुत्व-रूप-रस-गम्ध-स्पर्शादयः । मृद्द्रव्यसम्बन्धिनो हि वस्तुत्वादयः पिण्डादिपर्यायाननु-वर्तन्ते, न तु पिण्डादयः स्थासादीन् । तत एव पर्यायाणां गुणेभ्यो भेदः । यद्यपि सामान्यविशेषो पर्यायौ तथापि सङ्केतग्रहणनिबन्धन-त्वाच्छव्दव्यवहारविषयत्वाच्चाममप्रस्तावे तथोः पृथग्निर्देशः । —न्यायदीपिका, पृ० १२१-१२२.

के लक्षण में पर्याय को गुण और द्रव्य के ही आश्वित बतलाया गया है। गुण और द्रव्य में जो नाना प्रकार के परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं वे सब पर्यायों के ही हैं। अत: ग्रन्थ में एकट्ठा होना (एकट्व), अलग होना (पृथवस्व), संख्या, आकार (संस्थान), संयोग और वियोग इन सबको पर्यायरूप माना गया है। घटादिक में जो भेद-व्यवहार होता है वह पर्याय से ही होता है। पर्यायों की भी अवान्तर पर्याएँ स्वीकार करने से पर्याएँ सर्वथा अनित्य नहीं हैं। बास्तव में पर्याएँ द्रव्य की उपाधि हैं और द्रव्य उपाधिमान है। अत: दोनों में भेद होने पर भी कथि चन्न अभेद भी है।

इस तरह द्रव्य, गुण और पर्याय के स्वरूप आपस में इतने मिले-जुले हैं कि उन्हें आसानी से समझना संभव नहीं है। इन्हें आपस में सम्मिलितरूप से बतलाने का तात्पर्य यह है कि एकान्तरूप से इन्हें भिन्न या अभिन्न न मान लिया जाय क्योंकि द्रव्य, गुण और पर्याएँ आपस में कथिन्नत् भिन्न एवं कथिन्नत् अभिन्न हैं। उन्पर जो जीवादि छ: द्रव्य गिनाए गए हैं उन सबमें उत्पाद, विनाश और

. उ० २८.१३.

२. पञ्जयविजुदं दञ्जं दञ्जविजुत्ता य पञ्जया णहिय । दोण्हं अणण्णमूदं भावं समणा प्ररूविति ।।

-पंचास्तिकाय, गाथा १२.

3. द्रव्य, गुण और पर्यायों की कथं चित् भिन्नाभिन्नता हम एक दृष्टान्त से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे — तन्तु को हम तन्तुत्व और वस्त्र से म तो सर्वथा भिन्न ही कह सकते हैं और न सर्वथा अभिन्न क्यों कि तन्तुरूपी द्रव्य अपने तन्तुत्वरूपी गुण से तथा वस्त्ररूपी पर्याय से कथ- जिचत् भिन्न और कथं ज्वित् भिन्न और कथं ज्वित् अभिन्न है। यदि उसे सर्वथा भिन्न शांगा जाएगा तो तन्तु के न रहने पर भी तन्तुत्व और वस्त्र का व्यवहार होना चाहिए। यदि सर्वथा अभिन्न माना जाएगा तो वस्त्र के कार्य को तन्तु से हो हो जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है क्यों कि वे परस्पर मिन्न होकर भी कथं चित् अभिन्न हैं।

एगत्तं च पृहुत्तं च संखा संठाणमेव य । संजोगा य विभागा य पज्जवाणं तु लक्षणं ।।

ध्रुवतारूप द्रव्य का सामान्य-लक्षण अवश्य पाया जाता है क्योंकि द्रव्य के सामान्य-लक्षण के अभाव में उनमें द्रव्यता ही नहीं रह सकती है। इसीलिए तत्त्वार्थसूत्रकार ने सत् को द्रव्य का लक्षण स्वीकार करके उसे उत्पाद, विनाश और ध्रुवतारूप माना है। जिन द्रव्यों में उत्पाद और विनाशरूप परिणाम स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ते हैं उनमें भी समानाकाररूप परिणाम जैन-दर्शन में स्वीकार किया गया है। यदि द्रव्य को एकान्ततः नित्य या अनित्य माना जाएगा तो प्रत्यक्ष दृश्यमान वस्तुव्यवस्था संगत नहीं हो सकेगी क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहने पर भी उसका मर्बथा अभाव नहीं होता है अपितु एक अवस्था (पर्याय) से दूसरी अवस्था की प्राप्ति होती है और द्रव्य अपने मूलरूप में हमेशा बना रहता है। केवल उसकी पर्यायों में ही परिवर्तन होता है। आज का विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है। इस तरह द्रव्य के लक्षण में एकान्तवादियों (नित्यानित्य-वादियों का समन्वय किया गया है।

# अनुशीलन

इस प्रकरण में तीन मुख्य सिद्धान्तों की चर्चा की गई है: १. विश्व की भौगोलिक रचना किस प्रकार की है, २. विश्व की रचना में कितने मूल द्रव्य कार्य करते हैं तथा ३. द्रव्य का स्वरूप क्या है ?

१. विश्व की रचना सम्बन्धी वर्णन देखने से प्रतीत होता है कि यह विश्व यद्यपि असीम है परन्तु जितने भाग में जीवादि छः द्रव्यों की सत्ता मौजूद है उसकी एक सीमा है जिस सीमा का आकाश के अतिरिक्त कोई भी द्रव्य उल्लब्धन नहीं करता है। इसी अपेक्षा से इस विश्व को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है: लोक और अलोक। लोक वह भाग है जहाँ जीवादि द्रव्यों की सत्ता है और अलोक वह प्रदेश है जहाँ आकाश के

१. देखिए-पृ० ११८, पा० टि० २.

२. तद्भावः परिणामः ।

⁻त० सू० ५. ४२.

अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य नहीं है। अतः लोक को लोकाकाश और अलोक को अलोकाकाण भी कहा गया है। विचारणीय विषय लोक ही है क्योंकि लोक में ही सृष्टि पाई जाती है। लोक को अर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के भेद से तीन भागों में विभक्त किया गया है। अर्ध्वलोक में मुख्यरूप से उच्च श्रेणी के देवताओं का निवास है। अधोलोक में मुख्यरूप से नारिकयों का तथा निम्न श्रेणी के देवताओं का निवास है। मध्यलोक में मुख्यरूप से मनुष्यों और तिर्यञ्चों का निवास माना गया है। इसके अतिरिक्त लोक के उपरितम भाग में मुक्तात्माओं का निवास माना गया है। इन तीनों लोकों की तुलना में मध्यलोक की सीमा बहुत स्वल्प होने पर भी बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त मध्यलोक के बहुत ही छोटे भाग में मन्ष्य-क्षेत्र की रचना है जो एक ही प्रकार की ढाई-द्वीपों में बतलाई गई है। इस तरह यह लोक एक सुनियोजित शृंखला से बद्ध है जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा . सकता है क्योंकि हमारी पहुँच मनुष्यक्षेत्र के बहुत ही स्वल्प-क्षेत्र तकही है। इसीसे हम इस लोक एवं लोकालोक की सीमा की मात्र कल्पना कर सकते हैं।

२. लोक की रचना के मूल में जिन छ: द्रव्यों को स्वीकार किया गया है उनकी संख्या छ: ही क्यों है ? सात या आठ, एक या दो क्यों नहीं है ? इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। यद्यपि ग्रन्थ में निहित तथ्यों के आधार से यह भी कहा जा सकता है कि द्रव्यों की संख्या दो है: चेतन और अचेतन। चेतन और अचेतन इन दो द्रव्यों की कल्पना से सृष्टि की व्याख्या स्पष्ट नहीं होती थी क्योंकि इसका कोई नियामक इश्वर विशेष नहीं माना गया था। सामान्यतया अन्य दर्शनों में सृष्टि के नियामक एक ईश्वर द्रव्य की कल्पना की जाती है परन्तु उत्तराध्ययन में ईश्वर को नियन्ता मानना अभिग्रेत नहीं था क्योंकि ईश्वर जब सर्वशक्तिसम्पन्न और दयालु है तो फिर जीवों को कब्ट देने के लिए सृष्टि क्यों की गई ? इसके अतिरिक्त ऐसा मानने पर ईश्वर का दर्शा बहुत नीचा हो जाता है और व्यक्ति का स्वातन्त्र्य भी समाप्त हो जाता है। अतः ईश्वर तत्त्व को स्वीकार न करके

गित में सहायक धर्मद्रव्य, स्थिति में सहायक अधर्मद्रव्य और आघार में सहायक आकाश इन तीन द्रव्यों की कल्पना आवश्यक समझी गई। इस तरह ईश्वर तत्त्व को नियन्ता न मानने पर तीन द्रव्यों की कल्पना करने से द्रव्यों की संख्या पाँच हो गई। यह दश्यमान परिवर्तन भी सत्य है। अतः इस परिवर्तन के कारण-भूत काल-द्रव्य की भी कल्पना करनी पड़ी और इस तरह द्रव्यों की संख्याकुल छ:हो गई। चेतन जीव-द्रव्यको छोडकर शेष सभी के अचेतनरूप होने के कारण इन्हें दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। चंकि ये पाँचों प्रकार के अचेतन-द्रव्य किसी एक द्रव्य से नहीं निकले हैं। अतः इनकी संख्या दो मानकरके भी मुख्यतः छः मानी गई है। यदि ऐसा न माना जाएगा तो अस्तिकाय-अनस्तिकाय, एकत्वविशिष्ट-बहत्वविशिष्ट, लोकप्रमाण-लोकालोकप्रमाण आदि द्वैतात्मक प्रकार संभव होने से चेतन-जीवद्रव्य धर्मादिद्रव्यों की कोटि में आ जाएगा। इसीलिए अचेतन से पृथक् चेतन द्रव्य की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिए अचेतन से पृथक चेतन-द्रव्य माना गया है। यह दृश्यमान संसार भ्रमरूप नहीं है अपितु उतना ही सत्य है जितना दिखलाई पडता है। अतः चेतन के साथ अचेतन-द्रव्य को भी स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त वैशेषिकों द्वारा माने गए वायु, दिशा आदि द्रव्यों को उपर्युक्त छ: द्रव्यों में ही बन्तर्भत माना गया है। प्रत्थ में यद्यपि सिद्धजीवों को ईश्वर स्था-नापन्न माना गया है परन्तु वे सृष्टिकर्त्ता नहीं हैं क्योंकि वीतरागी होने से उन्हें संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। वे मात्र अपने स्व-स्व-रूप में प्रतिष्ठित आत्माएँ हैं। यदि सृष्टिकत्ती ईश्वर को मान लिया जाता तो चेतन, अचेतन और ईश्वर इन तीन द्रव्यों की ही स्थिति रहती या फिर ईश्वर के ही चेतन और अचेतन ये दो रूप मान लेने पर शंकराचार्य के ब्रह्माद्वेत की तरह एक ईश्वर-द्रव्य ही रह जाता। परन्तू ऐसा अभीष्ट न होने से और यथार्थवाद का चित्रण करने के कारण छ: द्रव्यों की सत्ता मानी गई है। इनमें जीव द्रव्य प्रधान है क्योंकि उसके पूर्ण स्वातन्त्र्य को सिद्ध करने के लिए ही उसे अपने उत्थान एवं पतन का कर्ता तथा भोक्ता कहा गया है। इसीलिए जीव को अपने पुरुषार्थ द्वारा भगवान् बनने की

सामर्थ्य भी है। एक भी मुक्त-जीव ऐसा स्वीकार नहीं किया गया है जो बिना प्रथार्थं किए ही नित्य मुक्त हो। यद्यपि अनादिकाल से मुक्त-जीवों की सत्ता है परन्त् इसका यह तातार्य महीं है कि वे पुरुषार्थ के बिना ही मुक्त हो गए हों। इसीलिए प्रत्येक जीव में परमात्मा बनने की शक्ति को स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त जीवों की संख्या भी अनन्त स्वीकार की गई है। चैतन्य के विकास के आधार से किया गया जीवों का विभाजन बहुत महत्त्वपूर्ण है । यह विभाजन बहुत कुछ अंशों में पाण्चात्यदर्शन के लीब्नीज के 'जीवाणुवाद' और वर्गसां के रचनात्मक विकासवाद से मिलता-जुलता है। उत्तराध्ययन में कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी स्वीकार की गई हैं जिनमें कई जीव एक साथ रहते हैं । ऐसे जीवों का अरीर एक ही होता है और सबकी क्रियाएँ एक साथ होती हैं। इनके अतिरिक्त जो सूक्ष्म जीव हैं वे किसी भी अवरोध से रुकते नहीं है और सर्वलोक में व्याप्त हैं। जीवों के अतिरिक्त जो पाँच प्रकार के अजीव बतलाए गए हैं उनमें पुद्गल का वर्णन बहुत महत्त्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक भी है। 'शब्द' को पुद्गल की पर्याय स्वीकार करने तथा 'वायु' आदि को रूपादि गुणों से युक्त मानने से पुद्गल-विषयक बहत ही सूक्ष्म दृष्टि का पता चलता है।

३. यथार्थवाद का चित्रण होने से द्रव्य का स्वरूप भी एकान्ततः नित्य या अनित्य स्वीकार न करके अनित्यता से अनुस्यूत नित्य माना गया है। अनुभव में भी आता है कि द्रव्य में प्रतिक्षण कुछ-न-कुछ परिवर्तन अवश्य हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के होते रहने पर भी उसमें कुछ ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिनके कारण हम यह कहते हैं कि यह वही है जिसे हमने कल देखा था। अतः इस परिवर्तन के होने पर भी द्रव्य का कभी भी सर्वथा अभाव नहीं होता है क्योंकि वह किसी न किसी रूप में रहता अवश्य है। परिवर्तन द्रव्य की किसी पर्याय-विशेष का होता है, स्वतः द्रव्य का नहीं। अतः द्रव्य का रवरूप भी ऐसा ही माना गया है जिससे दोनों (नित्यानित्य) दृष्टिकोणों का समन्वय हो सके।

१. भा० द० रा०, पृ० ३३४.

इसके लिए यह भी आवश्यक था कि द्रव्य को कथन्त्रित् नित्य और कथब्चित् अनित्य स्वीकार किया जाए। इस तरह द्रव्य के विषय में वर्तमान नित्यानित्य सम्बन्धी विवादों का समन्वय किया गया। नित्यता द्रव्य का स्वभावसिद्ध धर्म है और अनित्यता उसकी उपाधि । शायद इसीलिए ग्रन्थ में द्रव्य के लक्षण में साक्षात् पर्यायांश को ग्रहण न करके गुणांश मात्र को ग्रहण किया गया है तथा परवर्ती काल में द्रब्य का स्वरूप निश्चयनय (द्रब्यार्थिक नय) की अपेक्षा से नित्य और व्यवहारनय (पर्यायाधिक नय) की अपेक्षा से अनित्य माना गया है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हैं कि वेदान्तदर्शन में मानी गई परमार्थ-सत्ता और व्यवहार-सत्ता के दुष्टिकोण से द्रव्य के नित्यानित्यत्व का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वेदान्तदर्शन में परमार्थसत्ता यथार्थ-भूत है और व्यवहारसत्ता अयथार्थभृत । जबकि यहाँ पर जितना द्रव्यांश सत्य है उतन। ही पर्यायांश भी सत्य है। पर्याएं द्रव्य की उपाधि हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती हैं। इनके परि-वर्तित होते रहने पर भी द्रव्य सर्वथा अक्ष्ण बना रहता हो सो भी बात नहीं है क्योंकि जब पर्याएँ द्रव्य से सर्वथा पृथक् नहीं हैं तो फिर पर्यायों के परिवर्तित होने पर द्रव्य में कृटस्थ नित्यता बनी रहे यह कैसे सम्भव है ? फिर भी जो द्रव्य को नित्य कहा गया है वह अपने सत्तारूप गुण का अभाव न होना है। इस परिवर्तन के होते रहने पर भी सत्ता को अक्षुण्ण स्वीकार करने के कारण ही बौद्धों के क्षणिकवाद के दोषों का प्रसंग नहीं आता है।

इस तरह उपर्युक्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन यथार्थवाद की नींव पर ग्रन्थ में किया गया है। यह संसार जो हमें दिखलाई पड़ रहा है वह उतना ही सत्य है जितना हमें अनुभव में आता है। इसके अतिरिक्त इस सृष्टि का स्रोत न तो उपनिषदों की

उप्पत्तीव विणासो दव्यस्स य णित्य अत्थि सब्भावो ।
 विगमुष्पादधुवत्तं करॅति तस्सेव पञ्जाया ।।

[—]पंचास्तिकाय, गाया ११.

तरह किसी एक ही केन्द्रबिन्दु से और न सांख्यदर्शन की तरह चेतन-अचेतन इन (प्रकृति-पुरुषक्प) दो केन्द्रबिन्दुओं से प्रवहमान है अपितु चेतन-अचेतनक्प मुख्य छः केन्द्रबिन्दुओं से प्रवहमान है। द्रव्य वेदान्तियों की तरह न तो सर्वथा नित्य है और न बौद्धों की तरह सर्वथा अनित्य अपितु नित्यानित्यात्मक एवं एकाने-कात्मक है। लोक की भौगोलिक रचना के सम्बन्ध में कितनी यथार्थता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है।



सर्वे खल्वदं ब्रह्म ।
 —छान्दोग्योपनिषद् ३.१४.१-एकमेवाद्वितीयम् ।

 —छान्दोग्योपनिषद् ६.२.२.

#### प्रकरण २

# સંસાર

चेतन (जीव) के साथ रूपी-अचेतन (पुद्गल) का संयोग-विशेष होना ही संसार है। अतः जबतक चेतन जीव के साथ रूपी-अचेतन पुद्गल का सम्बन्ध रहता है तबतक जीव 'संसारी' कहलाता है। संसार शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—संसरण या परिश्रमण। यह संसरण मुख्यरूप से चार अवस्थारूप बतलाया गया है जिन्हें गति कहते हैं। उनके नाम हैं—नरकगित, तिर्यञ्च-गित, मनुष्यगित और देवगित। इन चार गितयों में अपने शुभ और अशुभ कमों के कारण जीव का जन्म-मरण को प्राप्त होना ही संसार है। इसीलिए ग्रन्थ में संसार या संसारचक्र को जन्म, जरा और मरण के भय से अभिभूत बतलाया है तथा उसे 'भव' या 'भवप्रवृद्ध भी कहा है। उ

## संसार की दु:खरूवता

नरकादि चारों गतियां जरा-मरणरूप संसार-कान्तार की चार भयंकर खाने हैं। अये दुस्सह एवं भयंकर शब्दों तथा दुःखों

१. एवं भवसंसारे संसरइ सुहासुहेहि कम्मेहि — उ० १०.१५.

२. जाईजरामच्चुभयाभिभूया बहि विहाराभिनिविद्वचिता । संसारचक्कस्स विमोक्खणहा दट्ठूण ते कामगुणे विरत्ता ॥

---ত০ १४.४.

तथा देखिए-उ० २३. द४; ३६.६३.

जरामरणकंतारे चाउरंते भयागरे।
 मए सोढाणि भीमाइं जम्माइं मरणाणि य।

<del>--</del>उ० १६.४७.

तथा देखिए-उ० २६.२२, ३२, ४६.

#### उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

१३० ]

से पूर्ण होने के कारण दुर्गतिरूप (खोटी अवस्थाएँ) कही गई हैं। यद्यपि भौतिक सुख-सुविधाओं की अपेक्षा मनुष्य और देवगित को सुगति भी कहा गया है परन्तु इन गतियों की भी सुख-सुविधाएँ कुछ समय बाद या मृत्यु के उपरान्त नष्ट हो जाने के कारण दुर्गतिरूप ही हैं। अतः केवल स्व-स्वरूप की प्राप्तिरूप सिद्ध-अवस्था (मुक्ति) ही सदा सुखों से पूर्ण होने के कारण सुगतिरूप कही गई है। इस तरह एकमात्र सिद्ध-अवस्था के सुगतिरूप कही गई है। इस तरह एकमात्र सिद्ध-अवस्था के सुगतिरूप होने से सिद्ध-अवस्था की प्राप्ति में प्रमुख कारणभूत मनुष्यगति को भी कथि चित्र स्वयम आदि के द्वारा सिद्ध-अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः ग्रन्थ में मनुष्यगित को अपार वैभवसम्पन्न देवगित की भी अपेक्षा दुर्लभ बतलाया गया है। ध

१. सहा विविहा भवन्ति लोए, दिग्वा माणुस्तगा तहा तिरिच्छा। भीमा भय•भेरवा उराला''''''। ---उ० १५०१४.

विणयपडिवन्ते य णं जीवे अणच्चासायणसीले नेर्रइयतिरिक्खजीणियमणु-स्सदेवदुग्गईओ निरुंभइ । ---उ॰ २६.४.

तथा देखिए-उ० १४.२; १६.१६,४६-४७; २०.३१.

२. भणुस्सदेव सुगईओ निबंधई । —उ० २६.४.

तथा देखिए-उ० ३.१,७; प्रकरण १.

३. नाणं च दंसणं चेव ''' जीवा गच्छन्ति सोगाई। --- उ० २५.३.

४. एकथा देवलोएसु नरएसु वि एगया । एगया आसुरं कायं आहाकम्मेहि गच्छई ।।

## तियंञ्च व नरकगति के कष्ट :

देवगित और मनुष्यगित के अतिरिक्त तिर्यञ्च और नरकगित भौतिक सुख-सुविधाओं की भी दृष्टि से दुर्गतिरूप ही हैं। अतः ग्रन्थ में इन्हें आपित एवं वधमूलक बतलाया गया है और जहां से निकल्ला बड़ा कठिन है। इन दोनों में भी नरकगित अत्यधिक कष्टों से पूर्ण है। इस नरकगित में प्राप्त होने वाले कष्ट मनुष्यगित के कष्टों से अनन्तगुणे अधिक हैं। मृगापुत्र ने संसार के विषय-भोगों से विराग लेते समय अपने पिताजी से उन नारकीय कष्टों का वर्णन संक्षेप में निम्न प्रकार से किया है:

'हे पिताजी! जिस प्रकार की वेदनाएँ (कब्ट) इस मनुष्यगित में देखी जाती हैं उससे अनन्तगुणी अधिक नरकों में हैं। ये अत्यन्त तीव्र, प्रचण्ड, प्रगाढ़, रौद्र, दुस्सह और भयंकर हैं। जैसे—प्रज्वलित अग्नि पर रखे हुए कुन्दकुम्भी नामक बर्तन में नीचे सिर और ऊपर पर करके अनेक बार महिष की तरह पकाना; महादावाग्नि के समान उष्ण बालुकामय प्रदेशों में संतापित करना; अतितीक्षण काँटों वाले उच्च शाल्मलिवृक्ष पर क्षेपण करके रस्सी आदि से कर्षापकर्षण करना; विभिन्न प्रकार के अतितीक्षण शस्त्रों से छेदन-भेदन करके दुकड़ों के रूप में वृक्ष के टुकड़ों की तरह जमीन पर फेंकना; शूकरों एवं कुत्तों के द्वारा घसीटा जाना; ईख की तरह महायन्त्रों में पेरा जाना; आग के समान तप्त लोहे के रथ में जोते जाकर चाबुकों (बेंत) से पीटा जाना; संडासी की तरह चोंच वाले नाना प्रकार के गीध

१. दुहुओ गई बालस्स आवई वहमूलिया ।
देवतं माणुसतं च जं जिए लोलयासढे ।।
तस्रो जिए सई होइ दुविहं दुग्गई गए ।
दल्लहा तस्स जम्मग्गा अद्धाए सुचिरादिव ।।

[—]उ० ७**,** १७-१¤,

तया देखिए--उ० १६.११; ३४.५६; ३६.२५७ वादि ।

२. उ० १६.४८-७४; ५.१२-१३; ६.८.

विशेष के लिए देखिए-सूत्रकृताङ्गसूत्र १.४; प्रश्नव्याकरण अध्ययन १.

आदि पिक्षियों से नीचा जाना; छलपूर्वक कठोर पाशों से बाँधकर मृग की तरह मारा जाना; पिपासा से व्याकुल होकर वैतरणी नामक नदी में जल पीने के लिए जाने पर उस्तरे की तरह तीक्ष्ण धारा से व्यापादित किया जाना; किसी तरह पिपासा को सहन करने पर भी वहाँ पर स्थित अर्धामयों के द्वारा तांबा, लोहा, सीसा, लाख आदि पदार्थ खूब गरम करके चिल्लाते रहने पर भी पिलाया जाना; छाया की अभिलाषा से वृक्षादि की छाया का आश्रयण करने पर तीक्षण असिपत्रों (तलवार की तरह तीक्षण पत्ते) से छेदित किया जाना; यमदूतों की तरह स्वयं के शरीर को काटकर खिलाना; शरीर पर तीक्षण औजारों से नक्कासी आदि करना; लुहार की तरह कूटना-पीटना आदि। इस प्रकार के विविध नारकीय कष्टों को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

नारकी जीवों की ही तरह तियं ज्वों को भी अनेक प्रकार के किट मिलते हैं जिनको हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं। नारकी और तियं ज्वों के किटों में अन्तर इतना है कि नारकी जीवों की असमय में मृत्यु न होने के कारण उनके शरीर वारम्बार छिन्न-भिन्न किए जाने पर भी फिर जुट जाते हैं जबिक तियं ज्वों के शरीर एकबार छिन्न-भिन्न होने पर फिर नहीं जुटते हैं। इसके अतिरिक्त तियं ज्वों को कुछ भौतिक सुख-सुविधाएँ भी प्राप्त हैं और उनके किट नारकी जीवों की अपेक्षा बहुत ही अल्प हैं। इस तरह चारों गितियों के जीवों में सर्वाधिक कष्ट नारकियों को ही प्राप्त होते हैं।

# मनुष्य व देवगति के सुखों में दुःखरूपताः

इस तरह यद्यपि नरक और तिर्यं क्च योनियों में ही कब्टों की अधिकता है परन्तु मनुष्य और देव योनियों में तो नाना प्रकार के विषयसुख उपलब्ध होते हैं फिर उन्हें क्यों कब्टों से पूर्ण कहा गया है? इस विषय में एकमात्र कारण है शरीर तथा विषयभोगों की अनित्यता। अतः ग्रन्थ में कहा है—यह जीवन वृक्ष के पीले पत्ते और ओस की बूंद की तरह अल्पस्थायी है। फेन के बुलबुले और विद्युत् की तरह चक्चल है। इसके अतिरिक्त यह जीवन प्रतिपल

मृत्यु के समीप चला जा रहा है। सर्वार्थिसिद्धि में रहनेवाले सर्वोच्च देव भी इस मृत्यु से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के उपरान्त सभी सांसारिक विषय-भोग यहीं छूट जाते हैं जिनका अन्य लोग उपभोग करते हैं। माता, पिता, भाई, बन्धु, पुत्र, पित, पत्नी, मित्र आदि सभी लोग तभी तक साथ देते हैं जबतक मृत्यु नहीं आ जाती है क्योंकि मृत्यु के उपरान्त ये सभी सम्बंधी- जन जो प्राणों से भी अधिक प्रिय थे दो-चार दिन शोक करके अन्य दातार के पीछे चल पड़ते हैं। इसीलिए इन विषय-भोगों और सम्बन्धीजनों के प्रति की गई आसक्ति को महामोह और भय को उत्पन्न करने वाली कहा गया है। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में अनाथी मुनि के मुख से यह कहलाया गया है कि सभी प्रकार के साधनों से सम्पन्न राजागण भी अनाथ हैं क्योंकि मृत्यु या भयंकर

१. दुमपत्तये पंड्यए जहां निवडद राइगणाण अच्चए। एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयम! मा पमायए।। कुसग्गे जह ओसविदुए योवंचिद्वइ लंबमाणए। एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयम मा पमायए।। — उ० १०.१-२.

अणिच्चे जीवलोगम्मि ।

—उ० १५.**१**२.

जीवियं चेव रूपं च विज्जु संपायचंचलं। — उ० १८.१३.

तथा देखिए--छ० ४.१,६;७.१०; १०.२१-२७; १३.२१,२६; १४.२७-३२; १६.१३-१४.

२. जहेह सीहो व मियं गहाय मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले। 'नं तस्स माया व पिया व भाषा कालम्मि तम्मसंघरा भवन्ति।। —उ० १३.२२.

तं एक्कगं तुच्छसरीरगं से चिईगयं दिहय उ पावगेण । भज्जा य पुत्तोवि य नायओ वा दायारमण्णं अणुसंक्वनित ॥ — उ० १३.२५.

तथा देखिए--- उ० ४.१-४; ६.३-६; १८.१४-१७; आदि । ३. जहितु संगं च महाकिलेसं महन्तमोहं कसिणं भयाणगं । --- उ० २१.११. रोग आदि के उपस्थित हो जाने पर कोई बचा नहीं सकता है। यह शरीर जिसका हम प्रतिदिन नाना प्रकार से प्रांगार करते हैं वह भी विष्ठा, मूत्र, नासिकामल आदि अनेक घृणित पदार्थों से भरा हुआ है। इस प्रकार के अपितत्र शरीर में मन, वचन एवं काया से आसक्त होकर जीव इसके रक्षण, पोषण एवं संवर्धन आदि की चिन्ता किया करते हैं। रोगादि के हो जाने पर इस शरीर के कारण ही जीवों को अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। अतः मृगापुत्र तथा भृगुपुरोहित के दोनों पुत्र इस शरीर को आधि, ज्यािंघ, जरा, मरण आदि से पूर्ण जानकर इसमें क्षणभर के लिए भी प्रसन्न नहीं होते हैं।

## विषयभोग-जन्य सुखों में सुखाभासता :

संसार के विषयभोगों की साधनभूत पाँच इन्द्रियों को चोररूप बतलाया गया है। "पाँचों इन्द्रियों को चोररूप इसलिए कहा

—उ• १.४¤.

तथा देखिए-उ० २४.१४; १६.१५.

जे केड सरीरे सत्ता वण्णे छवे य सन्वती ।
 मणसा कायवक्केण सन्वे ते दुक्खसम्भवा ।।

<del>—</del>उ० ६.१२.

४. माणुसत्ते असारिम्य वाहीरोगाण आलए । जरामरणघत्यिम्य खर्णिप न रमामहं ।। जम्मदुत्रक्षं जरादुत्रक्षं रोगा य मरणाणि य । अहो दुक्खो हु संसारो जस्य कीसन्ति जंतुणो ।

—उ० १**६**,१५**-१**६.

तथा देखिए-उ॰ ५.११;१४.७.

अावज्जई इंदियचोरवस्से ।

---- 30 37.808.

तथा देखिए -- उ० ६.३०,

१. उ० २० ६-३०.

२. चइत्त् देहं मलपंकपुब्वयं ।

गया है कि इनसे जीव विषयभोगों को भोगता है जिससे शरीर की शक्ति नष्ट होती है और वह अकालमरण को प्राप्त करता है। इस तथ्य का वर्णन ग्रन्थ में बहुत विस्तार से मिलता है। जैसे :° चक्षु-इन्द्रिय के विषय रूप, श्रोत्रेन्द्रिय के विषय शब्द, श्राणेन्द्रिय के विषय गन्ध, रसनेन्द्रिय के विषय रस. स्पर्शनेन्द्रिय के विषय स्पर्श और मन के विषय भावरूप राग-द्वेष से प्रेरित होकर जीव उनके उत्पादन एवं रक्षण में नाना प्रकार की हिंसादि क्रियाओं में प्रवृत्ता होता है और उनके संभोगकाल में भी संतोब को प्राप्त न होता हुआ असमय में मृत्यु को प्राप्त करता है। जैसे : रूप (प्रकाश) में अत्यन्त आसक्त पतङ्गा, शब्द में आसक्त हरिण, औषधि की गन्ध में आसक्त सर्प, रस में आसक्त मत्स्य, शीतल जल के स्पर्श में आसक्त महिष-ग्राह और कामभोगों में आसक्त हाथी। इसी प्रकार द्वेष करने वाला भी स्वयं के भावों को कलुषित करके दृ:खी होता है। इस तरह ग्रन्थ में जब पृथक-पृथक इन्द्रिय के विषयं की आसक्ति का फल अकालमरण बतलाया गया हैतो फिर सभी इन्द्रियों के विषयों में आसक्ति का फल कितना भयावह नहीं हो सकता है ? इसीलिए इन्द्रियों को चोररूप कहा गया है अन्यथा ये इन्द्रियाँ ज्ञानादि की प्राप्ति में सहायक हैं।

इसी प्रकार नृत्य, गीत, आभूषण, नारीजनों का परिवार आदि संसार के सभी भोग्य विषय जिनकी प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है और जो भोगने में सुखरूप प्रतीत होते हैं उनमें भी वास्तव में निमेषमात्र भी सुख नहीं है। ये क्लेब्सा में फसने वाली मक्षिका की तरह कर्म-जाल में बाँघने वाले हैं। ऐसी स्थित में पिजड़े में स्थित पक्षी और बन्धन में स्थित मृग की तरह इन विषयभोगों में

—ব৹ १६.७४.

तथा देखिए-- ७० ७.८; १४.२१,४१ आदि ।

**१. उ० ३२.२२-६६.** 

२. सब्बभवेसु अस्साया वेयणा वेदिता मए । निमिसंतरमित्तंपि जे साया नित्य वेयणा ।।

#### १३६ ] उत्तराध्ययन-सूत्रः एक परिशीलन

सुख कहाँ ? इसीलिए सभी गीतों को विलापरूप, नृत्य को एक प्रकार की विडम्बनारूप, आभूषणों को भाररूप तथा कामादि भोगों को दुःखरूप बतलाया गया है। भोगकाल में ये विषयभोग यद्यपि सुन्दर एवं सुखकर प्रतीत होते हैं परन्तु परिणाम में 'किपाक' नामक विषफल की तरह प्राणघातक होते हैं। इसके अतिरिक्त ये विषय-भोग भोगने से इच्छा-ज्वाला को और अधिक तीव्रतर कर देते हैं क्योंकि जैसे-जैसे किसी वस्तु की प्राप्ति होती जाती है वैसे-वैसे लोभ (आकांक्षा) भी बढ़ता जाता है। इस तरह ये विषय-भोग यद्यपि क्षणभर के लिए कुछ सुख अवश्य देते हैं परन्तु कालान्तर में भयकर कष्टों को ही अधिकमात्रा में देते हैं।

१. नाहं रमे पिक्खणि पंजेरे वा।

उ० १४.४१.

भोगामिसदोसविसन्ने ...... बज्झई मञ्जिया व खेलम्मि ।

— র o ব. ধ.

२. सब्वं विलवियं गीयं सब्वं नट्ट विडम्बियं । सब्वे आभरणा भारा सब्वे कामा दुहावहा ॥

—उ० १३.१६.

—उ० १६.१**८.**;

तथा देखिए--उ० ४.१३; १३.२०-२१; १४.१३; १६.१२; १२.२०.

४. जहां लाही तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढई। दोमासकर्य कज्ज्ञं कोडीए वि न निट्ठियं।।
—उ० ८.१७.

पुढवी साली जवा चेव हिरण्णं पसुभिस्सह । पडिपुण्णं नालमेगस्सं''''।।

—उ० **६.**४६.

तथा देखिए- उ० १४.३६.

सुख वास्तव में इनके त्यागने में ही है। जैसे: किसी पक्षी के पास मांस का टुकड़ा देखकर अन्य पक्षीगण उस पर झपटते हैं और उससे वह मांस का टुकड़ा छीनने के लिए उसे नाना प्रकार से पीड़ित करते हैं। जब वह पक्षी उस मांस के टुकड़े को छोड़ देता है तो अन्य पक्षीगण उसे सताना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए ग्रन्थ में सांसारिक विषयभोगों से प्राप्त होनेवाले सुखों की अपेक्षा विषयभोगों से विरक्त मुनि को प्राप्त होनेवाले आत्मानन्दरूपी सुख को श्रेष्ठ बतलाया गया है। व

विषय-भोगों में जो हमें सुख प्रतीत होता है वह हमारे रागद्वेषच्प मन का विकार है क्योंकि जीव जिससे राग करता है उसका
संयोग होने पर और जिससे द्वेष करता है उसके विनष्ट होने पर
प्रसन्न होता है। जैसे: जंगल में दावाग्नि से जलते हुए वन्य पशुओं
को देखकर अन्य पशु राग-द्वेष के कारण आनन्दित होते हैं उसी
तरह सम्पूर्ण संसार राग-द्वेषच्पी अग्नि से जल-भुन रहा है। इसके
अतिरिक्त इस जीव को मृत्यु च्पी व्याध जरा च्पी जाल से वेष्टित
करके दिन-रात च्पी शस्त्रधाराओं से पीड़ित कर रहा है। अतः

- श. सामिसं कुललं दिस्स बज्झमाणं निरामिसं ।
   आमिसं सब्बमुज्झित्ता विहरिस्सामि निरामिसा ।
   —उ० १४.४६.
- २. बालाभिरामेसु दुहावहेसु न तं सुहं कामगुणेसु रायं। विरत्तकामाण तवोधणाणे जंभिक्खूणं सीलगुणे रयाणं। —उ० १३ १७.
- इतिमणा जहारणे डज्झमाणेसु जन्तुसु ।
   अन्ते सत्ता पमोयन्ति रागद्दोसवसं गया ।।
   एवमेव वयं मूढा कामभोगेसु मुच्छिया ।
   इज्झमाणं न बुज्झामो रागद्दोसिगणा जगं ।।
   — उ० १४.४२-४३.

तथा देखिए--उ० ६.१२; १४.१०; १६.१६,२४-२४, ४७.

४. मच्चुणाऽक्भाहओ लोगो जराए परिवारिओ।
अमोहा रयणी वृत्ता एवं ताथ! विजाणह ॥
—उ० १४.२३.

#### १३८] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

संसार में सुख कहाँ ? यदि किसी तरह सांसारिक सुख के साधनभूत कामभोगों को प्राप्त भी कर लिया जाए तो भी इनकी रक्षा
करना बड़ा किठन है क्योंकि ये चंचल स्वभाव के होने के कारण
अच्छी तरह रोक रखने पर भी इच्छा के विपरीत छोड़कर अन्यत्र
चले जाते हैं। जैसे पत्र, फल आदि से रहित वृक्ष को पक्षीगण
छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में संसार के विषयभोगों को सुख का साधन कैसे माना जा सकता है ? इन्हें तो दुःखों
की खान ही कहना चाहिए। विषय-भोगसम्बन्धी इच्छाएँ
अनन्त एवं दुष्पूर हैं। अतः इनसे वास्तविक सुख की कल्पना
करना मात्र मन को संतोष दिलाना है।

जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है वे ही इन सांसारिक सुखों को प्रिय समझते हैं। ³ इसके अतिरिक्त वे नाना प्रकार की हिसादि क्रियाओं में प्रवृत्त होकर मिट्टी को एकत्रित करनेवाले शिशुनाग (केंचुआ –द्वीन्द्रिय जीव) की तरह मन-वचन-काया से भोगों में मूर्च्छित होकर इहलोक और परलोकसम्बन्धी दुःखों के

१. अच्चेइ कालो तरिन्त राइओ न यावि भोगा पुरिसाण णिच्चा ।
 ज्विच्च भोगा पुरिसं चयन्ति दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ।।
 —उ० १३.३१.

इमे य बद्धा फन्दन्ति मम हत्थज्जमागया । — ७० १४,४५

२. हमं सरीरं अणिच्चं असुद्रं असुद् संभवं । असासयाचासमिणं दुक्लकेसाण भाषणं ॥ — उ० १६.१३.

तया देखिए—उ० १६ ६६; १०.३. खणमित्तसुदेखा बहुकालदुक्खा पंगामदुक्खा अणियामसुदेखा । संसार मोक्खस्स विषक्खभूया खाणी अणत्थाण उ कामभोगा । —उ• १४.१३

हिसे वाले मुसावाई माइल्ले पिसुणे सढे ।
 भुंजमाणी सुरं मंसं सेयमेयं ति मझई ॥
 —उ० ५.६.
 तथा देखिए—उ०५.५-६; ६.५१; १६.१७; १४.५.

कारणभूत कर्ममलों का संचय करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी धन-धान्यादि से सम्पन्न क्षत्रियराजा की तरह भोगों से निवृत्ति नहीं होती है। बारम्बार प्रतिबोधित करने पर भी उनकी प्रवृत्ति उस ओर से उसी प्रकार नहीं मुड़ती है जिस प्रकार कीचड़ में फंसा हुआ हाथी तीर प्रदेश को देखकर भी नहीं निकल पाता है। जित्त-मुनि के द्वारा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बारम्बार प्रतिबोधित किए जाने पर भी विषयों से विरक्त नहीं होता है और अन्त में सातवें नरक में जाता है। इसीलिए ग्रन्थ में संसार को पाशरूप तथा समुद्र की तरह विशाल एवं दुस्तर बतलाया गया है जहां से निकलना बड़ा कठिन है। "

चार दृष्टान्त—विषयासक्त पुरुषों को प्रतिबोधित करने के लिए ग्रन्थ में चार दृष्टान्त दिए गए हैं। वे इस प्रकार हैं: ६

- कायसा वयसा मत्ते वित्ते विद्धे य इत्थिसु ।
   दुहुओ मलं संचिणइ सिसुणागीव्य मिट्टयं ।।
   —उ० ४.१०.
- ्र-२. न निविज्जन्ति संसारे सब्बट्ठेसु व खत्तिया । —उ० ३.४.
  - ३. नागो जहा पक जलावसन्नो दट्ठुं यलं नाभिसमेइ तीरं।
    ---उ० १३.३०.

तथा देखिए--उ॰ १३.१४; २७, ३३, १६.२६; ज.६.

- ४. पंचालराया थि य बम्भदत्ती । साहुस्स तस्स वयणं अकाउं !। अणुत्तरे मृजिय कामभोगे । अणुत्तरे सो नरए पविद्वो ॥ --उ• १३,३४.
- ४. पासजाइपहे बहू। ---उ०६.२.

तिण्णो हु सि अण्णवं महं। —उ०१०.३४.

तथा देखिए—उ० ४.७; ४.१; ६.२; व.१०; १६.११; २१.२४; २२.३१; २३.७३; २४.४०.

६. उ० ७.१-२४.

१. बकरा-जिस प्रकार बाहर से आने वाले प्रिय अतिथि के भोजन के निमित्त कोई बकरा अपने मालिक द्वारा विविध प्रकार के पक्वान्नों से पाला-पोसा जाता है और फिर उसके हृष्टपुष्ट हो जाने पर तथा अतिथि के आ जाने पर उसे मार डाला जाता है, उसी प्रकार विषयासक्त जीव भी मृत्युरूपी अतिथि के आजाने पर मृत्यु को प्राप्त करकेदुःखों को झेलते हैं। २. काकिणी ( सबसे छोटा सिक्का ) - जैसे एक काकिणी के लोभ से कोई जीव हजारों मुद्राएँ खो देते हैं वैसे ही थोड़े से क्षणिक-सुख के पीछे मनुष्य सहस्रमुणे अधिक सुखों को खो देते हैं। ३. आम्नपल-भक्षण-जैसे कोई राजा चिकित्सक द्वारा बारम्बार मना किए जाने पर भी अल्पमात्र स्वाद के लोभ से आम्रफल खाकर मर जाता है वैसे ही थोड़े से स्वाद के लोभ से जीव अपने बहमूल्य जीवन को खो देते हैं। ४. तीन व्यापारी – जैसे कोई तीन व्यापारी व्यापार के निमित्त विदेश में जाकर धन कमाते हैं। उनमें से एक मूलधन को सुरक्षित लेकर, दूसरा मूलधन में बृद्धि करके और तीसरा मूलधन को विनष्ट करके लौटता है। उसी प्रकार यह जीव भी मनुष्यजन्मरूपी मूलधन को लेकर चतुर्गतिरूप संसार में भ्रमण करता है। यदि मूलधन में वृद्धि करता है तो स्वर्गगति में जाता है और यदि मूलधन का विनाश करता है तो तिर्यञ्च या नरकगति में जाता है।

उपर्युक्त चार दृष्टान्तों को समझने के बाद भी यदि कोई सम्यक् आचरण न करके विषयों में ही आसक्त रहता है तो वह करुणा-योग्य, लज्जालु, दीन और अप्रीति का पात्र होता है।

इस प्रकार अन्य भारतीय धार्मिक-ग्रन्थों की तरह प्रकृत-ग्रन्थ में भी संसार को दुःखों से पूर्ण चित्रित किया गया है। इसमें जो सुख की अनुभूति होती है वह काल्पनिक एवं क्षणिक है। भगवान्

आवज्जई एवमणेगरूवे एवंविहे कामगुणेसु सत्तो ।
 अन्ते य एयपभवे विसेसे कारुण्णदीणे हिरिये वइस्से ।।

च० ३२.१०३.

२. मनुस्मृति ४.१६०; भर्तृहरि-वैराग्यशतक ।

बुद्धं ने भी अपने चार आर्यसत्यों में प्रथम सत्य 'संसार की दुःखरूपता' को ही स्त्रीकार किया है।

# दुःखरूप संसार की कारण-कार्य-परम्परा :

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि इस संसार में दुःख ही सत्य है। इसमें जो सुखानुभूति होती है वह मानसिक, क्षणिक, कल्पनाप्रसूत या आभासमात्र है। चूँकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है अतः इन दुःखों का भी कारण अवश्य होना चाहिए। इन दुःखों के कारणों पर विचार करते हुए ग्रन्थ में विभिन्न प्रकार से इसकी कारण-कार्यश्रृंखला का प्रतिपादन किया गया है जिसके प्रतिपादन में विभिन्नता होने पर भी एक इकाई और सामञ्जस्य है। वह कारण-कार्य-परम्परा इस प्रकार है:

जन्म-मरण—संसार में जो दुःख हैं उनका कारण है—जन्म-मरण को प्राप्त होना। यदि जीव का जन्म न हो तो रोगादिजन्य पीड़ा भी न हो क्योंकि जन्म होने पर दुःख एवं मृत्यु आदि अवश्यंभावी हैं। अतः ग्रन्थ में रोगादिजन्य दुःख के समान जन्म को भी दुःखरूप कहा गया है। 3

शुभाशुभ-कर्मबन्धन—इस जन्म-मरणरूप संसार का भी कारण है—व्यक्ति के द्वारा किया गया शुभाशुभ-कर्म (अदृश्य—भाग्य)। र जब जीव अहिंसा, दया, दान आदि अच्छे कार्य करता है तो पुण्य के प्रभाव से स्वर्गादि में जन्म लेता है। जब हिंसा, झूठ, चोरी आदि

१. देखिए-प्रकरण ३.

रागो य दोसो वि य कम्मवीयं कम्मं च मोहप्पभवं वयंति ।
 कम्मं च जाई भरणस्स मूलं दुक्लं च जाईमरणं वयंति ।

**[—]**३० ३२.७.

३. देखिए-पृ० १३४, पा० टि० ४.

४. देखिए—पु० १४१, पा० टि० २; —उ० ३.२, ५-६; ४.२; ७.८-६; १०.१४; १३. १६-२०; १४.२,१६; १८.२४; १६.१६-२०,२२,५६,५८;२•,४७;२१.२४; २५.४१; ३२.३३; ३३.१.

खोटे कार्य करता है तो पापकर्म के प्रभाव से नरकादि में जन्म लेता है। दुरात्माके विषय में ग्रन्थ में कहा गया है कि वह कण्ठ का छेदन करने वाले शत्र की अपेक्षा भी अपना अधिक अनिष्ट करता है । इसका ज्ञान उसे तब होता है जब वह मृत्यु के समीप पहुँचकर पश्चात्ताप से दग्ध होता है। ' यह अवश्य हैं कि पुण्यकर्म के प्रभाव से सांसारिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त होती हैं परन्तू जन्म-मरण के प्रति दोनों (पाप-पूण्य) की कारणता समान है।

मनोज्ञामनोज्ञ विषयों में राग-द्वेष-बुद्धि - कर्मबन्धन वयों होता है ? इसका कारण है- मनोज्ञ (प्रिय) वस्तु में राग (ममत्व-आसक्ति) और अमनोज्ञ (अप्रिय) वस्तु में द्वेष-बुद्धिकाहोना। जब जीव किसी वस्तु में राग या द्वेष करता है तो वह अपने राग-द्वेष के कारण दुःखों को प्राप्त करता है। ³ इस तरह राग-द्वेष साक्षात् दुःख के कारण होकर भी कर्मबन्ध के कारण हैं क्योंकि रागद्वेष के कारण ही जीव हिंसा, झठ, चोरी आदि पाप-क्रियाओं तथा दया, दान आदि

तथा देखिए-उ० ७.६.

२. देखिए-ए० १४१, पा० टि० २.; उ० ४.१२-१३; व.२; २६ ६२ 68: 40.2,8; \$2.3; \$7.8,98,7X-30, \$7-33, 34-38, ४१,४६, ५१, ५२,५६, ६४-६५,७२, ७७-७=, ८४, ६०-६१, ६८, १००-१०१.

यहाँ पर कहीं राग-देव की पृथक्-पृथक्, कहीं एक साथ, कहीं मोहादि के साथ कर्म का कारण बतलाया गया है। कहीं-कहीं राग-द्वेष को साक्षात संसार या दुःख का भी हेतु बतलाया गया है।

३. रूवेसू जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं अकालियं पावइ से विणासं। रागाउरे से जह वा पयंगे अलीयलीले समुबेइ मच्चुं।। जे यावि दोसं समुवेइ तिब्बं तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं। दृद्दन्तदोसेण सएण जन्तू न किंचि रूवं अवरज्झई से ।

**-30 ₹२.२४.२**४.

१. न तं अरी कंठछेला करेइ जंसे करे अप्पणिया दुरप्पा। से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ।?

पुण्य-क्रियाओं को करता है। इन पाप और पुण्यरूप क्रियाओं के करने से कमशः पाप और पुण्य कमों का बन्ध होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि द्वेष के भी मूल में राग ही कारणरूप से कार्य करता है क्यों कि अमनोज्ञ वस्तु में जो द्वेष होता है उसके मूल में भी किसी न किसी के प्रति राग की भावना अवश्य रहती है। जिस व्यक्ति ने कभी किसी से राग (प्रेम) किया ही नहीं सिर्फ द्वेष, क्रोध और घृणा ही करना जानता है उसे भी अपने क्रोधी-स्वभाव से राग अवश्य है अन्यथा अपनी इच्छा के प्रतिकूल आचरण करने वाले से कभी द्वेष न करे। भगवान् महाबीर में भी किया गया राग पुण्य-कमं के बन्ध में कारण है। इसीलिए ग्रन्थ में गौतम गण्यर को लक्ष्य करके भगवान् ने कहा है कि हे गौतम! मुझसे ममत्व मत करो।

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि राग-देष का कारण क्या है ? क्या मनोज वस्तु राग का और अमनोज वस्तु देष का कारण है ? इस विषय में ग्रन्थ का स्पष्ट मत है कि यद्यपि मनोज और अमनोज क्स्तु में क्रमश: राग और देष की भावना उत्पन्न होती है परन्तु ये मनोज्ञामनोज्ञ विषय रागवान् व्यक्ति के लिए ही क्रमश: राग और देष को उत्पन्न करते हैं, वीतरागी के लिए ये न तो राग को उत्पन्न करते हैं और न देष को उत्पन्न करते हैं। इस तरह रूपादि विषय न तो रागद्वेष को शान्त करते हैं और न उनकी उत्पत्ति के कारण हैं अपितु जो जीव उन विषयों में राग अथवा देष करता है वह ही स्वयं के राग अथवा देष के कारण विकृति को प्राप्त होता है। इसमें रूपादि

—उ० १०.२**५**,

— **उ० ३२.२**६.

वीच्छिदं सिणेहमप्पणो कुमुयं सारद्वयं व पाणियं ।
 से सब्विसिणेहविज्जिए समयं गोयम मा पमायए ॥

२. चत्तपुत्तकलत्तस्स निन्वावारस्स भिक्खुणो । पियं न विज्जई किचि अप्पियं पि न विज्जई ।। एगंतरत्ते रुइरंसि रूवे अतालिसे से कुणई पश्रीसं । दुवस्यस्स संपीलमुवेइ बाले न लिप्पई तेण मुणी विरागो ।।

विषयों का कोई दोष नहीं है। इसीलिए प्रव्रज्या लेते समय निम-राजिष इन्द्र के द्वारा यह कहने पर कि 'आपका अन्तःपुर जल रहा है' अपने संकल्प से विचलित नहीं होते हैं ।^२ यदि उनके स्थान पर कोई रागवान पुरुष होता तो अवश्य ही राग के कारण अन्तःपुर की रक्षा आदि का तथा द्वेष के कारण अन्तः पूर में आग लगाने वाले को दण्डित करने आदि का प्रयत्न करता । इसके अतिरिक्त कौन-कौन से विषय मनोज्ञ हैं और कौन अमनोज्ञ हैं ?यह कह सकना संभव नहीं है क्योंकि कोई एक विषय किसी को मनोज्ञ लगता है और दूसरे को वही विषय अमनोज्ञ तथा तीसरे को उपेक्षणीय। अतः मनोज्ञा-मनोज्ञ विषय क्रमशः राग और द्वेष के कारण नहीं माने जा संकते हैं। यदि ऐसान माना जाएगा तो वीतरागी और मुक्त जीवों को भी रागादि की उत्पत्ति होने लगेगी क्योंकि मनोज्ञामनोज्ञ विषय उनके भी समक्ष रहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिका कर्म करने के विषय में जो स्वातन्त्र्य है वह भी समाप्त हो जाएगा। अज्ञान-जब मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय क्रमशः राग एवं द्वेष

के कारण नहीं हैं तो फिर राग-द्वेष का कारण क्या है ? इस

<del>-</del>उ० ३२.१०१. यहाँ पर मनोज्ञामनोज्ञ विषयों को जो रागादिका अहेतु बतलाया गया है वह उपादानकारण की अपेक्षा से है क्योंकि निमित्तकारणता जनमें अवश्य वर्तमान है। यदि ऐसा न होता तो मनोज्ञामनीज विषयों के उपस्थित होने पर रागादि विकार उत्पन्न न होते । इसके अतिरिक्त ग्रन्थ का यह कथन कि विषयभीग विषक्त की तरह हैं कैसे संगत होगा ?

१. त कामभीमा समयं उवेंति न यावि भीगा विगइं उवेंति । जे तप्पओसी य परिगाही य सो तेस् मोहा विगई उवेइ।।

२. उ० ६.१२-१६.

जैसे मृत घोडशी सुन्दरी बाला को देखकर कोई कामुक थुवक रागाभि-मृत होकर कहता है 'अहो कितनी सुन्दरी थी !', शत्रु द्वेषवश कहता है 'अच्छाहआ जो वह मर गई' परन्तुएक वीतरागीसाधु संसार की असारता का विचार करता हुआ उपेक्षाभाव रखता है। इस तरह एक ही विषय कामुक व्यक्ति को मनोज्ञ, शत्रु को अपनोज्ञ और वीतरागी साधुको उपेक्षणीय होता है।

विषय में प्रन्य का मत है कि राग की उत्कट-अवस्थारूप मोह (मूच्छाभाव) ही रागद्वेष का जनक है। यह मोह भी अज्ञानमूलक राग की उत्कटावस्थारूप मूच्छाभाव से अतिरिक्त कुछ नहीं है। मोह के रागात्मक होने के कारण ग्रन्थ में कहीं-कहीं राग-द्वेष के साथ मोह को भी कर्मबन्ध एवं दु:ख का कारण बतलाया गया है। र

इस मोह के अज्ञानमूलक होने से मोह का भी मूल कारण अज्ञान (अविद्या) स्वीकार किया गया है। अतः ग्रन्थ में भी कहा है—'जो पुरुष ज्ञान से विहीन हैं वे सब दुःखोत्पत्ति के स्थानभूत हैं तथा वे मूढ़ होकर अनन्त संसार में बहुत बार (जन्म-मरणादि से) पीड़ित होते हैं। जो ज्ञानवान् हैं वे बन्धन के कारणों को जानकर सत्य की खोज करते हैं और सब जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखते हैं।'3

तृष्णा व लोभ-अज्ञान और मोह के बीच में जिन दो अन्य कारणों को ग्रन्थ में बतलाया गया है उनके क्रमशः नाम हैं-तृष्णा और लोभ।*

्र, अमोहणे होंइ निरंतराए। — ७० ३२.१०६.

> तथा देखिए---पृ० १४१, पा० टि० २; १४६, पा० टि० २; उ० ४.२६; द.३; १४.२०; १६.७; २१.१६ आदि ।

२. राग च दोसं च तहेव मोहं उढ़त्तुकामेण समूलजाल ।
-उ० ३२.६.

तथा देखिए-पृ० १४१, पा० टि० २; पृ० १४४, पा० टि० ४.

जावन्तऽविज्ञा पुरिसा सन्वे ते दुक्खसंभवा।
 जुप्पन्ति बहुसो मूडा संसारिम्म अणन्तए।।
 सिमक्ख पंडिए तम्हा पासजाइपहे बहू।
 अप्पणा सक्चमेसेज्ञा मेति भूएसु कप्पए।।
 —उ०६.१-२.

जहा वर्य धम्ममञाणमाणाः पावं पुरा कम्ममकासि मोहा ॥ — उ० १४.२०.

तया देखिए---ड॰ २८.२०; २६.४-६,७१ आदि ।

४. दुक्लं हमं जस्स न होइ मोहो मोहो हओ जस्स न होइ तप्हा । तण्हा हमा जस्स न होइ लोहो लोहो हओ जस्स न किचणाइं। ----उ० ३२.८.

तृष्णा और लोभ ये दोनों वास्तव में रागात्मक मोह की ही विभिन्न अवस्थाएँ हैं। तृष्णाको भयंकर फल देने वाली लताकहा गया है। इसके अतिरिक्त मोह और तृष्णामें वीजाङ्कुर का सम्बन्ध भी बतलाया गया है-'जिस प्रकार बलाका पक्षी की उत्पत्ति अंडे से और अंडे की उत्पत्ति बलाका से होती है उसी प्रकार मोह की उत्पत्ति तृष्णा से और तृष्णा की उत्पत्ति मोह से होती है।' इस तरह यद्यपि मोह और तृष्णा में बीजाङ्कुर की तरह सम्बन्ध बत-लाया गया है परन्तु इसके आगे ग्रन्थ में ही लिखा है—'जिसे मोह नहीं उसने दुःख का अन्त कर दिया। जिसे तृष्णा नहीं उसने मोह का अन्त कर दिया। जिसे लोभ नहीं उसने तृष्णा को नष्ट कर दिया और जिसके पास कोई संपत्ति नहीं (अकिञ्चन) उसने लोभ का भी अन्त कर दिया।'³ यहाँ मोह का कारण तृष्णा बतलाकर तृष्णाकाभीकारण लोभ बतलायागयाहै। इस लोभ केन रहने पर तृष्णादि की परम्परा टूट जाती है। इस लोभ का विनाश अिकञ्चनभाव (त्याग, समता आदि गुणों) से होता है। यहाँ अिकञ्चनभाव लोभ का कारण नहीं है अपितु लोभत्याग से अिकञ्चनभाव की प्राप्ति होती है। इस अिकञ्चनभाव की प्राप्ति ज्ञान से होती है और अज्ञान से लोभादि में प्रवृत्ति । इस तरह अज्ञान ही सब प्रकार के दुःखों का मूल कारण है। अज्ञान के दूर होते ही मोहादि की श्रृंखला टूट जाती है और तब जीव जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा पाकर जीवन्मुक्त हो जाता है। इस तरह दुःखों के कारणभूत संसार की जो कारणकार्यश्रृंखला बतलाई गई है वह निम्न प्रकार है:

अज्ञान →**लोभ** →तृष्णा →मोह →राग-द्वेष →कर्मबन्धन →जन्म• मरणरूप संसार →दुःख ।

१. भवतण्हा लया बुत्ता भीमा भीमफलोदया।
—उ० २३.४८.

३. देखिए---पृ० १४५, पा० टि० ४.

अज्ञान से लोभ, लोभ से तृष्णा, तृष्णा से मोह, मोह से रागद्वेष, रागद्वेष से शुभाशुभ कर्मबन्धन, शुभाशुभ कर्मबन्धन से जन्म-मरण- रूप संसार, जन्म-मरणरूप संसार से दु:खः इस तरह इस कारण- कार्यशृंखला के मूल में अज्ञान है जिससे जीव हिताहित का विवेक नहीं कर पाता है और रागादि के वशीभूत होकर संसार के विषय-भोगों में लिप्त रहता है। इस अज्ञान के दूर हो जाने पर संसार के विषयों से आसक्ति हट जाती है और दु:खों का भी अन्त हो जाता है। यह ज्ञान पुस्तकीय-ज्ञान मात्र नहीं है अपितु इस कारणकार्यशृं खलारूप सत्यज्ञान का आत्म-साक्षात्कार आवश्यक है। जब तक इस सत्य का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार के विषयों से रागबुद्धि हट नहीं सकती है। इसीलिए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती संसार की असारतों को जानकर भी संसार के विषयों से विरक्त नहीं हो पाता है। इस तरह अज्ञान ही वह मूल कारण है जिससे मोहादिरूप अन्य कारणों की उत्पत्ति होती है और तब अनन्त दु:खों से पूर्ण संसार में परिभ्रमण।

## कर्मे बन्ध

जन्म-मरणरूप संसार परिभ्यमण में कर्मबन्ध का विशेष महत्त्व है क्योंकि जब तक जीव के साथ कर्म का बन्धन रहता है तब तक वह संसार में परिभ्यमण करता है और जब वह कर्म के बन्धन से छटकारा प्राप्त कर लेता है तो चतुर्गतिरूप संसार-परिभ्यमण से भी मुक्त हो जाता है। अतः जीव के साथ होनेवाले कर्मबन्ध का विचार आवश्यक है।

### कर्मबन्ध शब्द का अर्थ:

'कर्मबन्ध' शब्द में दो शब्द हैं—कर्म और बन्धन । 'कर्म' शब्द से साधारणतया किया, प्रवृत्ति या कार्य का बोध होता है तथा 'बन्धन' शब्द से दो विशिष्ट पदार्थों के सम्बन्ध-विशेष का बोध होता है। इस तरह कर्मबन्ध का सामान्य अर्थ हुआ जीव के द्वारा

१. उ० १३.२७-३०.

की गई मन-वचन-काय की प्रवृत्ति से कर्म-परमाणुओं (कार्मणवर्गणा— रूपी अचेतन पुद्गल द्रव्यविशेष) का दूध और पानी की तरह जीव के आत्म-प्रदेशों के साथ एकक्षेत्रावगाही (सम्बन्ध) होना। यद्यपि इस तरह जीव की प्रत्येक किया का निमित्त पाकर कर्म-परमाणुओं का आत्मा के साथ बन्ध हो सकता है परन्तु प्रकृत प्रन्थ में प्रत्येक किया के निमित्त से कर्मबन्ध स्वीकार नहीं किया गया है अपितु संसार-परिश्रमण में कारणभूत रागद्वेष के निमित्त से होनेवाली मन-बचन-काय की किया ही जीव के साथ कर्म-परमाणुओं का बन्ध कराती है। जिन कियाओं में रागद्वेष की निमित्तकारणता नहीं है वे भी यद्यपि कर्म हैं परन्तु वे जीव के साथ बन्ध को प्राप्त नहीं होते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रन्थ में एक दृष्टान्त दिया गया है:

जिस प्रकार किसी दीवाल पर एक साथ मिट्टी के दो ढेले (आई और शुष्क) फैंकने पर दोनों ढेले उस दीवाल तक पहुँचते तो अवश्य हैं परन्तु उनमें से जो आई ढेला होता है वह दीवाल से चिपक जाता है और जो शुष्क ढेला होता है वह दीवाल से चिपकता नहीं है। उसी प्रकार जो जीव काम-भोगों की लालसा (राग-द्वेष की भावना) से युक्त हैं उनके साथ कर्म-परमाणुओं का बन्ध हो जाता है और जो वीतरागी हैं उनके साथ कर्मपरमाणुओं का बन्ध नहीं होता है। अतः जो भोगों की लालसा से युक्त होते हैं वे कर्मबन्ध के कारण संसार में परिभ्रमण करते हैं और जो भोगों की लालसा से रहित हैं वे कर्मबन्धन से मुक्त हो जाते हैं। '

विशेष-यदि इस दृष्टान्त में आद्रंता और शुष्कता मिट्टी के ढेलों की अपेक्षा दीवाल में बतलाई जाती तो अधिक उचित होता।

१. उबलेवो होइ भोगेसु अभोगी नोवलिप्पई ।
भोगी भमई संसारे अभोगी विष्पमुच्चई ।।
उल्लो मुक्सो य दो छूटा गोलया मिट्टियामया ।
दोवि आविडिया कुड्डे जो उल्लो सो त्य लग्गई ।।
एवं लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा ।
विरत्ता उ न लग्गन्ति जहा से सुवकगोलए ।।
— उ० २५ ४१-४३.

अतः ग्रन्थ में कर्मबन्ध से उन्हीं कर्मों को लिया गया है जो जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर उससे सम्बद्ध हो जाते हैं और जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं।

इस तरह हमारी प्रत्येक मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया (जिसे जैनदर्शन में 'योग' अब्द से भी कहा जाता है) से कर्म-परमाणु जीव की ओर आकृष्ट होते हैं। यदि उस समय आत्मा में रागादि-भाव होते हैं तो कर्म-परमाणु आत्मा से चिपक जाते हैं। यदि उस समय आत्मा में रागादिभाव नहीं होते हैं तो कर्म-परमाणु आत्मा के पास आकर के भी अलग हो जाते हैं। इस तरह जीव की प्रत्येक क्रिया से सञ्चलन को प्राप्त होने के बाद कर्म-परमाणुओं की निम्न तीन अवस्थाएँ होती हैं:

- े १. जो कर्मपरमाणु जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर आत्मा से बद्ध हो जाते हैं और संसार में परिश्रमण कराते हैं। इन्हें 'सक्रिय बद्ध-कर्म' कहा जा संकता है।
- . २. जो कर्म-परमाणु जीव के रागादि भावों से रहित केवल मन-वचन-काम की प्रवृतिरूप निमित्त से आत्मा के पास आकर उससे न तो बद्ध होते हैं और न अपना कोई प्रभाव आत्मा पर छोड़ते हैं। इन्हें 'निष्क्रिय अबद्ध-कर्म' कहा जा सकता है।
- ३. जो कर्मपरमाण जीव के रागादि भावों से रहित मन-वचन-काय की सत्प्रवृत्ति (सदाचार) के निमित्त से आत्मा के पास आकर पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करते हैं। ग्रन्थ में इस प्रकार के कर्म को दुर्गति में न ले जाने वाला कहा है। इन्हें 'सक्रिय अबद्ध-कर्म' कहा जा सकता है।
  - अट्ट कम्माइं वोच्छामि आण्पुचिवं जहाकमं।
     जीहिं बद्धो अयं जीवो संसारे परिवर्ट्ड ।।
     —उ० ३३.१.
  - २. कि नाम होज्जंतं कम्मयं जेणाहं दुःगई न गच्छेज्जा।

—उ० ५.१.

इन तीन प्रकार की कर्म की अवस्थाओं में से तीसरी अवस्थान वाले कर्मों का आगे विचार किया जाएगा। दूसरी अवस्थान कर्मों का प्रकृत में कोई उपयोग नहीं है। अतः केवल प्रथम अवस्थावाले कर्मों का ही विचार यहाँ प्रस्तुत है। पहले जो कर्म की परिभाषा दी गई है वह भी प्रथम प्रकार के कर्मी की अवस्था को ही दृष्टि में रखकर दी गई है क्यों कि ग्रन्थ में जो भी कर्मबन्ध के सम्बन्ध में वर्णन मिलता है वह इसी अवस्थावाले कर्मों से सम्बन्धित है। इसीलिए ग्रन्थ में कर्म को कर्मग्रन्थि, कर्मकञ्चुक्, कर्मरज , कर्मगुरु, कर्मवन अविद शब्दों से कहा गया है।

## विषमता का कारण-कर्मबन्धः

इध्ट का संयोग, अनिष्ट का वियोग, सुख या दु:ख की अनुभूति, स्वर्ग या नरक की प्राप्ति, ज्ञान व अज्ञान का आधिपत्य आदि जीव के किए हुए कर्मों के प्रभाव से होते हैं। देखते ही देखते राजा भिखारी बन जाता है। एक आदमी दिनभर कठोर परिश्रम करने के वावजूद कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है और दूसरा आदमी घर बैठे ही बैठे अपार सम्पत्ति को प्राप्त कर लेता है। इसमें क्या कारण है ? इसका कारण है हमारे द्वारा

१. अटुविह्नम्मगंठि_निज्जरेइ । —उ० २६.३१.

अट्टविहस्स कम्मस्स कम्मगंठिविमोयणाए ।
—उ० २६.७१.

२. तवनारायजुत्तेण भेतूण कम्मकंचुयं । —उ० ६.२२.

३. तबस्सी वीरियं लढ़ं संबुडे निद्धुणे रयं ।

—उ० ३.१*१*.

विहुडाहि रयं पुरे कडं """।
---उ० १०.३.

४, तओ कम्मगुरू जन्तू।

—उ० **७**. ६.

प्र. कामभोगे परिच्चज्ज पहाले कम्ममहावर्ण । —उ॰ १८,४६. किए गए (पूर्वबद्ध) कर्म जो आत्मा के साथ बद्ध होकर सुख-दु:ख आदि का अनुभव कराते हैं। ये कर्म एक सच्चे त्यायाधीश की तरह जीव की प्रत्येक कायंवाही को लिखते से जाते हैं और तदनुसार इनका फल भी देते हैं क्यों कि ये कर्म सत्य हैं। अतः ये जिस रूप में किए जाते हैं उसी रूप में उसका फल भी अवश्य देते हैं। कर्मों का फल भोगे बिना किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता है। यदि अच्छे कर्म करते हैं तो सुखरूप अच्छा फल मिलता है। यदि बुरे कर्म करते हैं तो सुखरूप अच्छा फल मिलता है। यदि बुरे कर्म करते हैं तो दु:खरूप बुरा फल मिलता है। इन कर्मों के अनुसार ही अगले भव में श्रेष्ठ अथवा निम्न कुल-गोत्र-शरीर-रचना आदि की प्राप्त होती है। मरने के बाद परलोक में भी साथ देने वाला यदि कोई है तो वह है जीव के द्वारा किया गया गुभागुभ कर्म। अतः प्रत्थ में लिखा है—भाई, बन्धु आदि न तो किसी के कर्म के भागीदार बन सकते हैं और न कर्म से उसको छुटकारा दिला सकते हैं क्योंकि कर्म कर्ता का ही अनुगमन करता है। पर के लिए भी किया गया कर्म कर्ता (कर्मकर्ता) के

—उ० १३.१६.

कम्मा नियाणप्पगडा तुमे राय विचिन्तिया । तैर्सि फलविवागेण विष्पओरामुवागया ।।

---उ० १३.द.

२. कम्मसच्चा हु पाणिणो।

<del>--</del>उ० ७.२०.

सञ्जं सुचिण्णं सफलं नराणं। कडाण कम्माण न मोक्स अहिथा। --उ० १३.१०.

शुभकमों के शुभक्त के लिए देखिए—उ० १३ १०-११; १६.२१-२२; २०.३३; २६.२३ आदि ।
 अशुभकमों के अशुभक्त के लिए देखिए—उ० ३.५; ५.१३; १८.२६; १६.१६-२०, ५८; २१.६; २६ ३२; ३० ६ आदि ।

४, उ० ३३; १४ १-२ आदि।

 त तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा। एक्को सर्य पच्चणुहोइ दुक्खं कलारमेव अणुजाइ कम्मं।।

१. इहं तु कम्माइं पुरेकडाई ॥

द्वारा ही भोक्तव्य है। जिस प्रकार सेन्ध लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया चोर नहीं बच सकता है उसी प्रकार इन कमों से छूटना भी संभव नहीं है। सम्राट ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तथा देवता आदि जब इन कमों का फल भोगे बिना नहीं बच सकते हैं तो फिर अन्य सामान्य जीव इनका फल भोगे बिना कैसे बच सकते हैं? हम जो ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमारे माता-पिता, भाई-बन्ध वगैरह हमारी रक्षा करते हैं तथा हमारे लिए सुख-साधनों को जुटाते हैं, यह भी पूर्वभव के अपने-अपने कमों का ही फल है। अतः हमारे सुख-दुःख आदि में माता-पिता, भाई-बन्ध आदि सिर्फ निमित्तकारण हों, उपादानकारण तो हमारे पूर्वबद्ध कर्म ही हैं। निमित्तकारण कर्मों के अनुसार अपने आप मिल जाते हैं। इस तरह जीव में जो भी छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी किया या सुख-दुःख की अनुभूति दृष्टिगोचर होती है वह सब अपने-अपने पूर्वबद्ध कर्मों के प्रभाव से है। अतः ग्रन्थ में सभी संसारी जीवों को अपने-अपने कर्मों से पच्यमान कहा गया है।

चेच्चा दुवयं च चउप्पयं च खेतं गिहं धणधन्तं च सन्वं । सकम्मबीओ अवसो पयाइ परं भवं सुन्दरपावगं वा ।

—उ० १३.२३**-**२४.

तथा देखिए-पृ० १३३, पा० टि० २.

संसारमावन्त परस्स अट्ठा साहारणं जं च करेइ कम्मं ।
 कम्मस्स ते तस्स उ वेयकालें न बंधवा बंधवयं उर्वेति ।।

-- 30 V.V.

२. तेणे जहा संधिमुहे गहीए सकम्मुणा किच्चइ पावकारी। एवं पया पेच्च इहंच लोए कडाण कम्माण न मुक्ख अरिया।

—उ० ४.३**.** 

तथा देखिए-पृ० १५१, पा० टि० २.

श्वावरं जंगमं चेव घणं घण्णं उवक्खरं ।
 पच्चमाणस्स कम्मेहि नालं दुअलाउ मोयणे ।

—उ० ६**.**६.

# कर्म-सिद्धान्त भाग्यवाद नहीं :

इस कर्म-सिद्धान्त से यद्यपि भाग्यवाद या अनिवार्यतावाद की पुष्टि होती है परन्तु यहाँ पर यह इष्ट नहीं है क्योंकि जीव को अच्छा या बुरा कर्म करने में पूर्ण स्वतन्त्र माना गया है। यह अवश्य है कि किए हुए कर्मों का फल भोगना जीव के स्वातन्त्र्य पर निर्भर नहीं है क्योंकि कर्म करने पर उनका फल भोगना आवश्यक माना गया है। ऐसी स्थिति होने पर भी यदि जीव पुरुषार्थ करे तो अपने पूर्वबद्ध कर्मों को पृथक् कर सकता है। अतः इस कर्म-सिद्धान्त को 'भाग्यवाद' कहने की अपेक्षा 'पुरुषार्थवाद' कहना अधिक उपयुक्त है। 'जैसी करनी वैसी भरनी', 'जो जस करहि सो तस फल चाखा', 'As you sow, so you reap' आदि प्रचलित मुहावरों से इस कर्म-सिद्धान्त को अच्छी तरह समझा जा सकता है।

# कर्मों के प्रमुख भेद-प्रभेदः

कर्म जब आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त होते हैं तो वे मुख्य-रूप से आठ रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कर्मी की आठ अवस्थाएँ ही कर्मों के प्रमुख आठ भेद कहे गए हैं। ग्रन्थ में इन्हें मूल कर्मप्रकृति तथा इनके अवान्तर भेदों को उत्तर कर्म-प्रकृति कहा गया है। प्रकृति का अर्थ है—बस्तु का स्वभाव। अतः बन्ध को प्राप्त होने वाले कर्म-परमाणुओं में अनेक प्रकार के परिणामों को उत्पन्न करने वाली स्वाभाविक शक्तियों का पड़ना प्रकृतिबन्ध है। उन मूल आठ कर्मों या कर्मप्रकृतियों के कार्य एवं नाम निम्नोक्त हैं: र

१. आत्मा के ज्ञान गुण का प्रतिबन्धक (ज्ञानावरणीय , २ सामान्यबोध या आत्मबोध का प्रतिबन्धक (दर्शनावरणीय), ३. सुख-दु:ख का अनुभव कराने वाला (वेदनीय), ४. मोह या

१. एयाओ मूलपयडीओ उत्तराओ य आहिया ।

[—]उ**०** ३**३.**१६.

२. नाणस्सावरणिज्जं "अट्ठेव उ समासओ।

[—]उ० ३३,२-**३**.

मूढ़ता को उत्पन्न करने वाला (मोहनीय), ५. जीवन की स्थिति का मापक (आयु), ६. शरीर की रचना आदि में निमित्तकारण (नाम), ७. उच्च या नीच कुलादि की प्राप्ति में कारण (गोत्र) और ८. आत्मा की वीर्यादि शक्तियों का प्रतिबन्धक (अन्तराय)।

इन आठ प्रकार के कमों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों को घातने (प्रकट न होने देने) के कारण 'घातिया' कहे जाते हैं। इनके विनष्ट होने पर जीव के शेष अन्य चार कर्म आयु के पूर्ण होने पर स्वत: नष्ट हो जाते हैं क्योंकि अघातिया कर्मों के प्रभाव से जीव के स्वाभाविक ज्ञान आदि गुणों के प्रकट होने में कोई बाधा नहीं पड़ती है। अत: इन्हें—शेष आयु आदि चार कर्मों को 'अघातिया' कहा गया है। ग्रन्थ में इसीलिए चार घातिया कर्मों के विनष्ट होने पर जीव को जीवनमुक्त मान लिया गया है क्योंकि शेष चार अघातिया कर्म आयु के पूर्ण होने पर एक साथ बिना विशेष प्रयत्न के नष्ट हो जाते हैं। '

अब क्रमश आठों कर्मों के स्वरूपादि का वर्णन किया जाएगा।

१. ज्ञासावरणीय कर्म-जो आत्मा में रहने वाले ज्ञानगुण को प्रकट न होने देवे उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ज्ञान के मुख्य पाँच प्रकारों के आधार पर ज्ञानावरणीय कर्म के भी पाँच अवान्तर भेद बतलाए गए हैं। इन अवान्तर भेदों (उत्तर-प्रकृतियों) के क्रमणः नाम ये हैं: १.श्रुतज्ञानावरण - शास्त्रज्ञान का आवरक २. आभि-निबोधिकज्ञानावरण (पित्ज्ञानावरण)--इन्द्रियजन्य ज्ञान का आव-

१. पसत्यजोगपडिवन्ने य णं अणगारे अणतघाइपज्जवे खवेह ।
—उ० २६.७.

वेगणिज्जं आउयं नामं गोतं च एए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खवेड । —उ० २६.७२. तथा देखिए—उ० २६.४१,५६,६१;३२.१०६ आदि ।

२, उ० ३३.४.

३. व्याख्याप्रज्ञिति, स्थानाङ्ग, तस्वार्यसूत्र आदि अन्य जैन प्रन्थों में श्रुतज्ञानावरण के पहले आभिनिबोधिकज्ञानावरण (मितिज्ञानावरण) का उल्लेख मिलता है। जैसे-मितिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानाम्। —त० स० ५.६.

रक, - ३. अवधिज्ञानावरण — इन्द्रियादि की सहायता के बिना होने वाले रूपी अचेतन विषयक (सीमित पदार्थों के) यौगिक प्रत्यक्ष ज्ञान का आवरक, ४. मनः पर्यायज्ञानावरण — इन्द्रियादि की सहायता के बिना दूसरे के मनोगत भावों को जानने वाले ज्ञान का आवरक अगर ५. केवलज्ञानावरण — इन्द्रियादि की सहा-यता के विना त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों की समस्त अवस्थाओं (पर्यायों) के ज्ञान का आवरक।

२. दर्शनावरणीय कर्म — जो पदार्थों के सामान्यज्ञान या आतम-बोधरूप दर्शन गुण को प्रकट न होने देवे उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। इसके नव अवान्तर भेद गिनाए गए हैं। इनमें प्रथम पाँच भेद निद्रा से सम्बन्धित हैं तथा शेष चार दर्शनसम्बन्धी हैं: 3 १. निद्रा — जिस कर्म के प्रभाव से जीव को सामान्य निद्रा आए,

देखिए-प्रमाणमीमांसा, भाषाटिप्पणानि, पृ॰ ३७-३८.

- .२. याकोबी (से॰ बु॰ ई॰ भाग-४५, पृ॰ १६२-१६३) ने शब्द-साम्य के अप से इसका 'सत्य श्रद्धा का अतिबन्धक' अर्थ किया है। याकोबी का यह अर्थ वस्तुतः दर्शनमोहनीय का अर्थ है, न कि दर्शनावरणीय कर्म का। इसी प्रकार चक्षुर्दर्शन के अर्थ में भी उन्हें अप हुआ है।
- ३. उ० ६३.५-६.

१. मन:पर्यायज्ञान के स्वरूप के सम्बन्ध में जैन भ्वेताम्बरों में हो परम्पराएँ देखी जाती हैं: क. मन:पर्यायज्ञान परकीय मन से चिन्त्यमान अर्थों को जानता है। ख. मन:पर्यायज्ञान चिन्तनव्यापृत मनोद्रव्य की पर्यायों को साक्षात् जानता है और चिन्त्यमान पदार्थ तो पीछे से अनुमान के द्वारा जाने जाते हैं क्यों कि चिन्त्यमान पदार्थ मूर्त की तरह अमूर्त भी हो सकते हैं जिन्हें मन:पर्यायज्ञान विषय नहीं कर सकता है। पहली परम्परा का दिग्दर्शन हमें आवश्यकितर्युक्ति (गाया ७६) तथा तत्त्वार्थियमभाष्य (१.२६) में होता है। दूसरी परम्परा का उल्लेख विशेपावश्यकभाष्य (गाया ८१४) में हुआ है। श्वेताम्बर आचार्य हेमचन्द्र द्वितीय परम्परा का तथा सभी दिगम्बर जैन आचार्य प्रथम परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

२. निद्रा-निद्रा "—िजस कर्म के प्रभाव से जीव को गाढ़ निद्रा आए (ऐसी निद्रा वाला व्यक्ति हलाने पर भी कठिनता से जागता है), ३. प्रचला —िजस कर्म के प्रभाव से खड़े-खड़े या बैठे-बैठे भी कुछ-कुछ निद्रा आती रहे, ४. प्रचलाप्रचला—िजस कर्म के प्रभाव से चलते-िफरते भी नींद आ जाए, ५. स्त्यानगृद्धि—िजस कर्म के प्रभाव से दिन में अथवा रात्रि में सोते हुए ही स्वप्न में कार्यों को कर डाले, ६ चक्षदंर्शनावरण—चक्षु इन्द्रिय से होने वाले दर्शनगुण का प्रतिबन्धक, ७ अचक्षदंर्शनावरण—चक्षु इन्द्रिय से होने वाले दर्शनगुण का प्रतिबन्धक, ७ अचक्षदंर्शनावरण—चक्षु से इतर इन्द्रियों के द्वारा होनेवाले दर्शनगुण में प्रतिबन्धक, द. अविधदर्शनावरण—इन्द्रिय यादि के बिना रूपी अचेतन पदार्थों के विषय में होने वाले आत्मा के दर्शनगुण में प्रतिबन्धक और ६. केवलदर्शनावरण—इन्द्रियादि के बिना त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण पदार्थों के युगपत दर्शन में प्रतिवन्धक।

ज्ञान के पूर्व की अवस्था दर्शन कहलाती है.। यद्यपि दर्शनावरणीय कर्म के चार ही प्रमुख अवान्तर भेद हैं परन्तु निद्रादि के पाँच भेदों को मिला देने से नव भेद हो जाते हैं। निद्रादि के प्रमादरूप होने से उन्हें भी दर्शन में प्रतिबन्धक माना गया है। पाँच प्रकारकी निद्राओं में स्त्यानगृद्धि निद्रा सबसे खराब है।

३. वेदनीय कमं — जिस कर्म के प्रभाव से सुख या दुःख की अनुभृति होती है। सुख और दुःखरूप अनुभृति होने के कारण

१. यद्यपि उत्तराध्ययन में 'निद्रानिद्रा' का उल्लेख 'प्रचला' के बाद किया गया है परन्तु उत्तरोत्तर निद्रा की तीवता की दृष्टि से मैंने प्रचला के पूर्व कथन किया है। तत्त्वार्थसूत्र आदि जैन ग्रन्थों में भी निद्राओं का यही कम मिलता है:

चक्षुरचक्षुरविधकेवलानां निद्धा-निद्धानिद्धा-प्रचला-प्रचलाप्रचला-स्त्यान-गृद्धयभ्च ।

<del>—</del>त० सू**॰** ५.७.

२. याकोबी (से॰ बु॰ ई॰, भाग-४५, पृ॰ १६३) ने 'प्रचला' का ब्युत्पत्तिपरक अर्थ (किया-Activity) किया है। श्वेतास्वर-दिगस्वर परस्परागत अर्थ के लिए देखिए-कर्मप्रकृति प्रस्तावना, पृ० २३.

वेदनीय के दो भेद किए गए हैं: १ श प्राणिदया व परोपकारादि से बँधने वाले सुखरूप सातावेदनीय कर्म तथा २. हिंसादि से बँधने वाले दु:खरूप असातावेदनीय कर्म । इन दोनों के अन्य कई अवान्तर भेदों का ग्रन्थ में संकेत मात्र किया गया है। पुण्यरूप और पापरूप जितने भी कर्म संभव हैं वे सब इसके अवान्तर भेद हो सकते हैं। २ आत्मा की स्वानुभूति से उत्पन्न होने वाला सुख इस कर्म का परिणाम नहीं है क्योंकि उस प्रकार का सुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है। अतः मुक्त जीवों में अनन्त सुख की सत्ता मानकर भी उनमें वेदनीय कर्म का अभाव माना गया है। यदि ऐसा न माना जाएगा तो मुक्त जीवों को सुखानुभूति नहीं होगी। वेदनीय कर्म से जो सुखानुभूति होती है वह संसार के रूपादि विषयों से उत्पन्न होने वाली है।

४. मोहनीय कर्म—जो हेयोपादेय रूप (स्व-परिविवेकातमक) गुण को प्रकट न होने देवे। इस कर्म के प्रभाव से जीव विषयों में आसक्त (मूज्छित) रहता है और उसे अपनी मूर्खता (मूढता) का पता नहीं रहता है। मोहनीय कर्म सब कर्मों में प्रधान है। इस कर्म के दूर होते ही अन्य कर्म जल्दी ही पृथक् हो जाते हें। इस कर्म के दूर प्रभाव से वस्तुस्थित को जानते हुए भी जीव की सत्य मार्गमें प्रवृत्ति नहीं होती है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ससार की असारता जानकर भी इसी कर्म के प्रभाव से विषयों में आसक्त रहता है। इसीलिए दुःख के कारणों की परम्परा में रागद्वेष का भी मूल कारण मोह माना गया है। तत्त्वों में श्रद्धान और सदाचार में प्रवृत्ति न होने देने के कारण इसके प्रमुख दो भेद किए गए हैं: १. दर्शनमोहनीय और

१. वेयणीयं पि य दुविहं सायमसायं च आहियं ।
 सायस्स उ बहू भेया एमेव असायस्स वि ।।
 —उ० ३३.७.

२. देखिए-कर्मप्रकृति, प्रस्तावना, पृ० २४. ग्रन्थ में भी असातावेद-नीयरूप से कोघ, मान, माथा और लोमवेदनीय का उल्लेख मिलता है।

[—] उ॰ २<u>६</u>, ६७-७०.

३. उ० २६.५-६,२६,७१.

२. चारित्रमोहनीय। इसके बाद दर्शनमोहनीय के तीन और चारित्रमोहनीय के दो भेद किए गए हैं। दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के स्वरूपादि अधोलिखित हैं:

क. दर्शनमोहनीय-यहाँ पर जो 'दर्शन' शब्द का प्रयोग है वह श्रद्धापरक है। अतः इस कर्म का उदय होने पर जीव को धर्मादि में सच्चा श्रद्धान नहीं होता है। इसके जिन तीन भेदों का उल्लेख किया गया है उनके नाम ये हैं: १. सम्यक्त्वमोहनीय-च्चञ्चलता आदि दोषों के संभव होने पर भी तत्त्वों में सच्चा श्रद्धान होना, २. सिथ्यात्वसोहनीय-विपरीत श्रद्धान होना और ३. सम्यक्त्व-मिथ्यात्वमोहनीय-कुछ सम्यक् व कुछ मिथ्या श्रद्धान होना । इसे मिश्र-मोहनीय भी कह सकते हैं। इस विभाजन में सम्यक-श्रद्धान रूप सम्यक्त्वमोहनीय को भी दर्शनमोहनीय का भेद स्वीकार किया गया है जबकि दर्शनमोहनीय सच्ची श्रद्धा का प्रतिबन्धक है। इससे मालूम पड़ता है कि यहां पर सच्ची श्रद्धा मोहात्मक, घुंघली तथा अस्थिर होती होगी। अतः कर्म-ग्रन्थों में इसका लक्षण करते हुए लिखा है: जिसके प्रभाव से 'तत्वश्रद्धा में चञ्चलता आदि दोषों की संभावना हो क्योंकि शृद्ध सच्ची श्रद्धा अर्थ करने पर उसमें मोहनीय-कर्मता नहीं रहेगी। र मोह जड़ता, 'अविवेकता' का नाम है। अतः जो सच्ची श्रद्धा मोह, अविवेक आदि से युक्त हो वह सम्यक्तव-दर्शनमोहनीय है।3

तथा देखिए-उ० ३३.६-१०.

श. मोहणिज्जं पि दुविहं देसणे चरणे तहा ।
 दंसणे तिविहं दृत्तं चरणे दुविहं भवे ।।
 — ज० ३३.८.

२. कर्मप्रकृति, प्रस्तावना, पृ० २३.

३. जैसे किसी रूपलावण्यवती नायिका के रूपलावण्य का निखार उसके स्वच्छ और अति महीन वस्त्रों में से झलकता है परन्तु वह रूप-लावण्य अति शुभ्र व महीन वस्त्र से आच्छादित रहने के कारण पूर्ण-रूप से प्रतिभासित नहीं होता है। उसी प्रकार सम्यक्तवदर्शनमोह-नीय में सच्ची श्रद्धा होने पर भी उसपर मोहनीय कर्म का बहुत ही सूक्ष्म पर्दा पड़ा रहता है जो सामान्यतया प्रतिभासित नहीं होता है।.

स. चारित्रमोहनीय - इस कर्म के उदय से सदाचार में प्रवृत्ति नहीं होती है। सदाचार में मूढ़ता पैदा करने वाले चारित्रमोहनीय के जिन दो भेदों का उल्लेख किया गया है उनके नाम ये हैं: १. कषाय (क्रोधादि मनोविकार) और २. नोकषाय (ईषत् मनोविकार)। कषायमोहनीय वह है जिसके प्रभाव से आत्मा के शान्त-निर्विकार स्वरूप में मिलनता पैदा हो। कषाय के क्रोध, अभिमान, माया और लोभ ये चार प्रमुख भेद हैं। इनमें से क्रोध और अभिमान द्वेषरूप हैं तथा माया और लोभ रागरूप हैं। क्रोधादि चार कषायों में सच्चारित्र को मिलन करने की शिवत की तीव्रता एवं मन्दता के आधार से प्रत्येक के चार-चार भेद करने पर कषायमोहनीय के सोलह भेद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नोकषायमोहनीय भी किञ्चित् मानसिक विकाररूप होने के कारण कषायरूप ही है। इनकी अपनी कुछ विशेषता होने के कारण इन्हें पृथक गिनाया गया है। नोकषायमोहनीय के

१. कंषायमीहनीय के १६ भेद निम्नोक्त हैं:

क. चार अनन्तानुबन्धी—कोष-मान-माया-लोभ (दीर्घकाल-स्थायी तीव्रकोधादिकरना )।

स्त. चार अप्रत्यास्यानावरणी-कोध-मान-माया लोग (अनन्तानु-बन्धी की अपेक्षा से कुछ कम काल स्यायी कोधादि करना)।

ग. चार प्रत्याख्यानावरणी-कोध-मान-माया-लोम (अप्रत्याख्यानाव-रणी की अपेक्षा कुछ कम काल स्थायी कोचादि करना)।

घ. चार संज्वलन-कोध-मान-माया-लोभ (अत्यन्त स्वरूपकाल-स्यायी कोधादि करना)। विशेष-कथायमोहनीय के इन १६ मेदों के चार प्रमुख विभागों में चारित्र को मलिन करने की शक्ति कमशः क्षीण होती गई है।

⁻⁻⁻उ॰ ३३.११ (टीकाएँ).

२. कषायसहवितत्वात् कषायप्रेरणादिष । हास्यादिनवकस्योक्ता नोकषायकषायता ॥ — जद्धृत, उ० आ० टी०, पृ० १५३४.

सात या नव भेदों का ग्रन्थ में उल्लेख मिलता है। इनके नाम ये हैं: हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुष्सा (घृणा) और वेद (स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिङ्ग)। स्त्रीविषयक मानसिक-विकार, पुरुषविषयक मानसिक-विकार तथा उभयविषयक मानसिक-विकार के भेद से वेद के तीन भेद करने पर नोकषाय के ६ भेद हो जाते हैं।

४. आयु कर्म—जिस कर्म के प्रभाव से जीव के जीवन की (आयु की) अविध निश्चित होती है उसे आयुकमं कहते हैं। चार गतियों के आधार से इसके भी चार भेद किए गए हैं: १. नरकायु,२. तिर्यञ्चायु, ३. मनुष्यायु और ४. देवायु। ग्रन्थ में सूत्रार्थ-चिन्तन का फल बतलाते हुए लिखा है कि सूत्रार्थ-चिन्तन से जीव आयु कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों के प्रगाढ़ बन्धन को शिथिल कर देता है। इसके अतिरिक्त यदि आयुकर्म का बन्ध करता है तो विकल्प से करता है। इससे स्पष्ट है कि आयुकर्म शेष सात कर्मों से कुछ भिन्नता रखता है। इससे स्पष्ट है कि आयुकर्म शेष सात कर्मों से कुछ भिन्नता रखता है। कर्म-सिद्धान्त प्रतिपादक ग्रन्थों तथा उत्तराष्ट्रययन के टोका-ग्रन्थों आदि के देखने से पता चलता है कि आयुकर्म का जीवन में सिर्फ एक बार बन्ध होता है जबिक अन्य कर्मों का वन्ध हमेशा होता रहता है।

—उ० ३३.११.

कीहं च माणं च तहेव मायं लोहं दुगुंछ अरइं रइं च। हासं भयं सोगपुमिरिथवेयं नपुसवेयं विविहे य भावे ॥

—ड॰ ३२, १०२<u>,</u>

२. उ० ३३.१२.

 अणुप्पेहाएणं आउयवज्जाओ सत्तकम्मप्पगडीओ घणियबंघणबद्धाओ सिहिलबंघणबद्धाओ पकरेइ'' आउयं च णंकम्मं सिया बंघइ, सिया नो बंघइ।

--- 30 **२**६.२२.

४. आयु कर्म का बन्ध सम्पूर्ण आयु का तृतीय भाग शेष रहने पर होता है। जैसे किसी जीव की आयु ६६ वर्ष की है तो बह ३३ वर्ष की आयु के शेष रहने पर ही अगले सव के आयु-कर्म का बन्ध करेगा। यदि उस समय आयु-कर्म के बन्ध का निमित्त नहीं मिलेगा तो बह

सीलसिवहभेएणं कम्मं तु कसायजं। सत्तिवहं नवविहं वा कम्मं नोकसायजं।

- ६. नाम कर्म जो शरीर, इन्द्रिय आदि की सम्यक् या असम्यक् रचना का हेतु है उसे नाम-कर्म कहते हैं। इसके शुभ और अशुभ के भेद से प्रथमतः दो भेद किए गए हैं। इसके बाद प्रत्येक के अनेक भेदों का संकेत किया गया है।
- ७. गोत्र कमं जिस कमं के प्रभाव से उच्च अथवा निम्न जाति, कुल आदि की प्राप्ति हो उसे गोत्रकमं कहते हैं। इसके उच्च और निम्न ये दो भेद किए गए हैं। इसके बाद प्रत्येक के आठ-आठ भेदों का संकेत किया गया है। इ
- द. अन्तराय कर्म जिस कर्म के प्रभाव से सभी कारणों के अनुकूल मौजूद रहने पर भी कार्यसिद्धि नहीं होती उसे अन्तराय-कर्म कहते हैं। इसके ५ भेद बतलाए गए हैं अ-दान, लाभ, भोग

जीव अवशिष्ट आयु के त्रिभाग में (अर्थात् ११ वर्ष शेष रहने पर) आयु-कर्म का बन्ध करेगा। इस समय पुनः आयु-कर्म के बन्ध का निमित्त न मिलने पर वह जीव अवशिष्ट आयु के त्रिभाग (के वृव्य) शेष रहने पर आयु-कर्म का बन्ध करेगा। इस तरह आयु-कर्म के बन्ध को निमित्त न मिलने पर यह कम आयु के अन्तिम क्षण तक चलता रहेगा। विषमक्षण अधि से अकाल-मृत्यु होने पर जीव उपर्युक्त नियम का उत्त्वंघन करके तत्क्षण ही आयु कर्म का बन्ध कर लेता है। सामान्य अवस्था में उपर्युक्त कमानुसार ही आयु कर्म का बन्ध होता है। इतना अवश्य है कि आयु-कर्म का बन्ध जीवन में सिर्फ एक बार होता है। आयु-कर्म का बन्ध होने पर जीवन की आयु-सीमा घट-बढ़ सकती है परन्तु नरकादि चतुर्विघरूप से जो आयु-कर्म का बन्ध हो जाता है वह बहु-प्रयत्न करने पर भी नहीं टलता है।

--देखिए-**ड़० आ० टी•, पृ० १२**न४.

**१. उ० ३३.१३.** 

शोपं कम्मं दुविहं उच्चं नीयं च आहियं।
 उच्चं बट्ठिवहं होइ एवं नीयं पि आहियं।।
 उ० १३. १४.

गोत्र-कर्म के आठ भेद हैं---जाति, कुल, बल, तप, ऐश्वर्य, श्रुत, लाभ और रूप।

३. ७० ३३.१५.

(जो वस्तु एक बार भोगी जा सके। जैसे-फलादि), उपभोग (जो वस्तु कई बार उपयोग में लाई जा सके। जैसे-स्त्री, वस्त्र आदि) और शक्ति। अतः दानादि करने की अभिलाषा आदि के वर्तमान रहने पर भी दानादि न कर सकना अन्तराय कर्मका प्रभाव है।

इस तरह आठ प्रकार के मूल कमों का तथा उनके अवात्तर भेदों का प्रत्थानुसार वर्णन किया गया। दिगम्बर और एवेताम्बर कर्म-प्रन्थों में यद्यपि मूल-कर्म के आठ भेदों में कोई अन्तर नहीं है तथापि उनके अवान्तर भेदों के विभाजन और स्वरूप में कुछ अन्तर अवश्य है। इसके अतिरिक्त कर्म-सिद्धान्त प्रतिपादक प्रन्थों में मूल आठ कर्मों के स्वरूप को समझाने के लिए दृष्टान्त तथा क्रम-निर्धारण के लिए तर्क दिए गए हैं। व

### कर्मों की संख्या, क्षेत्र, स्थिति-काल आदि :

इन बंधने वाले कर्मों के कर्म-परमाणुओं की संख्या संसारी और मुक्त सभी जीवों की संख्या की अपेक्षा अनन्त है। प्रन्य में जो कर्मों की संख्या सिद्ध जीवों की अपेक्षा हीन और कभी न मुक्त होने वाले अभव्य जीवों (प्रन्थिकसत्त्वातीत) की अपेक्षा कई गुणी अधिक बतलाई है वह एक समय में बंधने वाले कर्मों की संख्या की अपेक्षा

१. देखिए-कर्मप्रकृति, प्रस्तावना, पृ० २३-२५..

२.क. इन कमों के स्वरूप के विषय में निम्न दृष्टान्त मिलते हैं—१. देवता के मुख पर पड़ें हुए वस्त्र की तरह ज्ञान का आवरक ज्ञानावरणीय, २. राजद्वार पर स्थित प्रतिहारी की तरह दर्शन का प्रतिबन्धक दर्शनावरणीय, ३. मधुलिप्त असिधारा की तरह मुख-दुःख का वेदक वेदनीय, ४. मदिरापान की तरह हिताहित के विवेक का प्रतिबन्धक मोहनीय, ५. शृङ्खलाबन्धन की तरह जीवन का मापक आयु, ६. चित्रकार की तरह नाना प्रकार से शरीर आदि की रचना का हेतु नाम, ७. कुम्भकार के छोटे-बड़े बर्तनों की तरह उच्च-नीच कुल का प्रापक गोत्र और द. भण्डारी या कोषाच्यक्ष की तरह दानादि का प्रतिबन्धक अन्तराय। देखिए—कर्मप्रकृति, संस्कृत रटीका (१. २१), पृ. १५. ख. आठों कर्मों के कम के लिए देखिए—कर्मप्रकृति १ १७-२१.

से हैं। कमों की संख्या कभी भी सिद्ध जीवों की अपेक्षा कम नहीं हो सकती है क्योंकि वे कभी न कभी संसार में कमंबद्ध अवश्य रहे होंगे। जब संसार-स्थिति के बिना मुक्त जीवों की कल्पना नहीं की गई है तो फिर कमों की संख्या सिद्ध जीवों की अपेक्षा किसी भी तरह कम नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त जब एक-एक जीव के साथ कई-कई कम-परमाणु बंधे हुए हैं तो फिर उनकी संख्या कम कैसे हो सकती है? एक समय में बंधने वाले कमों की इस संख्या को ग्रन्थ में 'प्रदेशाग्र' कथन द्वारा बतलाया गया है।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि कर्म-परमाणुओं का आत्मा के साथ नीर-क्षीर की तरह सम्बन्ध है तथा ये कर्म-परमाणु समस्त लोक में व्याप्त हैं। अतः सभी आत्माएँ सब प्रकार के कर्म-परमाणुओं का सचय छहों दिशाओं से कर सकती हैं। र

बंधने वाले कर्म आत्मा के साथ कम से कम और अधिक से अधिक कितने समय तक रहते हैं, इस विषय में ग्रन्थ का अभिप्राय निम्न प्रकार है :

कर्मीं के नाम	अधिक से अधिक	कम से कम
	स्थिति-काल	स्थिति-काल
ज्ञानावरणीय, दर्शना- 📝	३० कोटाकोटिसागरोपम	अन्तर्मृहर्त
वरणीय,वेदनीय ^४ और 🎖	· (करोड़×करोड़ ≕ 🎖	' (करीब ४८
ः अन्तराय 🕽	कोटाकोटि ) - 🕟	मिनट)
मोहनीय	७० कोटाकोटिसागरोपम	<b>)</b>
आयु -	३३ सागरोपम	13 '
नाम और गोत्र	२० कोटाकोटिसागरोपम	आठ मुहूर्त

सब्बेसि चेव कम्माण पएसग्गमणतग्।
गठियसत्ताईयं अंतो सिद्धाण आहियं।।
—उ० ३३.१७.

तथा देखिए-पृ० १६४, पा॰ टि० १.

२. सञ्बजीवाण कम्मं तु संगहे छहिसागयं। सञ्बेसु वि पएसेसु सञ्बं सञ्बेण बद्धगं।।
--छ० ३३.१०

३, उ० ३३,१६-२३; त० सू० ६,१४-२०.

४. तत्त्वाथंमूत्र (८१६) में वेदनीय की जबन्यस्थिति अन्तर्मृहूर्त के स्थान पर १२ मुहूर्त बतलाई है— अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य । यहाँ पर यह जो कमों की स्थित बतलाई गई है वह मूल-प्रकृतियों की अपेक्षा से हैं। उत्तर-प्रकृतियों की अपेक्षा से इनकी आयु-स्थिति में हीनाधिकता भी हो सकती है। यह कमों की उत्कृष्ट एवं जघन्य स्थिति बतलाई गई है। ये कमें इस सीमा के अन्दर अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर राग-द्वेषस्प परिणामों के अनुसार नए-नए कमें आते रहते हैं। यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये कमें अपनी आयुस्थिति में सदा एक स्प नहीं रहते हैं अपितु यथासंभव उनकी अवस्थाओं मे परिवर्तन आदि होते रहते हैं। जैनदर्शन में कमें की ऐसी १० अवस्थाएँ बतलाई गई हैं।

इस स्थिति-बन्ध के साथ ही साथ कर्मों में तीव्र या मन्द फल-दायिनी शक्ति भी उत्पन्न हीती है। इस उत्पन्न होने वाली शक्ति को अनुभाग या अनुभाग-बन्ध कहते हैं। कर्मों की स्थिति और फल की तीव्रता एवं मन्दता जीव के रागादिरूप परिणामों की तीव्रता एवं मन्दता पर निर्भर है। ग्रन्थ में कर्मों के फल (अनुभाग) का

आत्मारामजी अपनी उत्तराध्ययन-टीका (पृ० १४४७-१४४८) में प्रज्ञा-पनासूत्र के 'सातावेदणिज्जस्स '''जहन्नेण बारसमुहुत्ता' (२३.२.२६४) पाठ को उद्घृत करते हुए लिखते हैं कि तत्त्वार्थसूत्र में सातावेदनीय की अपेक्षा से जघन्य-स्थिति १२ मुहुतं बतलाई गई है।

- १. विशेष के लिए देखिए-प्रज्ञापनासूत्र का प्रकृति-पद।
- २. कमों की १० अवस्थाएँ ये हैं—१. कमों का आत्मा के साथ सम्बन्ध (बन्ध), २. बन्ध के बाद उनकी सामान्य स्थित (सत्ता या सत्त्व), ३. समय पर उनका फलोन्मुख होना (उदय), ४. तपस्या आदि के द्वारा उन्हें समय के पूर्व फलोन्मुख करना (उदीरणा), ४. कमों की स्थिति और फलदायिनी शक्ति में वृद्धि करना (उत्कर्षण), ६. हास करना (अपकर्षण), ७. सजातीय कमों में परस्पर परिवर्तन होना (संक्रमण), ६. बद्धकमों को कुछ समय के लिए फलोन्मुख होने से रोक देना (उपश्रम), ६. बद्धकमों में फलोन्मुखता एवं संक्रमण न होने देना (निधत्ति) और १०. कमं जिस रूप में बढ़ हुए हैं उनका उसी रूप में पढ़े रहना (निकासन)।

वर्णन करते समय सिर्फ कर्म-परमाणुओं की संख्या का निर्देश किया गया है जैसाकि कर्मों के प्रदेशाग्र के वर्णन प्रसङ्घ में किया गया है। पहां यह बात स्मरणीय है कि कर्मों को फलदायक बनाने के लिए कर्मों से पृथक् अन्य शक्ति की कल्पना नहीं की गई है। ये कर्म अचेतन होकर भी एक स्वचालित यंत्र की तरह अपना कार्य करते रहते हैं।

## कर्मबन्ध में सहःयक लेश्याएँ :

कर्मों के रूपी होने पर भी उन्हें इन नग्न नेत्रों से देखना संभव नहीं है। फिर इन कर्मों के बन्ध को कैसे समझा जाय कि अमुक प्रकार के कर्म का बन्ध हुआ है। इसके लिए ग्रन्थ में कर्म-लेश्याओं का वर्णन किया गया है। कर्म-लेश्या का अर्थ है आत्मा से बंधे हुए कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला अध्यवसाय विशेष अथवा कषायादि से अनुरिङ्जत मन-वचन-काय की प्रवृत्ति_.। तारतम्यभाव की अपेक्षा से व्यक्तियों के अच्छे और बुरे आवरण को छः भागों में विभक्त करके तदनुसार ही छः लेश्याओं केस्वरूप का वर्णन किया गया है। किस प्रकार के आचरण का फल कितना मधुर या कटु होता है, स्पर्श कितना कर्कश या कोमल होता है, गन्ध कितनी तीव्र या मन्द होती है, रंग किस प्रकार का होता है इत्यादि बातों को इन लेश्याओं के द्वारा अभिन्यक्त किया गुया है। इसके अतिरिक्त इन लेश्याओं का नामकरण रंगों के आधार पैर किया गया है। उनके क्रमशः नाम ये हैं रे: कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल । अब कमशः इनके स्वरूपादि का वर्णन ग्रन्थानुसार किया जाएगा।

—उ०३३.२४**.** 

तथा देखिए-पृ० १६३ पा० टि० १.

२. किण्हा नीला य काऊ य तेऊ पम्हा तहेव य। सुक्कलेसा य छट्ठा य नामाई तु जहत्कमं।। उं० ३४. ३.

सिद्धाणणंतभागो य अणुभागा हवंति उ । सन्वेसु वि पएसग्गं सन्वजीवेसु इच्छियं ।।

#### १६६ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

- १. कृष्णलेश्या निहंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, धन-संग्रह आदि में प्रवृत्त क्षुद्रबुद्धि, निदंयी, नृशंस, अजितेन्द्रिय तथा बिना विचारे कार्य करने वाला पुरुष कृष्णलेश्यावाला कहलाता है। अथवा इस प्रकार के आचरण में प्रवृत्ति कराना कृष्णलेश्या का स्वरूप है। इस लेश्या का 'रंग' सजल मेध, महिषश्या, काजल और नेत्र-कनीनिका की तरह काला होता है। इसका 'रस' कडुवी तू बी, नीम और कटुरोहिणी (औषधिविशेष) के कडुवे रस से भी कई गुणा अधिक कडुआ होता है। इसकी 'गन्ध' मृत गौ, कुत्ता और सर्प से भी कई गुनी अधिक दुर्गन्यित होती है। इसका स्पर्श करपत्र (आरा), गौजिह्या और शाकपत्र की अपेक्षा कई गुणा अधिक कर्कश होता है। इसकी सामान्य-स्थित समय) कम से कम अर्घमुहृतं और अधिक से अधिक अन्तर्मु हूर्त अधिक ३३ सागरोपम है। इस लेश्यावाला जीव मरकर नरक या तिर्यश्वगति में जन्म लेता है। यह सबसे खराब लेश्या है।
- २. नीललेश्या²—इस लेश्यावाला जीव ईष्यालु, कदाग्रही, असहिष्णु, अतपस्वी, अविद्वान्, मायावी, निर्लज्ज, द्वेषी, रसलोलुपी, शठ, प्रमादी, स्वार्थी, आरम्भी, क्षुद्र और साहसी होता है। अर्थात

तथा देखिए—उ० ३४.४,१०,१६,१८,२०,३३-३४,४३,४४,४८,५६, १८-६०.

२. इस्सा अमरिस अतवो अविज्जमाया अहीरिया ।
गेही पओसे य सढे पमत्ते रसलोलुए सायगवेसए य ।।
आरंभाओ अविरओ खुद्दो साहस्सिओ नरो ।
एयजोगसमाउत्तो नीललेसं तु परिणमे ॥
—उ० ३४.२३-२४.
तया देखिए—उ० ३४. ४, ११, १६, १६, २०, ३३,३४,४२,४६,४६,

इन गुणों से नीललेश्यावाले की पहचान होती है। इस लेश्या का 'रंग' नीले अशोकवृक्ष, चाषपक्षी के पंख और स्निग्ध वैदूर्यमणि (नीलम) की तरह नीला होता है। इसका 'रस' मिर्च, सोंठ, और गजपीपल के रस से भी अनन्तगुणा तीक्ष्ण होता है। इसकी 'गंध' और 'स्पर्ण' कृष्ण-लेश्या की ही तरह हैं परन्तु तीव्रता की मात्रा कुछ कम है। इसकी कम से कम सामान्य-स्थित अर्धमुहूर्त और अधिक से अधिक पल्योपम के असंख्यातवें भागसहित १० सागरीपम है। इस लेश्यावाला जीव नरक या तिर्यन्त्व गति में उत्पन्न होता है।

- ३. कापोतलेश्या न्दस लेश्यावाला जीव वक्न-वक्ता, वक्ना-चारी, छली निजदोषों को छुपाने वाला, निःसरल, मिथ्यादृष्टि, अनार्य, पर-ममंभेदक, चोर और असूया करने वाला होता है। इस लेश्या का 'रंग' अलसी के पुष्प, कोयल के पैर और कबूतर की ग्रीवा की तरह कापोतवर्ण होता है। इसका 'रस' कच्चे आम, तुबर और कपित्थफल के रस से भी कई गुणा अधिक खट्टा होता है। इसकी 'गन्ध' नीललेश्या की अपेक्षा तीव्रता में कुछ कम होती है और इसका 'स्पर्श' भी नीललेश्या की अपेक्षा तीव्रता में कुछ कम होता है। सामान्य-स्थिति कम से कम अर्धमुहूर्त और अधिक से अधिक पत्योपम के असंख्यातवें भाग सहित तीन सागरोपम है। इस लेश्यावाला जीव मरकर आचरण की तरतमता के अनुसार नरक या तिर्यञ्च गति (द्र्गति) में जन्म लेता है।
- ४. तेजोलेश्या^२—इस लेश्यावाला जीव नम्न, अचपल, अमायी, अकुत्हली, विनीत, जितेन्द्रिय, स्वाध्यायप्रेमी, तपस्वी,

तथा देखिए---उ० १४.६,१२,१६,१८,२०,३३,३६,४०-४१, ५०, ५६,५८-६०.

२. नीयावित्ती अचवले अमाई अकुऊहले । विणीयविषण् वंते जीगवं उवहाणवं । धमंप्रेमी, पापभीर, सवंहितंषी आदि गुणों से युक्त होता है। इसका 'रंग' हिंगलधातु (शिंगरफ), तरुण सूर्य (मध्याह्न का सूर्य), शुक्रनासिका और दोपक की शिखा की तरह दीप्तिमान होता है। इसका 'रस' पक्व आम्रफल और पक्व किपत्थफल के खटमीठे रस से भी कई गुना अधिक खट-मीठा होता है। इसकी 'गन्ध' केवड़ा आदि सुगन्धित पुष्पों और चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से भी कई गुनी अधिक सुगन्धित होती है। इसका 'स्पर्श' वूर (वनस्पति विशेष), नवनीत और सिरस के फूल से भी कई गुना अधिक कोमल होता है। इस लेश्या की सामान्य-स्थित कम से कमं अधंमुहूर्त और अधिक से अधिक पत्योपम के असंख्येयभाग सहित दो सागरोपम है। इस लेश्यावाला जीव मरकर मनुष्य या देवगति (स्गति) को प्राप्त करता है।

प्रान्तिकत, तपस्वी, अत्यत्प-भाषी और जितेन्द्रिय होता है। इसका रंग हरताल हरिद्रा के टुकड़े, सन और असन के पुष्पों की तरह पीला होता है। इसका रस श्रेष्ठ मित्रा, नाना प्रकार के आसव आदि से भी अनन्त गुना अधिक मधुर होता है। इसकी गंध तेजोलेश्या से भी अधिक सुगन्धित होती है और इसका 'स्पर्शं' तेजोलेश्या से भी अधिक कोमल होता है। इस लेश्या की कम-से-कम स्थित अन्त-

पियधम्मे दढवम्मेऽवज्जभीरु हिएसए । एयजोगसमाउत्तो तेओलेसं तु परिणमे ॥ — उ० ३४.२७-२८.

तथा देखिए--उ० ३४. ७, १३, १७, १६-२०, ३३, ३७, ४०, ५१-५३, ५७-६०.

१. पवणुकोहमाणे य मायालोभे य पवणुए।
पसंतचिते दंतष्पा जोगवं उवहाणवं ।।
तहा पवणुवाई य उवसंते जिइदिए।
एयजोगसमाउत्तो पम्हलेसं तु परिणमे।
—उ० ३४. २६-३०.

तथा देखिए---उ० ३४. ८, १४, १७, १६-२०, ३३,३८,४०,४४,४४,

र्मुहूर्त और अधिक से अधिक अधंमुहूर्त अधिक १० सागरोपम है। इस लेक्यावाला जीव मरकर मनुष्य या देवगति (सुगति) में जन्म लात है।

द् शुक्ललेक्या — इस लेक्यावाला जीव शुभ व्यान करने वाला, प्रशान्तिचित्त. जितेन्द्रिय, मन-वचन-काय की प्रवृत्ति में चञ्चलता से रहित, अल्परागी और अहिंसाप्रेमी होता है। इसका 'रंग' शंख, अंक (मणि विशेष), मुचकुन्द पुष्प, दुग्धधारा एवं रजतहार की तरह श्वेत (उज्ज्वल) वर्ण का होता है। इसका 'रस' खजूर, दाख, दूध, चीनी आदि के मधुर रस से भी कई गुना अधिक मधुर होता है। इसकी 'गन्ध' पद्मलेक्या से भी कई गुना अधिक सुगन्धित होती है और 'स्पर्श' भी पद्मलेक्या से कई गुना अधिक कोमल होता है। इस लेक्या की कम से कम स्थिति अधं-मुह्तं और अधिक से अधिक एक मुह्तं अधिक ३३ सागरोपम होती है। इस लेक्यावाला जीव मरकर मनुष्य या देवगित को प्राप्त करता है। यह सर्वश्रेष्ठ लेक्या है।

इस तरह इन छहों लेश्याओं में उत्तरोत्तर चारित्र का विकास दिखलाया गया है। प्रथम तीन लेश्याएँ अशुभ, अधमंरूप एवं अप्रशस्त हैं। अन्तिम तीन लेश्याएँ शुभ, धमरूप एवं प्रशस्त हैं। इन लेश्याओं के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट गुणरूप परि-

**-30 ₹४.३१-३२.** 

. तथा देखिए–उ•३४.६,१४,१७,१६-२०,३३,३६-४०,४६,५५,५७-६०.

िकण्हा नीला काऊ तिम्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो दुग्गई उनवज्जई ।।
 तेऊ पम्हा सुक्का तिम्नि वि एयाओ घम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो सुग्गई उनवज्जई ।।

**--**∃∘ ३४.४६-४७.

क्या देखिए-उ० ३४.६१.

१. अट्टिह्।णि विज्ञित्ता धम्मसुक्काणि साहए। पसंतिचित्ते वंतप्या समिए गुत्ते य गुत्तिसु ।। सरागे कीयरागे वा उवसंते जिद्देविए। एयजोगसमाउत्तो सुक्कलेसं तु परिणमे ।।

णामों के तारतम्यभाव के आधार से ग्रन्थ में तीन, नव, सत्ताईस, इक्यासी और दो सौ तैतालीस अंशों की कल्पना की गई है। श्रम्थ में इस अंश-कल्पना का कथन परिणामद्वार द्वारा किया गया है तथा इनके भेदों के प्रकार को 'स्थान' कहा गया है। इनके स्थान कितने हैं? इस विषय में कहा है—असंख्यात अवसंपिणी और उत्संपिणी काल के जितने समय (क्षण) होते हैं तथा असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश होते हैं उतने ही स्थान लेश्याओं के होते हैं।

मृत्यु के उपरान्त जब जीव परलोक में गमन करता है तो किसी न किसी लेक्या से युक्त होकर ही गमन करता है। यहाँ इतना विशेष है कि जब कोई नवीन लेक्या जीव से सम्बद्ध होती है तो उसके प्रथम समय में और यदि कोई लेक्या किसी जीव से पृथक् होती है तो उसके अन्तिम समय में जीव का परलोक-गमन नहीं होता है अपितु आने वाली लेक्या के अन्तर्मुहूर्त बीत जाने पर और जाने वाली लेक्या के अन्तर्मुहूर्त बीत जाने पर और जाने वाली लेक्या के अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर ही

१. उ० ३४,२०.

प्रज्ञापनासूत्र १७.४.२२६ में भी इसी प्रकार परिणामद्वार का वर्णन है।

२. संसार में अनुक्रम से समय-सम्बन्धी दो प्रकार के चक्र चल रहे हैं—अवसर्पिणी-काल और उत्सर्पिणी-काल । जिस काल में जीवों की आधु, स्थिति, आकार, सुल-सभृद्धि आदि का उत्तरोत्तर हास होता जाए उस अवसर्पिणी-काल कहते हैं तथा जिस काल में जीवों की आधु आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए उसे उत्सर्पिणी-काल कहते हैं। आधु आदि के हास और विकास के आधार से प्रत्येक को ६-६ भागों (आरों) में विभक्त किया गया है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों काल-चर्कों का समय बरावर-बराबर (१०-१० कोटाकोटि सागरोपम) माना गया है। यह अवस्पिणी और उत्सर्पिणी काल-सम्बन्धी कम निरन्तर चलता रहता है।

⁻उ० आ० टी०, पृ० १५७७-१५७६.

^{₹.} उo ३४.३३.

जीव का परलोक-गमन होता है। जीव के परलोक-गमन के एक अन्तर्महतं पहले लेश्या की उपस्थिति होने के कारण ही कृष्ण और शुक्ल लेश्या की उत्कृष्ट-स्थिति जीव की सामान्य उत्कृष्ट आयु से एक मुहूतं अधिक (एक मुहूतं अधिक ३३ सागर) बतलाई गई है। कौन लेश्या किस जीव में कितने समय तक रहती है यह जीव की आयु पर निभंर करता है। अतः ग्रन्थ में चारों गितयों के जीवों की लेश्याओं की जो आयु बतलाई है वह जीवों की आयु के आधार से बतलाई गई है। मनुष्य और तियंश्व गित के जीवों में छहों लेश्याएँ संभव हैं। उनमें प्रथम पाँच की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मृह्तं का अर्ध-भाग है। इसके अतिरिक्त शुक्ललेश्या की जघन्य स्थिति अर्धमुहूतं है और उत्कृष्ट स्थिति नौ वर्ष कम एक करोड पूर्व है।

नारकी जीवों में प्रथम तीन लेक्याएँ ही होती हैं। प्रथम तीन नरकों में कापोतलेक्या, तीसरे से पाँचवें में नीललेक्या और पांचवें से सातवे तक कृष्णलेक्या पाई जाती है। सामान्यतया देवों में

१. लेसाहि सब्बाहि पढमे समयम्मि परिणयाहि तु । न हु कस्सइ उववत्ति परे भवे अत्य जीवस्स ।। लेसाहि सब्बाहि चरिमे समयम्मि परिणयाहि तु । न हु कस्सइ उववत्ति परे भवे अत्य जीवस्स ।। अंतमुहुत्तम्मि गए अंतमुहुत्तम्मि सेसए चेव । लेसाहि परिणयाहि जीवा गच्छति परलोयं ।।
—उ० ३४.४५-६०.

२, उ० ३४.३४, ३६.

३. उ० ३४.४५, ४६.

शुक्ल-लेक्या की उत्कृष्ट-स्थिति में जो ६ वर्ष कम कर दिया गया है उसका कारण है कि साधुदीक्षा अङ्गीकार करके जब कम से कम एक साल पूर्ण कर लेता है तब इस लेक्या की प्राप्ति संभव है। इसके अतिरिक्त साधु बनने के लिए कम से कम आठ वर्ष की उम्र होना आवश्यक है।

[—]उ० आ० टी**०**, पृ**० १५६०.** 

४, उ० ३४,४०-४४,

शुभ-लेश्याएँ ही पाई जाती हैं परन्तु भवनपित और व्यन्तर देवों में कृष्णादि तीन अशुभ-लेश्याएँ भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भवनपित, व्यंतर, ज्योतिषी, सौधमं और ईशान देवों में तेजो लेश्या पाई जाती है। सनत्कुमार से लेकर ब्रह्म देव प्यंन्त पद्म-लेश्या होती है। लान्तक देवों से लेकर सर्वार्थसिद्धि के देवों प्यंन्त शुक्क-लेश्या होती है।

इस तरह इस लेश्या-विषयक वर्णन से ज्ञात होता है कि किस लेश्यावाले जीव कहाँ रहते हैं और कौन जीव किस प्रकार के कर्मों से बद्ध हैं ? इसके अतिरिक्त कर्म और लेक्याओं का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध भी है। पृष्यरूप कमों से शुभ लेश्याओं की प्राप्ति होती है और पापरूप कमों से अशुभ लेश्याओं की प्राप्ति होती है। पुण्य और पापरूप कर्मों से जिस प्रकार की शुभ या अशुभ लेश्या की प्राप्ति होती है जीव तदनुसार ही आचार में प्रवृत्त होता है। प्रवत्ति करने से कर्म-बन्ध होता है और कर्म-बन्ध से पूनः लेश्या की प्राप्ति होती है। इस तरह संसार का चक चलता रहता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जीव इस चक्र से कभी भी छटकारा नहीं पा सकता है अपित प्रयत्न करने पर इस चक्र से मूक्त भी हो सक्ता है। वस्तुतः ये लेश्याएँ कर्म-सिद्धान्त की पूरक हैं। कर्मों के विनष्ट होने पर लेश्याओं का भी अभाव हो जाता है। आत्मा के साथ कर्म-बन्ध की प्रक्रिया को समझाने के लिए इन लेक्याओं का वर्णन किया गया है। अतः गोम्मटसार में लेक्या का स्वरूप बतलाते हए कहा है-'जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापरूप कमों से लिप्त होवे या कथायोदय से अनुरक्त मन, वचन और काय की प्रवत्ति लेश्या है।'र इस तरह लेश्याएँ मनुष्यों के उस आचरण को समझाती हैं जिससे रंजित होने पर शुभाशुभ कर्म आत्मा से बन्ध को प्राप्त होते हैं। इस लेश्या-विषयक निरूपण से भारतीय रंग-विषयक दिष्टकोण का भी पता चलता है।

 ^{30 38. 89-44.} 

२. लिपइ अप्पीकीरइ एवीए णिय अपूरणपुरणंच।
— गो० जी० ४८८.

[ं]तथादेखिए—गो० जी० ५३२.

# अनुर्ज्ञीलन

इस प्रकरण में संसार से सम्बन्धित तीन प्रमुख सिद्धान्तों की चर्चा की गई है: १ संसार की दुःख रूपता, २ संसार या दुःख के कारण और ३ कर्म-बन्धन। इन तीनों सिद्धान्तों का विश्ले-षण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है:

१. भारतीय धार्मिक ग्रन्थों की तरह उत्तराध्ययन में भी इस संसार को जिसमें जीव जन्म-मरण को प्राप्त होते हैं, दु: खों से पूर्ण बतलाया है। धरीर के नश्वर होने तथा इच्छाओं के अनन्त होने के कारण हमें जो सुख प्रतीति में आते हैं वे भी दु खरूप ही हैं। देव और मनुष्य पर्याय जो सुनतिरूप एवं श्रेष्ठ मानी जाती हैं उन्हें भी दुर्गतिरूप बतलाने का उद्देश्य है जीवों को विषय-भोगों की तरफ से निरासक्त करके असीम व अनन्त सुख की ओर प्रेरित करना। क्योंकि जब तक सांसारिक विषयभोगों को दुख रूप एवं नश्वर नहीं चित्रित किया जाएगा तब तक उनसे विरक्ति नहीं हो सकती है। देवपर्याय में जो दु: खों का वर्णन किया गया है उसका कारण है देवपर्याय और उन देविक भोग्य-विषयों का चिरस्थायी न होना। कई स्थानों पर देवों के ऐश्वर्य को श्रेष्ठ बतलाया गया है तथा उसे श्रेष्ठ गित (सुगित) भी कहा गया है। यही स्थिति मनुष्य गित के जीवों की भी है।

इस विवेचन का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रकृत-ग्रन्थ अवास्त-विकता का प्रतिपादन करता है। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि विषयभोगों की सीमा अनन्त है और कितने ही सुख-साधन हमें क्यों न उपलब्ध हो जाएँ शान्ति नहीं मिलती है। शान्ति एव सुख अपने अन्दर है। यदि हमारी इच्छाएँ सीमित हैं तो हमें सुख मिलता है अन्यथा हम और अधिक प्राप्त करने के लिए व्यग्न रहते हैं। ये विषय-भोग न तो सुख के और न दुःख के ही कारण हैं परन्तु विषय-भोगों की आसक्ति और घृणा दुःख के कारण बन जाते हैं। अतः ग्रन्थ में निरासक्त होकर विषयभोगों के उपभोग का उपदेश दिया गया है।

आज के विज्ञान ने जो इतनी उन्नति की है उसका कारण है विषय-भोगों में आसक्ति। फिर कैसे कहा जा सकता है कि विषयभोगो में आसक्ति नहीं करनी चाहिए ? इसके विषय में मेरा कहना है कि प्रकृत-ग्रन्थ असीम एवं अनन्त सुख की ओर ले जाना चाहता है। अतः इसमें जो आध्यात्मिक पथ का अनुसरण किया गया है, वह ठीक है। शरीर की नण्यरता को देखकर तथा संसार में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा कथन सत्य है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी प्रकृत-ग्रन्थ के इस उपदेश को ही नये वैज्ञानिक साँचे में ढालकर समाजशास्त्र व धर्मशास्त्र के रूप में दिया जाता है। यदि हम निष्पक्षदृष्टि से विचार करेंगे तो देखेंगे कि विज्ञान की इतनी उन्नति होने पर भी मानव सुखी, नहीं है अपितु पहले से भी अधिक परेणान और दुःखी नजर आ रहा है। फिर प्रन्थ में कहे गये इस कट सत्य का कि संसार के विषयभोगों में मुख नही मिलता है, कैसे अपलाप किया जा सकता है ? आज जो भी तर्क हम इसके विरोध में दे सकते हैं वे पहले भी दिए जाते थे। परन्तु जो सत्य है वह हमेशा सत्य ही रहेगा। इस कथन की वास्तविकता और अवास्तविकता पर विचार करते समय हमें उस दृष्टि को सामने अवश्य रखना होगा जिसे माध्यम बनाकर इस प्रत्थ को लिखा गया है। बौद्धदर्शन के प्रवर्तकः भगवान् गौतम बुद्ध ने भी जिन चार आर्यसत्यों को खोजा था उनमें प्रथम आर्यसत्य दुःल है । इसके अतिरिक्त दुःख के कारर्ण मौजुद हैं (दु:ख-समुदय), दु:ख से निवृत्ति संभव है (निरोध-सत्य) और दु:खों से निवृत्ति का उपाय भी हैं (निरोधगामिनी प्रतिपदा)-ये अन्य तीन आर्यसत्य हैं। प्रकृत-ग्रन्थ में जिस प्रकारं प्रथम दुःखसस्य को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार अन्य तीन सत्यों को भी स्वीकार किया गया है जिसका हम आगे के प्रकरणों में यथावसर विचार करेंगे।

२. सांसारिक दुःखों के कारणों का विचार करते हुए ग्रन्थ में जन्म-मरणरूप संसार का साक्षात् कारण कर्मबन्ध स्वीकार

१. देखिए--प्रकरण ३.

किया गया है। इसके बाद कमंबन्ध का भी कारण राग-देष और रागद्वेष का भी मूलकारण अज्ञान माना गया है। यद्यि राग-देष और अज्ञान के बीच में कमणः मोह, तृष्णा और लोभ को भी कारणरूप से बतलाया गया है परन्तु मोह, तृष्णा और लोभ ये राग की ही उत्कट अवस्थारूप हैं। यदि इन्हें भी पृथक् कारणरूप से गिनाया जाय तो संसार की कार्य-कारणपरम्परा इस प्रकार होती है: जन्ममरणरूप संसार →कर्मबन्ध →रागदेष →मोह →तृष्णा →लोभ →अज्ञान।

ग्रन्थ में यद्यपि इस कार्य-कारणश्रुङ्खला का सुव्यवस्थित रूप नहीं मिलता है क्योंकि कहीं पर अज्ञान को, कहीं राग को, कहीं द्वेष को, कहीं रागद्वेष को, कहीं पापकर्म को, कहीं कर्ममात्र को, कहीं मोह को, कहीं संसार को, कही मनोज्ञामनोज्ञ वस्तुओं को, कहीं इन सब को एक दूसरे के साथ जोड़कर कार्यकारण का विचार किया गया है। इससे कौन किसका साक्षात् कारण है और कौन परम्परया कारण है इसकी सामान्यतया स्पष्ट प्रतीतिः नहीं होती है। परन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने पर इन सबके मूल में उपर्युक्त कार्यकारणशृङ्खला ही कार्य करती है। अतः ग्रन्थ में कही-कहीं जो इनका आगे-पीछे या एक-दूसरे के साथ सम्मिलित्रूप से उल्लेख किया गया है उसका कारण है--अवसर--विशेष पर कारण-विशेष को महत्त्व देना । तत्त्वार्थसूत्र में कर्मबन्ध के कारणों का विचार करते समय जिन पाँच कारणों को गिनाया गया है उनको देखने से भी इसी कार्य कारणश्रङ्खला का समर्थन होता है। तत्त्वार्थसूत्र में बतलाए गए उन पांच कारणों के कमशः नाम ये हैं भे: १. मिथ्यात्व (अपने आत्मस्वरूप को भूलकर शरीराद्दि पर-द्रव्य में आत्मबृद्धि करना—स्वपरविवेकाभावरूप अज्ञान ), २. अविरति ( विषयों में राग-द्वेष करना), ३ प्रमाद (असावधानी), ४ कषाय (कलुषित भाव) और ५.योग (मन-वचन-काय की प्रवृत्ति )। यहां मिथ्यात्व अज्ञानरूप ही है।

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ।

[—]त० सू**०** ५.१.

अविरित और प्रमाद राग व मोह स्थानापन्न हैं। कषाय राग-द्वेषरूप हैं और योग प्रवृत्तिमात्र में कारण है। इसीलिए उत्तरा-ध्ययन में भी कहीं-कहीं मिथ्यात्व और प्रमाद को संसार एवं कर्मबन्ध का हेतु बतलाया गया है।

बौद्धदर्शन में इस विषय की जो कारण-कार्यश्रुह्खला बतलाई गई है उसके भी मूल में अविद्या (अज्ञान ) है। अविद्या और दुःख के बीच जो अन्य कारण गिनाए गए हैं उनमें तृष्टणा, भव (अच्छे-बुरे कार्य), जाति और जरा-मरण भी हैं। इस तरह दुःखों के मूल कारण को खोजते-खोजते दोनों दर्शन एक ही स्थान पर पहुँचकर एक जाते हैं। परन्तु अज्ञान क्या है? इस विषय में दोनों दर्शनों के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न हैं। ग्रन्थ में जहां अचेतन से चेतन के पार्थक्य-बोध को ज्ञान कहा गया है वहां बौद्धदर्शन में उस पार्थक्य-बोध को अज्ञान माना गया है क्योंकि बौद्धदर्शन में उस पार्थक्य-बोध को अज्ञान माना गया है क्योंकि बौद्धदर्शन में आत्मा नामक कोई स्थायी चेतन-द्रव्य स्वीकृत नहीं है। दुःख का मूल कारण अज्ञान है इसमें शायद किसी को भी विवाद नहीं होगा। गीता में भी मोह का कारण अज्ञान ही स्वीकार किया गया है।

३. जिस कर्मबन्ध को संसार या दुः ख के कारणों में साक्षात् कारण स्वीकार किया गया है वह एक शरीर-विशेष की रचना करता है जो वेदान्तदर्शन में स्वीकृत (स्थूलशरीर के भीतर वर्तमान) सूक्ष्मशरीर स्थानापन्न है क्योंकि ये कर्म आत्मा के साथ बद्ध

१. उ० २६.४, ६०, ७१; १०.१४.

२. बौद्धदर्शन में दु:ख के जो बारह कारण गिनाए गए हैं उन्हें भवचक, इादश-आयतन और प्रतीत्यसमुत्पाद कहा जाता है। उनके कमशः नाम ये हैं—अविद्या →संस्कार →विज्ञान →नामरूप →षडायतन (छ: इन्द्रियाँ मनसहित) →स्पर्श →वेदना →तृष्णा →उपादान →भव (भले- बुरे कमं) →जाति →जरा-मरण →दु:ख।
— भा० द० व०, पृ० १४४.

४. वेदान्तसार, पृ० ३४.

होकर स्थूलशरीर से पृथक् एक शरीर की रचना करते हैं जिसे जैनदर्शन में कार्मणशरीर कहा गया है। यह कार्मणशरीर स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर भी सब्द नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वह अग्रिम जन्म में स्थूल-शरीर की प्राप्ति में कारण भी होता है। इस प्रक्रिया को स्पब्द करने के लिए कर्मबन्ध में सहायक छः लेश्याओं को स्वीकार किया गया है। इन कर्म और लेश्याओं में घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ही ग्रन्थ में लेश्याओं को कर्मलेश्या कहा गया है। ये लेश्याएँ एक प्रकार के लेप्यह्रच्य का कार्य करती हैं जिससे कर्म-परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। शुभाशुभ कर्मों से जिस प्रकार की लेश्या प्राप्त होती है तदनुसार ही जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है। इसके बाद पुनः शुभाशुभरूप से प्रवृत्ति करने पर पुनः कर्मबन्ध होता है। इस तरह अबाध-ससार का कक्र चलता रहता है। कर्मों का अभाव होने पर इसका भी अभाव हो जाता है।

ग्रन्थ में इस कर्म और लेश्या-विषयक वर्णन के द्वारा सांसारिक मुख और दुःख के कारणों का स्पष्टीकरण किया गया है। इस सिद्धान्त के स्वीकार कर लेने से संसार के वैचित्र्य की गृत्थी को मुलझाने के लिए ईश्वर-कल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ती है और एक स्वचालित मशीन की तरह संसार की प्रक्रिया चलती रहती है। कर्मकाण्डी मीमांसादर्शन की तरह वैदिक यागादि क्रियाएँ यहाँ कर्म नहीं हैं वयों कि मीमांसादर्शन में यागादि क्रियाओं से अद्ष्टिविशेष की उत्पत्ति होती है और तब उसके प्रभाव से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। प्रकृतग्रन्थ में जीव में हर क्षण ् होने वाली क्वासादि सुक्ष्म से सुक्ष्म क्रिया, मन के विचार आदि सभी कर्म के कारण हैं। यह दूसरी बात है कि सभी क्रियाएँ बन्ध में कारण न हों परन्तु क्रियामात्र कर्म अवश्य है । उनमें से केवल सराग क्रियाएँ (सकाम कर्म) ही कर्मबन्ध में कारण हैं। अतः संसार के आवागमन में कारण होने से वे ही यहाँ पर कर्म शब्द से कही गई हैं। इसके अति-रिक्त ग्रुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मबन्ध में कारण होने से हैय बतलाए गए हैं। संसारी जीव में पाई जानेवाली प्रत्येक क्रिया, मुख-दु:खानुभति, ज्ञानादि की प्राप्ति, जीवन की स्थिति, शुभाशुभ

#### १७८ ] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशीलन

भरीरादि की प्राप्ति, लाभालाभ की प्राप्ति आदि सभी पहलुओं की व्याख्या इस कर्म-सिद्धान्त द्वारा की गई है और आवश्यकतानुसार कर्मों के अवान्तर भेदों की कल्पना की गई है। कर्म का मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण होने से इस कर्म-सिद्धान्त को जैन मनोविज्ञान कहा जा सकता है।

इस तरह इस प्रकरण में प्रन्थानुसार संसार को दुःखों से पूणं बतलाकर उसके कारणों पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत किया गया है। पुनजंग्म, परलोक आदि स्वीकार किए बिना यह वर्णन संगत नहीं हो सकता है। अरीरादि की नश्वरता और जग्म-मरण की प्राप्ति ही दुःख है। इसीलिए संसार के विषय-भोग-जग्य सुखों को भी दुःखरूप माना गया है। संसार के कारणों में कमंबन्ध को स्वीकार करके यह दिखलाया गया है कि जीव के द्वारा किया गया कोई भी अच्छा या बुरा कमं किसी भी तरह छिप नहीं सकता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। संसार में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा अत्याचार-अनाचार आदि को रोकने के लिए भी ऐसा वर्णन आवश्यक था और है।

#### प्रकरण ३

## रत्नत्रय

दः लों की अनुभृति प्रत्येक प्राणी को कटु मालूम होती है। अतः वे दुः खों से छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते देखे जाते हैं। सांसारिक जितने भी प्रयत्न हैं वे सब क्षणिक मुख को देने के कारण वास्तव में दु:खरूप ही हैं। अविनश्वर मुख की प्राप्ति के लिए चेतन और अचेतन के संयोग और वियोग की आध्यात्मिक-प्रक्रिया को जिन नव तथ्यों (तत्त्वों-सत्यों ) में विभाजित किया गया है उनमें पूर्ण विश्वास (सम्यग्दर्शन), उनका पूर्णज्ञान ( सम्यन्ज्ञान ) और तदनुसार आचरण ( सम्य-क्चारित्र) आवश्यक है। इस तरह अविनश्वर सूख की प्राप्ति में सहायक सम्य्रान्दर्शन ( सत्य-श्रद्धा ), सम्यग्ज्ञान ( सत्यज्ञान ) और सम्यक्वारित्र (सत्-आचरण) इन तीन साधनों को ही यहां पर 'रत्नत्रय' शब्द से कहा गया है। इन तीनों साधनों पर विचार करने के पूर्व चेतन और अचेतन के संयोग और वियोग की आध्यात्मिक-प्रक्रिया को जिन नौ तथ्यों में विभाजित किया गया है उनका विचार आवश्यक है।

### नव तथ्य (तत्त्व) :

चेतन-अचेतन और इनके संयोग-वियोग की कारणकार्यश्रङ्खला के त्रिकालवर्ती सत्य होने के कारण इन्हें तथ्य (सत्य या तत्त्व) शब्द से कहा गया है। इन नव तथ्यों के नाम क्रमश: ये हैं: १. जीव (चेतन ), २. अजीव ( अचेतन ), ३. बन्ध ( चेतन और अचेतन की सम्बन्धावस्था ), ४. पुण्य ( अहिसादि शुभ-कार्य ),

१. जीवाजीवा य बन्धो य पुष्णं पावाऽऽसवो तहा । संबरी निज्जरा मीनखी संति एए तहिया नव ।। —उ० २८. १४.

५.पाप (हिंसादि अशुभ-कायं), ६.आस्रव (चेतन के पास अचेतन कमों के आने का द्वार), ७. संवर (चेतन के साथ अचेतन का सम्बन्ध कराने वाले कारण का निरोध), ६. निजंरा (चेतन से अचेतन का अंशत: पृथक्करण) और ६. मोक्ष (चेतन का अचेतन से पूर्ण स्वातन्त्र्य)। इन्हें मुख्यतः पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है:

- १. चेतन व अचेतन तत्त्व-जीव और अजीव।
- २. संसार या दु:ख की अवस्था-बन्ध ।
- ३. संसार या दु:ख के कारण-पुण्य, पाप और आखव।
- ४. संसार या दुःख से पूर्ण निवृत्ति-मोक्ष ।
- संसार या दुःख से निवृत्ति का उपाय संवर और निजंरा।

संसार या दुःल का कारण कर्म-बन्धन है और उससे छुटकारा पाना मोक्ष है। चेतन ही बन्धन और मोक्ष को प्राप्त करता है तथा अचेतन (कर्म) से बन्धन और मोक्ष होता है। पुण्य और पापरूप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अचेतन कर्म चेतन के पास आकर (आस्रवित होकर) बन्ध को प्राप्त होते हैं। इन अचेतन कर्मों के आने को रोकना (संवर) तथा पहले से आए हुए कर्मों को पृथक् करना (निजंरा) मोक्ष के लिए आवश्यक है। इस तरह बन्ध, मोक्ष, चेतन, अचेतन, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर और निजंरा ये नौ सार्वभौम सत्य होने से तथ्य (तत्त्व) कहे गए हैं। इनके स्वरूपादि इस प्रकार हैं:

- जीव चेतन द्रव्य । इसे ही बन्धन और मोक्ष होता है ।
- २. अजीव अचेतन द्रव्य । विशेषकर वह अचेतन द्रव्य (कर्म-पुद्गल) जिसके सम्बन्ध से चेतन बन्धन को और वियोग से मुक्ति को प्राप्त होता है।
  - ३. पुण्य- चेतन के द्वारा किए गए अहिंसा आदि शुभ-कार्य।
  - ४. पाप-चेतन के द्वारा किए गए हिंसा आदि अणुभ-कार्य।
- प्र. आस्रव-मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से पुण्य और पापरूप कमों का चेतन के पास आना। अशस्त्रव से सामान्यतया

१. कायवाङ्मनःकर्म योगः । स अव्सवः । शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ।
—ृत० सू० ६. १-३.

पापास्रव को समझा जाता है। ग्रन्थ में भी पापास्रव के पाँच भेदों (हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और धन-सञ्चय) का संकेत किया गया है। परन्तु पापास्रव की तरह पुण्यास्रव भी मुक्ति के लिए त्याज्य है।

**६. बन्ध**—चेतन के साथ अचेतन कर्म-परमाणुओं का सम्बन्ध होना।^२

७. संवर-पुण्य और पापरूप कर्मों को चेतन के पास आने (आस्रव) से रोकना । असामान्यतया पापास्रव को रोकना संवर का कार्य समझा जाता है। ग्रन्थ में इसके भी पापास्रव विरोधी पाँच भेदों का संकेत हैं। फल-प्राप्ति की अभिलाषा के बिना किए जाने वाले सत्कर्म संवररूप होते हैं। जब जीव अहिसादि सत्कार्यों में प्रवृत्त होकर फंलप्राप्ति की कामना करता है तो वे पुण्यास्रव होकर बन्ध के भी कारण हो जाते हैं। जैसे पूर्वभव में फलाभिलाषा से युक्त (निदानसहित) ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और फलाभिलाषा से रहित चित्त-मुनि के द्वारा किए गए एक समान अहिसादि पुण्य-कर्म अगले भव में अलग-अलग फलवाले हुए। इस तरह फलाभिलाषा (निदान)

२, अज्ज्ञत्यहेउं निययस्स बंधी संसार हेउं च वयंति बन्धं।

<del>..</del> उ० १४.१६.

मिथ्यादशंनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः। संकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुदगलानादसे स बन्धः।

<del>-</del>त० सू० व. **१**-२.

वात्मकर्मणोरस्योऽस्यत्रदेशानुप्रवेशात्मको बन्धः।

--सर्वार्थसिद्धि, पृ० १४.

३. आस्रवनिरोधः संवरः ।

—त∘ सू० १.१.

४. मुसंबुडा पंचहि संवरेहि।

<del>--</del> उ० १२.**४२**.

प्र. कम्मा नियाणपगडा तुमे राय ! विचितिया। तेसि फलविवागेण विष्पओगमुवागया।

—उ०१३.८.

तथा देखिए-- उ. १३.१,२८-३०.

१. देखिए-प० १६६, पा० टि० १; उ० १६. ६४; २०.४५; २६.११.

पूर्वक किए गए सभी पुण्यकमं आस्त्रवरूप हैं और फलाभिलाषा के बिना किए गए निष्काम कर्म संवररूप हैं। अतः अनास्रवी का लक्षण बतलाते हुए ग्रन्थ में कहा है—'प्राणिवध, मृषावाद, चोरी, मैथुन, धनसंग्रह, रात्रिभोजन तथा चार कषायों से रहित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति में सावधान जितेन्द्रिय जीव अनास्रवी कहलाता है।' अर्थात् अश्वभ-कार्यों का सर्वथा त्थाग करके शुभ-कार्यों में सावधानीपूर्वक फलाभिलाषा से रहित होकर प्रवृत्ति करना संवर का कारण है। ग्रन्थ में इस प्रकार के संवर का फल आस्रविनरोध के बाद ऋद्धि-सम्पन्न देवपद या सिद्धपद (मुक्ति) की प्राप्ति बतलाया है। व

दः निर्जरा—पूर्ववद्ध कर्मी को आत्मा से अंगतः पृथक् करना। अस मोक्ष के प्रति साक्षात् कारण है। यद्यपि प्रतिक्षण कर्मों की कुछ न कुछ निर्जरा होती रहती है परन्तु कुछ निर्जरा तपस्या आदि के द्वारा बलात् भी की जाती है। इसीलिए इस निर्जरा को दो भागों में बाँट सकते हैं: १. सामान्य-निर्जरा और २. विशेष-निर्जर। अपने आप स्वाभाविक रीति से बिना प्रयत्न के प्रतिक्षण कर्मों का फल देकर चेतन से पृथक् हो जाना सामान्य-निर्जरा है। इस प्रकार की निर्जरा में जीव को कोई प्रयत्नविशेष नहीं करना पड़ता है। अतः प्रकृत में इसका विचार आवश्यक नहीं है। दूसरे प्रकार की निर्जरा का अर्थ है—तपादि साधनों के द्वारा कर्मों को बलात् उदय में लाकर चेतन से पृथक् कर देना। इसीलिए जैन-ग्रन्थों सामान्य-निर्जरा को सविपाक-निर्जरा तथा अनौपक्रमिक-निर्जरा (अकृत्रिम-निर्जरा) कहा गया है। इसके अतिरिक्त विशेष-निर्जरा

श. पाणिवहमुसावाया अदत्तमेहुगपरिग्गहा विरओ ।
 राई मोयणविरओ जीवो भवइ अणासवो ॥
 पंचसिमओ तिगुत्तो अकसाओ जिइंदिओ ।
 अगारवो य निस्सल्लो जीवो होइ अणासवो ॥
 —उ० ३०. २-३.

२. उ० २६.४४; ४.२४, २८.

३. एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निर्वरा। —सर्वार्थसिद्धि १.४.

को अविपाक-निर्जरा और औपक्रमिक-निर्जरा (कृतिम-निर्जरा) कहा गया है।

ह. मोक्ष—सभी प्रकार के कर्म-बन्धनों से पूर्ण छुटकारा पाना या चेतन के द्वारा स्व-स्वरूप को प्राप्त कर लेना मोक्ष है। यही जीव का अन्तिम लक्ष्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और अनन्त-सुख व शक्तिसम्पन्न हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद चेतन पन: कभी भी कर्मबन्धन में नहीं पडता है।

इन नौ तथ्यों में से पुण्य और पाप के आस्रवरूप होने से तत्त्वार्थसूत्र में इनकी सख्या सात ही गिनाई गई है और इन्हें 'तत्त्व' शब्द से कहा है। उजब पुण्य और पाप को आस्रव से पृथक् गिनाया जाता है तब इन्हें ही जैन-प्रन्थों में 'पदार्थ' शब्द से कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जब केवल जीव और अजीव का कथन किया जाता है तब ये 'द्रव्य' शब्द से कहे जाते हैं। वास्तव में जिस प्रकार वैशेषिकदर्शन में 'द्रव्य' और 'पदार्थ' में भेद है उस प्रकार जैन-प्रन्थों में द्रव्य, तत्त्व और पदार्थ (तत्त्वार्थ, अर्थ या तथ्य) इन शब्दों में भेद नहीं किया गया है क्योंकि ये आपस में एक-दूसरे से मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त जैन-प्रन्थों में जीवादि षड्द्रव्यों को 'तत्त्वार्थ' शब्द से तथा जीवादि नौ तथ्यों (पदार्थों) को 'अर्थ' शब्द से भी कहा गया है। 'ऐसा होने पर भी 'द्रव्य' शब्द से लोक

- त० सू० १०.२.

—तं वसू १.४.

५. जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं ।
तच्चत्वा इदि भणिदा णाणागुणपज्जएहिं संजुत्ता ।।
—ित्वमसार, गाथा ६.
जीवाजीवा भावा पुण्णं पावं च आसवं तेसि ।
संवरणिज्जरबंधो भोक्को य हवंति ते अट्ठा ।।
—-पंचास्तिकाय, गाथा १०५.

१. सर्वार्थसिद्धि ५.२३.

२. बन्धहेत्वभावनिजेराभ्यां कृत्स्तकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ।

[ः] ३. जीवाजीवास्रवदन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ।।

४. जीवाजीवासववंबसंवरो णिज्जरा तहा मोक्खो । तच्चाणि सत्त एदे सपुण्णपावा पयत्या य ॥ — तघु-द्रव्यसंग्रह, गाथा ३.

की रचना के मूल उपकरणों को लिया जाता है तथा 'तस्व' शब्द से आध्यात्मिक रहस्य का भावात्मक विश्लेषण किया जाता है।' 'तस्व' शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का ही विशेष व्याख्यान 'पदाथं' शब्द के द्वारा किया जाता है। पदार्थ को ही 'तथ्य' शब्द से कहा गया है। ग्रन्थ में इन नौ तथ्यों के विषय में एक नाव का दृष्टान्त भी दिया गया है:

एक नौका संसाररूपी समुद्र में तर रही है जिसमें दो छिद्र हैं, उनमें से एक से गन्दा और दूसरे से साफ पानी आ रहा है। पानी के आते रहने से नाव अब डूबने ही वाली है कि नाव का मालिक उन दोनों छिद्रों को बन्द कर देता है जिनसे पानी अन्दर प्रवेश कर रहा था और फिर दोनों हाथों से उस भरे हुए पानी को उलीचकर निकालने लगता है। धीरे-धीरे वह नौका पानी से खाली हो जाती है और पानी की सतह पर आकर अभीष्ट स्थान को प्राप्त करा देती है। इस तरह इस दृष्टान्त में नौका शरीर स्थानापन्न (अजीव) है, नाविक जीव है, गन्दे और साफ पानी आने के दोनों छिद्र क्रमशः पाप और पुण्यरूप हैं, जल का नाव में प्रवेश करना आस्रव है, जल का नाव में एकत्रित होना बन्ध है, पानी आने के स्रोतों (छिद्रों) को बन्द करना संवर है, पानी को उलीचना निजंरा है और

—सर्वार्थसिद्धि १.२.

२. जा उ अस्साविणी नावा न सा पारस्स गामिणी । जा निरस्साविणी नावा सा उ पारस्स गामिणी ।।

सरीरमाहु नावित जीवो वृच्चइ नाविओ । संसारी अण्णको वृत्तो जंतरंति महेसिणो ॥

१. तत्त्व शब्दो भावसामान्यवाची । कथम् ? तदित् सर्वनामपदम् । सर्वनाम च सामान्ये वर्तते । तस्य भावस्तत्वम् । तस्य कस्य ? योऽधौं ययावस्थितस्तवा तस्य भवनिमत्वयः । अर्थत इत्यथौं निश्चीयत इत्यथः । तत्त्वेनार्थस्तत्त्वार्थः । अथवा भावेन भाववतोऽ-भिधानं, तद्यातिरेकात् तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः ।

जुल के पूर्ण रूप से पृथक् कर देने पर नाव का पानी की सतह पर आ जानामोक्ष है।

भगवान् बुद्ध ने भी इसी तथ्य का साक्षात्कार करके इसका ही चार आयंसत्यों के रूप में उपदेश दिया है। चूंकि बौद्धदर्शन में कोई स्थायी चेतन व अचेतन पदार्थ स्वीकार नहीं किया गया है अतः उत्तराध्ययन में प्रतिपादित नौ तथ्यों को जिन पाँच भागों में विभक्त किया गया है उनमें से प्रथम भाग में गिनाए गए जीव और अजीव को छोड़कर शेष सात तथ्यों को ही उपर्युक्त क्रम से निम्नोक्त चार आर्य-सत्यों के रूप में विभक्त किया गया है:

- १. दु.ख सत्य~संसार में जन्म, जरा, मरण, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग आदि दु:ख देखे जाते हैं। अतः दु:ख सत्य है।
- २. दुःख-कारण सत्य (दुःख-समुदय सत्य ) जब दुःख हैं तो दुःख के कारण भी अवश्य हैं।
- ३. दुःख-निरोध सत्य-यदि दुःख और दुःख के कारण हैं तो कारण के नाश होने पर कार्यरूप दुःख का भी विनाश होना चाहिए। इस तरह दुःख-निरोध भी सत्य है।

४. दु:ख-निरोधमार्ग सत्य — दुःखों को दूर करने का रास्ता भी है। अतः दु:ख-निरोधमार्ग भी सत्य है।

इस तरह चेतन-अचेतन द्रव्य हैं या नहीं, परमार्थ में सुख है या नहीं ? इसका कोई समुचित उत्तर न देकर भगवान् बुद्ध ने यह कहा कि उपर्युक्त चार बातें सत्य हैं। दुःख से छुटकारा चाहते हो तो इन चार आयंसत्यों पर विश्वास करके दुःख-ितरोध के माग का अनुसरण करो। दुःख-िनरोध के मागं में जिन उपायों को बौद्ध-दर्शन में बतलाया गया है वे ही उपाय प्रायः उत्तराध्ययन में भी हैं, परन्तु मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ बौद्धदर्शन मुक्ति के लिए

सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुः सं समुदयस्तया ।
 निरोधो मार्ग एतेषां यथामिसमयं कमः ।।

[—] अमिधर्मकोष ६.२.

आत्मा के अभाव (नैरात्म्य) की भावना पर जोर देता है वहाँ उत्तराध्ययन आत्मा के सद्भाव की भावना पर जोर देता है वि

## मुक्ति का साधन-रत्नत्रयः

उपयुक्त नौ तथ्यों में 'संवर' और 'निर्जरा' जो संसार से निवृत्ति की व्याख्या करते हैं उनमें क्रमशः बतलाया गया है कि किस प्रकार आनेवाले नवीन कर्मों को रोका जा सकता है और किस प्रकार एकत्रित हुए पुराने कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। इस तरह संवर और निजंरा ये दोनों तत्त्व आम-रणीय आचारशास्त्र या धर्मशास्त्र का प्रतिपादन करते हैं। परन्तु आचार (धर्म) की पूर्णता और सम्यक्ष्णता के लिए इन नौ तथ्यों का सच्चाज्ञान और उन पर दृढ़-विश्वास की भी आवश्यकता है। क्योंकि आचार के सम्यक्षने के लिए आवश्यक है कि उसका सच्चा-ज्ञान हो और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्यक है कि उसका सच्चा-ज्ञान हो और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा के साथ दृढ़ विश्वास । प्रनथ में इसी कथन को पुष्ट करते हुए लिखा है—'सच्चे विश्वास (दर्शन) के बिना सच्चा ज्ञान नहीं होता, सच्चे ज्ञान के बिना सच्चा चारित्र नहीं होता, सच्चे

यः पश्यत्यात्मानं तत्राहमिति शास्त्रतः स्तेहः ।

आत्मिनिसतिपरसंज्ञा स्वपरिविभागात् परिग्रह्वेषौ । अनयो संप्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥ —प्रमाणवार्तिक २.२१८-२२१.

२. एवं लोए पिलत्तिम जराए मरणेण य । अप्पाणं तारइस्सामि तुङभेहि अणुमन्निओ ।। —उ० १६.२४. तथा देखिए--उ० १४.१,३,४,१४;१८.३०-३१,३३,४६ आदि । चारित्र के बिना कर्म से मुक्ति नहीं मिलती और कर्म से मुक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सच्चे विश्वास के अभाव में सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त जहाँ सच्चा विश्वास है वहाँ सच्चा चारित्र हो या न हो उभय कोटियाँ ( भज-नीय) संभव हैं। किञ्च, सच्चे विश्वास (सम्यक्तव या सम्यग्दर्शन) और सच्चे चारित्र के साथ-साथ उत्पन्न होने पर पहले विश्वास (सम्यक्तव) की ही उत्पत्ति होगी। दस तरह मुक्ति के लिए सर्व-प्रथम तथ्यों में श्रद्धा फिर उनका सम्यक्जान और तदन्सार आचरण आवश्यक है। यद्यपि ग्रन्थ में ऐसे भी स्थल हैं जहाँ पर विश्वास (श्रद्धा या सम्यादर्शन), ज्ञान और सदाचार को पृथक्-पृथक तथा उनके प्रत्येक अंश को लेकर (साक्षात या परम्परया) मोक्ष के प्रति स्वतन्त्र रूप से कारण बतलाया गया है; कहीं-कहीं इन तीन के अतिरिक्त तप, क्षमा निर्लोभता आदि कारणों को भी पृथकुरूप से जोड़कर चार, पाँच, छः आदि कारणों को गिनाया गया है। रेपरन्तू परीक्षण से ज्ञात होता है कि जहाँ-जहाँ पृथक्-पृथक् अंग को लेकर मुक्ति के प्रति कारणता बतलाई गई है वहाँ-वहाँ उन-उन अंशों में अन्य अंश गतार्थ हैं तथा उस अंशविशेष का महत्त्व बतलाने के लिए ऐसा किया गया है। इसी प्रकार अहाँ श्रद्धा. ज्ञान और सदाचार के साथ तप, क्षमा आदि का सन्निवेश किया गया है वहाँ भी तपादि अंशों के महत्त्व पर जोर देने के लिए उन्हें अलग से जोड़ा गया है अन्यथा तप, क्षमा आदि अन्य सभी कारण सदाचार, ज्ञान एवं विश्वासरूप कारणत्रय में ही गतार्थ हैं। इस कथन की पुष्टि में मैं यहाँ पर उत्तराध्ययन से कुछ प्रसङ्ग उदध्त करता हुँ:

१. नंतिय चिरत्तं सम्मत्तिवृणं दंसणे उ भइयव्वं । सम्मत्तचिरत्ताइं जुगवं पुक्वं व सम्भत्तं ।। नादंसणिस्स नाणं नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा । अगुणिस्स नित्य मोक्खो नित्य अमोक्खस्स निव्वाणं ।।

⁻⁻ उ० २५.२६-३०.

२. विशेष के लिए देखिए--उ०, अध्वयन २८-२६, ३१.

### १८८ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशोलन

१. केशि गौतम संवाद में बतलाया गया है कि निश्चय से जान, दर्शन और चारित्र ही मोक्ष के सद्भूत साधन हैं, अन्य बाह्य वेष-भूषादि नहीं। ऐसी दोनों जैन उपदेशकों (भगवान् पार्श्वनाथ और महावीर) की प्रतिज्ञा है।

२. मोक्षमार्गगित नामक २८वें अध्ययन के प्रारम्भ में कहा है— 'ज्ञान और दर्शन जिसके लक्षण हैं ऐसे चार कारणों से युक्त यथार्थ मोक्षमार्ग की गित को तुम मुझसे सुनो। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप-यह मोक्ष-मार्ग है। जो इस मार्ग का अनुसरण करता हैं वह सुगिति (मोक्ष) को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान् जिनेन्द्र ने कहा है।' आगे इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए प्रन्थ में लिखा है—'ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से उन पर श्रद्धा करता है, चारित्र से कमित्रवों को रोकता है और तप से शुद्धता को प्राप्त करता है। इस तरह जो सब प्रकार के दुःखों से छुटकारा पाना चाहते हैं वे संयम और तप से पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट करते हैं।' कर्मों के क्षय करने में विशेष उपयोगी होने के कारण यहाँ

---उ० २३.३३.

२, चतारि सुगाईओ पण्णताओ, तं जहा-सिद्धसुगाई, देवसुगाई, मणुय-सुगाई, सुकुलपच्चायाई।

- स्थानाङ्गसूत्र ४.१.२६.

- भोक्समगगई तच्चं सुणेह जिणभासियं।
   च उकारणसंजुत्तं नाणदंसणलक्खणं।
   नाणं च दंसणं चेत्र चरित्तं च तनो तहा।
   एयंमगगमणुष्पत्ता जीवा गच्छंति सोगगई।।
   —उ० २८.१-३.
- ४. नाणेण जाणई भावे दंसणेण य सहहे । चिरत्तेण निगिण्हाइ तवेण परिसुज्झई ॥ खवेत्ता पुक्वकम्म।ई संजमेण तवेण य । सन्वदुवखप्पहीणद्वा पक्कमंति महेसिणो ॥

--- उ० २८ ३५-३६.

१. अह भवे पद्दना उ मोक्ससव्भूयसाहणा। नाणं च दंसणं चेव चरित्तं चेव निच्छिए।।

तप को सदाचार से पृथक् गिनाया गया है। अन्यथा तप सदाचार से पृथक् अन्य कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ ज्ञान और दर्शन को मोक्षमार्ग का लक्षण बतलाया गया है जिससे स्पष्ट है कि ज्ञान और दर्शन के अभाव में किया गया सदाचार अभीष्ट साधक नहीं है।

३. रथनेमी अध्ययन में जब अरिष्टनेमी दीक्षा ले लेते हैं तो बासुदेव कहते हैं—'हे जितेन्द्रिय! तू शीध्र ही अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर। ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप, क्षमा और निर्लोमता से वृद्धि को प्राप्त कर।' यहाँ तप, क्षमा और निर्लोमता ये भी चारित्र के ही अंश हैं।

४. जब मृगापुत्र सिद्धगित को प्राप्त करता है तो उस समय प्रम्थ में कहा गया है—'इस तरह ज्ञान, सदाचार, विश्वास, तप और विशुद्ध भावनाओं के द्वारा अपनी आत्मा को परिशुद्ध करके, बहुत वर्षों तक साध-धर्म का पालन करके तथा एक मास का उपवास करके उसने अनुत्तर सिद्ध-गित को प्राप्त किया।' यहाँ साधु-धर्म का पालन, भावनाओं का चिन्तन, उपवास आदि रत्नत्रय की ही वृद्धि में सहायक अङ्ग हैं।

४. 'बोधिलाभ' को भगवान की स्तुति का फल बतलाते हुए कहा गया है — 'ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप बोधिलाभ से युक्त होकर जीव या तो संसार के आवागमन का अन्त करने वाले स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करता है या कल्पविमानवासी देव-पद को प्राप्त करता है। अ इसी तरह सर्वगुणसम्पन्नता (ज्ञान-दर्शन-चारित्र) का फल अपुनरावृत्तिपद (मोक्ष) की प्राप्त बतलाया गया है। अ

१. वासुदेवो य णं भणइ लुत्तकेसं जिइंदियं। इच्छियमणोरहे तुरियं पावेसू तं दिसीसरा।। नाणेणं दंसणेणं च चरित्तेण तहेव य। संतीए मृत्तीए नड्डमाणो भवाहि य।।

**⁻⁻ उ० २२.२५.२६.** 

२. उ० १६ ६४-६६.

^{₹.} उ० २**६.१४**,

४. सञ्जगुणसंपत्नपाए णं अपुणरावित्ति जणयइ। अपुणरावित्ति पत्तए य णंजीवे सारीरमाणसाणंदुकसाणं नो भागी भवइ।

⁻उ० २६,४४.

६ प्रमादस्थानीय अध्ययन के प्रारम्भ में सम्पूर्ण दुः लों से मुक्ति का एकान्त हितकारी उपाय बतलाते हुए कहा है—'सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के त्याग से, राग और द्वेष के क्षय से एकान्त सुखरूप मोक्ष प्राप्त होता है।' इसी तरह इसके आगे भी इसी तथ्य का समर्थन करते हुए लिखा है—'श्रेष्ठ और वृद्ध लोगों (स्थिवर मुनियों) की सेवा (सदाचार), मूर्ख पुरुषों की संगति का त्याग (सम्यग्दर्शन), एकान्त में निवास, स्वाध्याय, सूत्रार्थ-चिन्तन (सम्यक्ज्ञान) और धेर्य यह मोक्ष का मार्ग है।' र

इस तरह विश्वास (सम्यग्दर्शन - सम्यक्त्व), ज्ञान (सम्यग्ज्ञान) और सदाचार (सम्यक्चारित्र) रूप रत्तत्रय ही मुक्ति का प्रधान साधन है। यहाँ इतना विशेष है कि ये तीनों मिलकरके हो मुक्ति के साधन हैं, पृथक्-पृथक् तीन साधन नहीं हैं। अतः ये गीता के भक्तियोग (विश्वास—सम्यक्त्व), ज्ञानयोग (सम्यग्ज्ञान) और कर्मयोग (सदाचार) की तरह पृथक्-पृथक् तीन मार्ग नहीं हैं। उत्तत्वार्थसूत्रकार ने इसीलिए रत्नत्रय को मोक्ष का मार्ग बतलाते हुए 'मार्ग' शब्द में एकवचन का प्रयोग किया है। ध

ज्ञानमात्र से मुक्ति संभव नहीं — 'ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है' इस वैदिक-संस्कृति में विश्वास करने वाले और ज्ञानमात्र

१. अच्चतकालस्स समूलगस्य सन्वस्य दुक्खस्य उ जो पमोक्खो । तं भासओ मे पडिपुण्णिचिता सुणेह एगःगहियं हियत्यं ।। नाणस्य सम्बस्य पगासणाए अन्नाणमोहस्य विवच्जापाए । रागस्य दोसस्य य संखर्ण एगन्तसोक्खं समुवेइ मोक्खं ।।
—उ० १२१-२.

२. उ० ३२.३.

**३. भा॰** द० ब॰, पृ॰ ८१.

४. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।

[—] त० सू० १.१.

प्र. तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ।
 नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय ॥
 - श्वेताश्वतरोपनिषद् ६.१५.
 तथा देखिए-वही ३.८.

से मृक्ति को मानने वालों के प्रति ग्रन्थ में कहा है-'कुछ लोग यह मानते हैं कि पापाचार का त्याम किए बिना मात्र आर्यकर्मी का ज्ञान कर लेने से दु:खों से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह ज्ञान-मात्र से बन्धन और मोक्ष का कथन करने वाले ये आचारहीन व्यक्ति स्वयं को सिर्फ अपने वचनों से आश्वस्त करते हैं क्योंकि जब अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान रक्षक नहीं हो सकता है तब मंत्रादि विद्याओं का सीखनामात्र (विद्यानुशासन) कैसे रक्षक हो सकता है ? इस तरह पाप-कर्म में निमग्न और अपने आपको पण्डित मानने वाले ये लोग वास्तव में मूर्ख हैं। " इससे स्पब्ट है कि ज्ञानमात्र से मूक्ति की कल्पना करना मूर्खता है। वास्तत्र में चारित्र के बिनाज्ञान पंगुएवं भाररूप है, ज्ञान के बिना चारित्र अन्धा है तथा दृढ़ विश्वास के विना ज्ञान और चारित्र में प्राण-रूपता (दृढ़ता) का अभाव है। यदि आचाररूप क्रिया के अभाव में मात्र ज्ञानसे कार्य-सिद्धि मान ली जाए तो एक डाक्टर जोिक सब रोगों की दवा जानता है, बिनादवा खाए ही स्वस्थ हो जाना चाहिए। परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि जब ग्रन्थ में संसार एवं दूः ख का मूल कारण अज्ञान बतलाया गया है तो फिर उससे निवृत्ति का उपाय भी ज्ञान ही होना चाहिए; श्रद्धा एवं चारित्र को मानने की क्या आवश्यकता हैं? यद्यपि यह कथन ठीक है परन्तु उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़-श्रद्धा और आचार भी अपेक्षित है। जब तक दृढ़-श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति के लिए झुकाव भी नहीं हो सकता है तथा जब तक इन्द्रियों की च खलता को रोककर ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया जाएगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

—उ० ६.६-११**.** 

१. इहमेगे उ मन्तित अप्यच्चक्खाय पावगं। भायरियं विदित्ता णं सव्बद्धक्खा विभुच्चई।। भणंता अकरेंता य बंधमोक्खपइण्णिणो। वायविरियमेत्तेण समासासेंति अप्ययं।। न चित्ता तायए भासा कुओ विज्जाणुसासणं। विसण्णा पावकम्मेहि बाला पंडियमाणिणो।।

इस तरह ज्ञान और चारित्र दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। जब साधक को सच्चाब पूर्णज्ञान हो जाता है तो वह संसार के बन्धन से छ्टकारा पा जाता है क्योंकि जब सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वह कभी भी गलत आवरण नहीं कर सकता है। इसीलिए भगुपूरोहित के दोनों पुत्र अपने पिता से कहते हैं-'जिस प्रकार हम लोगों ने धर्म को न जानते हुए अज्ञानवश (मोह-वश ) पहले पाप-कर्म किए थे उस प्रकार अब हम आपके द्वारा रोके जाने पर और रक्षा किए जाने पर पुन: उन कर्मों को नहीं करेंगे।" इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में पूर्णज्ञानी को जीव-न्मुक्त (केवली) कहा गया है। ३ इसका यह तात्पर्य नहीं है कि केवल ज्ञानमात्र से मुक्ति हो जाती है क्योंकि पूर्वबद्ध कर्मी का फल अवश्य भोक्तव्य होने के कारण पूर्ण-मूक्ति के लिए पूर्णज्ञान के बावजूद भी सदाचार की आवश्यकता है। यदि पूर्णज्ञान मात्र से ही मुक्ति मान ली जाती तो जिनेन्द्र देवों का उपदेश प्रामाणिक नहीं होता क्यों कि पूर्ण ज्ञान हो जाने पर वे संसार में न रहेंगे और पूर्णज्ञान के पूर्व दिया गया उनका उपदेश प्रांमाणिक न होगा। इस तरह ज्ञान के बिना चारित्र और चारित्र के बिना ज्ञान दोनों पङ्ग हैं। ग्रन्थ में ज्ञान की अपेक्षा कहीं कहीं आचार को प्रधानता देने का मुख्य प्रयोजन था कि उस समय लोग मात्र वेद-ज्ञान को मुक्ति का साधन मानकर अपने आचार से पतित हो रहे थे। जब्दज्ञान मात्र से चारित्र शुद्ध नहीं होता है। अतः उस ज्ञान में दढ़ विश्वास भी आवश्यक है। इसीलिए ज्ञान और आचार के पूर्व अद्धापरक सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन आवश्यक माना गया है क्योंकि किसी भी जीव का ज्ञान कितना ही उच्च-कोटि का क्यों न हो वह तब तक सम्यक् नहीं कहला सकता है जब तक उसे सम्यग्दर्शन न हो।

जहा वयं धम्ममजाणमाणा पावं पुरा कम्ममकासि मोहा ।
 अोरुब्भमाणा परिरिक्खयंता तं नेव भुज्जो वि समायरामो ।।
 - उ॰ १४.२०.

२. देखिए-प्रकरण ६.

जीवादीसद्दृशं सम्मतं रूबमप्पणो तं तु ।
 दुरिमणिवेसविमुक्तं णाणं सम्मं खु होदि सदि जिम्हि ॥
 —-द्रव्यसंग्रह, गावा ४१.

ग्रन्थ में यद्यपि छन्दोबद्धता या प्रधानता प्रकट करने के कारण दशंन, ज्ञान और चारित्र का ब्युत्क्रम से भी उल्लेख किया गया है परन्तु जहां इनके क्रम का विचार किया गया है वहां स्पष्ट कहा है कि दर्शन के विना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना सच्चारित्र नहीं होता तथा सच्चारित्र के बिना कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। गिता में भी यही क्रम बतलाते हुए कहा है: 'श्रद्धावान् ही पहले ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान-प्राप्ति के बाद संयतेन्द्रिय (सदाचार में प्रवृत्ति करने वाला) बनता है। 'इ इसी प्रकार बौद्धदर्शन में भी ज्ञान (प्रज्ञा), आचार (श्रील) और तप (समाधि) को रत्नत्रय (तीनरत्न) कहा गया है तथा इन तीन रत्नों की प्राप्ति के पूर्व सम्यक्तव को आवश्यक माना गया है। इस तरह दु:खों से छुटकारा पाने के लिए रत्नत्रय की साधना आवश्यक है। '

जैनदर्शन में 'रत्नत्रय' के नाम से प्रसिद्ध मोक्ष के इन तीन साघनों का हो सम्मिलित नाम ग्रन्थ में 'धर्म' भी मिलता है। अतः

१. देखिए-पृ• १८७, पा० टि० १.

श्रद्धावांत्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्बा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।।

⁻⁻ गीता ४, ३६.

सम्यक्ज्ञान, सम्यक्संकल्प (दृढ़ निश्चय), सम्यक्वचन (सत्यवचन), सम्यक्कर्मान्त (हिंसादि से रहित कर्म), सम्यक्आजीव (सदाचारपूर्ण जीविका), सम्यक्ष्यायाम (भलाई के लिए प्रयत्न), सम्यक्समृति (अनित्य की भावना) तथा सम्यक्समाधि (चित्त की एकाग्रता)। इस तरह सम्यक्त्व आठ प्रकार का है।

४. भारु द० ब०, पृ० १४४.

५. अज्ञान से विषाक्त भोजन कर लेने वाले रोगी के स्वास्थ्यलाभ के लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम डाक्टर या औषधि आदि पर विश्वास करे, औषधिसेवन की विधि आदि का ज्ञान हो और तदनुसार उसका सेवन करे। इनमें से एक की भी कमी होने पर जैसे स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है वैसे ही संसार के दु:खों से छुटकारा पाने के लिए रत्नत्रय की बाराधना आवश्यक है।

⁻देखिए-सर्वार्थसिद्धि १.१.

चतुरङ्गीय नामक तीसरे अध्ययन में धर्म के साधनभूत उत्तरीतर सर्वश्रेष्ठ चार दुर्लभ-अङ्गों का प्रतिपादन करते हुए इन तीन रत्नों को ही गिनाया गया है। वे चार दुर्लभ-अङ्ग इस प्रकार हैं:

- १. मनुष्यत्व—यहाँ मनुष्यत्व से तात्पर्य श्रेष्ठ-जाति व श्रेष्ठ-कुल आदि से सम्पन्न मनुष्यपर्याय की प्राप्ति से हैं। मनुष्यपर्याय में ही पूर्ण चारित्र का पालन कर सकना संभव होने से इस पर्याय की प्राप्ति देवादि अन्य पर्यायों की प्राप्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ वतलाई गई है। अतः प्रथम तो मनुष्य-जन्म पाना ही कठिन हैं फिर उसमें भी श्रेष्ठ कुल आदि का प्राप्त होना और भी अधिक कठिन है। इस तरह इस दुर्लम-अङ्ग में रत्नत्रयरूप धर्म को घारण करने वाले अधिक कारी की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया है।
- २. श्रुतिश्रवण—शास्त्रज्ञान । यदि किसी तरह मनुष्यता की प्राप्ति हो भी गई तो भी धर्मशास्त्र का ज्ञान मिलना सबको मुलभ नहीं होता है । इस तरह यहाँ सम्यग्ज्ञान की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया है क्योंकि शास्त्र ज्ञान-प्राप्ति के साधन हैं।
- ३. श्रद्धा—शास्त्रज्ञान की सत्यता में दृढ़ विश्वास का होना। शास्त्रज्ञान हो जाने पर भी उसकी सत्यता में सबको विश्वास होना कठिन है क्योंकि बहुत से लोग शास्त्रज्ञ होकर भी दृढ़-श्रद्धा के अभाव में आचारहीन देखे जाते हैं। इसमें श्रद्धारूप सम्यय्दर्शन की दुर्लभता का कथन किया गया है।
- ४. संयम में पुरुषार्थ सदाचार में प्रवृत्ति । शास्त्रज्ञान और उसकी सत्यता में विश्वास होने पर भी रागादिरूप प्रवृत्ति के कारण सदाचार का पालन करना अत्यधिक कठिन है। यहाँ सम्यक्-चारित्र की दुर्लभता का कथन किया गया है।

इस तरह घमं के साधनभूत इन चार दुर्लभ अंगों की प्राप्ति में ज्ञानरूप श्रुतिश्रवण का जो श्रद्धा के पूर्व कथन किया गया है वह ज्ञान की प्राप्ति के साधनभूत श्रुति-श्रवण की दुर्लभता की अपेक्षा से है क्योंकि श्रुतिश्रवण और श्रद्धा के बाद ही ज्ञान की

१. देखिए--पृ० १०८, पा० टि॰ २; उ॰ ३.८-११; आचाराङ्गसूत्र २.१.

पूर्णता संभव है। बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति में प्रयत्न ही संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे-वैसे श्रद्धा में भी दृढ़ता आती जाती है तथा सदाचार में भी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यद्यपि ज्ञान की प्राप्ति में सदाचार भी आवश्यक है परन्तु चारित्र की पूर्णता ज्ञान की पूर्णता होने पर ही सम्भव होने से उसे ज्ञान से अधिक दुर्लभ और श्रेष्ठ कहा गया है। धर्म के साधनभूत इन चारों दुर्लभ-अङ्गों की प्राप्ति का फल मुक्ति या ऋदिसम्पन्न देवता-पद की प्राप्ति वतलाया गया है।

अन्यत्र भी मोक्ष के साधनभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को 'धर्म' शब्द से कहा गया है। यह 'धर्म' शब्द प्रथम प्रकरण में प्रयुक्त गति में सहायक 'धर्मद्रव्य' से पृथक है। इस रत्नत्रयरूप 'धर्म' को संसाररूपी समुद्र में शरणभूत-द्वीप, अ परलोक-यात्रा में सहायक पाथेय अौर मृत्यु-समय का रक्षक प

**-30 ३.११-१२.** 

- २. समीचीन धर्मशास्त्र १.२-३; मनुस्मृति २.१; यशस्तिलकचम्पू ६.२६८.
- जरामरणवेगेणं वुज्झमाणाण पाणिणं । धम्मो दीवो पइट्ठा गइ सरणमुत्तमं ।।

---उ० २३.६८.

४. ब्रह्मणं जो महंतं तु सपाहेओ पवज्जई । गच्छंतो सी सुही होइ छुहात०हाविविज्जिओ ।। एवं धम्मं पि काऊणं जो गच्छइ परं भवं ।। गच्छंतो सो सुही होइ अप्पकम्मे अवेयणे ।।

—उ० १६.२**१**-२२.

४, एक्को हु घम्मो नरदेव ! ताणं न विज्जई अन्निमहेह किचि ।
—उ० १४.४०.

१. माणुसत्तिम्म आयाओ जो घम्मं सोच्च सद्दे । तवस्सी वीरियं लद्धं संबुडे निद्धुणेर यं ।। सोही उज्जुयभूयस्य धम्मो सुद्धस्य चिट्ठई । निव्वाणं परमं जाइ घयसित्तिक्व पावए ।।

कहा गया है। जो धमंं से युक्त है उसका जीवन सफल है'
और वह स्वयं का स्वामी होते हुए दूसरों का भी स्वामी
है। वही सवान्धव एवं नाथों का भी नाथ (स्वामी) है को
धमंं से युक्त है। इसके अतिरिक्त जो धमंं से हीन है वह अनाथ
है। ''धमं' एक राजमार्ग है जिस पर चलकर प्रत्येक प्राणी सुख
का अनुभव करता है तथा 'अधमं' एक कण्टकाकीणंमागं है जिस
पर चलने से प्राणी परेशानियों का अनुभव करता है। '' धमं सुन्दर
है तथा इसका आश्रयण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह
धमं देदीप्यमान अग्नि की तरह शुद्ध एवं सरल हृदय में ही
ठहरता है। अत: इसके ग्रहण करने में विलम्ब न करने को कहा
गया है।

श. जा जा वच्चइ रयणी न सा पिडिनियत्तई ।
 धम्मं च कुणमाणस्स सफला जीत राइओ ।।
 —उ० १४.२५

तथा देखिए-उ० १४.२४; ४.१; ६.११.

२. खंतो दंतो निरारम्भो पव्यईओऽणगारियं।
तो हं नाहो जाओ अप्पणो स परस्स स ।।
— ७० २०.३४-३४.

३. तुब्भे सणाहा य सर्वघवा य जंभे ठिया मिग जिणुत्तमाणं। तंसि नाहो अणाहाणं सब्दभूयाण संजया।। —उ० २०.५५-५६.

४. उ० २०.५-१६.

५. जहा सागडिओ जाणं समं हिच्चा महापहं। विसमं मगामोइण्णो अवेखे भगगिम्म सोयई।। एवं घम्मं विजनकम्म अहम्मं पडिविजिया। बाले मच्चुमुहं पत्ते अवेखे भगगे व सोयई।।
——ज० ५.१४-१५.

तथा देखिए-उ०१३.२१.

६. देखिए--पृ• १६४, पा॰ टि॰ १.

७. धम्मं च पेसलं एचचा तस्य ठवेज्ज भिक्खु अप्पाणं । ----उ० ५.१६.

अञ्जेव धम्मं पडिवज्जयामो जिह पवत्ना न पुणव्भवामो ।
—- ५० १४.२८.

इस तरह इस 'धमं' शब्द का प्रयोग यहां पर मुक्ति के साधक रत्नत्रय के अर्थ में ही किया गया है। सामान्य व्यवहार में भी अहिसादि शुभ-कार्यों के करने को 'धमं' कहा जाता है। मीमांसादशंन में जिस वैदिक यागादि-क्रिया को 'धमं' शब्द से कहा गया है वह यहां पर एक प्रकार के 'कमं' के रूप में स्वीकृत है। भारतीय धमं-परम्परा में माने गए धमं, अथं, काम और मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषार्थों में 'धमं' का ही प्रमुख स्थान है क्योंकि धमं से ही अथं, काम और मोक्ष को प्राप्त होती है। इस तरह 'धमं' शब्द का अर्थ है-'मुक्ति का मार्ग और मुक्ति का मार्ग है- 'सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान और सम्यक्चारित्र।'

अब क्रमशः इन तीनों का ग्रन्थानुसार वर्णन किया जाएगाः

# सम्प्रादर्शन (सहप्र-श्रद्धा )

सामान्यतौर से सम्यक्-दर्शन शब्द का सिम्मिलित अर्थ है— सत्य का देखना या सत्य का साक्षात्कार करना। सत्य का पूर्ण साक्षात्कार चक्षु इन्द्रिय के द्वारा समय न होने से सत्यभूत जो नय तथ्य बतलाए गए हैं उनके सद्भाव में विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। इन तथ्यों में श्रद्धा करने पर चेतन-अचेतन का भेदज्ञान, संसार के विषयों से विरक्ति, मोक्ष के प्रति झुकाव, परलोकादि के सद्भाव में विश्वास, और चेतनमात्र के प्रति द्यादिभाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के भावों के उत्पन्न होने पर जीव धीरे-धीरे सत्य का पूर्ण साक्षात्कार कर लेता है। अतः जैनदर्शन में सम्यन्दर्शन के गुणरूप पाँच चिह्न स्वीकार किए गए हैं जिनका

तत्त्वार्यश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् । — त० सू० १.२.

तथा देखिए--पृ० १८६, पा० टि० ४.

१. अब को धर्म: .....यागादिरेव धर्म:..... चोदनालक्षणोऽश्री धर्म' इति । —अर्थसंग्रह, लोगाक्षीभास्कर, पृ० ६-८.

२. तहियाणं तु भावाणं सब्भावे उवएसणं । भावेण सद्दत्तस्स सम्मन्तं तं वियाहियं ।। ----उ० २८.१५०

ग्रन्थ में शब्दतः स्पष्टरूप से कथन न होने पर भी उनतीसवें अध्ययन में सम्यक्त्व के प्रसङ्ग में उन चिह्नों से युक्त गुणों का फल अवश्य बतलाया गया है।

सम्यग्दर्शन के चिह्न-सम्यग्दर्शन के गुणरूप चिह्नों के नाम इस प्रकार हैं:

१. संवेग (मोक्ष के प्रति झुकाव), २. निर्वेद (सांसारिक विषय-भोगों से विरक्ति), ३. अनुकम्पा (प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव), ४. आस्तिक्य (जीव, अजीव, परलोक आदि की सत्ता में विश्वास) और ५. प्रशम (राग-द्वेषात्मक वृत्तियों के उपस्थित होने पर भी शान्त-परिणामों से विचलित न होना)। सम्यग्दर्शन के इन पाँच चिह्नों में से ग्रन्थ में 'संवेग', 'निर्वेद' और 'आस्तिक्य' (अनुत्तर-धर्मश्रद्धा) को परस्पर एक-दूसरे का पूरक बतलाते हुए तृतीय-जन्म का अतिक्रमण किए बिना कमों का क्षय करके (आत्म-विशुद्ध होकर) मोक्षप्राप्तिका अधिकारी बतलाया है। विहीं-कहीं ग्रन्थ में संवेग व निर्वेद की प्राप्ति को सम्यक्त्व की प्राप्ति के रूप में बतलाया गया है। अजुकम्पा' अहिंसा का ही प्रतिक्त है तथा प्रशमभाव के बिना संवेगादि भाव नहीं हो सकते हैं क्योंकि जब चित्त रागादि वृत्तियों के उपस्थित होने पर अपने शान्त-

— उ• २६.१.

तथा देखिए-उ० २१.२-३.

१. भार सं जै , पृ २४२; यशस्तिलकचम्पू, पृ ३२३.

२. संवेगेणं भंते ! जीवे कि जणयह ? संवेगेणं अणुक्तरं धम्मसद्धं जणयह । अणुक्तराए धम्मसद्धाए संवेगं हब्बमागच्छह । अणंताणुबंधिकीहमाण-मायालोभे खवेड । नवं च कम्मं न बंधह । तथ्यच्चइयं च णं मिच्छक्त-धिसीहिं काऊण दंसणाराहए भवड । दंसणविसोहीए य णं विसुद्धाए अत्थे गहए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झई । विसीहीए य णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्गहणं नाइक्कमह ।

परिणामों से युक्त न रहेगा तो विषयों से विरक्ति और संवेगादि-भाव कैसे हो सकते हैं? इस तरह सम्यग्दर्शन प्रशम, संबेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन पाँच गुणों से युक्त होता है। जब तक पाँचों गुणों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवादि तथ्यों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। अत: सम्यग्दर्शन का लक्षण आस्तिक्य गुण-विशेष को लेकर तथ्यों में श्रद्धा किया गया है। आगे चलकर जैनदर्शन में यही श्रद्धापरक सम्यग्दर्शन का लक्षण व्यावहारिक-सम्यग्दर्शन कहलाने लगा तथा स्व और पर (चेतन और अचेतन) का भेदज्ञान निश्चय-सम्यग्दर्शन (परमार्थ-सम्यादर्शन)। इस तरह अपेक्षा-भेद से सम्यादर्शन के लक्षण में भेद होने पर भी ग्रन्थ में स्वीकृत लक्षण में कोई बाधा नहीं पड़ती है क्योंकि अचेतन से चेतन का पृथक प्रतीतिरूप स्व-परभेदज्ञान सम्यग्दर्शन के आस्तिक्यगुण का ही रूप-विशेष है तथा स्व-परभेदज्ञान हए बिना तथ्यों में श्रद्धा नहीं हो सकती है। जीवादि तथ्यों में श्रद्धा होने पर स्व-परभेदज्ञान स्वतः हो जाता है। अतः जीवादि तथ्यों में श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है तथा इनमें श्रद्धा न होना मिथ्यात्व या मिथ्यादर्शन है। इस तरह यदि हम दूसरे शब्दों में सम्यादर्शन का स्वरूप बतलाना चाहें तो कह सकते हैं कि धर्म की ओर प्रवृत्त होना, सत्य का बोध होना, विषयों से विरिवत होना, शरीर से पृथक् जीव (चेतन) के अस्तित्व का बोध होना आदि सब सम्यग्दशंन है। इसीलिए ग्रन्थ में संवेगादि की प्राप्ति को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया है।

## सम्यग्दर्शन के आठ अङ्गः

सम्यग्दर्शन निम्नोक्त आठ विशेष बातोंपर निर्भर करता है जो सम्यग्दर्शन के आठ अङ्ग कहलाते हैं । उन आठ अङ्गों के नाम ये हैं :े

विशेष के लिए देखिए-पुरुषार्थंसिद्ध्यपाय, श्लोक २३-३०; समी-चीन धर्मशास्त्र, श्लोक ११-१८,२१.

१. छहढाला ३.१-३.

२. निरसंकिय-निक्कं खिय-निब्बितिगिच्छा अमूढिदिट्ठी य । उववूह-थिरीकरणे वच्छल्लपभावणे अट्ठ ॥

⁻⁻⁻ उ**०** २६**.३**१.

१. निःशंकित (तत्वों में किसी प्रकार की शङ्कान होना),
२. निःकांक्षित (सांसारिक विषय-भोगों की इच्छा न करना),
३. निविचिकित्सा (धमं के फल में सन्देह न करना), ४. अमूढ़दृष्टि (नाना प्रकार के मत-मतान्तरों को देखकर भी तथ्यों में
अविश्वास न करना अर्थात् मूढता को प्राप्त न होकर धमं में श्रद्धा को
दृढ़ बनाए रखना), ४. उपवृंहा (गुणी पुरुषों की प्रशंसा करना),
६. स्थिरीकरण (धमं से पतित होने वाले को सन्मागं में
दृढ़ करना), ७. वात्सल्य (सहधिमयों से प्रेमभाव रखना) और
इ. प्रभावना (धमं के प्रचार एवं उन्नित के लिए प्रयत्न करना)।
इस तरह इन आठ अल्डों में प्रथम चार निषेधात्मक है और अन्य

इस तरह इन आठ अङ्गों में प्रथम चार निषेधात्मक हैं और अन्य चार विधानात्मक हैं। सम्यक्त्व की दृढ़ता के लिए ग्रन्थ में इनके अतिरिक्त तीन अन्य गुण भी आवश्यक बतलाए हैं 3 : १ जीवादि तथ्यों का पुन. पुन: अनुचिन्तन करना, २. परमाथंदशीं महापुरुषों की सेवा करना और ३. सन्मागं से पतित एवं मिथ्या उपदेश देने वाले मिथ्यादृष्टियों के सपकं का त्याग करना।

इन गुणों के अतिरिक्त सम्यक्त्व के विघातक जितने भी दोष संभव हो सकते हैं उन सबका त्याग भी जरूरी है। ग्रन्थ में सम्यक्त्व के विघातक ऐसे कुछ दोषों का कथन भी किया गया है जिनका त्याग करना आवश्यक है। जैसे — मन से, वचन से एवं

१. 'उपवृंहा' को 'उपगूहन' भी कहा जाता है। इसका अर्थ है—अपने गुणों और गुरु आदि के दुर्गुणों को प्रकटन करना।

⁻समीचीन धर्मशास्त्र, क्लोक १४.

२. जैसे राजीमती ने रथनेमी को धर्म में स्थिर किया था। देखिए—परिशिष्ट २.

३. परमत्यसंयवो वा मुदिट्ठपरमत्यसेवणं वावि । बावन्नभुदंसणवज्जणा य सम्मत्तसदृहणा ॥ —उ० २८.२८.

४. दंडाणं गारवाणं च सरुलाणं च तियं तियं।
जे मित्रलू चयई निच्चं से न अच्छाइ मंडले ॥
— उ० ३१.४,
तया देखिए— उ० १६.६० ६२:२० ६:३० २:३० ०

काया से दूसरों को पीड़ित करने के कारण तीन प्रकार का दण्ड (Hurtful acts); माया (कुटिलता), निदान (पुण्यकर्म की फलाभिलाषा) और मिध्यात्व ये तीन शह्य (Delusive acts); बन-सम्पत्ति या ऋद्धि आदि की प्राप्ति का घमण्ड, रसना इन्द्रिय की संतुष्टि का घमण्ड और सुख-प्राप्ति (साता) का घमण्ड ये तीन गौरव (Conceited acts) तथा जाति, कुल, सौन्दर्य, शक्ति, लाभ (धनादि की प्राप्ति), श्रुतज्ञान, एंश्वयं और तपस्या ये आठ प्रकार के सद (Pride)। इन १७ प्रकार के दोषों में से तीन प्रकार के गौरव तथा आठ प्रकार के मद अहंकाररूप हैं। तीन प्रकार के दण्ड क्रोध-कप्रायरूप और तीन प्रकार के शहर माया तथा लोभ-कप्रायरूप हैं। अतः सम्यक्त्व की दृढ़ता के लिए इन दोषरूप कप्रायों का त्याग आवश्यक है।

### सम्यग्दर्शन के भेद

सामान्यतया कर्म-सिद्धान्त के अनुसार सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति दर्शनमोहनीय कर्म के उदय (फलोन्मुख) में न होने से (क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने से) एक ही प्रकार से होती है। उत्पत्ति में निमित्तकारण की अपेक्षा से ग्रन्थ में सम्यक्त्व के जिन १० प्रकारों को गिनाया गया है वे अधोलिखित हैं:

१. तिसर्गरुचि — स्वतः उत्पन्न । गुरु आदि के उपदेश के बिना ही जाति-स्मरण आदि के होने पर स्वतः जीवादि तथ्यों में श्रद्धा होना कि ये वैसे ही हैं जैसे जिनेन्द्र भगवान् ने देखे हैं, अन्यथा नहीं हैं।

तिसगुबएसरुई आणारुई सुत्त बीयरुइमेव ।
 अभिगम वित्याररुई किरिया-संखेव यम्मरुई ॥
 — उ० २८.१६.

२. भूयत्थेणाहिगया जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।
सहसम्मुद्द्यासवसंवरो य रोएइ उ निसम्गो ।।
जो जिणदिट्ठे भावे चउव्विहे सदृहाइ सयमेव ।
एमेव नझहस्ति य स निसम्मन्द्र ति नायव्वो ॥
—उ० २८.१७-१८.

- उपदेशरुचि गुरु आदि के उपदेश से जीवादि तथ्यों में श्रद्धा होना । इसकी उत्पत्ति में परोपदेश निमित्तकारण है।
- ३. आज्ञारुचि गुरु आदि के आदेश (आज्ञा) से तथ्यों में श्रद्धा करना अर्थात् गुरु ने ऐसा कहा है अतः सत्य है, ऐसी श्रद्धा होना। उपदेशरुचि में गुरु के उपदेश की प्रधानता रहती है और आज्ञारुचि में गुरु के आदेश की प्रधानता रहती है। उपदेशरुचि में गुरु तथ्यों को सिर्फ समझाता है और आज्ञारुचि में आदेश देता है कि तुम ऐसी श्रद्धा करो। यही दोनों में भेद है।
- ४. सूत्ररुचि—'सूत्र' शब्द का अर्थ है—अंग या अंगबाह्य जैन-आगम सूत्र-ग्रन्थ। अतः सूत्र-ग्रन्थों के अध्ययन से जीवादि तथ्यों में श्रद्धा होना सूत्ररुचि है। 3
- ५. बीजरुचि—जो सम्यग्दर्शन एक पद-ज्ञान से अनेक पदार्थ-ज्ञानों में फैल जाता है उसे बीजरुचि कहते हैं। इस प्रकार

यो हि जातिस्मरणप्रतिभादिरूपया स्वमत्याऽवगतान् सद्भ्तान् जीवा-दीन् पदार्थान् श्रद्धाति स निसमैरुचिरिति भावः।

-स्थानाङ्गसूत्र (१०.७५१) वृत्ति, पृ० ४७७.

१० एए चेष उभावे उवइट्ठे जो सहहई ।
 छउमत्थेण जिणेण व उवएसहइ ति नायक्वो ।।
 उ० २८.१६.

२. रागो दोसो मोही अन्नाणं जस्स अवगर्य होइ।. आणाए रोयंती सो खलु अग्णारुई नाम ग

<del>---</del>उ० २८.२०

जो हेउमयाणंतो आणाए रोयए पत्रयणं तु । एमेव नन्नहत्ति य एसो आणारुई नाम ॥ —प्रज्ञापनासूत्र, १.७४.४ (पृ० १७६).

- जो सुत्तमिहज्जंतो सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं ।
   अंगेण बहिरेण व सो सुत्तहइ ति नायव्वो ।
  - —उ० २**५.**२१.
- ४. एगेण अणेगाइं पयाइं जो पसरई उसम्मत्तं। उद्दर् व्व तेल्लिबिदु सो बीयहइ त्ति नायव्वो ॥ —उ० २८.२२.

- के सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिए अंग और अंगवाह्य आगमग्रन्थों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपितु जल में डाली गई बीजरूप तेल की एक बूँद की तरह थोड़े से ही पदार्थ-ज्ञान से यह उत्पन्न होकर सर्वत्र फैल जाता है।
- ६. अभिगमरुचि अंग और अंगबाह्य सूत्र-प्रन्थों के अर्थज्ञान से उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दर्शन। पूत्ररुचि सम्यग्दर्शन में अर्थज्ञान अपेक्षित नहीं है जबकि अभिगमरुचि में सूत्र-प्रन्थों का अर्थज्ञान भी अपेक्षित है। यही इन दोनों में भेद है।
- ७. विस्तारहिं ज्ञान के सभी स्रोतों के द्वारा जीवादि द्रव्यों के समझने पर उत्पन्न होनेवाला सम्यय्दर्शन। के इस तरह यह विस्तार के साथ जीवादि द्रव्यों के समझने के बाद उत्पन्न होता है। अतः अभिगमहिंच की अपेक्षा यह अधिक विलम्ब से होता है। यहीं इन दोनों में भेद है।
- द. कियारिच -- रत्नत्रयसम्बन्धी धार्मिक क्रियाओं को करते रहने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे 'क्रियारुचि' कहते हैं। , कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति परम्परावश या किसी अन्य निमित्तवश धार्मिक-क्रियाओं को करता रहता है परन्तु उसकी
  - सो होइ अभिगमरुई सुयनाणं जेण अत्यओ दिट्ठ । एक्कारस अंगाइ पदण्णगं दिटिठवाओ य ।।

**—उ०** २८.२३.

२. ज्ञान के मुख्य दो स्रोत हैं — प्रमाण और नय। वस्तु के सकलदेश को विषय करने वाला 'प्रमाण' तथा एकदेश को विषय करने वाला 'नय' कहलाता है।

देखिए-त० सू० १.६.

- ३. दब्बाण सब्बभावा सब्बपमाणेहि जस्स उवलद्धा ।
   सब्बाहि नयविहीहि विस्थारुइ ति नायन्यो ॥
   उ० २८.२४.
- ४. दंसणनाणचरिते तविवणए सञ्चसिमइगुत्तीसु । जो किरियाभावहर्द सो खलु किरियाहर्द नाम ॥ —७० २८.२५.

श्रद्धा दृढ़ नहीं होती है। धीरे-धीरे उन क्रियाओं को करते रहने पर एक दिन उसे दृढ़-श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाता है। अतः धार्मिक-क्रियाएँ करते रहने से इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसे क्रियारुचि कहा गया है।

- ६. संक्षेपरुचि—नाना प्रकार के मतवादों में न पड़कर जैन-प्रवचन में श्रद्धा करना संक्षेपरुचि है। बीजरुचि में संक्षेप से विस्तार की ओर प्रवृत्ति होती है और संक्षेपरुचि में विस्तार नहीं होता है क्योंकि संक्षेपरुचिवाला न तो नाना प्रकार के मतवादों में पड़ता है और न जिन-प्रवचन में पाण्डित्य ही प्राप्त करता है जबिक बीजरुचिवाला शीषृ ही पाण्डित्य को प्राप्त कर लेता है। यही दोनों में अन्तर है।
- १०. धर्मरुचि जिन-प्रणीत धर्म में श्रद्धा करना धर्मरुचि है। इसकी उत्पत्ति धार्मिक विश्वास से होती है। कियारुचि में धार्मिक-क्रियाओं की प्रधानता है और धर्मरुचि में धार्मिक-भावना की प्रधानता है। यही दोनों में भेद है।

उपर्युक्त १० प्रकार के सम्यक्त्व के भेदों को देखने से ज्ञात होता है कि ये सभी भेद उत्पक्ति की निमित्तकारणता को लेकर किए गये हैं। इनके साथ जो 'रुचि' शब्द जोड़ा गया है वह श्रद्धापरक है क्योंकि सम्यग्दर्शन के जो ये १० भेद किएं गए हैं वे यह बतलाते हैं कि निसर्गादि की विशेषता को लिए हुए जीवादि तथ्यों में रुचिरूप सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है। 3

स्थानाङ्ग और प्रज्ञापना इन दो सूत्र-प्रन्थों में भी सम्यग्दर्शन के इन १० भेदों का इसी प्रकार से उल्लेख मिलता है। परन्तु

श्रणिसम्महियकुदिद्वी संखेवरुइ ति होइ नायव्यो ।
 अविसारओ पवयमे अणिसम्महिओ य सेसेसु ।।
 —उ० २६.२६.

२. जो अत्थिकायघम्मं सुययम्मं खलु चरित्तधम्मं चः सद्हइ जिणाभिहियं सो धम्मरुड ति नायन्वो ॥ —उ० २८.२७.

३. देखिए--पृ० २०१, पा० टि० २.

बहाँ पर सामान्य सम्यग्दशंन के ये भेद नहीं गिनाए हैं अपितु सम्यग्दर्शन के घारक सम्यग्दृष्टि के प्रथमतः 'सराग' और 'वीतराग' के भेद से दो भेद करके सराग-सम्यग्दृष्टि के ये भेद गिनाए गए हैं। इसके अतिरिक्ति इन १० भेदों का व्याख्यान करते समय स्थानाङ्ग-सूत्र के वित्तकार श्री अभयदेवसूरि तथा प्रज्ञापना-सूत्र के रचियता श्री आर्यश्याम उत्तराध्ययन की गाथाओं को ज्यों की त्यों उद्धृत करते हैं।

गुणभद्ररचित आत्मानुशासन में भी सम्यक्त के इन १० भेदों का उल्लेख मिलता है परन्तु वहाँ पर उनके साथ रुचि शब्द नहीं जोड़ा गया है तथा उनके नाम एवं कम में भी कुछ अन्तर है। अ आत्मानुशासन के हिन्दी टीकाकार पं० वंशीधर ने इन भेदों का आधार न केवल उत्पत्ति की निमित्तकारणता को स्वीकार किया है अपितु स्वरूप की हीनाधिकता को भी कारण बतलाया है। परन्तु याकोबी ने ग्रन्थोक्त सभी भेदों को उत्पत्तिमूलक ही माना है।

निमित्तकारण की विविधता के कारण यद्यपि सम्यग्दर्शन के अनेक भेद हो सकते हैं तथापि उत्पत्ति के प्रति निमित्तकारण की अपेक्षा और अनपेक्षा की दृष्टि से संक्षेप में इन्हें दो भागों में बाँटा

तथा देखिए-वही, क्लोक १२-१४.

१. दसविधं सरागसम्महंसणे पन्नत्ते, तं जहा—
निसग्गुवतेसरुई आणस्तो सुत बीजस्तिमेव ।
अभिगम वित्थारस्तो किरिया सखेव धम्मस्तो ।।
—स्यानाञ्जसूत्र १०.७५१ (पृ० ४७६).
से किं तं सरागदंसणारिया ? सरागदंसणारिया दसविहा पन्नता ।
तं जहा—निसग्गुव० ।

⁻⁻ प्रज्ञापना, पद १, सूत्र ७४, पृ. १७८.

२. वही।

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात् सूत्रबीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाभ्यां भवमवपरमावादिगाढे च ॥

⁻ आत्मानुशासन, श्लोक ११.

४. आत्मानुशासन, पृ० १८.

४. से ं बु ई , पृ १४४.

जा सकता है, जैसा कि सम्यक्त्य के लक्षण से भी स्पष्ट हैं: १. स्वतः उत्पन्न होने वाला और २. पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाला। तत्त्वार्थसूत्र में भी ऐसा ही कहा है। २ यदि उपर्युक्त १० भेदों को इन दो भागों में विभक्त किया जाए तो निसगंहिं को छोड़कर शेष सभी पर-सापेक्ष हैं। इसके अतिरिक्त आवरक कर्मों के क्षय, उपशम एवं क्षयोपशम (मिश्र) के भेद से सम्यग्दर्शन के अन्य तीन भेद भी सम्भव हैं। ३

महत्त्व-यह सम्यग्दर्शन धर्म का मूलाधार है। इसके अभाव में ज्ञान और चारित्र आधारहीन हैं। यद्यपि यह सत्य है कि ज्ञान और चारित्र में वृद्धि होने पर सम्यग्दर्शन में वृद्धि होती है परन्तु ज्ञान और चारित्र में सम्यक्पना तभी संभव है जब सम्यग्दर्शन हो। अतः सम्यग्दर्शन की प्राप्ति को ग्रन्थ में 'बोधिलाभ' शब्द से भी कहा गया है। इस सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होने पर जीव मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है और धीरे-धीरे ज्ञान और चारित्र की पूर्णता को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सम्यग्दर्शन का इतन। महत्त्व होने के ही कारण ग्रन्थ के २६ वें अध्य-यन का नाम 'सम्यक्त्व-पराक्रम' रखा गया है जबकि उसमें सम्यक्त्व

--त० सू० १-३.

कर्मणां क्षयतः शान्तेः क्षयोपश्रमतस्तथा ।
 श्रद्धानं त्रिविघं बोध्यं ..... ।
 स्थास्तलकचम्पू, पृ० ३२६.

४. सम्मद्दंसणरत्ता .....तेसि सुलहा मवे बोही। -उ० ३६.२४६.

५. वही; तथा पृ० १६८, पा० टि० २.

१. देखिए--पृ• १६७, पा० टि० **२.** 

२. तन्निसर्गादधिगमाद्या ।

के साथ ज्ञान और चारित्र का भी वर्णन किया गया है। परवर्ती जैन-साहित्य में इसके महत्त्व की काफी चर्चा मिलती है।

## सम्माजान (सन्मजान)

सम्यक्तान का अर्थ है—सत्यज्ञान। यहाँ सत्यज्ञान से तात्पर्य घट-पटादि सांसारिक वस्तुओं को जानना मात्र नहीं है अपितु मोक्ष-प्राप्ति में सहायक ६ तथ्यों का ज्ञान अभिन्नेत है अर्थात् सम्यक्ष्यं में जिन ६ तथ्यों पर विश्वास किया गया था उनको विधिवत जानना। इसके अतिरिक्त जितना भी सांसारिक फलाभिलाषा वाला ज्ञान है वह सब मिथ्या है क्योंकि वह दुःख-निवृत्तिरूप मुक्ति के प्रति अनुपयोगी है। अतः 'स्त्री, पुत्र, धन आदि मुख के साधन हैं' ऐसा ज्ञान भी मिथ्या है। सत्यज्ञान वही है जो हमेशा रहे। प्रन्थ में उल्लिखित सांसारिक विषयभोगों से सम्बन्धित २६ प्रकार के मिथ्याशास्त्रों (पापश्चुत—मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करने

१. देखिए-समीचीन धर्मशास्त्र, पृ० ३१-४१.

२. देखिए-पूर्व १८८, पार टिव ४; उव २८.४.

^{3.} उनतीस प्रकार के मिथ्य।शास्त्र (पापश्रुत) ये हैं: १. दिव्य-अट्टहासादि को बतलाने वाले, २. उल्कापात आदि का इच्टानिष्ट फल बतलाने वाले, ३. अन्तरिक्ष में होने वाले चन्द्रप्रहण आदि का फल बतलाने वाले, ४. अङ्गस्फुरण का शुभाशुभ फल बतलाने वाले, ५. स्त्री-पुरुषों के लक्षणों का शुभाशुभ फल बतलाने वाले, ६. स्त्री-पुरुषों के लक्षणों का शुभाशुभ फल बतलाने वाले, ७. तिल, माघा आदि का फल बतलाने वाले, ६. भूकम्प-विषयक शुभाशुभ फल बतलाने वाले। ये ६ प्रकार के शास्त्र ही मूल, टीका और भाष्य (सूत्र-वृत्ति-वार्तिक) के भेद से २४ प्रकार के हैं। २५. अर्थ और काम-भोग के उपायों को बतलाने वाले अर्थशास्त्र, कामसूत्र आदि, २६. रोहिणी खादि विद्याओं की सिद्धि बतलाने वाले, २७. मन्त्रादि से कार्यसिद्धि बतलाने वाले, २६. वंशीकरण आदि योगविद्या को बतलाने वाले और २६. जैनेतर उपदेशकों द्वारा उपदिष्ट हिसादिप्रधान शास्त्र।
—उ० ने० वृ॰, पृ० ३४६; आ० टी०, पृ० १४०२; श्रमणसूत्र, पृ० १६२; समवायाङ्क, समवाय २६.

वाले) से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। इस तरह जों ज्ञान संसार के विषयसुखों की ओर ले जाता है वह मिथ्या है तथा जो मुक्ति की ओर अभिमुख करता है वह सत्य है। इसका कारण है कि सांसारिक विषयभोग व तज्जन्य सुख अनित्य व आभासमात्र (मिथ्या) हैं जबकि मुक्ति व जीवादि नवतथ्य त्रिकालसत्य हैं।

## ज्ञान के प्रमुख पाँच प्रकार:

ज्ञान के आवरक पाँच प्रकार के कर्मों के स्वीकार करने से तत्तत् आवरक कर्मों के उदय में न रहने रूप पाँच प्रकार के ज्ञान स्वीकार किए गए हैं। जैसे: १. शास्त्रज्ञान (श्रुतज्ञान), २. इन्द्रियम्मोनिमित्तक ज्ञान (आभिनिबोधिकज्ञान—मितज्ञान), ३. कुछ सीमा को लिए हुए रूपी पदार्थ विषयक प्रत्यक्षात्मक दिव्यज्ञान (अवधिज्ञान), ४. दूसरे व्यक्ति के मन के विकल्पों में चिन्तनीय रूपी-पदार्थ को जाननेवाला रूपी-पदार्थ विषयक प्रत्यक्षात्मक दिव्यज्ञान (मनःपर्यायज्ञान) और ५. त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों का पूर्ण व असीम प्रत्यक्षात्मक दिव्यज्ञान (केवलज्ञान)।

इनमें अन्त के तीन ज्ञान कमशः उच्च, उच्चतर और उच्चतम दिव्यज्ञान की अवस्थाएँ हैं तथा इन तीनों ज्ञानों में इन्द्रियादि की सहायता आवश्यक नहीं होती है। यद्यपि ग्रन्थ में इनके स्वरूपादि का विशेष विचार नहीं किया गया है तथापि इनके विषय में कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं:

१. श्रुतज्ञान—इसका सामान्य अर्थ है—शव्दजन्य शास्त्रज्ञान। परन्तु सम्यक् श्रुतज्ञान वही है जो जिनोपदिष्ट प्रामाणिक शास्त्रों से होता है। जिनोपदिष्ट प्रामाणिक ग्रन्थ अङ्ग (प्रधान) और अङ्गबाह्य (अप्रधान) के भेद से दो प्रकार के हैं। अतः श्रुतज्ञान भी जैनदर्शन में प्रथमतः दो प्रकार का माना गया है। अङ्ग

१. पापसुयपसंगेसु

[─] च ० ३१.१९.

२. तत्य पंचिवहं नाणं सुयं आभिनिबोहियं। ओहिनाणं तु तह्यं मणनाणं च केवलं।।

[—]उ० २**६.** ४,

ग्रन्थों की संख्या १२ होने से अङ्ग-विषयक श्रुतज्ञान भी १२ प्रकार का है तथा अङ्गबाह्य-प्रन्थों की कोई सीमा नियत न होने से अङ्गबाह्य-विषयक श्रुतज्ञान भी अनेक प्रकार का है। अङ्ग-ग्रन्थों की प्रधानता होने से ग्रन्थ में समस्त श्रुतज्ञान को द्वादशाङ्ग का विस्तार बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त द्वादशाङ्ग के वेत्ता को 'बहुश्रुत' कहा गया है तथा 'बहुश्रुत' के महत्त्व को प्रकट करने के लिए ग्रन्थ में निम्नोक्त १६ दृष्टान्तों से उसकी प्रश्नंसा की गई है: 3

१. शंख में रखे हुए दूध की तरह अनिर्वचनीय शोभा-सम्पन्न, २. कम्बोजदेशोत्पन्न श्रेष्ठ अश्रव की तरह कीर्ति-सम्पन्न, ३. श्रेष्ठ अश्रव पर सवार सुभट की तरह अपराजेय, ४. हथिनियों से घिरे हुए साठ वर्ष के बलवान् हाथी की तरह अपने शिष्य-परिवार से परिवृत्त, ४. तीक्ष्ण श्रृङ्ग (सींग) और उन्नत स्कन्धवाले बेल की तरह शोभा-सम्पन्न, ६ तीक्ष्ण दंद्रावाले प्रवल सिंह की तरह प्रधान, ७. शंख-चन्न-गदाधारी अप्रतिहत बलवान् योद्धा वासुदेव की तरह विजेता, ६. चौदह रत्नधारी व न्नृद्धिधारी चन्नवर्ती राजा की तरह श्रेष्ठ, ६. हजार नेत्रों वाले वज्जपाणि देवाधिपति इन्द्र की तरह श्रेष्ठ, १०. अन्धकारिवनाणक उदीयमान तेजस्वी सूर्य की तरह दीप्ति-सम्पन्न, ११. नक्षत्रों से घिरे हुए पूर्णमासी के चन्द्रमा की तरह श्रोभा-सम्पन्न, १२. अनेक प्रकार के धन-धान्य से भरे हुए सुरक्षित कोष्ठागार की तरह परिपूर्ण, १३. वृक्षों में श्रेष्ठ सुदर्शन नामधारी जम्बूवृक्ष की तरह श्रेष्ठ, १४. नीलवत

१. श्रुतं मितपूर्वं द्वचनेकद्वादशभेदम् । — त० सू० १.२०० तथा देखिए—पृ० २०२, पा० टि० १, पृ० २०३, पा०टि० १०

२. देखिए-पृ० ३, पा० टि० २.

जहा संखम्मि पयं निहिमं दुहअो वि विरायइ । एवं बहुस्सुए भिक्खू घम्मो कित्ती तहा सुयं ।।

समुद्द गंभीरसभा दुरासया अचिकिया केणइ दुष्पहंसया। सुयस्स पुण्णा विउत्तस्स ताइणो स्वित्तु कम्मं गदमुत्तमं गया।। ----उ० ११. १५-३१०

पर्वत से निकली हुई व समुद्र की ओर जानेवाली निदयों में श्रेष्ठ 'शीता' नदी की तरह शोभा-सम्पन्न, १५ नाना औषिधयों से देदी-प्यमान पर्वतों में श्रेष्ठ अतिविस्तृत 'सुमेष्ठ' (मन्दार) पर्वत की तरह प्रधान और १६. अक्षय जल व नाना रत्नों से भरे हुए 'स्वयम्भूरमण' समुद्र की तरह गम्भीर।

ये सभी दृष्टान्त साभिप्राय विशेषणों से युक्त हैं जिनसे श्रुत-ज्ञानी के स्वाभाविक गुणों पर प्रकाश पड़ता है। जैसे श्रुतज्ञानी समुद्र की तरह गम्भीर, प्रतिवादियों से अपराजेय, अतिरस्कृत, विस्तृत श्रुतज्ञान से पूर्ण, जीवों का रक्षक, कर्म-क्षयकर्ता, उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाला और स्व-पर को मुक्ति प्राप्त कराने वाला होता है। इसी तरह श्रुतज्ञानी के अन्य अनेक गुण स्वतः समझे जा सकते हैं। सत्यज्ञान की प्राप्ति में शास्त्रों का स्थान प्रमुख होने से श्रुतज्ञानी की वहुत्र प्रशंसा करके उसका फल मुक्ति बतलाया गया है।

२. आभिनिबोधिकज्ञान—चक्षु आदि इन्द्रियों और मन की सहा-यता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान 'आभिनिवोधिक' कहलाता है। जैन-दर्शन में इसका प्रचलित नाम 'मित्रज्ञान' है क्योंकि यह इन्द्रियादि की सहायता से होता है। तत्त्वार्थसूत्र में मित (वर्तमान को विषय करने वाली), स्मृति (अतीत-विषयक अर्थात् पूर्व में अनुभव की गई वस्तु को स्मरण कराने वाली), संज्ञा (अतीत और वर्त-मान को विषय करनेवाली अर्थात् 'यह वही है' इस प्रकार के प्रत्यिभज्ञानरूप), चिन्ता (तर्क) और अभिनिवोध (सामान्यज्ञानरूप अनुमान) को एकार्थवाचक बतलाया है अस्योंकि इन सब ज्ञानों की उत्पत्ति में इन्द्रियादि की सहायता रहती है। इसी प्रकार आवश्यक-निर्युक्ति में भी अभिनिबोध के ईहा (प्रथम क्षण देखे गए पदार्थ के विषय में विशेष जानने की चेष्टारूप ज्ञान) आदि कई पर्याय-

१. वही; तथा ७० ११. ३२; २६.२४,५६; १०.१८; ३. १, २०.

२. वही (उ० १**१.३१**; २६.५६**)** ।

३. मतिः स्मृतिःसंज्ञा चिन्ताऽभिनिबीव इत्यनथन्तिरम् ।

[—]त∘ सृ० **१.**१३.

वाची नाम मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन्द्रिय और मन की सहायता से होनेवाला समस्त ज्ञान आभिनिबोधिक ही है। दिगम्बर अौर खेताम्बर प्राचीन ग्रन्थों में 'मतिज्ञान' के अर्थ में 'आभिनिबोधिक' नाम मिलने से प्रतीत होता है कि इसका प्राचीन प्रचलित नाम आभिनिबोधिक ही था। इस ज्ञान के विषय में एक अन्य अन्तर दृष्टिगोचर होता है, वह यह कि सामान्यरूप से जैनदर्शन में सर्वत्र शब्दज्ञान के पूर्व इन्द्रियज्ञान (आभिनिबोधिक---मतिज्ञान) को स्वीकार किया गया है जबकि प्रकृत ग्रन्थ में इन्द्रियज्ञान के पूर्व भव्दज्ञान को गिनाया गया है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि 'शास्त्रज्ञान' का महत्त्व प्रकट करने के लिए प्रकृत ग्रन्थ में शास्त्रज्ञान को पहले गिनाया गया हो और बाद में ज्ञान की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता के आधार से कम निर्धारित किया गया हो। इसी प्रकार इनके आवरक कर्मों के नाम व ऋम में भी अन्तर है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हैं कि जैनदर्शन में श्रृतज्ञान और आभिनिबोधिकज्ञान की उत्पत्ति पर-सापेक्ष (शास्त्र व इन्द्रियादि सापेक्ष) होने से इन दोनों को 'परोक्षज्ञान' (अप्रत्यक्ष) माना गया है तथा बाद के तीन ज्ञानों को साक्षात् आत्मा से ही प्रकट होने के कारण (पर-सापेक्ष न होने से) प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है। ४ वर्तमान में व्यवहार को चलाने के

२. भावपमाणं पंचिवहं, आमिणिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणं मणपज्ज-वणाणं केवलणाणं चेदि ।

धवलाटीका-पट्खण्डागम, पुस्तक १ (१.१.१), पृ० ८०. आमिणिसुदोधिमणकेवलाणि णाणाणि पंचभेयाणि । कुमदिसुदिवभंगाणि य तिण्णि वि णाणेहि संजुत्ते ॥ --पश्चास्तिकाय. गाया ४१.

३. श्रुतं मतिपूर्वम् । ---त० सू० १.२०.

४. बाद्ये परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्यत् । —त॰ सू० १.११-१२.

१. ईहा अपोह वीमंसा मग्गणा य गवेसणा । सण्णा सई मई पण्णा सन्वं आमिणिबोहियं ।। ─आवश्यकिनर्युक्ति, गाथा १२.

लिए इन्द्रियज्ञान को सांव्यवहारिक-प्रत्यक्ष कहा जाने लगा है और बाद के तीन ज्ञानों को परमार्थ (मुख्य) प्रत्यक्ष । इतना विशेष है कि स्मृति आदि सभी आभिनिबोधिकज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है अपितु इन्द्रिय-मनोनिमित्तक वर्तमान-विषयक ज्ञान (मित्ज्ञान) को ही सांव्यवहारिक-प्रत्यक्ष माना जाता है और शेष अतीतादिविषयक स्मृति आदि सभी ज्ञानों को परोक्ष ही माना जाता है। 3

३. अवधिज्ञान - अवधि का अर्थ है -- सीमा। अतः इन्द्रियादि की सहायता के बिना कुछ सीमा को लिए हुए जो रूपी-पदार्थ के विषय में अन्तः साक्ष्यरूप ज्ञान होता है वह 'अवधिज्ञान' कहलाता है। इस ज्ञान में अरूपी द्रव्यों का साक्षात्कार नहीं होता है। यह दिव्यज्ञान की प्रथम अवस्था है।

४. मनःपर्यायज्ञान—दूसरों के मनोगत विचारों को जानने की शक्ति के कारण इसे 'मनःपर्यायज्ञान' कहा जाता है। यह दिव्यज्ञान

—न्यायदीपिका, पृ० 🤻 १०

विशवः प्रत्यक्षम् । प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तयाः प्रतिभासो वा वैश्वद्यम् । तत् सर्वयावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविभावो मुख्यं केवलम् । ''तत्ता- रतम्येऽविध्यमः पर्यायौ च । ''''दिन्द्रयमनोनिमित्तोऽवग्रहेहावाय- धारणात्मा साव्यवहारिकम् ।

—प्रमाणमीमांसा १.१.१३-२०.

२. अविशदः परोक्षम् । स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमास्तद्विधयः ।
—प्रमाणमीमांसा १.२.१-२.

#### ३. रूपिष्ववधेः ।

—त० सू**० १**.२७.

भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् । क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः क्षेषाणाम् ।

---त• सू० १. २**१-**२२.

१. तत्प्रत्यक्षं द्विविधम् — सांव्यवहारिकं पारमार्थिकं चेति । तत्र देशतो विश्रदं सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् ।।

की दूसरी अवस्था है और अवधिज्ञान से श्रेष्ठ है। इस ज्ञान की उत्पत्ति भावों की विशेष निर्मलता और तपस्या आदि के प्रभाव से होती है। सरल और जटिल इन दो प्रकार के विचारों को जानने के कारण तत्त्वार्थसूत्र में इस ज्ञान के दो भेद किये गए हैं। इतना विशेष है कि इस ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन में चिन्तनीय रूपी-द्रव्यों का ही बोध होता है, अरूपी का नहीं।

४. केवलज्ञान—तिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों का एक साथ ज्ञान होना। यह दिव्यज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर त्रिकालवर्ती ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं बचता है जो इस ज्ञान का विषय न होता हो। यह पूर्ण एवं असीम ज्ञान है। इससे श्रेष्ठ कोई अन्य ज्ञान न होने के कारण ग्रन्थ में इसे अनुत्तर, अनन्त, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, आवरण-रहित, अन्धकार-रहित, विशुद्ध तथा लोकालोक-प्रकाशक बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त इस ज्ञान के धारणकरनेवाले को केवली, केवलज्ञानी तथा सर्वज्ञ कहा गया है। इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव उसी प्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार आकाश में सूर्य। अ

तथा देखिए--उ० २३.१ आदि।

७. स णाण नाणोवगए महेसी अणुत्तरं चरिउं धम्मसंचर्यः । अणुत्तरे नाणधरे जसंसी ओभासई सूरि एवंऽतलिक्खे ॥ — उ० २१.२३.

१. विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽत्रधिमनःपर्यययोः ।

[—]त० सू० १.२५.

२. ऋजुविषुलमती मनःपर्ययः विशुद्धयप्रतिज्ञाताभ्यां तिक्ष्येषः ।
—त० सू० १.२३-२४.

देखिए---पृ० १५५, पा टि० १.

४. सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ।

[—]त०सू० १.२€.

४. तओ पच्छा अणुत्तरं, अगंतं, किसणं, पिडपुण्णं, निरावरणं, वितिमिरं, विसुद्धं लोगालोगप्पभावं केवलवरनाणदंसणं समुप्पादेह ।
——ज० २६.७१.

६. उमां तवं चरित्ताणं जाया दोण्णि वि केवली । — उ० २२. ५०.

इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जीव शोष कर्मों को शीघानष्ट करकेनियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।

इस तरह इन पाँच प्रकार के ज्ञानों में प्रथम दो ज्ञान इन्द्रियादि की सहायता से उत्पन्न होते हैं और ये किसी न किसी रूप में प्रायः सभी जीवों में पाए जाते हैं। यदि ऐसा न माना जाएगा तो जीव में जीवत्व ही न रहेगा क्योंकि चेतना को जीव का लक्षण स्वीकार किया गया है और चेतना दर्शन व ज्ञानरूप स्वीकार की गई है। शेष तीन ज्ञान दिव्यज्ञान की उच्च, उच्चतर और उच्चतम अवस्थाएँ हैं। इनकी प्राप्ति तपस्या आदि के प्रभाव से किन्हीं-किन्हीं को होती है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैनदर्शन में इन पाँचों ज्ञानों में ही प्रमाणता स्वीकार की गई है, नैयायिकों की तरह इन्द्रियार्थ-सन्निकषं में नहीं। अ

## गुरु-शिष्यसम्बन्धः

ज्ञानप्राप्ति के प्रमुख साधन शास्त्र थे और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप जाना पड़ता था। गुरु प्रायः अरण्य में रहते थे और वे सांसारिक विषय-भोगों से विरक्त साधु हुआ करते थे। विद्यार्थी उनके समीप में रहकर उनकी आज्ञानुसार अध्ययन किया करते थे। उन विद्यार्थियों में कुछ विनम्न (विनीत) और कुछ अविनम्न (अविनीत) होते थे।

—३० २**६.**७१.

तथा देखिए-उ० २६.७२.

२. एकादीनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्यं: ।

—त॰ सू० १.३१.

तथा देखिए-सर्वार्थसिद्धि १.३१, विशेषावश्यकमाध्य, गाया ४७४-४७६,

३. तत्त्रमाणे।

—त**० सू० १.१०.** 

तथा देखिए-सर्वार्यसिद्धि १,१०.

१. जाव सजोगी भवइ, ताव इरियावहियं कम्मं निबंधइ, सुहफरिसं दुसमयिठइयं। तं जहा — पढमसमये बद्धं, विइयसमए वेइयं, तइयसमये निजिजण्णं, तं बद्धं पुट्ठं उदीरियं वेइयं निजिजण्णं सेयाले य अकम्मं चावि भवइ।

विनीत (उत्तम) विद्यार्थी के गुण-ग्रन्थ में उत्तम विद्यार्थी को विनीत कहा गया है और विनीत विद्यार्थी के निम्नोक्त १५ गुण आवश्यक बतलाए हैं:

१. हर प्रकार से नम्न, २. चपलता से रहित, ३. छल-कपट से रहित, ४. कौतहल से रहित, ४. अल्पभाषी, ६. अतिकोध को अधिक समय तक न रखना, ७. मित्रता का व्यवहार करना, ६. ज्ञान प्राप्त करके घमण्ड न करना, ६. दूसरों के दोषों को प्रकट न करना, १०. मित्रों पर क्रोध न करना, ११. शत्रु के प्रति परोक्ष में भी कल्याण की भावना रखना, १२. कलह व हिंसा न करना, १३. ज्ञान के विषय में जागरूक रहना, १४. लज्जाशील होना और १४. सहनशील होना।

इन १५ गुणों के समान ही ग्रन्थ में गुरु के प्रति शिष्य के कुछ अन्य कर्तव्यों का भी उल्लेख मिलता है जिनसे उत्ताम व विनीत विद्यार्थी के गुणों पर प्रकाश पड़ता है। वे कर्तव्य इस प्रकार हैं:

१ विना पुछे व्यर्थ न बोलना (अल्पभाषी) र २. सत्य बोलना (क्रोधादि के वशीभूत होकर कुछ छिपाना नहीं) , ३. गुरु के प्रिय एवं अप्रिय वचनों को कल्याणकारी समझते हुए उन्हें चुपचाप सुनना तथा किसी प्रकार भी उन्हें क्रोधित न करते हुए क्षमा-याचना करना , ४. गुरु को दोषों का अन्वेषण न करना , ४. गुरु की

तथा देखिए-उ०११. ११-१३.

तापुट्टी वागरे किचि पुट्टी वा नालियं वए ॥
 कोहं असच्चं कुब्वेज्जा धारेज्जा वियमव्वयं ।
 च०० १.१४.

तया देखिए-- ७० १.६,११,३६-४१.

- ३. वही ।
- ४. वहीं।
- ४. बुद्धोवघाई न सिया न सिया तोत्तगवेसए । —उ० १.४०.

अह पन्नरसिंह ठाणेहिं सुविणीए ति बुच्चई ।
नीय।वत्ती अचवले अमाइ अक्रुक्त्ले ।।
—उ०११,१००

आज्ञा का गुप्त या प्रकटरूप से कभी भी उल्लंघन न करके उनके कथनानुसार उसी प्रकार प्रवृत्ति करना जिस प्रकार एक सुशिक्षित घोड़ा चाबुक के इशारे से प्रवृत्ति करता है, १६. गुरु के द्वारा प्रेरित किए विना ही प्रेरित किए हुए की तरह गुरु के भावों को जानकर सदा सुन्दर कार्य करना , ७. गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी कार्य न करना , न, गुरु के वचनों को अनसुना न करके बुलाए जाने पर उत्तर देना (मौन न रहना), ६९ गुरु के उपदेश को एकाग्रचित्त से सुनकर अथं युक्त बातों को ग्रहण करते हुए निर्थंक वातों को छोड़ देना , १०. किसी प्रकार का सन्देह होने पर विनम्रतापूर्वक गुरु से स्पष्ट कहना , ११. गुरु की सेवा करते हुए गुरु पर आए हुए विष्नों का निवारण करना , १२. पाँच प्रकार के विनय, पाँच प्रकार के स्वाध्याय और दस प्रकार की

१. पिंडणीयं च बृद्धाणं वाया अदुव कम्मुणा ।
 आवी वा जइ वा रहस्से नेव कुल्जा कयाइवि ।।
 ज ० १.१७.

मा गलियस्सेव कसं वयणिमिच्छे पुणो पुणो। कसं व दट्ठुमाइण्णे पावगं परिवज्जए॥ —उ० १.१२.

तथा देखिए-उ० २६.१०,

- २. वित्ते अचोइए निच्चं खिप्पं हवइ सुचोइए। जहोवइट्ठं सुकयं किच्चाई कुव्वई सया!।
- पुच्छिज्ज पंजलिउडो कि कायव्यं मए इह ।
   —उ० २६.६.
- ४. आपरिएहिं वाहितो तुसिणीओ न कयाइवि । उ० १.२०.

तथा देखिए-उ॰ १.२१.

५. अट्टजुत्ताणि सिक्सिञ्जा निरद्वाणि उ वञ्जए। —उ० १.८.

तथा देखिए—उ० २०.१७,३८; ३०.१,४.

- E. 30 23.23-88; 24.23.
- ७**.** उ० **१२.१६,२**४.

वैयावृत्य में यत्नवान रहना , १३. दूसरों से अपनी प्रशंसा सून-कर अभिमान न करते हुए और अधिक नम्रीभूत हो जाना-जैसे निमराजिंघ इन्द्र के द्वारा स्तुति किए जाने पर और अधिक नम्रीभूत हो गये^२, १४. क्षुद्र-जनों का संसर्ग व उनके साथ हास्यादि क्रीड़ान करना ै, १५ गुरु की अपेक्षा निम्न आसन ग्रहण करना--गुरु की बराबरी से, आगे, दृष्टि से ओझल होकर, अंग स्पर्श करते हुए, अधिक समीप, पैर फैलाकर, दोनों भुजाओं को जांघों पर रखकर, जांघों पर वस्त्र लपेटकर, अति समीप, अति दूर एवं अन्य इसी प्रकार के अविनय-सूचक आसनों से गुरु के पास न बैठना, 'इसके अतिरिक्त जिस आसन पर वह बैठे वह चूं चूं करने वाला, चलायमान एवं अस्थिर न हो , १६. आसन पर बैठे हुए निष्प्रयोजन न उठना, हाथ-पैर न चलाना तथा उत्तर-प्रत्युत्तर न करना अपितु आवश्यकता होने पर उठकर के गुरु से वार्तालाय करना , १७. शिक्षा-प्राप्ति के बाद उनके उपकार की कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए विनयभाव से स्तुति करना आदि । ७

तथा देखिए-उ० २०.७.

- श्रासणे उविचिट्ठेज्जा अणुच्चे अकुए थिरे ।
   अप्पुट्ठाई निरुट्ठाई निसीएज्जप्पकुवकुए ।।
   उ० १.३०,
- ६. वही।
- **७**. उ० २०**.४४-**४६,

१. उ० ३०.३२-३४.

२. नमी नमेई अप्पाणं सक्खं सक्केण चोइओ । ---उ० ६,६१.

३. खडडेहिं सह सेसिगं हासं कीडंच बज्जए। — ७०१.६.-

४. न पनसओ न पुरओ नैव किन्नाण पिट्ठिओ । न जुंजे ऊरुणा ऊर्र सयणे नो पिड्स्मुणे ।। नेव परहिषयं कुण्जा पनस्विषण्डं च संजए । पाए पसारिए वावि न चिट्ठे गुरुणतिए ॥ —उ० १.१५-१६.

#### २१८ ] उत्तराध्ययन-सूत्रं : एक परिशीलन

उपर्युक्त सभी गुणों का एकत्र समावेश करते हुए संक्षेप में ग्रन्थ में विनीत शिष्य का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—'गुरु की आजा का पालन करनेवाला, उनके समीप रहनेवाला तथा उनके मनोगत-भाव व कायचेष्टा (इङ्गिताकार) को जाननेवाला विनयी कहलाता है।'' अर्थात् गुरु के मनोगतभावों को जानकर नम्रभाव से सदाचार में प्रवृत्ति करते हुए अध्ययन करने वाला शिष्य विनयी कहलाता है।

अविनीत विद्यार्थों के दोष—जो विनीत शिष्य के गुणों से रहित है वह 'अविनयी' कहलाता है। अतः ग्रन्थ में अविनयी शिष्य का स्वरूप बतलाते हुए कहा है— 'गुरु की आज्ञानुसार न चलने-वाला, उनके समीप न रहनेवाला, विपरीत आचरण करनेवाला तथा विवेकहीन (जागरूक न रहनेवाला) अविनयी कहलाता है। ' अर्थात् गुरु के हार्दिक-भावों को न जानकर उनके विपरीत आचरण करते हुए स्वच्छन्द विचरण करनेवाला अविनीत शिष्य कहलाता है। बहुश्रुत अध्ययन में अविनीत शिष्य के १४ दुगुंण गिनाए हैं: "

१. बार-बार क्रोध करना, २. कोध को चिरस्यायी रखना, ३ मित्रता को त्यागना, ४ अपने ज्ञान का घमण्ड करना, ५ दूसरे के दोषों को खोजना और अपने दोषों को छिगाना, ६. मित्रों पर क्रोध करना, ७. प्रिय मित्र की परोक्ष में निन्दा

श. अरणानिहेसकरे गुरूगमुबबायकः रए ।
 इंगियागारसंपन्ते से विणीत् क्षि बुच्चई ।।
 —७० १.२.

२. बागाऽनिद्देसकरे गुरूणमणुववायकारए ≀ अडिणीए असंबुद्धे सेविणीए त्ति वृच्चई ।। —उ० १.३.

अह चजद्सिह ठाणेहि वट्टमाणे उ संजए।
 अविणीए बुच्चई सो उ निव्वाणं च न गच्छइ।।

यइन्तवाई दुहिले यस्ने लुद्धे अनिम्महे । असंविभागी अवियत्ते अविणीए त्ति वुच्चई ।। —उ० ११.६-६.-

करंना, द. असम्बद्ध व अधिक बोलना, ६. द्रोह करना, १०. अभिमान करना, ११. लोभ करना, १२. इन्द्रियों को अनुशासन में न रखकर स्वच्छन्द आचरण करना, १३. सहपाठियों के साथ सहयोग न करना, १४. दूसरों का अप्रिय करना।

इसी तरह अविनीत के और भी अनेक दुर्गृण हो सकते हैं। प्रन्थ में अविनीत शिष्यों के इसी प्रकार के कुछ अन्य कार्यों का भी उल्लेख मिलता है जिनसे अविनीत शिष्य के स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। जैसे:

१. गुरु के द्वारा धर्मोपदेश दिए जाने पर बीच में बोलना, उनके बचनों में दोष निकालना व प्रतिकृत आचरण करना, १ विषय भोगों में निमन्न रहना, ३ चिरस्थायी कोध व अभिमान करना, ४ भिक्षा लाने में आलस्य करना, १ भिक्षा माँगना अपमान-द्योतक समझकर भिक्षा लेने नहीं जाना, १ ६. दुष्ट-वृषम की तरह संयम में प्रवृत्ति न करना—जैसे कोई दुष्ट-वृषम बेलगाड़ी में जोते जाने पर तथा गाड़ीवान द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी आगे नहीं बढ़ता है तथा कभी समिला (जुए के छोर पर लगी लकड़ी या बाँस की छोटी कील) को तोड़ देता है, कभी कोधित होकर गाड़ी को लेकर उत्पथ में माग जाता है, कभी समीप में बैठ जाता है, कभी गिर पड़ता है, कभी सो जाता है, कभी मंडूक (मेढ़क) की तरह उछलताकूदता है, कभी तरह उछलताकूदता है, कभी तरह उछलतान कूदता है, कभी जाता है, कभी मंडूक (मेढ़क) की तरह उछलतान कूदता है, कभी जाता है, कभी लगाम

१ सो वि अंतरमासिल्लो दोसमेव पकुब्बई । जायरियाणं तु वयणं पडिकुलेइऽभिवक्षणं ॥

<del>--</del> उ० २७.११.

इड्ढीसारविए एगे एगे उत्य रसगारवे ।
 सायागारविए एगे एगे सुचिरकोहणे ।।
 भिक्साससिए एगे एगे ओमाणभीरुए ।
 यड्वे एगे अणुसासम्मी हेर्झि कारणहि य ।।

^{—30 ₹}७.E-१0.

तोड़ देता है और अपने मालिक (गाड़ीवान) को भी पीड़ित करता है वैसे ही अविनीत शिष्य गुरु के द्वारा संयम में प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किए जाने पर नाना प्रकार की कुचेष्टाएँ करते हुए गुरु को पीड़ित करता है, '७ किसी कार्य के लिए आज्ञा देने पर नाना प्रकार के बहाने बनाना, जैसे—अमुक गृहस्थ या गृहिणी मुझे पहचानती नहीं, वह मुझे अन्नादि नहीं देगी, वह घर पर नहीं होगी, वहां जाना बेकार है, यदि भेजना ही है तो किसी दूसरे को भेज दो, यदि किसी तरह जाना भी तो इघर-उधर घूमकर वापिस आ जाना और पूछने पर बहाने बनाना अथवा राजाज्ञा की तरह अनिच्छापूर्वक अकुटि चढ़ाकर कार्य करना, द. स्वादिष्ट अन्न को छोड़कर विष्टा को खाने वाले शूकर की तरह सदाचार को छोड़कर स्वच्छन्द विचरण में आनन्द मनाना और १. तैतीस प्रकार की अविनयभूत अनुशासनहीनताओं (आशातनाओं) का आचरण करना। '

— उ॰ २७.१२-१**३.** 

तथा देखिए-उ० २७.१४.

 कणकुण्डमं चइताणं विद्ठं मुंबइ सूपरे । एवं सीलं चइत्ताण दुस्सीले रमई मिए ।।

**—**उ० १.४.

४. तैतीस प्रकार की आशातनाएँ (अयं सम्यक्त्वलाभं शातयित विनाश-यित इत्याशातना) इस प्रकार हैं: १. गुरु के आगे-आगे चलना, २. गुरु की बराबरी से चलना, ३. गुरु के पीछे अविनयपूर्वक चलना, ४-६. चलने की तरह बैठने व खड़े होने से सम्बन्धित तीन-तीम आशातनाएँ, १०. यदि गुरु व शिष्य एक ही पात्र में जल लेकर कहीं बाहर गए हुए हों तो गुरु से पहले उस पात्र में से जल लेकर

१. ३० २७,४-=; १.१२.

२. न सा ममं वियाण।इ न वि सा मज्झ दाहिई। निगाया होहिई मन्ते साहू अन्तोत्थ वज्जाउ।। पेसिया पलिखंचंति ते परियंति समंतजो।। रायवेट्ठिंच मन्नता करेंति भिउडि मुहे।।

विनीत और अविनीत विद्यार्थी का गुरु पर प्रभाव—जहाँ अविनीत शिष्य अपनी कुश्रवृत्तियों के कारण विनम्न और सरल स्वभावी गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं वहाँ विनीत शिष्य गुरु की इच्छा के अनुकल कार्य को शीघ्र व चतुरतापूर्वक करके

आचमन करना, ११. बाहर से आकर गुरु से पहले ही घ्यान करने बैठजाना, १२. गुरुसे बात करनेके लिए किसी के बाने पर पहले स्वयं हो उससे बातचीत करना, १३. रात्रि की गुरु के बुलाने पर भी न बोलना, १४. अन्त-पानी लाकर पहले छोटों के सःमने आलोचना करना, १५. अन्न-पानी लाकर पहले छोटों की दिखलाना, १६. अन्त-पानी की निमन्त्रणा पहले छोटों की करना व बाद में गुरुको करना, १७. गुरुसे पूछे, बिना किसी को सरस भोजन देना, १८. गुरु के साथ भोजन करने पर स्वयं जल्दी जल्दी व अच्छा-अच्छा आहार करना, १६. गुरु के बुलाने पर न बोलना, २०. बुलाने पर आसन पर बैठे हुए ही उत्तर देना, २१. आसन पर बैठे हुए ही यह कहना कि क्या कहते हो, २२. गुरु को 'तूँ' सब्दंसे पुकारना, २३. गुरु के द्वारा किसी काम के करने की कहने पर उनसे कहना कि तुम ही कर लो, २४. गुरु के उपदेश को प्रसन्नचित्त से न सुनना, २५. गुरु के उपदेश में भेद पैदा करना, २६. कथा में छेद उत्पन्न करना, २७. गृह की बुद्धि से न्यून दिखलाने के लिए सभा में उनके द्वारा प्रतिपादित विषय का विस्तृत कथन करना, २८. गुरु के आसन (शय्या-संस्तारक) आदि से पैरका स्पर्शहो जाने परभी बिनाक्षमा-याचना के वले जाता, ं२६. गुरुके आसन पर दिनाआज्ञाके बैठना, ३०. बिनाआज्ञा े के गुरु के अप्रसन पर शयन करना, ३१. गुरु से ऊँचे आसन पर बैठना, ३२. बड़ों की शय्या पर खड़े रहनाव बैठना और ३३. गुरु के बराबर आसन करना।

इन आशातनाओं के नाम व कम में कुछ अन्तर भी पाया जाता है परन्तु सबका तात्पर्य एकसा है--गुरु के प्रति आदरभाव न रखना। ---देखिए, उ० आ० टी० ३१.२०; २६.४,१६; श्रमणसूत्र, पृ० १६७-२०३,४२६-४३१; समवायाञ्जसूत्र, समवाय ३३. कोधी स्वभाव वाले गुरु को भी सरल और प्रसन्न बना देते हैं। '
गुरु भी ऐसे विनीत शिष्य को पाकर उसे शिक्षा देने में उसी प्रकार
आनन्द का अनुभव करता है जिस प्रकार उत्ताम घोड़े को शिक्षा
देने वाला सारथी। परन्तु इसके विपरीत अविनीत शिष्य को
पाकर गुरु उसे शिक्षा देने में उमी प्रकार दुःखी होता है जिस
प्रकार अभद्र (अड़ियल) घोड़े को शिक्षा देनेवाला सारथी। ' इसके
अतिरिक्त अविनीत शिष्यों को पाकर गुरु चिन्तित होते हुए सोचते, हैं कि इन्हें पढ़ाया, पाला-पोसा और यहां तक कि इनके साथ सब
कुछ किया फिर भी अब ये उसी प्रकार स्वेच्छाचारी हो गये हैं
जिस प्रकार पंख निकल आने पर हंस पक्षी। अतः इन्हें छोड़
देने में ही कल्याण है। इस तरह अविनीत शिष्य गुरु को हमेशा
चिन्तित ही किया करते हैं।

गुरु के द्वारा दिए गए उपालम्भ, भर्त्सना, दण्ड आदि को विनीत शिष्य ऐसा मानता है किये (गुरु) मुझे अपना छोटा भाई, पुत्र या स्वजन समझकर कल्याण के लिए ही कहते हैं परन्तु इसके विपरीत अविनीत शिष्य ये मेरे शत्रु' हैं, 'ये मुझे गालिया

- २. रमए पंडिए सासं हयं भद्द व वाहए। बालं सम्मइ सासंतो गलियस्सं व वाहए।। ---- उ० १.३७.
- वाइया संगहिया चेव भत्तपाणेण पोसिया।
   जायपक्का जहा हंसा पक्कमंति दिसी दिसि ॥
   अह सारही विचिन्नेइ खलुंकेहि समागओ ।
   कि मज्झ दुट्ठसीसेहि अप्पा मे अवसीयई।
   च० २७.१४-१५.

तथा देखिए-उ० २७.१६.

श्रीला निर्देष चण्डं पकरित सीता ।
 चिलाणुया लहुदक्कोवदेया पसायए ते हु दुरासयिष्।।
 चण्ड १.१३.

देते हैं', 'ये मुझे गुलाम समझते हैं' ऐसा विचार करके स्वयं को पीड़ित करता हुआ गुरु को भी हतोत्साहित करता है।

शिक्षाशील के कुछ अन्य गुण—इस तरह शिक्षा वही प्राप्त कर सकता है जो विनीत हो और जिसमें वे सभी गुण मौजूद हों जो एक विनीत शिष्य में होने चाहिए। ग्रन्थ में फिर शिक्षाशील के निम्न आठ विशेष-गुण बतलाए गए हैं: र

१. अहसनशील, २. जितेन्द्रिय, ३. अमर्मभाषी, ४. अनुशासनशील, ४. खंडित-आचार से रहित, ६. अतिलोलुपता से रहित,
७. कोथ से रहित और ६. सत्यवक्ता। इन आठ गुणों के अतिरिक्त
ग्रन्थ में अन्य पाँच गुण भी बतलाए हैं ३: १. मुरुकुलवासी,
२. सदाचारी, ३. अध्ययन में उत्साही (उपधानवान्), ४. प्रिय
करने वाला और ४. प्रिय बोलने वाला। इसी प्रकार समाधि
के इच्छुक साधु के जो गुण ग्रन्थ में आवश्यक बतलाए गए हैं
वे सब ज्ञानार्थी को भी आवश्यक हैं। जैसे: गुरु और वृद्ध जनों
की सेवा, बाल (मूर्ख) जीवों की संगति का त्याग, स्वाध्याय,
एकान्तसेवन, सूत्रार्थ-चिन्तन, धंर्य, परिमित-भोजन और निपुण

तथा देखिए---उ० १.२७-२६,३७-३८.

- २. बह अट्ठिंह ठाणेहि सिनसासीले ति वुच्चई। अहस्सिरे सया दंते न य मंगमुदाहरे।। नासीले न विसीले न सिया अइलोलुए। अकोहणे सच्चरए सिनसासीले ति वुच्चई।।
  —उ० ११.४-४
- वसे गुरुकुले निच्चं जोगवं उवहाणवं ।
   वियंकरे पियंवाई से सिक्खं लद्धुमरिहई ।।
   —उ॰ ११.१४.

१. पृत्तो मे भाय नाइ ति साह कल्लाण मन्नई ।
 पाविदट्ठी उ अप्पाणं सासं दासि ति मन्नई ।।
 — उ॰ १.३६.

### २२४ ] उत्ताराध्ययन-सूत्र : एक परिश्रोलन

साथी का सहवास। इसके अतिरिक्त विद्याप्रहण में पाँच प्रतिबन्धक कारण भी गिनाए गए हैं जिन कारणों के मौजूद रहने पर विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। उनके नाम इस प्रकार हैं अहंकार, क्रोध, असावधानता (प्रमाद), रोग और आलस्य।

इस तरह जो उपर्युक्त गुणों से युक्त है वही शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त कर सकता है। जो इन गुणों से रहित (अविनीत) है वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए ग्रन्थ में अविनीत और अबहुश्रुत को ज्ञानहीन, अहंकारी, लोभी, इन्द्रियवशवर्ती, असम्बद्ध-प्रलापी व बहुप्रलापी कहा है। 3

इस सम्पूर्ण वर्णन से स्पष्ट है कि जो विनीत है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है तथा जो अविनीत है वह ज्ञानप्राप्ति के सर्वथा अयोग्य है। अतः प्रन्थ में विनीत शिष्य को प्राज्ञ, मेधावी, पण्डित, धीर, बुद्धपुत्र (महाबीर का शिष्य), मोक्षाभिलाषी, प्रसादप्रेक्षी (मोक्ष की ओर दृष्टि रखनेवाला), साधु, विगत-भयबुद्ध (भय से रहित बुद्धिमान्) आदि शब्दों से तथा अविनीत शिष्य को असाधु, अज्ञ, मन्द, मूढ़, बाल, पापदृष्टि, अबहुश्रुत आदि शब्दों से समबोधित किया गया है।

—-उ० **३**२.३-४.

- चे यावि होइ निव्विज्ञे "अविणीए अवहुस्सुए ।
   उ० ११.२.
- ४. उ. १.७,६,२०-२१,२७,२६,३७,३६,४१,४४.
- ५. उ० १.२८,३७-३६;८.५;११.२;१२.३१.

१. तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा विवज्जणा बालजणस्स दूरा । सज्झायएगतिनसेवणा य सुत्तस्य संचितणया थिई य ॥ आहारिमच्छे मियमेसणिज्जं सहायिमच्छे निजणत्यबुद्धि । निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग्गं समाहिकामे समणे तवस्सी ॥

विनय के पाँच प्रकार—ग्रन्थ में गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने के पाँच प्रकार बतलाए गए हैं: १. गुरु के आने पर खड़े होना (अभ्युत्थान), २. दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना (अंजलिकरण), ३. बैठने के लिए आसन देना (आसनदान), ४. स्तुति (सम्मान) करना (गुरुभक्ति) और ५. भावपूर्वक सेवा करना (भावशुश्रूषा)।

अविनय व विनय का फल — प्रन्थानुसार विनीत और अविनीत शिष्य के कर्ताच्यों आदि का वर्णन करने के बाद अब अविनीत और विनीत शिष्यों को प्राप्त होने वाला फल बतलाते हैं। सर्वप्रथम अविनीत शिष्य को प्राप्त होनेवाला फल बतलाते हैं। जैसे:

१ जिस प्रकार सड़े कानों वाली कुतिया प्रत्येक घर से निकाल दी जाती है उसी प्रकार अविनीत शिष्य भी सर्वत्र अप-मानित करके छात्रावास से निकाल दिया जाता है। २० जिस प्रकार कोई अड़ियल बैल गाड़ी में जोते जाने पर भी यदि नहीं चलता है तो उसे चाबुक आदि से मारा जाता है उसी प्रकार अविनीत शिष्य गुरु से प्रताड़ित होकर दु:खी होता है। ३० ज्ञानादि को प्राप्त नहीं करता है। ४० ज्ञानादि की प्राप्त नहीं करता है। ४० ज्ञानादि की प्राप्त नहीं होता है। ४०

इसके विपरीत विनीत शिष्य निम्न फल को प्राप्त करता है :

१. देखिए-प्रकरण ५, विनय-तप ।

२. जहा सुणी पूडकन्ती निवकसिष्जई सब्वसो । एवं दुस्सीलपडिणीए मुहरी निवकसिष्जई ।।

^{-30 \$.}V.

सलुके जो उ जोएइ विहम्माणो किलिस्सई ।
 असमाहि च वेएइ तोत्तओ से य मज्जई !।
 —उ० २७.३.

४. देखिए-पृ० २२४, पा० टि॰ ३.

देखिए – पृ० २१८, पा० टि० ३.

#### २२६ ] उत्तराज्ययन-सूत्रः एक परिशीलन

१. देव, मनुष्य आदि से सर्वत्र आदर प्राप्त करता है , २. कीर्ति का विस्तार करके सबका आश्रयदाता बन जाता है, २ ३. गुरु प्रसन्न होकर उसे समस्त ज्ञान दे देते हैं, ३ ४. सन्देह-रहित होकर तथा तपादि करके दिव्यज्योति प्राप्त कर लेता है, ४ ५ जिस प्रकार सुशील बेल गाड़ी में जोते जानेपर स्वयं को और मालिक को जंगल से निकालकर अच्छे स्थान पर ले जाता है उसी प्रकार विनीत शिष्य भी स्व और पर का कल्याण करता है ५ ६. मृत्यु के उपरान्त या तो मोक्ष प्राप्त करता है या शक्तिशाली (ऋदिश्यारी) देव बनता है।

## गुरु के कर्त्तव्यः

ग्रन्थ में गुरु के लिए आचार्य, बुद्ध, गुरु, पूज्य, धर्माचार्य, उपा-ध्याय, भन्ते, भदन्त आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है । जिससे

१. स देवगंधक्वमणुस्सपूहए चक्तु देहं मलपंकपुब्बयं। सिद्धे वा हवह सासए देवे वा अप्परए महिडिढए।। — छ०१.४८.

तथा देखिए-उ० १.७.

- पुज्जा जस्स पसीयंति संबुद्धा पुञ्चसंय्या ।
   पसन्ना साभइस्संति विउसं अद्वियं सुयं ॥
   —उ० १.४६.
- ४. स पुज्जसत्थे सुविणीयसंसए "महज्जुई पंचवयाइं पालिया । — उ० १.४७.
- ५. वहणे वहमाणस्स ""संसारो अइवसई । — ७० २७.२.
- ६: देखिए-पा० टि• १ और ४
- ७. आचार्य—उ० म.१३; १.४०-४१, ४३; १७.४; २७.११. बुद्ध-१.८, १७, २७,४०,४२,४६. गुरु—१.२-३,१६-२०; २६.म. पुज्य-१.४६. धर्माचार्य—२४,४. भन्ते—भवन्त— ६.६८; १२. ३०; २०.११; २३.२२; २६.६; २६ वा अध्ययन।

गुरु के गुणों आदि का पता चलता है। इस प्रकार के गुरु को यदि विनीत या अविनीत शिष्य मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए ? इस विषय में ग्रन्थ में गुरु के निम्नोक्त कर्ताव्य बतलाए गए हैं:

- १. विनीत शिष्य पाकर गुरु को चाहिए कि वह स्पष्ट और सरल शब्दों में अपनी कमजोरी को छिपाए बिना शिष्य को सही-सही ज्ञान करा देवे।
- २. सारगभित प्रश्नों का ही उत्तर देवे । असम्बद्ध, असार-गभितः और निश्चयात्मक वाणी न बोले ।
- ३. निपुण एवं विनीत शिष्य की ही अभिलाषा करे। यदि ऐसा योग्य शिष्य न मिले तो व्यर्थ का शिष्य परिवार न बढ़ाकर एकाकी विचरण करे।

४ गुरु का उपदेश पापनाशक, कल्याणकारक, शांति और आत्मशुद्धि करनेवाला होता है। अतः उपदेश देते समय शिष्य को पुत्र-तुल्य मानकर उसके लाभ को दृष्टि में रखे।

- एवं विणयजुत्तस्स सुत्तं अत्यं च तदुभयं ।
   पुच्छनाणस्स सीसस्स वागरिज्ज जहासुयं ।।
   ७० १ २३.

तथा देखिए-उ० अध्ययन ६,१२,२३,२४ आदि ।

तवा देखिए-उ० २७.१४-१७.

४. जं मे बुद्धाणुसासन्ति सीएण फरुसेण वा । मम लाभो ति पेहाए पयओ तं पडिस्सुणे ॥ — उ० १.२७.

तया देखिए--पृ॰ २२३, पा० टि० १.

५. ऐसे शिष्य को उपदेश न देवे जो उस उपदेश का पालन न करे अपितु विनीत शिष्य को ही उपदेश देवे । जैसे चित्त का जीव संभूत के जीव बहादच चक्रवर्ती को उपदेश देकर सोचता है कि मैंने इसे व्यर्थ उपदेश दिया क्योंकि इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।°

इस तरह ग्रन्थ में शास्त्रज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है उन सबका अन्तर्भाव विनम्रता, जितेन्द्रियता एवं ज्ञानप्राप्ति के लिए उत्कट-प्रयत्नशीलता इन तीन गुणों में किया जा सकताहै। इन तीन गुणों में से विनय गुण शिष्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक है क्योंकि विनम्रता ज्ञानप्राप्ति के लिए आधार-स्तम्भ है। किञ्च, अविनीत को ज्ञानी होने पर भी 'अपण्डित' कहा गया है तथा विनीत को 'पण्डित'। ग्रन्थ में विनीत शिष्य के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है वे सब गुरु के पूर्ण अनु-शासन में रहने, गुरु की सम्मानादि से सेवा करने, हित-मित-प्रिय बोलने तथा संकेतमात्र से तदनुकूल आचरण करने रूप हैं। इन गुणों से रहित जो स्वच्छन्द विचरण करनेवाले उद्दण्ड छात्र हैं वे सब अवि-नीत हैं और ज्ञानप्राप्ति के सर्वथा अयोग्य हैं। इसके अतिरिक्त विनीत विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी विनय को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि विनय ही सब प्रकार की सफलता का मूलाधार है। ग्रन्थ का प्रारम्भ भी विनय अध्ययन से किया गया है। इसके अतिरिक्त विनय और गुरुसेवा को प्रथक-पृथक् तप के रूप में भी स्वीकार किया गया है जिसका आगे विचार किया जाएगा। इस तरह के विनीत व योग्य शिष्य को पाकर गुरु का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उसके साथ पुत्रवत् व्यवहार करे तथा अपना समस्त ज्ञान उसे दे देवे। ज्ञान का महत्त्व प्रकट करने के लिए ही ग्रन्थ में गुरु की महत्ता पर बहुत जोर दिया गया है।

## सम्प्रवचारित्र (सदावार)

आचार व्यक्ति का वह मूल्य है जिसके द्वारा वह महान्से महान् और निम्न से भी निम्न बन सकता है। सदाचार व्यक्ति

१. मोहं कओ एत्तिउ विपलाबो गब्छामि रायं आमंतिओ सि । —उ० १ृ३,३३.

को नीचे से ऊपर उठाकर उच्च सिहासन पर बैठा देता है और द्राचार उच्च सिहासन से उठाकर नीचे गर्त में ढकेल देता है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के होने पर भी यदि किसी में सदाचार नहीं है तो उसके सम्यादर्शन और सम्याक्शन कार्यसाधक नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका प्रयोजन सदाचार में प्रवृत्ति कराना है। अतः ग्रन्थ में कहा गया है कि पढ़े हुए वेद व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि सदाचार क्या है ? यदि सदाचार को सामान्यरूप से एक वाक्य में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि दूसरे के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से स्वयं के प्रति चाहते हैं। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर ही सदाचार को ग्रन्थ में अहिंसा के रूप में उपस्थित किया गया है तथा इस अहिंसा के साथ सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ्धन-सम्पत्ति का त्याग) इन चार अन्य आचार-परक नियमों को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी नियम और उपनियम बतलाए गए हैं जिनका आगे वर्णन किया जाएगा. वे सब इन पाँच ब्रतों की ही पूर्णता एवं निर्दोषता के लिए हैं। जैसे-जैसे इन व्रतों के पालन से सदाचार में बृद्धि होती जाती है तैसे-तैसे व्यक्ति वीतरागता की ओर बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे वीतरागता की ओर अप्रसर होता जाता है तसे-तसे पूर्वबद्ध-कर्म भी आत्मा से पृथक होते जाते हैं और जैसे-जैसे पूर्वबद्ध-कर्म आत्मा से पृथक् होते जाते हैं तैसे-तैसे आत्मा निर्मल से निर्मलतर अवस्था को प्राप्त करती हुई मृक्ति को प्राप्त कर लेती है। र

—उ० १४.**१२.** 

पसुबन्धा सब्वेया जट्ठं च पावकम्मुणा । न तं तायंति दुस्सीलं कम्माणि बलवंति हि ।

—–उ० २४**.३**०.

चारित्तमायार गुणिन्नए तओ अणुत्तरं संजम पालियाणं ।
 निरासवे संखिवयाण कम्मं उवेइ ठाणं विजलुत्तमं धृवं ।।

**-3 • २0.** ₹2.

तथा देखिए--उ० २८.३३; २६.४८,६१.

१. वेया अहीया न हवंति ताणं।

### २३० ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

### सम्यक्वारित्र के प्रमुख पाँच प्रकार :

चारित्र के विकासक्रम को दृष्टि में रखकर सदाचार को पाँच भागों में विभक्त किया गया है: १ अशुभात्मक-प्रवृत्ति को रोककर समताभाव में स्थिर होना (सामायिकचारित्र), २. पहले लिए गए वतों को पुनः ग्रहण करना (छेदोपस्थापनाचारित्र), ३. आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए तपश्चरण करना (परिहार-विशुद्धिचारित्र), ४. संसार के विषयों में अत्यल्प राग रहना (सूक्ष्मसम्परायचारित्र) और ५. पूर्ण वीतरागी होना (यथाल्यात-चारित्र)। इनके स्वरूप वगैरह इस प्रकार है:

- १. सामायिकचारित्र—समताभाव में स्थित होने के लिए पापात्मक (हिंसामूलक) प्रवृत्तियों को रोककर अहिंसादि पाँच नैतिक ब्रतों का पालन करना। यह सदाचार की प्रथम अवस्था है। सद्गृहस्थ का सदाचार भी इसी कोटि में आता है। सामाजिक सदाचार-परक जितने भी नियम-उपनियम हैं वे सभी इसी चारित्र के अन्तर्गत आते हैं। वास्तव में सामायिकचारित्र का प्रारम्भ साधु-धर्म में दीक्षा लेने के बाद से प्रारम्भ होता है क्योंकि सामा-यिकचारित्र आदि जो चारित्र के ५ भेद किए गए हैं वे सब साधु के आचार की अपेक्षा से किए गए हैं। अतः साधु बनने के पूर्व का जो भी अहिंसात्मक सदाचार है वह भी सामायिक-चारित्र की पूर्व-पीठिकारूप होने से इसी के अन्तर्गत आता है।
- २. छेदोपस्थापनाचारित्र-छेद का अर्थ है-भेदन करना या छोड़ना। उपस्थापना का अर्थ है-पुनः ग्रहण करना। अर्थात् सामायिकचारित्र का पालन करते समय लिए गए अहिंसादि पाँच नैतिक ब्रतों को पुनः जीवनपर्यन्त के लिए विशेषरूप से ग्रहण करना। जब अहिंसादि नैतिक-ब्रतों को जीवन-पर्यन्त के लिए पुनः

१. सामाइयत्य पढमं छेदोवद्ठावणं भवे वीयं।
परिहारिवसुद्धीयं सुद्धुमं तह संपरायं च ।।
अकसायमहनलायं छड मत्यस्स जिणस्स वा।
एयं चयरितकरं चारितं होइ आहियं।।
——उ० २८.३२-३३.-

ग्रहण किया जाता है तो उनका विशेष सावधानीपूर्वक पालन करना पड़ता है। इसमें साधक पहले ग्रहण किए गए वर्तों का छेदन करके पुनः उपस्थापना करता है। अतः इसे छेदोपस्थापनाचारित्र कहते हैं। यह सदाचार की दूसरी अवस्था है।

- ३. परिहारिवशुद्धिचारित्र एक विशिष्ट प्रकार के तपश्च-रण दारा आत्मा की विशेष शुद्धि करने को परिहारिवशुद्धि-चारित्र कहते हैं। चारित्र के तपप्रधान होने के कारण ही इस परिहारिवशुद्धिचारित्र को स्वीकार किया गया है। यह चारित्र की तृतीय अवस्था है।
- ४ सूक्ष्मसम्परायचारित्र—यह चारित्र की चौथी अवस्था है। इस अवस्था तक पहुँचने पर साधक को सांसारिक विषयों के प्रति बहुत ही स्वल्प राग-बुद्धि रह जाती है और सभी कषाय भान्त हो जाते हैं। सूक्ष्म-सम्पराय का अथं है—स्वल्पेच्छा की धारा बहती रहना। अर्थात् इस अवस्था में स्वल्प राग की धारा मौजूद रहने से कर्मों का थोड़ा-थोड़ा आना बना रहता है।
- ५ यथाख्यातचारित्र—यह चारित्र की अन्तिम अवस्था है। जब स्वस्पराग का भी अभाव हो जाता है तब इस प्रकार के चारित्र की प्राप्ति होती है। यहाँ राग के अभाव से तात्पयं सर्वथा उसके क्षय से नहीं है अपितु उसकी उपशान्त अवस्था भी अभि-प्रेत है। इसीलिए इस चारित्र का धारी सर्वज्ञ (जिन) की

देखिए-- उ० आ० टी०, पृ० १२४२.

१. तप की विधि - जब कोई नी साधु किसी एक तप को १ न मास तक मिलकर करते हैं तो उतमें से कोई चार साधु ६ मास तक तप करते हैं, अन्य चार उनकी सेवा करते हैं तथा अविधिष्ट एक साधु निरीक्षक (बामनाचार्य) होता है। छः मास के बाद सेवा करनेवाले चारों साधु तप करते हैं और तप करनेवाले चारों साधु उनकी सेवा करते हैं। इस तरह पुनः छः मास बीत जाने पर वामनाचार्य छः मास तक तप करता है तथा अन्य आठ साधुओं में से कोई एक वामनाचार्य बन जाता है और शेष सभी उसकी सेवा करते हैं। इस तरह यह १६ मास के तप की एक विधि है।

तरह असर्वज्ञ (छद्मस्थ-जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है) भी स्वीकार किया गया है। इस चारित्र का धारी जिनोपदिष्ट चारित्र का उसी रूप में पालन करता है जैसा उन्होंने कहा है। अतः इसे यथास्थात-चारित्र कहते हैं। यह पूर्ण वीतरागता की अवस्था है। इस यथास्थातचारित्र की पूर्णता होने पर (चरमावस्था में) सब कमं नष्ट हो जाते हैं और तब साधक सब प्रकार के दु:खों का अन्त करके सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो जाता है। उ

इस तरह सदाचार के इन भेदों को देखने से प्रतीत होता है कि ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यह सदाचार अहिंसा की भावना से प्रारम्भ होकर पूर्ण वीतरागता की अवस्था में पूर्ण हो जाता है। इन सदाचार के भेदों में संसार के विषयों के प्रति राग की भावना उत्त-रोत्तर कम होती गई है। वीतरागता को सदाचार की पराकाष्ठा स्वीकार करने के कारण 'राग' की हीनाधिकता को लेकर यह चारित्र का विभाजन किया गया है।

जैनदर्शन में राग की हीनाधिकता को लेकर अन्य प्रकार से भी जीव की १४ अवस्थाएँ (गुणस्थान) बतलाई गई हैं जिनमें जीव के निम्नतम आचार से लेकर उच्चतम आचार तक के विकास-क्रम को आध्यात्मिक-प्रक्रिया के द्वारा समझाया गया है। जिसे संसार के विषयों में सबसे अधिक राग है वह सबसे निम्नदर्जे-वाला व्यक्ति है और जिसे संसार के विषयों में सबसे कम राग (या राग का अभाव) है वह सबसे उच्चदर्जेवाला व्यक्ति है। सामायिक आदि पाँच प्रकार के चारित्र से ये अवस्थाएँ सर्वथा भिन्न नहीं हैं अपितु उनका ही यहाँ १४ अवस्थाओं में विस्तार किया गया है। इनमें यही बतलाया गया है कि जीव किस प्रकार धीरे-

१. देखिए--पृ० २३०, पा० टि० १.

२. चारित्तपञ्जवे विसोहित्ता अहक्कायचरितं विसोहेइ । अहक्कायचरितं विसोहित्ता चत्तारि कम्मंसे खवेइ । तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ, परिनिब्बयाइ, सब्बदुक्काणमंतं करेइ ।

**⁻³⁰** ₹€. ५5.

तथा देखिए-उ० ३१. १; पृ० २२६, पा० टि० २.

धीरे चारित्र का विकास करते हुए नीचे से ऊपर की ओर मुक्ति के लिए बढ़ता है।

१. जीवों के आध्यात्मिक विकासक्रम की १४ अवस्थाएँ (गुणस्थान—जीव-स्थान) ये हैं: १. मिथ्यादृष्टि—संसारासक्त होकर अधार्मिक-जीवन यापन करनेवाला, २. सासादन—धार्मिक-जीवन से अधार्मिक-जीवन की ओर पतन करने वाला अर्थात् जो अभी मिथ्यादृष्टि तो नहीं है परन्तु मिथ्यादृष्टि होने वाला है, ३. सम्यक्त्वमिथ्यादृष्टि (मिश्र)— कुछ धार्मिक और कुछ अधार्मिक-जीवन यापन करने वाला, ४. अविरतसम्यग्दृष्टि—सामान्य गृहस्थ का जीवन जो अभी संसार के विषयों से विरक्त नहीं है, ४. विरताविरत (देशविरत)— सांसारिक विषयों से अंशतः विरत और अंशतः अविरत गृहस्थ, ६. प्रमत्तासंयत—नवदीक्षित साधु जो संसार के विषयों से सर्वविरत तो है परन्तु कभी-कभी प्रमाद करता रहता है, ७. अप्रमत्तासंयत— प्रमादरहत होकर सदाचार का पालन करने वाला।

इसके बाद आगे बढ़ने की दो श्रेणियाँ हैं: क. उपशमश्रेणी (जिसमें मोहनीय कर्म भस्माच्छन अग्नि की तरह दवा पड़ा रहता है और बाद में समय अाने पर उदय में आता है जिससे उस जीव का नीचे की ओर पतन होता है। और ख. क्षपकश्रेणी (जिसमें सदा के लिए कर्मों को नब्ट कर दिया जाता है और जीव आगे की ओर ही बढ़ता जाता है )। उपगमश्रेणी आठवें गुगस्थान से लेकर ग्यारहर्वे गुणस्थान तक ही है तथा क्षाप्रक्षेणी अन्त तक है। इनके नामों में कोई भेद नहीं है, सिर्फ मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय की अपेक्षा से ही मेद है। क्षपक्त्रेणी वाला दसवें गुणस्थान के बाद सीधे बारहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है। इ. निवृत्तिबारर (अपूर्वकरण) -स्यूच कषायों के उपशम या अय से प्राप्त जीव की स्थिति। इस अवस्था की प्राप्ति पहले कभी न होने के कारण इसे 'अपूर्वकरण' भी कहते हैं। **६. अनिवृत्तिबादर (अनिवृत्तिकरण)—अ**प्रत्याख्यानावरणी (स्थूल की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म) कषायों एवं नोकषायों के उपशम या विनाश से प्राप्त जीव की स्थिति, १०. सूक्ष्मसम्पराय — जिसके अत्यन्त सूक्ष्म कषाय मात्र रह गया है ऐसे जीव की स्थिति, ११. उपशान्त-मोह-

### चारित्र के विभाजन का दूसरा प्रकार:

सदाचार का पालन करने वाले गृहस्थ और साधु की अपेक्षा से ग्रन्थ में अन्य प्रकार से भी चारित्र का विभाजन किया गया है जिसे गृहस्थाचार और साध्वाचार के नाम से कहा जा सकता है। इस प्रकार के विभाजन का यह तात्पर्य नहीं है कि गृहस्थाचार और साध्वाचार परस्पर पृथक् पृथक् हैं अपित गृहस्थाचार साध्वाचार की प्रारम्भिक अभ्यास की अवस्था है। गृहस्थ सामाजिक एवं कुटुम्ब-सम्बन्धी कार्यों को करता हुआ अहिंसादि पाँच व्रतों का स्थूलरूप से पालन करता है जबिक साधु उन्हीं अहिंसादि व्रतों का सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूप से पालन करता है। गृहत्यागी साधु का समाज

जिसने सब मोहनीय कमों का उपशम कर दिया है ऐसे जीव की स्थिति (यह गुणस्थान सिर्फ उपशमश्रेणी वाले जीव की ही होता है), १२. क्ष्मीण-मोह—जिसने सम्पूर्ण मोहनीय कमों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है, १३. सयोगकेवली— जो-मन-वचन-काय, की क्रिया (योग) से युक्त है ऐसे केवलज्ञानी (जीवन्मुक्त) जीव की स्थिति और १४. ब्रयोग-केवली—सब प्रकार की क्रियाओं से रहित केवलज्ञानी (जीव-न्मुक्त) की चरमावस्था।

जीव की इन १४ अवस्थाओं में से मिथ्यादृष्टि सबसे निम्नकोटि के आचारवाला व्यक्ति है तथा अयोग-केवली सर्वोच्च सदाचारसम्पन्न जीव है। इनमें उत्तरोत्तर संसार के विषयों से ममत्व
(मोह) घटता गया है। वस्तुत: सदाचार का विकास चौथी अवस्था
से प्रारम्भ होता है और क्षीणमोह की अवस्था में पूर्ण हो जाता
है। अन्तिम दो अवस्थाएँ मन-वचन-काय की किया (योग) से सहित
व रहित ऐसे दो प्रकार के जीवन्मुक्तों की हैं। इस तरह सामायिकचारित्र कथंचित् चौथे और पाँचवें गुणस्थान में, छेदोपस्थापनाचारित्र
इ ठे और ७ वें में, परिहारविशुद्धिचारित्र = वें और ६ वें में,
मूक्ष्मसम्परायचारित्र १० वें में और यथास्यातचारित्र १९ वें से अन्त
तक पाया जाता है। अन्तिम दो अवस्थाओं का विशेष वर्णन मुक्ति
के प्रकरण में किया जाएगा।

देखिए--समवा०, समवाय १४; गोम्मटसार-जीवकाण्ड, परिच्छेद १.

एवं कुटुम्ब से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता है। गृहस्थ का भी उद्देश्य इसी अवस्था (साध्याचार) की ओर बढ़ना है परन्तु गृहस्थ पर गृहस्थी का भार होने के कारण वह उस अवस्था तक पहुँचने में असमर्थ होता हुआ अहिंसादि व्रतों का स्थूलरूप से पालन करता है।

गृहस्थाचार—गृहस्थ-धर्म का उपदेश उन्हें ही दिया गया है जो साध्वाचार का पालन करने में असमथं हैं। अत: चित्त का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से कहता है—'हे राजन्! यदि तुम भोगों को त्यागने (सर्वविरतिरूप साधु-धर्म स्वीकार करने) में असमथं हो तो गृहस्थोचित आर्य-कर्म (सदाचार करो तथा धर्म में स्थित होकर सम्पूर्ण प्रजा पर अनुकम्पा करने वाले बनो।'' यहाँ पर गृहस्थ का आचार 'आर्य-कर्म' तथा 'दया' बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में गृहस्थ के १० नियमों (प्रतिमाएँ) तथा माह में कम से कम एक बार उपवास (प्रोषध) करते हुए सम्यवत्व का पालन करने का उल्लेख मिलता है। निम-प्रव्रज्या नामक अध्ययन में इन्द्र गृहस्थधमं में स्थित व्यक्ति को 'घोराश्रमी' कहता है क्योंकि गृहस्थ के ऊपर अन्य सभी आश्रमवासियों का तथा कुटुम्ब आदि का भार रहता है और उसे उन सब का पालन-पोषण

—उ० **१**३. ३२.

तथा देखिए-- उ० १४.२६-२७; २२.३८; उपासकदशाङ्ग १.१२; सागारधर्माभृत २.१.

२. अगारि सामाइयंगाइं सड्ढी काएण फासए। पोसहं दुहओ पक्खं एगरायं न हवाए।। — उ० ४.२३.

उवासगाणं पर्डिमासु ""से न अच्छद्द मंडले ! ---उ० ३१. ११.

३. घोरासमं चइत्ताणं अन्तं पत्थेसि आसमं। इहेव पोसहरओ भवाहि मणुयाहिवा।।
— ७० ६. ४२.

१. जइ तं सि भोगे चइउं असत्तो अञ्जाइं कम्माइं करेहि रायं। षम्मे ठिओ सञ्चपयाणुकंपी तो होहिसि देवो इओ विज्व्वी ।।

### २३६ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

करना पड़ता है। इसीलिए अन्य आश्रमों की अपेक्षा गृहस्थाश्रम को अत्यन्त कठिन कहा गया है। गृहस्थ माता-पितादि परिवार के साथ अपने गृह में निवास करता है, साधुओं की भोजन-पान आदि से सेवा करता है और स्थूलरूप से अहिसादि धार्मिक नियमों का पालन करता है। अतः उसे ग्रन्थ में गृहस्थ, सागार, उपासक, श्रावक, असंयत आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है। गृहस्थ की जिन ग्यारह प्रतिमाओं का ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है उनमें गृहस्थ के आचार-सम्बन्धी उपवास, दया, दान आदि सभी बत आ जाते हैं। टीका-ग्रन्थों तथा गृहस्थ चार के प्रतिपादक ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि गृहस्थ इन ग्यारह प्रतिमाओं (नियमों) का क्रमणः धारण करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। आगे-आगे की प्रतिमा को धारण करने वाला गृहस्थ पीछे की प्रतिमाओं के सभी नियमों का पालन करता हुआ साध्वाचार की ओर बढ़ने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। दिगम्बर-परमारा में भी इसी प्रकार की गृहस्थ की ११

१. देखिए--पृ०५३४, पा० टि० २-३; उ० २१. १-२, ४; २६. ४४.

२. गृहस्थ की ग्यारह प्रतिमाएँ ये हैं: १. दर्शन—जिनोपिद व्हेट तस्तों में विश्वास, २. व्रत—अहिसा आदि बारह प्रतों के पालन करने में यस्तवान् होना। वे अहिसादि बारह प्रत इस प्रकार हैं: स्थूलरूप से अहिसा का पालन करना, सत्यबोलना, चोरी न करना, परस्त्रीसेवन न करना, धनादि का अधिक संग्रह न करना, चारों दिशाओं में गमनागमनसम्बन्धी सीमा निर्धारित करना, भोग्य और उपभोग्य वस्तुओं के सेवन की मर्यादा करना, सर्वदा अनुपयोगी वस्तुओं और कियाओं का त्याग करना, प्रातः-सायं तथा मध्याह्न में आत्मगुणों का चिन्तन करते हुए समताभाव में स्थिर होना (सामायिक), देश व नगर में परिश्रमण की सीमा को नियत करना, नास में दो बार या कम से कम एक बार उपवास करना (प्रोषध), और आगन्तुक दीन-दुःखी व साधु आदि की अपनी शक्त्यनुसार दानादि से सेवा करना। इनमें से प्रथम पाँच वत 'अणुव्रत' कहलाते हैं क्योंकि इनमें अहिसादि पाँच महाव्रतों का स्थूलरूप से पालन किया जाता है। आत्मविकास के लिए मूलभूत व गुणरूप होने के कारण श्वेताम्बर-परम्परा में इन्हें 'मूलगुण' कहते हैं। इनके अति-

प्रतिमाएँ गिनाई गई हैं। यद्यपि उनके क्रम, नाम एवं अर्थ में थोड़ा अन्तर पाया जाता है परन्तु दोनों का उद्देश्य एक है –आत्म-विकास करते हुए सर्वविरतिरूप साघ्वाचार की अवस्था को प्राप्त करना।

गृहस्थाचार पालन करने का फल—इस प्रकार के गृहस्थधमं का पालन करने वाला व्यक्ति जिस फल को प्राप्त करता है वह उसके आत्मविकास की हीनाधिकता पर निभंर करता है। अतः ग्रन्थ में कहा है कि जो गृहस्थधमं का पालन करता है वह मनुष्य-

रिक्त शेष सात वत अहिंसादिवतों की रक्षा के लिए हैं जो 'गुणवत' एवं 'शिक्षावत' के नाम से कहे जाते हैं। ये बारह वृत आगे की प्रतिमाओं की दढ़ता में सहायक-कारण होते हैं, ३. सामायिक-सामायिकवृत का दृढ़ता से पालन करना, ४. प्रोषघ -- प्रोपधवृत का बुढ़ता से पालन करना, ५. नियम-राजिभीजन-स्थाग आदि नियम-विशेष लेना, ६. ब्रह्मचर्य-पूर्ण-ब्रह्मचर्य का पालन करना, ७. सचितविरत--कन्दमूल, आदि हरी वनस्पतियों का त्याग करना, द. आरम्भविरत-जिसमें जीवों की हिंसा हो ऐसी सावद्य (पापार्त्मक) कियाओं को स्वयं न करना, ६. प्रेड्यारम्भविरत-दूसरों को भी गृहस्थीसम्बन्धी सावद्यकियाएँ करने के लिए प्रेरित न करता, १०. उहिष्टभक्तिबरत-स्वयं के उद्देश्य से बनाए गए भोज-नादि को न खाना अथवा गृहस्थो के कार्यों की अनुमोदना न करना और ११. अमणभूत--जैन साधुकी तरह आचरण करना। इस प्रतिमाधारी गृहस्थ और साधु में यह अन्तर है कि इस प्रतिमा का घारी स्व-कुट्म्बी जनों के यहाँ से ही आहारादि लेता है जबिक साधु स्व-कृट्म्ब से पूर्ण ममस्व छोड़कर सर्वत्र विचरण करता हुआ सब जगह से आहार लेता है।

देखिए--दशाश्रुतस्कन्ध, दशा ६-७; समवा०, समवाय ११; उपासकदशाङ्ग, पृ० ११५-१२२; जैन-योग (आर० विलियम्स), पृ० ५०-५१,५६.

१. दिगम्बर-परम्परा में गृहस्थ की न्यारह प्रतिमाएँ कमशः इस प्रकार हैं: दशंन, बत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तविरत, रात्रिभोजन-विरत, ब्रह्म-वर्य, आरम्भरयाग, परिग्रह-विरत, अनुमतिविरत तथा उद्दिष्ट-विरत। देखिए—जैनआचार, डा० मोहनलाल मेहता, पृ० १३०. २३८] उत्ताराध्ययन-सूत्रः एक परिशीलन

जन्म से लेकर देव और मुक्त अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है।

गृहस्थ और साधु के आवार में भेद का कारण वीतरागता—
गृहस्थधमं पालन करने का फल जो मुक्ति बतलाया गया है वह
साक्षात्-फल संभव नहीं है क्योंकि ऐसा सिद्धान्त है कि जवतक
पूर्ण वीतरागता नहीं होगी तबतक मुक्ति नहीं मिल सकती है। यह
संभव है कि गृहस्थ मृत्यु के समय संसार के विषयों से पूर्ण वीतरागी
होकर मुक्ति प्राप्त कर लेवे परन्तु जब गृहस्थ पूर्ण वीतरागी हो
जाएगा तो वह वस्तुतः गृहस्थ नहीं रहेगा। अतः ग्रन्थ में साधु
का स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि जो बालभाव को छोड़कर
अबालभाव को घारण करते हैं वे साधु हैं। जो संसारासक्त हैं वे
बाल (मूर्ख) हैं और जो निरासक्त हैं वे अबाल (पण्डित) हैं।
केवल शिर मुड़ाने से श्रमण, ओंकार का जाप करने से ब्राह्मण,
जंगल में रहने से मुनि और कुशा आदि घारण करने से तपस्वी
नहीं कहलाते हैं अपितु समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान
से मुनि और तप करने से तपस्वी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त

<del>--</del>उ० ७. २०.

तथा देखिए--- उ० ४. २४; पृ० २३४, पा० टि० १-२.

- २. विशेष के लिए देखिए-प्रकरण ७.
- ३. तुलिया ण बालभावं अवालं चेव पंडिए। चड्ऊण बालभावं अवालं सेवए सुणि॥

—उ० ७. ३०**.** 

न वि मुण्डिएण समणो न ओकारेण बंभणो।
न मुणी रण्णवासेणं कुसचीरेण न तावसी।।
समयाए समणो होइ बंभचेरेण बंभणो।
नाणेण य मुणी होई तवेण होइ तावसी।।
—उ० २४.३१-३२.

जं मगाहा बाहिरियं विसोहि न तं सुइट्ठं कुसला वर्यति । — ७० १२ ३८.

वेसायाहि सिक्खाहि जे नरा गिहिसुक्वया ।
 उर्वेति माणुसं जोणि कम्मसच्या हु पाणिको ।

अन्तरङ्ग-सृद्धि के अभाव में बाह्य-शृद्धि (बाह्य लिङ्ग) पोली-मुट्ठी, खोटी-मुहर और काँच की मणि की तरह सारहीन है। जिस-प्रकार पान किया गया अतितीत्र विष, उलटा पकड़ा हुआ अस्त्र और अवशीकृत मन्त्रादि का प्रयोग स्वयं का विघातक होता है उसी प्रकार दिखावटी साधु कंठ का छेदन करने वाले शत्रु से भी अधिक स्वयं का अनर्थं करके पश्चाताप को प्राप्त होता हुआ नरकादि योनियों में जन्म-मरण प्राप्त करता है। अत: प्रन्थ में कहा है कि संयमहीन साधु की अपेक्षा संयमी गृहस्थ श्रेष्ठ है। अ

इस तरह गृहस्य का सम्पूर्ण आचार साध्वाचार की प्रारम्भिक-अवस्या के रूप में है। गृहस्य गृहस्थी में रहकर सामाजिक कार्यों को करता हुआ अहिंसादि उन सभी नियमों का स्थूलरूप से पालन करता है जिनका साधु विशेषरूप (सूक्ष्मता) से पालन करता है।

# अनुद्वीत्रन

इस प्रकरण में संसार के दु:खों से निवृत्ति पाने का एवं अविनश्वर सुस्र की प्राप्ति के आध्यात्मिक-मार्ग का वर्णन किया गया है। जिस

- पुल्लेव मुट्टी जह से असारे अयंतिए कृडकहावणे वा ।
   राढामणी वेक्लियप्पगासे अमहग्वए होइ हु जाणएसु ।।
   ३० २० ४२.
- २. विसंतुपीयं जह कालकूडं हणाइ सत्थं जह कुग्महीयं।

  एसो वि धम्मो विसक्षीववन्नो हणाइ वेशाल इवाविवन्नो।।

  —उ० २०. ४४.

न तं अरि कंठिखता करेइ जंसे करे अध्यिणया दुरप्पा। से नाहिई मच्चुमुहंतु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाचिहूणो।।
--उ० २०.४८.

३. नाणासीला अगारत्था विसमसीला य भिक्खुणो ॥ ---उ॰ ५.१६

संति एगेहि भिक्खूहि गारत्था संजमुत्तरा । —उ० ५. २००

प्रकार किसी कार्य की सफलता के लिए इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न इन तीन वार्तो का संयोग आवश्यक होता है उसी प्रकार संसार के दु:स्रों से निवृत्ति पाने के लिए भी विश्वास, ज्ञान और सदाचार के संयोग की आवश्यकता है। इसे ही ग्रन्थ में सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र के नाम से कहा गया है। यहाँ इतना विशेष है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों गीता के भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग की तरह पृथक-पृथक मुक्ति के तीन मार्ग नहीं हैं अपितु तीनों मिलकर एक ही मार्ग का निर्माण करते हैं। इन तीनों का सम्मिलित नाम 'रत्नत्रय' है । ग्रन्थ में यद्यपि कहीं-कहीं ज्ञान के पूर्व चारित्र का तथा दर्शन के पूर्व ज्ञान व चारित्र का भी प्रयोग मिलता है परन्तू इनकी उत्पत्ति कमशः होती है। यह अवश्य है कि विश्वास में ज्ञान व चारित्र से, ज्ञान में विश्वास व चारित्र से तथा चारित्र में ज्ञान व विश्वास से दृढता आती है। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में कहीं दर्शन के एक अंग से, कहीं ज्ञान के एक अंग से और कहीं चारित्र के एक अंग से मृक्तिं का प्रतिपादन किया गया है परन्तु ऐसा सिर्फ उस अंग-विशेष का महत्त्व प्रकट करने के लिए ही किया गया है।

ज्ञान की पूर्णता हो जाने पर भी जीव की संसार में कुछ समय के लिए स्थित स्वीकार करने के कारण एवं फैले हुए दुराचार को रोकने के लिए चारित्र को सर्वोपिर स्थान दिया गया है, अन्यथा जब संसार का मूलकारण अज्ञान है तो सच्चा-ज्ञान ही मुक्ति का प्रधान कारण हो सकता है। यह अवश्य है कि विश्वास एवं चारित्र से उसमें दृढ़ता आती है परन्तु जब किसी को सम्यक् व पूर्णज्ञान हो जाएगा तो वह दुराचार में क्यों प्रवृत्त होगा? दुराचार में प्रवृत्ति तभी तक संभव है जब-तक सच्चा-ज्ञान न हो। यदि सच्चा-ज्ञान होने पर भी कोई दुराचार में प्रवृत्त होता है तो वह वास्तव में सच्चा-ज्ञानी नहीं है। इसीलिए ज्ञान की पूर्णता हो जाने पर केवलज्ञानी को 'जीव-न्मुक्त' माना गया है तथा वह अप कर्मों को शीध नष्ट करके नियम से पूर्ण-मुक्त हो जाता है। अतः ज्ञान हो जाने के बाद भी जीव की स्थिति कुछ काल तक रहने के कारण चारित्र को बाद में गिनाया गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ज्ञान मात्र से मुक्ति मिलती

है अपितु उसमें विश्वास व चारित्र भी अपेक्षित है। अतः रत्नत्रय की त्रिपुटी को जो मोक्ष का मार्ग बतलाया गया है वह उचित ही है। इन तीनों का सिम्मिलित नाम 'धमं' भी है और यह धमं शब्द पहले प्रकरण में विणत 'धमंद्रव्य' से पृथक् है। यह पुण्यकमं का भी वाचक नहीं है क्योंकि पुण्यकमं बन्धन का कारण है। यह धमं शब्द निष्काम एवं शुद्ध सदाचार के अर्थ का वाचक है। चूंकि पूर्ण एवं शुद्ध सदाचार विश्वास एवं सत्यज्ञान के संभव नहीं है अतः यहाँ पर धमं शब्द का अर्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र-परक माना गया है। जो इस प्रकार के धमं से युक्त हैं वे ही 'सनाथ' एवं 'धार्मिक' हैं और जो इस प्रकार के धमं से रहित हैं वे 'अनाथ' एवं 'अधार्मिक' हैं। इस तरह यह धमं शब्द मीमांसादर्शन के यज्ञ-यागादिक्रियारूप धमं शब्द से भी भिन्न है। गीता का यह उपदेश कि 'श्रद्धावान् ही पहले ज्ञान प्राप्त करता है और फिर सय-तेन्द्रिय बनता है' यहां पूर्णरूप से लागू होता है।

रत्नत्रय में पहला स्थान सम्यन्दर्शन का है जो भक्ति (श्रद्धा) स्थानापन है। बिना श्रद्धा के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रिया में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। यदि प्रवृत्त होता भी है तो उसमें दृढ़ता का अभाव होने से पतित होने की सम्भावना रहती है। अतः आवश्यक था कि ज्ञान और चारित्र के पूर्व श्रद्धा को उत्पन्न करने वाले सम्यन्दर्शन को स्वीकार किया जाए। यह मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी है तथा ज्ञान और चारित्र की आधार-शिला भी है। सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार न करने के कारण तथा अपने ही कर्म से जीव में उत्थान और पतन की शक्ति को भानने के कारण यद्यपिश्रद्धा व भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी परन्तु ज्ञान और चारित्र में प्रवृत्ति बिना श्रद्धा के सम्भव न होने से सम्यन्दर्शन का अर्थ 'ईश्वर-भक्ति' न करके जिनश्रणीत ६ परमार्थ सत्यों में विश्वास किया गया है। जनदर्शन में 'जिनेन्द्रभक्ति' को जो सम्यन्दर्शन का अर्थ माना जाता है उसका कारण है कि उससे जिनश्रणीत तत्त्वों में श्रद्धा उत्पन्न होती है। यहाँ परमार्थसत्य से

१. गीता ४.३६.

तात्पर्य किसी ठोस द्रव्य से नहीं है अपितु चेतन और अचेतन में होने वाले परस्पर सम्बन्धों की कारणकार्यप्रुखला से है जो बौद्धदर्शन में बतलाए गए चार आर्यसत्यों के ही समान हैं। बौद्धदर्शन में आत्म-अनात्मविषयक कोई भेद नहीं है और न उनकी परमायं सत्ता है। अतः उन आर्यसत्यों में चेतन और अचेतन का सन्निवेश नहीं किया गया है। परन्त यहाँ पर आत्म-अनात्मविषयक भेद उतना ही परमार्थसत्य है जितने अन्य सत्य क्योंकि आत्म-अनात्म को परमार्थसत्य स्वीकार किए बिना किसे बन्धन, किसे मुक्ति, किससे बन्धन और किससे मुक्ति मानी जाएगी? अतः ग्रन्थ में जीवादि ६ परमार्थसत्यों में विष्वास करने को सम्यग्दर्शन कहा गया है। इस सम्यग्दर्शन अब्द में एक और अर्थ निहित है। वह है— सत्-दृष्टि को प्राप्त करना। सत्-दृष्टि प्राप्त करने का अर्थ है-परमार्थ में स्थित होना। अतः सम्यग्दर्शन को रत्नत्रय का उपलक्षण मानकर रहेनत्रयधारी को सम्यग्द्िट कहा गया है। बौद्धदर्शन में भी मुक्ति के साधनभूत प्रज्ञा, शील और समाधि के पूर्व इस सत्-दृष्टि को स्वीकार किया गया है जो बौद्धदर्शन में 'आर्य-अष्टाङ्गमार्ग' के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रन्थ में सम्यग्दर्शन के जो १० भेद गिनाए गए हैं वे उसकी उत्पत्ति की निमित्त-कारणतारूप उपाधि की अपेक्षा से हैं क्योंकि सत्दृष्टि का प्राप्त करना या परमार्थसत्यों में विश्वास करना सर्वत्र अपेक्षित है ।

यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दर्शना-वरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला 'दर्शन' गुण-विशेष श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन नहीं है क्योंकि श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन दर्शन-मोहनीय कर्म के क्षय का प्रतिफल है, न कि दर्शनावरणीय कर्म के क्षय का परिणाम । दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला 'दर्शन' गुण-विशेष ज्ञान की पूर्वावस्था है अर्थात् विषय और विषयी के सिन्नपात होने पर जो सर्वप्रथम निराकार सामान्यबोध होता है उसे 'दर्शन' कहते हैं और दर्शन के बाद (विषय-विषयी के सिन्नपात के उत्तरकाल में) होने वाले साकार (विशेष) बोध को 'ज्ञान' कहते हैं। इस तरह 'दर्शन' गुण का अर्थ है 'निराकारात्मक सामान्य ज्ञान' और सम्यग्दर्शन शब्द का अर्थ है 'परमार्थभूत सत्यों में विश्वास ।' इसके अतिरिक्त सम्यग्ज्ञान का अर्थ है–सम्यग्दर्शन के द्वारा श्रद्धान किए गए पदार्थों का यथावस्थित साकारात्मक विशेष ज्ञान ।

रत्नत्रय में द्वितीय स्थान सम्यक्तान का है जिसके अभाव में सम्यक्चारित्र स्थिर नहीं रह सकता है क्योंकि जबतक सत्यज्ञान नहीं होगा तबतक सदाचार में सम्यक् प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? ज्ञान के अभाव में श्रद्धा भी चिरस्थायी नहीं हो सकती है। जब सत्यज्ञान हो जाता है तो फिर दुराचार में प्रवृत्ति का कोई कारण नहीं रह जाता है क्योंकि दुराचार में प्रवृत्ति का कारण अज्ञान है। यहां पर चेतन से अचेतन का पार्थक्य-बोध ही सत्यज्ञान है, जबिक बौद्धदर्शन में चेतन की पृथक् प्रतीति होना मिथ्याज्ञान है। बौद्धदर्शन में चेतन द्रव्य स्वीकार न करने के कारण 'आत्म-ज्ञान' को मिथ्या कहा गया है और प्रकृत ग्रन्थ में अचेतनरूप भौतिक शरीरादि से चेतन की पृथक् प्रतीति कराने के लिए 'आत्मज्ञान' को सम्यग्ज्ञान माना गया है। जबतक भेदात्मक आत्म-ज्ञान नहीं होगा तबतक संसार के विषयों से विरक्ति नहीं हो सकती है। अतः आत्मज्ञान को सत्यज्ञान के रूप में प्रदर्शित करके ज्ञान को आत्मा कास्वाभाविक गुणमानागया है जो कर्मरूपी आवरण (ज्ञानावरणीयकमं) के हटने पर प्रकट होता है।

उत्तराध्ययन में ज्ञान का विभाजन उसकी विभिन्न पाँच अव-स्थाओं के आधार से किया गया है। ज्ञान के इस विभाजन में इतना विशेष है कि शास्त्रज्ञान का महत्त्व प्रकट करने के लिए प्रकृत ग्रन्थ में श्रुतज्ञान को प्रथम गिनाया गया है। जबकि जैनदशंन में श्रुतज्ञान की उत्पत्ति में मितज्ञान (आभिनिबोधिक-ज्ञान) को निमित्त मानकर मितज्ञान को श्रुतज्ञान के पूर्व बतलाया गया है। इन्द्रियजन्य मितज्ञान सभी संसारी जीवों में हीना-धिकरूप में अवश्य पाया जाता है क्योंकि सभी संसारी जीवों के कम से कम स्पर्शन इन्द्रिय अवश्य होने के कारण तज्जन्य ज्ञान अवश्यम्भावी है। इसीलिए ज्ञान को जीव का स्वरूप

१. देखिए-पृ० २०६, पा० टि० १.

माना गया है । इसके अतिरिक्त श्रुतज्ञान भी सभी जीवों में किसी न किसी रूपमें अवश्य पाया जाता है । इसीलिए तत्त्वार्थसूत्र में कहा है कि यदि किसी को एक ज्ञान होता है तो वह 'केवलज्ञान' होगा। अन्यथा संसारी जीवों को कम से कम दो ज्ञान (मित व श्रुतज्ञान) अवश्य होते हैं। यह श्रुतज्ञान शास्त्रजन्यज्ञान या आगमज्ञान है न कि समस्त श्रवणेन्द्रियजन्यज्ञान वयोंकि श्रवणेन्द्रियजन्य सामान्यज्ञान तो मितज्ञान का एक भेद है। <u>य</u>ह अवस्य है कि श्रुतज्ञान में सामान्यतया श्रवणेन्द्रिय की अपेक्षा रहती है। परन्तु समस्त श्रवणेन्द्रियज्ञान श्रुतज्ञान नहीं है। यहाँ इतना विशेष है कि शब्द और धवणेन्द्रिय का प्रथम स्पर्श होने पर जो ज्ञान होता है वह श्रवणेन्द्रियजन्य मतिज्ञान है तथा इसके बाद मन की सहायता से जो अर्थादि का विचार होता है वह श्रुतज्ञान है। अतः श्रुतज्ञान को जैनदर्शन में अनिन्द्रिय (मन) निमित्तक मानकर मितिपूर्वक स्वीकार किया गया है। यह श्रुतज्ञान केवल अक्षरात्मक ही होता है, ऐसी बात नहीं है। यह श्रुतज्ञान अनक्षरात्मक भी होता है। अतः ऐसी स्थिति में ही यह श्रुतज्ञान एकेन्द्रियादि जीवों के स्वीकार किया गया है। जहाँ तक सम्यक्-श्रुतज्ञान का प्रश्न है वह संज्ञी (मनसहित) पंचेन्द्रिय जीवों के ही संभव है और वह भी किन्हीं-किन्हीं को होता है, सबको नहीं होता है।

प्रस्थ में शास्त्रज्ञान का महत्त्व बतलाने का कारण यह है कि ये शास्त्र सत्-दृष्टिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में प्रमुख बाह्य निमित्त-कारण हैं। जिस प्रकार शास्त्र सत्-दृष्टिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में कारण हैं उसी प्रकार शास्त्रज्ञानी गुरु भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में कारण हैं क्यों कि गुरूपदेश ही शास्त्रज्ञान व सत्-दृष्टिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अतः ग्रन्थ दृष्टिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अतः ग्रन्थ में गुरु के भी महत्त्व को बतलाया गया है। शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के समीप जाना पड़ता है और गुरु भी विनीत व योग्य शिष्य को पाकर समस्तज्ञान उसे दे देता है। जो शिष्य गुरु की अविनय करते हैं वे उस ज्ञान की प्राप्ति से विन्ति रह जाते हैं। अतः ज्ञानप्राप्ति के लिए शिष्य को जिन

१. देखिए--पृ० २१४, पा० टि० २.

गुणों से युक्त होना चाहिए उनमें कुछ इस प्रकार हैं : विनय, स्वाचार, कर्त्तव्यपरायणता, जितेन्द्रियता आदि ।

रत्नत्रय में तृतीय स्थान सम्यक्चारित्र का है जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और धनादि-संग्रहत्याग (अपरिग्रह) रूप पाँच नियमों के पालन करने में पूर्ण होता है। इन सभी नियमों के मूल में अहिंसा की भावना है और अहिंसा की पूर्णता पूर्ण वीतरागता (अपरिग्रहता) की अवस्था में होती है। अतः वीत-रागतारूप चारित्र के उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से साधु के सम्यक्चारित्र को पाँच भागों में विभक्त किया गया है जिन्हें साधक क्रमणः प्राप्त करता है। सदाचार का पालन करने वाले गृहस्थ या साधु स्त्री-पुरुष होते हैं। अतः इस सदाचार को दो भागों में भी विभक्त किया गया है: १. गृहस्थाचार और २. साध्वाचार।

गृहस्थाचार साघ्वाचार की प्रारम्भिक अभ्यासावस्था है क्योंकि गृहस्य धीरे-धीरे अपने चारित्र का विकास करता हुआ साधु के अाचार की ओर अग्रसर होता है। गृहस्थाचार पालन करने का उपदेश उन्हें ही दिया गया है जो साध्वाचार का पालन नहीं कर सकते हैं। अतः चारित्र के सामायिक आदि जो पाँच भेद किए गये हैं वे साधु के आचार की ही विभिन्न अवस्थाएँ हैं। सामायिकचारित्र के अन्तर्गत जिन अहिंसादि व्रतों का साधु सूक्ष्मरूप से पालन करता है गृहस्य उन्हीं व्रतों को अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करता हुआ स्थूलरूप से पालन करता है। अतः गृहस्थ के अहिसादि व्रत 'अणुव्रत' कहलाते हैं और साधु के 'महाव्रत' । यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ग्रन्थ में गृहस्थ को जो मुक्ति का अधिकारी वतलाया गया है उसका कारण है बाह्यलिङ्ग की अपेक्षा आभ्यन्तर-शुद्धि का महत्त्व । अन्यथा गृहस्थ गृहस्थावस्था से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि वह पूर्ण वीतरागी नहीं होता है। जबतक कोई गृहस्थ या साधु पूर्ण वीतरागी नहीं होगा तबतक वह मुक्ति का भी अधिकारी नहीं हो सकता है। यह सत्य है कि वीत-रागता व सदाचार की पूर्णता वाह्यलिङ्ग से नहीं होती है अपित् वह आत्मा की शुद्धि पर निर्भर है। चूंकि गृहस्थ कौटुम्बिक

प्रपञ्चों में उनझा रहता है जिससे उसे आत्मशुद्धि का अवसर कम मिलता है, जबिक साधु सांसारिक सभी प्रपञ्चों से दूर रहता है जिससे उसे आत्मिविशुद्धि के लिये अधिक अवसर मिलता है। अतः जब गृहस्थ गाहंस्थ्य-जीवन में रहते हुए भी उससे उसी प्रकार अलग सा रहता है जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल जल से भिन्न रहता है तब वह गृहस्थ वास्तव में गृहस्थ नहीं है अपितु वीतरागी ही है। गृहस्थी में रहने के कारण उसका जो गाहंस्थ्य-जीवन के साथ सूक्ष्म रागात्मक सम्बन्ध बना रहता है वह भी जब अन्तिम समय (मृत्युसमय) छूट जाता है तब वह पूणं वीतरागी होकर मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसका विशेष विचार मुक्ति के प्रकरण में किया जाएगा।

इस तरह इस प्रकरण में संसार के दुःखों से निवृत्ति पाने के लिए तथा अविनश्वर सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए सम्यग्वर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय का संक्षेप में वर्णन किया गया है। प्रसंगवश सम्यग्ज्ञान के प्रकरण में ज्ञान की प्राप्ति में निमित्तभूत गुरु-शिष्य के सम्बन्धों तथा उनके कर्ताब्यों आदि का भी वर्णन किया गया है।

#### प्रकरण ४

## सामान्य साध्वाचार

जिन अहिंसादि पाँच नैतिक व्रतों को गृहस्थ अंशतः (स्थूलरूप से) पालन करता है उनको ही साधु सर्वात्मना (सुक्ष्मरूप से) पालन करता है। साधु के बाह्यवेष आदि में परिस्थितियों के अनुसार नियमों व उपनियमों के रूप में परिवर्तन होते रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत हमें केशिगौतम-संवाद में मिलता है। वहाँ बतलाया गया है कि भगवान् महावीर ने किस प्रकार भगवान् पार्श्वनाथ के धर्म में देश-कालानुरूप परिवर्तन किए। इस प्रकार के परिवर्तनों के होने पर भी साधु के मूल आचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि जो भी परिवर्तन किए गए वे देश-काल की परिस्थित को ध्यान में रखकर सिर्फ बाह्य-उपाधिभृत नियमों व उपनियमों में किए गए ताकि साधु अन्तरङ्ग आत्म-विशृद्धि में दढ़ बना रहे। इसीलिए ग्रन्थ में सर्वत्र बाह्य-उपाधि की अपेक्षा अन्तरङ्घ आत्म-विश्वद्धिको श्रेष्ठ बतलाया गया है। साधू के आचार को सुब्यवस्थित रूप देने के लिए इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है : १. सामान्य साध्वाचार और २. विशेष साध्वाचार ।

#### सामान्य साध्वाचार:

साधु के द्वारा प्रतिदिन जिस प्रकार के सदाचार का सामान्य-रूप से पालन किया जाता है उसे सामान्य साध्वाचार कहा गया है। इसमें मुख्यरूप से निम्नोक्त विषयों पर विचार किया जाएगा:

- १. दीक्षा की उत्थानिका—दीक्षा के पूर्व की स्थिति।
- २. बाह्य-उपकरण (उपिध)-वस्त्र, पात्र आदि बाह्य-साधन ।
- ३. महाव्रत-अहिंसादि पाँच नैतिक नियम।
- ४. प्रवचनमाताएँ (गुप्ति व समिति)—महाव्रतों की रक्षार्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति में सावधानी।

#### २४८ ] उत्तराघ्ययन-सूत्र : एक परिशोलन

- ५. आवश्यक-छः नित्य-कर्म ।
- ६. सामाचारी-सम्यक् दिनचर्या और रात्रिचर्या।
- ७. वसित या उपाश्रय-ठहरने का स्थान।
- ८. आहार-खान-पान।

#### विशेष साध्वाचार :

जिस आचार का साधु विशेष अवसरों पर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए विशेषरूप से पालन करता है उसे विशेष साध्वाचार कहा गया है। इसमें मुख्यरूप से निम्नोक्त विषयों पर विचार किया जाएगा:

- १. तपश्चर्या--तप।
- २. परीषहजय-क्षधादि वाईस प्रकार के कष्टों को सहना।
- ३. साधु की प्रतिमाएँ--तप-विशेष।
- ४. समाधिमरण—मृत्यु-समय विधिपूर्वक अनशनव्रत के साथ ः शरीर-त्याग ।

विषय की अधिकता होने के कारण इस प्रकरण में साधु के केवल सामान्य आचार का ही वर्णन किया जाएगा और विशेष आचार का वर्णन अगले प्रकरण में किया जाएगा।

## दीक्षा की खब्धानिका

इसमें दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व की स्थितियों का प्रस्तुतीकरण किया गया है। जैसे : दीक्षा लेने का अधिकारी, दीक्षा के पूर्व माता-पितादि की अनुमति आदि।

### दीक्षा लेने का अधिकारी:

संसार के विषयों से निरासक्त एवं मुक्ति का अभिलाषी प्रत्येक व्यक्ति इस दीक्षा को ग्रहण कर सकता है। इसमें जाति, कुल, आयु, लिङ्ग आदि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। संसार के विषय-भोगों में आसक्त व्यक्ति श्लेष्ठ जाति व कुल में उत्पन्न होकर भी इसके अयोग्य है। इसीलिए चाण्डाल जैसी नीच जाति में उत्पन्न हरिकेशिवल संसार के विषय-भोगों से निरासक्त होने के कारण

सांघु होकर देवादि के द्वारा भी पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार मृगापुत्र, अनाथी और भगु-पुरोहित के दोनों पुत्र युवावस्था में तथा भृगु-पुरोहित, उसकी पत्नी, इषुकार राजा और उसकी पत्नी आदि युवावस्था के बाद दीक्षा लेते हैं। अरिष्टनेमी और राजीमती विवाह की मङ्गलबेला में ही संसार से विरक्त होकर दीक्षित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में एक समय में मुक्त होनेवाले जीवों की संख्या-गणना के प्रसङ्घ में विभिन्न-स्थानों, विभिन्न-धर्माव-लम्बियों एवं विभिन्न-लिङ्गवालों की पृथक्-पृथक् संख्या गिनाई है। र इससे स्पष्ट है कि दीक्षा में स्थान, जाति, लिङ्ग आदि कोई प्रति-बन्धक कारण नहीं है क्योंकि जो मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है वह दीक्षा लेने का अधिकारी क्यों नहीं हो सकता है ? अतः ग्रन्थ में जन्मना जातिवाद का खण्डन करके कर्मणा जातिवाद की स्थापना करते हुए लिखा है- 'कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कमं से वैश्य और कमं से शुद्र होता है।' अयदि ब्राह्मण नीच-कार्य करता है तो वह सच्चा-ब्राह्मण नहीं है और साधु सच्चा-साधु नहीं है क्योंकि बाह्यभृद्धि की अपेक्षा अन्तरङ्ग की शृद्धि एवं सतकार्यों से ही व्यक्ति उच्च होता है। अतः सिद्ध है कि सदाचार पालन करने की सामध्यंवाला प्रत्येक व्यक्ति जो संसार के विषयों से विरक्त होकर मुक्ति की अभिलाषा रखता है, दीक्षा लेने का अधि-कारी है। यह कोई एकान्त नियम नहीं है कि युवावस्था में भोगों को भोगना चाहिए और फिर वृद्धावस्था में दीक्षा लेना चाहिए।" यद्यपि यह सत्य है कि युवावस्था में युवकों की चित्तवृत्ति सांसारिक विषय-भोगों की ओर अधिक आकर्षित रहती है जिससे उस अवस्था में दीक्षा लेना कठिन होता है परन्तु यह भी सत्य है कि वृद्धावस्था

१. देखिए-परिभिष्ट २.

२. देखिए-प्रकरण ६.

कम्मुणा बम्भणो होइ कम्मुणा होइ खित्रओ ।
 वईसो कम्मुणा होई सुद्दो हवइ कम्मुणा ।।

**⁻³⁰** ₹¥, ₹₹.

४. देखिए-पू० २३८, पा० टि० ३; पू• २३६, पा० टि० १-३.

^{¥. 30 88.8, 7€; 88.88; 22.3€.} 

में शरीर के शिथिल हो जाने पर धर्म का पालन कर सकना और भी अधिक कठिन है, जबिक युवावस्था में शक्य है। युवावस्था से ही यदि धर्म के पालन करने का प्रयत्न किया जाए तो वृद्धावस्था में भी उसके धारण करने की सामर्थ्य बनी रहती है। अतः ग्रन्थ में कहा है कि कल की प्रतीक्षा वहीं व्यक्ति करे जिसकी मृत्यु से मित्रता है या जो मृत्यु से बच सकता है।

### दीक्षार्थं माता-पिता की अनुमति :

दीक्षा लेने के पूर्व माता-पिता व सम्बन्धीजनों से अनुमित लेना चाहिए। यदि वह घर का ज्येष्ठ व्यक्ति हो तो पुत्रादि को सम्पत्ति वगैरह सौंपकर दीक्षा ले लेना चाहिए। यदि माता-पिता पुत्र को दीक्षा के लिए अनुमित न देकर भोगों के प्रति प्रलोभित करें तो दीक्षा लेनेवाले का सर्वप्रथम कर्ताव्य है कि वह माता-पिता को समझाने का प्रयत्न करे। पश्चात् आत्म-कल्याणार्थ दीक्षा ले लेवे। अरिष्टनेमी और राजीमती ने दीक्षा के पूर्व माता-पिता से अनुमित ली थी या नहीं इसका यद्यपि ग्रन्थ में उल्लेख नहीं है परन्तु दीक्षा ले लेने पर वासुदेव आदि उनके कुटुम्बीजन उन्हें अभिलिषत मनोरथप्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य देते हैं। इससे उनकी अनुमित की पुष्टि हो जाती है। दीक्षा के पूर्व माता-पिता से आज्ञा लेना उनके प्रति विनय एवं कर्ताव्यपरायणता का सूचक है।

### परिवार एवं सांसारिक विषय-भोगों का त्याग :

माता-पिता की आज्ञा लेने के बाद साधक को माता-पिता, भाई, पत्नी, पुत्र आदि सभी कुटुम्बीजनों तथा संसार के सभी

१. जस्सित्थि मञ्जुणा सन्खं जस्स वऽित्य पलायगं। जो जाणे न मरिस्सामि सो हु कंखे मुए सिया।। —उ० १४.२७.

२. उ० १४.६-७; १६.१०-११, २४, ८६, ८७; २०.१०, ३४.

पुत्तं ठवेत्तु रज्जे अभिणिक्खमई देगी राया ।

**[—]उ० ६.२.** 

४. उ॰ अध्ययन १४, १६.

४. उ० २२.२४-२६, ३१.

पदार्थों को महामोह एवं महाभय को पैदा करनेवाले जानकर उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार हाथी बन्धन को तोड़कर वन में चला जाता है, मनुष्य वमन की हुई वस्तु को छोड़ देते हैं, र सपं केचुली को त्याग देता है, 3 रोहित मत्स्य जाल का भेदन करके चला जाता है, ४ धूलि कपड़े से निकालकर फेंक दी जाती है. 4 क्रीञ्च पक्षी आकाश में अव्याहत गति से चला जाता है, इस विस्तृत जाल का भेदन करके चला जाता है। "इसके अतिरिक्त

१. नागो व्य बंधणं खित्ता अप्पणो वसहि वए।

—उ०१४,४s.

जहित्त संगंच महाकिलेसं०।

<del>--</del> ड० २**१.१**१.

तथा देखिए-- उ० १.१; ६.१५, ६१; १५.६-१०,१६; १८.३१; १६. ६०; ३५.२-३ आदि।

२. चिच्चा ण घणं च भारियं पन्वइक्षो हि सि अणगारियं। मावंतं पुणो वि आविए ''''''

--- 30 80.78.

तथा देखिए-उ० १२.२१-२२.

३. जहा य मोई तण्यं भुयंगी निम्मीयणि हिच्च पलेइ भुती। एमेए जाया पयहंति भोए ......

-- 30 8X.3X.

तथा देखिए--- उ० १६.८७.

४. खिदित् जालं अवलं व रोहिया मच्छा जहा कामगुणे पहाया।

—उ० १४**.३५.** ः

५. इड्डी बित्तं च मित्ते च पुत्तदारं च नायओ । रेणुअं व पडे लग्गं निद्धणित्ता ण निग्गओ ॥

**-30 १६.**५५.

६. नहेव कुंचा समइक्कमंता तयाणि जालाणि दलित्तु हंसा । पर्लेति पुत्ता य पई य मज्झं ते हुं कहं नाणुगमिस्समेका। **— उ० १४.३६.** 

७. वही ।

#### २५२ ] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशीलन

यदि देव आदि की प्रेरणा से किसी अलभ्य वस्तु की भी प्राप्ति हो तो उसे प्राप्त करने की मन में कल्पना भी न करे। यदि वह राजा है तो उसे यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाद इस गृह, देश, नगर आदि की रक्षा कैसे होगी ? क्योंकि विगतमोहवाले की कछ भी कार्य करना शेष नहीं रह जाता है। दीक्षा लेते समय यदि उसके आश्रित प्राणी निराश्रित होकर रोने-चिल्लाने भी लगें तो यह सोचकर कि यह तो मैंने इन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, दीक्षा का विचार नहीं छोड़ना चाहिए, अपित यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार फलवाले वृक्ष के गिर जाने पर उसके आश्रित जीवों के निराश्रित हो जाने से वृक्ष को दोषी नहीं ठहराया जाता है उसी प्रकार किसी व्यक्ति के दीक्षा ले लेने पर उसके आश्रित जीवों के निराश्रित होकर चिल्लाने से दीक्षा लेने-वाले पर कोई दोष नहीं आता है। आश्रित व्यक्तियों के रोने-चिल्लाने का कारण है उनका अपना स्वार्थ। अतः ग्रन्थ के निमन् प्रवृज्या अध्ययन में राजा निम के हृदय में दीक्षा के समय उत्पन्न होनेवाले इसी प्रकार के अन्तर्दृन्द्व को इन्द्रनमिसंवाद के द्वारा समाधान के रूप में उपस्थित किया गया है।

## दीक्षा पलायनवाद नहीं :

साधु-धर्म में दीक्षा लेना गृहस्थाश्रम की कठिनाइयों से घवड़ा-कर पलायन नहीं है। इसीलिए राजा निम की दीक्षा के समय जब इन्द्र उनसे यह कहता है कि गृहस्थाश्रम को त्यागकर अन्य आश्रम (सन्यासाश्रम) की प्रार्थना करने की अपेक्षा उत्तम है कि आप गृहस्थोचित कर्त्वयों को करें तो राजा निम का यह उत्तर कि जो अज्ञानी मास में केवल एक वार कुशाग्रश्रमाण आहार करता है वह भी इस सर्वविरतिरूप सुविख्यात धर्म (सन्यासाश्रम) की सोलहवे

तथा देखिए-- ३० १२.२२.

१. देवाभिओगेण निओइएणं दिल्लासु रक्षा मणसा न झाया ।
 निरददेविदिभवंदिएणं जेणामि वेता इतिणा स एसो ।।
 — उ० १२.२१०

कला को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि दीक्षा लेना गृहस्थाश्रम से पलायन नहीं है। यदि संन्यास लेने पर भी राग-द्वेष की भावना बनी रहती है तो उसे पलायन कहा जा सकता है। अत: जैन-साधु के लिए सब प्रकार के ममत्व के साथ अपने शरीर से भी ममत्व न करने को कहा गया है।

### दीक्षागुरु:

दीक्षा लेते समय सामान्यतया दीक्षा देने वाले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। साधक जिसके सान्निष्य में दीक्षित होता है वह उसका 'दीक्षागुर' कहलाता है। 3 यदि ऐसा कोई दीक्षागुरु न मिले तो. समर्थ होने पर वह स्वयं दीक्षा ले सकता है और दीक्षित होकर अन्य लोगों का भी दीक्षागुरु बनकर उन्हें साधुधमं में दीक्षित कर सकता है। जैसे राजीमती पहले स्वयं दीक्षा लेती है और बाद में अन्य जीवों की दीक्षागुरु बनती है। यहां इतना विशेष है कि जो उम्र में बड़ा होता है वह गुरु नहीं होता है अपितु जो पहले दीक्षा लेता है वही गुरु होता है। जिसकी दीक्षा जितने अधिक समय की होती है वह उतना ही अधिक पूज्य भी होता है।

२. जे कम्हिव न मुल्छिए स भिन्खू _

—उ**० १५.**२.

बोसट्टकाया सुइचत्तदेहा । —उ० १२.४२.

३. संजओ चइउं रज्जं निक्खंती जिणसासणे ।
 गहभालिस्स भगवओ अणगारस्स अंतिए ।।
 —उ० १८.१६.

४, सा पब्दइया संती पव्यावेसी तर्हि बहुं। —उ० १२.३२.

### २५४ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशोलन

अतः दीक्षा ले लेने पर वह अपने माता-पिता आदि सभी कुटुम्बीजनों के द्वारा भी पूज्य हो जाता है।

# वस्त्राभूषण का त्याग एवं केशलौंचः

दीक्षित होने वाले साधक को सर्वप्रथम अपने सभी वस्त्राभूषणों का त्याग करना पड़ता है। तदनन्तर अपने सिर एवं दाढ़ी के बालों को दोनों मुद्ठियों से स्वयं या दूसरे की सहायता से उखाड़ना पड़ता है जिसे केशलौंच कहा जाता है। उ

इस तरह साधक को दीक्षा लेने के पूर्व सर्वप्रथम अपने कुटुम्बी-जनों की आज्ञा लेनी पड़ती है। इसके बाद वह कुटुम्ब एवं परि-वार के स्नेहीजनों का मोह छोड़कर तथा संसार के विषय-भोगों का परित्याग करके दीक्षागुरु के समीप जाता है। वहाँ पहुँच-कर वह अपने सभी वस्त्र एवं आभूषण आदि को त्यागकर दोनों हाथों से अपने बालों को भी उखाड़कर अलग कर देता है। इसके बाद वह साधु के नियमों आदि को ग्रहण करता है। यह दीक्षा संसार के कष्टमय जीवन से पलायन नहीं है तथा इसे कोई भी ग्रहण कर सकता है।

# बाह्य खपकरण ग्रा खपीध

ग्रन्थ में साधु के बाह्यवेष व उपकरण आदि के विषय में जो संकेत मिलते हैं उनसे पता चलता है कि साधु गृहस्य के द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्रों को पहिनते थे तथा पात्र आदि कुछ अन्य

१. एवं ते रामकेसवा दसारा य बहूजणा। अरिट्ठनेमि वंदित्ता अइगया वारगार्डीर ।।

^{-- 3° 27. 29.} 

२. आभरणाणि य सन्वाणि सारहिस्स पणामई ।
---ज० २२. २०.

सयमेव लुंचई केसे पंचमुट्ठीहि समाहिको । —उ० २२. २४.

तया देखिए-उ० २२. ३०-३१.

उपकरण भी अपने पास में रखते थे। कुछ साधु वस्त्र से रहित भी होते थे। के शिगौतम-संवाद में भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के शिष्यों और भगवान् महावीर की परम्परा के शिष्यों में 'सान्तरोत्तर'' (वस्त्रसहित) और 'अचेल' (वस्त्ररहित) के

- १. साग्तरोत्तर—केशि ने भगवान् पार्श्वनाथ के धर्म को जो संतरुत्तर (सान्तरोत्तर) बतलाया है वह विचारणीय है क्योंकि इस शब्द के अर्थ में विद्वानों में विचार-भेद पाया जाता है। जैसे:
- क. सान्तराणि—वर्धमानस्वामियत्यपेक्षया मानवर्णविशेषतः सविशेषाणि,
   उत्तराणि—महामूल्यतया प्रधानानि प्रक्रमात् वस्त्राणि यस्मिन्नसौ सान्तरोत्तरो धर्मः पार्श्वेन देशितः ।
  - -- उ० (२३. १३) ने० टी०, पृ० २६४.
- ख. अपगते शीते वस्त्राणि त्याज्यानि अथवा ""शीतपरीक्षार्थं च सान्तर रोत्तरो भवेत्। सान्तरमुत्तरं--प्रावरणीयं यस्य स तथा ववचित् प्रावृणोति क्वचित् पार्श्वर्वित विभित्त शीताशङ्क्ष्या नाद्यापि परित्य-जति, अथवाऽवमचेल एक-कल्प-परित्यागात् द्विकल्पधारीत्यर्थः, अथवा शनैः शनैः शीतेऽपगच्छति सति द्वितीयकल्पमपि परित्यजेत् तत एक-शाटकः संवृत्तः, अथवाऽऽत्यन्तिके शीताभावे तदपि परित्यजेदतोऽचेलो भवति असौ मुखवस्त्रिकारजोहरणमात्रोपधिः।
  - -आचाराङ्गसूत्र २०६ (शीलांकवृत्ति, पृ० २५१).
- ग. The Law taught by Vardhamāna forbids clothes, but that of the great sage Pārsva allows an under and upper garment.
  - से o बुo ईo, भाग-४४, पृ० १२३.

भगवान् महावीर के धर्म की 'अचेल' (वस्त्ररहित) कहने से प्रतीत होता है कि 'साग्तरोत्तर' का अर्थ 'सचेल' (वस्त्र-सहित) होना चाहिए परन्तु उपर्युक्त उद्धरणों से तथा 'सचेल' के अर्थ में 'अचेल' की तरह 'सचेल' शब्द का प्रयोग न करके 'साग्तरोत्तर' शब्द का प्रयोग करने से प्रतीत होता है कि 'साग्तरोत्तर' का अर्थ उत्तरीय-वस्त्र और अधी-वस्त्र इन दो वस्त्रों के धारण करने से है। आचाराङ्गसूत्र-वृत्ति (अथवाऽवमचेल एक-कल्प-परित्यागात् द्विकल्पघारीत्यर्थः) से भी इसी

#### उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशीलन

२५६ ]

भेद को लेकर एक संवाद होता है। इसमें पार्श्वनाथ की परम्परा के प्रधान शिष्य केशि-श्रमण महावीर के प्रधान शिष्य गौतम से पूछते हैं कि एक ही धर्म के मानने वालों में यह वस्त्रसम्बन्धी भेद कैसा? इसके उत्तर में गौतम कहते हैं कि विज्ञान से जानकर धर्म के साधनभूत उपकरणों की आज्ञा दी जाती है। बाह्यलिङ्ग तो लोक में मात्र प्रतीति कराते हैं कि अमुक साधु है परन्तु मोक्ष के प्रति सद्भूत-साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही हैं। इसका आश्रय यह है कि यह वस्त्रसम्वन्धी भेद भगवान् महावीर

मत की पुष्टि होती है। अयवा आचाराङ्गसूत्रवृत्ति के अनुसार ही 'सान्तरोत्तर' शब्द का यह अयं भी उचित है कि सान्तरोत्तर वह साधु है जो वस्त्र रखता तो अवश्य है परन्तु उसका उपयोग कभी-कभी समय पड़ने पर ही करता है। उत्तराध्ययन-नेमिचन्द्रवृत्ति के अनुसार सान्तरोत्तर शब्द का अर्थ जो (महावीर के वस्त्रों की अपेक्षा से) बहुमूल्य व श्रेष्ठ-वस्त्र किया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है वयों कि अचेल के साथ उसकी कोई संगति नहीं बैठती है। यद्यपि 'अचेल' शब्द का अर्थ टीकाओं में 'निम्नकोटि के वस्त्र' भी किया गया है परन्तु यहाँ पर 'अचेल' शब्द का सीधा-सा अर्थ है—वस्त्ररहित । यदि ऐसा अर्थ न होता तो यहाँ पर 'सान्तरोत्तर' की तरह ही 'अचेल' शब्द का प्रयोग न करके 'अवमचेल' (देखिए—पु० २५६, पा० टि० २) शब्द का प्रयोग किया जाता जैसा कि हरिकेशिबल मुनि के लिए किया गया है।

२. विन्नाणेण समागम्म धम्मसाहणमिच्छियं। —उ०२३.३१.

पच्चयत्थं च लोगस्स नाणाविहिवगप्पणं । जत्तत्यं गहणत्थं च लोगे लिगपञ्जोयणं ।। ----उ० २३.३२.

तथा देखिए-उ० २३.२५.

ने लोगों की बदलती हुई सामान्यप्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया है। लोगों की बदलती हुई प्रवृत्ति को बतलाते हुए लिखा है कि प्रथम तीर्थ द्भूर भगवान आदिनाथ के समय में मनुष्य सरल-प्रकृति के साथ मूर्लं थे (ऋजुजड़), चौबीसवें (अन्तिम) तीर्थङ्कर भगवान् महावीरके समय में मनुष्य कुटिलप्रकृति के साथ मूर्ल थे (वक्रजड़) तथा दोनों तीर्थेङ्करों के मध्यकाल (दूसरे से लेकर तेईसवें तीर्थं द्धुर के काल ) में मनुष्य सरल-प्रकृति के साथ व्युत्पन्न (ऋजुप्राज्ञ) थे। इसका यह तात्पर्य है कि मध्यकाल के व्यक्ति सरल व व्युत्पन्न होने के कारण धर्मको आसानी से ठीक-ठीक समझ लेते थे तथा उसमें कुतर्क आदि न करके यथावत उसका पालन करते थे। अतः मध्यकाल में वस्त्रादि के नियमों में शिथिलता दे दी गई थी परन्तु आदिनाथ तथा महावीर के काल में व्यक्तियों के मूर्ख (अल्पज्ञ ) होने के कारण यह सोचकर कि कहीं वस्त्रादिक में रागबुद्धि न करने लगें वस्त्रादि के विषय में प्रतिबन्ध लगा दिए गए। महावीर के काल में ऐसा करना और भी अधिक आवश्यक हो गया क्योंकि इस काल के व्यक्ति वक्र होने के कारण कृतर्क द्वारा धर्म में भेद करने लगे थे। अतः महावीर के काल में स्थविरकल्प (अपवादमार्ग) की अपेक्षा से साधारणकोटि के वस्त्र धारण करने की तथा जिनकल्प (उत्सर्गमार्ग) की अपेक्षा से नग्न रहने की अनुमति दी गई। इससे प्रतीत होता है कि साधु या तो साधारण-कोटि के वस्त्रधारी होते थे या नग्न। साधु के लिए सहनीय प्रमुख २२ कब्टों (परीषहों) में अचेल होना भी एक कब्ट है जिसका वर्णन करते हुए लिखा है कि साधु वस्त्र फट जाने पर या नग्न हो जाने पर भी नृतन वस्त्र की अभिलाषा न करे। 3

१. पुरिमा उज्जुजड्डा वक्कजडा य पच्छिमा।
मिन्झमा उज्जुजड्डा वक्कजडा य पच्छिमा।
पुरिमाणं दुव्विसोज्झो उ चरिमाणं दुरणुपालको।
कप्पो मिन्झिमगाणं तु सुविसोज्झो सुपालको।।
—उ० २३. २६-२७.

२. देखिए-पृ० २५५, पा० टि० १.

३. देखिए-पृ० ३२, पा० टि॰ २.

#### २४ = ] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशीलन

यद्यपि साधु सब प्रकार के परिग्रह से रहित होता है तथापि जीविका-निर्वाह, धर्मपालन तथा लोक में प्रतीति कराने के लिए वह जिन आवश्यक बाह्य उपकरणों को ग्रहण करता है उन्हें उपिध या उपकरण कहते हैं। इन्हें मुख्यत: दो भागों में विभक्त किया गया है: १ सामान्य-उपकरण (ओघोपिध) और २.विशेष-उपकरण (औपग्रहिकोपिध)।

#### सामान्य उपकरण:

जो वस्त्रादि साधु के उपयोग में हमेशा आते रहते हैं वे सामान्य-उपकरण (ओघोपिध) कहलाते हैं। श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में स्थिविरकल्पी साधु के लिए वतमान में ऐसे १४ उपकरणों के रखने की छट है। र परन्तु ग्रन्थ में इस प्रकार के जिन उपकरणों का उल्लेख मिलता है, वे इस प्रकार हैं: 3

१. मुखबिस्त्रिका—श्वेत कपड़े की पट्टी जिसे जैन श्वेताम्बर (स्थानकवासी और तेरापन्थी) साधु हमेशा मुख पर बांधे रहते हैं। दिगम्बर-परम्परा के साधु इस उपकरण को नहीं घारण करते हैं।

—उ० २४.**१**३.

२. वे चौदह उपकरण इस प्रकार हैं: १. पात्र, २. पात्रवत्य, ३. पात्र-स्थापन, ४. पात्रप्रमार्जनिका, ५. पटल, ६ रजस्त्राण, ७. गुच्छक, ६-६. दो चादरें, १०. ऊनीवस्त्र (कम्बल), ११. रजोहरण, १२. मुखबस्त्रिका, १३. मात्रक (पात्र-विशेष) और १४ चोलपटुक, (लंगोटी)।

-- जै॰ सा० इ॰ पू॰, पृ० ४२४.

३. पुब्विल्लम्मि चउवभाए पडिलेहिसाण भण्डयं।

मुहपोत्ति पिंडलेहिला पिंडलेहिज्ज गोच्छगं । गोच्छगलइयंगुलिओ वत्याइं पिंडलेहए ॥

— उ॰ २६.२१**-२३.** 

१. ओहोबहोबग्गहियं भण्डगं दुविहं मुणी ।

- २. रजोहरण (गोच्छक)—जीवों की रक्षा करने तथा धूलि आदि साफ करने की मार्जनीविशेष। यह भी साधु के पास हमेशा रहती है क्योंकि प्रत्येक कायिक-क्रिया के प्रारम्भ में इसकी आवश्यकता पड़ती है। दिगम्बर-परम्परा के साधुओं का भी यह आवश्यक उपकरण है।
- 3. पात्र (भाण्डक) लकड़ी, तूंबी या मिट्टी आदि के बर्तन। इनका उपयोग आहार, जल आदि के लाने एवं रखने में होता है। आचाराङ्गसूत्र में आवश्यकतानुसार दो-चार पात्र रखने का उल्लेख मिलता है। यह भी एक आवश्यक उपकरण है। दिगम्बर-परम्परा के साध सिर्फ एक पात्र रखते हैं जिसे 'कमण्डलु' कहते हैं।
- ४. बस्त्र-पहिनने के कपड़े। ये वस्त्र साधारणकोटि के होते थे जिससे उनके प्रति ममत्व नहीं होता था। यद्यपि महावीर ने अचेल धमं (नग्न रहने) का उपदेश दिया था परन्तु हरिकेशिबल को 'अवमचेलए' (साधारणकोटि के वस्त्रवाला) कहा है। इसके अतिरिक्त वस्त्रों को प्रतिदिन खोलकर उन्हें ठीक से देखने एवं रजोहरण से उनका प्रमार्जन (सफाई) करने का विधान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि साधु को वस्त्र रखने की छूट अवश्य थी परन्तु उनकी सीमा निश्चित थी।
- प्र. पादकम्बल इसका अन्य में दो जगह उल्लेख मिलता है। अल्हारामजी ने दोनों स्थानों पर भिन्न-भिन्न दो अर्थ किए

२. क्षोमचेलए पसुपिसायभूए संकरदूसं परिहरिय कण्ठे।

—उ० १२.६.

३. देखिए--पृ० २५८, पा० टि० ३.

४. संवारं फलगं पीढं निसिज्जं पायकंबलं ।

अप्पमिज्जयमारहई पावसमणि ति वुच्चई ।।

----उ० १७.७**,** 

पिंडलेहेइ पमत्ते अवउज्झइ पायकंबलं । पिंडलेहाअणाउत्ते पावसमिणि त्ति वुच्चई ।।

—₹0 \$0.**€.** 

१. आचाराङ्गसूत्र २.१.६.

#### २६०] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिश्रीलन

हैं: १. पादप्रोंछन ( पैर साफ करने का वस्त्रखण्ड) और २. पात्र व कम्बल । इन दोनों अर्थों में प्रथम अर्थ (पादप्रोंछन) अधिक उपयुक्त मालूम पड़ता है क्यों कि ग्रन्थ में कहा है कि जो साधु पादकम्बल को ठीक से साफ किए बिना उस पर बैठ जाता है वह पापश्रमण है। र

#### विशेष उपकरणः

जो उपकरण उपयोग करने के बाद गृहस्य को वापिस लौटा दिए जाते हैं या जो अवसरविशेष होने पर कुछ समय के लिए ग्रहण किए जाते हैं वे विशेष उपकरण (औपग्रहिकोपिध) कहलाते हैं। जैसे:

- १ पीठ-बैठने के लिए लकड़ी की चौकी।
- २. फलक सोने के लिए लकड़ी का पाटा।
- ३. **शय्या**---ठहरने का स्थान ( उपाश्रय )।
- ४. संस्तारक घास, तृण आदिका बनाया गया आसन (विस्तर)। इस तरह साधु के इन सभी उपकरणों में मुखबस्त्रिका, रजोहरण आदि आवश्यक उपकरण हैं और पीठ, फलक आदि विशेष। आगम-ग्रन्थों में स्त्रियों के लिए कुछ अधिक उपकरण रखने की अनुमित है। धे उपकरण संयम में सहायक होने के कारण ही आवश्यक हैं। इनसे साधु की पहचान भी होती है।

### याँच महाब्रन

साधु दीक्षा लेने के बाद सर्वप्रथम पाँच नैतिक महावतों को धारण करता है। ये महावत साधु के सम्पूर्ण आचार के आधार-स्तम्भ हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं:

- २. देखिए--पृ० २५६, पा॰ टि० ४.
- ३. वही ; उ० २५.३.
- ४. जैं० सा० बृ० इ०, भाग-२, पृ• २०६.
- ५. देखिए---पृ० २५६, पा० टि० २.
- ६. अहिस सच्चंच अतेणगंच तत्तो य बंभ अपरिग्गहंच।
  पडिविजिया पंचमहव्वयाणि चरिज्ज धम्म जिणदेसियं विक ॥
  —उ० २१ १२

तथा देखिए- उ॰ १.४७; १२.४१; १६.११,८६; २०.३६; ३१.७.

१. डा॰ मोहनलाल मेहता ने पादप्रोछन का अर्थ रजोहरण किया है।
—देखिए, जैन आचार, पृ० १६५

- १. अहिंसा-महाव्रत-सब प्रकार के प्राणातिपात से विरमण।
- २. सत्य-महाव्रत-सब प्रकार के मुषावाद से विरमण।
- ३. अचौर्य-महावत सब प्रकार के अदत्तादान से विरमण।
- ४. ब्रह्मचर्य-महाव्रत –सब प्रकार के यौन सम्बन्धों से विरमण।
- ५. अपरिग्रह-महावत-सब प्रकार के धनादि-संग्रह से विरमण।

इन पाँच नैतिक व्रतों का अतिसूक्ष्मरूप से पालन करना ही महाव्रत कहलाता है। इनके स्वरूपादि इस प्रकार हैं:

### अहिंसा महाव्रतः

मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-अनुमोदना से किसी भी परिस्थिति में त्रस एवं स्थावर जीवों को दुःखित न करना अहिंसा-महांत्रत हैं। मन में किसी दूसरे को पीड़ित करने की सोचना तथा किसी दूसरे के द्वारा किसी अन्य को पीड़ित करने पर उसका समर्थन करना भी हिंसा है। अतः ग्रन्थ में कहा है कि जो हिंसा की अनुमोदना करते हैं वे भी उसके फल को भोगे बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान् अरिष्टनेमी जब अपने विवाह के अवसर पर देखते हैं कि बहुत से पशुओं को मेरे निमित्त से (विवाह की खुशी में खाने के लिए) मारा जाएगा तो वे कहते हैं कि मेरे लिए यह परलोक में कल्याणप्रद नहीं है। जो हिंसा में सुख मानते हैं उनके विषय में ग्रन्थ में बहुत ही सुन्दर कहा है कि सुख-दुःख अपनी आत्मा में ही रहते हैं तथा सब जीवों को अपने प्राण अति प्रिय लगते हैं। अतः हिंसावृत्ति को छोड़कर

—उ० ५,१०,

तथा देखिए—उ० १२.३६,४१; २४.२३ आदि । २. न हुपाणवहं अणुजाले मुच्चेज्ज कयाइ सब्ददुक्खाणे ।

—-उ० ६,६,

जइ मञ्झ कारणा एए हम्मंति सुबहुजिया ।
 न मे एयं तु निस्सेसं परलोगे भविस्सई ।।

**-**3• २२,१६.

१. जगितिस्सएहिं भूएहिं तसनामेहि थावरेहिं च । नो तेसिमारभे दंडं मणसा वयसा कायसा चेव ॥

उनकी रक्षा करनी चाहिए। अहिंसावती साधु के लिए इतना ही नहीं अपितु अपना भी अहित करने वाले के प्रति क्षमाभाव रखना, उसे अभयदान देना, सदा विश्वमैत्री व विश्वकल्याण की भावना रखना तथा बध करने के लिए तत्पर होने पर भी उसके प्रति जरा भी क्रोध न करना, यह भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गृह-निर्माण, अन्नपाचन, जिल्लाकला, क्रय-विक्रय, अग्नि जलाना आदि क्रियाएँ भी अहिंसावती साधु को न तो स्वयं करना चाहिए और न दूसरे से करवाना चाहिए क्योंकि इन क्रियाओं के करने से सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। इसोलिए साधु को भिक्षा आदि लेते समय इन सब दोषों का बचाना

 श्रः अज्झात्यं सञ्बक्षो सञ्बं दिस्स पाणे पियायए । न हणे पाणिणो पाणे भयवेराओ उवरए ।।

<del>--</del>उ० ६.७.

्तथा देखिए—उ० ६.२; १३.२६ आदि ।

२. पुब्ति च इण्हिं च अणागयं च मणप्पदोसो न मे अत्यि कोइ। —उर्० १२.३२.

कोताया वर्तनि ।

महप्यसाया इसिणो हवंति न हु मुणी कोवपरा हवंति ।

**-30 १२.३१.** 

हुओ न संजले भिनल् मण पि न पओसएं।

---उ० २.२६.

मेति भूएसु कप्पए।

—उ० ६.**२**.

हियनिस्सेसाए सब्वजीवाणं।

—उ० ५;३,

तथा देखिए--उ० २.२३-२७; १३.१४; १४.१६; १८११;

१६.६०, ६३; २०.५७; २१.१३ वादि ।

 न सयं गिहाई कुन्विज्जा णैव अन्नेहि कारए । गिहकम्मसमारंभे भ्याणं दिस्सए वहा ।।

---उ० ३५.**५**,

तथा देखिए--उ० ३५.६-१५; ६.१५; १५.१६; २१.१३ आदि।

आवश्यक बतलाया गया है। भल-मूत्र आदि का त्याग करते समय भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा न हो एतदर्थ बहुत नीचे तक अचित्तभूमि में मल-मूत्र विसर्जन का निर्देश किया गया है। इसके साथ ही वैदिक यागादि कियाओं के हिंसारूप होने से ग्रन्थ में अहिंसा-यज्ञ के करने का उपदेश दिया गया है। इस अहिंसा व्रत का ठीक से पालन करने के लिए आवश्यक है कि अहिंसावती प्रमाद (असावधानी) से रहित होकर आचरण करे क्यों कि प्रमादपूर्वक किया गया आचरण अहिंसा से युक्त होने पर भी हिंसारूप है तथा अप्रमादपूर्वक किया गया आचरण हिंसा से युक्त होने पर भी अहिंसारूप है। अतः प्रमादरहित होकर आचरण करने को उपदेश दिया गया है वथा अहिंसा व्रत के पालन करने को दुष्कर बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रन्थ में अहिंसा व्रत का पालन करनेवाले को ब्राह्मण कहा गया है तथा इसके पालन न करने का फल जन्मान्तर में नरक की

मरदु त जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । पयदस्स णत्थि बन्धो हिंसामित्तेण समिदस्स ॥

— जद्धृत, सर्वार्थसिद्धि १.१३. ्रतथा देखिए—उ० २.२२; ४.६-=;६.१३; १०.१-३६; २१.१४-१५;

२६.२२ आदि । ४. समया अव्यभूएसु सत्तमित्तेमु वा जगे ।

४. समया अञ्चर्रासु सत्तामत्तमु वा जर्ग। पाणाइवायाविरहे जावज्जीवाए दुक्करं॥

—उ**०** १६.२६.

प्रतस पाणे वियाणे ता संगहेण य थावरे ।
 जो न हिंसइ तिबिहेण तं वयं बूम माहणं ।।
 —उ० २५.२३.

१. देखिए-एषणा एवं उच्चारसमिति ।

२. देखिए — प्रकरण ७ तथा मेरा निबन्ध 'यज्ञ: एक अनुचिन्तन' श्रमण, सित०-अक्टू०, १९६६.

खिष्णं न संक्केड विवेगमेउं तम्हा समुद्वाय पहाय कामे ।
 सिनक्ख लोगं समया महेसी अप्पाणस्क्खी चरेष्यम्तो ।।
 —उ० ४.१०.

प्राप्ति बतलाया गया है। वैदिक-संस्कृति में भी अहिंसा को समस्त धार्मिक-कार्यों का श्रेष्ठ अनुष्णासन माना गया है। इस तरह अहिंसाब्रती साधु को ऐसी कोई भी क्रिया या मानसिक-संकल्प आदि न करना चाहिए जो दूसरों के लिए दुःख का हेतु यह बन सके। इसका कारण यह है कि सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन महाब्रतों के मूल में तथा अन्य आचारपरक साधु के जितने भी नियमोपनियम हैं उन सब के मूल में अहिंसा ही है।

### सत्य महावतः

क्रोध, लोभ, हास्य, भय एवं प्रमाद आदि इन झूठ बोलने के कारणों के मौजूद रहने पर भी मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-अनुमोदना से कभी भी झूठन बोलकर हमेशा सावधानीपूर्वक हितकारी, सार्थक और प्रिय वचनों को ही बोलना सत्य-महावत है। अतः निरर्थक और अहितकर बोला गया वचन सत्य होने पर भी त्याज्य है। इसी प्रकार सत्य महावती को असभ्य-वचन भी नहीं बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त 'अच्छा भोजन बना है', 'अच्छी तरह पकाया गया है' इस प्रकार की सावद्य वाणी (दोषयुक्त वचन) तथा 'आज मैं यह कार्य अवश्य कर लूँगा', 'अवश्य ही ऐसा होगा' इस प्रकार की निश्चयात्मक

-30 5.0,

कोहाव जद वा हासा लोहा वा जद वा भया।
 मुसंन वयर्द जो उतं वयं बूम माहणं।।

-- उ० २४,२४.

निच्चकालप्यमत्तेणं मुसावायविवञ्जणं । भासियव्वं हियं सच्चं निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥ —उ० १६,२७.

४. वयजोग सुच्चा न असब्भमाहु । —उ० ५१.१४.

१. पाणवहं मिया अयाणंता मंदा नरयं गच्छंति ।

२. अहिसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् । —मनुस्मृति २.१५६.

वाणी भी साधु को नहीं बोलना चाहिए' क्योंकि सावद्य वाणी बोलने से हिसा की और निश्चयात्मक वाणी बोलने से मिथ्या होने की आशंका रहती है। इस तरह सत्यमहाव्रती के लिए मन-वचन-काय से एवं कृत-कारित-अनुमोदना से किसी भी अवस्था में उपयोगहीन (निरर्थक), सावद्य, निश्चयात्मक, असभ्य (अशोभन) एवं अहितकर वचन नहीं बोलना चाहिए अपितु उपर्युक्त दोषों को बचाते हुए हमेशा सावधानीपूर्वक हितकारी, अल्प और प्रियवचन ही बोलना चाहिए।

तिवधसत्य और उसका फल-ग्रन्थ में वचन बोलने की क्रमिक तीन अवस्थाएँ बतलाई गई हैं: १. मन में बोलने का संकल्प (संरम्भ), २ बोलने का प्रयत्न (समारम्भ) और ३. बोलने में प्रवृत्ति (आरम्भ)। वचन बोलने की इन तीन क्रमिक अवस्थाओं में सत्य बोलने रूप से प्रवृत्ति करने पर इनके ही क्रमणः नाम भावसत्य, करणसत्य और योगसत्य हैं। अर्थात् मन में सत्य बोलने का संकल्प करना 'भावसत्य', सत्य बोलने का प्रयत्न करना 'करणसत्य' और सत्य बोलना 'योगसत्य' है। इस त्रिविध-सत्य से जिस फल की प्राप्ति होती है वह इस प्रकार है:

१. भावसत्य का फल-भावसत्य से साधक का अन्तः करण विशुद्ध होता है और वह धर्म का सेवन करके इस जन्म को तथा आगामी जन्म को भी सफल कर लेता है।³

मुसं परिहरे भिक्खू ण य ओहारिणीं वए।
 भासा दोसं परिहरे मायं य वज्जए सया।।
 —उ० १.२४.
 सुकडित्ति सुपिककित्त सुच्छिण्णे सुहडे मडे।
 सुणिद्विए सुलद्वित्ति सावज्जं वज्जए मुणी।।
 —उ० १.३६.

२. सरंभसमारंभे आरंभेय तहेवया वयंपवत्तमाणंतु नियतेज्ज जयं जई।। — उ०२४.२३.

अरहंतपन्नतस्य धम्मस्स आराहणयाए अब्सुट्ठेइ । अरहंतपन्नतस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्सुट्ठेइ । अरहंतपन्नतस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्सुट्ठेइ । अरहंतपन्नतस्स धम्मस्स आराहण्याए अब्सुट्ठिता परलोगधम्मस्स आराहण् भवइ ।
— उ० २६.४०.

## २६६ ] उराराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

- २० करणसत्य का फल—इससे जीव सत्यरूप किया के करने की शक्ति को प्राप्त करता है और वह जैसा कहता है वैसा ही करके प्रामाणिक पुरुष बन जाता है।
- इ. योगसत्य का फल-मन, वचन और काय की प्रवृत्ति (क्रिया) का नाम योग है। अतः जो कियारूप में भी सत्य का ही पालन करता है वह अपने योगों को विशुद्ध कर लेता है।

इस तरह इस सत्यमहाव्रत के मूल में भी अहिंसा की भावता निहित है। इसीलिए सत्य होने पर भी अहितकारी वचन बोलने का निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त झूठ वोलनेवाला व्यक्ति एक झूठ को छिपाने के लिए अन्य अनेक झूठ वोलता है और हिंसा, चोरी आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ मुखी नहीं होता है। वैदिक संस्कृति में भी सत्यव्रत को हजारों अध्वमेध यज्ञों की अपेक्षा श्रेष्ट वतलाया गया है तथा इस सत्यव्रत के पालन करनेवाले को ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है। या इस व्रत का पालन करना दुष्कर बतलाया गया है। वैदिक संस्कृति में भी सत्यव्रत को हजारों अध्वमेध यज्ञों की अपेक्षा श्रेष्ट वतलाया गया है तथा इस सत्यव्रत के पालन करनेवाले को ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है। या इस व्रत का पालन करना दुष्कर बतलाया गया है।

# अचौर्य महाव्रतः

तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी स्वामी की आज्ञा के विना ग्रहण न करना अचौर्यमहाव्रत है। मन-वचन-काय एवं कृत-

— **उ० २६.**४१.

**-30** ₹₹.₹१.

 [&]quot;"करणसच्चेणं करणसिंत जणयइ। करणसच्चे बट्टमाणे जीवे जहाबाई तहाकारी यावि भवइ।

२. ''''जोगसच्चेणं जोगं विसीहेइ।

[—]उ० २६.५२. ३. मोसस्स पच्छा य पुरत्यओ य पओगकाले य दुही दुरंते। एवं अदत्ताणि समावयंतो छवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो।।

४. उ० आ० टी०, पृ० ११२२.

देखिए—पृ० २६४, पा० टि० ३.

कारित-अनुमोदना से इस व्रत का भी पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो वस्तु ग्रहण करे वह निर्दोष भी हो क्योंकि सदोष वस्तु के ग्रहण करने पर हिंसा का दोष लगता है। साधु के लिए सभी सचित्त वस्तुओं के ग्रहण करने का निषेध है। अतः किसी के द्वारा सचित्त वस्तुओं के ग्रहण करने का निषेध है। अतः किसी के द्वारा सचित्त वस्तुओं का ठीक से पालन न करना भी चोरी है। इस अचौयंव्रत की दृढ़ता के लिए ग्रन्थ में बहुत ही सुन्दर कहा है—'धनादि ग्रहण करना नरक का हेतु है (हिंसादि में प्रवृत्ति कराने के कारण) ऐसा समझकर साधु एक तृण को भी ग्रहण न करे। आहार के बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। अत अपनी निन्दा करता हुआ पात्र में दिए गए निर्दोष आहार को ही ग्रहण करे।' वैदिक-संस्कृति में इसका पालन करनेवाले को ब्रह्मत्व की प्राप्ति बतलाई गई है। ग्रहण करे स्व वतलाई गई है। ग्रहण करे स्व वतलाई गई है। तथा इस व्रत का पालन करने वाले को ब्राह्मण कहा गया है तथा इस व्रत का पालन करना दुष्कर बतलाया गया है।

# ब्रह्मचर्यं महावतः

मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-अनुमोदना से मनुष्य, तियं च एवं देव शरीरसम्बन्धी सब प्रकार के मेथुनसेवन का त्याग करना

१. दंतसोहणमाडस्स अदत्तस्स विवज्जणं । अणवज्जेसणिज्जस्स गिण्हणा अवि दुक्करं ।।

--30 १€.२=.

चित्तमंतमचित्तं वा अप्पं वा जह वा बहुं। न गिण्हाइ अदत्तं जे तं वयं बूम माहणं।)

—ড॰ २**४.२**४.

२. आयाणं णरयं दिस्स णायइज्ज तणामित । दोगुंछी अप्पणो पाए दिण्णं मुंजिज्ज भोयणं ।। --- उ० ६.७.

३. उ• आ० टी०, पृ० ११२३.

४. देखिए--पृ० २१६, पा० टि० १,

ब्रह्मचर्य महाव्रत है। प्रस्थ में इसके १ द्र भेदों का संकेत मिलता है। अौदारिकशरीर (मनुष्य व तियं च्च-सम्बन्धी शरीर) और वैक्रियकशरीर (देवसम्बन्धी शरीर) से मैथुन सेवन संभव होने से टीकाकारों ने इन दोनों प्रकार के शरीरों के साथ मैथुन सेवन का कृत-कारित-अनुमोदना तथा मन-वचन-काय से त्याग करनेरूप ब्रह्मचर्य के १ द भेद गिनाए हैं। ये जो ब्रह्मचर्य के १ द भेद गिनाए गए हैं वे सामान्य अपेक्षा से हैं अन्यथा प्रति व्यक्ति के शरीर-भेद से इसके अनेक भेद संभव हैं। इस ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए निम्नोक्त दस प्रकार के समाधिस्थानों का अनुपालन आवश्यक है:

समाधिस्थान—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जिन दस विशेष बातों का त्याग आवश्यक बतलाया गया है उन्हें ग्रन्थ में 'समाधिस्थान' के नाम से कहा गया है। जित्त को एकाग्र करने में इनका विशेष महत्त्व होने के कारण इन्हें समाधिस्थान कहा गया है। समाधिस्थान के दस प्रकार निम्नोक्त हैं:

१. स्त्री आदि से संकीर्ण स्थान के सेवन का त्याग—स्त्री, पशु आदि का जहां पर आवागमन संभव है ऐसे मन्दिर, सार्वजनिक स्थान, दो घरों की सन्धियाँ, राजमार्ग आदि स्थानों में साधु अकेला

विरई अवंभचेरस्स कामभोगरसन्तुणा । उभा महन्त्रयं बंभं घारेयभ्वं सुदुक्करं ॥

— उ० १६.२६.

- वही, आ० टी०, पृ० १३६६.
- ४. इमे खलु ते थेरेहि भगवंतेहि दस बम्भचेरसमाहिठाणा पन्नता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमबहुले संवरवहुले समाहिबहुले गुतं गुत्तिदिए गुत्तबंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेजजा।

--- उ० १६. १ (गद्य).

१. दिव्यमाणुस्सतेरिच्छं जो न सेवइ मेहुणं।
 मणसा कायवक्केणं तं वयं दूम माहणं।।
 —उ० २५.२६.

२. उ० ३१. १४.

खड़ान होवे क्योंकि स्त्री आदि से आकीर्ण स्थानों पर ठहरते से उनकी कामक्रीडाएँ देखकर ब्रह्मचारी को कामेच्छा जाग्रत हो सकती है। पूर्ण संयमी को स्त्री के संपर्क से बचना चाहिए अन्यथा रथनेमी की तरह कामजन्य चञ्चलता का होना संभव है। जैसे बिल्लियों के पास चूहों का रहना उचित नहीं है उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष का स्त्री के पास (स्त्री का पुरुष के पास) रहना ठीक नहीं है। अतः ब्रह्मचारी साधु के लिए एकान्तस्थान ही उपयुक्त है।

२. कामराग को बढ़ाने वाली स्त्री-कथा का त्याग—मन में आह्लाद को पैदा करने वाली तथा कामराग को बढ़ाने वाली स्त्री-कथा कहने व सुनने से ब्रह्मचयं टिक नहीं सकता है। अतः ब्रह्मचारी को स्त्री-कथा से दूर रहना चाहिए। जिस स्त्री-कथा

जं विवित्तमणाइन्नं रहियं इत्थिजणेण य ।
 बम्भवेरस्स रक्खट्टा आलयं तु निसेवए ।।

<del>--</del>उ० १६.१.

समरेसु अगारेसु संघीसु य महापहे । एगो एगिरियए सद्धि णेव चिट्ठे ण संलवे ।।

--- उ॰ १.२६.

तथा देखिए-उ० ८.१६; १६.१ (गद्य),११; २२.४५;३२.१३.

- २. देखिए-परिशिष्ट २.
- ३. जहा विरालावसहस्स मूले न मूसगाणं वसही पसत्था । एमेव इत्थीतिलयस्स मज्ज्ञे न बंभयारिस्स खमी निवासी ॥

-- 30 37.83.

४. कामं तु देवीहि विभूसियाहि न चाइया खोभइउं तिगुत्ता । तहा वि एगंतहियं ति नच्चा विवित्तवासी मुणिणं पसत्यो ।।

—उ० ३**२**.१६.

प्रमणपत्हायजणणी कामरागविवड्ढणी।
 बम्भचेरस्थी भिक्ख् थीकहंतु विवज्जए।

**--**₹0 १६.२.

तया देखिए—उ• १६. २ (गद्य), ११.

से धर्म में रुचि बढ़े ऐसी पतित्रताया क्रद्राचारिणी स्त्री की कथा कही जा सकती है परन्तु ऐसी कथा भी एकान्त में नहीं कहना चाहिए क्योंकि कभी-कभी उसका विपरीत प्रभाव भी संभव होताहै।

- ३ स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठने का त्याग—स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर कथा, वार्तालाप, परिचय आदि करने से कामपीड़ा उत्पन्न हो सकती है। अतः ब्रह्मचारी को स्त्रियों के साथ परिचयादि न बढ़ाकर उनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। वृत्तिकार नेमिचन्द्र ने पूर्व-परम्परा का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिस स्थान पर कोई स्त्री बैठ चुकी हो उस स्थान पर उसके उठने के समय से लेकर एक मुहूतं तक नहीं बैठना चाहिए वयोंकि तत्काल वहां पर बैठने से शंका आदि दोष होने की संभावना रहती है।
- ४. रागपूर्वक स्त्रियों के रूपादि-दर्शन का त्याग—स्त्रियों के अङ्गों (मस्तकादि), प्रत्यङ्गों (कुच, कुक्षि आदि), संस्थानों (किटप्रदेश आदि) तथा नाना प्रकार की मनोहर मुद्राओं को देखने से चक्षुराग उत्पन्न होता है। अतः ब्रह्मचारी को चक्षु इन्द्रिय के विषयभूत स्त्रियों के रूपादि का दर्शन नहीं करना चाहिए। उचक्षु का स्वभाव है—देखना। अतः इस प्रकार के प्रसङ्ग उपस्थित होने पर वीतरागतापूर्वक भुभ-ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों के रूप-लावण्य में पुरुष को

<del>--</del>उ०१६.३.

तथा देखिए--उ० १६.३ (गद्य), ११.

२. उत्थितास्विप तासु मुहूर्त तत्र नोपवेष्टव्यमिति सम्प्रदायः। —वही, ने० वृ०, पृ० २२०.

 अंगपच्चंगसंठाणं चारुत्लियियेहियं । बंभचेररओ थीणं चक्खुगिज्झं विविज्जए ।।

**-**~उ० १६.४.

तथा देखिए--उ० १६.४ (गद्य), ११;३२.१४-१४; ३४.१४.

४. इत्योजणस्सारियज्ञाणजुभ्यं ।

—ভ॰ ३२.१४**,** 

१. तंहा खलु नो निग्गंथे इस्थीहि सिद्ध सन्निसेज्जागए विहरेज्जा।

आसक्ति न हो इसीलिए ग्रन्थ में स्वियों को 'राक्षसी' एवं 'पङ्कमूत' (कीचड़) तक कहा है—'राक्षसी स्वियों में साधु को प्रलोभित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नाना प्रकार के चित्तवाली हैं तथा वक्षस्थल में मांस-पिण्ड (कुच) को धारण करती हैं। ये पहले पुरुष को प्रलोभित करती हैं, पश्चात् उनसे दास की तरह व्यवहार करती हैं। अतः इनको कीचड़रूप जानकर साधु अपने आपका हनन न करे तथा आत्मगवेषी बनकर संयम का पालन करे।

४. स्त्रियों के विविध प्रकार के शब्दों के श्रवण का त्याग— ब्रह्मचारी साधु को श्रोत्रेन्द्रियप्राह्म स्त्रियों के कूजित (सुरतकाल में होनेवाले कपोतादि पक्षियों की तरह अध्यक्त शब्द), रुदित (रित-कलह), गीत (गानयुक्त शब्द), हिसत (हास्ययुक्त शब्द), स्तनित (गम्भीर शब्द या सुरतकाल में होनेवाला सीत्कार), क्रन्दित (करुण रोदन), विलाप (पितवियोगजन्य पीड़ा) आदि कामराग-वर्धक वचनों को नहीं सुनना चाहिए वयोंकि इस प्रकार के कामवर्धक वचनों का श्रवण करने से मन चलायमान हो जाता है।

६. पूर्वानुभूत कामक्रीड़ा के स्मरण का त्याग—ब्रह्मचारी साधु को ब्रह्मचर्यव्रत लेने के पूर्व अनुभव की गई कामक्रीड़ा का स्मरण नहीं करना चाहिए विश्वेषिक ऐसा करने से मन विचलित हो सकता है।

<del>--</del>उ० २.१७.

नो रबससीसु गिज्झेज्जा गंडबच्छासु णेगवित्तासु । जाओ पुरिसं पलोभित्ता खेल्लंति जहा व दासेहि ॥

—उ० द.१८.

२. कुइयं रुइयं गीयं हसियं थणियकंदियं। बंभनेररओ थीणं सोयगिज्झं विवज्जए ॥

—उ० १६.५.

तथा देखिए—४० १६.५ (गद्य), १२.

३. हासं किड्डं रइं दर्पं सहसाऽवत्तासियाणि य । बंभचेररको यीणं नाणुचिते कयाइवि । — ७० १६.६.

तथा देखिए-उ० १६.६ (गद्य), १२; ३२.१४.

[ः] १. पंकभूयाओ इत्यिओ ।

## २७२ ] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशीलन

७. सरस आहार का त्याग—जिस प्रकार स्वादिष्ट फलवाले वृक्ष को पक्षीगण पीड़ित करते हैं उसी प्रकार घी, दूध आदि रस-वान् द्रव्यों के सेवन से कामवासना उद्दीपित होकर पीड़ित करती है। अतः ब्रह्मचारी के लिए सरस आहार का त्याग आवश्यक है। भ

द. अतिभोजन का त्याग—जिस प्रकार प्रचुर ई धनवाले बन में उत्पन्न हुई दावाग्नि वायु के बेग के कारण शान्त नहीं होती है उसी प्रकार प्रमाण से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि (कामाग्नि) शान्त नहीं होती है। अतः ब्रह्मचारी साधु को ब्रह्मचर्य की रक्षा एवं चित्त की स्थिरता के लिए थोड़ा आहार करना चाहिए। यदि अल्पाहार से भी ब्रह्मचर्य में बाधा आए तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कभी-कभी आहार का त्याग भी करना चाहिए। अतः यन्थ में साधु के आहारब्रहण न करने के कारणों में ब्रह्मचर्य की रक्षा को भी एक कारण माना गया है। 3

 पणीयं भत्तपाणं च खिप्पं मयविवड्ढणं । बंभचेररको भिक्खू निच्चसो परिवज्जए ।।

**—**उ० १६.७.

रसा पगामं न निसेवियव्वा पायं रसा विक्तिक्रा नराणं । दिलं च कामा समिभद्दंति दुमे जहा साउफलं व पनस्ती ॥

**—उ॰ ३२.१**०,

तथा देखिए—उ० १६.७ (गद्य), १२.

२. धम्मलद्धं मियं काले जत्तत्थं पणिहाणवं। नाइमत्तं तुभुं जिङ्जा बंभचेररक्षो सया।।

<del>--</del> उ• १६.८.

जहा दवस्मी पर्जिरघणे वर्णे समास्त्री नोवसमं उनेइ । एविदियस्मी वि पगामभोइणो न वंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥

**—**₹० ३२.११.

तथा देखिए-उ॰ १६.८ (गद्य), १३.

३. देखिए-बाहार, प्रकरण ४.

है. शरीर की विभूषा का त्याग-शरीर का श्रृङ्गार करने से कामेच्छाएँ जाग्रत होती हैं। अतः ब्रह्मचारी साधु को मण्डन, स्नान आदि से शरीर को अलंकृत नहीं करना चाहिए।

१०. शब्दादि पाँचों इन्द्रियसम्बन्धी विषयों के भोगोपभोग का त्याग—मधुर शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पाँचों विषय कामवासना को जाग्रत करने के कारण 'कामगुण' कहे जाते हैं। अतः इन सभी प्रकार के कामगुणों का ब्रह्मचारी के लिए त्याग आवश्यक है। 2

इस तरह ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जितने भी ब्रह्मचर्य से डिगानेवाले शंकास्थल हैं उन सबका त्याग आवश्यक है क्योंकि ये बहुत ही स्वल्पकाल में तालपुट विष (अति उम्र विष) की तरह ब्रह्मचारी के लिए घातक होते हैं। उम्य में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जो 'स्त्री' शब्द का सिन्नवेश किया गया है वह कामसंतुष्टिट का उपलक्षण है। अतः जिसे जिस किसी से भी कामसंतुष्टिट हो उसे उसीका त्याग करना चाहिए। इन समाधिस्थानों का ब्रह्मचर्य की रक्षा में विशेष महत्त्व होने के कारण इन्हें ही ब्रह्मचर्य की गुष्तियाँ कहा गया है। उस्तवां समाधिस्थान अन्य ६ समाधिस्थानों का संग्रह-

—उ० **१**६.**६.** 

तथा देखिए--उ० १६.६ (गद्य), १३.

२. सद्देख्वे य गन्धे य रसे फासे तहेव य । पंचविहे कामगुणे निच्चसो परिवज्जए ।।

—उ• १६.१०.

तथा देखिए--उ० १६.१० (गद्य), १३.

३. नरस्सऽत्तगवेसिस्स विसं तालउडं जहा ।

—उ० १६.१३.

संकट्ठाणाणि सञ्चाणि वङजेङजा पणिहाणवं ।

—उ० १६.१४.

¥. 30 38.80.

१ विभूसं परिवर्केण्जा सरीरपरिमंडणं । बंभचेररक्षो भिक्खू सिंगारत्थं न धारए ॥

रूप होने से उसे पृथक् न मानकर ६ ही ब्रह्मचर्य की गुप्तियाँ बतलाई गई हैं।

ब्रह्मचर्यं की बुष्करता-ब्रह्मचर्यं को ग्रन्थ में अन्य सभी व्रतों की अपेक्षा अधिक दुष्कर बतलाया गया है। यह वह अमोघ कवच है जिसके धारण कर लेने पर अन्य सभी वृत आसानी से धारण किए जा सकते हैं। अतः इसकी दृष्करता का प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थ में लिखा है-'संसारभीर, धर्म में स्थित, मोक्षा-भिलाबी मनुष्य के लिए इतना दुस्तर इस लोक में अन्य कुछ भी नहीं है जितना कि मूर्खों के मन को हरण करने वाली स्त्रियाँ। जो इनको पार कर लेता है उसके लिए शेष पदार्थ सुखोत्तर हो जाते हैं। जैसे महासमुद्र के पार कर लेने पर गंगा जैसी विशाल निदर्या आसानी से पार करने योग्य हो जाती हैं।'र यह दुस्तरता अधीर पुरुषों के लिए ही वतलाई गई है क्योंकि वे श्लेष्मा में फँसने वाली मक्षिका की तरह उनमें उलझ जाते हैं और तब जिस प्रकार की चड़वाले तालाब में फँसा हुआ हाथी की चड़ से रहित तीर प्रदेश को देखकर भी वहाँ से नहीं निकल पाता है उसी प्रकार कामादि में आसक्त वे लोग कामादि विषयों को नहीं छोड़ पाते हैं। इसके विपरीत ये विषय-भोग स्वयं पुरुष को छोड़कर उसी प्रकार अन्यत्र चले जाते हैं जिस प्रकार फलों से रहित वक्ष को छोड़कर पक्षी अन्यत्र चले जाते हैं। परन्तु जो स्वती साधु हैं वे

—उ० ३२.**१**७-१८.

तुलना की जिए-जहां नई वेयरणी दुत्तरा इह संमया। एवं लोगंसि नारीओ दुत्तरा अमईमया ॥ —सूत्रकृताङ्ग ३.३.१६. तथा देखिए-पृ॰ २६६, पा॰ टि॰ १; उ० १३.२७,२६;१६. ११-१४,१६;१६.२६,३४ आदि ।

वही, आ० टी०, पृ० १३६१.

२. मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवस्स संसारभीहरस ठियस्स धम्मे । नेयारिसं दुत्तरमित्य लोए जहित्यिओ बालमणीहराओ ॥ एए य संगे समझनकमित्ता सुदुत्तरा चेव भवंति सेसा। जहा महासागरमुत्तरित्ता नई भवे अवि गंगासमाणा ।।

कामभोगरूपी समुद्र को उसी प्रकार पार कर लेते हैं जिस प्रकार कोई कुशल विणक्समुद्र को पार कर लेता है।

इस तरह जो इस व्रत के धारण करने में समर्थ हो जाता है वह अन्य व्रतों को सरलतापूर्वक धारण कर लेता है वयोंकि कामवासना पाँचों इन्द्रियों के विषयों के सेवन से उद्दीपित होती रहती है। अत: समाधिस्थानों की प्राप्ति के लिए पाँचों इन्द्रियों के विषयों की आसक्ति का त्याग आवश्यक बतलाया गया है। इस तरह जब पाँचों इन्द्रियां वश में हो जाती हैं तो वह जितेन्द्रिय हो जाता है और तब जितेन्द्रिय के लिए कोई भी व्रत धारण करना कठिन नहीं रह जाता है। इसीलिए ग्रन्थ में बहुत्र पाँचों इन्द्रियों के विषयों से प्रलोभित न होकर जितेन्द्रिय, संयत और मुसमाहित होने का उपदेश दिया गया है। रथनेमी जैसे संयमी के द्वारा प्रार्थित होने पर भी राजीमती का संयम में दृढ़ रहना एवं उसे भी संयम में दृढ़ करना ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहना है। इसके बाद ब्रह्मचर्य में दृढ़ होकर दोनों अन्य व्रतों का भी सरलतापूर्वक पालन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ³ यद्यपि इस व्रत का भी उद्देश्य अहिंसा की भावना को दृढ़ करना है तथापि जो इसे सबसे अधिक कठिन बतलाया गया है वह इसलिए कि कामसूख से प्रेरित

१. भोगामिसदोसविसन्ने हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्ये । बाले य मंदिए मूढे बज्झई मच्छिया व सेलम्मि ॥ दुष्परिच्चया इमे कामा नो सुजहा अधीरपुरिसेहि । बह संति सुख्वया साहू जे तरंति अतरं विणया व ॥ —उ० ६.५-६.

नागो जहा पंकजलावसन्नो दट्ठुं यलं नामिसमेइ तीरं।
एवं वयं कामगुणेसु गिद्धा न भिक्खुणो मन्गमणुक्वयामो ।।
अक्नेइ कालो तरित राइओ न यावि भोगा पुरिसाण विच्चा ।
उविक्च भोगा पुरिसं चयंति दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ।।
—उ० १३.३०-३१.

२. उ० १२.१-३,१७; १३.१२; १४.४७; १४.२-४,१४-१६; १६.१५; १४.३•-५१ आदि।

३. देखिए-परिशिष्ट २.

#### २७६ ]

#### उत्तराध्ययन-सुत्रः एक परिशीलन

होकर जीव प्रायः हिंसा, झूठ, चोरी, धनादि-संग्रह आदि में प्रवृत्त होता हुआ चक्षु-दृष्ट रित को ही सत्य मानता है ।°

महत्त्व-ग्रन्थ में इसके महत्त्व को प्रकट करने के लिए ही सोलहवें अध्ययन को गद्य तथा पद्य में पुनरावृत किया है। इस ब्रत का पालन करने वाले को श्रमण एवं ब्राह्मण कहा गया है। साधु के लिए जिन बाईस प्रकार के परीषहों (कध्टों) पर विजय पाने का विधान किया गया है उनमें स्त्री-परीषह भी एक है जो कामजन्य पीड़ा पर विजय पाने के लिए है। इस ब्रत के पालन करने से अन्य ब्रत सुखोत्तर तो हो ही जाते हैं, इसके अतिरिक्त जिन मुणों की प्राप्ति होती है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- १. आत्मणुद्धि में प्रधानकारण होने से आत्म-प्रयोजन की प्राप्ति। ध
- २. साध-धर्म (श्रामण्य) की सफलता।"
- ३. देवों के द्वारा भी पूज्य हो जाना ।^६
- ४. संवर की आधारशिला होने से संयमबहुल, संवरबहुल, समाधिबहुल, मन-वचन-काय से गुप्त, गुप्तेन्द्रिय, गुप्त-ब्रह्मचारी तथा अप्रमत्तता की प्राप्ति ।°
- १. न मे दिट्ठे परे लोए चनखुदिद्वा इमा रई।

—उ० ४. **४.** 

तथा देखिए-उ० ५.६-१०.

- २. देखिए-पृ० २६८, पा० टि० १.
- ३. देखिए--परीषहजय, प्रकरण ५.
- ४. इह कामणियट्टस्स अत्तट्ठे नावरज्झई।

<del>--</del>उ० ७ २६.

- ४. सुकडं तस्स सामण्णं।
  - <del>--</del>ड० २. १६**.**
- ६. देवदाणवर्गमध्या जनस्वरवस्तसिकन्नरा । वंभयारि नमंसंति दुवकरं जे करंति तं ।।

—उ० **१**६. १६,

७. देखिए--पृब २६=, पाव टिव ४.

५. संसार-भ्रमणाभावरूप मुक्ति की प्राप्ति ।° जो इस व्रत् का ठीक से पालन नहीं करता है वहु इन गुणों के

विपरीत जिन दोषों को प्राप्त करता है वे इस प्रकार हैं:

- १. आत्मप्रयोजन (आत्मज्ञान या मुख) की प्राप्ति न होना । र
- २. अस्थिरचित्त (अस्थिरात्मा) होना ।³
- ३. धर्माराधना में शंका आदि दोष उत्पन्न होना । ४
- ४. संयमिवराधना, उन्माद, दीर्घकालिक रोगादि की प्राप्ति।"
- ५. परलोकभय, कर्मसंचय, दुःख एवं नरक की प्राप्ति। ६

इस तरह ग्रन्थ में अन्य व्रतों की अपेक्षा ब्रह्मचर्य पर अधिक जोर दिया गया है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान् पार्थ्वनाथ ने जिन चार व्रतों का पालन करने का उपदेश दिया था उनमें ब्रह्मचर्य व्रत नहीं था फिर क्या कारण था कि भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य पर इतना जोर दिया और उसे सब व्रतों में दुस्तर कहा। इस विषय में ग्रन्थ में वही तर्क दिया गया है जो साधु को सान्तरोत्तर वस्त्र के स्थान पर पुराने वस्त्र (या अचेल) पहिनने के विषय में दिया गया है। "इसका तात्पर्य यह है

१. एस धम्मे धुने निच्चे सासए जिणदेसिए। सिद्धा सिज्झंति चाणेण विज्झिस्सति तहा वरे।।
—ज॰ १६. १७.

तथा देखिए-उ० ३१. १४.

२. इह कामाण्यिष्टस्स अत्तट्ठे अवरण्झई ।

— उ० ७. २५

 जइ तं काहिसि भावं जा जा दिच्छिसि नारिओ । नायाविद्धो क्व हुडो अट्टिअप्पा भविस्सिस ॥

—**ड० २२. ४**४.

४. आयरियाह—निग्गंथस्स खलु इत्थीपसुपंडगसंसताई सयणासणाई सेवमाणस्स बंभवारिस्स वंभवेरे संका वा कंखा वा विद्याग्निखा वा समुप्पाञ्जिण्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पठणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेष्जा, केवलिपन्नताओ धम्माओ वा भसेष्णा

—उ०१६.१ ( गद्य ) l

५. वही।

६. उ० ५. ५-११.

७. देखिए-- पृ० २५६, पा० टि० २; पृ० २५७, पा० टि० १.

कि महावीर के काल में लोगों की प्रवृत्ति कामवासना की ओर बहुत अधिक बढ़ रही थी और यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी काम-संतुष्टि करने में प्रयत्नशील देखे जाते थे। इसीलिये ब्रह्मचर्य के लक्षण में एवं समाधिस्थानों के वर्णन में तिर्यश्व शब्द को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त इस समय के लोग वक्रजड स्वभाव के होने के कारण कृतर्क द्वारा यह सिद्ध करने लगे थे कि स्त्री-सेवन का त्याग आवश्यक नहीं है, जबकि अपरिग्रह वृत के अन्दर ही स्त्री के एक प्रकार की सम्पत्ति होने के कारण स्त्री-संपर्कजन्य मैथुन-सेवन का त्याग भी सन्निविष्ट था। मनुष्यों की इस प्रकार कामवासना की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर ही इसे अहिंसादि वतों से पृथक वत के रूप में स्वीकार किया गया तथा इस पर विशेष जोर भी दिया गया। कामवासनाएँ बढ़ जाने से लोग अहिंसादि वृतों की ओर उन्मूख नहीं होते थे। अतः अहिंसा और अपरिग्रह व्रत की सर्वाधिक प्रधानता रहने पर भी इनका पालन करने में कामवासनाएँ प्रमुख वाधक होने के कारण ब्रह्मचर्यको दुस्तर कहा गयाऔर अन्य व्रतोंको सुखोत्तर। इसी तरह रात्रिभोजन की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर रात्रिभोजन-त्याग को भी महावतों के ही साथ में कहा जाने लगाथा।

## अपरिग्रह महाव्रत :

धन-धान्य, दासवर्ग आदि जितने भी निर्जीव एवं सजीव द्रव्य हैं उन सबका कृत-कारित-अनुमोदना एवं मन-वचन-काय से निर्मोही होकर त्याग करना अपरिग्रह (अकि चन) महाव्रत है। अतः सर्व-विरत साधु के लिये आवश्यक है कि वह क्षुधाशान्ति के लिये भी

२. घणघत्रपेसवम्मेसु परिमाहविवज्जणं ।
सन्धारंभपरिच्चामो निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥
— उ० १६.३०.
तथा देखिए—उ० व.४; १२.६; १४.४१, ४६; २१.२१; २४.२७२६; ३४.३, १६ आदि ।

अन्नादि का लेशमात्र भी संचयन करे और नरात्रि के लिये कुछ, बचाकर रखे। इसके अतिरिक्त हिरण्य आदि की मन से भी कामना न करे तथा हिरण्य और पत्थर में समद्बिट रखता हुआ पक्षी की तरह आशारहित होकर अपमत्तभाव (सावधानीपूर्वक) से विचरण करे । इस तरह सभी प्रकार के घन-घान्यादि का परित्याग करके तृणमात्र का भी संग्रह न करना तथा पाँचों इन्द्रियों के मनोज्ञ व अमनोज्ञ विषयों के उपस्थित होने पर भी जल से भिन्न कमल की तरह उनमें लिप्त (राग-द्वेषयुक्त) न होना ही अपरिग्रह महाव्रत है । अपरिग्रही ही बीतरागी हैं क्योंकि जब तक विषयों से विराग नहीं होगा तब तक जीव अपरिग्रही नहीं हो सकता है। विषयों के प्रति रागबुद्धि (लोभबुद्धि) का होना ही परिग्रह है। ज्यों-ज्यों लाभ होता जाता है त्यों-त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है और लोभ के बढ़ने पर परिग्रह भी बढ़ता जाता है। 3 जब शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन विषयों से सम्बन्धित सचित्ता एवं अचित्ता सभी द्रव्यों से विराग हो जाता है तो उसके लिए संसार में कुछ भी दुष्कर नहीं रह जाता है। ४ यह निष्परिग्रहता या वीतरागता अतिविस्तृत एवं सुस्पष्ट राजमार्ग

सिन्निंह च न कुञ्बेज्जा लेवमायाए संजए ।
 पक्सी पत्तं समादाय निरवेवक्षो परिञ्वए ।।
 — उ० ६.१६.

तथा देखिए--उ० ३५. १३.

२. जहा पोमं जले जायं नोविलिप्पइ वारिणा। एवं अलित्तं कामेहि तं वयं वूम माहणं।। —उ० २४.२७.

तथा देखिए-उ० १०.२८; ३२.२२, ३४.

३. जहा लाहा तहा लोहो लाहा लोहो पवड्दई ।
 दोमासकयं कञ्जं कोडीए विन निद्वियं ।।
 —उ • ६.१७.

४. इह लोए निष्पिवासस्स नित्थ किचिब दुक्करं। —उ० १६.४५.

तथा देखिए-- उ० २६.४५.

है। इस अपरिग्रह व्रत के समक्ष अज्ञानमूलक जप-तपादि षोडणीकला को भी प्राप्त नहीं करते हैं। जो इन विषयों के प्रति ममत्व नहीं रखता है वह इस लोक में दुःखों से अलिप्त होकर आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है तथा परलोक में भी देव या मुक्ति पद को प्राप्त करता है। उ

इस तरह इस ब्रत को दृढ़ रखने के लिये आवश्यक है कि पाँचों इन्द्रियों के तत्तत् विषयों में रागबुद्धि न की जाए क्योंकि किसी भी विषय के प्रति राग होने पर उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना पड़ता है और उस विषय की प्राप्ति के प्रयत्न में हिंसा, झूठ, चोरी आदि नाना प्रकार के पापों को करना पड़ता है । अतः अहिंसादि व्रतों का पालन करने के लिये भी आवश्यक है कि धन-धान्यादि से ममत्व न किया जाए। इस तरह इस अपरिग्रह व्रत के भी मुल में अहिंसा की भावना निहित है। रजोहरण आदि जो भी उपकरण साधु के पास रहते हैं उनसे उसे ममत्व नहीं होता है क्योंकि वे उपकरण संयम की आराधना में सहायक होने से आवश्यक हैं। इसीलिए सर्वविरत साधु को उनकी प्राप्ति होने पर हर्ष एवं नष्ट होने पर लेद नहीं होता है। अतः साधु रजोहरण आदि उपकरणों से युक्त होने पर भी सर्वविरत कहलाता है। यदि साधु को रजोहरण आदि उपकरणों में भी ममत्व होता है तो वह सर्वविरत नहीं है क्योंकि वह पूर्ण अपरिग्रह बत का ठीक से पालन नहीं करता है। अपरिग्रह या वीतरागता की पूर्णता होने पर जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः ग्रन्थ में कहा है कि बीतरागी साधु ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना में प्रवृत्त होकर आठों प्रकार के कर्मी के बन्धन (ग्रन्थि) को खोलनेका प्रयत्न करता है। सर्वप्रथम वह मोहनीय कर्म को पृथक् करके पूर्ण बीतरागता की

१. अवसोहिय कंटगापहं ओइण्णेऽसि पहं महालयं।

[—] उ०१०३२,

२. देखिए--पृ० २५३, पा॰ टि० १.

वे. उ० ४.१२; ६.४; ७.२६-२७; इ.४; १४.४४; २८.३०,३६; ३२.१६, २६, ३६.

अवस्था को प्राप्त करता है। जब मोहनीय कर्म को पुणंत: नष्ट करके पूर्ण वीतरागी हो जाता है तो फिर वह अन्तर्महर्त के बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मों का युगपत् क्षय करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वतः सुली एवं सर्वशक्तिसम्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में मन-वचन-काय की प्रवृत्ति (योग) होते रहने से वह 'सयोगकेवली' कहलाता है। इसके बाद आयु (आयुकर्म) के अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर वह मन-वचन-कार्य की प्रवृत्ति के साथ ही साथ श्वासोच्छ्वासरूप किया का भी निरोध करके अतिस्वत्प क्षण में ही अवशिष्ट चार अघातिया कर्मी का युगपत् क्षय कर देता है। इस तरह वह सब कर्मों का क्षय हो जाने पर सिद्ध, एवं मुक्त अवस्था को प्राप्त करकेतथा सब प्रकार के दुःखों का हमेशा के लिए अन्त करके कृतकृत्य होता हुआ अनन्त सुख को प्राप्त कर लेता है। प्रस्थ में ऐसे कई राजाओं एवं महापुरुषों के नाम गिनाए गए हैं जिन्होंने सम्पत्तिरूप विपुल साम्राज्य को छोड़कर (सर्वविरत होकर) मुक्ति को प्राप्त किया है। ३

इस तरह अपिरग्रह से तात्पर्य यद्यपि पूर्ण बीतरागता से है परन्तु ब्रह्मचर्य ब्रत को इससे पृथक् कर देने के कारण यह घन-धान्यादि अचेतन द्रव्य और दास आदि सचेतन द्रव्यों के त्यागरूप रह गया है। ग्रन्थ में इस अपिरग्रह व्रत से युक्त जीव को ब्राह्मण कहा गया है।

# महाव्रतों के मूल में अहिसा व अपरिग्रह की भावता :

अहिंसा आदि जिन पाँच नैतिक नियमों को महाव्रत शब्द से कहा गया है उन सबके मूल में अहिंसा की भावना निहित है तथा इस अहिंसा व्रत की पूर्णताबिना अपरिग्रह के संभव

१. उ० २६.७१-७३.

२. देखिए-परिशिष्ट २.

३. देखिए--पृ० २७६, पा० टि० २.

नहीं है क्योंकि सांसारिक विषयों के प्रति मोह होने पर ही उनकी प्राप्ति के लिये जीवों की हिंसादि क्रियाओं में प्रवृत्ति देखी जाती है। इसीलिये पाँच महाव्रतों में सबसे पहले ऑहसा को और अन्त में अपरिग्रह को गिनाया गया है। मृलतः ये दो ही महाव्रत हैं जो एक-दूसरे के पूरक हैं। इन्हीं का विस्तार करके भगवान पार्श्वनाथ ने चार महाव्रतों के रूप में और भगवान् महावीर ने पाँच महात्रतों के रूप में उपदेश दिया । केशि-गौतम संवाद में ब्रह्मचर्य महावत को पृथक् मानने के लिए जो तकं दिया गया है यह तकं अन्य व्रतों के लिए भी लागू होता है क्योंकि जो पूर्ण अहिंसक और अपरिग्रही होगा वह झूठ, चोरी, मैथुनसेवन आदि अनैतिक आचरणों में कभी भी प्रवृत्त नहीं होगा। यदि पूर्ण अहिंसक और अपरिग्रही होकर भी वह झूठ, चोरी आदि में प्रवृत्ति करता है तो वह वास्तव में पूर्ण अहिंसक व अपरिग्रही नहीं है। अहिंसा और अपरिग्रह इन दो ब्रतों का सम्यक्रूप से पूर्णतः पालन करने के लिए सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य इन तीन ब्रतीं का भी पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्तन केवल इन पाँच व्रतों काही पालन करना आवश्यक है अपितु ऐसे अन्य कई नैतिक त्रतों का भी पालन करना आवश्यक है। अतः ग्रन्थ में तीतरागी साधुको हजारों गुणों को धारण करनेवाला कहा गया है। प्रत्य के इकेतीसवें अध्ययन में साधुके जो १० धर्म और २७ गुण बतालाए गए हैं वे सब इन पाँच महावतों के विस्ताररूप ही हैं।^९

१. गुणाणं तु सहस्साई घारेयव्वाई भिक्खुणा । - त० १६ २५.

२. साधू के दस धर्म और सत्ताईभ गुण टीका-ग्रन्थों के अनुसार निम्नोक्त हैं:

क. साधु के दस धर्म--१. क्षमा, २. मृदुता, ३. ऋजुता (सरलता), ४. मुक्ति (लीभ न करना), ४. तप, ६. संयम, ७. सत्य, ५. शीच (पवित्रता), ६. अकिज्चन (अपरिग्रह) और १० ब्रह्मचर्य।

ख. साधु के सत्ताईस गुण -- १-५. पाँच महाब्रत, ६. रात्रिभोजनत्वाग, ७-११. पञ्चेन्द्रियनिग्रह, १२. भाव सत्य, १३. करण संद्य, १४. क्षमा,

अब यहाँ इस बात का विचार करना है कि अहिंसा और अपरिग्रह इन दो महावतों का पाँच महावतों के रूप में क्यों और कैसे विस्तार हुआ ? अहिंसा से द्वेषात्मक क्रोध और मान कषाय कातथा अपरिग्रह से रागात्मक माया और लोभ कषाय का त्याग हो जाता है। राग-द्वेषरूप ये चार कषाय ही संसार के कारण हैं। अतः अहिंसा और अपिरग्रह से ही संसार के कारणों का निरोध हो जाने पर अन्य वर्तों की आवश्यकता नहीं रह जाती है परन्तु जनसामान्य की बदलती हुई कुटिल मनोवृत्ति को देखकर नियमों और उपनियमों के रूप में अनेक बतों का विस्तार किया गया। जैसाकि केशि-गौतम यज्ञविषयक संवादों से पता चलता है कि महावीर के काल में मनुष्यों की मनोवृत्ति विषय-भोगों और हिंसाप्रधान यज्ञादि क्रियाओं की ओर अधिक थी जिससे वे अपने स्वार्थ से अन्धे होकर विश्वबन्धत्व की भावना भूल चुके थे और विषय-भोगों तथा हिंसा-प्रधान यज्ञों को करके ही अपने कर्ताव्य की इतिश्री मानते थे। अतः अहिंसा और अपरिग्रह का उपदेश आवश्यक हुआ। अपनी कृटिल मनोवृत्ति के कारण कहीं झूठ बोलकर अपने दोषों को छिपा न लेवें तथा लुके-छिपे (अप्रकटरूप से) स्वच्छन्द आचरण न करें अतः सत्य और अचौर्य इन दो वतों को भी मल महावतों में जोड़ दिया गया। इसके बाद कामवृत्ति की और बढ़ती हुई मनोवृत्ति को देखकर ब्रह्मचयं को भी पृथक महाव्रत के रूप में जोड़ दिया गया। इस तरह महावर्तो की संख्या पाँच हो गई। इसी प्रकार रात्रिभोजन की

१४. विरायता (लोभत्याग), १६-१८. मन-वचन-काय निरोध, १६-२४. षट्काय (पृथिवी, अप्, तेज, वायु, बनस्पति और द्वीन्द्रियादि त्रस) के जीवों की रक्षा, २४. संयम, २६. वेदना सहिष्णुता और २७. मारणान्तिक सहिष्णुता। इननामों में कुछ अन्तर भी पाया जाता है।

देखिए-उ० ३१.१०, १८; ने० टी०, पृ० ३४४, ३४६; आ० टी०, पृ० १३६२, १४०१; अनणसूत्र, पृ० १७१-१७३; समवायाञ्क, समवाय २७.

ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए रात्रिभोजनत्याग को भी महावर्तों के साथ कहा जाने लगा। परन्तु महावर्तों की पाँच संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बैदिक और बौद्ध संस्कृति में भी इन पाँच महावर्तों के प्रति समान आदरभाव दिखलाई पड़ता है।

इन पाँच नैतिक ब्रतों का जितना आध्यात्मिक दृष्टि से महत्त्व है जतना ही व्यावहारिक दृष्टि से भी महत्त्व है। अहिंसा, सत्य और अचौर्य ये तीन नैतिक महाब्रत तो स्पष्टरूप से व्यवहार में आवश्यक हैं। ब्रह्मचर्य और लोभत्यागरूप अपिरग्रह ब्रत भी व्यभिचार रोकने एवं विश्ववन्धुत्व की भावना को प्रसारित करने के लिये आवश्यक हैं। लोक में व्यसनी तथा कंजूस को हीन दृष्टि से देखा भी जाता है। यद्यपि जितनी सूक्ष्मता से प्रकृत ग्रन्थ में नैतिक ब्रतों का पालन करने का विधान किया गया है जतनी सूक्ष्मता से सामान्य व्यवहार में अपेक्षित नहीं है और नसंभव ही है तथापि इनके व्यावहारिक महत्त्व का अपलाप नहीं किया जा सकता है। ग्रन्थ में इन महाब्रतों का जो उपदेश दिया गया है वह साधुओं के लिए है। गृहस्थ के लिए तो इन ब्रतों का अंग्रतः पालन करना ही आवश्यक है जैसा कि पिछले प्रकरण में बतलाया जा चुका है।

इस तरह अहिंसादि इन पाँच महावतों में साधु के सभी नैतिक गुणों का समावेश किया गया है। गृहस्थ एवं साधु का सम्पूर्ण आचार इन्हीं की परिधि में घूमता है।

# प्रवचनभावार-गुणित और समिति

अशुभात्मक प्रवृत्ति को रोकना और सदाचाररूप शुभात्मक प्रवृत्ति में सावधानीपूर्वक प्रवृत्त होना महाब्रतों की रक्षा एवं

--पा० यो० २. ३०,

बौद्धों के पंचशील के लिए देखिए—भा•द० व०, पृ० १५६.

१. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा :।

विशुद्धता के लिए आवश्यक है। मन, वचन और काय-सम्बन्धी सभी अशुभात्मक प्रवृत्तियों को रोकना 'गुष्ति' है। शुभात्मक प्रवृत्ति में सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करना 'सिमिति' है। यन्य में इन दोनों का सिम्मिलित नाम 'प्रवचनमाता' मिलता है। इन्हें 'प्रवचनमाता' क्यों कहा जाता है, यह विचारणीय है। प्रवचन शब्द का अर्थ है—जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त । 'माता' शब्द का अर्थ है—माता की तरह संरक्षक एवं उत्पादक। जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त (प्रवचन) १२ अंग ग्रन्थों में समाविष्ट है। गुष्ति और सिमिति का सम्यक्ष्य से पालन करने वाला साधु ही गुरु-परम्परा से प्राप्त द्वादशाङ्गरूप समस्त शास्त्रज्ञान (प्रवचन) को सुरक्षित रख सकता है। अतः ग्रन्थ में गुष्ति और सिमिति के समुच्चय को 'प्रवचनमाता' कहा गया है अथवा समस्त द्वादशाङ्ग गुष्ति और सिमितियों में समाविष्ट होने से 'प्रवचनमाता' शब्द सार्थक है। विवृत्ति की अपेक्षा प्रवृत्ति की प्रधानता है क्योंकि सावधानीपूर्वक शुभाचार में प्रवृत्ति करने पर अशुभाचार से

१. गुत्ती नियत्तणे कुत्ता असुभत्त्थेसु सब्दसो ।

--- उ**०** २४.२६.

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति:।

—त० सू० ६.४.

२. एयाओ पंच समिईको चरणस्स य पवत्तणो ।

-- उ० २४.२६.

समिति—सम-एकीभावेन, इति—प्रवृत्तिः समितिः च शोभनैकाग्रपरि-णामचेक्टेश्यर्थः ।

. —श्रमणसूत्र, पृ० १५०.

अट्ठ पवयणमायाओ सिमिई गुत्ती तहेव य ।
 पंचेव य सिमिईओ तओगुत्ती उ आहिया ।।
 इरियाभासेसणादाणे उच्चारे सिमिई इय ।
 मणगुत्ती वयगुत्ती कायगुत्ती य अट्ठमा ।।
 एयाओ अट्ठ सिमिईओ समासेण वियाहिया ।
 दुवालसंगं निणवस्तायं मायं जत्य उ पवयणं ।।
 —उ० २४.१-३.

तथा देखिए—उ० २६.११.

## २८६ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

निवृत्ति स्वतः हो जाती है। अतः ग्रन्थ में प्रवचनमाता को 'सिमिति' शब्द से भी कहा गया है।

गुष्ति और समिति के प्रमुख आठ भेद होने से प्रवचनमाताओं की भी संख्या आठ मानी गई है। यान्य में इनके विषय में सावधान रहने का उपदेश दिया गया है तथा इनके सम्यक् प्रकार से पालन करने का फल संसार से शीध मुक्ति बतलाया गया है। व

अब क्रमशः गुष्तियों और समितियों का पृथक्-पृथक् विचार किया जाएगा।

# गुप्तियाँ-प्रवृत्ति-निरोधः

मन, वचन और काय-सम्बन्धी अशुभ-प्रवृत्तिनिरोधरूप जो गुष्ति का लक्षण बतलाया गया है उसमें अशुभ-प्रवृत्ति से तार्प्य सांसारिक विषय-भोगों की ओर उन्मुख होनेवाली प्रवृत्ति से है। कषायरूपी शत्रु के आक्रमण से रक्षा करने के लिए इन गुष्तियों को अमोघशस्त्र (अजेयशस्त्र) कहा गया है। प्रवृत्ति मन, वचन एवं काय से संभव होने से गुष्ति के भी तीन भेद किए गए

यत् भेदेनोपादानं तत् समितीनां प्रविचाररूपत्वेन गुप्तीनां तु प्रवीचाराऽप्रवीचारात्मकत्वेन कथिब्चत् भेदरूपापनार्थम्।....सर्वा अप्यमूष्ट्यारित्ररूपाः, ज्ञानदर्शनाऽविनाभावि च चारित्रम्, न चैतत्त्र्यातिरिक्तमन्यदर्थतो द्वादशाङ्गमित्येतासु प्रवचनं मात्तमुच्यते ।

—ड० ने० वृ०, पृ० ३०२,

-30 R. 88.

एयाओ पवयणमाया जे सम्मं आयरे मुणी। सो सिष्पं सञ्जसंसारा विष्पमुच्चइ पंडिए।

---उ० २४.२७.

४. सद्धं नगरं किञ्चा तवसंवरमगलं । स्र्वति निउणपागारं तिगुत्तं दुष्पधंसयं ॥ —उ० १.२०.

१. वही।

२. वही ।

३. अट्टसु पदयणमायासु उवउत्ते ।

हैं—मनोगुष्ति, वचनगुष्ति और कायगुष्ति। इन्हें ही योगदर्शन के शब्दों में क्रमशः मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग कहा जा सकता है क्योंकि योगदर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध को 'योग' शब्द से कहा जाता है। इस तरह योगदर्शन का यह 'योग' शब्द जैनदर्शन के 'योग' शब्द से भिन्न है क्योंकि जैनदर्शन में प्रवृत्ति मात्र को योग कहा जाता है तथा उसके निरोध को 'गुष्ति'।

१. मनोगुप्ति—संरम्भ, समारम्भ एवं आरम्भ में प्रवृत्त हुए
मन के व्यापार को रोकना मनोगुप्ति है। किसी की मारने की
इच्छा करना 'संरम्भ', मारने के साधनों पर विचार करना
'समारम्भ' एवं मारने के लिए क्रिया प्रारम्भ करने का विचार
'आरम्भ' है। मन के ये क्रिमक तीन विकल्प हैं। अतः इन तीनों को
रोकना आवश्यक है। मन के विचारों की प्रवृत्ति सत्य, असत्य,
मिश्र (सत्य और असत्य से युक्त ) और अनुभय (सत्यासत्य से
रिहत ) इन चार विषयों में सम्भव होने से मनोगुप्ति के चार
प्रकार बतलाए हैं: ४१ सत्यमनोगुप्ति (सद्भूत पदार्थों में
प्रवर्तमान मन की वृत्ति को रोकना ), २ असत्यमनोगुप्ति (मिथ्या
पदार्थों में प्रवर्तमान मन की वृत्ति को रोकना ), ३ सत्यमृषामनोगुप्ति (मिश्र—सत्य एवं असत्य से मिश्रित मन के विचारों को
रोकना ) और ४ असत्यमृषामनोगुष्ति (अनुभय—सत्य, असत्य

-पा० यो० १.२.

देखिए—पृ० २८४, पा० टि० ३;उ० ६.२०;१२.३,१७;१६.८६; २४.१,१६;२६.३४;३०;३;३२.१६ आदि।

२. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः

संरंभसमारंभे आरंभे य तहेव य ।
 मणं पवत्तमाणं तु नियतेज्ज जयं जई ।।

[—]उ॰ **२४.२१.** 

४. सच्चा तहेव मोसा य सच्चमोसा तहेव य । चडत्यी असच्चमोसा य मणगुत्तीओ चडिव्वहा ॥

[—]**ड∙** २४.२०.

एवं सत्यासत्य से रहित मन के विचारों को रोकना )।° मन को एकाग्र करना (एकाग्रमन:सन्निवेश) और मन को समाधिस्थ करना (मनःसमाधारण) ये दोनों मनोगृष्ति के ही प्रतिफल हैं। एकाग्रमनःसन्निवेश आदि से घ्यान तप में सहायता मिलती है।

२. वचनगुष्ति-संरम्भ, समारम्भ एवं आरम्भ में प्रवृत्त हुए वचन के व्यापार को रोकना बचनगृष्ति है। वचन के संत्यादि चार प्रकार संभव होने से मनोगुष्ति की तरह इसके भी चार भेद बतलाए गए हैं। इनके क्रमशः नाम ये हैं: ४ १. सत्यवागुष्ति, २. मृषावाग्गुन्ति, ३. सत्यमृषावाग्गुन्ति (मिश्र) और ४. अस-त्यमुषावागाप्ति । यह वचनगुप्ति विशेषकर सत्य महाव्रत की रक्षा करती है। वाक्समाधारण (वाणी को समाधिस्थ करना) वचन-गृष्ति का ही प्रतिफल है।"

३. कायगुष्ति- खड़े होने में, वैठने में, शयन करने में, त्वक्-परिवर्तन में, लांघने में, प्रलंघन करने में, इन्द्रियों का विषय के साथ संयोग करने आदि में जो शरीर की प्रवृत्ति संरम्भ, समारम्भ एवं आरम्भरूप होती है उसे रोकना कायगुष्ति है अर्थात् शरीर-सम्बन्धी व्यापार को रोकना कायगृष्ति है। कायसमाधारण काय-गुप्ति का प्रतिकल है। इससे कायोत्सर्ग (शरीर का ममत्व छोड़कर

-30 28.22.

६. ठाणे निसीयणे चेव तहेव य त्यद्रणे ।

कार्य पवसमाणं तु नियतेञ्ज जयं जइ ।।

---उ० २४.२४-२४,

^{1.} First three refer to assertions and fourth to injunctions. - से व बू र ई०, भाग-४५, प् १५०.

२. उ० २६.२५-२६,५६,६२-६६.

३. देखिए-पृ० २६४, पा० टि० २.

४. सच्चा तहेव मोसा य""वइग्रती चउव्विहा ॥

४ उ० २६ ५७.

निश्चल होना) तप में सहायता मिलती है। भनोगुष्ति एवं वचन-गुष्ति की तरह कायगुष्ति के सत्यादि के भेद से चार प्रकार नहीं गिनाए गए हैं।

इस तरह गुप्ति में न केवल अशुभ-प्रवृत्ति का निरोध बतलाया गया है अपितु यावन्मात्र प्रवृत्ति का निरोध बतलाया गया है। अतः पूर्वोहिल खित गृष्ति के लक्षण में अव्याप्तिदोष (लक्षण का लक्ष्य के सभी अंशों में न पाया जाना) आता है। मालुम पड़ता है कि व्यवहार की दृष्टि से प्रधानता अशुभार्थों के निरोध में ही होने से गुप्ति का लक्षण सिर्फ अशुभ-अर्थों में प्रवृत्त मन, वचन और काय के व्यापार का निरोध बतलाया गया है। यदि यावन्मात्र शुभाशुभ प्रवृत्ति का निरोध कर दिया जाएगा तो किसी भी क्रिया में प्रवृत्ति न होने से सदाचाररूप महाव्रतों का पालन करना संभव न हो सकेगा। इसके अतिरिक्त श्वासादि क्रिया का भी निरोध कर देने पर जीवनधारण करना भी संभव न हो सकेगा । अतः गुप्ति का कार्य प्रवृत्ति-निरोध-रूप होने पर भी प्रधानरूप से अशुभ प्रवृत्ति को रोकना है। यदि शुभकार्यों में प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़े तो आगे कही जानेवाली 'समिति' का आश्रय लेना चाहिए । इसीलिए नेमिचन्द्राचार्य अपनी वृत्ति में लिखते हैं कि जो समिति और गुप्ति का भेदपुर्वक कथन किया गया है वह समितियों के केवल प्रवृत्तिरूप (प्रविचार) होने एवं गुस्तियों के प्रवृत्ति एवं निवृत्ति उभयरूप होने से कथिवत् भेद बतलाने के लिए किया गया है। ये गुष्तियाँ और समितियाँ सब चारित्ररूप हैं और वह चारित्र ज्ञान और दर्शन के होने पर ही होनेवाला (अविनाभावी) है। इस तरह नेमिचन्द्राचार्य के अनुसार गुप्तियाँ न केवल अशुभ-अर्थों से निवृत्तिरूप हैं अपितु शुभ-अर्थों में प्रवृत्तिरूप भी हैं। र गुब्ति शब्द रक्षार्थक 'गृपु' धातू (गृपुरक्षणे)

१, उ० २६.५८.

२. 'गुत्ति' ति गुप्तयो निवर्त्तनेऽप्युक्ताः, 'असुभत्येसु' ति 'अणु-भार्थेभ्यः' अशोभनमनोयोगादिभ्यः 'सब्बसो' सि सर्वेभ्यः, अपि शब्दात् चरणप्रवर्त्तनेऽपीति सूत्रार्थः।

⁻⁻⁻ डें० ने० वृ०, पृ० ३०४.

तथा देखिए-- पृ० २८६, पा० टि० १.

से बना है। इससे सिद्ध होता है कि जो रत्नत्रय की रक्षा करता है वह गुष्तिवाला है। रत्नत्रय की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अशुभाचार को रोककर शुभाचार में प्रवृत्ति की जाए। इस तरह गुष्तियाँ अशुभ अर्थों से निवर्तक तथा शुभ-अर्थों में प्रवर्तक भी हैं। शुभ मन, वचन एवं काय के व्यापाररूप वत्तीस प्रकार के योगसंग्रहों के विषय में ग्रन्थ में यत्नवान् होने का विधान किया गया है। इससे भी प्रतीत होता है कि ये गुष्तियाँ मुख्यरूप से अशुभ-अर्थों से निवृत्ति करानेवाली हैं। इसी दृष्टि से ग्रन्थ में गुष्तियों को अशुभ-अर्थों से निवर्तक बतलाया गया है।

प्रनथ में मनोगुष्ति आदि का पृथक्-पृथक् फल बतलाते हुए लिखा है—मनोगुष्ति से जीव चित्त को एकाग्र करके संयम का आराधक हो जाता है। वचनगुष्ति से निविकारता को प्राप्त करके चित्त की एकाग्रता (अध्यात्मयोग) को प्राप्त कर लेता है और कायगुष्ति से सब प्रकार के पापास्त्रवों को रोककर संवरवाला हो जाता है। उससे प्रतीत होता है कि गुष्तियों का प्रधान कार्य अशुभ-अथों में प्रवृत्त मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों को रोकना है। इस तरह जब अशुभात्मक प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है तो फिर रत्तत्रयक्षय शुभ-अथों में प्रवृत्ति को करता हुआ साधक धीरेधीरे आयु के अन्तिम समय में शुभ-अथों में प्रयुक्त मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों का भी निरोध करके मुक्त हो जाता है। अतः ग्रन्थ में गुष्ति का फल कर्मक्षय के बाद संसार से मुक्ति वतलाया गया है। यदि परमार्थक्ष्य से विचार किया जाए तो सब

तथा देखिए-समवायाङ्ग, समवाय ३२; अमणसूत्र, पृ० १६६.

१. 'योगे' ति सूचकत्वात् सूत्रस्य योगसङ्ग्रहा यैः योगाः शुभमनो-वानकायव्यापारः सङ्गृहान्ते-स्वीक्रियन्ते, ते च द्वाविशव्

⁻⁻⁻ उ० ने० वृ०, पृ० ३५०.

२. उ० ३१.२•.

३. उ० २६.५३-५५.

४. चारित्तगुत्ते य णं जीवे विवित्ताहारे दढचरिते एगंतरए मोक्सभाव-पश्चित्रको अटुविहकस्मगंठि निज्जरेड ।

[—]उ० २६.३१.

प्रकार के शुभाशुभ अथाँ में होनेवाली शुभाशुभ प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है।

# समितियां-प्रवृत्ति में सावधानी ः

गमन आदि क्रियाओं के करते समय सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करना समिति है। अर्थात् साधु जो भी क्रियाएँ करे उनमें प्रमाद न करते हुए सावधानी रखे तािक जीवािद की हिंसा न हो। साधु को प्रतिदिन सामान्यरूप से जिन गमनािद क्रियाओं को करना पड़ता है उन्हें पाँच भागों में विभक्त करके समिति के भी पाँच भेद गिनाए गए हैं। इनके नामािद इस प्रकार हैं: १ गमन क्रिया में सावधानी (ईर्यासमिति), २ वचन बोलने में सावधानी (भाषासमिति), ३ आहारािद साधन-सामग्री के अन्वेषण, ग्रहण एवं उपभोग में सावधानी (एषणासमिति), ४ वस्त्रादि के उठाने व रखने आदि में सावधानी (आदान-निक्षेपसमिति) और ५ मलमूत्रािद का त्याग करते समय सावधानी (उच्चारसमिति)।

१. ईर्यासमिति—वर्षाकाल को छोड़कर शेष काल में साधु के लिए अपने शिष्य-परिवार के साथ या एकाकी (पक्षी की तरह निरपेक्षी होकर) ग्रामानुग्राम विचरण करने का विधान है। अतः मार्ग में गमन करते समय जिस प्रकार की सावधानी आवश्यक होती है उसे ईर्यासमिति कहते हैं। इस समिति की परिशुद्धि के लिए चार बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है: १ आलम्बन, २. समय, ३ मार्ग और ४. उपयोग (सावधानी) । अतः ग्रन्थ

सम्मनामा महत्मुणा । — उ० २४.२, तथा देखिए— उ० १०.३६; २२.३३; २३.३,७ आदि ।

१. देखिए-पृ० २ = ४, पा० टि० ३; उ० १२. २; १६. ८६; २०.४०; २४.१,२६; ३०.३.

२. विगिच कम्मुणी हेउं कालकंखी परिव्यए।
---उ० ६.१४.
चिच्चा गिह्नं एगचरे स भितस्तू!
---उ० १४.१६.
सम्मगामी महामुणी।

में कहा है कि साधु को ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र का आलम्बन करके, दिन में उत्पथ (ऊँचा-नीचा) से रहित मार्ग में चार हाथ प्रमाण भूमि को चक्षु के द्वारा एकाग्रचित्त से सावधानीपूर्वक देखते हुए गमन करना चाहिए जिससे जीवों की हिंसा नहो। गमन करते समय सावधानी बनाए रखने के लिये आवश्यक है कि रूपादि विषयों तथा अध्ययन (स्वाध्याय) में लगी हुई, चित्तवृत्ति को वहाँ से हटाकर गमन के प्रति ही चित्तवृत्ति को सावधानी से लगाए रखें। ऐसा करने से अहिंसा महाव्रत का पालन होता है। इन्द्र-निम संवाद में ईर्यासमिति को धनुष की प्रत्यन्त्वा कहा है। इससे इसकी उपयोगिता और महत्त्व का पता चलता है।

२. भाषासमिति—क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मुख-रता (वाचालता) और विकथा (धर्मविरुद्ध कथा) इन आठ दोषों से रहित समयानुकूल अदुष्ट एवं परिमित वचन बोलना भाषा-समिति है। अर्थात् सावधानीपूर्वक समयानुकूल, हित-मित-प्रिय

द्वा चित्रक्षुसा पेहे जुगमित्तं च खेत्तओ।
कालओ जाव रीइण्जा उवउत्ते य मावओ।।
इंदियत्ये विविण्णित्ता सण्झायं चेव पश्वहा।
तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे उवउत्ते रियं रिए।।
—उ० २४.४-=

तया देखिए—उ० २०.४०; २५.२; २६.३३ आदि ।

२. घणुपरक्कमं किच्चाजीवं च ईरियं सया। चिई च केयणं किच्चासच्चेण परिसंथए।। —उ० १.२१.

 कोहे माणे य नायाए लोभे य उव उत्तया । हासे भये मोहरिए विकहापु तहेव य ।। एयाई अट्ठ ठाणाई परिविज्जित् संजए । असावज्जं मियं काले भासं भासिज्ज पत्रवं ।।

—उ० **२४.६-<u>१</u>०.** 

आलंबणेण कालेण मग्गेण जयणाइ य । च अकारणपिसुद्धं संजए इरियं रिए ।। तत्थ आलंबणं नाणं दंसणं चरणं तहा । काले य दिवसे बुत्ते मग्गे उप्पह विजिए ।।

२६३

एवं सत्य वचन बोलना सत्य महाव्रत का पालन करने में सहायक है।

३. एषणासमिति - यद्यपि साधु सब प्रकार की धन-सम्पत्ति का परित्याग कर देता है परन्तु जीवन-निर्वाह के लिए आहारादि की आवश्यकता पड़ती ही है। अतः वह गृहस्थ के घर से नियमानुकूल आहारादि को मांगकर अपना जीवन-निर्वाह करता है। इस आहार आदि की प्राप्ति में एवं उसके उपभोग आदि में जिस प्रकार की सावधानी आवश्यक होती है उसे एषणासमिति कहते हैं। इस विषय में ग्रन्थ में सामान्यरूप से बतलाया गया है कि साधु आहार, उपकरण (वस्त्र, पात्र आदि) और शय्या (उपाश्रय—निवासस्थान) आदि की गवेषणा करते समय गवेषणा के उद्गम एवं उत्पादन-सम्बन्धी, ग्रहण करने के ग्रहणैषणा-सम्बन्धी एवं उपभोग करने के परिभोगैषणा-सम्बन्धी दोषों को बचाए अर्थात आहारादि के खोजने सम्बन्धी, ग्रहण करने सम्बन्धी एवं उपभोग करने सम्बन्धी शास्त्रोक्त खियालीस दोषों को जिनसे साध हिसादि दोषों का भागी हो सकता है, बचाने का प्रयत्न करे।

१. गवेसणाए गहणे य परिभोगेसणा य जा। आहारोवितिकेजाए एए तिन्नि विसोहए ।। उग्गम्पायणं पढमे बीए सोहेज्ज एसणं । परिभोयम्मि चउनकं विसोहेज्ज जयं जई ॥

[—]उ० २४.**१२-१३.** 

२. एषणासमिति में ध्यान रखने योग्य छियालीस दोष इस प्रकार हैं :

क. गवेषणा-सम्बन्धी ३२ दोष — इनमें १६ दोष उद्गम-सम्बन्धी हैं जिनका निमित्त गृहस्य होता है तथा १६ दोष उत्पादन-सम्बन्धी हैं जिनका निमित्त साधु होता है । जैसे: उद्गम-सम्बन्धी १६ दोष--१. कर्म ( साधु को उद्देश्य करके बनाया गया आहारादि ), २. औदेशिक (सामान्य याचकों के उद्देश्य से बनाया गया ), ३. प्रतिकर्म ( गुड आहार को आधाकर्मादि से मिश्रित करके बनाया गया ), ४. मिश्रजात (स्वयं को एवं साधु को एकसाथ मिलाकर बनाया गया ), ५. स्थापना ( साधु के लिए अलग सुरक्षित रक्षा गया ),

४ आदान-निक्षेपसिमिति—आदान का अर्थ है—िकसी वस्तु को उठाना या लेना तथा निक्षेप का अर्थ है—िकसी वस्तु को

६. प्राभृतिका (किसी जीमनवार अगदि के लिए बनाया गया), ७. प्रादुष्करण ( अस्थकारयुक्त स्थान से दीपक आदि का प्रकाश करके लाया गया ), प. कीत (खरीदकर लाया गया), ६. प्रामित्य ( उधार माँगकर लाया गया ), १० परिवर्तित (परिवर्तन करके लाया गया ), ११. अभिहृत ( दूर स्थान से लाया गया ), \cdots उद्भिन्न (बंद पात्र का मुंह खोलकर लाया गया ), १३. मालापहृत ( ऊपर से उतारकर लाया गया ) १४. आच्छेच ( दुर्बल से छीनकर लाया गया ), १५. अनिमृष्ट (साझे का पदार्थ साझेदार से पुछे बिना लाया गया ) और १६. अध्यवपूरक (सांधु को गाँव में आया जानकर अपने लिए बनाए जाने वाले भोजन की मात्रा बढ़ा देना )। उत्पादन-सम्बन्धी १६ दोष - १. घात्रीकर्म (धायकी तरह गृह€थ के बच्चे को खिलाकर आहारादि प्राप्त करना ), २. दूर्तीकर्म (दूत की तरह सन्देशवाहक अनकर ), ३. निमित्त ( शुभाशुभ निमित्त बताकर ), ४. आजीव ( अपनी जाति, कूल आदि बताकर), १. वनीपक (गृहस्थ की प्रशंसा करके), ६. चिकित्सा (बीमारीकी दवा बताकर), ७ क्रोध-पिण्ड (कोध बताकर), द. मान-पिण्ड (अपना प्रभुख जमाकर), माया-पिण्ड ( छल-कपटपूर्वक ), १०. लोभ-पिण्ड ( सरस एवं अच्छे भोजन की अभिलाषा से अधिक दूर से माँगकर लाया गया ), ११. संस्तव-पिण्ड (संस्तृति करके ), १२. विद्या-पिण्ड (विद्या के बल से ), १३. मन्त्र-दोष (मन्त्र प्रयोग से ), १४. चुणं-योग (वशीकरण-चुणं आदि का प्रयोग करके), १५. योग-पिण्ड (योग-विद्या आदि का प्रयोग करके ), १६. मूलकर्म (गर्भ-स्तम्भन आदि का प्रयोग बताकर)।

ख. ग्रहणेषणा-सम्बन्धी १० दोष — इनके निमित्तकारण गृहस्य और साधु दोनों होते हैं। जैसे : १. ग्रांकित (आधाकमीदि दोष की शंका होने पर आहारादि लेना), २. म्रक्षित (सिचत्त से धुक्त), ३. निक्षिप्त (सिचत्त वस्तु पर रखा हुआ), ४. पिहित (सिचत्त वस्तु से ढका हुआ), ५. संहुत (किसी पात्र में पहले से रखे हुए अकल्पनीय रखना। अतः साधु के पास जो भी रजोहरण आदि उपकरण होते हैं उन्हें आखों से अच्छी तरह देखकर (प्रतिलेखना करके) तथा प्रमार्जन (सफाई) करके उठाना एवं रखना 'आदान-निक्षेप' समिति है।' अर्थात् पात्रादि उपकरणों को उठाते एवं रखते समय अच्छी प्रकार देख-भाल (प्रतिलेखना) कर प्रमार्जन कर लेना चाहिए जिससे जीवों की हिंसा न हो। इस तरह इस समिति का सम्यक्-रूप से पालन करने के लिये प्रतिलेखना (निरीक्षण) एवं प्रमार्जना (धूलि आदि साफ करना) को समझ लेना आवश्यक है।

प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना-प्रतिलेखना का अर्थ है - चक्षु से देखना और प्रमार्जना का अर्थ है - साफ करना। ये दोनों क्रियाएँ साधु को प्रातः एवं सायं रोज करनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त पात्र आदि उपकरणों के उठाते एवं रखते समय भी इन्हें करना पड़ता है। इनके करने से षट्काय के जीवों की रक्षा होती

पदार्थ को निकालकर उसी पात्र से देने पर ), ६. दायक ( अराबी, गिभणी आदि अनिधिकारी के द्वारा देने पर ), ७. उन्मिश्र ( गुद्ध और अगुद्ध से मिश्रित ), ६. अपरिणत (शाकादि के पूर्ण रूप से पके हुए न होने पर ), ६. लिप्त ( दूध, दही आदि से लिप्त पात्र या हाथ से देने पर ) और १०. छिदत ( जिसके अन्नकण नीचे गिर रहे हों )।

ग परिभोगेषणा (ग्रासंषणा)-सम्बन्धो ४ दोष—इनका निमित्त साधु ही होता है। जैसे : १ संयोजना (सरसता की लोलपता से दूध, शक्कर आदि को परस्पर मिलाकर खाना ), २ अप्रमाण (प्रमाण से अधिक खाना ), ३ अगार (सरस आहार होने पर दाता की प्रशंसा करते हुए तथा नीरस होने पर निन्दा करते हुए तथा नीरस होने पर निन्दा करते हुए खाना ) और ४ अकारण (बलवृद्धि आदि की भावना से खाना )।

— देखिए—वहीं, टीकाएँ; श्रमणसूत्र, पृ० ४३१-४३५.

चक्खुमा पिंडलेहित्ता पमज्जेज्ज जयं जई।
 आइए निक्लिवेज्जा दृहओवि सिमिए सया।

-30 78.88.

तथा देखिए--उ० २४.१३; २०.४०;१२.२.

है और न करने से उन जीवों की हिंसा संभव है। अतः अहिंसावत पालन करने वाले साधु को इन्हें करना आवश्यक है। जो साधु प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना को उचितरूप से नहीं करता हुआ अपने उपकरणों को जहाँ-तहाँ रख देता है तथा शय्या आदि पर धूलि-धूसरित पैर होने पर भी सो जाता है वह साधु सच्चा साधु नहीं है। जो समय पर प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना करता है उसके ज्ञानावरणीयादि कर्म नष्ट हो जाते हैं।

प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना की विधि - साध को समय का अतिक्रमण किये बिना अपने सभी उपकरणों की प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना
करनी चाहिए। प्रतिलेखना करते समय सवंप्रथम मुखबस्त्रिका
की, फिर रजोहरण (गोच्छक) की प्रतिलेखना करनी चाहिए।
इसके बाद अंगुलियों से रजोहरण को ग्रहण करके वस्त्रों की
प्रतिलेखना करनी चाहिए। वस्त्रों की प्रतिलेखना करते समय
वस्त्र को भूमि से ऊँचा रखते हुए दृढ़ता से स्थिर पकड़कर
गीधता न करते हुए सावधानीपूर्वक पहले वस्त्र का निरीक्षण
करना चाहिए। इसके बाद यत्नपूर्वक तस्त्र को झटकारना चाहिए
जिससे जीव-जन्तु निकल जाएँ। यदि न निकलें तो यत्नपूर्वक
हाथ में लेकर एकान्तस्थान में छोड़ देना चाहिए। इस क्रिया को
करते समय शरीर एवं वस्त्र आदि को इधर-उधर नचाना नहीं
चाहिए। वस्त्र कहीं से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। असावधानीपूर्वक जल्दी-जल्दी नहीं करना चाहिए। दीवाल आदि से संपर्क नहीं
होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस वस्त्र की प्रतिलेखना की

पडिलेहणा बाउत्तो छण्हं संरक्खओ होइ।।

—उ० २६,३०**-३**१.

१. पुढवी बाउक्काए तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।

२. देखिए--पृ० २४६, पा॰ टि० ४; उ० १७.१०,१४.

३. उ० २६.१४.

४. देखिए--पृ० २४८, पा० टि• ३.

जा रही हो उसके तीन भाग करके प्रत्येक भाग को दोनों तरफ से देखना चाहिए या फिर प्रत्येक भाग को तीन-तीन बार (षट्पुरिम व नवखोटक ) देखना चाहिए। यदि फिर भी जीव उसमें रह जाए तो हाथ से निकालकर जीव की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह सावधानीपूर्वक की गई प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना प्रशस्त कहलाती है और असावधानीपूर्वक की गई प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना व प्रमार्जना अप्रशस्त कहलाती है। ग्रन्थ में अप्रशस्त प्रतिलेखना के कुछ प्रकार वतलाए गए हैं जिनका त्याग आवश्यक है। अप्रशस्त प्रतिलेखना के कुछ प्रकार ये हैं: रे

१. आरभटा (प्रतिलेख्यमान वस्त्र की पूर्ण प्रतिलेखना किए बिना ही बीच में दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना करने लगना), २. सम्मर्दा (वस्त्र के कोने को पकड़कर या उसके ऊपर बैठकर प्रतिलेखना करना), ३. मोसली (वस्त्र को दीवाल आदि के सहारे से ऊपर, नीचे व तिरछे करके प्रतिलेखना करना), ४. प्रस्फोटना (वस्त्र को जोर से फटकारना), ५. विक्षिप्ता (प्रतिलेखना किए हुए और प्रतिलेखना विना किए हुए वस्त्रों को मिला देना), ६. वेदिका (जानु के ऊपर, नीचे, तिरछे एवं

तथा देखिए-श्रमणसूत्र, पृ० ४०६-४१०.

२. अग्रमडा सम्मद्दा वज्जेयव्या य मोसली तद्द्या ।
पष्कोडणा चउत्थी विविद्यता वेद्द्या छुट्टी ।।
पसिढिलपलंबलोला एगामोसा अग्रेगरूवधुणा ।
कुणद्द पमाणे पमायं संकियगणणीयमं कुज्जा ।।
—अ० २६.२६-२७.

पढिलेहणं कुणंतो मिह्नो कहं कुणइ जणवयकहं वा। देइ व पञ्चक्खाणं वाएइ सयं पडिच्छइ वा।। — उ०२६.२६.

१. उड्डं थिरं अनुरियं पुब्बं ता वस्थमेव पिंडलेहे ।
 तो बिड्यं पप्फोडे तह्यं च पुणो पमिज्जिज ।
 अणच्चावियं अवलियं अणाणुबंधिममोसलि चेव ।
 छप्पुरिमा नव खोडा पाणीपाणिविसोहणं ।।
 — उ० २६.२४-२५.

मध्य भाग में वस्त्र को रखकर प्रतिलेखना करना ), ७ प्रशियिल (वस्त्र को शिथिलता से पकड़ना ), ६ प्रलम्ब (वस्त्र के एक कोने को पकड़कर शेष भाग को प्रलम्बमान रखना ), ६ लोल (वस्त्र का जमीन पर लटकते रहना ), १० एकामर्षा (वस्त्र को घसीटना ), ११ अनेकरूपधूना (अनेक प्रकार से वस्त्र को हिलाना ), १२ प्रमाण-प्रमाद (प्रतिलेखना के प्रमाण में प्रमाद करना ), १३ शिक्कुते गणनोपयोगः (कितनी बार प्रतिलेखना हो चुकी है इस प्रकार के प्रमाण में शिक्का हो जाने परपुनः अंगुलियों पर गिनने लगना ), १४ अदत्तिचत्त (प्रतिलेखना करते समय बार्तालाप, कथा, नित्यकर्म, पठन-पाठन आदि में ध्यान को लगाना ) और १५ न्यूनाधिक (किसी अंश में कम व अधिक बार प्रतिलेखना करना )।

इस तरह कम, अधिक एवं विषरीत प्रतिलेखना न करते हुए शास्त्रोक्त विधि से ही प्रतिलेखना करना प्रशस्त है और अन्य सब अप्रशस्त हैं। अतः प्रशस्त प्रतिलेखना के लिए सब प्रकार की सावधानी जरूरी है जिससे न तो जीवों की हिसा हो और न शास्त्रोक्त विधि में प्रमाद हो।

४. उच्चारसिमिति—मल ( उच्चार ), मूत्र ( प्रस्नवण ) आदि ( मुख का मैल, नाक का मैल, शरीर की गन्दगीं, फेंकने योग्य आहार, उपयोगहीन उपकरण, मृत शरीर अगदि ) फेंकने योग्य पदार्थों को विधिपूर्वक फेंकने योग्य ( व्युत्सर्जन योग्य ) एकान्त भूमि में त्यागना उच्चारसिमिति है। अर्थात् मल-भूत्रादि त्यागने योग्य वृणित पदार्थों को ऐसे स्थान पर छोड़ना जिससे न तो जीवों की हिंसा हो और न किसी को उससे वृणा हो।

१. अणुणाइरित्तपिं अलेहा अधिवच्चासा तहेव य । पढमं पर्य पस्तयं सेसाणि उ अप्पस्तथाइं ॥ --- उ० २६.२५.

२. उच्चारं पासवणं खेलं सिधाणअस्तियं । आहारं उविह देहं अत्रं वावि तहाविहें ।। —उ० २४.१४.

व्युत्सर्जन के योग्य (स्थण्डिल) भूमि-त्याज्य पदार्थों के फेंकने योग्य स्थान इस प्रकार का होना चाहिये: १ श आवागमन से सवंथा शून्य (जहाँ पर न तो कोई आ रहा हो और न कोई दूर से देख रहा हो—अनापातअसंलोक ! इसके अतिरिक्त ऐसा भी न हो कि कोई आता तो न हो परन्तु दूर से देख रहा हो—अनापात संलोक; या आ तो रहा हो परन्तु देखता न हो—आपात संलोक; या आता भी हो और देख भी रहा हो—आपात संलोक । इस तरह आवागमन से सर्वथा शून्य स्थान होना चाहिए), २० जहाँ क्षुद्र जीवादि की भी हिंसा सभव न हो, ३ सम हो (ऊँचीनीची न हो), ४ तृणादि से आच्छादित न हो, ५ अधिक समय पहले अचित्त किए गए स्थान में जीवादि की उत्पत्ति संभव होने से जिस स्थान को कुछ समय पूर्व ही अचित्त किया गया हो, ६ विस्तृत हो, ७ बहुत नीचे तक अचित्त हो, द ग्रामादि के समीप न हो, ६ छिद्ररहित हो और १० त्रस जीव एवं अङ्करोत्पादक शाल्यादि के बीज से रहित हो।

इस तरह ये पाँचों प्रकार की सिमितियाँ साधु को सावधानीपूर्वक सदाचार में प्रवृत्ति करने की शिक्षा देती हैं। जीवों की
हिसान हो और अहिसादि ब्रतों का ठीक से पालन किया जा
सके इसके लिये ही इन सिमितियों का और इसके साथ ही
गुष्तियों का प्रतिपादन किया गया है। ग्रन्थ में सिमितिवाले साधु
का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि जो किसी के प्राणों का
विघात नहीं करता है तथा उनकी रक्षा करने में तत्पर रहता
है वह सिमितिवाला कहलाता है। उसके पास पाप कर्म उसी
प्रकार नहीं ठहरते हैं जिस प्रकार उच्चस्थान में जल नहीं ठहरता

१. अणावायमसंलोए अणावाए चेव होइ संलोए।
आवायमसंलोए आवाए चेव संलोए।।
अणावायमसंलोए परस्सणुवधाइए।
समे अज्झुसिरे यावि अचिरकालकयम्मि य ।।
विच्छिण्णे दूरमोगाढे नासन्ने बिलवज्जिए।
तसपाणबीयरहिए उच्चाराईणि वोसिरे।।
— उ० २४.१६-१५.

## ३०० ] उत्तराध्ययत-सूत्रः एक परिशीलन

है। सिमितिवाले साथु का संसार-भ्रमण रुक जाता है और सिमिति से रिहत साथु संसार में भटकता रहता है। इस तरह गुष्ति और सिमितिरूप आठ प्रवचनमाताएँ महाव्रतों के रक्षण में तथा मुक्ति-मार्ग के प्राप्त कराने में प्रमुख हेतु हैं।

## ष्ठद् आवङ्गक

वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार ब्राह्मण को प्रातःकाल एवं ... संघ्याकाल में सन्ध्यावन्दना आदि नित्यकर्म करने पड़ते हैं उसी प्रकार जैन साथु को भी सामायिक आदि छः नित्यकर्म करने पड़ते हैं। अवश्यकरणीय नित्यकर्म होने से इन्हें 'आवश्यक' कहा जाता है। इन छः आवश्यकों के नामादि इस प्रकार हैं।

- १. समताभाव रखना (सामायिक), २. चौबीस तीर्थं द्वरों की स्तुति करना (चतुर्विशतिस्तव), ३. गुरु की वन्दना (वन्दन), ४. सदाचार में लगे हुए दोषों का प्रायश्चित करना (प्रतिक्रमण), ५. चित्ता को एकाग्र करके शरीर से ममत्व हटाना (कायोत्सर्ग) और ६. आहार आदि का त्याग करना (प्रत्याख्यान)।
- १. सामायिक आवश्यक—सम् + आय + इक = सामायिक अर्थात् रागद्वेष से रहित होकर समताभाव में स्थिर होना । इससे जीव सब प्रकार की पापात्मक प्रवृत्तियों (सावद्य-योग) से विरक्त हो
- श. आउत्तवा जस्स न अस्य कावि इरियाइ भावाइ तहेसणाए ।
   आयाणनिवलेबदुगंछणाए न बीरजाबं अणुजाइं मम्मं ॥
   उ० २०.४०.

पाणे य नाइवाएउजा से समीय ति वुच्चइं ताई। तको से पावयं कम्मं निज्जाइ उदर्ग व थलाओ।।

— उ० **५,**६,

तथा देखिए--उ० १२. १७;३१.७;३४.३१

२. अवश्यं कर्त्तव्यं आवश्यकं, श्रमणादिभिरवश्यं उभयकालं कियते ।
—आवश्यकसूत्र, मलगश्यिरि-टीका, पृ० ६६,

तथा देखिए--मूलाचार, अधिकार ७; अमणपूत्र, पृ० ५३-=४.

₹. 30 ₹€.5-24.

जाता-है। जिनभद्र ने सामायिक को चौदह पूर्वों (जिनवाणी) का सार बतलाया है। ^२

- २. चतुर्विंशतिस्तव आवश्यक-जैनधर्म के प्रवर्तक चौबीस तीर्थङ्करों एवं सिद्धों की स्तृति करना चतुर्विशतिस्तव आवश्यक है। इससे जीव दर्शन की विश्वद्धि करता है।³ इस आवश्यक में जो जैन तीर्थे द्धारों की स्तृति का विधान किया गया है उसका कारण यह है कि उनके गुणों का चिन्तन करके अपनी अन्तश्चेतना को जाग्रत करना चाहिए नयोंकि जैन तीर्थङ्कर वीतराग होने के कारण उपासक का किसी प्रकार का उपकार नहीं करते हैं।
- ३. वन्दन आवश्यक-गुरु का अभिवादन करना वन्दन आव-श्यक है। यदि गुरु उपस्थित न हो तो उनका मन में संकल्प करके अभिवादन कर लेना चाहिए। ग्रन्थ में प्रत्येक 'आवश्यक' के पहले और बाद में गृह की वन्दना अवश्यकरणीय बतलाई गई है। इस वन्दन आवश्यक का फल बतलाते हुए लिखा है-'गूरु-वन्दना से जीव नीचगोत्र कर्म का क्षय करके उच्चगोत्र कर्म का बन्ध करता है और अप्रतिहत सौभाग्यवाला तथा सफल आज्ञावाला होता हुआ सर्वत्र आदर प्राप्त करता है।'

—उ० २६.६.

तया देखिए-आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १०७६. थयथुइमंगलेण नाणदंसणचरित्त बीहिलाभं जणयह।''''यणं जीवे अंतिकिरियं कप्पविमाणीववित्तयं आराहणं आराहेइ। --- ड० २६,१४.

१. सामाइएणं सावज्जजोगविरइं जणयह । --- 3º २8.5.

२. सामाइयं संखेवो चोद्सपुक्वत्यपिडोत्ति । -विशेषावश्यकभाष्य, गाया २७६६.

३. चउन्बीसंत्थएणं दंसणविसोहि जणयह ।

४. देखिए-सामाचारी ।

बंदणएणं नीयागोयं कम्मं खवेइ । उच्चागोयं कम्मं निबंधइ । सोहग्गं च णं अपिडहर्यं आणाःफलं निव्वत्ते इ। दाहिणभावं च णं जणयह। —उ० २**६.१०**∙

४. प्रतिक्रमण आवश्यक—'प्रति' उपसमंपूर्वक गमनार्थक 'क्रमु' धातु से प्रतिक्रमण शब्द बना है। इसका अर्थ है—प्रतिकृत पादनिश्चेप अर्थात् सदोष आचरण में जितने आगे बढ़ गए थे उतने ही पीछे हटकर स्वस्थान पर जाना। अतः प्रतिक्रमण का अर्थ हुआ—
दोशों का प्रायश्चित्त (पश्चात्ताप) करना। यह प्रतिक्रमण प्रातःकाल तथा सायकाल तो किया ही जाता है, इसके अतिरिक्त दैनिक छोटी से छोटी क्रिया करने पर तथा विशेष अवसरों पर भी किया जाता है। इसके फल का वर्णन करते हुए प्रन्थ में लिखा है—
'प्रतिक्रमण से जीव बतों के छिद्रों (दोशों) को दूर करता है, फिर शुद्धवतधारी होकर कर्मास्रवों को रोकता हुआ तथा आठ प्रवचनमाताओं में सावधान होता हुआ विशुद्ध चारित्र को प्राप्त करके संयम में विचरण करता है।'

यह प्रतिक्रमण आवश्यक प्रायश्चित तप का एक भेदिनिशेष है जिसका आगे तप के प्रकरण में वर्णन किया जाएगा। प्रतिक्रमण एक छोटा प्रायश्चित है और यह 'मेरा पाप मिथ्या हो' (मिच्छा मि दुक्कड) इतना कहने मात्र से पूरा हो जाता है। अर्थात् स्वयं के दोष को स्वयं से कहकर आत्मिनिन्दा करना। इस आत्मिनिन्दा रूप पश्चाताप से जीव क्षपकश्चेणी (करणगुणश्चेणी) को प्राप्त करता हुआ मोहनीय कर्म का क्षय कर देता है। प्रतिक्रमण का जैनशास्त्रों में बहुत महत्त्व है। इसीलिये समस्त आवश्यक क्रिया को 'प्रतिक्रमण' शब्द से भी कहा जाता है।

१. प्रतीयं क्रमणं प्रतिक्रमणं, अवसर्थं: णुभशोगेभ्योऽणुभयोगान्तरं कान्तस्य शुभेषु एव क्रमणान्त्रतीयं क्रमणम् ।

[—]हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र-स्वोपज्ञवृत्ति, तृतीय प्रकाश ।

२. देखिए-सामाचारी; आवश्यकिन्युक्ति, गाथा १२४४.

पिडिन्कमणेणं वयिख्हाणि पिहेइ । पिडिन्यवयिख्हे पुण जीवे निरुद्धासवे असबलचरित्ते अटुसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहिए विहरइ ।
 — उ० २६.११.

४. देखिए--पृ० २३३, पा० टि० १.

५. उ० २६.६.

६. देखिए-श्रमणसूत्र, पृ० २०६-२१०.

भू. कायोत्सर्ग आवश्यक — इसमें दो शब्द हैं — काय और उत्सर्ग। इनका अर्थ है — शरीर का त्याग करना अर्थात् शरीर से ममत्व को छोड़कर तथा स्व-स्वरूप में लीन होकर निश्चल होना कायोत्सर्ग है। यह भी एक प्रकार का तप है जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। कायोत्सर्ग से साधक प्रतिक्रमण की तरह अतीत एवं वर्तमान के दोषों का शोधन करता है, फिर प्रायश्चित्त से विशुद्ध होकर कर्मभार को हत्का कर देता है। तदनन्तर वह चिन्तारहित होकर शुभ (प्रशस्त ) ध्यान में लगा हुआ सुखपूर्वक विचरण करता है। अतः इस कायोत्सर्ग को सब प्रकार के दुःखों से छुड़ानेवाला भी कहा गया है। सामायिक और कायोत्सर्ग में यह अन्तर है कि सामायिक में साधु हलन-चलनादि किया कर सकता है परन्तु कायोत्सर्ग में हलन-चलन नहीं कर सकता है।

६. प्रत्याख्यात आवश्यक—प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ है—परि-त्याग करना । यद्यपि साधु सर्वविरत होता है फिर भी आहारादि का अमुक समयविशेष के लिए त्याग करना प्रत्याख्यान आवश्यक है। इसके करने से मन, वचन और काय की दूषित प्रवृत्तियाँ हक जाती हैं और फिर कर्मों का आस्रवद्वार भी बन्द हो जाता है। ग्रन्थ के 'सम्यवत्व-पराक्रम' अध्ययन में कुछ प्रत्याख्यानों के पालन करने का फल बतलाया गया है। जैसे:

क. संभोग प्रत्याख्यान – साधुओं के द्वारा एकत्रित किये गए भोजन को एकसाथ मण्डलीबद्ध बैठकर खाने का त्याग करना।

—उ० २६.१२.

२. काउरसम्मं तओ कुञ्जा सन्वदुवस्वविमोक्समां।

---- उ० २६.**३**६.

तथा देखिए---उ० २६.४२.

पच्चवसाणेणं आसवदाराइं निरुंभइ ।
 उ० २६.१३.

१. काउस्सगोणं तीयपडुप्पन्नं पायच्छितं विसोहेइ । विसुद्धपायच्छिते य
जीवे मिन्व्यहियए ओहरियभरुव्य भारवहे पसत्थण्झाणोवगए सुहं
सुहेणं विहरइ ।

इससे जीव स्वावलम्बी हो जाता है और फिर अपने लाभ से ही संतुष्ट रहता है।

ख. उपिध प्रत्याख्यान—वस्त्रादि उपकरणों का त्याग करना। इससे स्वाध्याय आदि के करने में निर्विधनता की प्राप्ति होती है. तथा आकांक्षारहित होने से वस्त्रादि के मांगने, उनकी रक्षा करने आदि का कष्ट नहीं होता है।²

ग आहार प्रत्याख्यान—आहार का त्याग करने से जीवन के प्रति ममत्व नहीं रहता है और निर्ममत्व हो जाने पर आहार के बिना भी उसे किसी प्रकार का कब्ट नहीं होता है। 3

घ. योग प्रत्याख्यान - मन, वचन और कायसम्बन्धी प्रवृत्ति (योग) को रोकना योग प्रत्याख्यान है। इससे जीव जीवन्मुक्त (अयोगी) की अवस्था को प्राप्त करता है तथा नवीन कर्मों का बन्ध न करता हुआ पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करता है।

ङ. सद्भाव प्रत्याख्यान — इसका अर्थ है — सभी प्रकार की प्रवृत्ति को त्यागकर पूर्ण वीतरागता की अवस्था को प्राप्त करना। इससे जीव सब प्रकार के कर्मों को नष्ट करके मुक्त हो जाता है।

- १. संभोगपच्चक्खाणेणं आलंबणाइं खवेइ। ""सएणं लाभेणं संतुस्सइ परलामं नो आसादेइ।
   -७० २६.३३.
- २. निरुवहिए ण जीवे निक्कंखी उवहि मंतरेण य न संकिलिस्सई। — उ० २६.३४.
- ३. आहारपच्चवलाणेणं जीवियासंसप्पओगं वोच्छिंदइ । ---उ० २६-३५.
- ४. जोगपच्चक्खाणेणं अजोगत्तं जणयह। अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न बंधह, पृब्वबद्धं निज्जरेह।
  — उ० २६.३७.
- ५. सन्भावपच्चनखाणेणं अणियद्धि जणयहः....सम्बदुवस्राणमंतं करेइ। —७० २६.४१.

तथा देखिए-उ॰ २६.४२,४५ आदि।

च. शरीर प्रत्याख्यान—इसका अर्थ है—शरीर से ममत्व हटाना। संसारी अवस्था में जीव हर समय किसी न किसी प्रकार के शरीर से युक्त रहता है और जब वह शरीर का प्रत्याख्यान कर देता है तो अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है।

छ. सहाय प्रत्याख्यान — अपने कार्य में किसी की सहायता न लेना सहाय प्रत्याख्यान है। इससे जीव एकत्वभाव को प्राप्त करता है। एकत्वभाव प्राप्त कर लेने पर वह अल्प शब्दवाला, अल्प कलहवाला और अल्प कषायवाला होता हुआ संयमबहुल, संवरबहुल और समाधिबहुल हो जाता है।

ज. कषाय प्रत्याख्यान — यद्यपि साधु सामान्यतया रागद्वेषरूप कषाय से रहित होता है फिर भी रागद्वेष का प्रसङ्घ आने पर संयम से च्युत न होना अर्थात् कोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों को जीतना कषाय प्रत्याख्यान है। इससे साधक तत्तत् कर्मों का बन्ध नहीं करता हुआ पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करके कमशः क्षमा, मृदुता, ऋजुता एवं निर्लोभता को प्राप्त कर लेता है। अभा से सब प्रकार के कब्टों को सहन करता है। मार्दव (मृदुता) से अभिमानरहित होकर मद के आठ स्थानों का क्षय कर देता है। आर्जव (ऋजुता) से सरल प्रकृति का होकर धर्म का पालन करता है। निर्लोभता से अकिञ्चनभाव (अपरिग्रहपना) को प्राप्त करके विषयों से अप्रार्थनीय (लुभाया न जाने वाला) हो जाता है। इस तरह इन कषायों पर विजय पाने से वीतरागता की प्राप्ति होती है। बीतराग पुरुष सुख और दुःख में समान स्थितवाला होता है। उसे मनोज्ञामनोज्ञ विषयों के प्रति ममस्व या द्वेष नहीं रहता है।

१. सरोरपञ्चनखाणेणं सिद्धाइसयगुणत्तणं निञ्चते ह ।

[—]उ० २**६**.३८.

२. सहायपच्चक्खाणेणं एगीभावं जणयङ् "संवरबहुले समाहिए यावि भवड । — ७० २१.३१.

३, उ० २६.६७-७०.

४, कसायपच्चविक्षाणेणं वीयरायभावं जणयइ .....समसुहदुवले भवइ । —उ० २६.३६.

तया देखिए--उ० २६.४५-४६;६.५७-५८;३१.३,७.

### ३०६ ] उत्तराध्ययन सूत्र : एक परिशीलन

इस तरह ग्रन्थ में कुछ प्रत्याख्यानों के प्रकार और उनके फल बतलाए गए हैं। इसी तरह प्रत्याख्यान आवश्यक के अन्य प्रकार समझ लेने चाहिए।

उपर्युक्त सामायिक आदि छः आवश्यकों के ही नाम अनुयोगद्वार में प्रकारान्तर से मिलते हैं जिनसे इनके स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। उनके क्रमशः नाम ये हैं: १. सावद्ययोगिवरित (सामायिक), २. उत्कीर्तन (चतुर्विशतिस्तव), ३. गुणवत्प्रतिपत्ति (वन्दन), ४. स्विलितिनन्दना (प्रतिक्रमण), ५. व्रणचिकित्सा (कायोत्सर्ग) और ६ गुणधारण (प्रत्याख्यान)। 'आवश्यक' नामक एक सूत्रग्रन्थ भी है जिसमें इन छ: आवश्यकों का ही विशेष वर्णन किया गया है।

इन छः आवश्यकों के अतिरिक्त एक आवश्यक क्रिया और है जिसका नाम है वस्त्रादिक की प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना। यह प्रतिक्रमण आवश्यक में ही गतार्थ है। इन छः नित्यकर्मों की आवश्यक सज्ञा रूढ़ है, अन्यथा ग्रन्थ में साधु के अन्य भी नित्यकर्म बतलाए गए हैं जिनका स्पष्टीकरण आगे वतलाई जाने-वाली साधु की दिन एवं रात्रिचर्या से हो जाएगा। वस्तुतः ये छः आवश्यक या नित्यकर्म साधु के सामान्य नित्यकर्म हैं और अध्ययन, मनन आदि विशेष कार्य हैं।

## सामानारी

प्रतिदिन साधु को जिस प्रकार का आचरण करना पड़ता है उसे 'सामाचारी' कहा गया है। सामाचारी शब्द का सामान्य अर्थ है—सम्यक्चर्या या आचरण। ग्रन्थ में सामाचारी के दस

- १. विशेष के लिए देखिए-भगवतीसूत्र ७.२.
- २. सावज्जजोगिवरई उविकत्तण गुणवञ्जोय पश्चित्ती । खलिचस्स निदणा वणतिगिच्छ गुणधारणा चेत्र ॥ —अनुयोगद्वार, पृ० ६०.

अङ्ग बतलाए गए हैं जिनका पालन करने से साधु संसाररूपी समुद्र से पार उतर जाता है।

## सामाचारी के दस अङ्गः

संसाररूपी समुद्र से पार उतारनेवाली सामाचारी के दस अङ्ग इस प्रकार हैंं:^२

- १. आवश्यकी निवास-स्थान (उपाश्रय) से बाहर जाते समय आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ एतदर्थ 'आवस्सही' ऐसा कहना।
- ्र. नैषेधिकी बाहर से उपाश्रय के अन्दर आते समय 'निसिही' ऐसा कहना।
- ३. आपृच्छना गुरु आदि से अपना कार्य करने के लिए पूछना या आज्ञा लेना।
  - ४. प्रतिपृच्छना दूसरे के कार्य के लिए गुरु से पूछना।
- ४. छन्दना भिक्षा के द्वारा प्राप्त द्रव्य सर्घामयों को देने के लिए आमन्त्रित करना।
- ६ इच्छाकार--गुरु आदि की इच्छा को जानकर तदनुकूल कार्यकरना।
  - ७. मिथ्याकार—कोई अपराध हो जाने पर अपनी निन्दा करना ।
- ्र तथाकार गुरु के वचनों को सुनकर 'तहत्ति' (जैसी आपकी आज्ञा ) ऐसा कहकर आदेश को स्वीकार करना ।
  - ६. अभ्युत्थान-सेवायोग्य गुरु आदि की सेवा-शृश्रुषा करना।
- १० उपसम्पदा ज्ञानादि की प्राप्ति के लिये किसी अन्य गुरु की गरण में जाना।
- २. पढमा आवस्सिया नाम बिड्या य निसीहिया ।
  - एवं दुपंचसंजुत्ता सामायारी पवेदया।।
    —उ०२६.२.७.

### ३०८] उत्तराध्ययन-सूत्रः एक परिशोलन

वट्टकेरकृत दिगम्बर ग्रन्थ मूलाचार में तथा क्ष्वेताम्बर ग्रन्थ भगवतीसूत्र में भी इन्हों दस अवयवोंवाली सामाचारी का वर्णन मिलता है। प्रकृत ग्रन्थ में सामान्यरूप से सामाचारी के १० अवयवों के वर्णन के साथ साधु के दिन एवं रात्रि के सामान्य कार्यों का भी समयविभाग के अनुसार वर्णन मिलता है।

## दिनचर्या एवं रात्रिचर्याः

साधु को सर्वप्रथम दिन एवं रात्रि को समानरूप से चार-चार भागों में बाँट लेना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक भाग में अपने-अपने कर्ताच्यों (उत्तरगुणों) का पालन करना चाहिये। प्रत्ये में प्रत्येक भाग को पौरुषी (प्रहर) शब्द से कहा गया है। प्रत्येक प्रहर में किए जाने वाले साधु के सामान्य कर्ताब्य इस प्रकार हैं: प्र

दिन का प्रथम प्रहर - यह सामान्यतः स्वाध्याय (अध्ययन) का समय है। इस प्रहर के आदि के चतुर्थ भाग में वस्त्र, पात्र

१. इच्छामिच्छाकारो तथाकारोयआसिआणिसिही । -आपुच्छापडिपुच्छाछंदणसणिमंतणाय उवसंगा ।।

- मूलाचार, अधिकार ४.१२५.

दसविहा सामायारी पन्नता तं जहा ""।

--भगवती, २४.७.१०१.

२. दिवसस्स चडरो भागे मिनखू कुञ्जा वियनखणो । तओ उत्तरगुणे कुञ्जा दिणभागेसु चडसु दि ।।

—उ॰ २६.११**.** 

तथा देखिए--उ० २६.१७.

- ३. उ**०** २६.१३-१६,१६-२०.
- ४. पढमं पोरिसि सज्झामं बीमं झाणं झियायई । तद्याए भिक्लायरियं पुणो चउत्यीद सज्झामं ॥ --उ० २६.१२.

पढमं पोरिसि सज्झायं बीयं झाणं झियायई। तइयाए निह्मोक्खं तु चउत्थी भुज्जो नि सज्झायं।। —उ० २६.१८.

तथा देखिए-उ० २६.३६-५२.

(भाण्ड) आदि की प्रतिलेखना करे, फिर गुरु को नमस्कार करके पूछे कि 'हे भदन्त! मैं स्वाघ्याय करूं या वैयावृत्य (सेवा- मुश्रूषा)', फिर गुरु जिसकी आज्ञा देवें उसी का ग्लानिरहित होकर पालन करे।

दिन का दितीय प्रहर-इसमें साधु चित्त को एकाग्र करके घ्यान करे। इस घ्यान का वर्णन आगे तपश्चर्या में किया जाएगा।

दिन का नृतीय प्रहर—इसमें साधु भोजन-पान (आहार) की गवेषणार्थ गृहस्थों के घर जाए और गृहस्थ से प्राप्त आहार का उपभोग करे। भिक्षार्थ जाते समय अपने पात्रों की पुनः प्रतिलेखना कर लेना चाहिये तथा भिक्षा के लिये परमार्द्ध-योजनप्रमाण (दो क्रोश—आधा योजन) क्षेत्र तक ही जाना चाहिए।

दिन का चतुर्थं प्रहर-इस प्रहर में साधु पुनः स्वाध्याय करे। जब इस प्रहर का चतुर्थांश शेष रह जाए (करीब ४५ मिनट) तो गुरु की वन्दना करे, फिर शय्या एवं 'उच्चारभूमि' (मल-मूत्रादि के त्यागने का स्थान) की प्रतिलेखना करके ज्ञान, दर्शन और चारित्र में लंगे हुए दिनसम्बन्धी अतिचारों (दोषों) का चिन्तन करता हुआ गुरुवन्दना, कायोत्सगं, स्तुतिमङ्गल (चतुर्विशतिस्तव), प्रतिक्रमण आदि आवश्यकों को करे। गुरु-वन्दना प्रायः प्रत्येक आवश्यक-क्रिया के बाद करनी पड़ती है।

रात्रिका प्रथम प्रहर—इस प्रहर में साधु पुनः स्वाघ्याय करे। रात्रिका द्वितीय प्रहर—इसमें दिन के द्वितीय प्रहर की तरह ही घ्यान करे।

रात्रि का तृतीय प्रहर-इसमें निद्रा का त्याग करे अर्थात् इस प्रहर में निद्रा लेने के बाद प्रहर के अन्त में जाग जाए। यद्यपि ग्रन्थ में साक्षात् निद्रा लेने का कथन नहीं किया गया है परन्तु निद्रा का त्याग बिना निद्रा के सम्भव नहीं है। निद्रा के प्रमादरूप होने

तथा देखिए-- ७० २६. द- ६,१२,२१-२२

१. वेयावच्चे निउत्तेण कायव्यं अगिलायओ । सज्झाए वा निउत्तेण सब्बदुक्खवियोवखणे ॥ ---उ० २६. १०.

## -३१० ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशी<del>ल</del>न

से साक्षात् निद्रा का कथन न करके निद्रात्याग का कथन किया गया है। शरीर की स्वस्थता तथा स्वाध्याय आदि करने के लिये भी निद्रा आवश्यक है।

रात्रिका चतुर्थं प्रहर-इसमें रात्रिसम्बन्धी प्रतिलेखना करके मुख्यरूप से पुनः स्वाध्याय करे। स्वाध्याय करते समय गृहस्थों को न जगाए। जब इस प्रहर का चतुर्थांण शेष रह जाए तो गुरुकी बन्दना करके प्रातःकालसम्बन्धी प्रतिलेखना करे, फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में लगे हुए रात्रिसम्बन्धी दोषों का चिन्तन करता हुआ गुरुवन्दना, कायोत्सर्ग, जिनेन्द्रस्तुति, प्रतिक्रमण आदि आवश्यकों को करे। इसके बाद पुनः अगले दिन की क्रियाओं में पूर्ववत् प्रवृत्ति करे।

इस तरह यहाँ साधु की दिन एवं रात्रिचर्या के साथ दस अवयदोंवाली सामाचारी का जो वर्णन किया गया है वह सामान्य अपेक्षा से है क्यों कि इसमें समयानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है।

## वस्ति ग्रा खवाश्रग

साधु के ठहरने के स्थान को वसित या उपाश्रय कहा जाता है। ये उपाश्रय प्राय: नगर के वाहर उद्यान आदि के रूप में होते थे। साधु को किसी एक निश्चित उपाश्रय में हमेशा ठहरे रहने का आदेश नहीं है अपितु उनके लिए हमेशा (वर्षाकाल को छोड़कर)एक ग्राम से दूसरे ग्राम में इन्द्रियनिग्रहपूर्वक विचरण करने का उल्लेख मिलता है। साधु के ठहरने के स्थान के अर्थ में उपाश्रय के

१: विशेष के लिए देखिए—दशाश्रुतस्कन्ध (आचारदशा), पर्यृषणा कर्प; करुपमुत्र, सामाचारी प्रकरण।

अतिरिक्त शय्या शब्द का भी प्रयोग मिलता है। शय्या शब्द का अर्थ है – जहाँ पर विस्तर बिछाया जा सके ऐसा स्थान। आचाराङ्गसूत्र में भी इसी अर्थ में 'शय्यैषणा' नामक अध्ययन मिलता है। र

## निवासयोग्य भूमि कसी हो ?

प्रकृत ग्रन्थ में साधु के निवासयोग्य भूमि (उपाश्रय) के विषय में जो संकेत मिलते हैं वे इस प्रकार हैं:

- १ जो रमणीय एवं सुसन्जित न हो मन को लुभानेवाला, वित्रों से सुशोभित, पुष्पमालाओं एवं अगरचन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित, सुन्दर वस्त्रों से सुसन्जित एवं सुन्दर दरवाजों से युक्त उपाश्रय साधु के निवास के योग्य नहीं है क्योंकि ऐसे उपाश्रय में रहने से भोगों में आसक्ति बढ़ती है और फिर इन्द्रियों को वश में रखना कठिन हो जाता है।
- २. जो स्त्री, पशु आदि से संकीर्ण न हो—स्त्री, पशु आदि के आवागमन से संकीर्ण स्थान में निवास करने पर उनकी कामचेष्टाएँ आदि देखीन व सुनने से ब्रह्मचर्य ब्रत के पालन करने में बाधा आती है। अतः साधु को स्त्री, पशु आदि के आवागमन से रहित स्थान में ही ठहरना चाहिए।

—उ० ३४.४-**५**.

४. फामुयम्मि अणाव।हे इत्यीहि अणभिद्दुए । तत्य संकप्पए वासं भिक्खू परमसंजए ।। —-उ० ३४.७.

ंतथा देखिए—उ० ३०.२८.

१. वही ।

२. आचाराङ्ग, २.१.२.

मणोहरं चित्तघरं मल्लधूवेण वासियं।
 सक्तवाडं पंडुक्ल्लोयं मणसावि न पत्थए।।
 इंदियाणि उ भिक्खूस्स तारिसम्मि उवस्सए।
 दुक्कराइं निवारेउं कामराग विवड्ढणे।।

- ३. जहाँ जीवादि के उत्यन्न होने की संभावना न हो —यदि वहाँ क्षुद्र जीवों के उत्पन्न होने की संभावना होगी तो ऑहसा महावृत का पालन करने में बाधा पड़ेगी। अतः जहाँ क्षुद्र जीवों के उत्पन्न होने की संभावना न हो वही स्थान साधु के ठहरने के उपयुक्त है। "
- ४. जो गोबर आदि से उपिलप्त न हो तथा बीजादि से रहित हो—साधु के निमित्त से उस स्थान को लीप-पोतकर साफ न किया गया हो तथा अंकुरोत्पादक बीजों से आकीर्ण भी न हो । इससे भिन्न उपाश्रय में टहरने से साधु हिंसा के दोवों का भागी होता है। अतः जिस उपाश्रय को साधु के निमित्त से लीप-पोतकर साफ न किया गया हो ऐसे ही उपाश्रय में साधु ठहरे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह स्थान गन्दा हो अपितु वह साफ-सुथरा तो हो परन्तु साधु के निमित्त से उसे साफ न किया गया हो।
- ४. जो एकान्त हो—जो नगर एवं गृहस्थादि के घनिष्ठ सम्पर्क से रहित यमशान, उद्यान, शून्यगृह, वृक्ष, लतामण्डप का तलभाग आदि एकान्तस्थल हो। अस्वियों के विषय में शृहत्कल्प के द्वितीय उद्देश में लिखा है कि साध्वियों घमंशाला (आगमनगृह), टूटा-फूटा मकान (विकृति-गृह), वृक्षमूल और खुले आकाश (अभावकाश) में न रहें। इसका कारण यह है कि ऐसे एकान्त स्थानों पर साध्वियों के साथ पुरुषों के द्वारा बलात्कार की संभावना रहती है।
- ६. जो परकृत हो जो उपाश्रय साधुके निमित्त से बनाया गया न हो अर्थात् जिसे गृहस्थ ने स्वयं के उपयोग के लिये

१. वहीं तथा पृष् ३१०, पा० टि० २.

२. विवित्तलयणाई भइज्जताई निरोबलेवाई असंयडाई। — ज० २१.२२.

सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूले व इक्कओ ।
 पइस्किके परकडे वा वासं तत्थाभिरोयए ॥
 च्छ० ३४.६.
 तथा देखिए—छ० २.२०;१६.४-४;२०.४;२३.४;२४.३.

४. वही।

बनाया हो क्योंकि साधु के निमित्त से उपाश्रय के बनाने पर साधु को हिंसादि दोष का भागी बनना पड़ेगा।

इस तरह साधु सुसज्जित, रमणीय, स्त्री आदि से संकीण तथा जीवादि की उत्पत्ति की सम्भावना से युक्त स्थान पर न रहकर नगर से बाहर एकान्त अरण्य आदि में रहे। ऐसा एकान्त स्थान ही साधु के ठहरने के लिये उपयुक्त है। इससे अहिंसा आदि वतों का पालन करने में सुविधा रहती है। अतः जैसे स्थान में रहने से व्रतों का पालन करने में बाधा न आए वही स्थान साधु के ठहरने के लिये उचित है। यन्थ में अय्या-परीषह के प्रसङ्ग में कहा है कि साधु स्थान के सम होने या विषम होने पर घबड़ाए नहीं अपितु सभी प्रकार के कब्टों को सहन करता हुआ अपने कर्ताब्यपथ पर दृढ़ रहे। इस प्रकार के एकान्त स्थान में रहना विविक्तशयनासन (संलीनता) नामक एक प्रकार का तप भी है। र

#### आहार

भोजन के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है क्योंकि भोजन से ही इन्द्रियाँ पुष्ट होकर देखने, सुनने एवं विचार करने के सामर्थ्य को प्राप्त करती हैं। अतः साधु के लिए दिन का तृतीय प्रहर भोजन-पान के लिए नियत किया गया है। भोजन किन परिस्थितियों में करना चाहिए? किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए? किस प्रकार का आहार करना चाहिए? आदि बातों का यहां विचार किया जायगा।

## किन परिस्थितियों में आहार ग्रहण करे:

मोक्षाभिलाषी साधु निम्नोक्त छः कारणों के उपस्थित होने पर ही भोजन ग्रहण करे :3

तथा देखिए--- उ० २.२६; ६.१४; ८.१०.१२; १२.३५;१४.१२; २५.३६-४०; २६.३२; ३१.८.

१. देखिए- प्रकरण ४, शय्या परीषह।

२. देखिए--प्रकरण ४, तपश्चर्या।

वेयण वेयावच्चे इरियद्वाए य संजमद्वाए । तह पाणवत्तियाए छट्ठं पुण घम्मचिताए ।।

[—] उ० २६.३३.

## ३१४] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशोलन

- १. क्षुधा-वेदना की शान्ति के लिए—यद्यपि साधु के लिए क्षुधा-परी-षहजय का विधान किया गया है परन्तु ऐसा विधान तप करते समय तथा निदुष्ट आहार न मिलने की अवस्था के लिए है, अन्यथा क्षुधा की वेदना से न तो मन स्थिर हो सकता है और न देखने, सुनने व ध्यान आदि के करने की सामर्थ्य ही प्राप्त हो सकती है। अत: क्षुधा-वेदना की शान्ति के लिए आहार करना चाहिए।
- २. गुरु आदि की सेवा करने के लिए—गुरु की सेवा करना एक प्रकार का तप है। यदि शरीर में सामध्यं नहीं होगा तो गुरु की सेवा आदि कार्य नहीं हो सकते हैं। अतः गुरु की सेवा करने के लिए आहार ग्रहण करना चाहिए।
- 3. ईयांसिनित का पालन करने के लिए-भोजन न करने पर आँखों की ज्योति क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति में गमनागमन करते समय सावधानी कैसे वर्ती जा सकती है? अतः गमनादि क्रिया करते समय ईर्यासमिति का पालन करने के लिए भी भोजन करना आवश्यक है।
- ४. संयम की रक्षा के लिए—संयम के होने पर ही सब प्रकार के व्रतों को घारण किया जा सकता है और सब प्रकार के उपसर्गों (कच्टों) को सहन किया जा सकता है। अतः साधु को संयम में दृढ़ होकर ही भिक्षा में प्रवृत्त होने का आदेश है। वस्तुतः साधु को भोजन संयमपालन करने के लिए ही करना चाहिए।
- पू. जीवनरक्षा के लिए जीवन के वर्तमान रहने पर ही संयम आदि का पालन करना संभव है तथा जीवन (प्राण) आहार के बिना ठहर नहीं सकता है। अतः साधु को जीवनरक्षा के लिए नीरस भोजन ही करने का विधान है।
- ६. धर्माचन्तन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिन्तन आदि धार्मिक-क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है कि शरीर सुस्थिर रहे तथा क्षुधा आदि की वेदना न हो क्योंकि शरीर के शिथिल रहने पर या क्षुधा से व्याकुल होने पर कोई भी चिन्तन आदि धार्मिक-क्रिया नहीं की जा सकती है। अतः धार्मिक-क्रियाओं के करने के लिए भी आहार आवश्यक है।

इस तरह साधु इन ६ परिस्थितियों के मौजूद रहने पर ही आहार ग्रहण करे। इन सबके मूल में संयम का पालन करना प्रधान कारण है क्योंकि संयम का पालन न करने पर वैयावृत्य, ईर्यासमिति एवं धर्मचिन्तन भी नहीं हो सकता है। प्राणरक्षा एवं क्षुधा-वेदना की शान्ति भी संयम की रक्षा के लिए ही है। इसका स्पष्टीकरण आहार न करने के निम्नोक्त कारणों से हो जाता है।

## किन परिस्थितियों में आहार ग्रहण न करे:

उपर्युक्त छहों कारणों के वर्तमान रहने पर भी यदि निम्नोक्त छः कारणों में से कोई भी एक कारण उपस्थित हो तो साधु को आहार त्याग देना चाहिए और जब तक आहार न करने का कारण दूर न हो जाए तब तक किसी भी हालत में आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए. भले ही प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े। आहार न करने के वे छः कारण निम्नोक्त हैं: 1

- १. भयङ्कर रोग हो जाने पर असाध्य रोग के हो जाने पर आहार त्यांग देना चाहिए। जब साधु को रोगादि की शान्ति के लिए औषधिसेवन का भी निषेध है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आहार ग्रहण करने की अनुमित कैसे दी जा सकती है ?
- २. आकस्मिक संकट (उपसगं) आ जाने पर—िकसी आकस्मिक विकट संकट के उपस्थित हो जाने पर साधु को सब प्रकार के आहार का त्याग कर देना चाहिए।
- ३. ब्रह्मचर्यवृत की रक्षा के लिए-यदि भोजन से इन्द्रियाँ प्रदीप्त होकर कामवासना की ओर झुकती हैं तो भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यहां ब्रह्मचर्य की रक्षा से संयम की रक्षा अभिप्रेत है क्योंकि आत्मसंयम के अभाव में ही ब्रह्मचर्य से पतन सम्भव है।

—30 २६**.३**५.

आयंके उवसम्मे तितिक्खया वंगचेरगुत्तीसु । पाणिदया तबहेउं सरीरबोच्छेयणहाए ।।

२. उ० १६.७६-७७;१५.५.

- ४. जीवों की रक्षा के लिए—यदि भोजन ग्रहण करने से अहिंसा महाव्रत के पालन करने में बाधा आती है तो भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यह कथन विशेषकर वर्षाकाल की अपेक्षा से है क्योंकि वर्षाकाल में बहुत से क्षुद्र जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और साधु के भिक्षार्थ जाते समय उनकी हिंसा हो जाती है।
- ५. तप करने के लिए -- अनशन आदि तप करने के लिए भोजन का त्याग आवश्यक हैं। तप करना भी आवश्यक हैं क्योंकि ये कर्मों की निर्जरा में प्रधान कारण हैं।
- ६. समतापूर्वक जीवन का त्याग करने (सल्लेखना) के लिए-मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर निर्ममत्व-अवस्था की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आहार का त्याग आवश्यक है।

## किस प्रकार का आहार ग्रहण करे ?

भोजन ग्रहण करने के प्रतिकृत कारणों के मौजूद न रहने पर और अनुकृत कारणों के मौजूद रहने पर साधु को किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में ग्रन्थ में निम्नोक्त संकेत मिलते हैं:

१. जो अनेक घरों से भिक्षा द्वारा माँगकर लाया गया हो—साधु भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न का ही सेवन करता है। वह भिक्षात्र केवल किसी एक घर से या अपने सम्बन्धीजनों के यहां से ही लाया हुआ न हो अपितु अनिन्दित कुलवाले अज्ञात घरों से थोड़ा-थोड़ा माँगकर लाया हुआ होना चाहिए। परिस्थितिविशेष में वह आहार यज्ञ-मण्डप तथा छोटे कुलवाले (प्रान्तकुल) घरों से भी लाया जा सकता है। परन्तु किसी एक घर से पूरा आहार नहीं लाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर गृहस्थ को पुनः भोजन बनाना पड़ेगा जिससे साधु के अहिंसाबत में दोप होगा।

१. समुयाणं उद्दमेतिङ्का जहातुत्तमणिदियं।
लाभालाभग्मि संतुद्धते विडवायं चरे मुणी ॥
— ७० ३५ १६.
तथा देखिए--उ० १४.२६; १५.१; १७.१६; २५.२०.
२. उ० १५ १३; २५.४.

रे. जो गृहस्थ ने स्वयं के लिए तैयार किया हो (पर-कृत) - यदि
भोजन साधु के निमित्त से बनाया गया होगा तो साधु को
हिंसादि की अनुमित का दोष लगेगा। यदि अतिथि के निमित्त से
बनाया गया होगा तो अतिथि का हिस्सा कम हो जाएगा। अतः
जिस भोजन को गृहस्थ ने स्वयं के लिए तैयार किया हो उसी में
से थोड़ा सा लेवे ताकि गृहस्थ मूखा भी न रहे और उसे पुनः
भोजन तैयार करने का प्रयत्न भी न करना पड़े। इस प्रकार के
भोजन को ग्रन्थ में 'परकृत' कहा गया है। इसका अर्थ है—पर
साधु से इतर गृहस्थ ) के निमित्त से बनाया गया अर्थात् जिसे
गृहस्थ ने स्वयं के लिए बनाया हो।'

३. गृहस्थ के भोजन कर चुकने के बाद जो शेष बचा हो—
गृहस्थ के भोजन कर चुकने के बाद सामान्यतया प्रत्येक घर में
एक-दो रोटियां बच जाती हैं। अतः साधु उस शेषावशेष अन्न को
ही लेवे जिससे गृहस्थ न तो भूखा रहे और न उसे पुनः भोजन
बनाने का प्रयत्न ही करना पड़े। इस विषय के स्पष्टीकरण
के लिए भिक्षार्थ यज्ञमण्डप में उपस्थित हरिकेशिवल मुनि के
शरीर में प्रविष्ट यक्ष के वचनों को उद्धृत कर रहा हूँ — 'मैं संयत,
ब्रह्मचारी, धनसंग्रह एवं अन्नादि पकाने की क्रिया से विरक्त साधु
(श्रमण) हूँ। पर के लिए बनाए गए आहार की प्राप्ति के लिए
भिक्षा लेने के समय में यहाँ पर आया हूँ। आपके पास यह बहुतसा भोज्यान्न है जिसे आप बाँट रहे हैं, खा रहे हैं तथा उपभोग कर
रहे हैं। मुझे भिक्षा द्वारा जीवन-यापन करनेवाला तपस्वी समझें
तथा ऐसा जानकर मुझे शेषावशेष अन्न देवें।' यद्यपि जैन साधु इस

[.] १. फासुयं परकडं पिडं ।
— उ० १.३४.
तथा देखिए—उ० १२.६; २०.४७.

ए. समणो अहं संजओ वंभयारी विरओ धणपयणपरिग्गहओ ।
 परणिवत्तस्य उ भिनस्ताले अन्तस्य अट्ठा इहमागओ मि ।।
 वियरिज्जिह खज्जिह भुज्जिई अन्त पभूयं भवयाणमेयं।
 जाणाहि मे जायणजीविणु ति सेसावसेसं लभऊ तवस्सी।।
 उ० १२.६-१०.

तया देखिए-ड० ६.१५.

तरह से भिक्षात्र की याचना नहीं करते हैं फिर भी यक्ष के मुख से जो ऐसा कहलाया गया है उसका कारण है—साधु के आहार ग्रहण करने सम्बन्धी विषय का स्पष्टीकरण।

४. जो निमन्द्रण अशिव से प्राप्त न हो—साधु गृहस्थ के द्वारा आमन्त्रण करने पर प्राप्त भिक्षा न लेवे वयों कि ऐसा आहार लेने पर गृहस्थ साधु के निमित्त पाचनिक्रया करेगा जिससे साधु को हिंसा की अनुमित का दोष लगेगा। इसके अतिरिक्त जहां पर पंक्तिबद्ध होकर प्रीतिभोज दिया जा रहा हो वहाँ भी भिक्षार्थ खड़ा न होते। हिरकेशियल मुनि बाह्यणों के द्वारा प्रार्थना करने पर जो यज्ञान्न को ग्रहण करते हैं वह आमन्त्रणपूर्वक लिया गया आहार नहीं है क्योंकि हरिकेशियल भिक्षा लेने के समय यज्ञमण्डप में भिक्षार्थ जाते हैं और वहां पर पहले से तैयार किए गए भोजन को बाह्यणों पर अनुग्रह करने के लिए ही ग्रहण करते हैं। अतः वहां आमन्त्रणजन्य दोष नहीं है।

५. जो सरस एवं प्रमाण से अधिक न हो—सांधु के लिए संयम निर्वाहार्थ ही भोजन ग्रहण करने का विधान है, रसना-इन्द्रिय की सन्तुष्टि के लिए नहीं। अतः साधु को चाहिए कि वह सरस आहार की अभिलाषा से ज्यादा न घूमे। उसे जो नीरस आहार मिले उसका तिरस्कार न करते हुए उसे ग्रहण करे। इसके अतिरिक्त सरस आहार ग्रहण करने से इन्द्रियाँ कामादि भोगों के सेवन के लिए उद्दीप्त हो जाती हैं जिससे साधु पक्षीगणों से

उद्देसियं कीयगडं नियागं न मुख्यई किचि अणेसणिज्जं ।
 अग्गी विना सन्त्रभक्की भिन्ता इश्री चुओ गच्छइ कट्टु पानं ॥
 —उ॰ २०.४७,

२. परिवाडीए न चिट्ठेज्जा। *-- छ० १.३२* 

३. उ० १२.४-७,१६,१८-२०,३४, इसी तरह जयघोष मुनि के लिए देखिए—उ॰ २४-६,३६-४०.

४. देखिए—पृ० ३१६, पा० टि० १; ७० २.३६; ज.११;१४.२,१२; १८.३०;२१.१४;२३.४८;२४.२.

पीड़ित सुस्वादु फलवाले वृक्ष की तरह पीड़ित होकर संयम की आराधना नहीं कर पाता है। प्रमाण से अधिक भोजन करने से प्रचुर इन्धनवाले वन में उत्पन्न हुई दावाग्नि की तरह इन्द्रियाँ शान्त नहीं होती हैं। अतः साधु का आहार नीरस एवं स्वल्प होना चाहिए।

साधु के जीवन-यापन के लिए नीरस आहार के विषय में प्रत्य में कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे: 3 १ स्वादहीन (प्रान्त), २ ठण्डा (शीत-पिण्ड), ३ पुराने उड़द, मूंग आदि (पुराण-कुम्मास), ४ मूंग के ऊपर का छिलका (वृक्कस), ४ शुष्क चना आदि (पुलाग), ६ बेर का चूर्ण (मंथु), ७ शाक या चावल आदि का उबला हुआ पानी (आयामग), द जब का भात (यवोदन), ६ शीतल काञ्जी (सीवीर), १० जब का पानी आदि। इस तरह साधु के जीवन-निर्वाह के लिए नीरस आहार लेने का विधान होने का यह तात्पर्य नहीं है कि साधु पृत, दूध आदि सरस आहार नहीं ले सकता है अपितु सरस आहार की प्राप्ति में आमक्ति न कर के इस प्रकार के नीरस आहार के मिलने पर उपेक्षा न कर। यदि सरस आहार ग्रहण करने से संयम के पालन करने में बाधा पड़े तो उसे सरस आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए ग्रन्थ में साधु को लाभालाभ में हमेशा सन्तुष्ट रहने को कहा गया है।

इ. जो अचित्त, प्रामुक एवं शुद्ध हो—साधु जिस प्रकार के आहार को ग्रहण करे वह अचित्त, प्रामुक एवं शुद्ध हो क्योंकि ऐसा

१. उ० ३२.१०.

२. उ० ३२ ११.

३. पंताणि चेव सेवेच्जा सीयपिंड पुराणकुम्मासं । अदु बुक्कसं पुलागं वा जवणद्वाए निसेवए मर्थु ॥

[—]उ० **५.**१२,

कायामगं चेव जवोदणं च सीयं सोवीरजवोदगं च । न हीलए पिण्डं नीरसं तु पंतकुलाई परिव्वए स भिक्खू।। — उ० १४ १३.

४. देखिए-पृ० ३१६, पा० टि० १; उ० १५.११.

५. उ० १ ३२,३४;६.१५;च.११; ३२.४. आदि ।

#### ३२० ]

#### उत्ताराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

न होने पर हिंसादि दोष होते हैं। इसीलिए ग्रन्थ में कहा है कि जो अनेषणीय (सचित्त) आहार ग्रहण करता है वह अग्नि की तरह सर्वभक्षी होने से साधु नहीं कहलाता है।

## आहार के विषय में कुछ अन्य जातव्य बातें :

साधु जब गृहस्य से भोजन ग्रहण करे तथा जब उसका उपभोग करे तो निम्नोक्त बातों को ध्यान में रखे:

- १. भोजन देते समय दाता गृहस्थ साधु से न तो उच्च स्थान पर हो, न निम्न स्थान पर हो, न अति समीप हो और न अत्यन्त दूर हो। ^२
- २. यदि कोई दूसरा भिक्षु पहले से किसी गृहस्थ से आहार ले रहा हो तो न गृहस्य के एकदम आँखों के सामने और न अत्यन्त दूर खड़ा होवे। भिक्षु का उल्लङ्घन करके घर में भी प्रवेश न करे अपितु तब तक चुपचाप बाहर खड़ा रहे जब तक पहलेवाला भिक्षु आहार लेकर वापिस न आ जाए। उपेसा इसलिए करना आवश्यक है कि पहले आया हुआ भिक्षु अपनी पूरी भिक्षा प्राप्त कर ले, कहीं ऐसा न हो कि गृहस्य दूसरे भिक्षु को देखकर पहलेवाले भिक्षु को कम भिक्षा देवे या विलकुल ही न देवे।
- ३. यदि साधु को भिक्षा प्राप्त न भी हो तो वह क्रोधादि न करे अपितु हरिकेशिबल मुनि की तरह लाभालाभ में सन्तुष्ट रहे।*
- ४. आहार आदि की प्राप्ति एवं जीविका-निर्वाह के लिये किसी भी प्रकार की विद्या व मन्त्रादि शक्तियों का प्रयोग न करे।

१. देखिए-पृ० ३१८, पा० टि० १.

२. नाइउच्चे व नीए वा नासन्ने नाइदूरओ ।

[—]उ० १.३४.

नाइदूरमणासन्ने नन्नेसि चक्खुफासओ ।
 एगो चिट्ठेज्ज भत्तद्वा लंघिता तं नदक्कमे ।)

[—]उ० १.३३**.** 

४. देखिए-पृ० ३१६, पा० टि० १; पृ० ३१८, पा० टि० ६.

४. उ० ८.१३;१४.७.

विद्या व मन्त्रादि शक्तियों के प्रयोग से प्राप्त हुए आहारादि में वे सभी हिंसादि दोष साधु को लगते हैं जो वस्तु के क्रय-विक्रय करने आदि में गृहस्थ को लगते हैं। ऐसा करने से साधु क्रय-विक्रय के द्वारा जीविका-निर्वाह करनेवाला गृहस्थ हो जाता है। अतः इनके प्रयोग का निषेध किया गया है।

प्र. जहाँ बैठकर साधु भोजन करे वह स्थान चारों तरफ से इका हुआ, त्रस जीवों के निवास से रहित तथा स्वच्छ हो। इसके अतिरिक्त भोजन करते समय भोजन को जमीन पर न गिराए। साधु 'यह भोजन अच्छी तरह पकाया गया है', 'अच्छी तरह छीला गया है', 'मधुर है', 'खराब है' आदि सावद्य-चचनों का भी प्रयोग न करे।' इसके अतिरिक्त दिन में एक बार ही भोजन करे।

६. साधुं भिक्षार्थं जाते समय अपने पात्रों को अच्छी तरह देख-भाल लेवे तथा भिक्षा लेने के लिए आधा योजन (परमार्द्ध-योजन) की दूरी तक ही जाए। इसके अतिरिक्त भोजन के लिए जो समय (तृतीय पौरुपी) नियत है उसी में भोजन करे। रात्रि में कदापि भोजन न करे।

इस तरह साधु को आहार के ग्रहण करने में बहुत से कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। मिक्षाचर्या नामक तप के प्रसङ्घ में कुछ अन्य विशेष नियमों का वर्णन किया जाएगा। इस आहारसम्बन्धी वर्णन से स्पष्ट है कि साधु हिंसादि दोषों को जहाँ तक संभव हो बचाने की कोशिश करे। इसके अतिरिक्त सरस भोजन की लालसा न करता हुआ अल्प, नीरस तथा गृहस्थ के भोजन का शेषान्न (जो कई घरों से भिक्षा के द्वारा लाया गया हो)

१. अप्पताणेऽप्पदीयम्मि पिङच्छन्नमिम संबुडे । समयं संजए भूंजे जयं अपिरसाहियं ।। सुक्कडित्ति सुपित्रकत्ति सुच्छिन्ने सुहडें मडे । सुणिट्विए सुलिट्टिसत्त सावज्जं वज्जए मुणी ।।
—उ० १.२४-२६.

२. बबसेसं भंडगं गिज्झ चक्खुसा पडिलेहए।
परमद्भजोयणाओ विहारं विहरए मुणी।।
—उ० २६ ३६.

## ३२२ ] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशोलन

संयम की रक्षा के निमित्त समतापूर्वक उपभोग करे। जब देखे कि संयम का पालन करना संभव नहीं है या भयानक रोग हो गया. है या कोई अन्य आपित्त आ गई है जिससे बचना संभव नहीं है तो सब प्रकार के आहार का त्याग करके अनशन तप करे।

## अनुशीलन

जब मुक्ति का साधक धीरे-धीरे अपने चारित्र का विकास करता हुआ गृहस्थधमं की अन्तिम अवस्था को प्राप्त कर लेता है या संसार के विषय-भोगों से विरक्त हो जाता है तो वह ज्ञान की प्राप्त तथा चारित्र के विकास के लिए माता-पिता से आज्ञा लेकर सभी प्रकार के पारिवारिक स्नेहबन्धन को तोड़कर जंगल में चला जाता है और किसी गुरु से दीक्षा लेकर या गुरु के न मिलने पर स्वयं साधु-धर्म को अज्ञीकार कर लेता है।

यद्यपि गृहस्थावस्था में भी ज्ञान और चारित्र की साधना की जा सकती है परन्तु गृह में नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों के होने से धर्म की साधना में वहत बाधाएँ आती हैं। अतः प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में धर्म की साधना के लिये संन्यासाश्रम की व्यवस्था मिलती है। यहाँ आकर साधक सभी प्रकार के सांसारिक बन्धनों से दूर हटकर गृहस्थ के द्वारा दिए गए भिक्षान्त पर जीवन-यापन करता हुआ एकोन्त में आत्मचिन्तन करता है। इसी प्रकार उत्तरा-ध्ययन में भी चारित्र और ज्ञान के विकास की पूर्णता के लिए संन्यासाश्रम को आवश्यक बतलाया गया है। इस आश्रम में रहने-वाले साधक को 'साधु' या 'श्रमण' कहा जाता है। भिक्षान्न द्वारा जीवन-यापन करने के कारण इन्हें 'भिक्ष्'भी कहा गया है। इस भिक्षा की प्राप्ति के सम्बन्ध में बहुत ही कठोर नियम हैं जिनके मूल में अहिंसा और अपरिग्रह की भावना निहित है। साधु के आचार से सम्बन्धित जितने भी नियम हैं उन सबके मुल में अहिँसा एवं अपरिग्रह की भावना निहित है। इन सभी नियमों के पालन करने कापरम्परयाया साक्षात् फल कर्मनिर्जराके बाद मुक्ति बतलाया गया है।

पाँच महाव्रत जिन्हें साधु दीक्षा के समय ग्रहण करता है उनके मूल में अहिंसा और अपरिग्रह की भावना विद्यमान है। अहिंसा और अपरिग्रह के भी मुल में अहिंसा है तथा इस अहिंसा की पूर्णता विना अपरिग्रह के संभव नहीं है। यहाँ पर अपरिग्रह से न केवल घन के संग्रह का त्याग अभिप्रेत है अपित यावन्मात्र सांसारिक विषयों का त्याग अभिन्नेत है जिसे कि सर्वविरति और वीतरागता इन शब्दों से कहा जा सकता है। जैसा कि केशिगौतम-संवाद से स्पष्ट है कि जनसामान्य की बदलती हुई प्रवृत्ति के कारण महावर्तों की संख्या में वृद्धि की गई है तथा अपरिग्रह शब्द का अर्थ धन-संग्रहत्यागरूप अर्थ में रूढ़ हो गया है। संसार के विषयों में आसक्ति होने के कारण जीव घनादि के संग्रह में प्रवृत्त होता है और धनादि की प्राप्ति के लिए हिंसा, झुठ, चोरी आदि अनैतिक क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है। धनादि की प्राप्ति हो जाने पर उसके भोगोपभोग में प्रवृत्ति करता हुआ और अधिक धनादि के संग्रह में प्रवत्त होता है। इस तरह संसारासित, लोभ, धनादि के संग्रह में प्रवित्त ये सब सभी प्रकार के अनैतिक कायों में प्रवृत्ति करानेवाले हैं। इस तरह ये मुक्ति के मार्ग में भी प्रतिबन्धक हैं। इसीलिए प्रन्थ में लाभ को लोभ का जनक बतलाते हुए संसारासिक से विरक्त होने का उपदेश दिया गया है।

धर्म के नाम पर यज्ञ में होनेवाली हिंसा को देखकर तथा विश्वबन्धुत्व की भावना से प्रेरित होकर अहिंसा को सब वतों का मूलाधार माना गया तथा साधु की प्रत्येक क्रिया में अहिंसापूर्वक प्रवृत्ति करने पर जोर दिया गया। ब्रह्मचर्य जोिक स्त्री-संपर्क त्यागरूप है पहले अपरिग्रह के ही अन्तर्गत था परन्तु बाद में लोगों की बढ़ती हुई कामासक्ति को देखकर भगवान् महावीर ने इसे पृथक् महावृत के रूप में बदल दिया तथा अन्य व्रतों की अपेक्षा इसे सर्वाधिक दुस्तर बतलाया। इस तरह ग्रन्थ में अहिंसा, बह्मचर्य और अपरिग्रह इन तीन महाव्रतों पर विशेष जोर दिया गया है। इनके अतिरिक्त सत्य और अचौर्य इन दो नैतिक व्रतों को मिलाकर महाव्रतों की संख्या पाँच नियत की गई है। सत्य और अचौर्य व्रत के भी मूल में अहिंसा एवं अपरिग्रह की भावना

### ३२४ ] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशीलन

निहित है। इन दोनों ब्रतों को महाब्रतों में गिनाने का कारण यह है कि साधु अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए झूठ न बोले तथा लिए गए ब्रतों का गुप्तरूप से अतिक्रमण न करे। इसीलिए प्रन्थ में साधु को निश्चयात्मक और उपयोगहीन वाणी बोलने तथा तृणादि-सदृश तुच्छ बस्तु को भी बिना आजा के ग्रहण करने का स्पष्ट निषेध किया गया है।

इस तरह इन पाँच नैतिक वर्तों के पालन करने से ही सायु का आचार पूर्ण हो जाता है परन्तु इन पाँचों ब्रतों का अति सुक्ष्मरूपे से पालन करने पर जीव किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है क्योंकि मन, वचन एवं काय की प्रवृत्ति होने पर सूक्ष्म हिंसा का होनास्वाभाविक ही है। अतः इस विषय में कुछ विशेष नियम बतलाए गए हैं जिनके अनुसार प्रवृति करने पर हिसादि दोषों की सम्भावना नहीं रहती है। इन सभी नियमों के मूल में है-सावधानीपूर्वक (प्रमादरहित) सम्यक्-प्रवृत्ति करना वयोंकि प्रमाद या असावधानीपूर्वक की गई निर्दाण भी प्रवृत्ति दोषजनक बतलाई गयी है। अत: ग्रन्थ में गौतम की लक्ष्य करके बारम्बार अत्रमत्ता होने का उपदेश दिया गया है। अप्रमाद-पूर्वक प्रवृत्ति किस प्रकार संभव है इसी वात को समझाने के लिए समितियाँ का प्रतिपादन किया गया है। इसमें वतलाया गया है कि साधु गमनागमन में, बचन बोलन में, भिक्षादि की प्राप्ति में, वस्तुओं के उठाने व रखने में तथा त्याज्य वस्तुओं के त्याग करने में किस प्रकार प्रविता करे जिससे कि हिसादि दोषों का भागी न बने। जब प्रवित्ति करने की आवश्यकतान हो तो उस समय मन, वचन एवं काय को गुप्त रखे, निरर्थक प्रवृत्ति न करे । सन, वचन एवं काय की प्रवृत्ति को गुप्त रखने के ही लिए तीन गृष्तियाँ बतलाई गई हैं। यें तीन गुष्तियाँ और पांच समितियाँ ही ग्रन्थ में 'प्रवचनमाता' शब्द से कहीं गई हैं। समस्त जैन-ग्रन्थों का धवचन ( उपदेश 👍 कुछ में प्रवृत्ति और कुछ से निवृत्ति को 🏻 बःलानेवाला हैं। इस तरह समस्त जैन प्रवचन गुष्ति और समिति में समाविष्ट होने से इन्हें 'प्रवचनमाता' कहा जाता है । इसके अतिरिक्त गुप्ति और समिति में सावधान व्यक्ति ही जैन-प्रन्थों के प्रवचन की

मुरक्षित रख सकता है। अतः इस दृष्टि से भी इन्हें 'प्रवचनमाता' कहना उचित है। संयम में प्रवृत्ति और असंयम से निवृत्ति इनका (सिमिति और गृष्ति का) मूल-मन्त्र है। रागद्वेष से होनेवाली मन, वचन और काय-सम्बन्धी स्वच्छन्द-प्रवृत्ति को सम्यक्ष्प से रोकना संयम है तथा संसार के विषयों में होनेवाली स्वच्छन्द प्रवृत्ति को होने देना असंयम है। संयम में सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करने से तथा सब प्रकार की असंयमित प्रवृत्तियों को रोकने से पाँचों महाबतों की रक्षा होती है। अतः महाबतों की रक्षा के लिए समिति और गृष्तिष्प प्रवचनमाताओं का पालन करना आवश्यक है।

अय यहां यह विचार करना है कि साधु के आचार के प्रसङ्ग में जिन अन्य नियमों का वर्णन किया गया है उनमें किस प्रकार एवं कहां तक उपर्युक्त पाँच नैतिक महाब्रतों की भावना निहित है ?

साधुके पास न तो कोई निजी वस्तु होती है और न उसे किसी भी वस्तु से समत्व होता है, फिर भी जीवन-निर्वाह एवं संयम का पालन करने के लिये वह कुछ उपकरणों को अपने पास में रखता है तथा भिक्षान्त का भक्षण करता है। साध के पास जो भी वस्त्र, पात्र आदि उपकरण होते हैं वे सब गृहस्थ के द्वारा दिए गए होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं ताकि उनके ग्रम जाने से दू:खादि न हो । इससे साधु की अपरिग्रह-भावना सुरक्षित रहती है । साध इन उपकरणों की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का क्रय-विकय या उत्पादन आदि नहीं करता है जिससे हिंसादि दोषों की भी संभावना नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त साधु गृहस्थ को इन उपकरणों को देनेके लिए न तो बाध्य करता है और न अपने निमित्त से तैयार किए गए उपकरणों को ही ग्रहण करता है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर गृहस्थ के द्वारा स्वेच्छा से देने पर ही उन्हें ग्रहण करता है। अतः हिंसादि दोषों को संभावना नहीं रहती है। आहारप्राप्ति के त्रिषय में जिन दोषों को बचाने तथा जिन नियमों का पालन करने का उल्लेख किया गया है वे सब वस्त्रादि उपकरणों की प्राप्ति के विषय में भी लागू होते हैं। आहार के विषय में स्पष्टरूप से बतलाया है कि साधु संयम एवं जीवन-निर्वाह के लिए ही आहार ग्रहण करे। जिस आहार में हिंसादि दोवों की जरा भी संभावना

हो उसे ग्रहण न करे। यद्यपि आहारादि की उत्पत्ति में गृहस्थ के द्वारा कुछ सूक्ष्म हिंसा होती है परन्तु उस हिंसा का भागी साघु नहीं होता है क्योंकि उस सूक्ष्म हिंसा को गृहस्थ अपने निमित्त से करता है, साधु के निमित्त से नहीं। अतः ग्रन्थ में स्पष्ट कहा गया है कि साधु उस आहार।दि को ग्रहण न करे जिसे उसके निमित्त से बनाया गया हो या चोरी आदि अन्य अनैतिक उपायों से उत्पन्न किया गया हो । इसके अतिरिक्त उसे जो भी रूखा-सूखा आहारादि मिले उसमें उपेक्षाभाव (समभाव ) रखते हुए ग्रहण करे । साध को जो मन्त्रादि शक्तियों के प्रयोग का निषेष किया गया है उसके भी मूल में अहिसा व अपरिग्रह की भावना निहित है क्योंकि मन्त्रादि शक्तियों का जीवन-निवहि के लिये प्रयोग करने पर साधु क्रय-विक्रय करने वाला गृहस्थ हो जाएगा और तब वह साधु क्रय-विक्रय से होने वाले सभी हिंसादि दोषों का भागी भी हो जाएगा। अतः आवश्यक है कि साधु आहारादि को ग्रहण करते समय अहिसादि व्रतों को ध्यान में रखते हुए ही प्रवृत्ति करे। इस तरह वस्त्रादि उपकरण एवं आहारादि के विषय में जो भी नियम और उपनियम हैं उन सब के मूल में अहिसादि पाँच नैतिक व्रतों की ही भावना निहित है।

अरण्य आदि एकान्त स्थान में निवास इसलिए आवश्यक है कि नगर में निवास करने से धर्म-साधना निविध्न नहीं होती है क्योंकि नगर में नाना प्रकार के हिसादि कार्य होते रहते हैं तथा स्त्रियों के नाना प्रकार के हाव-भाव दृष्टिगोवर होते रहते हैं जिससे संयम में स्थिर रहना कठिन हो जाता है। गृहस्थ के घर में चोरी आदि के होने पर साधु को भी संशय में पकड़ा जा सकता है। अतः महावतों की रक्षा के लिए साधु को स्त्री आदि के आवागमन से रहित अरण्य आदि एकान्त स्थान में निवास करने का विधान किया गया है। चित्त की एकाग्रताह्मप तपादि भी एकान्त स्थान में ही सभव हैं। साधु को एक स्थान पर निवास न करके देश-देशान्तर में बिहार करना इसलिए आवश्यक बतलाया गया है कि जिससे साधु किसी एक स्थान-विशेष से मेंह्यण चिपका न रहे। वर्षाकाल में चूँकि क्षुद्र-जीवों की काफी मात्रा में उत्पत्ति हो जानी है अतः उस समय एक स्थान पर रहने को कहा गया है। इससे वह गमन करने में होनेवाली हिंसा के दोष का भागी नहीं होता है।

सामाचारी के प्रकरण में जो सामाचारी के १० अवयव बतलाए गए हैं उनके द्वारा साधु अपने आपको संयमित करता है तथा
गुरु के अनुशासन में रहकर विवेकपूर्व कप्रवृत्ति करता है। इससे
उसके महाव्रतों में कोई अतिचार नहीं होने पाता है। इसी प्रकरण
में साधु की सामान्यरूप से जो दिनचर्या एवं रात्रिचर्या वर्णित
की गई है उसमें 'आहार' और 'निद्रा' के लिए बहुत ही स्वस्प तथा
ध्यान और स्वाध्याय के लिए सर्वाधिक समय नियत किया गया
है। दिन और रात्रि के २४ घंटों में से १२ घंटे स्वाध्याय के
लिए, ६ घंटे ध्यान के लिए, ३ घंटे भिक्षान्त-प्राप्ति के लिए तथा
३ घंटे शयन करने के लिए नियत हैं। इससे स्पष्ट है कि साधु
अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन और आत्मिचन्तनरूप ध्यान
में लगाए। स्वाध्याय और ध्यान करने से मन, वचन एवं काय
एकाग्र होकर तप की ओर अग्रसर होंगे और तय हिंसादि सावद्य
प्रवृत्तियाँ हक 'जाएँगी।

साधु के जो छ: नित्यकर्म (आवश्यक) बतलाए गए हैं उनके द्वारा भी साधु अपने आपका संयमित करता है। गुरु आदि की स्तुति करने तथा आत्मगत दोपों की आलोचना करने से अज्ञान में हुए क्षुद्र हिंसादि दोषों की विश्वद्धि हो जाती है। वस्त्र, पात्र आदि का उपयोग करते समय उन्हें अच्छी तरह देखने (प्रति-लेखना व प्रमार्जना) से उनमें वर्तमान क्षुद्र जन्तुओं की हिंसा नहीं होती है। इसके अतिरिक्त साधु नित्यकर्मों से हमेशा सतर्क रहने की प्रेरणा प्राप्त करता है।

इसी प्रकार केशों को हाथों से उखाड़ने, श्रेष्ठ वस्त्रादि को न पहिनने आदि नियमोपनियमों से भी अहिंसादि व्रतों की रक्षा का ध्यान रखा गया है।

इस तरह साधुका सम्पूर्ण आचार अहिंगा और अपरिग्रहादिरूप पाँच नैतिक महाबतों के रूप में चिश्रित किया गया है। पातञ्जल योगदर्शन में भी अहिंसादि इन पाँच नैतिक व्रतों का महाव्रत के रूप में उल्लेख मिलता है। योगदर्शन में अहिंसा-विरोधी हिंसा क कृत, कारित और अनुमोदना के भेद से तीन भेद किए गए हैं। इसके बाद मृदु, मध्य और अधिमात्र के भेद से प्रत्येक के पुन: तीन-तीन भेद करने से हिंसा के नव भेद हो जाते हैं। इस नव प्रकार की हिंसा के भी क्रोध, लोभ और मोहपूर्वक होने से हिंसा के कई भेदों का उल्लेख किया गया है। इस सब प्रकार के हिंसा-निरोध से अहिंसा भी कई भेदों वाली हो जाती है। योगदर्शन में अहिंसा का इतना अधिक विस्तार होने पर भी वहाँ अहिंसा का इतनी सूध्मता से पालन नहीं किया जाता है जितना कि प्रकृत ग्रन्थ में बतलाया गया है। यहाँ एक बात और इस प्रसङ्ग में स्पष्ट कर देना चाहता हुँ कि जिस प्रकार उत्तराध्ययन में सभी व्रतों के मूल में अहिंसा को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार योग-दर्शन में व्यासभाष्यकार ने भी लिखा है कि सत्यादि अन्य सभी व्रत और नियमोपनियम इसी अहिंसा की पृष्टि करनेवाले हैं।

इस तरह इन महावतों की सार्वभौमिकता सुतरा सिद्ध हो जाती है। इनकी सुरक्षा जैसे सम्भव हो उसी प्रकार का आचरण करना ही साधु का सदाचार है। इन पाँच नैतिक वतों का व्यवहार में भी महत्त्व है जैसा कि महावतों के प्रसङ्ग में लिखा जा चुका है।



अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । जातिदेशकाससमयानथिच्छन्ताः सर्वभौमः महाव्रतम् ।।
 —पा० यो० २३०-३१.

२. वितर्का हिसादय: कृतकारितानुमोदिता लोभकोधमोहपूर्वका मृदुमध्या-धिमात्रा दु:खाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् ॥
—-पा० यो० २.३४,

२. तत्राहिसा सर्वया सर्वदा सर्वपूर्वा २२०भिन्नोड् इत्तरं च वमनियमास्तत्मू-लास्तरिसद्विपरतयैव तत्क्षत्र २१८ । —पा०यो० ( २.३० ) —व्यासभाष्य, पृ० ६१.

#### प्रकरण ५

# विशेष साध्वाचार

जैसा कि पिछले प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि विशेष अवसरों पर कमों की विशेष निर्जरा करने के लिए साधु जिस प्रकार के सदाचार का विशेष रूप से पालन करता है उसे यहां पर विशेष साध्वाचार के नाम से कहा गया है। यह विशेष साध्वाचार साध् के सामान्य आचार से सर्वथा पृथक् नहीं है अपितृ जब साधक अपने सामान्य साध्वाचार का ही विशेष रूप से दृढ़तापूर्वक सब प्रकार के कब्टों को सहन करता हुआ पालन करता है तो उसे ही तपश्चर्या आदि रूप विशेष साध्वाचार के नाम से कहा गया है। विषय की दृष्टि से इसे निम्नोक्त चार भागों में विभक्त किया गया है:

- १. तप-तपश्चर्या।
  - २. परीषहजय-तपश्चर्या आदि में प्राप्त कष्टों पर विजय ।
  - ३. साधु की प्रतिमाएँ-तपविशेष।
  - ४. सल्लेखना-मृत्यु-समय की विशेष तपश्चर्या। अब क्रमणः इन पर ग्रन्थानुसार विचार किया जाएगा।

## ลผรสมโ~ลผ

प्रतथ में कहीं-कहीं चारित्र से पृथक जो तप का उल्लेख किया गया है वह उसके महत्त्व को प्रकट करने के लिए किया गया है। तप एक प्रकार की अग्नि है जिसके द्वारा सैकड़ों पूर्व-जन्मों में संचित (पूर्वबद्ध) कर्मों को शीघ्र ही जलाया जा सकता है। कर्म जोकि आत्मा के साथ सम्बद्ध हैं उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें आयु के अल्पकाल में भोगकर नष्ट नहीं किया जा सकता है। अतः जिस प्रकार विशाल तालाब के जल को सुखाने के लिए जल के

आने के द्वार को बन्द करने के अतिरिक्त जल को उलीचने एवं सूर्य आदि के ताप से सुखाने की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार साधु को भी पूर्वसंचित कर्मों को निर्जीर्ण करने के लिए अहिसादि व्रतों के अतिरिक्त तप की भी आवण्यकता पड़ती है। १ इसके अतिरिक्त कषायरूपी शत्रुओं के आक्रमण करने पर उनपर विजय प्राप्त करने के लिए तप को बाण एवं अर्गलारूप भी बतलाया गया है। इस तरह तप पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट करने में अग्निरूप हैं तथा आगे बंधनेवाले कर्मों को रोकने के लिए वाण एवं अर्गलारूप भी हैं। तप के इसी महत्त्व के कारण ग्रन्थ में तप को कहीं-कहीं चारित्र से पृथक् बतलाया गया है। वस्तुतः तप चारित्र से सर्वथा पृथक नहीं है क्योंकि जो तप का वर्णन किया गया है वह साधु के सामान्य आचार का ही अभिन्न अङ्ग है। साधु के सामान्य आचार से सम्ब-न्धित कुछ विशेष क्रियाओं को ही यहां तप के रूप में बतलाया गया है। आत्मसंयम जोकि चारित्र की आधारशिला है तप उससे पृथक नहीं है अपितृ तद्रुप ही है। वस्तृत: तप को कठोर या दृढ़ आत्मसंयम कहा जा सकता है।

### तपके भेद:

तप को बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया गया है, फिर बाह्य तप और आभ्यन्तर तप को पुनः ६-६ भागों में विभक्त किया गया है। इस तरह

तथा देखिए--- ३० ६.२०; २४ ४४; २४.३६; २६.२७; ३०.१,४ आहि । २. देखिए--- १० २६६, पाठ टि० ४.

जहा महातालयस्स सिन्निक्द्वे जलायमे ।
 उस्सिंचणाए तवणाए कमेणं सीसणा भवे ।।
 एवं तु संजयस्सावि पावकम्मिनिरासवे ।
 भवकोडिसंचियं कम्मं तवसा निज्जरिज्जइ ।।

⁻⁻ उ० ३०,५**-**६,

ग्रन्थ में कुल मिलाकर १२ प्रकार के तपों का वर्णन मिलता है। उन १२ प्रकार के तपों के नाम क्रमशः थे हैं: १

१. अनशन (सब प्रकार के आहार का पूर्ण त्याग), २. ऊनोदरी (अवमोदर्य—भूख से कम खाना), ३. भिक्षाचर्या (भिक्षाटन के निश्चित नियमों का पालन करते हुए भिक्षाच द्वारा जीवन-यापन करना), ४. रस-परित्याग (घृतादि सरस द्रव्यों का त्याग), ५. कायक्लेश (शरीर को कष्टदायक योगासनादि लगाना), ६. संलीनता या विविक्त श्यनासन (एकान्त व निर्जन स्थान में निवासादि करना), ७. प्रायश्चित्त (पापाचार का शोधन), ६. विनय (गुरुजनों आदि के प्रति विनम्नता के भाव), ६. वैयावृत्य (गुरुजनों आदि की सेवा-शुश्रूषा करना), १०. स्वाध्याय (ज्ञानार्जन क्रना), ११. ध्यान (चित्त को एकाग्र करना) और १२. व्युत्सगं या कायोत्सर्ग (शरीर से ममत्व हटाना)।

उपर्युक्त १२ प्रकार के तप के मेदों में अनशन आदि प्रथम छः तप शरीर की वाह्य-किया से अधिक सम्बन्धित होने के कारण बाह्य तप कहलाते हैं तथा प्रायिषचत्त आदि अन्तिम छः तप शरीर की बाह्य-क्रिया की अपेक्षा आत्मा से अधिक सम्बन्धित होने के कारण आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। बाह्य तपों का प्रयोजन आभ्यन्तर तपों को पुष्ट करना है। अतः प्रधानता आभ्यन्तर तपों की है। बाह्य तप आभ्यन्तर तपों की ओर ले जाने में मात्र सहायक हैं। वैयावृत्य और कायोत्सर्ग (व्युत्सर्ग) यद्यपि ऊपर से देखने में बाह्य तप प्रतीत होते है परन्तु वैयावृत्य के सेवाभावरूप होने से और कायोत्सर्ग के शरीर के ममत्व-त्यागरूप होने से इनमें बाह्यता नहीं है। बाह्य तपों

अणलणमूणोयरिया भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ । कायकिलेसो संलीणया य बज्जो तवो होइ ।।

[—]তo ३o.s.

पायिच्छत्तं विणओ वेयावच्यं तहेव सज्झाओ । झाणं च विउस्सग्गो एसो अब्मितरो तवो ॥ —उ० ३**०**.३०.

तथा देखिए-- ३० ३०.७,२६; २५.३४; १६.५६.

को जितनी आसानी से तप कहा जा सकता है उतनी आसानी से वैयावृत्य आदि को नहीं। अतः इनके भाव-प्रधान होने से ये आभ्यन्तर तप हैं। अब क्रमणः इन सभी प्रकार के तपों का ग्रन्था-नुसार वर्णन किया जाएगा।

### बाह्य तपः

पहले लिखा जा चुका है कि शारीरिक बाह्य-क्रिया से विशेष सम्बन्ध रखने के कारण अनशन आदि छः बाह्य तप कहे जाते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इनका आभ्यन्तर-शृद्धि से कोई प्रयोजन नहीं है। इन्हें बाह्य तप कहने का मूल प्रयोजन यह है कि ये आभ्यन्तर-शृद्धि की अपेक्षा बाह्य शृद्धि के प्रति अधिक जागरूक हैं। इनके स्वरूपादि इस प्रकार है:

#### १. अनशन तप:

सब प्रकार के भोजन-पान का त्याम करना अनशन तप है। यह कुछ समय के लिये एवं जीवन-पर्यन्त के लिए भी किया जा सकता है। अतः इसके दो भेद किए गए हैं: ११. इत्वरिक अनशन तप (कुछ समय के लिए किया गया — सावधिक ) तथा २. मरणकाल अनशन तप (जीवन-पर्यन्त के लिए किया गया — निरवधिक )।

क. इस्वरिक अनशन तप ( सावकांक्ष - अस्थायो ) - इस तप को करनेवाला साथक एक निश्चित अथिय के बाद भोजन ग्रहण कर लेता है। अतः ग्रन्थ में इस तप को 'सावकांक्ष' ( जिसमें भोजन की आकांक्षा बनी रहती है) कहा गया है। संक्षेप में इसके अवान्तर छः प्रकार बतलाए गए हैं, विस्तःर सं मनोनुकूल कई प्रकार सम्भव हैं। वे छ. प्रकार ये हैं : १. श्रेणींत्रप - इस प्रकार से अनजन (उपवास) करना कि एक पंक्ति - श्रेणी ) वन जाए। जैने : दो दिन का, तीन

तथा देखिए--उ० ३०.१०-१३; २६.३४.

१. इत्तरिय मरणकाला य अणसणा दुविहा भवे । इत्तरिय सावकंखा निरवकंखा उ विङ्जिया ॥ — ३० ३०.६,

दिन का, चार दिन का, पाँच दिन का आदि कम से करना, २ प्रतर तय (सम-चतुर्मु जाकार)—समानाकार चार भुजाओं की तरह जब श्रेणी तप चार बार पुनरावृत्त होता है तो उसे १६ उपवास प्रमाण प्रतर तप कहते हैं, ३. घन तप—प्रतर तप ही जब श्रेणी तप से गुणित किया जाता है तो उसे (१६ × ४ = ६४ उपवास प्रमाण) घन तप कहते हैं, ४. वर्ग तप — घन तप को जब घन तप से गुणित किया जाता है तो उसे (६४ × ६४ = ४०६६ उपवास प्रमाण) वर्ग तप कहते हैं, १. वर्ग-वर्ग तप—वर्ग तप को जब वर्ग तप से गुणित किया जाता है तो उसे (४०६६ × ४०६६ = १६७७७२१६ उपवास प्रमाण) वर्ग-वर्ग तप कहते हैं, ६. प्रकीण तप — श्रेणी आदि की नियत रचना से रहित जो अपनी शक्ति के अनुसार यथा-कथिचत् अनशन तप किया जाता है उसे प्रकीण तप कहते हैं।

इस तरह इत्वंरिक अन्धान तप के इन ६ भेदों में प्रथम पाँच भेद नियत क्रमरूपता की अपेक्षा से हैं और अन्तिम छठा भेद क्रमरूपता से रहित है। ऊपर जो श्रेणी तप को चार उपवास-प्रमण मानंकर प्रतर तप आदि का स्वरूप बतलाया गया है वह नेमिचन्द्र की वृत्ति के आधार से दृष्टान्तरूप में उपस्थित किया गया है। अतः इसी प्रकार ५-६ उपवास-प्रमाण श्रेणी तप मानकर आगे के तपों का उपवास-प्रमाण समझ लेना चाहिए।

- स. मरणकाल अनशन तप (निरवकांक्ष—स्थायी)—यह आयु-पर्यन्त के लिए किया जाता है। इसमें भोजन पान की आकांक्षा न रहने से यह निरवकांक्ष व स्थायी कहलाता है। यह तप मृत्यु के अत्यन्त सिन्नकट (अवश्यमभावी) होने पर शरीरत्याग (सल्ले-सना) के लिए किया जाता है। यस्य में निम्नोक्त तीन अपेक्षाओं से इसके भेदों का विचार किया गया है:
- १. शरीर की चेष्टा एवं निश्चेष्टता की अपेक्षा से 'सविचार' (जिसमें शरीर की हलन-चलनरूप क्रिया होती रहती है) और 'अविचार' (शरीर की चेष्टा से रहित) ये दो भेद हैं।

१. उ० ने० वृ०, पृ० ३३७; से० बु० ई०, भाग-४४, पृ० १७४.

- २. सेवा कराने एवं न कराने की अपेक्षा से 'सपरिकर्म'
   (जिसमें दूसरों के द्वारा सेवा होती रहती है) और 'अपरिकर्म'
   (सेवादि से रहित) ये दो भेद हैं।
- ३. तप करने के स्थान की अपेक्षा से 'नीहारी' (पर्वत, गुफा आदि में लिया गया मरणकालिक अनशन तप ) और 'अनीहारी' (ग्राम, नगर आदि में लिया गया) ये दो भेद हैं। आहार-त्याग दोनों तपों में आवश्यक है।

## २. जनोदरी (अवमोदर्य) तपः

भूख से कम खाना ऊनोदरी तप है। ग्रन्थ में इसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यवचरक की दृष्टि से विचार किया गया है। अतः इसके द्रव्य ऊनोदरी आदि पाँच भेद होते हैं। इनके स्वरूपादि इस प्रकार हैं:

- क. द्रव्य क्रनोदरी--जिसका जो स्वाभाविक आहार है उसमें कम से कम एक ग्रास कम करना द्रव्य क्रनोदरी है।
- ख. क्षेत्र ऊनोदरी—इसका दो प्रकार से वर्णन किया गया है:

  १. ग्राम, नगर, राजधानी, गृह आदि के क्षेत्र की सीमा निश्चित कर लेना कि अमुक-अमुक क्षेत्र से प्राप्त भिक्षान्न द्वारा ही पेट भरूँगा, २. अमुक प्रकार के क्षेत्र-विशेष से प्राप्त भिक्षान्न द्वारा ही पेट ही जीवन-यापन करूँगा! इसमें दितीय प्रकार के क्षेत्र ऊनोदरी तप के ग्रन्थ में दृष्टान्तरूप से ६ प्रकार गिनाए गए हैं। जैसे:

  १. पेटा (पेटिका की तरह आकारवाले घरों से आहार लेना),
  २. अधंपेटा (अधंपेटिका की तरह आकारवाले घरों से आहार लेना),
  २. अधंपेटा (अधंपेटिका की तरह आकारवाले घरों से आहार लेना),
  ३. गोमूत्रिका (गोमूत्र की तरह वक्राकार भिक्षार्थ जाकर आहार लेना), ४. पतंगवीथिका (बीच-बीच में कुछ घर छोड़कर भिक्षा लेना), ५. शम्बूकावर्त (शंख की तरह चक्राकार जाकर आहार लेना) और ६ आयतंगत्वा प्रत्यागता (पहले

बोमोयरणं पंचहा समासेण वियाहियं।
 दब्बओ खेत्तकालेणं भावेणं पञ्जवेहि य।।
 —उ० ३०.१४.
 तथा देखिए—उ० ३०.१४-२४.

बिना आहार लिए सीधे लम्बी दूर तक चले जाना फिर लौटते समय भिक्षा लेना )।

ये सब भेद क्षेत्र-सम्बन्धी नियमों के आधार से बतलाए गए हैं। क्षेत्र-भेद की अपेक्षा से इनके कई अन्य भेद हो सकते हैं। इन सबका तात्पयं इतना ही है कि आहार-प्राप्ति के क्षेत्र को सीमित (न्यून) कर लेना ताकि कम आहार मिले। क्षेत्र की न्यूनता होने पर भी कभी-कभी संभव है कि भरपेट भोजन मिल जाए अतः क्षेत्र की न्यूनता इतनी अवश्य रहनी चाहिए ताकि भरपेट भोजन न मिले।

- ग काल ऊनोदरी—सामान्यरूप से दिन में १२ से ३ बजे के बीच ( तृतीय पौरुषी ) भिक्षार्थ जाने का विधान है। भिक्षा ग्रहण करने के इस निश्चित समय के प्रमाण को कुछ कम करना काल ऊनोदरी है अर्थात् ऐसा नियम लेना कि तृतीय पौरुषी के चतुर्थांश बीत जाने पर भिक्षा लूँगा या अन्य प्रकार से समय निश्चित करना जो सामान्यतया निश्चित समय के प्रमाण से कुछ कम अवश्य हो। भिक्षा ग्रहण करने के समय की न्यूनता होने पर भोजन की प्राप्ति में कमी होना सभव है। अतः इसे काल ऊनोदरी कहा जाता है।
- घ. भाव अनोदरी—भावप्रधान होने से इसे भाव अनोदरी कहा जाता है। इसमें भिक्षार्थ जाते समय ऐसा नियम किया जाता है कि स्त्री के या पुरुष के, अलंकृत के या अनलंकृत के, युवा के या बालक के, सौम्याकृतिवाले के या अन्य किसी विशेष प्रकार की भाव-भिक्तिमावाले दाता के मिलने पर ही भिक्षा लूँगा, अन्यथा नहीं लूँगा। इस प्रकार का नियम ले लेनेवाले साधु को सब जगह से भिक्षा उपलब्ध न होने से सम्भव है उसे भरपेट भोजन न मिले। अतः इसे भाव अनोदरी कहा जाता है।
- डः पर्यवचरक ऊनोदरी जपर्युक्त चारों प्रकार से न्यून वृत्ति का होना पर्यवचरक ऊनोदरी है अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों प्रकार से ऊनोदरी व्रत का पालन करना पर्यवचरक ऊनोदरी है।

#### ३. भिक्षाचर्यातपः

भिक्षा द्वारा प्राप्त भोजन-पान से जीवन-यापन करना। ग्रन्थ में भिक्षाचर्या को विभिन्न स्थानों पर गोचरी (गाय की तरह आचरण), मृगचर्या (मृग की तरह आचरण) और कपोतवृत्ति (कबूतर की तरह आचरण) भी कहा गया है। इससे भिक्षाचर्या के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। जैसे:

१. गोचरी—जिस प्रकार गाय तृणादि का थोड़ा-थोड़ा भक्षण करती हुई उसे जड़ से नहीं उखाड़ती है उसी प्रकार भिक्षाचर्यान्याना साधु आहार की गवेषणा करते समय गृहस्थ को पुनः आहार वनाने के लिए मजबूर न करते हुए थोड़ा-थोड़ा आहार लेता है. २. मृगचर्या – जिस प्रकार मृग नाना स्थानों में भ्रमण करके अपने उदर का पोषण करता है तथा रोगादि के हो जाने पर भी औषधि आदि का सेवन न करते हुए अकेला ही सर्वत्र विचरण करता रहता है उसी प्रकार भिक्षाचर्यावाला साधु किसी एक गृहविशेष से सम्बद्ध न होकर अनेक घरों से थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लाकर उदरपोषण करता है तथा रोगादि के हो जाने पर भी आपघोपचार की इच्छा न करते हुए एकाकी विचरण करता है और ३. क्योतवृत्ति—जैसे कवूतर कांटों को छोड़कर परिमित अञ्च-कणों को चुग लेता है उसी प्रकार एषणा समिति-सम्बन्धी दोपों को बचाकर साधु परिमित एवं शुद्ध (एपणीय) आहार ग्रहण करता है।

इस तरह भिक्षा के द्वारा ही जीवन-यापन करने के कारण साधु को 'भिक्षु' शब्द से भी कहा जाता है। इस भिक्षाचर्या तप के

श. जहा मिए एम अणेमचारी अणेगवासे युवगोअरेय।
 एवं मुणी गोयरियं पविट्ठे तो हीलए नोवि य खिसएज्जा।।
 —उ० १६.६४.

२. वहीं; उ० १६.७७-८६.

३. कावोयाजाइमा वित्ती।

[—] उ० १**६.३**४.

प्रसङ्ग में ग्रन्थ में आठ प्रकार की गोचरी, सात प्रकार की एषणा तथा अन्य नियमविशेषों (अभिग्रह) के पालन

- १. आठ प्रकार की मोचरी—क्षेत्र ऊनोदरी के प्रसङ्घ में कहे गए पेटा, अर्घपेटा आदि ६ प्रकार ही यहां पर आठ प्रकार की गोचरी के रूप में विणित हैं। जैसे: पेटा, अर्घपेटा, गोमूत्रिका और पतंगत्रीधिका ये चार प्रकार ज्यों के त्यों हैं। इसके अतिरिक्त 'शम्वूकावर्व' के बाह्य और आभ्यन्तर ये दो भेद हैं तथा 'आयतं गत्वा प्रत्यागता' के भी ऋजुगति (सीघे जाकर सीघे लीटना) और वक्रगति (वक्रगति से जाकर वक्राकार लीटना) के भेद से दो भेद हैं। इस तरह भिक्षा के लिए जाते समय क्षेत्रसम्बन्धी नियमविशेष लेना ही आठ प्रकार की गोचरी है।
- २. सात प्रकार की एषणाएँ (अन्नादि ग्रहण करने के नियम )— १. संसृष्टा (भोजन की सामग्री से भरे हुए पात्र के होने पर भिक्षा लेना), २. असंसृष्टा (मोजन की सामग्री से भरे हुए पात्र के नहोंने पर भिक्षा लेना), ३. उद्घृता (जो भोजन रसोईघर से बाहर्र लाकर गृहस्थ ने थाली आदि में अपने निमित्त रखा हो, उसे लेना), ४. अल्पलेपिका (निर्लेष भुंजे हुए चना आदि लेना), ५. उद्गृहीता (भोजन के समय भोजन करनेवाले व्यक्ति को परोसने के लिए जो भोजन चम्मच आदि से निकालकर बाहर रख दिया हो, उसे लेना), ६. प्रगृहीता (भोजनार्थी को देने के लिए उद्यत दाता के हाथ में स्थित सामग्री को लेना) और ७. उण्झितधर्मा (निस्सार रूखा आहार लेना)।
- ३. अन्य अभिग्रह ( नियमविशेष ) अपनी इच्छानुसार कोई नियम ले लेना कि अमुक-अमुक स्थिति के होने पर ही आहार लूँगा। जैसे: १. द्रव्याभिग्रह ( किसी विशेष पात्र में रखे हुए किसी विशेष प्रकार के आहार के लेने की प्रतिज्ञा), २. क्षेत्राभिग्रह (यदि दाता देहनी को अपनी जंघाओं के बीच में करके आहार देगा तो लूँगा, ऐसी क्षेत्र-सम्बन्धी प्रतिज्ञा), ३. कालाभिग्रह ( जब सब साधु भिक्षा ले आएँगे तब भिक्षार्थ जाने पर जो मिलेगा उसे लूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा) और ४. भाषाभिश्रह ( यदि कोई हंसते हुए या रोते हुए देगा तो लूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा)। इसी तरह अन्य विविध नियमों को लिया जा सकता है।

### ३३८ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीसन

करने को भिक्षाचर्या कहा गया है। टीकाग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि ये गोचरी और एषणाएँ आदि कुछ नियम-विशेष हैं जिन का संकल्प करके साधु भिक्षा के लिए जाता है। यदि उन लिए गए संकल्पों के अनुकूल भिक्षा मिलती है तो साधु उसे ग्रहण कर लेता है और यदि उन संकल्पों के अनुकूल भिक्षा निलती है तो सिक्षा नहीं मिलती है तो वह अनशन तप करता है।

इस तरह भिक्षाचर्या और ऊनोदरी तप में बहुत स्थलों पर समानता दिखलाई पड़ती है क्योंकि नियमविशेष लेने से भोजन का कम मिलना स्वाभाविक है। ऐसा होने पर भी भिक्षाचर्या सामान्य तप है और ऊनोदरी विशेष। ऊनोदरी में भूख से कम खाने की प्रधानता है जबकि भिक्षाचर्या में भिक्षा लेने सम्बन्धी नियमविशेष की। अतः भिक्षाचर्यामें साधु भरपेट भोजन कर सकता है। इसमें जो नियमविशेष हैं वे अपनी इन्द्रियों की स्वच्छन्द प्रवित को रोकने के लिए हैं। भिक्षाचर्या साधुका सामान्य तप है जिसका वह प्रतिदिन पालन करता है और ऊनोदरी विशेष तप है जिसका वह कभी-कभी पालन करता है। अतः ग्रन्थ में साधु के जीवन को भिक्षाचयि के रूप में प्रदिशित किया गया है। मृगु पुरोहित की पत्नी भिक्षाचर्या की कठोरता का वर्णन करते हुए कहती है कि धैर्यशील एवं तपस्वी ही इस (भिक्षाचर्या) को घारण कर सकते हैं। इसी प्रकार भद्रा (सोमदेव की स्त्री) राजकुमारी भिक्षार्थ आए हुए हरिकेशिबल मुनिके ऊपर क्रोधित होनेवाले ब्राह्मणों से कहती है कि भोजनार्थ उपस्थित हुए साधु का तिरस्कार करना या मारना उसी प्रकार उपहासास्पद है जिस प्रकार नखों से पर्वत को खोदना, दांतों से लोहे को चबाना, आग को पैरों से

श्रुविहगोयरग्गं तु तहा सत्तेव एसणा ।
 अभिग्गहा य जे अन्ने भिनस्ताविष्यमाहिया ।।
 —उ० ३०.२४.

२. वही, टीकाएँ।

३. घीरा ह भिक्खारियं चरंति ।

^{-30 88.3}X.

कुचलना तथा पतंगसेना द्वारा आगमें कूदकर आगको बुझाना।

#### ४. रस-परित्याग तप:

दूध, दही, घी आदि सरस पदार्थों के सेवन का त्याग करना रसपिरत्याग तप है। यामान्यतया साधु के लिए नीरस आहार करने का ही विधान है और यदि उसे सरस आहार मिल जाता है तो वह उसे भी ले सकता है। परन्तु रस-पिरत्याग तप को करने बाला साधु रसना इन्द्रिय को मधुर लगनेवाले दूध, दही, घी आदि तथा उनसे बने सरस भोजनादि को मिलने पर भी नहीं खा सकता है। इस तरह इस तप के करने से साधु की इन्द्रियाग्नि उद्दीपित नहीं होती है और ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने में सहायता मिलती है। साधु के लिए आहार संयम का पालन करने के लिए है, शरीर की पुष्टि एवं रसास्वाद के लिए नहीं। अतः इस तप को करना भी आवश्यक हो जाता है।

### ५. कायक्लेश तप :

मुखावह वीरासन आदि (पद्मासन, उत्कटासन आदि ) में शरीर को स्थित करना कायनलेश तप है। कायनलेश तप के इस लक्षण में 'जीव को सुख की ओर ले जानेवाला' (मुखावह) ऐसा विशेषण देने से उन सभी कुत्सित तपों का

तथा देखिए-उ० १२.२७.

- २. स्त्रीरदहिसप्पिमाई पाणीयं पाणभरेयणं । परिवज्जणं रसाणं तु भणियं रसविवज्जणं ।। —उ० ३०.२६.
- इ. ठाणा वीरासणाईया जीवस्स उ सुहावहा ।
   उग्गा जहा धरिज्जंति कायिकलेसं तमाहियं ।।
   —उ० ३०.२७.

शिर नहेिंह खणह अयं देतेिंह खायह ।
 जायतेयं पाएिंह हणह जे भिक्खुं अवमन्नह ।।
 —उ० १२.२६.

लण्डन हो जाता है जो ऐहिक विषयाभिलाषा या क्रोधादि के कारण किए जाते हैं। साधु को जो केशलौंच करना पड़ता है वह भी एक प्रकार का कायक्लेश तप ही है। केशलौंच साधु के लिए आवश्यक भी वतलाया गया है क्योंकि केशों के रखने से उनमें जू आदि जीवों की उत्पत्ति संभव है। अतः एक निश्चित समय के भीतर इन्हें उखाड़ना पड़ता है। दिगम्बर-परम्परा में साधु के २६ मूलगुणों (प्रधान गुणों) में केशलौंच भी एक मूलगुण (प्रधान गुण) माना जाता है। केशों को उखाड़ना बड़ा कठिन भी है। इस तरह वीरासन आदि में स्थिर होने से शरीर को बड़ा कब्द होता है। अतः इसे कायक्लेश तप कहा गया है। सामान्य भाषा में इसे ही तप कहा जाता है। इससे शरीर में निश्चलता एवं अप्रमत्तता आती है।

# ६. प्रतिसंलीनता (संलीनता या विविक्तशयनासन) तपः

स्त्री-पशु आदि की संकीर्णता से रहित एकान्तस्यान (गुफा, शून्यागार आदि) में निवास (शयन और आसन) करना विविक्त-शयनासन तप है अर्थात् अरण्यादि एकान्तस्थान (विविक्त-श्यान) में निवास करना। "साधु को सामान्यतौर से एकान्तस्थान में ही रहने का विधान है। यहां पर उसे ही तप के रूप में विणित किया गया है। इस विविक्तशयनासन को ही संलीनता या प्रतिसंलीनता तप के नाम से कहा गया है। यद्यपि ग्रन्थ में

१. स्थानानि वीरासनादीनी, लोचाद्युपलक्षणं वैतत् । — बही, ने० वृ०, पृ० ३४१.

२. वदसमिदिदियरोघो लोचावस्सयमचेलमण्हाणं। स्विदिसयणमदंतवणं ठिदिसोयणमेगभतं च। एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहि पण्णत्ता।। —प्रवचनसार, ३.५-६.

३. केसलोओ अंदाहणो। ---उ० १६.३४,

४ त्रगंतमगावात् इत्योपसृविविज्ञित् । स्यणासणसेविषया विवित्तसयणासणं ।। — उ० ३०.२८.

बाह्य तप के भेदों को गिनाते समय इस तप का नाम संलीनता दिया गया है परन्तु इसका लक्षण करते समय इसे विविक्त- शयनासन शब्द से कहा गया है। वास्तव में विविक्त शयनासन संलीनता का एक भेदिविशेष है। इसका फल बतलाते हुए ग्रन्थ में लिखा है कि विविक्त शयनासन से जीव चारित्र की गुप्ति को करता है और फिर एषणीय आहारवान्, दृढ़चारित्रवान्, एकान्तिश्रय और मोक्षाभिमुख होकर आठों प्रकार के कर्मबन्धनों को तोड़ देता है। व

उपर्युक्त बाह्य तप के भेदों में प्रथम चार तप आहार से सम्बन्धित हैं तथा अन्तिम दो तप क्रमशः कठोर शारीरिक आसन विशेष एवं एकान्तवास से सम्बन्धित हैं। यदि साधु की अपेक्षा से इन बाह्य तपों के क्रमिक-विकास पर विचार किया जाए तो इनका क्रम इस प्रकार उचित होगाः १ भिक्षाचर्या, २ ऊनोदरी, ३. रस-परित्याग, ४. अनशन, ५. संलीनता एवं ६ कायक्लेश । प्रत्येक साधु भिक्षाचर्याका सामान्यरूप से पालन करता ही है। अतः क्रमिक-विकास की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान होना चाहिए। इसके बाद कम खानेरूप ऊनोदरी, फिर सरस पदार्थों के त्यागरूप रस-परित्याग और फिर सब प्रकार के आहार-पान के त्यागरूप अन-शन तप करने का अभ्यास संभव है । कायक्लेश तप में एकान्तस्थान . कासेवन आही जाता है तथा साधुके लिए हमेशा एकान्तसेवन आवश्यक भी है, जबिक कायक्लेश तप उतना आवश्यक नहीं है। अतः प्रतिसंतीनता के बाद कायक्लेश तप का अभ्यास संभव है। अपेक्षा-भेद होने पर इस क्रम में अंतर भी आ सकता है। तत्त्वार्थ-सूत्र में भी यद्यपि उपर्युक्त क्रम नहीं है फिर भी वहां पर कायक्लेश के पूर्व संलीनता (विविक्त शयनासन) को गिनाया गया है।3

१. वही, टीकाएँ।

२. उ० २६.३१.

अनजनावमीदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यामविविक्तःश्रय्यासनकायवलेशा बाह्यः तपः ।

⁻ त॰ सू० ६.१६.

#### आभ्यन्तर तप:

अन्तः गुद्धि से विशेष सम्बन्ध रखने के कारण प्रायिष्वित्त आदि तप आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इनका बाह्य शारीरिक-क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है अपितु बाह्य और आभ्यन्तररूप तयों का विभाजन प्रधानता और अप्रधानता की दृष्टि से किया गया है। आभ्यन्तर छः तपों के स्वरूपादि इस प्रकार हैं:

### १. प्रायश्चित्त तपः

आचार में दोष लग जाने पर उस दोष की शुद्धि के लिए किया गया दण्डरूप पश्चात्ताप प्रायश्चित्त तप है। यह ग्रन्थं में १० प्रकार का बतलाया गया है परन्तु वहां पर उनके नाम नहीं गिनाए हैं। टीकाओं में उनके नामादि इस प्रकार गिनाए गए हैं:

क. आलोचना— दोष को गुरु के समक्ष स्पर्ध कह देने मात्र से जिस दोष की शुद्ध हो जाती है उसे 'आलोचनाई' दोष कहते हैं तथा उस दोष को बिना छुपाए गुरु के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कहना आलोचना प्रायश्चित्त है। आलोचना से जीव अनन्त-संसार को बढ़ानेवाले तथा मुक्ति में विघ्नरूप माया, निदान (पुण्यकर्म की फलाभिलाषा) और मिथ्यादर्शनरूप शत्यों को दूर करके सरलता को प्राप्त करता है, फिर स्त्री वेद और नपुंसक वेद (मोहनीय नोकषाय कर्म) का बन्ध न करके पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है। यहाँ (आत्मगर्हा) भी आलोचनारूप ही है। इससे जीव आत्मनम्रता (अपुरस्कार) को प्राप्त करता है, फिर अप्रशस्त-योग (मन, वचन व काय की अशुभ-प्रवृत्ति) से विरक्त होकर

१. आलोयणारिहाईयं पायिच्छतं तु दसविहं । जं भिन्नस्तू वहई सम्मं पायिच्छतं तमाहियं ।।
—उ० ३०.३१.

२. उ० २६.५.

प्रशस्त-योग को प्राप्त करता है। इसके बाद प्रशस्त-योगवाला साधु अनन्तवाती कर्म-पर्यायों को नष्ट कर देता है।

सः प्रतिक्रमण — 'प्रमाद से जो दोष हुआ हो वह मिथ्या हो' (मिच्छा मि दुक्कडं) इस तरह की मानसिक प्रतिक्रिया प्रकट करना प्रतिक्रमण प्रायश्चित्ता तप है। साधु इस प्रायश्चित्ता को प्रतिदिन करता है। अतः इसे छः आवश्यकों में गिनाया गया है।

ग. तदुभय आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों प्रकार के प्रायश्चित्तों के करने से जिस दोष की शुद्धि हो उसे 'तदुभयाई' दोष कहते हैं तथा इस दोष की शुद्धि करना तदुभय प्रायश्चित्त है।

ध. विवेक-यदि अज्ञान से सदोष आहारादि लिया हो तो बाद में ज्ञान हो जाने पर उसका त्याग कर देना विवेक प्रायश्चित्त है।

ड. व्युत्सर्ग—शरीर के सभी प्रकार के हलन-चलनरूप व्यापारों को त्यागकर एकाग्रतापूर्वक स्थिर होना अर्थात् 'कायोत्सर्ग' करना व्युत्सर्ग प्रायण्वित्त है। यह कायोत्सर्गरूप व्युत्सर्गछः आवश्यकों में भी गिनायां गया है तथा आभ्यन्तर तप के छः भेदों में एक स्वतन्त्र तप भी है।

च तप जिस दोष की शुद्धि अनशन आदि तप के करने से हो उसे 'तपार्ह' दोष कहते हैं तथा उसकी शुद्धि के लिए अनशन आदि तप करना तप प्रायश्चित्ता है।

छ, छेद साधुकी दीक्षा के समय को घटा (छेद) देना छेद प्रायश्वित्त है। इससे उस साधुको जिसकी दीक्षा का समय घटा दिया जाता है उन साधुओं को भी नमस्कार आदि करना पड़ता है जिनकी दीक्षा की अवधि उससे ज्यादा होती है, भले ही वे उसे छेद प्रायश्चित्त के पूर्व नमस्कार आदि क्यों न करते रहे हों। °

**१.** उ० २६ ७.

२. मानलो किसी साधुको दीक्षा लिए चार वर्ष पूरे हो गए हैं। किसी अपराध के कारण एक दिन गुरु उसकी दीक्षा के समय को एक वर्ष छेद देते हैं। इसके परिणामस्वरूप अब उसे उन सभी साधुओं की वैयावृत्य आदि करनी पड़ती है जिनकी दीक्षा का समय तीन वर्ष से कुछ अधिक है।

#### ३४४ ] उत्तराध्ययन सूत्र : एक परिशीलन

ज. मूल-जिस दोष के प्रायश्चित्ता में सम्पूर्ण (मूलसहित) दीक्षा के समय को छेद दिया जाए उसे मूल प्रायश्चित्त कहते हैं। इसके फलस्वरूप उसे पुन: दीक्षा लेनी पड़ती है। तत्त्वार्थसूत्र में इसे उपस्थापना प्रायश्चित्त तप कहा है।

इा. अनवस्थापना—जिस दोष के प्रायश्चित्तास्वरूप साधु सम्पूर्ण दीक्षा के छेद दिए जाने से पुन: दीक्षा लेने के योग्य तब तक न हो जब तक कि उस दोष के प्रायश्चित्तस्वरूप गुरु के द्वारा बतलाया गया अनशन आदि तप न कर लिया जाए।

ज्ञ. पाराञ्चिक -- सबसे बड़े अपराध के लिए किया जानेवाला सर्वाधिक कठोर प्रायश्चित्त विशेष ।

उपर्युक्त १० प्रकार के प्रायश्चितों में यदि प्रतिक्रमण के बाद आलोचना प्रायश्चित्ता को रखा जाए तो ये प्रायश्चित्त कमणः उत्तरोत्तर गुरुतर अपराध (दोष) की णुद्धि में निमित्त बनेंगे। प्रतिक्रमण सामान्य दोष के लिए किया जाता है तथा आलोचना उससे गुरुतर अपराध के लिए की जाती है। इसीलिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त में गुरु के समीप दोषों को कहे बिना ही स्वतः पश्चात्तापरूप मानसिक-प्रतिक्रिया प्रकट की जाती है, जबिक आलोचना में गुरु के समक्ष दोषों को कहना पड़ता है। जीतकल्प सूत्र में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। तत्त्वार्थसूत्र में इस तप के ह भेद गिनाए हैं जिनमें अनवस्थापन और पाराञ्चिक ये दो भेद नहीं हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ 'परिहार' (कुछ समय के लिए संघ से निकाल देना) नामक एक अन्य प्रायश्चित्त गिनाया गया है।

## २. विनय तपः

गुरु के प्रति नम्नता का ब्यवहार करना विनय तप है। यह विनम्रता पाँच प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है: १. अभ्युत्थान

१. आलोचनःप्रतिक्रमणततुभयविषेकव्युत्सर्गतपरछेदपरिहारोपस्थापनाः ।

**[—]**त० सु**०** ६.२**२.** 

२. वही

(गुरु के आने पर खड़े होना), २. अञ्जलिकरण (हाथ जोड़कर नमस्कार करना), ३. आसनदान (उच्चासन देना), ४. गुरुमिक्ति (गुरु के प्रति अनुराग) और ५. भावशुश्रूषा (गुरु की अन्तः करण से सेवा करना)। ये ही विनय तप के पाँच प्रकार हैं। धमंबृद्धि एवं ज्ञानप्राप्ति के लिए गुरु के प्रति की गई विनय ही यहाँ पर विनय तप है। धनप्राप्ति आदि के लिए की गई विनय यहां पर अभिप्रेत नहीं है। साधु के लिए यह तप आवश्यक है। अतः छः आवश्यकों में 'वन्दन' नाम का एक आवश्यक भी माना गया है। इसका विशेष विचार विनीत शिष्य के प्रसंग में किया जा चुका है।

## ३. वैयावृत्य तपः

आहार-पान आदि के द्वारा (ग्लानि के बिना) गुरुजनों की यथाशक्ति सेवा-शुश्रूषा करना बैयावृत्य तप है। गुरुजनों की सेवा करना साधु का प्रतिदिन का सामान्य कार्य है जैसाकि साधु की दिनचर्या में बतलाया गया है। यद्यपि विनय तप के भाव-शुश्रूषा नामक पाँचवें भेद के अन्तर्गत ही यह तप आ जाता है परन्तु यहां पर जो इसका स्वतन्त्र तप के रूप में कथन किया गया है वह इस पर विशेष जोर देने के लिए है। दीक्षागुरु आदि सेवायोग्य पात्रों (व्यक्तियों) की अपेक्षा से इस तप के १० भेद गिनाए

अब्भुट्ठाणं अंजलिकरणं तहेवासणदावणं । गुरुभत्तिभावसुरसुसा विणओ एस विधाहिओ ।।

^{-- 30 30.37.} 

२, सेबायोग्य १० पात्र इस प्रकार हैं : १. दीक्षागुरु (आचार्य), २. ज्ञान देनेवाला अध्यापक (उपाध्याय), ३. ज्ञानवयोवृद्ध साधु (स्थिवर), ४. उम्र तप करनेवाला (तपस्वी), ५. रोगादि से पीड़ित साधु (ग्लान), ६. नवदीक्षित साधु (ग्लेक्ष), ७. सहधर्मी (साधामिक), ६. एक ही दीक्षागुरु का शिष्य-समुदाय (कुल), ६. अनेक दीक्षा गुरुओं के शिष्यों का समुदाय (गण) और १०. साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका का समुदाय (संघ)।

गए हैं। प्रन्थ में इस तप का फल बतलाते हुए लिखा है कि इससे आशातना रहित ( उच्छृ खलता से रहित ) विनय की प्राप्ति होती है। इसके बाद वह चारों गितयों के कर्मबन्ध को रोककर तीर्थं द्वर (जिसके प्रभाव से जीव धर्मप्रवर्तन करके सिद्ध हो जाता है) नामक गोत्र कर्म का बन्ध करता है। इसके अतिरिक्त सब प्रकार के विनयमूलक प्रशस्त-कार्यों को करता हुआ अन्य जीवों को भी विनयधर्म में प्रवृत्त कराता है। इस तरह इस तप का प्रयोजन विनय तप को समृद्ध करना है।

#### ४. स्वाध्याय तप:

ज्ञानप्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय तप है। साधु के लिए दिन एवं रात्रि के कुल आठ प्रहरों में से चार प्रहरों में (अर्थात् १२ घंटे) स्वाध्याय करने का विधान है। इस स्वाध्याय तप के पाँच प्रकार हैं जिनसे युक्त अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय के वे पाँच प्रकार ये हैं:

क. बाचना-शास्त्रों (सद्प्रन्थों) का पढ़ना या पढ़ाना 'वाचना' तप है। वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है तथा शास्त्रों की सुरक्षा बनी रहती है। किञ्च, साधक वाचना का अभ्यास करके महा-पर्यवसान (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है। ध

१. आपरिषमाईए वैयावच्चिम दसविहे ।

आसेवणं जहाथामं वेयावच्चं तमाहियं ।।

—उ० ३०.**३**३.

तथा देखिए-- उ० १२.२४; २६.६-१०, ३३.

२ वेयावच्चेणं तित्थयरनामगोत्तं क्रम्मं निबंधइ।

-- JO 78 83.

तथा देखिए-उ० २६.४

वायणा पुरुष्ठणा चेव तहेव परिषट्टणा ।
 अणुष्पेहा घम्मकहा सण्झाओ पंचहा भवे ।।
 — उ० ३०.३४.

तथा देखिए—उ० २४.८.

४. उ० २६.१६.

ख. पृंच्छना या प्रतिपृच्छना—विशेष ज्ञानप्राप्ति के लिए तथा सूत्रार्थ में सन्देह उत्पन्न होने पर गुरु से प्रश्न पूछना 'पृच्छना' है। इससे जीव सूत्र और अर्थ (शब्दार्थ) का स्पष्ट व सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा सन्देह एवं मोह को उत्पन्न करनेवाले कर्म (कांक्षा मोहनीय) को नष्ट कर देता है।

ग परिवर्तना—ज्ञान को स्थिर वनाए रखने के लिए पढ़े हुए विषय को पुन:-पुन: दुहराना (पुनरावृर्त करना) परिवर्तना है। इससे जीव को एक अक्षर की स्मृति से तदनुकूल अन्य सैकड़ों अक्षरों की स्मृति (व्यञ्जनलिव्ध) हो जाती है तथा वे स्मृतिपटल पर स्थिर हो जाते हैं। र

घ अनुप्रेक्षा - सूत्रार्थ का चित्तन एवं मनन करना अनुप्रेक्षा है। इससे जीव आयु कमं के अतिरिक्त शेष सात कमों के गाढ़-बन्धनों को शिथिल कर देता है, दीर्घकाल की स्थितिवाले कमों को हस्वकाल की स्थितिवाला कर देता है, तीव्र फलदायिनी शक्ति को अल्प फलदायिनी शक्तिवाला कर देता है, बहुप्रदेशी को अल्पप्रदेशी कर देता है। आयु कमं का पुनः बन्ध हो या न हो परन्तु दुःख को देनेवाले (असाता वेदनीय) कमों का वह बार-बार बन्ध नहीं करता है तथा अनादि-अनन्त, दीर्घमार्गी व चतुर्गतिरूप संसार-कान्तार को शीघा ही पार कर जाता है। 3

ड. धर्मकथा—प्राप्त किए हुए ज्ञान को धर्मोपदेश द्वारा व्यक्त करना (धर्मोपदेश देना) धर्मकथा है। इससे जीव कर्मों की निर्जरा करके धर्मसिद्धान्त की उन्नति (प्रवचन-प्रभावना) करता है। तदनन्तर भविष्यत्काल में सुखकर शुभ-कर्मों का ही बन्ध करता है।

इस तरह इन पाँचों अंगों के साथ स्वाध्याय तप करने से जीव ज्ञान को आवृत्ता करनेवाले ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट कर

१. उ० २६.२०.

२. उ• २१.२१.

३. उ० २६,२२.

४, व० २६.२३.

देता है, फिर सब प्रकार के पदार्थों का ज्ञाता होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः ग्रन्थ में इसे सब प्रकार के पदार्थों (भावों) को प्रकाशित करनेवाला तथा सब प्रकार के दुःखों से छुटकारा दिलाने-वाला कहा है। १

#### ५. ध्यान तप:

चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। अलम्बन-विषय की दृष्टि से इसके चार भेद किए गए हैं! इसमें आदि के दो ध्यानों में अशुभालम्बन होता है तथा अन्त के दो ध्यानों में शुभालम्बन होता है। अतः आदि के दो ध्यान अप्रशस्त एवं अनुपादेय हैं तथा अन्त के दो ध्यान प्रशस्त तथा उपादेय हैं। शुभालम्बनवाले प्रशस्त ध्यान ही यहाँ पर ध्यान तप के रूप में गृहीत हैं। ध्यान के ये चार प्रकार निम्नोक्त हैं:

क. आर्तध्यान—इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग आदि सांसारिक दुःखों (आर्त) से उत्पन्न विकलतारूप सतत चिन्तन आर्तध्यान है। स. रोद्रध्यान—हिंसादि में प्रवृत्ति करानेवाले कूर (रौद्र) विचारों का सतत चिन्तन करना रौद्रध्यान है।

ग. धर्मध्यान -- किसी एक धार्मिक विषय पर चित्त को एकाग्र
 करना धर्मध्यान है। तत्त्वार्थसूत्र में विषय की दृष्टि से इसके चार

-- 30 26.84.

सज्झाए वा निउत्तेण सञ्बद्धक्खिवमोक्खणे ।

—उ० २६.१०**.** 

तथा देखिए-उ॰ २६.२१; २६.२४.

२. जीवस्स एगरग-जोगाभिणिवेसो झाणं ।

— उद्धृत, श्रमणसूत्र, पृ० १३६.

३. अटुरुहाणि विज्ञित्ता झाएज्जा सुसमाहिए। धम्मसुक्काई झाणाई झाण तं तु बुहा वए।।
—उ० ३०.३५.

तथा देखिए -- उ० ३१.६; २६.१२; ३४.३१.

१. सज्झाएणं नाणावरणिञ्जं कम्मं खंवेइ ।।

भेद गिनाए हैं। १ एकाग्रचिता से स्वाध्याय करना भी धर्मध्यान है। अतः ग्रन्थ में स्वाध्याय से संयुक्त गर्दभानि मुनि को धर्मध्यान करनेवाला कहा गया है। र

- घ. शुक्लध्यान शुद्ध आत्म-तत्त्व में चित्त को स्थिर करना शुक्लध्यान है। शोक (शुच) को दूर (क्लामना) करनेवाला ध्यान शुक्लध्यान है। वत्त्वार्थसूत्र में इसके उत्तरोत्तर विकासक्रम के आधार पर चार भेद किए गए हैं। वे चार भेद इस प्रकार हैं: ४
- १. पृथक्त्यवितर्कं सवीचार अप्तज्ञान (वितर्क) का आलम्बन लेकर भेदप्रधान (पृथवत्व) चिन्तन करना 'पृथक्त्ववितर्क' कहलाता है। इसमें भेदप्रधान चिन्तन की अविच्छिन्नधारा के रहने पर भी विचारों का संक्रमण (परिवर्तन) होता रहता है। अतः इसे पृथक्त्वितर्कं सवीचार ध्यान कहते हैं। २. एकत्विवितर्कं निर्वीचार अप्रधान चिन्तन 'एकत्विवितर्क' कहलाता है। इसमें विचारों का संक्रमण नहीं होता है। अतः इसे एकत्विवितर्कं निर्वीचार ध्यान कहते हैं। ३. स्थमिकधाऽप्रतिपाति—श्वासोच्छ्वास जैसी अत्यन्त सूक्ष्म क्रिया के वर्तमान रहने से तथा अपतनशील (अप्रतिपाती) होने से इसे स्थमिकधाऽप्रतिपाति ध्यान कहते हैं। इस ध्यान की प्राप्ति केवलकात की प्राप्ति केवलकात है। इस ध्यान की प्राप्ति केवलकात की प्राप्ति के बाद आयु के अन्तर्मु हुर्त प्रमाण शेष रहने पर होती है। इस ध्यान में श्वासोच्छ्वास को छोड़कर पूर्ण निश्चेष्टा-वस्था रहती है। इस ध्यान में श्वासोच्छ्वास को छोड़कर पूर्ण निश्चेष्टा-वस्था रहती है। इस ध्यान में श्वासोच्छ्वास का छोड़कर पूर्ण निश्चेष्टा-

श्रज्ञाज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममद्रमत्तसंयतस्य ।
 —त० सु० ६,३७.

२. सञ्झायञ्झाणसंजुत्ती धम्मज्झाणं झियायइ। — उ० १८,४.

३. शुर्च शोकं वलामयतीति शुक्लं ।
--- ७० ( ३०.३४) भावविजयटीका ।

४. पृथवत्वैकत्व-वितर्क-सूक्ष्मिक्षयाप्रतिपाति-व्युपरतिकथानिवर्तीनि । —त० सू० ६.३६.

^{₹. 30 28.98} 

क्रिया के भी शान्त हो जाने पर जो पूर्ण निश्चल अवस्था की प्राप्ति होती है उसे समुच्छिन्न किया अनिवृत्ति घ्यान कहते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद पुन: संसार में आवागमन नहीं होता है। इस अवस्था की स्थिति अ, इ, उ, ऋ एवं लृ इन पाँच ह्रस्वाक्षरों के उच्चारण-प्रमाण मानी है। इसके बाद अविष्ट सभी अघातिया कर्मों को नष्ट करके जीव मुक्त हो जाता है। यह घ्यान की सर्वोच्च एवं अन्तिम अवस्था है।

इन चार प्रकार के शुक्लध्यानों में प्रथम दो घ्यान आलम्बन-सहित होने से श्रुतज्ञानधारी ( पूर्वधर ) के होते हैं तथा बाद के दो ध्यान आलम्बनरहित होने से केवलज्ञानी जीवन्मुक्तों के होते हैं।

इस तरह इन प्रमुख चार प्रकार के ध्यानों में आर्त और रौद्र ध्यान मुक्ति में साधक न होने से त्याज्य हैं तथा धर्म और शुक्ल ध्यान उपादेय हैं। धर्मध्यान का प्रयोजन शुक्लध्यान की अवस्था को प्राप्त कराना है। ग्रन्थ में साधु की दिन एवं रात्रिचर्या के आठ प्रहरों में से दो प्रहर धर्म और शुक्ल इन दो ध्यानों को दृष्टि में रखकर ही निश्चित किए गए हैं। एकाग्रमन:सन्तिवेश (मन को एकाग्र करना), मन:समाधारण, मनोगुष्ति आदि सभी इसी ध्यान की प्राष्ति के प्रति कारण हैं।

## ६. कायोत्सर्गया व्युत्सर्गतपः

शयन करने, बैठने और खड़े रहने के समय शरीर को इधर-उधर न हिलाकंर स्थिर रखना कायोत्सर्गतप है। असाधु सामान्यतौर से ब्युत्मृष्टकाय (शरीर से ममत्वरहित) होकर ही विहार करते हैं। अखड़ आवश्यकों में कायोत्सर्गएक आवश्यक (नित्यकर्म) भी है। प्रायश्चित्त तप के भेदों में भी कायोत्सर्ग

१. उ० २६.७१, ४१.

२. देखिए—प्रकरण ४, मनोगुप्ति ।

स्थणासणठाणे वा जे उ भिक्खून वावरे ।
 कायस्स विज्ञस्सग्गो छट्टो सो परिकित्तिओ ।।
 —उ० ३०.३६.

४. उ० ३५.**१**५,

को गिनाया गया है। यहां पर इसका पृथक् कथन विशेष जोर देने के लिए किया गया है।

इस तरह इन सभी आभ्यन्तर तप के भेदों में ऐसा कोई भी तप नहीं है जिसे साधु किसी न किसी रूप में प्रतिदिन न करता हो। इन आभ्यन्तर तपों की क्रमरूपता का यदि विचार किया जाए तो विनय तप के पहले वैयावृत्य तप तथा ध्यान के पहले व्युत्सर्ग तप आना चाहिए। वैयावृत्य तप से विनय की प्राप्ति होती है तथा विनय तप में वैयावृत्य तप आ ही जाता है। इसी प्रकार ध्यान तप में कायोत्सर्ग हो ही जाता है क्योंकि बिना कायोत्सर्ग के ध्यान संभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कायोत्सर्ग निषेधात्मक है जबकि ध्यान विधानात्मक है। विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय विशेषकर ज्ञान की प्राप्ति से सम्बन्धित हैं। प्रायश्चित आचारगत दोषों की शुद्धि से तथा कायोत्सर्ग और ध्यान तप मन, वचन व काय की प्रवृत्ति की स्थिरता से सम्बन्धित हैं।

इस तरह इन बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के तथों का वर्णन किया गया। योगदर्शन तथा बौद्धदर्शन में भी इन तथों (विशेषकर ध्यान) का समाधि के रूप में वर्णन मिलता है। प्रकृत ग्रन्थ में तप का मुख्य प्रयोजन (फल प्रवंसचित संकड़ों भवों में भोगे जानेवाले कर्मों को आत्मा से पृथक् (निर्जीण) करना है। इसके अतिरिक्त तप साध जीवन की एक सम्पत्ति है। तप से ऋदि आदि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त तपस्वी की सेवा करने में देवता भी अपना अहोभाग्य समझते

<del>-</del>- च० **१३.१७.** 

३. इड्ढी वावि तवस्सिणी।

─ उ० २. ४४.

तथा देखिए--उ० १२.३७.

१. विशेष के लिए देखिए—विसुद्धिमग्ग, परिच्छेद ३, ४, ११; पातञ्जल-योगदर्शन तथा इसी प्रकरण का अनुशीलन ।

२. विरत्तकामाण तवोधणाणं !

हैं। ये तप आत्मशक्तियों के विकास एवं विशुद्धि की परख के लिए कसौटीरूप भी हैं। इनसे स्वर्ग या संसार से पूर्ण निवृत्तिरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह इन तपों का कमों को बलात उदय में लाकर निर्जीर्ण करने में तथा संसार से मुक्ति दिलाने में प्रमुख हाथ होने से इनका चारित्र से पृथक् कथन किया गया है। तप की सफलता के लिए आवश्यक है कि शरीर के सूख जाने पर भी तपश्चरण से विचलित न होवे तथा तप के फल की इच्छा भी न करे।

## यरीबह जग्र

साधु को अपनी साधना के पथ में नाता प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है क्योंकि उसका सम्पूर्ण जीवन तपोमय है तथा तप की सफलता कष्टों को सहन किए बिना संभव नहीं है। सांसारिक विषयों में आसक्ति होना ही इन कष्टों का कारण है तथा सांसारिक विषयों में आसक्ति होना ही इन कष्टों पर विजय है। ये कष्ट मनुष्यक्रत, तियंञ्चकृत या देवकृत हो सकते हैं। इन कष्टों से न घबड़ाना ही साधु का कर्ताव्य है। माधु मुख्यरूप से जिन क्षुधादि कष्टों को सहन करता है उन्हें प्रन्थ में 'परीषह' शब्द से कहा गया है। परीषह के ही अर्थ में 'उपसर्ग' शब्द का भी प्रयोग मिलता है। इन कष्टों (उपसर्ग एवं परीषह) को जीतने

सथा देखिए-उ० २१.१५,२०

१. उ० १२.३६-३७.

२. एवं तवंतु दुविह्ंजे सम्भं आयरे मुणी। सो स्विष्पं सब्वसंसारा विष्यमुच्चड पंडिओ।। — उ० ३०.३७.

कालीपब्बंगसंकासे किसे घमणिसंतए।
 मायन्ते असणपाणस्स अदीणगणसो चरे।।
 —उ० २.३.

४. जे भिक्खू सोच्चा नच्चा जिञ्चा अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्ययंती पुट्टो नो विनिहन्नेज्जा।
—-ज० २.१-३ (गद्य).

को 'परीषहजय' कहते हैं और जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार में भ्रमण नहीं करता है।

## परीषहजय के भेद व स्वरूपः

यद्यपि इन परीषहों की संख्या अनन्त हो सकती है परन्तु ग्रन्थ में इन्हें बाईस भागों में विभक्त किया गया है। इनसे पीड़ित होकर धर्मच्युत न होना परीषहजय है। वे बाईस परीषहजय इस प्रकार हैं: 2

- १ क्षुधा परीषहजय—भूख से व्याकुल होने पर तथा शरीर के अत्यन्त कृश हो जाने पर भी क्षुधा की शान्ति के लिए न तो फलादि को स्वयं तोड़ना, न दूसरे से तुड़वाना, न पकाना और न दूसरे से पकवाना अपितु क्षुधाजन्य कष्ट को सब प्रकार से सहन करना क्षुधा परीषहजय है। 3
- २. तृथा परोषहजय प्यास से मुख के सूख जाने पर तथा निर्जनस्थान के होने पर भी शीतल (सचित्त) जल का सेवन न करके अचित्त जल की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना तृषा परीषह-जय है। *
- ३. शीत परीषहजय---ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए यदि शीतजन्य कष्ट होने लगे तो शीतनिवारक स्थान एवं वस्त्रादि के
  - १ दिव्ये य जे उवसम्मे तहा तेरिच्छमाणुसे ।
    जे भिक्ष् सहइ निच्चं से न अच्छइ मंडले ॥
    —उ० ३१.४.
    एगवीसाए सबले बाबीसाए परीसहे ।
    जे भिक्षू जयई निच्चं से न अच्छइ मंडले ॥
    —उ० ३१.१४.
- २. इमे खलु ते बावीसं परीसहा .........तं जहा—दिगिछापरीसहे पिवा-सापरीसहे .......अन्नाणपरीसहे दंसणपरीसहे । —उ० २.३-४ (गद्य).
- ३. देखिए-पृ० ३४२, पा० टि० ३; उ० २.२;१६.३२.
- ४. सीओदर्गन सेवेण्जा वियडस्सेसणं चरे। —उ० २.४.

तया देखिए-उ० २.५.

न रहने पर भी अग्नि आदि के सेवन का चिन्तन न करते हुए तज्जन्य कष्ट को सहन करना शीत परीषहजय है। भे

- ४. उष्ण परीषहजय-इसे आतप (धूप) परीषहजय भी कहा गया है। गर्मी अथवा अग्नि से अत्यन्त परिताप को प्राप्त होने पर भी स्नान करना, मुख को पानी से सींचना, पंखा झलना आदि परिताप-निवारक उपायों के द्वारा शान्ति की अभिलाषा न करना उष्ण परीषहजय है। व
- प्र. दंशमशक परीषहजय दंशमशक आदि (सांप, बिच्छू, मच्छड़ आदि) जन्तुओं के द्वारा काटे जाने पर भी संग्राम में आगे रहनेवाले हस्ती की तरह अड़िंग रहकर उन रुधिर और मांस खाने-वालों को द्वेष-बृद्धि के कारण न तो हटाना और न पीड़ित करना दंशमशक परीषहजय है। 3
- ६. अचेल परोषहजय—वस्त्ररहित या अल्प वस्त्रसहित हो जाने पर किसी प्रकार की चिन्ता न करना अचेल परीषहजय है। रें यहां पर वस्त्रसहित और वस्त्ररहित दोनों अवस्थाओं में अचेल परीषह बतलाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि साधु दो प्रकार के होते थे एक वह जो वस्त्र धारण करते थे (स्थिवरकल्पी या ख्वेताम्बर) और दूसरे वह जो वस्त्र से रहित होते थे (जिनकल्पी या
  - चरत दिरयं लूहं सीयं फुसइ एगया । अहं तु अग्गि सेवामि इइ भिन्खू न चितए ॥ ---उ० २.६-७.

तथा देखिए--उ० १६.३२.

२. घिसुवा परियावेणं सध्यं नो परिदेवए।

---- उ०२ ५.

तथा देखिए-उ० २.६; १६.३२.

३. पुट्ठो य दंसमसएहिं समरे व महामुणी।

**-30 ₹.80.** 

तथा देखिए--उ० २.११; १६.३२.

४. देखिए--पृ० ३२, पा० टि० २.

दिगम्बर )। १ ऐसी स्थिति में ही वस्त्ररहित या वस्त्रसहित उभय अवस्थाओं में यह परीषह सम्भव है।

- ७. अरित परीषहजय—ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधु साधुवृत्ति से उदास हो सकता है। अतः इस उदासी को न होने देना तथा धर्म का पालन करते रहना अरित परीषहजय है। इस तरह अरित से तात्पर्य है—साधुवृत्ति में अरुचि उत्पन्न होना और उस अरुचि को उत्पन्न न होने देना अरित परीषहजय है।
- द. स्त्रो परीषहजय— स्त्री आदि को देखकर कामविह्नल न होना स्त्री परीषहजय है। यहां 'स्त्री' शब्द कामवासना का उपलक्षण है। अतः पुरुष को देखकर साध्वी का कामविह्नल न होना भी स्त्री परीषहजय है। रथनेमी राजीमती को एकान्त में नग्न देखकर तथा स्त्री परीषह से पराजित होकर जब कामविह्नल हो जाते हैं तब राजीमती उन्हें सदुपदेश द्वारा सन्मार्ग में स्थित करती है। इसके बाद दोनों संयम में स्थित होकर स्त्री परीषहजय करते हैं।
- ६. चर्या परीषहजय-यहां चर्या शब्द का अर्थ है—गमन । अतः किसी गृहस्य या गृहादि में आसक्ति न करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण करते समय उत्पन्न सभी प्रकार के कष्टों को सहन करना चर्या परीषहजय है।"
- १०. नैवेधिको परीषहजय-श्मशान, शून्यगृह, वृक्षमूल आदि स्थानों में ध्यानस्थ बैठे रहने पर यदि कोई कष्ट या भयादि हो

--- उ० २,१६.

तथा देखिए-उ॰ २.१७.

१. इत्यं स्यविरकल्पिकमाश्रित्याचेलकपरीषह उक्तः''''''।

[─]वही, नेमिचन्द्रवृत्ति, पृ० २२.

२. उ० २.१४-१५.

संगो एस मणुस्साणं जाओ लोगम्मि इत्यिओ । जस्स एया परिन्नाया सुकडं तस्स सामण्णं ।।

४. उ० २१.२**१.** 

५. उ० २.१८-१६.

तो उसी स्थान पर बैठे हुए उस उपसर्ग (आपित्त) को सहन करना नैषेधिकी परीषहजय है। "

- ११. **शय्या परोषहजय** ऊंची-नीची शय्या ( शयन करने का स्थान ) के मिलने पर यह विचारते हुए कि एक रात्रि मेरा क्या कर लेगी, कर्ताव्य का पालन करते रहना शय्या परीषहजय है। ^२
- १२. आश्रोश परीषहजय-दारुण कण्टक के समान मर्म-भेदक कठोर वचनों को सुनकर भी चुप रहना तथा उसके प्रति थोड़ा भी क्रोध न करना आक्रोश परीषहजय है।
- १३. वध परीषहजय-किसी के मारने (प्राणघात) को तत्पर होने पर भी यह सोचकर कि इस जीव का कभी विनाश नहीं होता है तथा क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, मारनेवाले पर मन से भी देष न करते हुए धर्म का ही चिन्तन करना वध परीषहजय है। ४
- १४. याचना परीषहजय—साधु के पास जो भी वस्तुएँ होती हैं वे सब गृहस्थ से मांगी हुई होती हैं। उसके पास बिना मांगी हुई अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती है। अतः 'गृहस्थों से प्रतिदिन

**—30 2.20.** 

तथा देखिए--उ० २.२१; २१,२२.

२. उच्चावयाहि सेज्जाहि तबस्सी भिक्स थामव ।

—**ड० २.**२२.

किमेगराइं करिस्सइ एवं तत्थऽहियासए।

—**ड० २.२**३.

तथा देखिए—उ० १६.३२.

३. अनकोसेज्जा परे भिनखुं न तेसि पडिसंजले ।

-30 P.78.

तथा देखिए-उ० २.२५; १२.३१-३३;१६.३२,५४; २१.२० आदि ।

४. हओ न संजले भिक्ख ।

—उ० २.२**६**.

तथा देखिए--उ॰ २.२७;१६.३३.

१. अकुक्कुओ निसीएज्जान य वित्तासए परं।

आहारादि मांगने की अपेक्षा घर में रहना अच्छा है' इस प्रकार याचनाजन्य दीनता के भाव न आने देना याचना परीषहजय है।°

१५ अलाभ परीयहजय – आहारादि की याचना करने पर कभी-कभी उनकी प्राप्ति नहीं होती है। अतः आहारादि की प्राप्ति न होने पर दुःखी नहोते हुए यह सोचना — 'आज भिक्षा नहीं मिली, कल मिल जाएगी' अलाभ परीषहजय है। र

१६. रोग परीषहजय — शरीर में किसी प्रकार के रोगादि के हो जाने पर औषधिसेवन (चिकित्सा) न करते हुए समतापूर्वक रोगजन्य कष्ट को सहन करना रोग परीषहजय है। "मृगापुत्र साधु के इस परीषहजय के विषय में मृग का दृष्टान्त देता है — 'जिस प्रकार मृग को रोगादि हो जाने पर उसकी कोई दवा आदि से सेवा नहीं करता है और कुछ समय बाद वह रोग के दूर हो जाने पर अन्यत्र विचरण कर जाता है उसी प्रकार साधु को रोगादि के होने पर औषधि की कामना नहीं करनी चाहिए।'

१७ तृणस्पर्भ परीषहजय-नृणों पर शयन करते समय अचेल साधुका शरीर विकृत हो सकता है। अतः ऐसी अवस्था में भी वस्त्रादिकी अभिलाषा न करना तृणस्पर्श परीषहजय है।

१. भोयरम्मपविद्ठस्स पाणी नो सुप्पसारए।
सेओ अगारवासुत्ति इइ भिक्खू न चितए।।
— ज॰ २.२६.
तथा देखिए— उ० २.२८; १६ ३३.

२. अज्जेवाहं न लब्धामि अवि लाभो सुए सिया । जो एवं पडिसंचिक्से अलाभो तं न तज्जए ॥

-30 Q.39.

तथा देखिए-उ० २.३०; १६.३३.

४. उ० १६.७६-७७.

१८. जल्ल परीषहजय—पसीना, कीचड़, धूलि आदि के शरीर पर इकट्ठे हो जाने पर भी शरीर-भेद पर्यन्त उसे दूर करने का प्रयत्न न करना जल्ल परीषहजय है। अर्थात् घृणित वस्तुओं का सम्पर्क होने पर उनसे घृणादि न करना तथा शरीर के संस्कार (स्नान) आदि की अभिलाषा न करना जल्ल परीषहजय है।

- १६. सत्कार-पुरस्कार परीषहज्जय—अभिवादन, नमस्कार, निम-न्त्रण आदि से किसी अन्य साधु का सम्मान होते देखकर तथा स्वयं का सम्मानादि न होने पर ईर्ष्याभाव न करते हुए वीतरागी रहना सत्कार-पुरस्कार परीषहजय है।
- २० प्रज्ञा परीषहजय-ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी यदि किसी के पूछने पर उत्तर न दे सके तो 'कर्मों का यह फल है' ऐसा विचार करना प्रज्ञा परीषहजय है। 3
- २१ अज्ञान परीषहजय-सब प्रकार से साधु-धर्म का पालन करने पर भी अज्ञानता के दूर न होने पर यह न सोचना—'मैं व्यर्थ ही भोगों से निवृत्त हुआ और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई' अज्ञान परीषहजय है। अर्थात् ज्ञान की प्राप्ति न होने पर भी धर्म में दह रहना अज्ञान परीषहजय है।
  - १. जाव सरीरभेओत्ति जल्लं काएण धारए । —उ॰ २.३७.

तथा देखिए-उ० २.३६; १६.३२.

२. अभिवायणमङभुट्ठायं सामी कुज्जा निमंतणं । जे ताइं पडिसेविति न तेसि पीहए मुणी ॥ ---उ० २.३५.

तथा देखिए-- उ० २.३६; २१.२०.

से नूणं मए पुन्वं कम्माऽणाणकलाकडा ।
 जेणाहं नामिजाणामि पुट्ठी केणइ कण्हुई ।।
 —उ० २.४०.

तथा देखिए-उ० २.४१

४. निरह्ठगम्मि विरओ मेहुणाओ सुसंबुडो । जो सक्खं नाभिजाणामि धम्मं कल्लाणपावगं ॥ —उ० २.४२.

तथा देखिए—उ० २.४३.

२२. दर्शन परीषहणाय— 'परलोक नहीं है, तप से ऋदि की शाप्त नहीं होती है, मैं भिक्षाधर्म लेकर ठगा गया हूँ, तीर्थङ्कर (जिन) नथे, नहीं और नहोंगे' इस तरह धर्म में अविश्वास नहोंने देना दर्शन परीषहजय है। अर्थात् हर परिस्थिति में धर्म में दृढ़ विश्वास रखना। जब तक ऐसी दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी तब तक साधु अन्य परीषहों को नहीं जीत सकता है क्योंकि श्रद्धा की नींव पर ही तो धर्म की इमारत खड़ी है।

## परीषहजय की कठोरताः

इस तरह ग्रन्थ में साधु के लिए उपर्युक्त २२ प्रकार के परी-पहों के सहन करने का विधान है। इन पर किस तरह विजय प्राप्त करना चाहिए इस विषय में लिखा है कि साधु पूर्वबद्ध कर्मों का फल जानकर धैर्यपूर्वक युद्धस्थल में स्थित हस्ती की तरह, वायु के प्रचण्ड वेग से कम्पित न होनेवाले मेरु पर्वत की तरह और भय को प्राप्त न होनेवाले सिंह की तरह अडिग एवं आत्मगुप्त होकर इन परीषहों को सहन करे। इस तरह इन परीषहों के आने पर अडिग रहना बड़ा कठिन है।

इस परीषहजय के वर्णन से साधु के कर्ताव्यों का बोध होता है। अचेल और तृणस्पर्श परीषहजय विशेषकर जिनकत्थी या दिगम्बर साधु की अपेक्षा से हैं क्योंकि वस्त्ररहित होने पर इन परीषहों की सम्भावना अधिक है। कुछ परीषह एक साथ आते हैं। साधु प्रतिदिन कुछ न कुछ परीषह अवश्य ही सहन करता है। जैसे: क्षुधा, तृषा, तृणस्पर्श, याचना, जल्ल, शीत, उष्ण आदि। मालूम पड़ता है कि इनकी संख्या देश-काल की परिस्थिति के अनुसार ही निश्चित की गई है। जैसे: अरित, दर्शन, प्रज्ञा, अज्ञान आदि

तथा देखिए —उ० २.४४. २. उ० २१.१७,१६; १६.३२-३३,६२ आदि ।

नित्य नूणं परे लोए इड्ढी वावि तवस्सिणा ।
 अदुवा वंचिओमि ति इइ भिनेखू न चितए ॥
 — ३० २,४४,

परिस्थिति के अनुसार बढ़ाए गए परीषह हैं। वस्तुतः परीषह जय से तात्पर्य है—निन्दा-प्रशंसा, लाभ अलाभ, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी समभाव रखते हुए अपने कर्ताब्य-पथ में दृढ़ रहना। 'स्त्री' परीषह से उस समय के पुरुषों की प्रभुसत्ता का ज्ञान होता है, अन्यथा 'काम' ऐसा परीषह का नाम हो सकता था।

# साध्रु की प्रतिप्रार्थं

यहाँ 'प्रतिमा शब्द का अर्थ है - एक विशेष प्रकार के तप का नियम लेना। ग्रन्थ में साधु की प्रतिमाओं का सिर्फ दो जगह उल्लेख हुआ है जिनका पालन करने से संसार में अमण नहीं होता है। वि बारह की संख्या के प्रसंग में इनका उल्लेख होने से इनकी संख्या बारह है। यद्यपि ग्रन्थ में इनके नामादि का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है तथापि टीका-ग्रन्थों से निम्न जानकारी प्राप्त होती है:

## प्रतिमा-अनशन तपविशेष का अभ्यास :

टीका-ग्रन्थों में दशाश्रुतस्कन्ध के सप्तम अध्याय ( उद्देश ) के अनुसार जिन १२ प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है उन्हें देखने से पता चलता है कि इन प्रतिमाओं के नाम समय की सीमा के आधार पर किए गए हैं तथा इनमें एक निश्चित क्रम के अनुसार अनशन और ऊनोदरी तप का अभ्यास किया जाता है। र ये

—उ० २.४३.

भिक्खणं पडिमासुय।

—उ० ३१.१**१**.

२. साधुकी बारह प्रतिमाएँ ये हैं: १. एक मासिकी — एक मास तक एक दित्त अन्त की एवं एक दित्त जल की ग्रहण करना और आनेवाले सभी प्रकार के कब्टों को सहन करना, २. द्विमासिकी — दो मास तक दो दित्त्यों जल की और दो दित्त्यों अन्त की लेना, ३. त्रिमा-सिकी — तीन मास तक तीन दित्त्यों लेना, ४. चतुर्मीसिकी — चार मास तक चार दित्यों लेना, ४. पञ्चमासिकी — पाँच मास तक

१. पडिमं पडिवज्जऔ।

प्रतिमाएँ वस्तुत: अनशन तप के अभ्यास के लिए प्रकार-विशेष हैं। व्यवहारसूत्र में अन्य प्रकार से भी साधु की प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है परन्तु सबका तार्त्पर्य एक ही है—अनशन तप का अभ्यास। दिगम्बर-परम्परा में साधु की प्रतिमाओं का वर्णन नहीं मिलता है। इस तरह ये साधु की प्रतिमाएँ गृहस्थ की ११ प्रतिमाओं से भिन्न हैं। इन प्रतिमाओं का पालन करते समय कुषादि परीषहों को भी सहन करना पड़ता है।

## समाधिमरण-सल्लेखना

समाधिमरण (सल्लेखना) का अर्थ है—मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर चारों प्रकार के आहार का त्याग करके आत्मध्यान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक प्राणों का त्याग करना। इसे ग्रन्थ में 'पण्डितमरण' एवं 'सकाममरण' शब्द से भी कहा गया है वियोकि

पांच दत्तियाँ लेना, ६. षट्मासिकी—छ: मास तक छ: दत्तियाँ लेना, ७. सप्तमासिकी—सात मास तक सात दत्तियाँ लेना, ६. प्रथम सप्त अहोरात्रिकी—सात दिनरातपर्यन्त निर्जल-उपयास (चतुर्यभक्त) करते हुए ध्यान करना, ६. द्वितीय सप्त अहोरात्रिकी—सात दिनरात तक किसी अन्य आसन-विशेष से ध्यान करना, १०. तृतीय सप्त अहोरात्रिकी—सात दिन-रात तक अन्य किसी आसन-विशेष से ध्यान करना, ११. अहोरात्रिकी—निर्जल दो उपवास (षष्ठभक्त) करना, और १२. रात्रिकी—एक रात्रिपर्यन्त निर्जल उपवास (अष्टभक्त) करना।

यहाँ दत्ति शब्द का अर्थ है---एक ही समय में लगातार बिना धारा टूटे जितना आहार अथवा पानी साधुके पात्र में डाल दिया जाता है उसे एक दक्ति कहते हैं।

—उ० ३१.११ (टीकाएँ); दशाश्रुतस्कन्ध, उद्देश ७.

- १. व्यवहारसूत्र, उद्देश १०.
- २. इत्ती सकाममरणं पंडियाणं सुणेह मे ।

—- उ० ५ १७<u>.</u>

तया देखिए--उ० ४.२; ३४.२०; ३६.२४१-२४२,२६३ आदि ।

इसकी प्राप्ति विषयादि से विरक्त समाधिस्य विद्वानों को इच्छापूर्वक (सकाम) होती है तथा ये मृत्युसमय भी अन्य समयों की तरह प्रसन्न ही रहते हैं। रोगादि या अन्य कोई उपसर्ग (आपित्त) आ जाने पर ये न तो अपने कर्ताब्यपय से विचलित होते हैं और न किसी प्रकार के कष्ट से दुःखी होते हैं। इस तरह पण्डितमरण (सल्लेखना) का अर्थ है—मृत्यु को सन्निकट आया हुआ जानकर प्रसन्नतापूर्वक सब प्रकार के आहार का त्याग करके आत्मा का ध्यान करते हुए मृत्यु का स्वागत करना। यह पण्डितमरण यावत्का- लिक अनशन तपपूर्वक होता है।

## समाधिमरण आत्महनन नहीं :

इस प्रकार के मरण को आत्म-हनन नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह मृत्यु या अन्य कोई दुःसाध्य आपत्ति आ जाने पर प्रसन्नतापूर्वक शरीरत्याग करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का शुभ-ध्यान (धर्म या शुक्लध्यान) है। यदि प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु का स्वागत नहीं किया जाएगा तो मृत्यु से भय बना रहेगा जिससे अशुभ-ध्यान (आर्त एवं रौद्र-ध्यान) की प्राप्ति होगी जो दुर्गति का कारण है। अतः साधु के आहार न करने के कारणों में एक कारण सल्लेखना भी गिनाया गया है। साधु एवं गृहस्थ दोनों को इस प्रकार का गरण स्वीकार करने के लिए कहा गया है। यदि भय व दुःख आदि से प्रेरित होकर आहारत्याग किया जाएगा तो वह समाधिमरण (सल्लेखना) न होकर आत्म-हनन होगा।

---उ० ५.१५.

न संतसंति मरणंते सीलवंता बहुस्सुया ।

**—**उ० ५.२६.

तथा देखिए-उ० ५.३१.

२. न इमं सब्वेसु भिक्खूसुन इमं सब्वेसु गारिसु।

-30 ¥.8€. .

**१. मरणं**पि सपुण्णाणं ^{***} विष्पसण्णमणाधायं ।

## समाधिमरण के भेदः

यन्थ में इस समाधिमरण के तीन भेदों का संकेत मिलता है। किन्में से किसी एक का आश्रयण करके शरीर का त्याग करना आवश्यक है। क्रिया को माध्यम बनाकर किए गए इन तीनों भेदों में चारों प्रकार के आहार का त्याग (अनशन तप) आवश्यक है। इनके नामादि इस प्रकार हैं: व

- १. भक्तप्रत्याख्यान—गमनागमन के विषय में कोई नियम लिए बिना चारों प्रकार के आहार का त्याग करके शरीर का त्याग करना भक्तप्रत्याख्यान नामक समाधिमरण है। इससे जीव सैकड़ों भवों के कर्मों को निरुद्ध कर देता है।³
- २. इंगिनीमरण इंगित का अर्थ है-संकेत। अतः गमना-गमन के विषय में भूमि की सीमा का संकेत करके चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए शरीर का त्याग करना इंगिनी-मरण है।
- ३. पादोपगमन—पाद का अर्थ है—वृक्ष । अतः पादोपगमन नामक समाधिमरण में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके वृक्ष से कटी हुई शाखा की तरह एक ही स्थान पर निश्चल होकर शरीर का त्याग किया जाता है।

इन तीनों भेदों में से भक्तप्रत्याख्यान में गमनागमन-सम्बन्धी कोई नियम नहीं रहता है, इंगिनीमरण में क्षेत्र की सीमा नियत रहती है तथा पादोपगमन में गमनागमन क्रिया नहीं होती है। अतः भक्तप्रत्याख्यान और इंगिनीमरण में 'सविचार' व 'सपरिकर्म' नामक मरणकालिक अनक्षन तप किया जाता है क्योंकि इनमें क्रिया वर्तमान

अह कालम्मि संपत्ते आघायाय समुस्तयं । सकाममरणं मरई तिण्हमन्तयरं मुणी ।।

⁻⁻⁻ उ० ५.३२,

२. वही, आ० टी०, पृ० २३८.

^{ै.} मत्तपच्चक्खाणेणं अणेगाइं भवस्याइं तिरुभह ।

<del>--</del>उ० २६.४०.

## ३६४ ] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशीलन

रहती है। पादोपगमन में क्रिया सम्भव न होने से इसमें 'अवि-चार' व 'अपरिकर्म' नामक मरणकालिक अनशन तप किया जाता है। यही इन सल्लेखना के भेदों में अन्तर है।

### समाधिमरण की अवधि:

यद्यपि सामान्यतौर से समाधिमरण की अधिकतम सीमा १२ वर्ष, न्यूनतम सीमा ६ मास तथा मध्यम सीमा १ वर्ष बतलाई गई है। परन्तु यह कथन उनकी अपेक्षा से कहा गया मालूम पड़ता है जो यह जानते हैं कि उनकी मृत्यु कब होगी ? अन्यथा इसकी न्यूनतम सीमा अन्तर्मु हूर्त तथा मध्यम सीमा उच्चतम एवं न्यूनतम सीमा के बीच कभी भी हो सकती है। समाधिमरण का इतना ही तात्पर्य है कि मृत्यु को निकट आया जानकर प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी अभिलाषा के सब प्रकार के आहार का त्याग करके शरीर को चेतनाणून्य कर देना।

## समाधिमरण की विधि:

समाधिमरण की बारह वर्ष प्रमाण उच्चतम सीमा को दृष्टि में रखकर उसकी विधि इस प्रकार बतलाई गई है : र

सर्वप्रथम साधक गुरु के समीप जाकर प्रथम चार वर्षों में घी, दूध आदि विकृत पदार्थों का त्याग करे। अगले चार वर्षों में नाना प्रकार की तपश्चर्या करे। इसके बाद दो वर्ष

२, पढमे वासचलक्कम्मि विगई निज्जृहणं करे। बिइए वासचलक्कम्मि विचित्तं तु तवं चरे।।

*कोडीसहियसायामं कट्टु संवच्छरे मुणी ।* मासद्धमासिएणं तु आहारेणं तवं चरे ॥ —उ० ३६.२४३-२४६०

तथा देखिए-उ० ४.३०-३१.

द्वारसेव उ वासाई संलेहुक्कोसिया भवे ।
 संवच्छरं मण्झिमिया छम्मासा य जहन्त्रिया ॥
 — उ० ३६.२४२.

पर्यन्त कमशः एक दिन उपवास (अनशन) और दूसरे दिन नीरस अल्पाहार (आर्येविल-आचाम्ल) करे। तत्पश्चात् ६ मास पर्यन्त कोई कठिन तपश्चर्या न करके साधारण तप करे, फिर ६ मास पर्यन्त कठोर तपश्चर्या करके अन्त में नीरस अल्पाहार लेकर अनशन व्रत को तोड़ दे (पारणा करे)। इसके पश्चात् अवशिष्ट १ वर्ष में कोटिसहित तप (जिस अनशन तप का आदि और अन्त एकसा मिलता हो) करता हुआ एक मास या १५ दिन मृत्यु के शेष रह जाने पर सब प्रकार के आहार का त्याग कर दे। इस विधि में आवश्यकतानुसार समय-सम्बन्धी परिवर्तन किया जा सकता है। यह सामान्य अपेक्षा से उत्कृष्ट सल्लेखना की पूर्ण विधि बतलाई गई है।

#### समाधिमरणं की सफलता:

सल्लेखना की सफलता के लिए आवश्यक है कि सब प्रकार की अशुभ भावनाओं तथा निदान (फलाभिलाषा) आदि का त्याग करके जिनवचन में श्रद्धा की जाए। ग्रन्थ में पाँच प्रकार की अशुभ भावनाएँ बतलाई गई हैं जिनसे जीव सल्लेखना के फल को प्राप्त न करके दुर्गति को प्राप्त करता है। इनके नामादि इस प्रकार हैं: 3

१. कन्दर्प भावना (कामचेष्टा—पुनःपुनः हंसना, मुख आदि को विकृत करके दूसरे को हंसाना आदि), २. अभियोग भावना (वशीकरण मन्त्रादि का प्रयोग—विषयसुख को अभिलाषा से वशीकरण मन्त्रादि का प्रयोग करना), ३. किल्विषको भावना (निन्दा करना—केवलज्ञानी, धर्माचार्य, सघ, साघु आदि की निन्दा करना), ४. मोह भावना (मूढता—शस्त्रग्रहण, विषभक्षण, अग्निप्रवेश, जलप्रवेश, निषद्ध वस्तुओं का सेवन आदि करना)

तथा देखिए-- ४० ३६.२४८-२६८.

२. वही ।

कंदप्पमाभिओगं च किञ्चिसियं मोहमासुरतं च।
 एयाउ दुग्गईओ मरणिम विराहिया होति ।।
 —उ० ३६.२५७.

और ५. आसुरी भावना (क्रोध करना—निरन्तर क्रोध करना तथा शुभाशुभ फलों का कथन करना )।

समाधिमरण में मृत्यू के समय इन भावनाओं के त्याग से स्पष्ट है कि इस प्रकार का मरण आत्महनन नहीं है। इस प्रकार के मरण को प्राप्त करनेवाला जीव वार-वार जन्म-मरण को प्राप्त नहीं होता है अपित दो-चार जन्मों के भीतर सब प्रकार के दुःखों से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यदि कारणवश सब प्रकार के कर्म मण्ट नहीं होते हैं तो महासमृद्धिशाली देवपर्याय की प्राप्ति होती है। इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि सिर्फ मृत्यु के समय सल्लेखना धारण कर लेना चाहिए तथा शेष जीवन में विषयों का भोग करना चाहिए। इसका कारण है कि प्रारम्भ से ही जब सदाचार का अभ्यास किया जाता है तभी जीव इस समाधिमरण को प्राप्त करता है। अत: कहा है कि जो कार्य प्रारम्भ में (जवानी में) शक्ति के वर्तमान रहने पर किया जा सकता है वह वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण-शीर्ण हो जाने पर नहीं किया जा सकता है। जो मिथ्यादर्शन ( मिथ्यात्व ) में अनुरक्त हैं, निदानपूर्वक कर्मानुष्ठान करते हैं, हिसा तथा कृष्णलेश्या में अनुरक्त हैं ऐसे जीव जिनवचन में श्रद्धान करके 'अकाम-मरण' (सभयमरण) या बालमरण (मूर्खों की मृत्यु ) को बारम्बार प्राप्त करते हैं । इसके विपरीत जो सम्य-म्दर्शन में अनुरक्त हैं, निदान-सहित कर्मानुष्ठान नहीं करते हैं, शुक्ललेश्यासे युक्त हैं तथा जिनवचन में श्रद्धा रखते हैं वे अल्प-संसारी होते हैं।3

बालाणं अकामं तुमरणं असइं भवे ।
 पंडियाणं सकामं तु उवकोसेण सइं भवे ।।
 —उ० ४.३.

सम्बद्धमसपहीजे वा देवे वावि महिहिद्हिए। —उ० ४.२४.

२. स पुत्र्वमेवं न लभेज्ज पच्छा एसोवना सासय वाइयाणं। विसीयई सिढिले आडयम्मि कालोवणीए सरीरस्स भेए॥ — उ० ४६.

३. देखिए-पृ० ३६४, पा० टि० १.

इस प्रकार के समाधिमरण से विपरीत जो मरण घन एवं स्त्रियों
में मिंच्छत होकर हिंसादि पाप-क्रियाओं को करते हुए होता है उसे
'वालमरण' या 'अकाममरण' (अनिच्छापूर्वक मरण) कहा गया है।
यह मरण जीवों को कई बार प्राप्त होता है क्योंकि इस प्रकार के
मरण को प्राप्त करनेवाले जीव गड्डिलिकाप्रवाह (जिधर अधिक लोग
जाएं उसी तरफ बिना सोचे-समझे चल पड़ना) से प्रभावित होकर
मिट्टी को एकत्रित करनेवाले शिशुनाग की तरह कर्म-मलों का
संग्रह करते हैं। 'पण्चात् मृत्यु के समय अपने बुरे-कर्मों के फल को
स्मरण करके दुःखी होते हैं। अतः इस प्रकार का अकाम-मरण
त्याज्य है।

इत तरह यह समाधिमरण या सल्लेखना साधनापथ का चरम केन्द्र-बिन्दु है । यदि साधक इसमें सफल हो जाता है तो वह अपनी सम्पूर्ण साधना का अभीष्टफल प्राप्त कर लेता है अन्यथा वह संसार में भटकता रहता है । समाधिमरण में मृत्यु के समय संसार के सभी विषयों से पूर्ण-विरक्ति आवश्यक है । अतः उस समय आहार आदि सभी क्रियाओं को त्याग दिया जाता है । इस समय साधक को न तो जीवन की आकांक्षा रहती है और न मृत्यु की कामना ही रहती है । इस प्रकार के मरण में शरीर एवं कषायों के कृश किए जाने से इसे 'सल्लेखना', विद्वानों से प्रशंसित होने से 'पण्डितमरण' तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने से 'सकाम-मरण' कहा गया है । अन्यत्र इसे संथारा (संस्तारक) शब्द से भी कहा गया है क्योंकि इसमें एकान्त-स्थान में तृण-श्रथ्या (संस्तारक ) विद्याकर तथा आहारादि का त्याग करके आत्मध्यान किया जाता है । इसके विपरीत अज्ञानियों की अनिच्छापूर्वक होनेवाली मृत्यु 'बालमरण' तथा 'अकाम-मरण' कहलाती है ।

१. उ० ४.४-७, ६-१०; पृ० ३६६, पा० टि० १.

२. जहा सागडिओ जाणं समं हिच्चा महापहं । विसमं मग्गमोइण्णो अवस्वे भग्गम्मि सोवई ॥

<del>_</del>30 乂.१४.

तथा देखिए-- उ० ४.१४-१६.

[🤾] जैन आचार—डा० मोहनलाल मेहता, पृ० १२०.

## अनुद्यीलन

इस प्रकरण में साधु के विशेष प्रकार के आचार का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा जीव पूर्व-बद्ध कर्मों को शोध्न ही नष्ट करने का प्रयत्न करता है। वह विशेष प्रकार का आचार है—तपश्चर्या। इस तपश्चर्या की पूर्णता के लिए साधक को अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है जिसे परीषहजय कहा गया है। साध्वाचार का पालन करने की दुष्करता का जो प्रतिपादन किया गया है वह भी इसी तप की अपेक्षा से किया गया है।

तप साध के सामान्य सदाचार में सवंथा पृथक् नहीं है अपितु सामान्य सदाचार में ही विशेष दृढ़ता का होना तप है। अतः ग्रन्थ में तप के जो भेद गिनाए गए हैं वे सब साधु के सामान्य आचार से सम्बन्धित हैं। तप साधु के आचार की कसौटी है जिससे उसके आचार की शुद्धता (चोंखापन एवं खोटापन) की परख होती है। यद्यपि साधु की प्रत्येक क्रिया तप से अनुस्यूत रहती है परन्तु वे सब क्रियाएँ तप नहीं हैं अपितु कुछ विशेष कियाएँ ही विशेष नियमों के कारण तप की कोटि में आती हैं। तप को बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो भागों में विभक्त किया गया है। जो तप केवल बाह्य क्रिया से सम्बन्ध रखता है तथा आभ्यन्तर आत्मा के परिणामों की विशुद्धि में कारण नहीं है वह अभीष्टसाधक तप नहीं है परन्तु इसके विपरीत जो आत्मा के परिणामों की विशुद्धि में कारण है और आभ्यन्तर क्रिया से संबन्ध रखता है वह अभीष्टसाधक है तथा वही वास्तविक तप भी है। इसलिए ग्रन्थ में कई स्थलों पर बाह्य-लिगादि की अपेक्षा भावलिगादि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसा प्रतिपादन करने का कारण यह था कि साधक मात्र बाह्यक्रियाओं तक ही इतिश्री समझते थे और जो जितना अधिक शरीर को कब्ट देने वाला तप करता था वह उतना ही अधिक बड़ा तपस्वी समझा जाता था। अत: यह शरीर को पीड़ित करने वाला तप ही वास्तविक तप नहीं है अपितु ज्ञानादि की प्राप्ति में सायक तप ही वास्तविक तप है। यह सिद्ध करने के लिए तप को बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो भागों में विभक्त करके आभ्यन्तर तप को श्रेष्ठ बतलाया गया है।

भिक्षाचर्या जो कि साधु का सामान्य आचार है यदि उसी में कुछ विशेष नियम ले लिए जाते हैं तो वह तप की कोटि में आ जाता है। इसी प्रकार भूख से कम खाना, सरस पदार्थों का सेवन करना तथा सब प्रकार के आहार का त्याग करना ये साधु के आहार से सम्बन्धित तप हैं। इनसे रसना इन्द्रिय पर संयम किया जाता है। ये तप इसलिए भी आवश्यक हैं कि इनसे आहार आदि से सम्बन्धित सूक्ष्म हिंसा आदि दोषों का परिहार किया जा सके। साधु के सामान्य आचार के प्रसंग में उसके लिए एकान्त में निवास करने का विधान किया गया है। अतः साधु यदि विशेष रूप से आत्मध्यानादि के लिए एकान्त-निवास का आश्रय लेता है तो वह भी एक प्रकार का तप (संलीनता) है। पद्मासन, खड़गासन आदि आसनविशेष में स्थिर होना स्पष्ट ही कायक्लेश रूप तप है। इस तरह ये छहों प्रकार के तप बाह्य शारीरिक-क्रिया से सम्बन्धित हैं।

दोषों की प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धि, गुरु के प्रति विनय, सेवा-भक्ति, अध्ययन, ध्यान और कायोत्सर्ग ये छः तप अन्तरंग-क्रिया से सम्बन्धित होने के कारण आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। इनका आध्यात्मिक महत्त्व तो है ही साथ ही व्यावहारिक महत्त्व भी है। इन आभ्यन्तर तयों में प्रायश्चित्त तप एक प्रकार से अपराधी द्वारा स्वयं स्वीकृत दण्ड है। इससे आचार में लगे हुए दोषों की विणुद्धि होती है। साधु प्रतिदिन 'प्रतिक्रमण आवश्यक' करते समय इस तप को करता ही है। गुरु के प्रति विनय, उनकी सेवा तथा स्वा-ध्याय ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। ध्यान तप से साधक अशुभ-व्यापारों की ओर झुकनेवाली चित्तवृत्ति को रोककर आत्मा के चिन्तन की ओर लगाता है। अतः यह घ्यान तप योगदर्शन में प्रतिपादित चित्तवृत्ति-निरोधरूप समाधिस्थानापन्न है। कायो-त्सर्गतप ध्यानावस्थां की प्राप्ति के लिए प्रारम्भिक कर्तव्य है क्योंकि जब तक शरीर से ममत्व को छोड़कर उसे एकाग्र नहीं किया जाएगा तब तक ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस तरह हम देखते हैं कि साधक इन छहों आभ्यन्तर तयों को किसी न किसी रूप में प्रतिदिन अवश्य करता है। इन्हें सामान्य सदाचार से पृथक्

बतलाने का कारण यह है कि साधक अपने सदाचार में प्रमाद न करते हुए शीद्यातिशीद्य अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर ले।

इस तपश्चर्या के प्रसंग में योगदर्शन में बतलाई गई समाधि का वर्णन करना अनावश्यक नहीं समझता है क्योंकि यहां पर तपश्चर्या के प्रसंग में जो ध्यान का स्वरूप बतलाया गया है वह उससे बहुत मिलता-जुलता है। योगदर्शन में समाधि (योग) के दो भेद हैं: १ सम्प्रजात समाधि और २. असम्प्रजात समाधि। सम्प्रज्ञात समाधि 'सालम्ब' और 'सबीज' होती है? इसमें किसी एक विषय पर चित्त को स्थिर किया जाता है। इसके विपरीत असम्प्रज्ञात समाधि 'निरालम्ब' और 'निर्बीज' होती हैं 3 क्योंकि इसमें चित्त की समस्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। सम्प्रज्ञात समाधि में ध्येय, ध्यान और ध्याता का भेद बना रहता है परन्तु असम्प्रज्ञात में घ्येय, ध्यान और घ्याता एकाकार हो जाते हैं, उनमें भेद परिलक्षित नहीं होता है। अत: इसे असम्प्रज्ञात-समाधि कहा गया है। यह ध्यान की चरमावस्था है। इस समाधि की अवस्था में पहुंचने पर आत्मा अपनी विश्वद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अतः इसे 'कैवल्य' की अवस्था कहा गया है। ध ठीक यही स्थिति प्रकृत ग्रन्थ में शुक्लध्यान की है। शुक्लध्यान के प्रथम दो भेद आलम्बनसहित होने से सम्प्रज्ञात समाधिरूप हैं तथा बाद के दो भेद निरालम्ब एवं निर्वीज होने से असम्प्रज्ञात-समाधिरूप हैं। कैवल्य की अवस्था दोनों में समान है। इसके

ता एव सबीजः समाधिः।

-पा० यो० १ ४६.

१. देखिए-भा० द० व०, पृ० ३४८.

२. क्षीणवृत्तेरिभजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्वतदञ्जनता समापितः।
--पा० यो० १.४१.

३. तस्यापि निरोधे सर्वेनिरोधान्निर्वोजः समाधिः।

⁻⁻⁻पा० यो० १ ५१.

४. तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमानप्रतिष्ठोऽतः ग्रुद्ध केवली मुक्त इत्युच्यत इति ।

⁻वही, भाष्य, पृ० ४०.

अतिरिक्त घ्यान और समाधि के अन्य अवान्तर भेदों में किञ्चित् भिन्नता होने पर भी काफी समानता है तथा नामों में भी एकरूपता है जो स्वतंत्र चिन्तन का विषय है।

इस तपश्चरण में मुख्यरूप से जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उन्हें ग्रन्थ में परीषह अब्द से कहा गया है। यद्यपि इनकी संख्या २२ बतलाई गई है परन्तु इनकी इयत्ता सीमित नहीं है क्यों कि परिस्थित के अनुसार इनकी संख्या में अन्तर हो सकता है। इन सभी परीषहों के आने पर भी अपने कर्राव्य से च्युत न होना परीषहजय है। साधना के पथ में प्रायः एक साथ कई परीषह आया करते हैं। इन पर विजय पाने पर ही तप की सफलता निर्भर करती है। यदि साधक इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह अपने तप से च्युत हो जाता है और अभीष्ट फल को प्राप्त नहीं करता है। अतः ये तप की सत्यता की जांच के लिए कसीटी रूप हैं।

इस तरह जीवनपर्यन्त तपोमय जीवन-यापन करते रहने पर भी यदि साधु मृत्यु के समय एक निश्चित अनशनरूप तपविशेष (समा-विमरण या सल्लेखना ) का अनुष्ठान नहीं करता है तो उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। मृत्युसमय जोकि तपश्चर्या की फलप्राप्ति का चरमबिन्दु है, यदि साधु पूर्ववत् अडिग रहकर अनशन तपपूर्वक ( सल्लेखनापूर्वक ) शरीर का त्याग करता है तो अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसके द्वारा ग्रन्थ में 'अन्त भला सो सब भला' वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है। मृत्यु के समय अनशन तप इसलिए आवश्यक है कि साधु पूर्ण विरति की अवस्था को प्राप्त कर ले । यह अनशन द्वारा शरीरत्याग आत्म-हनन नहीं है अपितु मृत्यु जैसे भयानक उपसर्ग के आने पर भी हुंसते हुए बीरों की तरह प्राणों का त्याग कर देना है। साधुको इस समय अपने प्राणों से भी मोह नहीं रहता है और वह हंसते हुए मृत्यु का स्वागत करता है । इसका यह तात्पर्यं नहीं है कि वह मृत्यु की प्रार्थना करता है अपितु जीवन और मृत्यु की कामनान करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक शरीर का उत्सर्ग कर देता है । इससे एक प्रकार कै आत्मबल की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय भी अपने कर्ताव्यपथ पर पूर्ण दृढ़ रहना और समस्त प्रकार के आहार-पान आदि का

त्याग करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करना इस समाधि-मरण का लक्ष्य है।

इस तरह साधु का सम्पूर्ण जीवन वीरों की तरह वीरतापूर्वक व्यतीत होता है। इसीलिए ग्रन्थ में साधु-धर्म की संग्रामस्य वीर राजा के कर्तव्यों से तुलना की गई है। अतः जिसमें आत्मबल हैं वहीं इसका पालन कर सकता है, केप इसके पालन करने में असमर्थ हैं। इससे सिद्ध है कि यह साधु-धर्म संसार के दुःखों को सहन न कर सकते के कारण पलायन नहीं है, अपितु एक प्रकार का कषायरूपी शत्रुओं के साथ युद्ध है। कषायरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके कर्मबन्धन को तोड़ना इस तपश्चर्या का प्रयोजन है। जिस प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिये कठोर परिश्रम करना पड़ता है उसी प्रकार साधु को भी कषायरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक तपश्चर्या का आश्रय लेना पड़ता है। प्रायः सभी भारतीय धर्मों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है और तपश्चर्या पर महत्त्व दिया गया है।

इस प्रकार ऊपर जो साधुका आचार आदि से अन्त तक बतलाया गया है वह कितना दुष्कर है. प्रत्येक जिज्ञामु समझ सकता है। ग्रन्थ में इसकी कठिनता का प्रतिपादन संवादों के रूप में बहुत्र किया गया है। इसकी दुष्करता का कथन विशेषकर उनके लिए है जो सुकुमार तथा विषयासक्त हैं परन्तु जो सुत्रती, तपस्वी, कर्मठ तथा विषयाभिलाषा से रहित हैं उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। यान्थ में इसकी दुष्करता के कुछ दृष्टान्त भी दिए गए हैं। जैसे: १ लौहभार-वहन, २ गंगा का स्रोत अथवा प्रतिस्त्रोत-निरोध, ३. मुजाओं से समुद्र-सन्तरण, ४. बालू के ग्रास का भक्षण, ४. तलवार की धार पर गमन, ६. लोहे के चनों का चर्वण,

१. देखिए - क्षत्रिय का परिचय, प्रकरण ७.

२. इह लोए निष्पिवासस्स नित्य किचिवि दुक्तरं।
—उ० १६.४५.

३. गुरुओ लोहभारुव्व ·····होइ दुब्बहो । —उ० १६.३६,

तथा देखिए-उ० १६.३७-४३.

७. सर्पं की एकाग्र दृष्टि, द. प्रज्वलित अग्निशिखा का पान, ६. वायु से थैला भरना तथा १०. तराजू से मेश्पर्वत का तौलना। इस तरह जैसे उपर्युक्त बार्ते दुष्कर एवं असंभव-सी हैं उसी प्रकार साध्वाचार का पालन करना भी कठिन है।

इस दुष्कर साध्वाचार का पालन करने वाला सच्चा साधु भाई-बन्धु, माता-पिता, राजा तथा देवेन्द्र आदि से भी स्तुत्य हो जाता है। यहाँ तक कि उसका प्रत्येक अंग पूजनीय हो जाता है। वह सबका नाथ हो जाता है। कि कितता से प्राप्त होने वाली मुक्ति सुलभ हो जाती है क्योंकि दीक्षा का प्रयोजन सांसारिक विषयों की प्राप्त न होकर मुक्तिरूप परममुख की प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का साधक साधु पुण्य-क्षेत्रवाला कहलाता है और उसे दिया गया दान भी पुण्य-फलवाला होता है। तपादि के प्रभाव से उन्हें अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होने पर सम्पूर्ण लोक को भस्म करने तथा अनुग्रह से इच्छित फल को देने की सामर्थवाले होते हैं। जनके संयम की प्रशंसा में लिखा है कि इनका संयम प्रतिदिन

-30 87.87.

तहिनं गंधोदय पुष्फवासं दिन्वा तींह वसुहारा य बुट्टा । पहयाओ दुंदुहीओ सुरेहि आगासे अहो दाणं च घुट्टं ॥

—उ० १२.३६.

प्रस्तान स्वाण्याची घोरव्यओ घोरप्रस्कत्मी य ।
 मा एयं हीलेइ अहीलिणिज्ञं मा सब्बे तेएण मे निद्देवना ।।
 उ० १२.२३.

जइ इच्छह जीवियं दा धर्ण वा लोगंपि एसो कुविओ डहेज्जा। ---उ० १२,२८.

१. देखिए—ए० २४४, पा० टि० १; उ० २२ २७; ६.४४-६०; १२. २१; २०.४४-४६; २४.३७; ३४.१८.

२. अञ्चेमुते महाभागन ते किंचिन अञ्चिमो ।

**⁻³⁰ १२.३४.** 

देखिए—पृ० १९६, पा० टि० २-३.

४. आराहए पुण्णमिणं खु खित्तं।

## २७४ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशासिन

दस लाख गौदान से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। इस तरह यह साध्वाचार का मार्ग विशुद्ध एवं कण्टकादि से रहित राजमार्ग है तथा दुष्कर हो करके भी सुखावह है। अयही साधुका सदाचार है और यही तप।



- २. अवसोहिय कंटगापहं ओइण्णोऽसि पहं महालयं । —उ० १०.३२,
- भिक्खवत्ती सुहावहा ।
   उ ० ३५.१५.
   तथा देखिए—उ० ६.१६.

श. जो सहस्सं सहस्साणं मासे मासे गर्व दए ।
 तस्सावि संजमो सेओ अदितस्स वि किंचण ।।
 — उ० ६.४०.

#### प्रकरण ६

# मुक्ति

सब प्रकार के कर्मबन्धन से छुटकारा पाना मुक्ति है। अन्य भारतीय धार्मिक ग्रन्थों की तरह उत्तराध्ययन का भी चरम लक्ष्य जीवों को मुक्ति की ओर अग्रसर करना है। पहले बतलाए गए नौ प्रकार के तथ्यों में यह अन्तिम तथ्य है।

## मुक्ति के अर्थ में प्रयुक्त कुछ शब्द :

प्रकृत ग्रन्थ में मुक्ति के अर्थ को अभिव्यक्त करनेवाले कुछ शब्दों का प्रयोग मिलता है जिनसे उसके स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।

- १. मोक्ष'- 'मुच्' धातु से मोक्ष बनता है। मोक्ष शब्द का अर्थ है—किसी से छुटकारा प्राप्त करना। अध्यात्मविषय होने से यहाँ पर संसार के बन्धनभूत कर्मों से छुटकारा अभिप्रेत है। जीव का कर्मों के बन्धन से छुटकारा होता है तथा कर्मबन्धन से रहित स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित जीव को 'मुक्त जीव' कहा गया है। अतः मोक्ष का अर्थ हुआ—'सब प्रकार के बन्धन से रहित जीव द्वारा स्व-स्वरूप की प्राप्ति।'
  - २ निर्वाण इसका अर्थ है—समाप्ति । यहां पर समाप्ति से तात्पर्य चेतन के अभाव से नहीं है क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति होने पर चेतन का विनाश नहीं होता है अपितु उसे स्व-स्वरूप की प्राप्ति होती है। अतः यहां पर निर्वाण का अर्थ है—'कर्मजन्य सांसारिक

—३० ६.१०.

२. नायए परिनिब्बुए।

--उ० ३६.२६६.

नित्य अमोक्खस्स निव्वाणं ।

**--उ० २५.३०.** 

१. बंधमीक्खपइण्णिणो ।

अवस्थाओं का सर्देव के लिये समाप्त हो जाना'। बौद्धदर्शन में यह मुक्ति-वाचक प्रचलित शब्द है। परन्तु वहाँ अर्थ भिन्न है।

- 3. बहि:विहार यहाँ पर विहार शब्द का अर्थ है जन्म-जरा-मरण से व्याप्त संसार । अतः बहि:विहार का अर्थ हुआ — संसार के आवागमन से रहित स्थान या जन्म-मरणरूप संसार से बाहर । मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के बाद जीव का संसार में आवा-गमन नहीं होता है । अतः उसे बहि:विहार कहना उपयुक्त ही है ।
- ४. सिद्धलोक³ मोक्ष को प्राप्त होनेवाला जीव सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होकर अपने अभीष्ट को प्राप्त (सिद्ध) कर लेता है। अतः मुक्त होनेवाले जीवों को 'सिद्ध' तथा जहाँ उनका निवास है उसे 'सिद्धलोक' (सिद्धिशला) कहा गया है।
- प्र. आत्मवसित³ मुक्त होने का अर्थ है अत्मस्वरूप की प्राप्ति । अतः आत्मवसित या आत्मप्रयोजन की प्राप्ति का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति ।
- ६. अनुत्तरगति^४, प्रधानगति^४, वरगति^६ व सुगति^७-- सामान्य-रूप से चार गतियाँ मानी गई हैं जो संसारभ्रमण में कारण हैं परन्तु

```
१. बहि विहासिमिनिविट्ठचिता ।
```

— উ০ १४,४,

संसारपारनित्थिण्णा ।

— उ० ३६**.६**७,

२. देखिए--पृ० ४७, पा० टि० १; उ० २३,८३; १०.३४.

३. खप्पणो वसहि वए ।

-- उ० १४.४६.

. तथा देखिए-उ० ७.२५.

४. पत्ती गई मणुत्तरं।

तथा देखिए-उ० १८.३१-४०,४२-४३,४८ बादि ।

५. गइप्पहाणं च तिलीयअविस्मुतं ।

**—30 १६.€**८.

६. सिद्धि वरगई गया।

**--उ० ३६.६७.** 

७. जीवा गच्छंति सोग्गई।

—উ০ २⊏.३.

मोक्ष ऐसी गित है जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनः संसार में आवागमन नहीं होता है। इससे श्रेष्ठ कोई गित नहीं है। अतः इसे 'अनुत-रगिति' कहा गया है। देव और मनुष्यगित को जो ग्रन्थ में कहीं-कहीं 'सुगिति' कहा गया है वह संसारापेक्षा से है। वस्तुतः सुगित मोक्ष ही है और यह संसार की चार गितियों से भिन्न होने के कारण 'पचमगिति' है।

- ७. ऊध्वंदिशा निवास करते हैं वह स्थान लोक के ऊपरी भाग में है। अतः ऊध्वंदिशा में गमन का अर्थ है—मोक्ष की प्राप्ति। तत्त्वार्थसूत्र में मुक्तात्माओं के ऊध्वंगमन स्वभाव के विषय में कुछ दृष्टान्त दिए गए हैं। यह ऊध्वंगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है क्योंकि अलोक में किसी भी तत्त्व की सत्ता नहीं मानी गई है।
- **द. दुरारोह**³—मुक्ति प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होने से इसे 'दुरारोह' कहा गया है ।
- ६. अपुनरावृत्त और शाश्वत यहाँ आने के बाद जीव पुन: कभी भी संसार में नहीं आता है। अतः मुक्ति 'अपुनरावृत्त' है तथा नित्य होने से 'शाश्वत' (ध्रुव) भी है।

—उ० १६,८३.

२. पूर्वप्रयोगादसंगत्वाद्बन्धच्छेदात्तयागतिपरिणामाच्च । आविद्वकुलाल-चक्रवद्व्यप्रयत्नेपालाबुबदेरण्डबीजवदिग्निशिखावच्च ।

—त• स्० १०.६∙७.

अस्थि एगं घुवं ठाणं लोगग्गम्मि दुरारुहं ।
 जस्थ नित्थ जरामच्चू वाहिणो वेयणा तहा ।।

—३० २३.**८१.** 

निञ्चाणंति अवाहंति सिद्धी लोगगमेव यः। खेमं सिवं अणाबाहं जंचरंति महेसिणो ।।

<del>-</del>उ० २३,**८३**.

४. वही; उ० २६.४४; २१.२४ आदि ।

१. उड्ढं पत्रकमई दिसं ।

#### ₹৬료 ]

#### उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

१० अव्याबाध — सब प्रकार की बाधाओं से रहित होने से तथा अत्यन्त सुखरूप होने से इसे 'अव्याबाध' कहा गया है।

११. लोकोत्तमोत्तम^२— तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होने से इसे लोकोत्तमोत्तम कहा गया है।

## मोक्ष में जीव की अवस्था:

मुक्ति की अवस्था जरा-मरण से रहित, व्याधि से रहित, शरीर से रहित, अत्यन्त दु:खाभावरूप, निरित्तश्यसुखरूप, शान्त, क्षेमकर, शिवरूप, धनरूप, वृद्धि-ह्रास से रहित, अविनश्वर, ज्ञान-रूप, दर्शनरूप (सामान्यबोध), पुनर्जन्मरहित तथा एकान्त अधिष्ठानरूप है। 3

इस मुक्तावस्था को प्राप्त आत्मा स्व-स्वरूप को प्राप्त कर लेने के कारण परमात्मा बन जाती है। आत्मा और परमात्मा में भेद मिट जाता है। दोनों समान स्थितिवाले होकरके पृथक्-पृथक् अस्तित्व रखते हैं, अद्वैत-वेदान्त की तरह एकरूप नहीं हो जाते हैं। ज्ञान और दर्शनरूप चेतना जो कि जीव का स्वरूप है उसका अभाव नहीं होता है क्योंकि ऐसा होने पर जीवपने का ही अभाव हो जाएगा और सत् द्रव्य का भी विनाश होने लगेगा। अतः इस

-- do E. X s. . .

तथा देखिए--उ० २०.५२.

३. अरुविणो जीवघणा नाणदंसणसन्निया।

अउलं सुहंसंपत्ता उवमा जस्स नित्य उ ॥ -

—उ• ३६.६६

तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ परिनिब्नायइ, सब्बदुबस्नाण-मंतं करेइ।

-उ० २६.२८.

एगंत अहिड्डिओ भयवं।

-3° €.8.

तथा देखिए-उ० २६.४१,५५; पृ० ३७७, पा० टि० ३.

१. वही; ७० २६.३.

२. लोगुत्तमुत्तमं ठाणं ।

अवस्था को शुद्ध ज्ञान एवं दर्शनरूप कहा गया है। यहाँ 'दर्शन' का अर्थ 'श्रद्धा' नहीं है जैसािक याकोबी ने अपने अनुवाद में लिखा है। अपितु दर्शनावरणीय कर्म के अभाव से प्रकट होनेवाला सामान्यबोधरूप आत्मा का स्वाभाविक गुण है। 'श्रद्धा' दर्शनमोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होनेवाला गुण है जो मोहाभावरूप है। कर्मों का पूर्ण अभाव हो जाने से तज्जन्य शरीर, जरा-व्याधि, रूप, दुःख, वृद्धि-ह्रास आदि कुछ भी नहीं रहता है क्योंकि ये सब कर्मों के सम्पर्क से होते हैं। भौतिकशरीर एवं रूपादि के न होने पर भी जीव का अभाव नहीं हो जाता है। अतः उसे घनरूप कहा गया है। घनरूप कहने का तात्पर्य यह है कि मोक्ष अभावरूप नहीं है अपितु भावात्मक है। मुक्त होने के पूर्व जीव जिस शरीर से युक्त होता है उस शरीर का जितना आकार (ऊंचाई एवं चौड़ाई) होता है उससे तृतीयभाग न्यून (ऊँचाई आदि का) विस्तार (अवगाहना) सभी मुक्त जीवों का होता है क्योंकि शरीर न होने से मुक्ता-वस्था में नासिका आदि के खिद्रभाग घनरूप हो जाते हैं।

शरीर-प्रमाण-जीव के स्वरूप के प्रसंग में बतलाया गया था कि जीव जैसा शरीर का आकार प्राप्त करता है उसी के अनुसार संकोच एवं विस्तार को प्राप्त कर लेता है। अतः यहाँ यह शंका होना स्वामाविक है कि तब तो मुक्त जीवों के कोई शरीर न होने से आत्मप्रदेशों को या तो सघन होकर अणुरूप हो जाना चाहिए या सर्वत्र फैल जाना चाहिए, फिर क्या कारण है कि मुक्तात्माओं का विस्तार पूर्वजन्म के शरीर की अपेक्षा तृतीयभाग न्यून बतलाया गया है? इसका कारण यह है कि संसारावस्था में जीव को शरीर-प्रमाण माना गया है, न अणुरूप और न व्यापक। अतः आवश्यक हो जाता है कि मुक्तावस्था में भी जीव को सर्वथा अणुरूप या व्यापक न मानकर कुछ विस्तारवाला माना जाए।

१. उ॰ ६६.६६-६७ (से॰ बु॰ ई०, भाग-४५).

२. उस्सेहो जस्स जो होइ भवम्मि चरिमम्मि उ । तिभागहीणो तत्तो य सिद्धाणोगाहणा भवे ॥

<del>---</del>उ० ३६.६४.

आतमा में जो संकोच-विकास माना गया है वह कर्मजन्य शरीर के फलस्वरूप माना गया है। मुक्तात्माओं के शरीर न होने से तज्जन्य संकोच-विकास का होना भी संभव नहीं है। अतः मुक्तात्माओं की आकृति (अवगाहना) आदि की कहपना अन्तिमजन्म के शरीर के आधार पर की गई है। यद्यपि ये मुक्त जीव रूपादि से रहित होते हैं तथापि जो यह आत्मप्रदेशों के विस्तार की कल्पना की गई है वह आकाशप्रदेश में ठहरे हुए आत्मा के अदृश्य प्रदेशों की अपेक्षा से है। अमूर्त होने से एक आत्मा के प्रदेशों में अन्य आत्मा के प्रदेश भी रह सकते हैं।

सुख-'कर्म' के प्रकरण में बतलाया गया था कि सुख एवं दु:ख का अनुभव अपने संचित वेदनीय कर्मों के अनुसार होता है। अतः शंका होती है कि जब ये मुक्तात्माएं कर्मरहित हैं तो फिर उन्हें सुख का अनुभव कैसे होता है ? सुख और दुःख के कर्मजन्य होने से कर्मरहित मुक्तात्माओं में दुःखाभाव की तरह सुख का भी अभाव मानना चाहिए । इसके उत्तर में यह कहना पर्याप्त है कि मुक्तात्माओं में जो सुख की कल्पना की गई है वह अलौकिक सुख है, न कि वेदनीय कर्मजन्य सांसारिक सुखा। अतः ग्रन्थ में इस सुख को अनुपमेय सुख कहा गया है। पुक्तात्माओं के शरीर एवं इन्द्रियादि न होने से उनका सुख कर्मजन्य नहीं हो सकता है। आत्माका स्वभाव सुखरूप मानने से तथा मानव की प्रवृत्ति सुखप्राप्ति की ओर होने से मोक्षावस्था में अविनश्वर एवं अनुपमेय सुख की करुपनाकी गई है। यहाँ पर वस्तुतः सब प्रकार का दुःखाभाव ही अलौकिक मुखानुभव है वयोंकि जीव अपनी-अपनी अनुभूति के अनु-सार ही सुख एवं दुःख की कल्पना करता है। जहाँ कोई इच्छा ही नहीं वहाँ दुःख कहाँ? जहाँ किसी विषय की इच्छा है वहीं दुःख है और जहाँ पूर्णता है वहाँ मानो तो अलौकिक सुख है और न मानो तो सुख एवं दुःख कुछ भी नहीं है। यह मुक्ति पूर्ण निष्काम की अवस्था है। दुःखाभाव होने से तथा जीव का स्वरूप सुखस्वभाव मानने से यहाँ अलौकिक सुख की कल्पना की गई है।

१. देखिए-पृ० ३७७, पा० टि॰ ३-४.

मुक्तात्माओं में चेतना के वर्तमान रहने से उनकी दुःलाभाव एवं मुलाभावरूप पाषाणवत् स्थिति नहीं कही जा सकती है। अतः इन्हें शान्त, शिवरूप एवं मुख की अवस्थावाला कहा गया है। इस अवस्था का कभी भी न तो विनाश होता है और न परिवर्तन। अतः इस अवस्था को अविनश्वर कहा गया है। अविनश्वर होने पर भी स्वाभाविकरूप से द्रव्य में होनेवाला उत्पाद, व्यय एवं धौव्यरूप परिणमन तो होता ही रहता है क्योंकि यह तो द्रव्य का स्वभाव है जो प्रत्येक द्रव्य में होता है, परन्तु वृद्धि-हासरूप असमानाकार परिणमन नहीं होता है।

## मुक्तों के ३१ गुणः

ग्रन्थ के चरंणविधि नामक इकतीसर्वे अध्ययन में सिद्ध जीवों के ३१ अतिशय गुण बतलाए गए हैं। परन्तु वहाँ उनके नामों को नहीं गिनाया गया है। टीका-ग्रन्थों में दो प्रकार से इनकी संख्या गिनाई गई है जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि ये सभी गुण अभा-वात्मक हैं। मुक्त जीव सब प्रकार के कर्मों तथा रूपादि से रहित होते हैं। अतः प्रथम प्रकार में अमूर्तत्व की अपेक्षा से तथा द्वितीय प्रकार में कर्मामाव की अपेक्षा से मुक्त जीवों के गुणों की गणना की गई है। इन दोनों प्रकारों में कोई खास अन्तर नहीं है क्योंकि मुक्त जीव सब प्रकार के कर्मों से तथा रूपादि से रहित होते हैं। कर्मादि से रहित होने के कारण उनके पुनर्जन्म आदि का भी प्रका नहीं उठता है।

प्रथम प्रकार - पाँच संस्थानाभाव, पाँच वर्णाभाव, दो गन्धा-भाव, पाँच रसाभाव, आठ स्पर्शाभाव, तीन वेदाभाव (पुरुष, स्त्री और नपुंसकर्लिंग से रहित), अकायत्व, असंगत्व तथा अजन्मत्वरूप।

हितीय प्रकार - पाँच ज्ञानावरणीय, नव दशनावरणीय, दो वेदनीय, दो मोहनीय, चार आयु, दो गोत्र, दो नाम तथा पाँच अन्तराय कर्माभावरूप।

--वही, टीकाएँ।

१. सिद्धाइगुणजोगेसु .....।
- उ० ३१.२०.

२. सिद्धों के ३१ गुणों के दो प्रकार ये हैं:

## सादिमुक्तताः

ऐसा कोई भी काल नथा, नहै और नहोगाजब जीव मोक्ष प्राप्त न करते हों। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित है कि कोई भी जीव अनादिमुक्त नहीं है क्योंकि मुक्तावस्था के पूर्व संसारावस्था अवश्य स्वीकार की गई है। ग्रन्थ में इसीलिए मूक्त जीवों को उत्पत्ति की अपेक्षा से 'सादि' तथा इस अवस्था का कमी भी विनाश न होने से 'अनन्त' कहा है। समुदाय की अपेक्षा से मुक्त जीवों की उत्पत्ति जो अनादि कही गई है 3 उसका यह तात्पर्य नहीं है कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कभी भी संसारी न रहे हों। इसका सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि बहत से मूक्त जीव ऐसे भी हैं जिनकी उत्पत्ति का प्रारम्भिक काल नहीं बतलाया जा सकता है। इस अनादि काल में मूक्त जीव कब नहीं थे यह बतलाना मानव की कल्पना के परे होने से उन्हें अनादि कहा गया है, परन्तु वे सब किसी समय-विशेष में ही मुक्त हुए हैं क्योंकि अनादि मुक्त भानने पर सृष्टिकर्ता ईश्वर की भी कल्पना करनी पड़ती जो अभीष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त मुक्त जीवों को सर्वेथा अनादि मानने पर स्वयं के उत्थान एवं पतन में व्यक्ति के स्वातन्त्र्य का सिद्धान्त पुष्ट नहीं होगा।

## मुक्तात्माओं का निवास :

मुक्तात्माओं का निवास लोक के उपरितमसाग में माना गया है। यह लोकाग्रवर्ती 'सिद्धिशिला' के नाम से प्रसिद्ध हैं। व जीव उद्दिगमन स्वभाववाला है और यह उद्दिगमन लोकान्त तक ही सम्भव हो सकता है वयों कि अलोक में गित आदि में सहायक धर्मादि द्रव्यों का सद्भाव स्वीकार नहीं किया गया है। यद्यपि मुक्तात्माएँ सर्वशक्तिसम्पन्न होने से गित में सहायक धर्मोदि द्रव्यों का अभाव होने पर भी अलोक में जा सकती हैं परन्तु उन्हें कोई

१. एगत्तेण साइयाः " पुरुत्तेण अणाइया ।

[—]ङ०३६.६६.

२, वही।

३. देखिए-पृ॰ ५६, पा० टि॰ ३; पृ० ५७, पा० टि० १.

अभिलाषा न होने से वे लोक की सीमा का उल्लंघन नहीं करती हैं। ये मुक्तात्माएँ वहीं पर स्थित होकर लोकालोक को जानती हैं। ऐसी व्यवस्था न मानने पर मुक्तात्माएँ ऊर्ध्वगमनस्वभाव होने के कारण अविराम आगे बढ़ती चली जातीं और एक क्षण पश्चात् मुक्त हुई आत्मा पूर्ववर्ती मुक्तात्माओं से हमेशा पीछे रहती। अतः लोकाग्रभाग में ही मुक्तात्माओं का निवास माना गया है।

## मुक्ति किसे, कब और कहाँ से ?

प्रन्थ में मुक्ति का द्वार के लिए जीवों सभी क्षेत्रों में तथा सभी कालों में खुला हुआ है। एक समय में अधिक से अधिक जीव कितनी संख्या में एक साथ मुक्त हो सकते हैं, इस विषय में प्रन्थ में निम्नोक्त प्रकार के संकेत मिलते हैं:

मुक्त होनेवाले जीव	अधिकतम सं ^{ह्} या	मुक्त होनेवाले जीव अधि	रकतम संख्या
पुरुष	१०५	शरीर की सबसे कम अव-	
स्त्री	२०	गाहना वाले	ሄ
नपुंसक	१०	मध्यम अवगाहना वाले	१०५
जैन साधु (स्व-लिगी		ऊर्ध्वलोक से	४
जैनेतर साधु (अन्य-ि	लंगी) १०	मध्यलोक (तिर्यक्लोक) से	१०८
गृहस्थ	8	अघोलोक से	२०
शरीर की सर्वाधिक	अवगा-	नदी आदि जलाशयों से	₹
हना (ऊँचाई) वाले	7	समुद्र से	२

इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि मुक्त होने की सर्वाधिक योग्यता मध्यलोकवर्ती मध्यम शरीर की अवगाहना वाले पुष्प-लिङ्गी जैन साधु में है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि वीतरागता की पूर्णता जिस जीव को जिस स्थान में जिस प्रकार के छोटे-बड़े शरीर के वर्तमान रहने पर हो जाए वह उसी स्थान से और उसी शरीर से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर

१. उ० ३६.४६-५४.

देव, नरक एवं तियं क्च गित से मुक्त होने वाले जीवों की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख न करके सामान्य रूप से पुरुष, स्त्री व नपुंसक लिङ्गी का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्यगित का जीव ही सीधा मुक्त हो सकता है, अन्य देवादि गितवाले जीव मनुष्यपर्याय-प्राप्ति के बाद ही मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि वाले देव को भी मनुष्यपर्याय की प्राप्ति के बाद ही मुक्त का अधिकारी बतलाया है। उद्ध्वलोक एवं अधोलोक से मुक्त की संख्या का जो कथन किया गया है वह वहाँ पर वर्तमान मनुष्यगित के जीवों की स्थित की अपेक्षा से ही है जो किसी कारणवश्य वहाँ पहुँच गए हैं। इस तरह मनुष्य को ही साक्षात् मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बतलाया गया है। यद्यपि अन्य गित के जीव भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं परन्तु इसके लिए उन्हें पहले मनुष्यगित में आना पड़ेगा। दिगम्बर-परम्परा में सिर्फ मनुष्यगित की पुष्पजाित को ही इसका साक्षात् अधिकारी बतलाया गया है, स्त्री एवं नपुसकलिङ्गी को नहीं। '

गृहस्य एवं जैनेतर साधु को जो मुनित का अधिकारी बतलाया गया है वह बाह्य उपाधि की अपेक्षा से हैं क्योंकि भावात्मना
तो सभी को पूणं वीतरागी होना आवश्यक है। गृहस्थ और जैनेतर साधुओं में विरले ही कोई जीव होते हैं जो मुनित को प्राप्त
करते हैं। अतः एक समय में अधिक से अधिक मुन्त होने वाले ऐसे
जीवों की संख्या जैन साधुओं की अपेक्षा कम बतलाई गई है।
यहाँ पर एक समय में अधिक से अधिक सिद्ध होने वाले जीवों की
जो संख्या बतलाई गई है वह इस अर्थ में है कि यदि एक ही काल
में जीव अधिक से अधिक संख्या में सिद्ध हों तो १०५ ही हो सकते
हैं, इससे अधिक नहीं। कम से कम कितने सिद्ध होंगे इस विषय
में कोई संख्या नियत नहीं है। अतः सम्भव है कि किसी समय
एक भी जीव सिद्ध न हो, जैसा कि जैन-प्रन्थों में माना गया है।

भुङ्क्ते न केवली न स्त्रीमोक्षमेति दिगम्बर: ।
 प्राहुरेषामयं भेदो महःन् श्वेताम्बरै: सह ।।
 —जिनदत्तसूरि, उद्धृत, भा० द० ब०, पृ० ११६०

२. त० सू०, प० कैलाशचन्द्रकृत टीका, पृ० २३८.

इनकी संख्या इतनी ही निश्चित क्यों की गई है इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता है परन्तु जैनधर्म में १०८ की संख्या धार्मिक-क्रियाओं में महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

## मुक्त जीवों की एकरूपताः

मुक्त जीवों में किसी प्रकार का भेद नहीं है क्योंकि सभी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सकलकर्मों के बन्धन से रहित, अशरीरी तथा अनुपमेय सुखादि से युक्त हैं, फिर भी प्रन्थ में मुक्त जीवों के जो अनेक भेदों का उल्लेख किया गया है वह अन्तिम जन्म की उपाधि की अपेक्षा से है। जैसे : पुरुष, स्त्री आदि की पर्याय से मुक्त होने वाले जीव। वित्वार्थसूत्र में इस विषय में एक सूत्र है जिसमें बतलाया है कि सिद्धों में किकृत भेद सम्भव है। वास्तव में सिद्ध जीवों के अशरीरी होने से पुरुष, स्त्री, नपुसक आदि का भेद नहीं है।

## जीवन्मृक्तिः

ग्रन्थ में जीवन्मुिवत की सत्ता को स्वीकार किया गया है। जीवन्मुिवत का अर्थ है—जो अभी पूर्ण मुक्त तो नहीं हुए हैं परन्तु शीध ही नियम से मुक्त होने वाले हैं अर्थात् संसार में रहते हुए भी जिनका संसार-भ्रमण रुक गया है और जो सशरीरी अवस्था में ही पूर्ण मुक्ति के द्वार पर खड़े हुए हैं। ग्रन्थ में जीवन्मुिवत को संसार-रूपी समुद्र के तीर (किनारा) की प्राप्ति तथा पूर्ण मुक्ति (विदेह-मुक्ति को 'पार' (संसार-समुद्र के उस पार) की प्राप्ति बतलाया गया है। विदेहमुक्ति का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। अब यहाँ ग्रन्थानुसार जीवन्मुक्ति का वर्णन किया जाएगा।

. ग्रन्थ में जीवन्मुक्ति के तथ्य — जब केशिकुमार मुनि गौतम मुनि से पूछते हैं - 'संसार में बहुत से जीव पाशबद्ध दिखलाई देते हैं परन्तु तुम मुक्तपाश एवं लघुभूत होकर कैसे विचरण (विहार) करते हो? तब गौतम मुनि केशिमुनि से कहते हैं — 'हे मुने! मैं उन सभी

१. देखिए--पृ० ३८३.

१ क्षेत्रकालगतिलिंगतीर्थंचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानात्रगहनान्तरसंख्याल्य-बहत्वतः साध्यः ।

[—]त∘ **स्०** १०.६.

३. उ० १०.३४; पृ० ३७६, पा० टि० १.

पाशों को छेद करके और उपायपूर्वक विनष्ट करके मुक्तपाश एवं लघुभूत होकर विहार करता हूँ। केशिमुनि के द्वारा पुनः उन पाशों के विषय में पूछने पर गौतम मुनि कहते हैं— 'अत्यन्त भयं-कर राग द्वेषादिरूप स्नेहपाशों का विधिपूर्वक छेदन करके यथाक्रम से विहार करता हूँ।' यहाँ पर संसार के सभी जीवों को पाशबद्ध न कहकर बहुत से जीवों को पाशबद्ध कहना तथा गौतम मुनि को 'मुक्तपाश्व' एवं 'लघुभूत' कहना यह सिद्ध करता है कि संसार में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बन्धन से रहित (पाशमुक्त) हैं जिनमें एक गौतम मुनि भी हैं। अतः जो पाशमुक्त एवं कर्मरज के हट जाने से लघुभूत हैं वे सभी 'जीवन्मुक्त' हैं। रागद्धेषवश विषयभोगों के प्रति की गई आसक्ति (स्नेह या मोह) ही पाश है और जो रागद्धेष से रहित होकर वीतरागी हैं वे सभी मुक्तपाश हैं। ब्राह्मण का लक्षण बतलाते हुए ग्रन्थ में ब्राह्मण को 'प्राप्तिनिर्वाण' (जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है) कहा गया है। द इससे भी 'जीवन्मुक्त' का ग्रहण होता है।

इस तरह सिद्ध है कि ग्रन्थ में जीवनमुक्तों की सत्ता में विश्वास है। ये जीवनमुक्त जल से भिन्न कमल की तरह संसार में रहकरके भी उससे अलिप्त रहते हैं। ये जीवनमुक्त जीव ही प्राणिमात्र के लिए हितोपदेष्टा हैं क्योंकि विदेहमुक्त (सिद्ध ) जीवों की संसार में स्थिति न होने से तथा सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित होने से वे हितोपदेष्टा नहीं होते हैं अपितु वे अपने पहले किए गए शुभ-कार्यों से ही जीवों के पथ-प्रदर्शक होते हैं। इस तरह प्राणिमात्र के कल्याण के लिए हितोपदेश देने के कारण जीवनमुक्तों को जैन-ग्रन्थों में सिद्धों की अपेक्षा पहले नमस्कार किया जाता है। 3

तथा देखिए-उ० २३.४१-४३.

२. सुब्वयं पत्तनिब्दाणं तं वयं वूम माहणं।

⁻⁻ **ड० २**४.२२.

३. णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । णमो उवज्झायाणं णमो लोए सब्ब-साहूणं ।। १ ।। --- षट्खण्डागम, पुस्तक १, पृ० ५.

जीवन्मुक्तों के प्रकार — ग्रन्थ में उन सभी जीवों को जीवन्मुक्त कहा गया है जो मुक्ति के पथ की ओर अग्रसर हो चुके हैं। ये जीवन्मुक्त दो प्रकार के हो सकते हैं: १. जो जीवन्मुक्त की ओर बढ़ रहे हैं और २. जो पूर्ण जीवन्मुक्त हो चुके हैं।

पहले प्रकार के जीवन्मुक्त वे हैं जो अभी पूर्ण जीवन्मुक्त तो नहीं हुए हैं परन्तु मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हें ग्रन्थ में अल्प-संसारी (परीतसंसारी-अल्प-पाजबद्ध) कहा गया है। े ये या तो इसी भव में या कुछ, जन्मों के बाद अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये वास्तव में पूर्ण जीवन्मुक्त तो नहीं हैं फिर भी जीवन्-मृक्ति के निकट होने से इन्हें उपचार से जीवनमुक्त कहा जा सकता है। इस श्रेणी में वे सभी जीव आते हैं जो पहले बतलायी गई 'क्षपक-श्रेणी' का आश्रयण करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्षपक-श्रेणी का अर्थ है-जो कर्मों को सदा के लिये नष्ट करता हुआ आगे बढता है। अत: इस श्रेणी को ग्रन्थ में 'अकलेवरश्रेणी' ( शरीर-रहित श्रेणी ), 'ऋजुश्रेणी' (सीधी श्रेणी ) और 'करणगुणश्रेणी' (ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति की श्रेणी) कहा गया है। इसका आश्रय लेनेवाला जीव शीघाही मुक्तिको प्राप्त करलेताहै। अतः द्रुम-पत्रक अध्ययन में गौतम को लक्ष्य करके कहा गया है कि 'हे गौतम ! अकलेवरश्रेणी को उच्च करता हुआ क्षेमकर, शिवरूप अनुत्तर सिद्ध-लोक को प्राप्त कर। इसमें क्षणमात्र का भी विलम्ब मत कर। 3

दूसरे प्रकार के जीवन्मुक्त वे हैं जिन्होंने चारों प्रकार के घातिया कर्मों को नष्ट करके केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर

असत्यहंत्याप्तागमपदार्थावयमो न भवेदस्मदादीनाम्, संजातश्वेतत्प्रसा-दादित्युपकारापेक्षया वादावहंन्नगस्कारः क्रियते ।

[—]षट्खण्डागम, घवलाटीका, पृ० ५३-५४.

१. ते होंति परिससंसारी।

⁻⁻ ३६.२६१.

२. अकलेवरसेणि भूसिया। — उ०१०.३४.

तथा देखिए--पृ० २३३, पा॰ टि॰ १.

३. वही; उ० १०.३५

लिया है तथा इसी भव में पूर्ण मुक्त होने वाले हैं। ये 'केवली' या 'जिन' कहलाते हैं। यह उपाधि (डिग्री) प्राप्त करने वाले स्नातक छात्र की तरह मिक्त को प्राप्त करनेवाले स्नातक केवली की अवस्था है। ग्रन्थ में जीवन्मुक्तों के लिए 'स्नातक' शब्द का प्रयोग भी किया गया है। ये जीवन्मुक्त जीव संसार में रहकरके अव-शिष्ट आयुकर्म का उपभोग करते हुए आकाश में स्थित सूर्य की तरह केवलज्ञान से सुशोभित होते हैं। ^२ इसके बाद आयु के पूर्ण होने पर अविशब्द सभी अधातिया कर्मों को एक साथ नष्ट करके नियम से उसी भव में पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। इन जीवन्मुक्तों की ग्रन्थ में दो अवस्थाएँ मिलती हैं: १ सयोगकेवली-मन, वचन एवं काय की क्रिया से युक्त तथा २. अयोगकेवली—मन, वचन एवं काय की क्रिया से रहित । इन दोनों प्रकार के जीवन्मुन्तों में 'सयोगकेवली' ही हितोपदेशादि से प्राणिमात्र का कल्याण करते हैं क्योंकि वे मन, वचन एवं काय की क्रिया से युक्त होते हैं। मन-वचन-काय की क्रिया से रहित 'अयोगकेवली' की अवस्था विदेहमुक्त (सिद्ध) की तरह ही होती है। ये कुछ ही क्षणों में शरीर को छोड़कर अनुत्तर सिद्धलोक (मोक्ष) को प्राप्त करके पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। 3

इस तरह ग्रन्थ में मुक्ति के दो रूप देखने को मिलते हैं: १. जीवन्मुक्ति तथा २. विदेहमुक्ति । जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति की पूर्वावस्था है तथा विदेहमुक्ति पूर्ण निश्चल चरमावस्था है। ग्रन्थ का प्रधान सक्ष्य जीवों को मुक्ति की ओर अभिमुख करना है।

## अनुद्यीलन

इस प्रकरण में उत्ताराध्ययन के प्रधान लक्ष्य 'मुक्ति' का वर्णन किया गया है। इसकी प्राप्ति के लिए श्र*द्धा, ज्ञान और चारित्ररूप* रतनत्रय की साधना की आवश्यकता पड़ती है। चार्वाकदर्शन को छोड़कर शेष सभी भारतीय दर्शनों का भी प्रधान लक्ष्य जीवों को

१. जेहि होइ सिणायओ ।

^{-30 ₹}X.38.

२. अणुत्तरे नाणधरे जसंसी ओभासइ सूरि एवं तिलविषे ॥ —उ० २१.२३.

इ. उ**० २**६.७१-७३.

मुनित की ओर ले जाना है। परन्तु मुनत जीवों की क्या अवस्था होती है? मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? आदि विषयों में मतभेद होते हुए भी मूल उद्देश्य में समानता है। वह मूल उद्देश्य है—जीवों को दु:ख से छुटकारा दिलाना।

प्रकृत ग्रन्थ में इस मुक्ति की दो अवस्थाएँ मिलती हैं: १. जीवन्मुक्ति तथा २. विदेहमुन्ति । जीवन्मुन्ति विदेहमुन्ति की पूर्वावस्था है। जीवन्मुक्ति संसार में वर्तमान रहने पर ही होती हैं और विदेहमुक्ति संसार से परे मृत्यु के उपरान्त होती है। जीवन्मुक्ति के बाद विदेहमुक्ति अवश्यम्भावी **है**। जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त दोनों ही संसार में पुन: कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। जीवन्स्**वतों को निष्क्रिय कुछ** अघातिया कर्मों का फल भोगने के लिए कुछ समय तक संसार में रुकना पड़ता है परन्तू विदेहमुक्त सब प्रकार के बन्धन से रहित होने के कारण लोकान्त में स्थिर रहते हैं। विदेहमुक्त जीवों से मानव का साक्षात् कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। उनकी स्थिति स्वान्तःसुखाय होती है जो मानव की अल्पबुद्धि के परे है। विदेहमुक्त जीवों में सुख की कल्पना करीब-करीब उसी प्रकार की गई है जिस प्रकार गहरी निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को जागने पर होने वाली सुखानुभूति । यहाँ मुख्य अन्तर इतना है कि मुक्तों की सुखानुभूति ं जाग्रतावस्था की है तथा अविनश्वर है जबकि सोए हुएँ व्यक्ति की सुखानुभृति सुषुप्ति अवस्था की है तथा क्षणिक है।

शरीर को कर्मजन्य स्वीकार करने के कारण विदेहमुक्त जीवों को 'अशरीरी' माना गया है। जीव (आत्मा) का स्वभाव ज्ञान और दर्शनरूप होने से मुक्त जीवों को ज्ञान एवं दर्शनरूप चेतना गुणवाला स्वीकार किया गया है। इन मुक्त जीवों के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि सभी अलांकिक ही हैं क्योंकि उनके ज्ञानादि शरीर और इन्द्रियादि की सहायता के बिना ही होते हैं। इस तरह विदेहमुक्तों की यह अवस्था ज्ञान, दर्शन एवं सुखादि से युक्त होकरके भी भावात्मक ही है। बौद्धों की तरह अभावात्मक, नैयायिकों की तरह मात्र दुःखाभावरूप तथा वेदान्तियों की तरह ब्रह्मैक्यरूप नहीं है। यह अवस्था करीब-करीब सांख्यदर्शन के मुक्तपुरुष की तरह है जो अचेतन (प्रकृति ) के प्रभाव से सर्वथा रहित है।°

जीवन्मुक्तों को ब्यवहार की दृष्टि से मुक्त कहा गया है क्योंकि वे अभी पूर्ण मुक्त नहीं है परन्तु शीद्य ही नियम से मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। मानव का कल्याण तथा विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रसार इन्हीं के द्वारा सम्भव है। ये संसार में रहने वाले आप्तपुरुष (महापुरुष ) हैं। जीव के स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों के प्रतिबन्धक सभी घातिया कर्मों को नष्ट कर देने के कारण इनकी मुक्ति अवश्यंभावी है। अतः अधातिया ( निष्क्रिय ) कर्मों का सद्भाव रहने पर भी इन्हें जीवन्मुक्त कहा गया है। केवलज्ञान से युक्त ( सर्वज्ञ ) होने के कारण इन्हें 'केवली' कहा गया है। ये जीवन्मुक्त सयोगी और अयोगी के भेद से दो प्रकार के हैं। जब तक ये मन, वचन एवं काय की क्रिया से युक्त रहते हैं तब तक 'सयोगी' तथा मन, वचन एवं काय की क्रिया से रहित हो जाने पर 'अयोगी' कहलाते हैं। अयोगकेवली की स्थिति विदेहमुक्तों की तरह ही है क्योंकि वे भी विदेहमुक्तों की तरह मन-वचन-काय की क्रिया से रहित हैं। यद्यपि ग्रन्थ में सामान्य साधुओं के लिए भी जीवन्मुक्त का व्यवहार हुआ है परन्तु यह कथन मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करलेने के कारण व्यवहार की अपेक्षा से है। अत: सभी साधु जीवन्सुक्त नहीं हैं अपितु जिन्होंने समस्त मोहनीय कर्म का समूल विनाश कर दिया है और जो सर्वज्ञ हो चुके हैं वे ही वास्तव में जीवन्मुक्त हैं।

इस तरह ग्रन्थ में मुक्ति की जो अवस्था चित्रित की गई है वह एक अलौकिक अवस्था है। वहां न तो स्वामी-सेवकभाव है और न कोई इच्छा। इसे प्राप्त कर लेने पर जीव कभी भी संसार में वापिस नहीं आता है। वह कर्मबन्धन से पूर्ण मुक्त हो जाता है। यह आत्मा के निर्लिप्त स्व-स्वरूप की स्थिति है। यहाँ सब प्रकार के सांसारिक बन्धनों का हमेशा के लिए अभाव हो जाने के कारण इसे मुक्ति कहा गया है।

X

१. देखिए-सांख्यकारिका, ६५.

#### प्रकरण ७

# समाज और संस्कृति

कोई भी साहित्य तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आधिक, राजनैतिक, भौगोलिक आदि विविध परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अतः साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। उत्तराध्ययन, जिसमें प्रधानरूप से धर्म और दर्शन का ही प्रतिपादन किया गया है उसमें भी जैन श्रमण (साधु)-संस्कृति के कमिक-विकास के साथ सामाजिक जीवन का भी प्रभाव परिलक्षित होता है जो भारतीय इतिहास की दृष्टि से कम महत्त्व-पूर्ण नहीं है। अतः उत्तराध्ययन को केवल शुष्क धर्म और दर्शन का ही प्रतिपादक ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। इसमें निहित संकेतों के आधार से तत्कालीन सामाजिक चित्रण संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रदिश्त किया जा सकता है।

### वर्णाभ्रम-व्यवस्था

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन में वर्ण और आश्रम-व्यवस्था का विशेष महत्त्व था। जो जिस जाति या वर्ण में पैदा होता था वह उसी जाति व वर्णवाला कहलाता था। वर्ण और जाति पर आधारित समाज सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के चार आश्रमों में विभक्त था। इस तरह सम्पूर्ण समाज और संस्कृति वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर निर्भर थी।

## जाति व वर्ण-व्यवस्थाः

उस समय आर्थ और अनार्य के भेद से दो प्रमुख जातियां और बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा णूद्र के भेद से चार वर्ण थे। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्य विजेता तथा गौरवर्ण के ये परन्तु अनार्य

उनके अधीन तथा कृष्णवर्ण के थे। इस तरह इनमें शारीरिक रूप का भेद था। उत्तराध्ययन में भी ब्राह्मणों की कूछ इसी प्रकार की धारणा का संकेत मिलता है। अतः हरिकेशिबल मुनि को कुरूप देखकर वे उनका निरादर करते हैं। इस प्रकार की धारणा के विरोध में ग्रन्थ में सदाचारी को आर्य और सदाचार से हीन को अनार्य मानकर जैनधर्म को आर्यधर्म तथा हिसादि में प्रवृत्त ब्राह्मणों को भी अनार्य कहा गया है। इसी प्रकार ब्राह्मणों के जातिमद के विरोध में कर्मणा जातिवाद की स्थापना करते हुए कहा गया है-'कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से ही जीव शूद्र होता है। केवल सिर मुड़ाने से श्रमण, ओंकार का जाप करने से ब्राह्मण, जंगल में रहने से मुनि और कूक्त-चीवर धारण करने से तपस्वी नहीं होता है अपितु समता से श्रमण, ब्रह्मचयं से बाह्मण, ज्ञान से मृनि तथा तप करने से तपस्वी होता है।'* इस तरह जन्मना जातिवाद व वर्णवाद के आधार पर हए सामा-जिक संगठन के विरोध में तथा कर्मणा जातिवाद व वर्णवाद के प्रचार में जैन तथा बौद्ध " धर्मानुयायियों का मुख्य उद्देश्य रहा है ।

२. कयरे आगच्छइ दित्तरूवे काले विकराले फोवकनासे ।

—उ० १२.**६.** 

स्त्रोमचेलया पंसुपिसायभूया गच्छानखलाहि किमिहं ठिओ सि । —उ०१२.७.

३. उवहसंति अणारिया ।

<del>---</del>उ० १२.४.

रमइ अञ्जवयणस्मि तं वयं बूम माहणं।
—उ० २५ २०.

चारित्ता धम्ममारियं ।

—उ० १८,२४,

४. न दीसई जाइविसेस कोई।

—उ**० १२.**३७.

तथा देखिए-पृ० २४६, पा० टि० ३; पृ० २३८, पा० टि० ३.

 प्. सुत्तनिपात १.७.३.६; मजूमदार—कोरपोरेट लाइफ इन ऐंक्रियेन्ट इण्डिया, पृ० ३४४-६६३.

१. जै० भा० स०, पू० २२१.

उत्तरांध्ययन में ब्राह्मण आदि चारों वर्णों व कुछ प्रमुख जातियों की स्थिति का चित्रण इस प्रकार मिलता है:

बाह्यण-सामान्यरूप से जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों में ब्राह्मण को क्षित्रिय की अपेक्षा हीन वतलाया गया है। संभवतः इसीलिए सभी जैन तीर्थङ्करों को क्षित्रिय कुल में उत्पन्न बतलाया गया है। भगवान् महाबीर जो कि पहले ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए थे बाद में इन्द्र ने उन्हें क्षित्रियाणी त्रिशला के गर्भ में परिवर्तित कर दिया। परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में ब्राह्मण को कहीं भी क्षित्रिय से निम्न श्रेणी का नहीं बतलाया गया है अपितु सर्वत्र ब्राह्मणों के प्रभुत्व को ही स्वीकार किया गया है। इसीलिए ग्रन्थ में ब्राह्मण को सदाचार-परायण, वेदविद् ज्योतिषाङ्गविद्, स्व-पर का कल्याणकर्त्ता तथा पुण्यक्षेत्रों कहा गया है। यहाँ इतना विशेष है कि ग्रन्थ में सच्चे ब्राह्मण का लक्षण बतलाते हुए जैन साधु के सामान्य सदाचार को ही प्रकट किया गया है। जैसे: 3

'जो पापरहित होने से संसार में अग्नि की तरह पूजनीय, श्रेष्ठ पुरुषों (कुशंलों ) द्वारा प्रशंसित, स्वजनों में आसक्ति से रहित, प्रवज्या लेकर शोकन करने वाला, आर्यवचनों में रमण करने

<del>---</del>उ० २४.७-८.

जे माहणा जाइ विज्जीववेषा ताई तु खेत्ताई सुपेसलाई।

**-** उ० १२.१३.

तया देखिए--उ∙ १२.१४-१५; २५.३५,३८.

जिल्ला पुब्बसंजोगं नाइसंगे य बंधवे ।
 जो न सज्जइ भोगेसु तं वर्य बूम माहणं ।।

—**ड० २**४.२६.

तथा देखिए--उ० २४.१६-२८,३४.

१, जै० भाव सव, पृव २२४,

२. जे य वेयविक विष्या जल्ला य जे दिया । जोडसंगविक जे य जे य धम्माण पारमा ।। जे समस्था समुद्धतुं परमप्पाणमेव य । तेसि अन्नमिण देयं भो मिक्ख सक्वकामियं ॥

वाला, कालिमा से रहित स्वर्णं की तरह राग-द्वेष व भय आदि दोषों से रहित, तपस्वी, कृश, दिमतेन्द्रिय, सदाचारी, निर्वाणाभिमुख, मन-वचन काय से त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा से रहित, क्रोधादि के वशीभूत होकर मिथ्या वचन न बोलने वाला, सचित्त अथवा अचित्त वस्तु को थोड़ी अथवा अधिक मात्रा में बिना दिए ग्रहण न करने वाला, मन-वचन-काय से किसी भी प्रकार के मैथुन का सेवन न करने वाला, जल में उत्पन्न होकर भी जल से भिन्न कमल की तरह कामभोगों (धनादि के परिग्रह ) में अलिप्त, लोलुपता से रहित, मुधाजीवी (भिक्षाञ्च जीवी), अनगार, अकिंचन वृत्तिवाला, गृहस्थों में असंसक्त, सब प्रकार के सयोगों (माता-पिता आदि के सम्बन्धों) से रहित तथा सब प्रकार के कमों से मुक्त (जीवन्मुक्त) है वह ब्राह्मण है।

इस तरह सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप बतलाते हुए जैन साधु के सामान्य सदाचार को प्रकट किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उस समय ब्राह्मणों का प्रभुत्व था तथा वे जनता में पूज्य भी थे परन्तु वे अपने कर्त्तव्य से पतित हो रहे थे। इसीलिए सदाचार-परायण व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है। ग्रन्थ में ब्राह्मण के लिए 'माहण' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है-'मत मारो'।' ब्राह्मण के पास जो भी धन होता था वह राजा आदि के द्वारा दान-दक्षिणा में दिया गया होता था। अतः उसके धन को ग्रहण करना वमन किए हुए पदार्थ को ग्रहण करने के तुल्य था। वह त्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का उच्चकुलों में समावेश था। अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले इषुकार देशवासी छः जीवों को उच्चकुलोत्पन्न कहा गया है। विसराजिष के दीक्षित होने पर

तथा देखिए-उ० ६.३५.

१. वही।

२. वंतासी पुरिसो रायं न सो होइ पसंसिओ। महणेण परिच्यतं घणं आयाउनिच्छिस ।। —उ०१४.३८.

३. सकम्मसेसेण पुराक्तएणं कुलेसुदग्गेसु य ते पसूया।
---उ० १४.२.
तथा देखिए---उ० १४.३.

विशाल जनसमुदाय निराश्चित होकर रोता है तया इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेता है। इससे भी ब्राह्मण व क्षत्रिय जाति की श्रेष्टना का पता चलता है। यद्यपि यज्ञादि धार्मिक कार्यों का सम्पादन श्रेष्ट ब्राह्मणों के द्वारा ही होता था परन्तु कुछ ब्राह्मण अपने कर्त्तव्य को भूलकर तथा जाति का धमण्ड करके हिंसादि में प्रवृत्ति करते थे। ऐसे ब्राह्मणों को ही अनार्य ब्राह्मण कहा गया है। ये अपने को उच्च तथा अन्य को निम्न समझते थे। इसके अतिरिक्त ये यज्ञों में पशुहिसा का प्रतिपादन करते थे तथा जैन श्रमणों का यज्ञ-मण्डप में आने पर तिरस्कार करते थे। ऐसे अनार्य ब्राह्मणों को ग्रन्थ में वेदपाठी होने पर भी सम्यक् अथं से हीन होने के कारण वेदवाणी का भारवाहक कहा गया है। 3

क्षत्रिय – देश पर शासन करनेवाले क्षत्रिय ही होते थे। ग्रन्थ में ऐसे कितने ही क्षत्रिय राजा और राजकुमारों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने संसार के बैभव को त्यागकर तथा श्रमणदीक्षा लेकर मुक्ति कों प्राप्त किया। इंट्र-निम संवाद में जैन साधु की कर्म-शत्रुओं पर विजय का वर्णन करते हुए रूपक द्वारा क्षत्रिय की युद्ध-विजय का भी प्रतिपादन किया गया है। इससे क्षत्रियों के प्रमुद्ध का तथा उनकी युद्धकला का पता चलता है। यहां बतलाया गया है कि एक क्षत्रिय राजा साधु वनकर किस प्रकार कर्मशत्रुओं

—उ० **६.**६.

तथा देखिए-इन्द्र-निसंवाद,

के इत्य खत्ता उवजोध्या वा अज्झावया वा सह खंडिएहिं।
 एयं खु दंडेण फलएण हंता कंठिम्म घेतृण खलेज्ज जो णं।।

**—**उ० १२.१ द.

तथा देखिए--पृ० ३६२, पा० टि० २-३; ७० १२.१६.

- तुब्मेत्य मो भारघरा गिराणं अट्ठं न जाणेह अहिज्ज वेए ।

   न उ० १२.१५.
- ४. देखिए--परिशिष्ट २.

१. सक्को माहणरूवेणं इसं वयणपञ्जवी ।

से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो ? जैसे : इस आध्यात्मिक संग्राम में श्रद्धा नगर है, तप-संवर अगंला है, शान्ति प्राकार (कोट) है, तीन गुप्तियाँ शतघ्नी ( शस्त्र ) हैं, संयम में उद्योग घनूष है, ईया समिति प्रत्यञ्चा है, धेर्य केतन है, सत्य धनुष पर बाँधने की डोरी है, तप बाण है, श्रुतज्ञान की घारा कवच है, अवशीकृत आत्मा सबसे बड़ा शत्रु है, पाँच इन्द्रियों के विषयों के साथ क्रोधादि कषाय तथा नोक-षाय आदि शत्रुकी सेनाएँ हैं। इन पर विजय प्राप्त करना सुभट योद्धाओं की विजय से भी कठिन है। वशीकृत आत्मा के द्वारा इन्हें जीता जाता है। इसमें क्षमा, मृदुता, ऋजुता, निर्लोभता तथा संयम से क्रमणः क्रोध, मान, माया, लोभ तथा इन्द्रियों के विषयों को जीता जाता है। इस तरह वशीकृत आत्मा के द्वारा अवशीकत आत्मा पर विजय प्राप्त करना है। इसका फल कर्मग्रन्थि का भेदन करके परमसुख की प्राप्ति है। इस विजय के विषय में इन्द्र भी आण्चर्यं प्रकट करता है । अतः यही सच्ची और सबसे बड़ी विजय है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि क्षत्रिय का मुख्य कार्य युद्ध करनाएवं प्रजाकी रक्षाकरनाथा।

वंश्य - ये प्रायः प्रचुर धन-सम्पत्ति के स्वामी होते थे तथा देश-विदेश में व्यापार किया करते थे। व्यापार करने के कारण इन्हें 'वणिक्' कहा जाता था। पालित वणिक् नाव द्वारा समुद्र के पार पिहुण्ड नगर को व्यापार करने जाता है और वहाँ पर किसी विणिक्

—उ• १.**१**५.

एगप्पा अजिए सत्तू कसाया इंदियाणि य ॥

--- उ० २३.३५.

तया देखिए---उ॰ ६.२०-२२, ३४-३६, ४६-४=; २३.३६; १.१६; २६.१७, ४६-४६, ६२-७०; पृ॰ २६२, पा० टि० २; पृ० २८६, पा० टि० ४.

२. चंपाए पालिए नाम ""सावए आसि वाणिए।

**-30 ₹१.१.** 

अप्पा चेव दमेयव्यो अप्पा हु खलु दुइमो ।। अप्पादंतो सुही होइ अस्सि लोए परस्य य ।।

द्वारा रूपवती कत्या के देने पर उसे लेकर अपने देश आ जाता है। ये ७२ कलाओं का तथा नीतिशास्त्र आदि का भी अध्ययन करते थे। या प्रत्ये में विणक् को 'श्रावक' भी कहा गया है। इससे उनके जैन गृहस्य होने का प्रमाण मिलता है। कुछ विणक् जैन दीक्षा भी ले लेते थे। इस तरह इनका मुख्य कार्य व्यापार करना था तथा धनादि से सम्पन्न होने के कारण ये 'श्रेष्ठि' कहलाते थे। ग्रन्थ में 'बहुश्रुत' की प्रशंसा में नाना प्रकार के धन-धान्यादि से परिपूर्ण सामाजिकों (धान्यपति) के सुरक्षित कोष्ठागार की उपमा दी गई है। इससे प्रतीत होता है कि ये लोग धनादि से सम्पन्न तो होते ही थे साथ ही समाज में विशिष्ट स्थान रखने से 'सामाजिक' भी कहलाते थे। अनाथी मुनि के पिता का नाम अत्यधिक धनसंचय करने के कारण 'प्रभूतधनसंचय' पड़ा था। ये अंगनाओं के साथ देवों के तुल्य सुखीं का भोग भी किया करते थे।

शूद्र—इनकी स्थिति बहुत ही सोचनीय थी। इनके साथ दासों की तरह व्यवहार किया जाता था। ये निम्न श्रेणी के कार्य किया करते

```
१. पोएण बबहरते पिहुंड नगरमागए।
```

तं ससत्तं पद्गिज्ञः सदेसमह परियओ ।।

—उ० २**१**.२-३.

तथा देखिए-उ॰ ३५.१४.

२. बावत्तरीकलाओ य सिविखए नीइकोदिए।

**—उ॰ २१.६.** 

- ३. देखिए--पृ० ३६६, पा० टि० २.
- ४. देखिए—परिशिष्ट **२.** 
  - प्रतिक्षिए ।
     नाणाधन्नपडिपुण्णे एवं हवइ बहुस्सुए ।।
     —उ० ११.२६.
  - ६. कीसंबी नाम नयरी'''' पभूयधणसंचओ । -ख २०.१८,
  - तस्स रूववई भज्जं पिया आणेइ रूविणीं।
     पासाए कीलए रम्मे देवो दोगुंदगो जहा।।
     ---उ० २१.७.

थे और इनका सर्वत्र निरादर ही होता था। कुछ शूद्र अपने गुणों के कारण उच्चपद को भी प्राप्त कर लेते थे। जैसे: चाण्डाल (श्वपाक) जाति में उत्पन्न हरिकेशियल ने जैनदीक्षा प्रहण करके ऋद्धि आदि को प्राप्त किया था। पूर्वभव में चाण्डाल कुलोत्पन्न चित्ता और संभूत ने तपस्या करके देवलोक को प्राप्त किया था। इहिरकेशियल आदि कुछ शूद्र कुलोत्पन्न चाण्डाल भी तप के प्रभाव से अपना प्रभुद्व जमा लेते थे। परन्तु ऐसे लोग बहुत ही कम होते थे और इनका समादर प्राय: सवंत्र नहीं होता था।

विभिन्न जातियां एवं गोत्रादि उपर्युक्त वर्ण-जातियों के अतिरिक्त उस समय अपने-अपने कार्यों के अनुसार अन्य अनेक उपजातियाँ भी थीं। जैसे: सारिथ (रथ चलाने वाले), कोहकार (लुहार), बढ़ई (लकड़ी तरासने वाले), गोपाल (गायों को पालने वाले), भण्डपाल (कोषाध्यक्ष), भारवाहक (बोझा ढोने वाले),

 तीसे य जाईइ उ पावियाए वुच्छासु सोवागिविसणेसु । सञ्चस्स लोगस्स दुगंछणिज्जा......

—उ० १३.१६**.** 

तथा देखिए--उ० १३.१८.

- २. सोवागकुलसंभूओ गुणुत्तस्वरी मुणी। —३०१२.१.
- ३. उ० १३.६-७.
- ४. अह सारही विचितेद ।

— उ० २७.१**४.** 

तथा देखिए—उ० २२.१४,१७.

- ५. कुमारेहि अयं पिव । ताडिओ कुटिट्ओ'''।
  - —उ० १**६.६**६.
- ६. बहुईहि दुमो विव ।

-30 8 €. E.

- ७. गोवालो भंडवालो वा जहा तह्व्वणिस्सरो । --- उ० २२.४६.
- **द्ध,** वही।
- ६. अबले जह भारवाहए।

**--**उ० १०.३३.

तथा देखिए-- उ० २६.१२.

चिकित्साचार्य (रोगों का इलाज करने वाले), नाविक (नाव चलाने वालें) सवार (घोड़े की सवारी करने वाले), कुछंक (खेती करनेवाले) तथा नाना प्रकार के शिल्पी आदि। कुछ वर्णसंकर जातियां भी थीं। वर्णसंकर जातियों में बुक्कुस और श्वपाक जातियों का उल्लेख मिलता है।

इन जातियों के अतिरिक्त गोत्रों में काश्यप, गोतम, गग तथा विसष्ठ गोत्र का; कलों में अगन्धन, भोग, गन्धन तथा प्रान्त-कुलों (सामान्य गरीबों के कुल—निम्न कुल) का और वंशों में इक्ष्वाकु तथा यादववंश का उल्लेख मिलता है।

इस तरह उस समय सामाजिक संगठन वर्ण, जाति, गोत्र, कुल और वंश के आधार से कई भागों में विभक्त था।

#### आश्रम-व्यवस्थाः

वर्ण और जाति पर आधारित समाज में सांस्कृतिक संगठन की दृष्टि से आश्रम-व्यवस्था भी थी। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के विकासक्रम के अनुसार इन्हें चार भागों में विभक्त किया गया

**~** ड० **२०**.२२.

२. जीवो बुच्चइ नाविओ।

—उ० २३.७३**.** 

रै ह्यं भद्दं व वाहए।

--30 9.₹o.

४. यतेसु बीयाइ ववति कासगा।

<del>--</del> उ०**१**२.१२.

५. माहणभोइय विविहा य सिप्पिणो ।

—उ० १५.६.

- ६. देखिए-पृ० ३६८, पार्वाट० २; उ० ३.४; जै०मावसव, पृव २२३.
- ७. उ० अध्ययन २६ प्रारम्भिक गद्य; १८.२२; २२.५; २७.१; १४.२६.
- 4. 30 ??. ¥¥, ¥¥; **१**५. £, १३.
- ६. उ० १८.३६; २२.२७.५

१. विज्जामंतितिगिच्छगा।

था। जैसे : १. ब्रह्मचर्याश्रम, २. गृहस्थाश्रम, ३. वानप्रस्थाश्रम तथा ४. संन्यासाश्रम ।

- १. ब्रह्मचर्याश्रम यह जीवन की प्रारम्भिक अवस्था थी और यह अवस्था गार्हस्थजीवन में प्रवेश करने के पूर्व तक रहती थी। इसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य वत का पालन करते हुए मुख्यरूप से विद्या-ध्ययन करता था।
- २ गृहस्थाश्रम जब व्यक्ति विद्याध्ययन कर चुकता था तो वह ब्रह्मचर्याश्रम को छोड़कर गार्हस्थाजीवन में प्रवेश करता था। ग्रन्थ में गृहस्थाश्रमी को 'घोराश्रमी' कहा गया है १ क्योंकि इस आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को चारों आश्रम वाले व्यक्तियों का भरण-पोषण आदि करना पड़ता था। इस तरह इस आश्रमस्थ व्यक्ति के ऊपर चारों आश्रमवाले व्यक्तियों का भार होने से यह बहुत कठिन था। इसका ठीक से पालन करना क्षत्रियों का ही काम था। इसीलिए जब निम राजिष गृहस्थाश्रम को छोड़कर सन्यासाश्रम में प्रवेश लेने के लिए तत्पर होते हैं तो ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र गृहस्थाश्रम को कठोरता आदि का कथन करता हुआ इस गृहस्थाश्रम को न छोड़ने के लिए कहता है।
- ३. वानप्रस्थाश्रम—गृहस्थाश्रम के बाद व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता था। इसमें वह मुख्यरूप से सन्यासाश्रम में प्रवेश का अभ्यास करता था।
- ४. संन्यासाश्रम—इसमें व्यक्ति गाईस्थजीवन से पूर्ण मुक्त होकर साधु बन जाता था और तपादि की साधना करता था।

इस तरह उस समय की सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था वर्णाश्रम-व्यवस्था पर निर्भर थी तथा प्रत्येक वर्ण और आश्रम वाले व्यक्तियों के कार्य भिन्न-भिन्न थे।

## यारिवारिक जीवन

उस समय समाज वर्णाश्रम के अतिरिक्त अनेक परिवारों (कुटुम्बों) में विभक्त था। ये परिवार छोटे-बड़े सभी प्रकार के

१. देखिए--पृ० २३५, पा० टि० ३.

होते थै। सामान्यरूप से एक परिवार में माता-पिता, पुत्र एवं पुत्रवधुएँ रहा करती थीं। किसी-किसी परिवार में अन्य सम्बन्धी जन भी रहा करते थे। इन सभी परिवारों में मुख्यरूप से पुरुष शासक होता था और नारी शासित। परिवार के कुछ प्रमुख सदस्यों की स्थित इस प्रकार थी:

## माता-पिता व पुत्र :

परिवार में माता-पिता का स्थान सर्वोपरि होता था। अतः दीक्षा लेते समय साधक को माता-पिता से आज्ञा लेनी आवश्यक होती थी। पिता सबका पालन-पोषण करता था। वृद्धावस्था के आने पर वह अपना भार पुत्र को सौंप देता था। अपने पुत्र की रक्षा के लिए वह सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहता था।° माता के लिए भी पुत्र अत्यन्त प्रिय होता था। 3 अतः जब पूत्र दीक्षा लेने लगताथा तो माता-पिता बहुत दुः बी होते थे। ऐसे समय कभी-कभी पुत्र के साथ माता-पिता भी दीक्षा ले लेते थे। उनकी दृष्टि में पुत्र से ही घर की शोभाथी। भुगू पुरोहित के जब दोनों पुत्र दीक्षा लेने लगते हैं तो प्रथम वह उन्हें सांसारिक भोगों के प्रति प्रलोभित करता है परन्तु जब वे उसके प्रलोभन में नहीं आते हैं तो भृगु पुरोहित कहता है—'जिस प्रकार वृक्ष अपनी शाखाओं से शोभा को प्राप्त करता है और शाखाओं के कट जाने पर शोभाहीन स्थाण मात्र रह जाता है उसी प्रकार माता-पिता अपने पुत्रों से सुशोभित होते हैं और पुत्रों के अभाव में निस्सहाय हो जाते हैं। इसी तरह जैसे पक्ष (पंख) से विहीन पक्षी, युद्ध स्थल में सेना (भृत्य) से विहीन राजा, पोत ( जहाज-जिस पर माल लदा है ) के जल में डुबने से धनरहित वैश्य निस्सहाय हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी पुत्र

१. माया विया ण्हुसा माया भन्ना पुत्ता य ओरसा ।

**^{-30 €.3.}** 

२. विया मे सञ्बसारंपि दिज्जाहि मम कारणा।

**⁻**30 ₹0.28,

३. माया वि मे """पुत्तसोगदुहद्विया ।

[—]उ० २०.२५.

#### ४०२ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशोलन

से विहीन निस्सहाय हूँ। अतः मेरा गृह में रहना उचित नहीं है।' इसी प्रकार माता जब पुत्र व पित को दीक्षित होते देखती थी तो कभी-कभी वह स्वयं भी उनका अनुसरण करती थी क्योंकि स्त्री के लिए घर की शोभा पित और पुत्र से ही थी।'

## भाई-बन्धु :

प्रायः भाई-बन्धुओं में चिरस्थायी प्रेम होता था। चित्त और संभूत नाम के दो भाई पाँच जन्मों तक साथ-साथ पैदा होने के बाद छठे भव में अपने-अपने कर्मों के विपाक से पृथक्-पृथक् जन्म लेते हैं। उनमें से जब एक भाई को 'जाति-स्मरण' (पूर्व-जन्म का ज्ञान) से अपने पूर्वभव का ज्ञान होता है तो वह अपने दूसरे भाई की खोज के लिए प्रयत्न करता है तथा उसे भी अपने हो समान उच्च वभव से युक्त करना चाहता है। जयघोष मुनि अपने भाई विजयघोष के कल्याण के लिए उसे सदुपदेश देकर सन्मार्ग में स्थित करता है। इषुकार देश के छः जीव भी इसी प्रकार पूर्व-जन्म से सम्बन्धित रहते हैं।

#### नारी:

नारी अपने कई रूपों में हमारे सामने आती है। जैसे : माता, पत्नी, बहिन, वधू, पुत्री, पुत्रवधू, वेश्या आदि । ग्रन्थों में नारी की

- १. पहीणपुत्तस्स हु नित्य वासी वासिट्ठि भिक्खायित्याइ कालो । साहाहि रूक्सो लहइ समाहि छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ।। पंखाविहूणो व्व जहेह पक्सी भिच्चाविहूणो व्व रणे निर्देशे । विविन्नसारो विणिओ व्व पोए पहीणपुत्तोमि तहा अहंपि ।।
  —उ० १४.२६-३०.
- २. पर्लेति पुत्ता य पई य मज्झं ते हं कहं नाणुगिमस्समेक्का। ---उ० १४.३६.
- ३. बासिमो भायरा दोवि बन्नमन्नवसाणुगा।
  —उ० १३.३.
  सया देखिएं—परिशिष्ट २.
- ¥. उ॰ अध्ययन २५.
- ५. उ० अध्ययन १४.

इन सभी अवस्थाओं में दो रूप देखने को मिलते हैं: १. पितत रूप तथा २. आदर्श रूप। दोनों अवस्थाओं में नारी प्रायः पुरुषा-घीन रही है।

पतित रूप-संयम से पतित करने में प्रधान कारण होने से ब्रह्मचयं महावृत के प्रसंग में साधु को स्त्रियों के सम्पर्क से सदा दूर रहने को कहा गया है। इसी उद्देश्य से वहां स्त्रियों को राक्षसी, पंकभत, उरस्थल में दो मांस के लोयड़े घारण करनेवाली तथा अनेक चित्तवाली कहा गया है। ये पहले अपने हाव-भाव द्वारा पुरुषों को आकर्षित करती थीं और बाद में दासों की तरह व्यवहार करती थीं। पति के मर जाने पर कोई-कोई नारी अन्य दातार के माथ भी बली जाती थी। टीकाओं में तथा अन्य जैन आगम-ग्रन्थों में नारी के इस पतित रूप का काफी वर्णन मिलता है। नारी का यह पतित रूप पुरुषों की सामान्य मनोवृत्ति का परिणाम है। यद्यपि नारी पुरुषाधीन थी तथापि अपने हाव-भावों के द्वारा पुरुषों को आकर्षित करने की शक्ति उसमें अधिक थी। अत: ये स्त्रियाँ अपने कृजित, रुदित, गीत, हास्य, स्तनित, क्रन्दित, विलाप आदि से युक्त वचनों के द्वारा पुरुषों को आकर्षित किया करती थीं । स्त्रियों को प्राय: अलंकार प्रिय था । साधु इनमें आसवत न हों इसीलिए स्त्रियों के इस पतित रूप को चित्रित किया गया है। ब्रह्मचयं व्रत को सब वर्तों में दुष्कर बतलाने से स्पष्ट है कि उस समय पुरुषों की आसक्ति स्त्रियों में अधिक थी और उनमें आसक्त होकर वे अपना विवेक खो देते थे।

आदर्श रूप-इस प्रकार की नारियाँ बहुत कम थीं। पातित्रत्य इनका प्रमुख धर्म था। गृहस्थावस्था में अनाथी मुनि को जब असहा चक्षवेदना होती है तो उनकी पत्नी अत्यन्त स्नेह के कारण अपने पति की जाग्रत एवं मूर्चिछतावस्था में भी शरीर की

१. तओ तेणऽज्जिए दब्वे दारे य परिरिक्खए ।
 कीलंतिऽन्ते नरा रायं हटुतुटुमलंकिया ।।
 —उ० १८.१६.

२. जै० भा० स०, पृ० २४४-२४०.

स्थिति के लिए न तो अन्न-पानादि का सेवन करती है और न स्नान, विलेपन, मालाधारण आदि के द्वारा शरीर का शृङ्कार ही करती है अपित क्षणभर के लिए भी पति से दूर न होती हुई निरन्तर रोती रहती है। कभी-कभी ऐसी पतिवता पत्नियाँ सद्पदेश के द्वारा अपने पति को तथा अन्य जनों को भी सन्मार्ग में प्रवृत्त कराती थीं। ऐसी पतिव्रता पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता था। पति के अभाव में उसका जीवन दूभर (बड़ाकब्टमय) हो जाता था। राजीमती का उदात्त चरित्र इसका एक ज्वलन्त दृष्टान्त है। विवाह की मंगलवेला में राजीमती जब यह सुनती है कि उसके होनेवाले पित अरिष्टनेमी दीक्षा ले रहे हैं तो उसके मुख की हंसी व कान्ति तिरोभृत हो जाती है। राजकन्या राजीमती में स्त्र्युचित सभी अच्छे गुण वर्तमान थे। यदि वह चाहती तो किसी भी मनपसन्द अच्छे राजकूमार से शादी कर सकती थी परन्तु एक बार अरिष्टनेमी को पिता की प्रेरणा से मन में पतिरूप से चून लेने पर दूसरे राज-कुमार से शादी नहीं करती है और बाल-ब्रह्मचारिणी होकर पति के मार्ग का अनुसरण करती हुई सुगन्धित बालों को उखाड़कर दीक्षा ले लेती है। स्वयं दीक्षा लेने के बाद वह अन्य स्त्री-समाजको भी श्रमण-धर्म में दीक्षित करती है। एक बार जब राजीमती रैवतक पर्वत पर जा रही थी तो वर्षा से वस्त्र के भीग जाने पर वह समीपस्थ अन्ध-कारपूर्ण गुफा में वस्त्रों को उतारकर सुखाने लगती है। इसी समय

१. भारिया मे महाराय ! अणुरता अणुव्वया।

अन्तं पाणं च ण्हाणं च गंचमाल्लिवलेवणं । मए नायमनायं वा सा बाला नेव भुंजई ।।

—उ० २०.२६-२**६**.

तथा देखिए-उ० २५.३०.

सोऊण रायकाना पव्यक्तं सा जिणस्स उ।
णीहासा उ निराणंदा सोगेण उ समुन्धिया।।
राईमई विश्वितेई घिगत्यु मम जीवियं।
जाऽहं तेणं परिच्चत्ता सेयं पव्यक्तं मम।।
—उ० २२.२६-३०.

पहले से वहाँ वर्तमान अरिष्टनेमी का भाई रथनेमी उसे नग्नरूप में देखकर काम-विद्वल हो जाता है और उससे काम-भोग भोगने की प्रायंना करता है। जब राजीमती वहाँ पर-पुरुष को देखती है तो तुरन्त ही काँपती हुई अपने गोपनीय अंगों को छुपा लेती है और मौका पाकर वस्त्र से अपने शरीर को आच्छादित कर लेती है। तदनन्तर अपने कुल, शील आदि की रक्षा करती हुई रथनेमी को भी कुलोचित सदुपदेश के द्वारा सन्मागं में लाती है। इस तरह वह स्वयं को तथा रथनेमी को भी पतित होने से बचाती है। राजीमती की ही तरह इषुकार देश के राजा विशालकीर्ति की पत्नी कमलावती भी राजा को सदुपदेश द्वारा सन्मागं की ओर ले जाती है।

इस तरह सिद्ध है कि उस समय नारियों न केवल पतिव्रता ही थीं अपितुं पुरुषों को भी सदुपदेश द्वारा सन्मार्ग में लाती थीं और स्वयं दीक्षा लेकर अन्य स्वियों को भी दीक्षित करती थीं। ये शास्त्रों का भी अध्ययन किया करती थीं। यतः राजीमती को 'बहुश्रुता' कहा गया है। ये स्नान, मालाधारण, विलेपन आदि के द्वारा शरीर का श्रुंगार करती थीं। कूर्च और फनक (ब्रुश या कंघी) से केशों का संस्कार करती थीं। इस तरह नारी की

सा पञ्चईया संती पञ्चावेसी तहि बहुं।
 सयणं परियणं चेव सीलवंता बहुस्सुआ।

<del>--</del>ड० २२.२३.

तथा देखिए-परिशिष्ट २.

- ४. वही ।
- ४. देखिए-पृ० ४०४, पा० टि० १.
- ६. अह सा भगरसंनिभे कुच्चफणगप्पसाहिए।

-- उ॰ २२, ३०.

अ. तस्स राईमई कन्नं भज्जं जायइ केसवो ।
 —च० २२.६.

१. वही; परिभिष्ट २.

२. वही ।

## ४०६ ] उत्तराध्ययन-सूत्रः एक परिशीलन

यद्यपि आदर्श एवं स्वतन्त्र स्थिति भी थी परन्तु सामान्यतौर से वह पुरुषाधीन होकर पुरुष की सम्पत्ति मानी जाती थी।

## रीति-रिवाज एवं प्रथार

ग्रन्थ में कुछ सांस्कृतिक तथा कुछ सामाजिक रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं का उल्लेख मिलता है जिनसे तत्कालीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में कुछ जानकारी उपलब्ध होती है। कुछ प्रमुख रीति-रिवाज एवं प्रथाएँ इस प्रकार हैं:

#### यज्ञ :

धार्मिक-क्रियाओं में वैदिक-यज्ञों का काफी प्रचलन था। ये यज्ञ दो प्रकार के होते थे: १. पणु-हिंसा वाले और २. पणु-हिंसा से रहित। इनमें से जो बड़े यज्ञ हुआ करते थे वे बहुत खर्चीले पड़ते थे। इन यज्ञों का सम्पादन वेदिवद् ब्राह्मण किया करते थे परन्तु इनका खर्च यजमान (यज्ञ कराने वाला) वहन किया करता था। यज्ञ की समाप्ति होने पर ब्राह्मण आदि को यज्ञात्र बाँटा जाता था। अतः निम राजिष से इन्द्र कहना है कि विस्तृत यज्ञ करके तथा श्रमण-ब्राह्मणों को भोजन कराकर दीक्षा लेवें।

यमयज्ञ या भावयज्ञ — अज्ञानमूलक पशु-हिंसाप्रधान यज्ञों की ओर से लोगों की चित्तवृत्ति को मोड़ने के लिए ग्रन्थ में यज्ञ की भावात्मक (आध्यात्मिक—अहिंसाप्रधान) व्याख्या की गई है

· · - उ० १४.१६.

तथा देखिए—उ० १६.१७ आदि ।

२. वियरिज्जई खज्जइ भुज्जई अन्नं पभूयं भवयाणभेयं ।

<del>-</del>उ० १२.१०.

- ३. वही; उ० १२.११;२५.७-५.
- ४. जइता विउने जन्ने भीइता समणमाहणे । दत्ता भोच्या य जिट्ठा य तथो गच्छिस खत्तिया ॥

—उ० **६.३**५.

१. घण पभूषं सह इत्यियाहि।

जिसे प्रनथ में 'यमयज्ञ' के नाम से कहा गया है। 'यम' मृत्यु का देवता माना जाता है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस मृत्युरूपी यम देवता के द्वारा प्रसित न होता हो। अतः जिस यज्ञ में मृत्यु को जीता जाए या मृत्यु का हवन किया जाए उसे 'यमयज्ञ' कहते हैं। जब ब्राह्मण लोग जैन मृति हरिकेशिबल तथा जयघोष से कर्मविनाशक यज्ञ की प्रक्रिया पूछते हैं तो वे दोनों इसी यमयज्ञ की प्रक्रिया को बतलाते हैं तथा इसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या के स्पष्टीकरण के लिए यज्ञीय अध्ययन से एक प्रसंग उद्घृत किया जा रहा है: अ

जयघोष नामक एक जैन मुनि विहार करते हुए अपने भाई विजयघोष ब्राह्मण के यक्षमण्डप में पहुँचते हैं और वहाँ ब्राह्मण याजकों से यज्ञान की याचना करते हैं। यह मुनकर जब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस यज्ञान को सिर्फ वेदिवद, यज्ञकर्ता, ज्योतिषाङ्गविद, धर्मशास्त्रज्ञाता तथा स्व-परकल्याणकर्त्ता ब्राह्मण ही प्राप्त कर सकता है तो मुनि इसके जबाब में कहते हैं कि आप लोग वेदादि के मुख को ही नहीं जानते हैं। यह मुनकर जब ब्राह्मण पूछते हैं कि वेदादि के मुख को कौन जानता है और वेदादि के मुख क्या जैनदृष्टि से समन्वित व गम्भीर अर्थ से युक्त द्वर्घर्थक भाषा में इस प्रकार उत्तर देते हैं:

वेदों का मुख-अग्निहोत्र वेदों का मुख है अर्थात् जिस वेद में अग्निहोत्र का प्रधानता से वर्णन हो वही वेद वेदों का मुख है। वेदों

**-30** 5x.8.

सुसंबुडा पंचहि संबरेहि '''ंमहाजयं जयइ जन्नसिट्ठं। —उ० १२.४२.

२. वही ।

प्रन्य में तीन जगह इस यज्ञ का वर्णन निलता है: १. इन्द्रनिम-संवाद (६वाँ अघ्ययन) में, २. हरिकेशिबल मुनि और ब्राह्मणों के संवाद (१२वाँ अघ्ययन) में तथा ३. जयघोष मुनि और ब्राह्मणों के संवाद (२५ वाँ अध्ययन) में।

₹. उ० २४.१-१*५.* 

१. जायाइ जमजन्नस्मि जयघोसि ति नामओ।

में इसी अग्निहोत्र की प्रधानता होने से अग्नि के संस्कार को यज्ञ कहा जाता है। वैदिक, दैविक और भौतिक अग्नि में वैदिक अग्नि 'यजु' कहलाती है। इस तरह वेदानुसार अर्थ संगत हो जाता है। परन्तु मुनि को यहाँ पर तपरूप अग्नि अभिन्नेत है जिस तपाग्नि से कर्मरूपी महावन ध्वस्त किया जा सके। यज्ञों का मुख - जिससे कमों काक्षय हो वह यज्ञों का मुख है। यह भावयज्ञ कर्मों काक्षय करनेवाला है और इसके अतिरिक्त अन्य हिंसाप्रधान वैदिक यज्ञ कर्म-क्षय में कारण न होकर कर्म-बन्ध में कारण हैं। अतः जिन शास्त्रों में यमयज्ञों का विधान है उन्हें वेद कहते हैं और जो ऐसे यज्ञों को करता है वह याजक है। नक्षत्रों का मुख-चन्द्रमा नक्षत्रों का मुख (प्रधान ) है। नक्षत्र, चन्द्र-मण्डल आदि ज्योतिषशास्त्र का विषय है और ज्योतिषशास्त्र के अनुसार नक्षत्रों में चन्द्रमा की प्रधानता है। धर्मों का मुख-काश्यपगोत्रीय भगवान् ऋषभदेव धर्मों के मुख हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव काश्यपगोत्री थे। ब्रह्माण्डपुराण और आरण्यक आदि में भी ऋषभदेव की स्तुति मिलती है। स्व-पर का कल्याणकर्ता— अहिसारूप यमयज्ञ का अनुष्ठान करनेवाला याजक ही स्व-पर का कल्याणकर्त्ता है।

इस तरह मुनि ने इस उत्तर द्वारा स्वयं को वेदादि का वेता तथा ब्राह्मणों को वेदादि का अवेता भी सिद्ध किया है।

भावयज्ञ के उपकरण व विधि—इस भावयज्ञ में द्रव्य-यज्ञ के स्थानापन्न कौन-कौन से उपकरण होते हैं तथा इस यज्ञ को सम्पन्न करने की विधि क्या है ? ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर हरिकेशियल मुनि इस प्रकार उत्तर देते हैं: 3

देखिए — उ० आ० टी०, पृ० १११४–१११५.

तपो जोई जीवो जोइठाण जोगा सुधा सरीर कारिसंगं।
 कम्मेहा संजमजोगसंती होमं हुणामि इसिण पसत्या ॥

घम्मे हरये बम्मे संतितित्थे अणाविले अत्तपसन्नलेसे ।।

⁻⁻⁻ उ० १२.४४-४६.

तथा देखिए—उ० १२.४२-४३,४७; ६.४०; मेरा निबन्ध — यज्ञ : एक अनुचिन्तन' श्रमण, सित०-अक्टूबर, १६६६.

#### द्रभ्ययज्ञ

#### भावयज्ञ

१. अग्नि

- तप (ज्योतिरूप—क्योंकि अग्नि की तरह तप में कर्ममल भस्म करने की शक्ति है)
- २ अग्निकुंड (अग्नि प्रज्विति २ जीवात्मा करने का स्थान)
- स्रुवा (जिससे घृतादि की आहुति दी जाती है)
- इ. त्रिविध योग (क्योंकि आहुति किए जाने वाले सभी शुभाशुभ कर्मेन्धनों का आगमन योग के द्वारा ही होता है।

४. शरीर (क्योंकि तपाग्नि इसी

से प्रदीप्त होती है )

- ४. करीषाङ्ग (जिससे अग्नि प्रज्वलित की जाती है। जैसे: घृत आदि)
- समिधा (शमी, पलाश आदि की लकड़ियाँ)
  - प्र. गुभाग्रुभ कर्म (क्योंकि
     ये ही तपाग्नि में लकड़ी की
     तरह भस्म किए जाते हैं)
- ६. शान्तिपाठ (कष्टों को दूर करने के लिए)
- ६ संयम-च्यापार (क्योंकि इससे जीवों को शान्ति मिलती है)
- ७. हवन (जिससे अग्नि प्रसन्न हो) ७. चारित्र
- s. जलाशय (स्नान के लिए) s. अहिंसा धर्म
- शान्तितीथं (सोपान) ६ ब्रह्मचयं तथा शान्ति
- १० जल (जिससे कर्मरज १० कलुषभाव से रहित शुभ-दूर हो) लेश्यावाली आत्मा (क्योंकि ऐसे तीर्थजल में स्नान करने से कर्मरज दूर हो जाती है)
- ११. निर्मलता (स्नान के बाद ११. अन्तरङ्गात्मा निर्मल और प्राप्त होने वाली गुद्धि ) ताजी हो जाती है।
- १२ गौदान (यज्ञ के अन्त में १२ संयम-पालन (यह सहस्रों दिया जानेवाला दान) गौदानों से श्रेष्ठ है )

इस तरह इस भावयज्ञ में जीवात्मारूपी अग्निकुण्ड में शरीर-रूपी करीषाङ्ग से तपरूपी अग्नि को प्रज्वलित करके कर्मरूपी इन्धन का योगरूपी स्नुवा से हवन किया जाता है। संयम-व्यापाररूपी शान्तिपाठ को पढ़ा जाता है। ब्रह्मचर्यरूपी शान्ति-तीर्थ में स्तान किया जाता है। संयम का पालन करना ही गौदान है। इस तरह इस यज्ञ को सम्पन्न करने के बाद अध्यात्म जलाशय में स्नान करने से कमंमल धुल जाते हैं और आत्मा निर्मल होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ऐसा ही यज्ञ ऋषियों के द्वारा प्रशस्त एवं उपादेय है।

## विवाह-प्रथाः

स्त्री और पुरुष के मधुर मिलन को एक सूत्र में बाँधनेवाली सामाजिक प्रथा विवाह है। उत्तराध्ययन में विवाह सम्बन्धी जो जानकारी उपलब्ध होती है उससे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं:

- १. साधारणतया वर एवं कन्या दोनों पक्षों के माता-पिता या उनके अग्रज सम्बन्धीजन पहले विवाह-सम्बन्ध तय किया करते थे। विवाह-सम्बंध तय हो जाने के बाद विधिपूर्वक विवाह की किया की जाती थी। भगवान् अरिष्टनेमी के युवा (विवाह-योग्य) होने पर जब उनके अग्रज केशव (श्री कृष्ण) विवाह-सम्बन्ध के लिए उग्रसेन की पुत्री राजीमती की याचना करते हैं तो उग्रसेन कहते हैं कि कुमार यहाँ आएं और वधू को ग्रहण करें। इसके बाद वर और वधू को सब प्रकार से अलंकृत किया जाता है। वर अपने राजसी वैभव के साथ श्रेष्ठ गन्धहस्ती पर सवार होकर चतुरिङ्गणी सेना एवं गाजे-बाजे के साथ सपरिवार नगर से प्रस्थान करता है।
- कभी-कभी ऐसा भी होता था कि विदेश से व्यापार आदि
   के लिए आए हुए वर के गुणों से आकृष्ट होकर लड़की का पिता उसे अपनी कन्या विवाह देता था। इसके बाद वर जब तक चाहता

१. वही।

२. देखिए-पृ० ३६७, पा० टि० ७; पृ० ४०५, ना० टि० ७.

इहागच्छतु कुमारो जा से कल्तं ददामि हं।
 —उ० २२.=
 तथा देखिए —पृ० ४११, पा० टि० ३.

तब तक वहाँ रहकर उसके साथ भोग भोगता और फिर उसे लेकर स्वदेश लौट आता था।

- ३. कभी-कभी माता-पिता कहीं से मनपसन्द सुन्दर कन्या लाकर पुत्र को दे देते थे। चूँ कि उस समय नारी को सम्पत्ति माना जाता रहा है अतः यह तभी संभव है जब कन्या खरीदकर या इसी प्रकार के किन्हीं अन्य उपायों के द्वारा लाई जाए।
- ४. जब वर दूल्हें के रूप में बारात लेकर कन्या के घर जाता या तो उसे नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया जाता था तथा देश और कुलादि के अनुरूप कौतुकमंगल आदि कार्य भी किए जाते थे। बारात में ऊँच-नीच सब प्रकार के लोग जाते थे और उनके लिए भोजनादि का प्रबन्ध भी किया जाता था।
- ५. कभी-कभी देवता की प्रेरणा से भी राजकन्याएँ वर को सौंप दी जाती थीं। ४
- ६. श्रेष्ठ गुण व रूप सम्पन्न राजकन्याएँ राजकुमारों के द्वारा प्रार्थना करने पर भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती थीं। यदि किसी को ऐसी राजकन्या राजा स्वयं दे दे तो वह बड़ा सौभाग्यशाली समझा जाता था। अतः भद्रा राजकुमारी उग्र तपस्वी हरिकेशिबल मुनि को मारनेवाले ब्राह्मणों से कहती है— 'यह मुनि उग्र तपस्वी तथा ब्रह्मचारी है। स्वयं मेरे पिता कोशल नरेश के द्वारा देवता की प्रेरणा से मुझे इसके लिए दिए जाने पर भी इसने मुझे ग्रहण नहीं किया था'। इसी प्रकार सर्वगुणसम्पन्न राजकुमार अरिष्टनेमी

१ देखिए-पृ० ३६७, पा० टि० १.

२. देखिए-पृ० ३६७, पा० टि० ७.

[्] ३. सन्वोसहीहि ण्हिवओ क्यकोऊयमंगलो । दिव्वजुयलपरिहिओ आभरणेहि विभूसिओ ।।

तुज्झं विवाहकज्जंमि भोयावेडं बहुं जणं ।।
—-उ० २२.६-१७.

४. देवाभिओगेण निओइएणं दिन्नासु रन्ना मणसा न झाया।

जो मे तया नेच्छइ दिन्जमाणि विजणा सर्व कोसलिएण रन्ना ।।
—ज॰ १२.२१-२२.

५. वही।

को याचना करने पर भी राजा उग्रसेन अपनी कन्या राजीमती देने के लिए तभी तैयार होते हैं जब अरिष्टनेमी के बड़े भाई केशव यह स्वीकार कर लेते हैं कि वे वर को लेकर बारात के साथ कन्या के घर आएँगे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कुछ लोग राजकुमारों के लिए राजकन्याएँ भेंटस्वरूप में भी दे दिया करते थे। इसीलिए जब केशव अरिष्टनेमी के लिए राजीमती की याचना करते हैं तो राजीमती के पिता द्वारा यह कहना कि राजकुमार यहां आएँ और ले जाएँ यह सिद्ध करता है कि श्रेष्ट कन्याएँ विवाहोत्सवपूर्वक ससम्मान दी जाती थीं तथा कुछ साधारण कन्याएँ संभवतः भेटरूप में भी भेज दी जाती थीं।

७. प्रायः बहु-विवाह भी होते थे। राजाओं एवं सम्पन्त कुलों में एक से अधिक पित्नयाँ हुआ करती थीं। जैसे: राजा वसुदेव की रोहणी और देवकी थे दो रानियाँ थीं। मृगापुत्र कई स्त्रियों के साथ देवसदृश भोग भोगा करता था। इसी प्रकार मृगापुत्र के पिता बलभद्र राजा की मृगा नाम की पटरानी थी।

 इन विवाह-सम्बन्धों के अतिरिक्त कभी-कभी पित के मरने पर कुछ विधवाएं हुष्ट-पुष्ट पुरुष के साथ भी चली जाती थीं।³

## सौन्दर्य-प्रसाधन :

उस समय वस्त्र व आभूषणों के अतिरिक्त स्नान, मालाधारण, विलेपन आदि के द्वारा शरीर का शृङ्गार किया जाता था। क कूर्च व फनक (ब्रुश या कंघी) से बालों को संस्कृत किया जाता था तथा कुण्डल कानों में पहने जाते थे। इस तरह ये आभूषण आदि सौन्दर्य-प्रसाधन के काम आते थे।

तथा देखिए-पूर्व ४०३, पाव टिव १; परिशिष्ट २.

१. देखिए--पृ० ४१०, पा० टि० ३.

२. तस्स भज्जा दुवे आसी रोहिणी देवई तहा । —उ० २२.२.

के. देखिए-पृठ १३३, पाठ टिठ २; पृठ ४०३, पाठ टिठ १.

४. देखिए-पृ० ४०४, पा० टि० १; प्० ४११, पा० टि० ३.

प्र. वही; उठ E.६०.

## दाह-संस्कारः

किसी परिवार में किसी व्यक्ति के मरने पर परिवार के लोग कुछ दिन तक शोक करते हुए मृत प्राणी को घर से निकालकर बाहर ले जाते और वहाँ जलती हुई चिता पर रखकर उसका दाह-संस्कार करते थे। यह क्रिया पिता के मरने पर पुत्र, पुत्र के मरने पर पिता तथा अन्य सम्बन्धीजनों के मरने पर उनके सम्बन्धी-जन किया करते थे। इसके बाद जहाँ जीविका चलती वहाँ उसी दातार के पीछे चले जाते थे।

### पशु-पालनः

उस समय की सम्पत्ति में पशु भी एक थे। उनमें कुछ पशु युद्धस्थल में काम आते थे। युद्ध में हाथी और घोड़े बहुत उपयोगी थे। यन्थ में इनका बहुत उल्लेख मिलता है। कम्बोज-देशोत्पन्न घोड़े सुशिक्षित, युद्धोपयोगी और श्रेष्ठ होते थे। हाथियों में 'गन्धहस्ती' का उल्लेख मिलता है जिस पर सवार होकर अरिष्ट-नेमी विवाहार्थ गए थे। जब कभी हाथी बन्धन तोड़कर भाग जाता था तो महावत उस मदोन्मत्त हाथी को अंकुश के द्वारा वश में

२. गवासं मणिकुंडलं पसवी दासपीरुसं ।

—उ० ६ ४.

तथा देखिए-उ॰ ६.४६ ; १३.२४ ; २०.१४ आदि ।

३. नागो संगामसीसे वा सूरो अभिहणे परं।

—उ० २. १०,

जहा से कंडोयाणं आइण्णे कंथए सिया। स्रासे जवेण पवरे.....

-- उ० ११.१६.

तथा देखिए--पृ० ३६६, पा•टि० ३; उ० १३.३०;१.१२;२३.५८,

४. वही ।

५. मत्तं च गंघहत्यं च वासुदेवस्स जिट्ट्यं ।

<del>--</del>∀० २**२**,१०,

१. वही ।

किया करता था। युद्ध में हाथी ही आगे रहते थे। अतः ग्रन्थ में हाथी को 'संग्राम-शीर्ष' होकर अतु को जीतनेवाला कहा गया है। हाथी और घोड़े पशुओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। श्रेणिक राजा अनाथी मुनि से अपना परिचय देते हुए इन्हीं दोनों पशुओं का उल्लेख करते हैं। अतुता और शूकर ये दोनों पशु शिकार के काम आते थे। अबकरा मिहमान के भोज के लिए अच्छा समझा जाता था। यज्ञ में भी पशु काम आते थे। अतः यज्ञ में पशु- हिंसा का निषेध किया गया है।

पशुओं के अतिरिक्त पक्षियों को भी पिजड़े में रखकर पाला-पोसा जाता था। श्रम्थ में कई पक्षियों के नाम मिलते हैं परन्तु उन सबको पाला नहीं जाता था। श्रमुओं और पक्षियों को पकड़ने और पालने के लिए नाना प्रकार के जालों और पिजड़ों का प्रयोग किया जाता था। प

- १. अंकुसेण जहा नागो।
   उ० २२,४७.
  तथा देखिए—उ० १४,४८.
- २. देखिए--पृ० ४१३, पा० टि० ३.
- रे. बस्सा हत्थी मणुस्सा मे ।। —उ० २०.१४.
- ४. कूबंतो कोल-सुणएहि सबलेहि य ।
  —उ० १६.४५.

तथा देखिए-उ० १६.६६.

- ५. अय कक्कर भोइ य """ जहा एसंव एलए।
   उ० ७.७.
- ६. नाहंरमे पक्सिणि पंजरेवा। — ३० १४.४१.
- ७. देखिए-नभचर तिर्यञ्च, प्रकरण १.
- पासेहि कूडजालेहि मिओ वा अवसो अहं।

तथा देखिए—उ० १६.५३; २३.४०-४३; ३२.६; २२.१४,१६;५० ४१४, पा॰ टि॰ ६.

#### खान-पान :

घी, दूध, अन्न आदि के अतिरिक्त मिदरा और माँस-भक्षण भी काफी मात्रा में होता था। अरिष्टनेमी के विवाह के अवसर पर बहुत से लोगों के भोज के लिए बहुत से पशुओं को एक बाड़े के अन्दर एकत्रित किया गया था। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए कहने से स्पष्ट है कि अधिकांश लोग माँसभक्षण करते थे और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो माँसभक्षण नहीं करते थे। मृग, मत्स्य, बकरा और महिष का माँस अधिक प्रचलित रहा होगा क्योंकि ग्रन्थ में शिकार के अवसर पर मृग-हनन, मिहमान के भोज के लिए बकरा-पालन तथा महिष को अग्नि में पकाने का उल्लेख मिलता है। यमत्स्य पकड़ने के लिए बड़िशों (लोहे के काँटोंवाला जाल) का प्रयोग किया जाता था। असाधुओं का आहार निरामिष और नीरस होता था।

प्रनथ में मदिरा के पाँच प्रकारों का उल्लेख मिलता है: " १. सुरा, २. सीधु (ताल वृक्ष के रस से उत्पन्न), ३. मेरक

१. वाडेहि पंजरेहि य संनिरुद्धा य अच्छहि।

-30 27.84.

तथा देखिए--पृ॰ ४११, पा० टि० ३.

२. हुआसणे जलंतिम्म चिआसु महिसो विव । —उ॰ १६.४८.

तथा देखिए--पृ० ४१४, पा० टि॰ ४, ८; उ० १६.७०-७१; ४.६; ७.६; १८.३-६ आदि।

् ३. रागाउरे वडिस विभिन्नकाए मच्छे जहा आमिसभोग गिद्धे । —उ∙ ३२.६३.

तथा देखिए-उ॰ १६.६५.

- ४. देखिए-आहार, प्रकरण ४.
- ४. तुहं पिया सुरा सीहू मेरओ य महूणि य।

वर नारुणीए व रसो विविहाण व आसवाण जरिसको ।

महुमेरयस्स व रसो

--- 30 38**.88**.

(मैरेयक-दुग्ध आदि उत्तम पदार्थों से निकाली गई), ४. मधु (महुए से बनाई गई) और ५. वारुणी (श्रेष्ठ मदिरा)। इनके अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार के आसव (मद्य) भी थे। रसों में कुछ रसों का भी उल्लेख मिलता है जिनका अनुभव प्रायः सभी को था। जैसे: शर्करा, खाण्ड, दाख (मृद्वीका), खजूर, आम्र, तुवर, नीम, तूँबी, त्रिकटुका (मध मिर्च), ईख, कटु-रोहिणी (ज्वरनाशक औषधिविशेष), कपित्थ (केंथ) आदि।^र इन खाद्य और पेय पदार्थों के अतिरिक्त ग्रन्थ में कुछ कन्द-मूल आदि वनस्पतियों का भी उल्लेख मिलता है जिनको सामान्यरूप से खाने के प्रयोग में लाया जाता रहा होगा। 3

### मनोरंजन के साधनः

मनोरंजन के साधनों में उस समय नृत्य, गीत वाद्य आदि के अतिरिक्त मृगया (शिकार), द्युतक्रीडा (जुआ खेलना) और उद्यान में विहार ये भी मनोरंजन के साधन थे। जैसे:

क. मृगवा-राजा आदि अपने मनोरंजनार्थं मृगवा के लिए जाया करते थे। मृगया के लिए जाते समय राजा घोड़े पर सवार होता था तथा उसके साथ सैन्यदल भी जाता था। राजा संजय मृगया के लिए जाते समय चतुरंगिणी सेना की भी साथ ले गया था। ४

ख. द्युतक्रीडा-शिकार की तरह द्युतकीड़ा भी ऋग्वेदकाल से ही भारत में वर्तमान है। महाभारत का युद्ध खुतक्रीड़ा का ही परिणाम है। ग्रन्थ में अकाम-मरण को प्राप्त होनेवाले जीव

१. वही।

२. देखिए--लेश्या, प्रकरण २; उ॰ २४.१०-१३.१५; १६.५६.

३. देखिए--वनस्पति जीव, प्रकरण १; उ० ३४.४, ११, १६; २२.४४.

४. नामेणं संज्ञो नामं मिगव्वं उवणिगगए

⁻⁻⁻चo १८.१.

तथा देखिए---उ० १८.२-६.

५. ऋग्वेद, मण्डल १०, सूत्र ३४.

की उपमा जुए में हारे हुए जुआड़ी से दी गई है। इससे दूतकीड़ा व दूतकीड़ा में हारे हुए व्यक्ति की स्थिति का ज्ञान होता है।

ग. उद्यान में विहार-यात्रा—प्रायः नगरों के समीप में उद्यान हुआ करते थे जो नाना प्रकार के फूलों, कलों, वृक्षों, अगर नतामण्डपों आदि से सुशोभित रहते थे। इनमें राजा लोग नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ किया करते थे जिन्हें 'विहार-यात्रा' कहते थे। इन उद्यानों में आकर साधु अपनी साधना भी किया करते थे। प्रनथ में ऐसे कई उद्यानों का उल्लेख मिलता

- उ० ५.१६.

- २. प्रत्य में उल्लिखित कुछ फूलों के नाम—अतसी (१९.५६; ३४.६), बसन, सण (३४.८), मुचकुत्द या कुन्द (३४.६; ३६.६१), शिरीष (३४.१६) आदि।
- ३. ग्रन्थ में उल्लिखित कुछ फलों के नाम-आम, कपित्थ (७.११; ३४.१२-१३), बिल्व (१२.१८), किंपाक (३२.२०;१६.१८), तालपुट (२३.४५; ६.५३; १६.१३) आदि।
- ४. प्रन्थ में उल्लिखित कुछ वृक्षों के नाम—चैस्य ( ६.६-१० ), तिन्दुक ( १२.६ ), अम्बू—सुदर्शन ( ११.२७ ), शालमलि ( १६.५३; २०.३६ ), अशोक ( ३४.५ ), कियाक ( १२.२० ) आदि।
- ५. अप्फोषमंडवम्मि

—उ० १८.५.

६. नाणादुमनयाइत्रं नाणापिक्सिनिसेवियं। नाणाकुसुमसंख्रत्रं उज्ज्ञाणं नंदणोवमं॥ तत्य सो पासई साहुं संजयं सुसमाहियं। तिसन्नं सम्समूलिम्म.....!

—उ० २०.३-४**.** 

तया देखिए--उ० २५.३; १८.६; २३.४, ८; १६.१.

७. विहारजतं निज्जाओ मंडिकुच्छिसि चेइए।

**-**30 ₹0.₹.

द, देखिए--पृ० ४१७, पा० टि० ६.

१. धुत्तेच कालिणा जिए ।

है। एक जगह इन्हें 'चैत्य' शब्द से भी कहा गया है। व कोई-कोई उद्यान इतने बड़े होते थे कि वहाँ पर बहुत से लोग एकत्रित हो सकते थे। जैसे: श्रावस्ती नगरी के समीपवर्ती 'तिन्दुक' उद्यान में केशिकुमार तथा 'कोष्ठक' उद्यान में गौतम अपनी-अपनी शिष्यमंडली के साथ ठहरे हुए थे। इसी बीच गौतम जैनधमं के विषय में उत्पन्न हुई शिष्यमंडली की शंका के निरा-करणार्थ अपनी शिष्यमण्डली के साथ तिन्दुक उद्यान में जाते हैं। उस समय वहाँ पर दोनों की शिष्य-मण्डली तथा अन्य अनेक देव-दानवों के अतिरिक्त हजारों की संख्या में बहुत से पाखण्डी, कौतुकी तथा गृहस्थ भी एकत्रित होते हैं। उ

## व्यापार और समुद्रयात्राः

वैश्यों का मुख्य पेशा व्यापार था और वे व्यापार के लिए विदेश भी जाया करते थे। उथापार करने के कारण ही उन्हें 'विणिक्' कहा जाता था। विणक् का ही अपभ्रंश रूप 'बिनया' व्यापारियों के लिए आज भी प्रयुक्त होता है। प्रायः समुद्रपार विणक् ही जाया करते थे। अतः समुद्रपार करने के विषय में विणक् का दृष्टान्त दिया गया है। समुद्रपार जाते समय बड़ी

३. समागया बहू तत्थ पासंडा कोउगासिया । णिहत्थाणं अणेगाओ साहस्सीओ समागया ।।
—उ० २३,१६.

तथा देखिए-उ० २३.४-१८,२०.

- ४, देखिए-पृ० ३६७, पा० टि० १; पृ० ४१६, पा० टि० २.
- ४. किणंती कइयो होइ विकिश्णंती य वाणिओ। --- ७० ३५.१४.
- ६. जे तरंति अतरं विणया व । —उ० द.६. तथा देखिए—पृ० ४०२, पा० टि० १; पृ० ३६७, पा० टि० १.

१. जैसे: काम्पिल्य नगर का केशरी उद्यान (१६.३-४), श्रावस्ती का तिन्दुक व कोष्ठक (२३.४, ६,१४), बनारस का मनीरम (२४.३), सगन्न का मंडिकुक्षिक (२०.२-३), देवलोक का नन्दन (२०.३,३६)।

२. देखिए---पृ० ४१७, पा० टि० ६-७.

नावों या जल-पोतों का उपयोग किया जाता था। कभी-कभी व्यापार में इन्हें घाटा भी हो जाता था और कभी-कभी मुलघन ही निकल पाता था। वस्तू को खरीदने के लिए सिक्कों का भी प्रयोग होता था। ग्रन्थ में सिक्का के अर्थ में 'काकिणी' का उल्लेख मिलता है जो उस समय का सबसे छोटा सिक्काथा। 3 तोलने के लिए मापक—बाट एवं तराजू का प्रयोग होता था। उच्यापार के लिए समुद्रपार जाते समय व्यापारियों को बड़ा भय रहता था क्योंकि समुद्र में ज्वार-भाटे आदि के आने पर रक्षा के समुचित सावन नहीं थे। समुद्रयात्रा से वापिस आ जाना बड़ी कुशलता समझी जाती थी। अतः पालित वणिक् के विदेश से पोत द्वारा घर आ जाने पर 'कुशलतापूर्वक आ गए' ऐसा कहा गया है।" विदेश में कभी-कभी वणिक् शादी भी कर लेते थे। पश्चात् कुछ दिन वहाँ रहकर पत्नी के साथ घर आ जाते थे। समुद्रयात्रा में काफी समय लगने के कारण कभी-कभी समद्रयात्रा करते समय जल-पोत में गर्भवती स्त्रियां प्रसव भी कर देती थीं। इसमुद्रयात्रा या अन्य किसी लम्बी यात्रा पर जाते समय पाथेय (कलेवा ) ले जाया

एगो मूर्लाप हारित्ता आगओ तत्य वाणिओ।
—उ० ७.१४-१५.

३. जहा कागिणिए हेउं सहस्सं हारए नरो ।
—उ० ७.११.

४. बहा तुलाए तोलेउ । —उ॰ १६.४२.

दोमास कयं कञ्जं। —उ० ८.१७.

४. खेमेण आगण् चंपं ।. — उ० २१.४.

६. बह पालियस्स घरणी समुद्दिम पसवइ । ---- उ० २१.४० तथा देखिए--- प्र० ३९७, पा० टि० १०

[.] वहीं; उ० २३.७०-७३.

२. एगोत्य लहई लाभं एगो मूलेण आगओ।।

करते थे जिससे मार्ग में क्षुधाजन्य कष्ट न उठाना पड़े। सामान्य यात्रा में तथा माल वगैरह ढोने में बैलगाड़ी व रथ आदि को उपयोग में लाया करते थे। र

### रोगोपचार:

प्रन्थ में रोग तथा उसके औषधोपचार के विषय में सामान्य सकेत मिलते हैं। रोगों का इलाज करने के लिए बहुत से चिकित्साचार्य होते थे। ये वमन, विरेचन, औषधिसेवन, धूम्रप्रदान नेत्रस्नान, सवौषधिस्नान, मन्त्र-विद्या आदि के द्वारा रोगों का इलाज किया करते थे। उजैन साधु के लिए रोगों का इलाज कराना त्याच्य था। रोगों का इलाज करने के लिए चतुष्पाद चिकित्सा की जाती थी। चतुष्पाद चिकित्सा के चार अङ्ग

- १. अद्धाणं जो महंतं तु सपाहेज्जो पवज्जई । गच्छंतो सो मुही होई छुहातण्हविविज्जिओ ।। —उ०१६ २१.
- २. अवसी लोहरहे जुत्ती जलते सिमलाजुए।
  चोइओ तुत्तजुत्तीह रोज्झी वा जह पाडिओ।।
   उ० १९ ५७

तथा देखिए--उ० ६.४६; ५.१४; २७.२-व.

- ३. ग्रन्थ में उल्लिखित रोगों के कुछ नाम—आमय ( ३२.११० ), व्याधि ( ३२.१२ ), आतंक ( १०.२७; ५.११; २१.१८; १६.७६; २६.३५ ), विसूचिका, अरइ चित्तोद्वेग, गंड—जिसमें ग्रीवा फूल जाती है ( १०.२७ ), अक्षिवेदना (२०.१६-२१ ).
- ४. मंतं मूलं विविहं वेज्जिचितं वमणिविरेयणधूमणेतिसिणाणं। आउरे सरणं तिगिच्छियं च तं परिशाय परिव्वए स भिवलू।। —उ॰ १४.८. तथा देखिए—उ० २०.२२; १६.७६-७७, ७६; १२.४०; २२.६; जै० मा० स०, पृ॰ २११-३१८.
- ५. वहीं; परीषहजय व भिक्षाचर्यातप, प्रकरण ५.
- ६. ते मे तिभिच्छं कुव्वंति चाउप्पायं जहाहियं। —उ०२०.२३.

'चाउष्पायं' ति 'चतुष्पादां' भिषयभेषजातुरप्रतिचारकात्मकचतुर्भाग चतुष्टयात्मिकां 'यथाहितं, हिताऽनतिकमेण।

-बही, ने० वृ०, पृ० २६६.

ये हैं: १. श्रेष्ठ वैद्य या चिकित्सक, २. श्रेष्ठ औषिसेवन, ३. रोगी के द्वारा इलाज कराने की उत्कट अभिलाषा और ४. रोगी के सेवक।

# मन्त्र-शक्ति व शकुन में विश्वास :

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में मन्त्र-तन्त्रशक्ति तथा शुभाशुभ फल बतलानेवाले शास्त्रों में विश्वास रहा है। अत: जैन साधुको इन सभी मन्त्र-तन्त्रशक्तियों तथा शुभाशूभ फल बतलाने-वाले शास्त्रों का जीविका आदि के लिए प्रयोग न करने को कहा गया है। े श्रेष्ठ साधु मन्त्रादि शक्तियोंवाले होते थे और उनकी इसी शक्ति के कारण जनता में साधु के प्रकोप का बड़ाभय रहताथा। इसीलिए मुनि की शरण में आए हुए मृग को मारने के कारण राजा संजय भयभीतं हो जाता है और क्षमा मांगता है। रे इसी प्रकार हरिकेशिबल मुनि का तिरस्कार करनेवाले ब्राह्मणों से भद्रा कुमारी कहती है कि यह मुनि घोर पराक्रमी तथा आशीविष लब्धि-वाला (मन:शक्तिविशेष) है। यह क्रोधित होने पर तुम सबको तथा सम्पूर्णलोक को भी भस्म कर सकता है। इसकी निन्दा करने का अर्थ है--नखों से पर्वत को खोदना, दातों से लोहे को चबाना, पैरों से अग्नि को कुचलना। अतः यदि जीवन और धनादिकी अभिलाषा करते हो तो तुम सब लोग इसकी शरण में जाकर क्षमा इतना कहकर वह स्वयं भी मूनि से क्षमा मांगती है ।³ अरिष्टनेमी के विवाह के अवसर पर कौतुक-मंगल करने का^र अर्थ है शुभाशुभ शकुनों में विश्वास । इसी तरह रोगोपचार में भी मन्त्रादि शक्तियों का प्रयोग होता था। " ग्रन्थ में इस तरह की 🔧 निम्नोक्त विद्याओं का उल्लेख मिलता है :ध

१. देखिए-आहार, प्रकरण ४.

२. विणएण वंदए पाए भगवं एस्थ मे खमे।

[—]उ० १८.८.

३. देखिए--पृ० ३७३, पा० टि॰ ४; उ० १२.२३, २६-२८, ३०.

४. देखिए-पृ० ४११, पा० टि० ३.

४. देखिए-पृ• ४२०, पा० टि• ४.

६, उ॰ १४.७; २०.४६; २२.४; ३६.२६७; ८.१३.

१. छित्र विद्या ( वस्त्र व काष्ठ आदि के छेदने की विद्या ),
२. स्वर विद्या (संगीत के स्वरों का ज्ञान), ३. भूकम्प विद्या, ४. अन्तरिक्ष विद्या, ५. स्वप्न विद्या, ६. लक्षण विद्या (स्त्री व पुरुष के चिह्नों एवं रेखाओं का ज्ञान), ७. दण्ड विद्या (लाठी के पर्वों का ज्ञान), द. वास्तु विद्या (प्रसाद-सम्बन्धी विद्या), ६. अंगविचार विद्या (अंग-स्फुरण का ज्ञान), १०. पशु-पक्षी के स्वरों की विद्या, १२ कौतुक विद्या (कौतूहल उत्पन्न करनेवाली विद्या), १२ कुहेटक विद्या (आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली विद्या) और १३ विमित्त विद्या (त्रिकाल में शुभाशुभ फल बतलानेवाली विद्या)। इनके अतिरिक्त अभीष्ट सिद्धि के लिए मन्त्र तथा भूतिकर्म (भस्म का लेप) का भी प्रयोग किया जाताथा। इनहें मन्त्र-तन्त्र या जादू-टोना की शक्ति कहा जा सकता है। इनकी सिद्धि तपादि के प्रभाव से होती थी। अतः साधु को तप के प्रभाव से सिद्ध होने-वाली शक्तियों की ओर से निःस्पृह रहने को कहा गया है।

इस तरह इन विविध रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं से तत्कालीन भारतीय समाज व संस्कृति के साथ उद्योग-व्यापार आदि का भी पता चलता है। किसी भी समाज व संस्कृति की ठीक-ठीक स्थिति के जानने में इन रीति-रिवाजों और प्रथाओं का प्रमुख स्थान होता है।

## राज्य-व्यवस्था व मानवः प्रवृत्तिमाँ

'यथा राजा तथा प्रजा' की कहावत प्रायः सभी जानते हैं। साथ ही यह भी सभी जानते हैं कि देशकाल की परिस्थिति के अनुकूल जनसामान्य की प्रवृत्तियाँ भी बदलती रहती हैं और जनसामान्य की प्रवृत्तियाँ बदलने पर तत्कालीन राज्य-व्यवस्था के साथ धार्मिक व दार्शनिक सम्प्रदायों पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रकृत ग्रन्थ में राज्य-व्यवस्था आदि के विषय में जो संकेत मिलते हैं वे इस प्रकार हैं:

मंताजोगं काउं मूईकम्मं च जे पउंजंति ।

[—]उ० ३६.६६५.

### राज्य-व्यवस्थाः

प्रजापर शासन करना क्षत्रिय का काम था और जो शासक होता था वह राजा कहलाता था। सामान्यतया राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अतः राजा-गण अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर दीक्षा ग्रहण किया करते थे। जिस सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उसका उत्तराधिकारी राजा होता था। अतः भृगु पुरोहित के सपरिवार दीक्षा ले लेने पर इषुकार देश का राजा उस पर अपना अधिकार बतलाता है।

राजाओं का ऐश्वर्य — राजाओं का ऐश्वर्य देवों के तुल्य होता था। उइनके प्रासादों के तलभाग में मणि-रत्नादि जड़े रहते थे। सिर पर छत्र-चामर ढुलाए जाते थे। ये नृत्य, गीत, वाद्य आदि संगीत-सामग्री से युक्त नारीजनों के साथ भोग भोगा करते थे। युद्ध में कुशलता प्राप्त करने के लिए कभी-कभी ये

तथा देखिए--उ० ६.२; १८.४७.

- पुरोहियं तं ससुयं सदारं सोच्चाऽभिनिक्खम्म पहाय भोए ।
   कुडुंबसारं विउलुत्तमं च रायं अभिक्खं समुवाय देवी ।।
   —उ० १४.३७.
- सो देवलोगसरिसे अते उरवरगओ वरे भोए ।
   भूजित्तु नमी राया बुद्धो भोगे परिक्चयई ।।
   —उ० ६.३
   तथा देखिए —उ० ६.४१
- ४. मणिरवणकुट्टिमतले पासायालोयणे ठिओ । बालोएइ नगरस्स चउनकत्तिय चच्चरे ॥ —उ० १६.४.

१. पुत्तं रज्जे ठवित्ता ण । —उ० **१**4.३७.

सैन्यदल के साथ शिकार खेलने भी जाते थे। ये सुकुमार, सुसज्जित और सुखोचित होते थे। भोग-विलासता के कारण कभी-कभी कोई-कोई राजा अपना राज्य भी हार जाता था। अप्रधान राजा के आधीन अन्य कई राजागण होते थे जो एक-एक देश के स्वामी होते थे। राजा की दीक्षा के अवसर का दृश्य भी दर्शनीय होता था। राजाओं का इतना ऐश्वर्य एवं प्रभुत्व होने पर भी राजाज्ञा को सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते थे अपितु दबाव एवं भय के कारण मानते थे। अतः ग्रन्थ में अविनीत शिष्य के द्वारा गुरु की आज्ञा पालन करने के विषय में राजाज्ञा का दृष्टान्त दिया गया है।

राजाओं के प्रमुख कार्य—राजा को अपने राज्य का विस्तार करने तथा शत्रु के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ता था। अतः युद्ध में कुशल होना राजा को आवश्यक होता था। राजा का प्रधान बल सेना थी और वह युद्धस्थल में सेना से ही शोभित होता था। सेना चार भागों (हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल) में विभक्त रहती थी जिसे चतुरंगिणी सेना

४. जे केइ परिथवा तुज्झं नानमंति नराहिवा। वसे ते ठावइत्ताणं तओ गच्छसि खत्तिया॥

—**उ∙ १.३**२.

अन्निओ रायसहस्सेहि सुपरिच्चाई^{.....}"।

—उ० १**५.४**३.

प्र. कालोहलगभूयं बासी मिहिलाए पव्वयंतम्म । —उ० ६.५.

६, रायवेट्टि च मन्नंता करेंति भिउडि मुहे ।
-उ० २७,१३.

७. देखिए-पृ० ४०२, पा० टि० १.

१. देखिए--पृ० ४१६, पा० टि० ४.

३. अपत्यं अंबगं मोच्चा रावा रज्जं तु हारए । —उ० ७.११.

कहते थे। हाथी और घोड़े युद्ध में प्रमुख सहायक होते थे। इनमें हाथी सबसे आगे रहता था। शात्र के प्रहारों को रोकने के लिए घोड़ों को कवच पहनाए जाते थे। विजेता प्रधान सैनिक सबके द्वारा प्रशंसित होता था। राज्य की दृढ़ता और अपना प्रमुख बनाए रखने के लिए राजा के कुछ कर्तव्यों का उल्लेख इन्द्र-निमसंवाद में मिलता है। जैसे:

१. राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का दु:ख न हो। अतः नीतिमान शासक को प्रजा पर अनुकम्पा करनेवाला होना चाहिए। इसीलिए इन्द्र राजा निम की दीक्षा के समय पूछता है कि आज मिथिला में इतना कोलाहल क्यों व्याप्त है तथा महलों आदि में दारुण शब्द क्यों सुनाई पड़ रहे हैं? चित्त मुनि भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को सब प्रजा पर अनुकम्पा करने तथा धर्मस्थ होकर आर्यकर्म करने का उपदेश देते हैं। द

२. अन्तःपुर, मन्दिर आदि को जलते हुए देखकर उनकी सुरक्षा करे। अतः इन्द्र दूसरा प्रश्न एतद्विषयक ही पूछता है।

 चवरंगिणीए सेणाए रइयाए जहक्कमं । तुडियाणं सिन्नाएणं दिव्वेणं गगणंफुसे ।।

—ड॰ २२.१**२**.

तथा देखिए-पृ● ४१६, पा० टि० ४.

- २. देखिए-पृ० ४१३, पा० टि० ३; उ० २१.१७.
- ३. आसे जहा सिक्सिय वस्मधारी। — उ०४.५.
- ४. जहाइण्ण समारूढे सूरे दढपरवकमे । उभओ नंदिघोसेणं एवं हवइ बहुस्सुए ॥

—उ० ११.१७;

प्र. किण्णुभो अञ्ज्ञ .....सुन्वंति दारुणा सद्दा। —उ० ६.७०

६. अञ्जाइंकम्माइंकरेहिरायं घम्मे ठिओ सब्वपयाणुकस्पी। — उ०१३.३२.

७. एस अग्गी य वाऊ य''''कीसं णं नावपेक्सह।

—उ० **६. १**२.

३. शत्रुओं के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए किला, गोपुर, (किले का दरवाजा), अट्टालिका, खाई, उत्सूलका (किले की खाई), शत्रुचनी (बन्दूक), धनुष, अर्गला, नगर, केतन, डोरी, बाण आदि बनवाना चाहिए। इनके अतिरिक्त राजा को अन्य शस्त्रादि का भी निर्माण करवाना पड़ता था। प्रन्थ में ऐसे बन्य कई शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। जैसे: असि (अतसी पुष्प के रंग की तलवार), करपत्र (आरा), ककच (आरा विशेष), कुठार, कल्पनी (कतरनी), गदा, तिशूल, क्षुरिका, मूसल, मुग्दर (जिसके दोनों किनारों पर तिशूल हो), भल्ली (भाला), वासी (परशु), अंकुश (हाथी को वश में रखने का चाबुक), तूर्य (बादित्र), लोहरथ, समिला (रथ की धुरी) आदि।

४. वास्तुकला आदि के विकास के लिए विविध प्रकार से अलकृत अनेक प्रासादों का निर्माण कराना। उराज्य में वास्तुकला का विकास कराने में राजा ही समर्थ होता था क्योंकि ये प्रासाद बहुत व्यय साध्य होते थे। ऐसे कुछ प्रासादों का उल्लेख ग्रन्थ में भी मिलता है।

५. चोरी करनेवाले (आमोष), डाकू (लोमहर), रास्ते में लूटनेवाले लुटेरे (ग्रन्थि-भेदक) तथा ठगनेवाले (तस्कर) चोर विशेषों से नगर की रक्षा। प्रान्थ में दस्यु और म्लेच्छों की सख्या

पागारं कारहत्ता णं गोपुरट्टालगाणि य ।
 उस्सूलग सयम्बीको तको गच्छित खित्या ।।
 उत्सूलग स्थम्बीको तको गच्छित खित्या ।।

तया देखिए--उ॰ ६.२०-२२.

- २. ७० १६.३८, ४२, ४६-४७, ६०, ६१-६३, ६७-६८, ६३; १४.२१; २०,४७; २१.४७; २२.१२; २७.४,७; ३४.१८.
- मासाए कारहत्ताणं बद्धमाणगिहाणि य ।
   वालग्ग पोइयाओ य तओ गच्छिस खित्तिया ॥
   —उ० ६,२४.
- ४. वही; उ० ६.७; ३४.४; १-२६; १६.३-४; १३.१३.
- श्र. आमोसे लोमहारे य गंठिमेए य तक्करे ।
   नगरस्स खेमं काऊणं तओ गच्छिस खित्तिया ।।
   —रु ६.२६. -

For Personal & Private Use Only

बहुत अधिक बतलाई गई है। "चोर सेंध लगाकर चोरी करते थे। पकड़े जाने पर राजदण्ड मिलता था। फांसी का दण्ड मिलने के पूर्व अपराधी को कोई निश्चित वेश-भूषा पहनाई जाती थी जिससे लोग पहचान लेते थे कि अमुक ने चोरी की है। अतः समुद्रपाल वघस्थान को ले जाए जानेवाले वधयोग्य चिह्नों से विभूषित वध्य (चोर) को देख-कर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। कभी-कभी सच्चा अपराधी नहीं पकड़ा जाता था और निरपराध को दण्ड मिल जाता था।

- ६. राज्य का विस्तार करने तथा प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नमस्कार न करनेवाले राजाओं को वश में करने का निरन्तर प्रयत्न कराना।
- ७. लोकहितकारक बड़े-बड़े यज्ञ कराना तथा श्रमण-ब्राह्मणों को भोजन-पान करना ।
- द स्व-पराक्रम से प्राप्त वस्तु का ही उपभोग करना। अतः इन्द्र राजा निम से कहता है कि आप गृहस्थाश्रम में ही रहें अन्य (संन्यास) आश्रमं की अभिलाषा न करें क्योंकि संन्यासाश्रम में याचनापूर्वक जीवन यापन करना पड़ता है। दूसरों से याचना करना क्षत्रियधर्म के विपरीत है।
  - १. बहवे दसुया मिलेक्ख्या ।

—उ० १०.१६.

२. तेणे जहा संधिमुहे गहीए ।

<del>~</del>ড়৹ ४.३.

् ३. वज्झमंडणसोभागं वज्झं पासइ वज्झगं ।

—**ड॰ २१. ८.** 

४. बसइं तु मणुस्सेहि मिच्छादंडी पजुञ्जई। अकारिणोऽत्थ बज्झंति मुच्चई कारओ जणो।

<del>--</del>उ० ६,३०.

- ४. देखिए-पृ० ४२४, पा० टि० ४.
- ६. देखिए-पृ० ४०६, पा० टि० ४.
- देखिए--पृ० २३४, वा० टि० ३.

ह. राज्यकोश की वृद्धि करना। राजा को कोशवृद्धि करना आवश्यक होता था क्यों कि कोश न होने पर राज्य चिरस्थायी नहीं हो सकता था। अतः इन्द्र राजा को हिरण्य, सुवर्ण, मणि, मुक्ता, कास्य, दूष्य (वस्त्र), वाहन (हाथी-घोड़े) आदि से कोशवृद्धि करने को कहता है। कोशवृद्धि में सतत प्रयत्नशील रहने के कारण ग्रन्थ में क्षत्रियों को लोक के सम्पूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होने पर भी अवृद्त होने के दृष्टान्तरूप में बतलाया गया है। राष्ति होने पर भी अवृद्त होने के दृष्टान्तरूप में बतलाया गया है।

१०. शरणागत को अभयदान देना। अतः मुनि की शरण में आए हुए मृग को मारनेवाला राजा संजय मुनि से क्षमा मांगता है।

इस तरह तत्कालीन राज्य-व्यवस्था की कुछ झलक ग्रन्थ में मिलती है।

# मानव-प्रवृत्तियां :

उस समय जनसामान्य की प्रवृत्तियां किस प्रकार की थीं? इस विषय में केशि-गौतम संवाद में एक उल्लेख मिलता है। इसमें बतलाया गया है कि आदिकाल (ऋषभदेव के समय) के जीव 'ऋजुजड़' थे। इसका अर्थ है—सरल प्रकृति के तो थे परन्तु अर्थ-बोध अधिक कठिनाई से होता था अर्थात् इस समय के व्यक्ति विनीत होकर के भी विवेक से रहित थे। इसके बाद मध्यकाल (ऋषभवेव के बाद तथा महावीर के जन्म लेने के पूर्व) के जीव 'ऋजुप्राज्ञ' थे। इसका अर्थ है—सरल के साथ बुद्धिमान् थे अर्थात् ये थोड़े से संकेत मात्र से सब समझ जाते थे और विनीत भी थे। परन्तु महावीर के काल के जीव जिनके शासन काल में उत्तराध्ययन का संकलन हुआ है 'वक्रजड़' थे। इसका अर्थ है—कुतर्क करनेवाले तथा विवेक से

—उ० ६.४६.

तथा देखिए- उ० ६.४६.

३. देखिए-पृ• ४२१, पा०, टि० २; उ० १८.७, ११.

हिरण्णं सुवण्णं मणिमुत्तं कसं इसं च वाहणं ।
 कोसं बहुढावइत्ताणं तक्षो गच्छिस खित्तया ।

२. न निविज्जंति संसारे सब्बट्ठेसु व खत्तिया । —-उ० ३.५.

हीन अर्थात् धार्मिक उपदेश को कृतर्क द्वारा खण्डित करनेवाले तथा विवेक से रहित। अतः इसका अर्थ हआ कि ग्रन्थ के रचना-काल में जनता का धर्म के प्रति विश्वास घटता जा रहा था और वे संसार के भोगों में निमग्न होते जा रहे थे। हिंसा, झठ, लुटपाट, चोरी, मायाचारी, शठता, कामासक्ति, धनादि-संग्रह में आसक्ति, मद्य-मांसभक्षण, पर-दमन, अहंकार, लोलपता आदि अनेक प्रव-तिया जनता में बढ़ रह थीं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस समय के सभी लोग ऐसे ही थे अपित बहुत से जीव सदाचारी भीथे। उन्हें अपने कूल, जाति आदि की प्रतिष्ठा का भी ध्यान था। अतः राजीमती संयम से पतित होनेवाले रथनेमी को कुल का स्मरण कराकर उसे व स्वयं को संयम में दृढ़ करती है। उँ ऐसे लोग बहुत कम थे। अतः ग्रन्थ में कई स्थलों पर द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा भाव-यज्ञ, बाह्यजृद्धि की अपेक्षा अन्तरंगजृद्धि, बाह्यलिङ्ग (वेष-भूषा) की अपेक्षा आन्तरिक लिंग, द्रव्य-संयम की अपेक्षा भाव-संयम की प्रधानता बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त भाव-संयम से हीन व्यक्ति की निन्दा भी की गई है। ४

## धार्मिक एवं दार्शनिक सम्प्रदायः

धार्मिक एवं दार्शनिक सम्प्रदायों के संचालक प्रायः साधु होते थे। जनसामान्य की तरह ये भी संयम से पतित होकर विषयों के प्रति उन्मुख हो रहे थे। कामासक्ति सबसे अधिक थी। अतः ग्रन्थ में ब्रह्म-चर्य वत को सबसे कठिन बतलाकर अपरिग्रह व्रत से पृथक् स्वतन्त्र व्रत के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य अनेक कुप्रवृत्तियाँ साधु सम्प्रदाय में बढ़ रही थीं। अतः ग्रन्थ

१. देखिए—पृ० २५७, पा० टि० १.

२. उ० ४.४-६, ६-१०; ७.४-७, २२; १०.२०; १७.१; १४.१६; ३४.२१-३२ आदि ।

अहं च भोगरायस्स तं चासि अंघगवण्हिणो ।
 मा कुले गंघणा होमो संजमं निहुओ चर ।।
 —उ० २२.४४.

४. देखिए—पु॰ २३८, पा॰ टि॰ ३; पु॰ २३६, पा॰ टि॰ १-३; अनुशीलन, प्रकरण ४.

में बार-बार साधु को सचेब्ट रहने के लिए कहा गया है। सत्रहवें अध्य यन में पितत-साधुओं के कुछ ऐसे ही क्रिया-कलापों का वर्णन किया गया है। धार्मिक सम्प्रदायों में यद्यपि प्रकृत ग्रन्थ में जैन श्रमणों के आचार का ही वर्णन किया गया है परन्तु कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिनसे अग्य धार्मिक सम्प्रदायों की स्थिति का भी पता चलता है। ग्रन्थ में उन्हें असत् अर्थ की प्ररूपणा करनेवाले, मिथ्यादृष्टि, पासण्डी आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है। जन सम्प्रदायों के नाम थे: १ क्रियावादी (केवल क्रिया से मुक्ति माननेवाले), २ अक्रियावादी (आत्मा की क्रियाशीलता में विश्वास न करनेवाले), ३ विनयवादी (पशु-पक्षी आदि सभी के प्रति विनयभाव रखनेवाले), ४ अज्ञानवादी (मुक्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा न स्वीकार करनेवाले) ५ शाश्वतवादी (वस्तु को नित्य माननेवाले)। इन सम्प्रदायों का उल्लेख जैन आगमों में विस्तार से मिलता है।

इन चार प्रकार के दार्शनिक सम्प्रदायों के अतिरिक्त प्रन्य में बाह्य नेष-भूषा के आधार से पाँच प्रकार के साधु-सम्प्रदायों का भी उल्लेख है: ४१. चीराजिन (वस्त्र व मृगचर्म धारण करने-

—ব০ १০.१५.

पासंडा कोउगासिया ॥

—उ॰ **२३.**१६.

तथा देखिए-उ० १६.२६-२७, ४२.

 किरियं अकिरियं विषयं अलाणं च महामुणी । एएहि चउहि ठाणेहि मेयन्ने कि पभासई ।।

—उ० १८.२३.

स पुरुवमेवं न सभेज्ज पच्छा एसीवमा सासय वाइयाणं।

—उ० ४,**६**.

- ३. देखिए-जैं० मा० स०, पृ० ३७६, ४२८; सूत्रकृतांगसूत्र १.१२.१.
- ४. चीराजिणं निर्णाणं जडी संघाडि मुंडिणं । एयणि वि न तायंति दुस्सीलं परियागयं ॥ —उ० ४.२१.

१. कृतित्यिनिसेवए जणे।

बाले ), २. नग्न (नग्न रहनेबाले जैनेतर साधु), ३. जटा-धारी, ४. संघाटी (गुदड़ी के वस्त्र धारण करनेवाले) और ४. मुण्डित (शिर मुड़ानेवाले जैनेतर साधु)।

इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त उस समय और भी कई सम्प्रदाय रहे होंगे परन्तु उनका यहाँ उल्लेख नहीं मिलता है। केशि-गौतम संवाद से स्पष्ट है कि जैनश्रमणों में भी दो सम्प्रदाय थे: १. सचेल (पार्श्वनाथ की परम्परा के शिष्य) और २. अचेल (महावीर की परम्परा के शिष्य)। ये ही दोनों सम्प्रदाय कालान्तर में श्वेताम्बर (स्थिविरकल्प) और दिगम्बर (जिनकल्प) सम्प्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुए।

# . अनुक्रीळन

सामाजिक-व्यवस्था की दृष्टि से उस समय जाति और वर्ण के आधार पर सामाजिक संगठन था। जात-पांत का भेदभाव बहुत बढ़ चुका था। शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। ये दास के रूप में काम करते थे और इनका सवंत्र निरादर होता था। ब्राह्मणों का आधिपत्य था और वे धर्म के नाम पर यज्ञों में अनेक मूक-पशुओं की हिसा करके अपना उदर-पोषण करते थे। ये देदों के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते थे। जैनों का उनसे वाद-विवाद होता था। अधिकांश क्षत्रिय और वेश्य काफी धनसम्पन्न थे। क्षत्रिय प्रजा पर शासन करते और भोग-विलास में लीन रहते थे। कुछ क्षत्रिय राजा श्रमणदीक्षा भी ले लेते थे। वंश्य विदेशों तक व्यापार करने जाते और निमित्त मिलने पर श्रमण-दीक्षा भी ले लेते थे।

परिवार में माता-पिता का स्थान सर्वोपरि होता था। पिता परिवार का पालन-पोषण करता था। परिवार में पुत्र सबको त्रिय था। माता-पिता पुत्र के अभाव में घर में रहना निरर्थंक समझते थे। परिवार में माता-पिता की शोभा पुत्र से ही मानी जाती थी। अतः पुत्र के दीक्षा ले लेने पर माता-पिता बड़े चिन्तित होते थे और कभी-कभी माता-पिता भी पुत्र के साथ दीक्षा ले लेते थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की बागडोर पुत्र ही समहालता था।

साधारणतः पत्नी का जीवन पति-भक्ति तक ही सीमित था। अतः कभी-कभी पति के दीक्षा ले लेने पर पत्नियां भी दीक्षा ले लेती थीं। पति के लिए पत्नियां प्रायः भोगविलास की साधन थीं। कुछ पत्नियां पति को भी प्रबोधित करती थीं। एक भाई दूसरे भाई से साधरणतया प्रेम करता था।

नारी यद्यपि परिवार से पृथक् नहीं है परन्तु उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। पुरुष जैसा चाहता वैसा उसके साथ व्यवहार करने में स्वतन्त्र था। पुरुषों को अपनी ओर आर्काषत करके संयम से पितत करने में कारण नारी ही होती थी। परन्तु यह पुरुष की एकांगी धारणा थी क्योंकि वह अपने आपको संयमित न कर सकने के कारण नारी को दोष देता था और उसे भला-बुरा सब कुछ कहता था। अन्यथा राजीमती, कमलावती जैसी श्रेष्ट नारियों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने पुरुषों को संयम में प्रवृत्त कराया। यह सब है कि ऐसी श्रेष्ट नारियाँ कम थीं और अधिकांश नारिया परापेक्षी तथा भोग विलास में ही निमन्न थीं। ये पिता के द्वारा जिसे दे दी जाती थीं उनका सर्वस्व वही हो जाता था। पित के दीक्षा ले लेने पर कुछ नारियां उनका अनुसरण भी करती थीं। कुछ पित की मृत्यु हो जाने पर पर-पुरुष का भी आलम्बन कर लेती थीं। इस तरह स्वियों की स्वतन्त्र-स्थिति का प्रायः अभाव था।

धामिक-प्रथाओं में यज्ञ का अत्यधिक प्रचलन था। यज्ञों में अनेक मूक-पशुओं की बिल दी जाती थी। कुछ ऐसे भी यज्ञ होते थे जो घृतादि के द्वारा ही सम्पन्न किए जाते थे। इनमें हिंसा नहीं होती थी और ऐसे यज्ञमण्डपों में जैनश्रमण भी भिक्षार्थ जाया करते थे। कभी-कभी वहां उनका तिरस्कार भी होता था परन्तु फिर भी वे वहां पर शान्त रहते और अवसर मिलने पर यज्ञ की भावपरक आध्यादिमक व्याख्याएँ भी किया करते थे।

स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध कराने के लिए विवाह की प्रया प्रचलित थी। उसमें प्रायः पिता ही सर्वोपरि होता था। अतः पुत्र या पुत्री के अधिकांश सम्बन्ध पिता ही निश्चित किया करताथा। श्रेष्ठ कन्याओं का विवाह बड़े उत्सव के साथ होता था।

बारात के साथ वर कन्या के घर जाता था परन्तु हरेक विवाह-सम्बन्ध में वर बारात के साथ कन्या के घर नहीं जाता था। इसीलिए राजीमती के पिता उग्रसेन केशव से बारात लेकर आने को कहते हैं। वर जब बारात के साथ प्रस्थान करता था तो उसे नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित किया जाता था तथा देश व कुल की परम्परानुसार कौतुक-मंगल आदि कार्य भी किए जाते थे। कुछ कन्याएँ राजाओं को भेंटरूप में भी दे दी जाती थीं। व्यापार के लिए विदेश गए हुए वैश्य पुत्र कभी-कभी विदेश में ही विवाह कर लेते थे और कुछ दिन घरजमाई बनकर अपने घर वापिस आ जाते थे। उस समय बहु-विवाह भी होते थे। कभी-कभी पिता पुत्र के लिए कहीं से सुन्दर कन्या भी ले आते थे। ऐसे सम्बन्ध शायद खरीदकर लाई गई अथवा भेंटरूप में दी गई अथवा बलात् छीनकर लाई गई कन्याओं के साथ होते रहे होंगे। जैसा कि अन्य तत्कालीन जैन आगम-ग्रन्थों में धन देकर कन्याओं को खरीदने के उल्लेख मिलते हैं। कभी-कभी विवाह-सम्बन्ध देव की प्रेरणा आदि से भी कर दिए जाते रहे होंगे। इस तरह स्त्री और पुरुष को एक बन्धन में बांधने (विवाह) के लिए कोई एक निश्चित रिवाज नहीं था अपितु यथासुविधाये सम्बन्ध हो जाया करते थे।

परिवार में किसी के मर जाने पर उसका दाह-संस्कार करने का रिवाज था। दाह-संस्कार प्राय: पुत्र या पिता करता था। इसके बाद कुछ दिन शोक करके उसके सभी सम्बन्धीजन अपने-अपने कार्यों में यथास्थान लग जाते थे।

जीविका-निर्वाह तथा युद्ध आदि में उपयोग के लिए पशु-पक्षियों का पालन किया जाता था। पशुओं में हाथी, घोड़ा, गाय, बकरा आदि प्रमुख थे। खान-पान में घी, दूध, फल, अन्न, मांस-मदिरा आदि का आम-रिवाज था। बकरे का मांस बड़े चाव से खाया जाता था। अतः 'एलय' अघ्ययन में 'कर्कर' शब्द करते हुए बकरे के मांस-भक्षण का दृष्टान्त दिया गया है।

१. जै० भा० स०, पृ० २५५.

क्षत्रिय राजा लोग युद्ध-कौशल तथा मनोरंजन आदि के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ मृगया-विहार के लिए जाया करते थे। ये शहर के समीप वर्तमान उद्यानों में जाकर स्त्रियों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हुए मनोरंजन भी करते थे। धिनक व्यापारी लोग नाव से समुद्र पार करके विदेश में व्यापार करने के लिए भी जाते थे। समुद्रयात्रा में विध्नों की संभावना अधिक रहती थी। यह समुद्रयात्रा करने का सामर्थ्य प्रायः व्यापारियों में ही अधिक था। कभी-कभी विणक् स्त्रियां भी समुद्रयात्रा करती थीं। समुद्रयात्रा में इतना समय लगता था कि कभी कभी गर्भवती स्त्रियां रास्ते में प्रसव भी कर दिया करती थीं।

रोगादि का निवारण औषिधसेवन के अतिरिक्त मन्त्र-तन्त्र-शक्तियों से भी किया जाता था। इलाज करनेवाले बहुत से चिकित्सक होते थे और वे वमन आदि क्रिया के द्वारा रोग का इलाज किया करते थे। मन्त्र-तन्त्र-शक्ति में जनता का काफी विश्वास था। कुछ लोग तपस्या के प्रभाव से मन्त्रादि शक्ति प्राप्त करके जीविका भी चलाते थे। जनता में अन्धविश्वास भी अधिक था। शुभाशुभ शकुनों का विचार किया जाता था। जैनश्रमणों को इन सबसे दूर रहने का विधान था।

समाज में सुख-शान्ति बनाए रखने के लिए शासन-व्यवस्था थी। शासन का अधिकार क्षत्रियों के हाथ में था। शासन करने वाला राजा कहलाता था। ये प्रायः एक-एक देश के स्वामी होते थे और देश की उन्नति आदि के लिए प्रयत्न किया करते थे। सभी देशों पर एकछत्र राज्य करनेवाला 'चक्रवर्ती' कहलाता था और उसे सभी राजागण नमस्कार करते थे। राजगदी प्राप्त करने का अधिकारी सामान्यरूप से राजा का पुत्र होता था। लावारिश सम्पत्ति का अधिकारी राजा होता था। इनका ऐश्वर्य देवों के तुल्य था। ये प्रायः अन्तःपुर की रानियों आदि के साथ भोग-विलास में लिप्त रहा करते थे। कभी-कभी ये श्रमण-दीक्षा भी ले लेते थे। जब कोई योग्य शासक दीक्षा लेता था तो उस समय का दृश्य बड़ा ही दर्शनीय और कारुणिक होता था। शत्रुओं के आक्रमण होते रहने से राजागण सर्दव सैन्यदल बढ़ाने तथा कोषवृद्ध करने के प्रति

जागरूक रहेते थे। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्रों-शस्त्रों आदि का निर्माण भी कराते थे।

चोर व डाकू भी कई प्रकार के थे। उन्हें पकड़ने और दण्ड देने के लिए न्याय की व्यवस्था थी। अपराधी को मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। अपराधी को वधस्थान ले जाते समय उसे एक निष्चित वेश-भूषा पहनाकर शहर में घुमाया जाता था ताकि अन्य लोग उसे देखकर वैसा काम न करें। अरणागत की रक्षा की जाती थी। राजाजा को सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते थे।

नाट्यकला, स्थापत्यकला, संगीतकला, चित्रकला आदि का विकास था और इनका विकास प्रायः राजाओं के द्वारा ही होता था।

जनसामान्य की प्रवृत्ति धर्म से हटकर भोग-विलास की ओर अधिक थी। यद्यपि श्रेष्ठ साधुगण धर्म में स्थिर करने के लिए प्रयत्नशील थे फिर भी लोग अपने आचार से बहुत अधिक मात्रा में पतित हो रहे थे। आचार से पतित होनेवाले साधु लोग कुतर्क करके गुरु एवं आचार्य आदि की अवहेलना करते थे। धार्मिक तथा दार्शनिक साधुओं के कई सम्प्रदाय थे। इन सबमें जैन-श्रमणों तथा ब्राह्मणों का आधिपत्य था। श्रेष्ठ साधुओं का सत्कार सर्वत्र होता था। राजा भी उनके कोप से भयभीत रहते थे। जैन-श्रमणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद सभी जातियों के व्यक्ति थे। अधिकांश क्षत्रिय थे। जैनश्रमणों के भी दो सम्प्रदाय थे जिन्हें श्रावस्ती के उद्यान में हुए एक सम्मेलन द्वारा एक में मिला दिया गया था परन्तु कालान्तर में वे पुनः श्वेताम्बर और दिगम्बर के हुए।

इस तरह उत्तराध्ययन में समाज और संस्कृति का जो सामान्य चित्रण मिलता है वह तत्कालीन अन्य ग्रन्थों का अवलोकन किए बिना पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तराध्ययन के मुख्यत: धार्मिक ग्रन्थ होने से तथा किसी एक काल-विशेष की रचना न होने से इसमें चित्रित समाज व संस्कृति से यद्यपि किसी एक काल-विशेष का पूर्ण चित्र उपस्थित नहीं होता है फिर भी तत्कालीन समाज एवं संस्कृति की एक झलक अवश्य मिलती है।

## ४३६ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

इस सब विवेचन से इतना तो निश्चित है कि उस समय समाज चार वर्णों तथा चार आश्रमों में विभक्त था, जाति-प्रथा का जोर था, ब्राह्मणों का आधिपत्य था, वैदिक यज्ञों का बोलबाला था. जैनश्रमणों का जीवन कष्टप्रद होने पर भी उनका प्रसार हो रहा था, समुद्रपार जहाजों से व्यापार होता था, राजा लोग राज्य के विस्तार के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे जिससे अक्सर युद्ध हुआ करते थे, शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, नारी विकास की ओर कदम उठा रही थी, समाज भोग-विलास की ओर गतिशील था, धमं के प्रति जनता की अभिक्षि कम थी तथा धार्मिक एवं दार्शनिक मत-मतान्तर काफी थे।



#### प्रकरण द

# उपसंहार

उत्तराध्ययन-सूत्र अर्घ-मागधी प्राकृत भाषा में निबद्ध एक धार्मिक काव्य-ग्रन्थ है। यह किसी एक व्यक्ति की किसी एक काल की रचना नहीं है अपितृ इसमें मुख्यतः भगवान् महावीर-परिनिर्वाण के समय दिए गए उपदेशों का विभिन्न समयों में किया गया संकलन है। भगवान् महावीर के शिष्यों ने उनके जिस उपदेश को ग्रन्थों के रूप में निबद्ध किया वे अंग और अंगबाह्य आगम (श्रुत) कहे जाते हैं। इनमें से जो साक्षात् महावीर के शिष्यों (गणधरों) के द्वारा रचित हैं वे अंग और जो तदुत्तरवर्ती पूर्वाचार्यों (श्रुतज्ञों) के द्वारा रचित हैं वे अंगबाह्य कहलाते हैं। इनमें अंग-ग्रन्थों का प्राधान्य है। उत्तराध्ययन उपांग मूलसूत्र आदि अंगबाह्य के भेदों में से मूलसूत्र विभाग में आता है। यद्यपि मूलसूत्र शब्द का अर्थ विवादास्पद है परन्तु उत्तराध्ययन प्राचीनता, मूलरूपता, मौलिकता आदि सभी दिष्टियों से मूलसूत्र कहे जाने के योग्य है।

उत्तराध्ययन यद्यपि अंगबाह्य ग्रन्थों में आता है तथापि यह अंगग्रन्थों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भाषा और विषय की प्राचीनता की
दृष्टि से अंग और अंगबाह्य समस्त आगम-ग्रन्थों में इसका तीसरा
स्थान है। मौलिकता, मूलरूपता तथा विषय-प्रतिपादन में ली की
सुबोधता आदि के कारण यह चारों मूलसूत्रों में अग्रगण्य है।
विन्टरनित्स आदि विद्वानों ने इसकी तुलना धम्मपद, सुत्तनिपात,
जातक, महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों से की है। इसी महत्त्व
के कारण कालान्तर में इस पर विपुल व्याख्यात्मक साहित्य लिखा
गया तथा वर्तमान में भी लिखा जा रहा है।

दिगम्बर-परम्परा में भी उत्तराध्ययन का यद्यपि सिविशेष उल्लेख मिलता है परन्तु वर्तमान में उपलब्ध उत्तराध्ययन को वे अन्य आगम-ग्रन्थों की ही तरह प्रामाणिक नहीं मानते हैं। इसे प्रामाणिक न मानने का मुख्य कारण है—इसमें प्रतिपादित साधु के सामान्य आचार से सम्बन्धित कुछ सैद्धान्तिक मतभेद । परन्तु प्रन्थ में आए हुए केशि-गौतम संवाद तथा अन्य कई स्थलों को देखने से ज्ञात होता है कि यह बाह्य सैद्धान्तिक मतभेद कोई महत्त्व नहीं रखता है। ग्रन्थ में सर्वत्र बाह्योपचार की अपेक्षा आभ्यन्तरिक उपचार एवं बीतरागता पर जोर दिया गया है जो खेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों को मान्य है। यह अवश्य है कि महावीर के परिनिर्वाण के बाद करीब १००० वर्षों के मध्य इसमें भी अन्य आगम-ग्रन्थों की तरह परिवर्तन और संशोधन होने पर भी यह अपने मुलक्ष्य में सुरक्षित है।

जिस प्रकार 'मूलसूत्र' शब्द के अर्थ में मतभेद है उसी प्रकार उत्तराध्ययन के नामकरण के विषय में भी निश्चित मत नहीं है। निर्मुक्तिकार के अनुसार उत्तराध्ययन का अर्थ है - जिसका आचा-राङ्गादि अंग-ग्रन्थों के बाद अध्ययन किया जाए। श्री कानजी भाई पटेल ने अपने लेख 'उत्तराध्ययन-सूत्र: एक धार्मिक काव्य-ग्रन्थ' में लायमन का मत उद्धृत करते हुए 'Later Reading' का अर्थ 'अन्तिम रचना' किया है। यद्यपि Later Reading का यह अर्थ संदिग्ध है फिर भी यदि ऐसा एक विकल्प मान भी लें तो कोई आपत्ति भी नहीं है। ये दोनों ही मत सयुक्तिक प्रतीत होते हैं क्योंकि उत्तराध्ययन के अध्ययनों के अध्ययन की परम्परा आचाराङ्गादि अंग-ग्रंथों के बाद रही है तथा इसकी रचना भी भगवान् महावीर के उत्तरकाल (परिनिर्वाण के समय ) में हुई है। 'उत्तर' शब्द का 'बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर' अर्थ करके अथवा 'उत्तरोत्तर अध्ययनों की श्रेष्ठता' अर्थ करके जिसमें बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर दिया गया हो अथवा जिसके अध्ययन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हों वह उत्तराध्ययन है, ऐसी मान्यता वर्तमान में उपलब्ध ग्रन्थ के आधार पर सही नहीं कही जा सकती है क्योंकि प्रकृत ग्रन्थ में ऐसा कोई संकेत नहीं है।

उत्तराघ्ययन में ३६ अध्ययन हैं जिनमें मुख्यरूप से नवदीक्षित जैन साधुओं के सामान्य आचार-विचार के साथ जैनदर्शन के मूलभूत दार्शनिक सिद्धान्तों की सामान्य चर्चा की गई है। ऐसा होने पर भी हम इसे मात्र जैन साधुओं के आचार-विचार तथा भुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादक नीरस ग्रन्थ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें साधुओं के आचार-विचार आदि का मुख्यरूप से उपदेशात्मक व आज्ञात्मक शैली में प्रतिपादन होने तथा बहुत्र विषय की पुनरावृत्ति होने पर भी साहित्यिक गुणों का अभाव नहीं हुआ है। यद्यपि कुछ अध्ययन अवश्य शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के कारण नीरस प्रतीत होते हैं परन्तु अन्यत्र उपमा, दृष्टान्त, रूपक आदि अलंकारों तथा सुभाषितों से मिश्रित कथात्मक व संवादात्मक सरस शैली का प्रयोग किया गया है जिससे कहीं-कहीं इसके साहित्यिक गुणों का उत्कर्ष भी हुआ है। इसके अध्ययनों को विषय-शैली की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे: १. शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादक अध्ययन, २. नीति एवं उपदेश-प्रधान अध्ययन और ३. आख्यानात्मक अध्ययन । यह विभाजन प्रधानता की दृष्टि से ही संभव है क्योंकि प्राय: सर्वत्र सैद्धान्तिक चर्चा की गई है।

कर्मणा जातिवाद की स्थापना, बाह्यशुद्धि की अपेक्षा आभ्यन्तर-शुद्धि की प्रधानता, देश-काल के अनुरूप धार्मिक नियमों में परिवर्तन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता, यज्ञ की आध्यारिमक व्याख्या, व्यक्ति का पूर्ण स्वातन्त्रय व परमात्मा बनने की क्षमता, देवों की अपेक्षा मनुष्यजन्म की श्लेष्ठता, सुख-दु:ख की प्राप्ति में व्यक्ति के द्वारा स्वतः किए गए भले-बुरे कर्मों की कारणता, वशीकृत आत्मा के द्वारा अवशीकृत ओत्मा पर विजय प्राप्त करने का आध्यात्मिक संग्राम, गुरुःशिष्य के आपस के सम्बन्ध, हर मुसीबत का अडिगतापूर्वक मुकाबला, ब्राह्मण का आदर्श स्वरूप, अहिंसा-सत्य-अचौर्य-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह इन पाँच नैतिक नियमों की ं मुक्ष्म व्याख्या, संसार की अनादिता के साथ संसार के विषय-भोगों की असारता, वीतरागता का उपदेश, विश्वबन्धत्व की भावना, चेतन व अचेतन का विश्लेषण, पुनर्जन्म, स्त्री-मुक्ति व जीवन्मुक्ति में विश्वास, अनादिमुक्त ईश्वर की सत्ता में अविश्वास, जीवन का अन्तिम लक्ष्य-मुक्ति, मुक्ति का स्वरूप और उसकी प्राप्ति आदि प्रकृत प्रत्थ के विशेष प्रतिपाद्य विषय हैं। इन विषयों के प्रतिपादन में निम-प्रवज्या आदि मार्मिक व आध्यात्मिक संवादारमक आख्यानों तया उपमा आदि अलंकारों के प्रयोग से जिस आध्यात्मिक मार्ग

का विवेचन किया गया है उसे एक मुमुक्षु व तत्त्विज्ञासु की दृष्टि से निम्नोक्त प्रकार से अभिब्यक्त किया जा सकता है:

यह प्रत्यक्ष दृश्यमान विश्व असीम है। हमारे द्वारा इसकी कल्पना कर सकना संभव नहीं है। इस असीम विश्व में सर्वत्र सृष्टि नहीं है अपितु इसके बहुत ही स्वल्प भाग में सृष्टि है, उसमें भी मानव की मुब्टि बहुत ही अल्प भाग में है। फिर भी मानव का सुष्टि-स्थल हमारे लिए बहुत विशाल है। सामान्यतः जहां मानव का निवास है उसके ऊपर देवों का और नीचे नारिकयों का निवास है। तिर्यञ्चों का सर्वत्र सद्भाव है। इस तरह यह विश्व एक सुनियोजित शृंखला से बद्ध है। इसका संचालक कोई ईश्वर आदि सर्वशक्तिमान् तत्त्व नहीं है। इस विश्व में कुल छ: द्रव्य हैं जिनमें से सिफं आकाश ही एक ऐसा द्रव्य है जिसका सर्वत्र सदभाव पाया जाता है, शेष पाँच द्रव्य आकाश के एक सीमित प्रदेश में ही पाए जाते हैं। आकाश के जिस भाग में जीवादि छ: द्रव्यों की सत्ता है अथवा मुष्टि है उसे लोक ग्रा लोकाकाश कहा गया है तथा जिस भाग में मुब्दि का अभाव है, सिर्फ आकाश ही आकाश है उसे अलोक या अलोकाकाश । अलोकाकाश में पृथिवी, अप, तेज, वायु आदि किसी की भी सत्ता नहीं हैं। वहाँ आकाश मात्र होने से उसे अलोकाकाश कहा गया है।

इस लोक में जिन ६ द्रव्यों की सत्ता स्वीकार की गई है उनके नाम ये हैं: १. जीव (आत्मा—चेतन), २. पुद्गल (रूपी अचेतन), ३. धर्म (गित का माध्यम), ४. अधर्म (स्थित का माध्यम), ४. आकाश और ६. काल। चेतन्य के सद्भाव और असद्भाव की दृष्टि से इन्हें जीव और अजीव (पुद्गल आदि पाँच द्रव्य) के भेद से दो भागों में भी विभक्त किया गया है। यह विभाजन चेतन्य नामक गुण के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से किया गया है। इसी प्रकार अन्य गुण-विशेष के सद्भाव-असद्भाव की अपेक्षा से भी ग्रन्थ में द्रव्य को रूपी-अरूपी, अस्तिकाय-अनस्तिकाय, एकत्वसंख्या-विशिष्ट-बहुत्वसंख्याविशिष्ट आदि प्रकार से विभाजित किया गया है। चेतन (आत्मा) जीव है। पृथिवी आदि समस्त दृश्यमान वस्तुएं पुद्गल रूपी अचेतन हैं। जीवादि की गिन का अप्रेरक

माध्यम धर्म है। जीवादि की स्थिति का अप्रेरक माध्यम अधर्म है। सब द्रव्यों के ठहरने का आधार आकाश है और वस्तु में प्रतिक्षण होनेवाले परिवर्तन में कारण काल है। इस तरह लोक में इन छहों द्रव्यों के संयोग और वियोग से इस सृष्टि का यन्त्रवत् संचालन होता रहता है। इसमें ईश्वर तत्त्व की आवश्य-कता नहीं है। ईश्वर तत्त्व को स्वीकार न करने के कारण धर्मादि द्रव्यों की कल्पना करनी पड़ी है। जीव अपने कर्त्तव्यों का ठीक से पालन करके परमात्मा बन सकता है और अकर्त्तव्य कर्मों को करके अधम। परमात्म-अवस्था में जीव सब प्रकार के कर्मों से परे होकर तटस्य हो जाता है। एकेन्द्रियादि जीवों की सत्ता कण-कण में स्वीकार की गई है और वे सर्वलोक में व्याप्त हैं। जीवों का विभाजन पाश्चात्यदर्शन के लीव्नीज के जीवाणुवाद और बर्गसां के रचनात्मक विकासवाद से मिलता-जुलता है।

इस प्रकार यथार्थवाद का चित्रण करने के कारण द्रव्य का स्वरूप भी एकान्त रूप से नित्य या एकान्त रूप से क्षणिक न मानकर अनि-त्यता से अनुस्यूत नित्य माना गया है। द्रव्य में प्रतिक्षण होनेवाले परिवर्तन तथा उस परिवर्तन में वर्तमान एक इकाई या सामञ्जस्य को स्वीकार करते हुए द्रव्य का स्वरूप उत्पाद, व्यय और ध्रोव्या-त्मक (नित्य) माना गया है। चैतन्य आदि जीव के नित्य धर्म (गुण) हैं और मनुष्य, देव आदि उसकी विभिन्न अवस्थाएँ (पर्याएँ)। नित्यता द्रव्य का गुण (नित्य-धर्म) है और अनित्यता उसकी उपाधि (पर्याय—अनित्य-धर्म)। गुण और पर्यायों (अनित्य धर्मों) को द्रव्य से न तो सर्वथा पृथक् किया जा सकता है और न गुण-पर्यायों के समूह को ही द्रव्य कहा जा सकता है। अतः गुण और पर्यायवाले को द्रव्य कहा गया है। इस तरह यह द्रव्य (आधारविशेष) गुण और पर्यायों से सर्वथा भिन्न न होकर कथंचित् भिन्न व कथंचित अभिन्न है।

इस तरह विश्व की रचना और उसमें वर्तमान सृष्टि-तत्त्वों का वर्णन करके ग्रन्थ में चेतन और अचेतन पुद्गल के परस्पर संयोग की अवस्था को संसार कहा गया है। जब तक चेतन के साथ अचेतन पुद्गल का सम्बन्ध रहता है तब तक वह संसारी कहलाता है। जब तक जीव संसारी अवस्था में रहता है चाहे वह देव ही क्यों न हो, तब तक वह अपने शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव से सांसारिक सुख-दुःख का भोग करता हुआ जन्म-मरण को प्राप्त करता है। वास्तव में जीव संसार में जन्म-मरणजन्य नाना प्रकार के दुःखों को ही प्राप्त करता है। उसे जो क्षणिक सुखानुभूति होती है वह भी दुखः रूप ही है क्यों कि संसारी व्यक्ति का वह भौतिक सुख कुछ क्षण के बाद ही नष्ट हो जाने वाला है। अतः बौद्धदर्शन की तरह प्रकृत ग्रन्थ में भी संसार को दुःखों से पूर्ण बतलाया गया है।

इस दुःख का कारण है - व्यक्ति के द्वारा (अज्ञानवश) रागादि के वशीभृत होकर किया गया शुभाशुभ कर्म। यद्यपि ये कर्म अचेतन हैं फिर भी सजग प्रहरी की तरह ये प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया का अध्ययन-सा करते रहते हैं और समय आने पर उसका शुभाशुभ फल भी देते हैं। ये कर्म वेदान्तदर्शन में स्वीकृत स्थूलशरीर के भीतर वर्तमान सूक्ष्मशरीर स्थानापन्न हैं जो स्थलशरीर की प्राप्ति में कारण बनते हैं। कुछ रूपी अचेतन (पुद्गल) द्रव्य ही कर्म का रूप धारण करके यन्त्रवत् कार्य करते रहते हैं। इन कर्म-पुद्गलों (कार्मणवर्गणा) का जीव के साथ सम्बन्ध कराने में लेश्याएँ कारण बनती हैं। लेश्याएं जीव के रागादिरूप परिणाम हैं। इस कर्म और लेश्याविषयक वर्णन के द्वारा ग्रन्थ में संसार के सुखों एवं दुःखों का स्पष्टीकरण किया गया है। इस तरह संसार के वैचित्र्य की गृत्थी को सुलझाने के लिए किसी ईश्वर आदि नियन्ता की कल्पना नहीं करनी पड़ती है। यद्यपि इन कर्मों का फल भोगे बिना कोई भी जीव बच नहीं सकता है फिर भी यदि जीव चाहे तो उपायपुर्वक पूर्वबद्ध कर्मों को शीघा ही बलात नष्ट कर सकता है और आगामी काल में कर्मों के बन्धन को रोक सकता है।

कर्मों का बन्धन न होने देने के लिए ग्रन्थ में जिस उपाय को बतलाया गया है वह जैनदर्शन में 'रत्नत्रय' के नाम से प्रसिद्ध है। जिनेन्द्रदेव प्रणीत ह तथ्यों में दृढ़ विश्वास (सत्-दृष्टि), उन तथ्यों का सच्चा ज्ञान और तदनुसार सदाचार में प्रवृत्ति ये तीन रत्नत्रय हैं जो सम्यन्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के नाम से

प्रसिद्ध हैं। भगवद्गीता का भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग का सम्यक् समृच्चय ही यहाँ रत्नत्रयरूप है। इन तीनों की पूर्णता होने पर साधक कर्मों से पूर्ण छ्टकारा प्राप्त करके संसार से मुक्त हो जाता है। इन तीनों की पूर्णता क्रमशः होती है। इनमें आपस में कारण-कार्य सम्बन्ध भी है। तथ्यों में श्रद्धा होने पर ही उनका सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और सच्चा ज्ञान होने पर ही सदा-चार में प्रवृत्ति सम्भव है क्योंकि कर्मों के बन्धन का कारण अज्ञान होने से उनसे मुक्ति का उपाय भी ज्ञान होना चाहिए था परन्तू सदाचार की पूर्णता होने पर जो मुक्ति स्वीकार की गई है उसका कारण हैं पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना। अतएव पूर्ण ज्ञान (केवल-ज्ञान ) हो जाने पर जीव को जीवन्मुक्त माना गया है। सदाचार पर विशेष जोर देने का दूसराभी कारण था—लोगों में फैले हुए दुराचार का शमन करना। सदाचार की पूर्णता अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (धनादि-संग्रह की प्रवित्त का त्याग) रूप पाँच नैतिक व्रतों का पालन करने से होती है। इन पाँच नैतिक वृत्यों का पालन करने के अतिरिक्त साधक को कुछ अन्य नैतिक व्रतों का भी पालन करना पड़ता है जो अहिसादि मूल नैतिक वर्तों के ही पोषक हैं। इन अहिंसादि पाँच वर्तों के भी मुल में अहिंसा है और उस अहिंसा की पूर्णता अपरिग्रह की भावना पर निभंर है। सदाचार के उत्तरोत्तर विकासक्रम के आधार पर चारित्र को सामायिक आदि पाँच भागों में विभक्त किया गया है। सदाचार का पालन करनेवाले गृहस्थ और साधुहोते हैं। अतः उनकी अपेक्षा सदाचार को दो भागों में भी विभक्त किया गया है-.. गृहस्थाचार और साध्वाचार ।

गृहस्थाचार साध्वाचार की प्रारम्भिक अभ्यासावस्था है। इसमें
गृहस्थ गार्हस्थ्यजीवन यापन करते हुए स्थूलरूप से अहिंसादि पाँच
नैतिक वर्तों का यथासंभव पालन करता है तथा धीरे-धीरे आत्मविकास करते हुए साधु के आचार की ओर अग्रसर होता है। अतः
गृहस्थाचार पालन करने का उपदेश उन्हें ही दिया गया है जो
साध्वाचार पालन करने में असमर्थ हैं। गृहस्थाचार के सम्बन्ध
में यहां एक बात विशेष दृष्टब्य है कि ग्रन्थ में गृहस्थाचार पालन

करनेवाले को देवत्व के साथ मुक्तिपद का भी अधिकारी बतलाया गया है जबकि वह न तो पूर्ण वीतरागी ही है और न पाँच नैतिक वर्तों का सूक्ष्मरूप से पालन ही करता है। इसका कारण है बाह्य-शुद्धिकी अपेक्षा आभ्यन्तरिक-शुद्धि पर जोर । तात्पर्य है कि यह आभ्यन्तरिक-शुद्धि रूप वीतरागता जैसे और जहाँ भी संभव हो वैसे ही वहाँ आत्म-विकास करते हुए साधना क्योंकि बाह्यलिङ्गादि तो मात्र बाह्यरूप के परिचायक हैं, कार्य-साधक नहीं। अतः गृहस्थ होकर भी व्यक्ति आभ्यन्तरिक शुद्धि की अपेक्षा कुछ काल के लिए पूर्ण वीतरागी भी हो सकता है । वास्तव में ऐसा व्यक्ति गृहस्थ होकर भी वीतरागी साधु ही है क्योंकि वीत-रागता में ही साधुता है। वीतरागता, आत्मविकास और ज्ञानादि की साधना गृहस्थजीवन की अपेक्षा गृहत्यागी साधुजीवन में अधिक संभव हैं क्यों कि साधु सांसारिक मोह-ममता आदि से बहुत दूर रहता है। अतः ग्रन्थ में एक समय में मुक्त होनेवाले जीवों की संख्या-गणना के प्रसंग में साधुओं की अपेक्षा गृहस्थों में तथा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में वीतरागता आदि की योग्यता कम होने से साधुव पुरुष की अपेक्षा गृहस्थ तथा स्त्री की संख्या कम बतलाई गई है।

इस तरह आत्मिविकास करते हुए मुक्ति का साधक गृहस्थ-धर्म की चरमावस्था में पहुँचकर जब सूक्ष्मरूप से अहिसादि वर्तों का पालन करने लगता है तो वह साध्वाचार में प्रवेश करता है। इसके बाद वह ज्ञान और चारित्र की और अधिक उन्नति के लिए माता-िपता आदि से आज्ञा लेकर व सभी प्रकार के पारिवारिक स्नेह-बन्धनों को तोड़कर किसी गृह से या गृह के न मिलने पर स्वयं साधु-धर्म को अंगीकार कर लेता है। इस समय उसे अपने सभी वस्त्राभूषणों के साथ शिर और दाढ़ी के बालों को भी उखाड़कर त्याग करना पड़ता है। इसके बाद वह नियमानुकूल भिक्षा के द्वारा प्राप्त वस्त्र और आहार आदि का उपभोग करता हुआ एकान्त में आत्मिचन्तन करता है। भिक्षान्न के द्वारा जीवन यापन करने के कारण साधु को 'भिक्षु' कहां गया है। इस भिक्षान्न आदि की प्राप्ति के विषय में बहुत ही कठोर नियम हैं जिनके मूल में अहिसा

आदि पाँच नैतिक महावर्तों की रक्षा की भावना निहित है। साधु जो भी नियम या उपनियम ग्रहण करता है उन सबका साक्षात् या परम्परया फल कर्म-निर्जरा व मुक्ति बतलाया गया है। इतना विशेष है कि किसी भी एक नियम का पालन करने पर अन्य सभी नियमों का भी पालन करना आवश्यक हो जाता है।

साधु जिन अहिंसादि पाँच नैतिक वर्तों का सूक्ष्मरूप से पालन करता है उनके भी मूल में अहिंसा व अपिरग्रह की भावना निहित है क्यों कि अहिंसा का अर्थ है—मन-वचन-काय से तथा कृत-कारित-अनुमोदना से किसी को जरा भी कष्ट न देना। असत्य-भाषण, घोरी, स्त्री-सेवन और धनादिसंग्रह में स्वाभाविक है कि किसी न किसी रूप में हिंसा का दोष लगे। अतः सत्यादि वर्तों के लक्षण में भी अहिंसा की भावना को घ्यान में रखा गया है। इस अहिंसा की पूर्णता अपिग्रह (बीतरागता) की भावना पर निर्भर है क्यों कि सभी गुभागुभ प्रवृत्तियों का कारण राग है। राग के वशीभूत होकर ही जीव धनादि-संग्रह और हिंसादि में प्रवृत्त होता है। अतः साधु को अपनी अणुभात्मक प्रवृत्ति को रोकने के लिए गुप्तियों का और गुभ-व्यापार में सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति के लिए समितियों का उपदेश दिया गया है। इस तरह इन पाँच नैतिक वर्तों की रक्षा करते हुए आचरण करना ही साधु का सदाचार है।

इस तरह यद्यपि साधुका सदाचार पूर्ण हो जाता है परन्तु सैकड़ों भवों से संचित पूर्वबद्ध कमों को नष्ट करने के लिए एक विशेष कर्ताव्य-कर्म करना पड़ता है जिसका नाम है—तप। तप कमों को नष्ट करने के लिए एक प्रकार की अग्नि है जो साधु के सामान्य सदाचार से पृथक् नहीं है क्योंकि तप में जिन बाह्य और आभ्यन्तरिक क्रियाओं का पालन करना बतलाया गया है साधु उन सभी क्रियाओं का पालन करना बतलाया गया है साधु उन सभी क्रियाओं का प्रायः प्रतिदिन पालन करता है। अतः उन सभी नियमों के पालन करने में दृढ़ आत्मसंयम बरतना ही तप है। बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से तप मुख्यतः दो प्रकार का है। बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से तप मुख्यतः दो प्रकार का है। दोनों में प्रधानता आभ्यन्तर तप की है। आभ्यन्तर तपों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुख्यरूप से आत्म-चिन्तन किया जाता है। तप करते समय जितनी भी क्षुधा, तृषा आदि सम्बन्धी

बाधाएँ (परीषह) आती हैं उन सब पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है और वीर योद्धा की तरह आयु के अंतिम क्षण तक संयम में अडिंग रहना पड़ता है। तप साधु के सदाचार की परीक्षा के लिए कसौटी रूप है। साध्याचार पालन करने की दुष्करता का जो प्रतिपादन किया गया है वह इसी तप की अपेक्षा से किया गया है। प्रकृत ग्रन्थ में विणित तप का स्वरूप विशेषकर ध्यान-तप योगदर्शन और बौद्धदर्शन में विणित समाधि से मिलता जुलता है। इस तरह साधु जीवन-पर्यन्त तपोमय जीवन यापन करते हुए मृत्यु-समय सब प्रकार के आहारादि का त्याग करके समाधिमरण-पूर्वक शरीर का त्याग करता है। इस शरीर त्याग के बाद उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसका नाम है—मुक्ति।

यह मुक्ति की अवस्था सब प्रकार के कर्मबन्धनों से रहित, अगरीरी, अत्यन्त दुःखाभावरूप, निरतिशय सुखरूप और अविनश्वर है। इसे प्राप्त करने के बाद जीव का पुनः संसार में आवागमन नहीं होता है। इनका निवास लोक के उपरितम प्रदेश में माना गया है। अन्तिम जन्म की उपाधि की अपेक्षा से इनमें भेद संभव होने पर भी कोई तात्त्विक भेद नहीं है। ग्रन्थ में जो मुक्ति की अवस्था चित्रित की गई है वह अलौकिक है। वहाँ न तो स्वामी-सेवकभाव है और न कोई अभिलाषा । यह पूर्ण निष्काम व संसार से परे चेतन जीव की स्व-स्वरूप की स्थिति है। इस अवस्था में सब प्रकार के बन्धनों का अभाव हो जाने से इसे मुक्ति कहा गया है। ग्रन्थ में यद्यपि विदेह-मुक्ति का ही वर्णन किया गया है परन्तु जीवन्मुक्ति के भी तथ्य वर्तमान हैं। केवली या केवलज्ञानी की जो स्थिति है वह जीवन्मुवित की अवस्था है क्योंकि ये संसार में रहकर भी जल से भिन्न कमल की तरह उससे अलिप्त रहते हैं तथा मृत्यु के उपरान्त नियम से उसी भव में विदेहमुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की जाति, आयू, स्थान आदि का महत्त्व नहीं है। वह सदा-सर्वदा सबके लिए खुला द्वार है। मुक्तों के विषय में इतना विशेष है कि सभी मुक्त जीव अपने पुरुषार्थ से ही मुक्त हुए हैं। उनमें ऐसा एक भी जीव नहीं है जो अनादिमुक्त हो या बिना पुरुषार्थ किए ही ईश्वर आदि की कृपासे मुक्त हुआ हो।

इस प्रकार उत्तराध्ययन में तत्त्विज्ञासु व मुमुक्षु के लिए जिस तत्त्वज्ञान, मुक्ति व मुक्ति के पथ का वर्णन मिलता है वह विशेषकर साधु के आचार से सम्बन्धित है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह ग्रन्थ सिर्फ साधुओं के लिए ही उपयोगी है क्योंकि इसमें सरल, साहित्यिक व कथात्मक शैली में व्यवहारोपयोगी गृहस्थ-धर्म का भी प्रतिपादन होने से जनसामान्य के लिए भी कई दृष्टियों से उपयोगी तथा महस्वपूर्ण है। इसमें चित्रित समाज व संस्कृति से तत्कालीन बहुत सी महस्वपूर्ण बातों का पता चलता है। जैसेः वर्णाश्रम-व्यवस्था, ब्राह्मणों का प्रभुत्व व उनका सदाचार से पतन, कर्मणा जातिवाद की स्थापना, यज्ञों का प्राधान्य, काम-भोग की ओर बढ़ती हुई मानव की सामान्य प्रवृत्तियाँ, विभिन्न मत-मतान्तर, राज्य-व्यवस्था, समुद्रयात्रा, व्यापार, खेती, विवाह, दाह-संस्कार, पणु-पालन आदि।

इस तरह इस ग्रन्थ का धर्म व दर्शन के अतिरिक्त साहित्य, इतिहास, भूगोल, भाषाविज्ञान और तत्कालीन भारतीय समाज व संस्कृति आदि की अपेक्षा से भी बहुत महत्त्व है। इसीलिए जैन एवं जैनेतर सभी विद्वानों ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है तथा इस पर विपुल ज्याख्यात्मक साहित्य लिखा गया है व आगे भी लिखा जाता रहेगा।



# परिशिष्ट १

# कथा-संवाद

अत्यन्त प्राचीन काल से ही किसी भी विषय को रोचक, प्रेरणा-दायक एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उपमा एवं दृष्टान्त के अतिरिक्त कथा एवं संवादों का प्रयोग किया जाता रहा है। उप-देणात्मक तथा धार्मिक ग्रन्थों में इस प्रकार का प्रयोग नितान्त आवश्यक भी है। प्राचीन जैन आगमों में इस दृष्टि से ज्ञानृधर्मकथा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद दूसरा स्थान उत्तरा-घ्ययन का है।

कथाओं का विभाजन सामान्यरूप से चार भागों में किया जाता है। जैसे: १. अथंकथा, २. कामकथा, ३. वर्मकथा और ४. संकीणं-कथा। उत्तराध्ययन की कथाएँ धर्मकथा विभाग में आती हैं क्योंकि उत्तराध्ययन एक धार्मिक काव्य-ग्रन्थ है और इसमें उपमा, दृष्टान्त, संवाद, कथा आदि के द्वारा धर्म व वैराग्य का ही विशेषरूप से उपदेश दिया गया है। इसकी कथाएँ, उपदेश व संवाद जातक, महाभारत आदि की कथाओं आदि से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। उत्तराध्ययन की कथाएँ मूलरूप में संक्षित्त एवं संकेतात्मक हैं जिनका टीका-ग्रन्थों में पर्याप्त पल्लवन हुआ है। यहाँ पर मूल-ग्रन्थानुसार हृदयस्पर्शी व रोचक संवाद एवं कथाएँ दी जा रही हैं।

# केशि-गौतम संवाद:

तेईसर्वे तीर्थङ्कर भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य केशिकुमार श्रमण और चौबीसर्वे तीर्थङ्कर भगवान् महावीर के शिष्य गौतम ये दोनों ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए संयोगवश एक समय श्रावस्ती

१. प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३५७.

२. वही, पृ० ३६०-३६१.

३, उ० अध्ययन २३.

नगरी में आए। वहाँ केशि 'तिन्दुक' उद्यान में और गौतम 'कोष्ठक' उद्यान में अपने-अपने शिष्य-परिवार के साथ ठहर गए। दोनों ज्ञान व सदाचार से सम्पन्न थे। उनके शिष्यों ने जब एक दूसरे के बाह्यवेश व महाव्रतों के विषय में अन्तर देखा तो शंकायुक्त हो गए। उन्होंने सौचा—जब दोनों एक ही धर्म को मानने वाले हैं तो फिर यह बाह्य-वेशभूषा और आचार विषयक मतभेद केसा? शिष्यों की इस शंका को जानकर दोनों ने आपस में मिलने की इच्छा प्रकट की। केशि को ज्येष्ठिकुल का जानते हुए गौतम अपने शिष्य-परिवार के साथ तिन्दुक उद्यान में गए। गौतम को आते देखकर केशि ने उनका उचित सत्कार किया। आसन पर बैठे हुए वे दोनों सूर्य और चन्द्रमा की तरह मुशोभित हुए। उनके समागम को देखकर बहुत से गृहस्थ, देव, दानव, यक्ष, राक्षस और पाखण्डी आदि हजारों की संख्या में वहां एकत्रित हो गए। इसके बाद केशि ने शिष्यों की शंकाएँ दूर करने के लिए गौतम से अनुमति लेकर कुछ प्रश्न पूछे और गौतम ने उनका देश-कालानुरूप सयुक्तिक उत्तर दिया।

केशि — जब दोनों तीर्थङ्करों का उद्देश्य एक ही है तो फिर पार्श्वनाथ के चतुर्यामरूप धर्म को महाबीर ने पंचयाम (पाँच महाव्रत) में क्यों परिवर्तित किया ?

गौतम—ज्ञान से धर्म-तत्त्व का निश्चय करके तथा देश-काल के अनुसार बदलती हुई जनसामान्य की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर धर्म में यह आचारविषयक परिवर्तन किया गया । यदि ऐसा न किया जाता तो धर्म स्थिर नहीं रह सकता था ।

केशि-पार्श्वनाथ के सान्तरोत्तर (सचेल ) घर्म को महावीर ने अचेलधर्म में क्यों परिवर्तित किया ?

गौतम-बाह्यवेश-भूषा तो लोक में मात्र प्रतीति कराने में कारण है। दोनों के मत में मोक्ष के सद्भूत सच्चे साधन तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हैं। इस वस्त्र-विषयक परिवर्तन का भी कारण पूर्ववत् था।

१. देखिए-प्रकरण ७, पृ० ४२६-४२६.

केशि—क्या तुम उन शत्रुओं को जानते हो जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और जिनके मध्य में तुम स्थित हो ? तुमने उन्हें कैसे जीता ?

गौतम—हाँ! मैं उन शत्रुओं को जानता हूँ। मैंने उन अनेक शत्रुओं में से सबसे पहले अवशीकृत आत्मारूपी एक प्रधान शत्रु को वशीकृत आत्मा के द्वारा जीता। इसके बाद कथाय, इन्द्रिय, नोकषाय आदि अन्य अनेक शत्रुओं को क्रमशः जीता।

केशि - संसार में बहुत से जीव पाशबद्ध हैं फिर तुम कैसे पाशबन्धन से मुक्त हो ?

गौतम-संसार में रागद्वेषरूपी भयंकर स्नेहपाश हैं। उन पाशों को यथान्याय (जिनप्रवचन के अनुसार-वीतरागता से) जीतकर मैं पाशरहित होकर विचरण करता हूँ।

केशि-हृदय में उत्पन्न विष-लता को तुमने कैसे उलाड़ा ?

गौतम—परिणाम में भयंकर फलवाली तृष्णारूपी एक लता है। उस लता को यथान्याय (निर्लोभता के द्वारा) जड़मूल से उखाड़-कर मैं उसके विषंफलभक्षण से मुक्त हूँ।

केशि-शरीर में प्रज्वलित अग्नि को कैसे शान्त किया ?

गौतम-कषायरूपी अग्नियाँ जिनेन्द्ररूपी महामेघ से उत्पन्न श्रुतज्ञानरूपी जलधारा से निरन्तर सींची जाने के कारण मुझे नहीं जलाती हैं।

केशि - साहसी, दुष्ट व भयंकर घोड़े पर बैठे हुए तुम सन्मार्ग में कैसे स्थित हो ?

गौतम - धर्मशिक्षा तथा श्रुतरूपी लगाम के द्वारा मैं मनरूपी दुष्ट षोड़े को पकड़े हुए हूँ जिससे मैं उन्मागं में न जाकर सन्मार्ग में ही स्थित हूँ।

केशि – संसार में बहुत से उन्मार्ग होने पर भी आप सन्मार्ग में कैसे स्थित हैं ?

गौतम—मैं उन्मार्ग और सन्मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ। अतः सन्मार्ग से च्युत नहीं होता हूँ। जिनेन्द्र का मार्ग सन्मार्ग है और अन्य सभी उन्मार्ग। केशा-विपुल जलप्रवाह में बहते हुए प्राणियों के लिए अरणरूप द्वीप कौन-सा है ?

गौतम—जरा-मरणरूपी जलप्रवाह में डूबते हुए प्राणियों के श्वरण के लिए संसाररूपी समुद्र के मध्य में एक उत्तम द्वीप है जिसका नाम है धर्म। वहाँ महान् जलप्रवाह की जरा भी गति नहीं है।

केशि-महाप्रवाहवाले समुद्र में विपरीत बहनेवाली नौका पर सवार होकर तुम उस पार (तीर-प्रदेश) कैसे जा सकोगे ?

गौतम—जो नौका छिद्र (आस्रव— जलागम) वाली होती है वह डूब जाती है परन्तु जो नौका छिद्र रहित (निरास्नव जलागम से रहित) होती है वह तीर-प्रदेश पहुँच जाती है। में छिद्र रहित नौका पर सवार हूँ। अतः तीर-प्रदेश पहुँच जाऊँगा। यहाँ शरीर नौका हैं, जीव नाविक है, संसार समुद्र है, कर्म जल है और मुक्ति तीर-प्रदेश है।

केशि—बहुत से प्राणी घोर अन्यकार में स्थित हैं। उन्हें कौन प्रकाशित करेगा?

गौतम-मिथ्यात्वरूपी अज्ञानान्धकार में स्थित प्राणियों को प्रकाशित करनेवाला सर्वज्ञ जिनेन्द्ररूपी निर्मल सूर्य उदित हो गया है। वही उन्हें प्रकाशित करेगा।

केशि-शारीरिक व मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए शिवरूप व बाधारहित स्थान कौन-सा है ?

गोतम — लोकाग्र में जरा-मरणरूपी समस्त बाधाओं से रहित तथा शिवरूप एक स्थान है जिसे निर्वाण (सिद्धलोक) कहते हैं।

इस प्रकार सर्वश्रुतपारगामी गौतम से अपने सभी प्रश्नों का संयुक्तिक उत्तर पाकर केशि ने गौतम को नमस्कार किया तथा अपनी शिष्यमण्डली के साथ महावीरप्रणीत धर्म को अङ्गीकार किया। वहाँ उपस्थित सारी परिषद् ने उन दोनों की स्तुति की।

१. पार्श्वनाथ और महावीर के शिष्यों के बीच हुए इस प्रकार के परिसंवादों
 के उल्लेख अन्य भागम-ग्रन्थों व टीका-ग्रन्थों में भी मिलते हैं।
 देखिए – अज्वार्य तुलसी, उ० भाग १, पृ०-२६६-३००.

इस समागम के बाद उन दोनों महर्षियों में आगे भी समाग्म हुए जिनमें सूत्रार्थ का निर्णय तथा रत्नत्रय का उत्कर्ष हुआ।

इस तरह इस परिसंवाद में बारह प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें प्रारम्भ के दो प्रश्न ही मुख्य हैं और वे ही इस परिसंवाद के कारण हैं। शेष सभी प्रश्न और उत्तर उपस्थित जनता के कल्याणार्थ प्रतीकात्मक रूपक अलंकार की शैली में प्रस्तुत किए गए हैं।

इस परिसंवाद से जिन महत्त्वपूर्ण बातों का संकेत मिलता है, वे इस प्रकार हैं :

- १. किसी भी विषय में मतभेद होने पर आपस में मिलकर उसका समाधान ढूँढ़ना और दुराग्रह किए बिना सम्यक् मार्ग का अनुसरण करना।
- २. बाह्य वेशभूषा आदि पर विशेष ध्यान न देकर अन्तरङ्ग-शुद्धि के साधनभूत रत्नत्रय की आराधना करना।
  - ३. अपनी आत्मा को संयमित रखना।
  - ४. ज्येष्ठकुल काष्यान रखना।
  - ५. अतिथि का समुचित सत्कार करना।
  - ६. बिना अनुमति प्राप्त किए कोई प्रश्न न पूछना।
  - अ. समुचित उत्तर मिलने पर उसकी संस्तुति करना।
  - परिस्थितियों के अनुकूल धर्म में परिवर्तन करना।
  - ह. श्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद का संकेत।
  - १०. पार्श्वनाथ व महावीर के धर्मोपदेश का अन्तर ।

## इन्द्र-निम संवादः

देवलोक से च्युत होकर राजा निम ने मिथिला नगरी में जन्म लिया। रानियों के साथ देवलोक-सदृश भोग भोगने के बाद जब उन्हें एक दिन जातिस्मरण हुआ तो अपने पुत्रको राज्यभार सौंपकर वे दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। राजा निम के दीक्षार्थ प्रस्थान करने पर सम्पूर्ण नगरी में शोक छा गया। इसी समय देवाधि-पति इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और उससे संयम

१. उ० अध्ययन ६.

में दृढ़ता की परीक्षा के लिए सहेतुक प्रश्न पूछे। राजा ने भी उन सभी प्रश्नों के अध्यात्मप्रधान संयुक्तिक उत्तर दिए।

इन्द्र-आज मिथिला में कुहराम क्यों है ?

निम-आज मिथिला में शीतल छाया, पत्र-पुष्प व फलादि से युक्त (बहुत गुणों वाला) मनोरम चैत्यवृक्ष (राजिष निम) वायु (वैराग्य) के वेग से गिर पड़ा (गृह त्याग दिया) है। अतः उसके (वृक्ष-राजा) आश्रित जीव (पक्षी-प्राणी) निःसहाय होकर स्वार्थवश विलाप कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

इन्द्र—तुम्हारे अन्त पुर आदि अग्नि से जल रहे हैं। तुम उधर ध्यान क्यों नहीं देते हो ?

निम— सर्वविरत साधुको न तो कोई वस्तुप्रिय है और न अप्रिय । अतः मुझ आत्मानुप्रेक्षीको इससे क्या प्रयोजन है ।

इन्द्र-क्षत्रिय धर्मानुसार आप अपनी व प्रजा की रक्षा के लिए प्राकार, गोपुर अट्टालिका. खाई आदि बनवाकर दोक्षा लेवें।

निम-कर्मशत्रु से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए मैंने आध्यात्मिक तैयारी कर ली है।

इन्द्र - महल आदि बनवाकर दीक्षा लेवें।

निम-संगयालु ही मार्ग में महल आदि बनवाता है। संसार में स्थायी निवास न होने से मैं स्थायी निवासंभूत मोक्ष में ही महल बनवाऊँगा।

इन्द्र-चोरों से नगर की रक्षा करके दीक्षा लेवें।

निम-अनसर चोर बच जाते हैं और चोरी न करने वाले पकड़े जाते हैं। अतः क्रोधादि सच्चे चोरों को दण्ड देना उचित है।

इन्द्र- नमस्कार न करने वाले राजाओं को जीतकर दीक्षा लेवें। निम-हजारों सुभटों को जीतने की अपेक्षा अवशीकृत एक आत्मा को जीतना सर्वोत्कृष्ट विजय है और वही सुख है।

इन्द्र- यज्ञ कराके, दान देकर व भोग भोगकर दीक्षा लेवें।

निम—दस लाख गौदान से संयम श्रेष्ठ है। अतः उसे ही घारण करना उचित है।

१. देखिए-प्रकरण ७, पृ० ३६५-३६६.

इन्द्र--गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यासाश्रम में जाना उचित नहीं है। निन-सर्वविरतिरूप श्रमणदीक्षा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। इन्द्र-कोशवृद्धि करके दीक्षा लेवें।

निम-अनन्त धन प्राप्त होने पर भी लोभी की इच्छाएँ शान्त नहीं होती हैं। अतः धनसंग्रह से क्या प्रयोजन है!

इन्द्र-असत् व अप्राप्त भोगों की लालसा से प्राप्त अद्भुत भोगों को त्यागमा उचित नहीं है।

निम-मैंने काम-भोगों की लालसा से प्राप्त भोगों को नहीं त्यागा है क्योंकि इनकी इच्छा मात्र दुर्गति का कारण है।

इस तरह ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र ने राजा निम की श्रमण-धर्म में दृढ़ आस्था देखकर अपना वास्तिविक रूप प्रकट कर दिया और मधुर वचनों से राजा निम के आश्चर्यकारी गुणों की स्तुति करते हुए वन्दना की । इन्द्र देवलोक चला गया तथा निम और अधिक नम्रीभूत हो गए। पश्चात् निम ने श्रमण-दीक्षा ली और निर्वाण पद पाया।

इस परिसंवाद से जिन महत्त्वपूर्ण बातों पर प्रकाश पड़ता है, वे इस प्रकार हैं :

- १. श्रमणधर्म गृहस्थाश्रम से पलायन नहीं है।
- २. दीक्षार्थी को गृह-कुटुम्ब की चिन्तान करना।
- ३. अवशीकृत आत्मा की विजय सबसे बड़ी विजय है।
- ४. संसार के विषय-भोग विषफल सदृश हैं। ये अनन्त की संस्था में प्राप्त होने पर भी सुखकर नहीं होते हैं।
  - ५. श्रमणधर्मकी श्रेष्ठता व प्रयोजन।
- ६ दीक्षार्थी के मन में उत्पन्न होने वाले अन्तर्द्वन्द्व का सफल .चित्रण।
  - ७. सहैतुक प्रश्न पूछना व ऐसे ही प्रश्नों के सहेतुक उत्तर देना।

# चित्त-सम्भूत संवाद ः

चित्त और सम्भूत नाम के दो चाण्डाल थे। वे दोनों मरकर देव हुए। उन दोनों में से संभूत के जीव ने देवलोक से च्युत होकर

१. उ० अध्ययन १३.

कांपिल्य नगर में रानी चूलनी के गर्भ से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया और चित्त के जीव ने पुरिमताल नगर में एक विशाल श्रेष्ठि कुल में जन्म लिया। चित्त का जीव धर्म का श्रवण करके साधु बन गया परन्तु सभूत का जीव (ब्रह्मदत्त ) भोगों में आसक्त रहा। सयोगवश चित्त मुनि एक दिन ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए कांपिल्यनगर में आए। वहाँ एक-दूसरे को देखकर उन्हें जातिस्मरण हो गया। इसके बाद सभूत का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने पूर्वभव के भाई चित्त मुनि का सरकार करके बोला—

संभूत (ब्रह्मदत्त ) -- परस्पर प्रीति वाले हम दोनों भाई पूर्व-भवों में क्रमशः दशाणं देश में दासरूप से, कॉलजर पर्वत पर मृग-रूप से, मृतगंगा के तीर पर हंसरूप से, काशी में चाण्डालरूप से और देवलोक में देवरूप से एक साथ उत्पन्न हुए, फिर क्या कारण है कि इस छठे भव में पृथक्-पृथक् हो गए ?

चित्त (चित्त मुनि) — हेराजन् ! हम दोनों एक-से कर्म करने के कारण पाँच भवों तक तो एक साथ पैदा हुए परन्तु इस छठे भव में पृथक् होने का कारण यह है कि तुमने चाण्डाल भव में जो पृथ्यकर्म किए थे वे भोगों की प्राप्ति की अभिलाषा से (अशुभ निदानपूर्वक) किए थे और मैंने अभिलाषारहित (निदानरहित) होकर किए थे। यही कारण है कि एक समान कर्म करने पर भी हम दोनों भाई इस भव में बिछड़ गए।

संभूत—मैं पूर्वभव के पुष्यकर्मों का शुभ फल आज सब प्रकार से भोग रहा हूँ। क्या तुम भी इसी प्रकार हो ?

चित्त-मुझे भी अपना जैसा ही समझ । मैं एक महान् अर्थवाली गाथा को सुनकर प्रवृजित हो गया हूँ।

संभूत - हे भिक्षु! यह मेरा घर सब प्रकार से समृद्ध है। तू भी इसका यथेच्छ उपभोग कर क्योंकि भिक्षाचर्या बड़ी कठिन है।

चित्त—हेराजन्! संसार के सभी विषय-भोग क्षणिक एवं सुखाभासरूप हैं। दीक्षा में उनसे कई ग्रुना अधिक सुख है। तूभी मेरे जैसा बन जा।

संभूत-हे मुने ! मैं भी आपकी तरह ही जानता हूँ परन्तु चाण्डाल भव में (हस्तिनापुर में राजा के ऐश्वर्य को देखकर) किए गए निदानबन्ध के कारण मैं वस्तुस्थिति को जानकर भी इन काम-भोगों को उसी प्रकार नहीं छोड़ पा रहा हूँ जिस प्रकार कि दलदल में फँसा हुआ हाथी तीर-प्रदेश को देखकर भी दलदल से नहीं निकल पाता है।

चित्त--यदि तू भोगों को त्यागने में असमर्थ है तो दया आदि अच्छे कर्म कर जिससे देवत्व की प्राप्ति हो।

इस प्रकार स्नेहवश कत्याण की भावना से दिए गए सदुपदेश का जब बह्मदत्त पर कोई प्रभाव न पड़ा तो मुनि ने पुनः कहा— 'तुम्हारी भोगों को त्यागने की इच्छा नहीं है। तू आरम्भ और परिग्रह में आसक्त है। मैंने व्यथं इतना प्रलाप किया। अब मैं जा रहा हूँ।' इसके बाद ब्रह्मदत्त भोगों में आसक्ति के कारण अनुत्तर (सातवें) नरक में गया और काम-भोगों से विरक्त चित्तमुनि अनुत्तर सिद्धगति (मोक्ष) में गया।

इस परिसंवाद से निम्नोक्त बातों पर प्रकाश पड़ता है :

- १. यदि कीई साधुन बन सके तो गृहस्थ-धर्म का पालन करे।
- २. उपदेश उसे ही देना चाहिए जो उसे ग्रहण करे।
- ३. कर्मकी विचित्रता।
- ४. निदानबन्ध का कुपरिणाम ।
- ५. विषय-भोगों की असारता।

# मृगापुत्र और माता-पिता संबाद ः

सुप्रीव नगर में बलभद्र राजा राज्य करता था। उसकी मृगावती नाम की पटरानी थी। उनका एक प्रिय पुत्र था जिसका नाम था 'बलश्री' परन्तु वह 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सुरम्य महलों में रानियों के साथ देवसदृश भोग भोगा करता था तथा हमेशा प्रसन्नचित्त रहा करता था। एक दिन जब वह रतन जिटत प्रासाद में बैठा हुआ झरोखे से नगर के चौराहों आदि की ओर देख रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक संयत साधु पर पड़ी। उसे निनिमेष दृष्टि से देखकर वह सोचने लगा कि मैंने पहले भी

१. उ० अध्ययन १६.

कभी ऐसा रूप देखा है। पश्चात् साधु-दर्शन तथा पितत्र चिन्तन से उसे जातिस्मरण हो गया। जातिस्मरण होने पर उसे अपने पूर्व भव के श्रमणपने का स्मरण हुआ तथा उसका अन्त:करण वैराग्य से भर गया। इसके बाद वह अपने माता-पिता के पास जाकर इस प्रकार बोला—

मृगापुत्र—हे माता-पिता! मैं भोगों को भोग चुका हूँ। संसार अनित्य व दुःखों से पूर्ण है। अतः अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ।

माता-पिता-समुद्र को भुजाओं से पार करने की तरह दीक्षा अत्यन्त कठिन है। इसमें हजारों गुणों को धारण करना पड़ता है। जैसे: जीवनपर्यन्त अहिंसादि पाँच महाव्रतों का पालन, राति-भोजन का त्याग, शत्रु-मित्र के प्रति समता, केशलोच्च आदि। हेपुत्र! तूअभी सुकुमार है। अतः अभी भोगों को भोग, बाद में दीक्षा लेना।

मृगापुत्र—हे माता-पिता! आपका कथन यद्यपि सत्य है फिर भी जिसकी मौतिक सुखों की प्यास शान्त हो चुकी है उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। इसके अतिरिक्त मैंने पूर्वभव में प्रत्यक्ष दृश्यमान दुःखों से कई गुने अधिक नारकीय कष्टों को भोगा है।

माता-पिता—हे पुत्र ! यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो प्रवृजित हो जाओ परन्तु इतना ध्यान रखो कि प्रवृजित होने के बाद रोगों का इलाज नहीं कराया जाता है जो अत्यन्त कठिन है।

मृगापुत्र—हे माता-पिता! यद्यपि आपका कथन ठीक है फिर भी जैसे मृग रोगादि का इलाज किए बिना अकेले ही अनेक स्थानों से भक्त-पान लेनेवाला, अनेक स्थानों में रहनेवाला और गोचरी से जीवन यापन करनेवाला होता है वैसे ही साधु भी होता है। अत: आपसे दीक्षा के लिए अनुमति चाहता हूँ।

माता-पिता – जैसे में तुम सुखी रहो वैसा ही करो।

इस प्रकार माता-पिता के द्वारा नाना प्रकार से प्रलोभित किए जाने पर भी मृगापुत्र संयम में दृढ़ रहा और माता-पिता को प्रबोधित करके दीक्षा ले ली । पश्चात् बहुत वर्षो तक कठोर श्रमण-धर्म का पालन करके समाधिमरणपूर्वक मोक्ष प्राप्त किया। इस परिसंवाद में निम्नोक्त विषयों की चर्चा की गई है :

- विषयासक्त जीवों को ही प्रव्रज्या कठिन है, अन्य को नहीं।
- मृगचर्या (साध्वाचार) की कठोरता व उसका फल।
- संसार के दुःख व उनकी असारता।
- ४. सभी जीवों को नाना प्रकार के भोगों का सुख-दुःखरूप अनुभव ।

## श्रेणिक-अनाथी संवाद:

मगध देश का राजा श्रेणिक प्रचुर रत्नों से परिपूर्णथा। एक बार वह विविध प्रकार के फूलों व फलों से सुशोभित तथा नन्दन वन के समान रमणीक मण्डिकुक्ष नामक उद्यान में विहार-यात्रा के लिए गया । वहाँ घूमते हुए राजा ने एक ध्यानस्थ सौम्याकृति-वाले मुनि को देखा। उसमें रूप, लावण्य, सौम्यता, निर्लोभता और भोगों से अनासक्ति आदि अनेक दुर्लभ गुणों को एकत्र देखकर राजा आश्चर्यचिकित हुआ। 'अनाथी' नाम से प्रसिद्ध उस मुनि के प्रति आक्तब्ट हुए राजाने मुनिके चरणों में नमस्कार किया। पण्चात् मुनि से न अधिक पास और न अधिक दूर बैठकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा --

**श्रेणिक राजा** – हे आयं! विषय-भोग के योग्य इस युवावस्था में आपके प्रव्रजित होने का क्या कारण है ?

अनाथी मुनि – महाराज ! मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई नाथ (स्वामी—रक्षक) नहीं है। कोई दयालु मित्र-बन्धु भी नहीं है। अतः प्रव्रजित हो गया हुँ।

राजा (हंसकर) - तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति का कोई नाथ नहीं है यह कैसे संभव है ? हे भदन्त ! मैं आज से तुम्हारा नाथ बनता हूँ। अब तुम यथेच्छ दुर्लभ भोगों को भोगो।

मुनि – हे मगधाधिप ! तुम खुद अनाथ हो फिर अनाथ होकर मेरे व दूसरों के नाथ कैसे हो सकते हो ?

राजा ( मुनि के अश्रुतपूर्व वचनों को सुनकर अत्यधिक आश्चर्ययुक्त होता हुआ ) - मेरे पास सभी प्रकार के उत्कृष्ट भोग-

१. उ॰ अध्ययन २०.

साघन हैं फिर मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ? हे भदन्त ! आप मिथ्यान कहें।

मुनि-हे राजन्! तू मेरे द्वारा प्रयुक्त 'अनाथ' और 'सनाथ' जब्द का ठीक-ठीक अर्थ नहीं जानता है। अतः ध्यानपूर्वक मेरे पूर्ववृत्त को सून-'मैं दीक्षा लेने के पूर्व अपार धन-सम्पत्तिवाले अपने पिता के साथ कौशाम्बी नगरी में रहताथा। एक बार मुझे असह्य चक्षु-रोग हुआ। उस रोग को दूर करने के लिए अद्वितीय चिकित्साचार्यों, ने मेरी सब प्रकार से चिकित्साकी परन्तु वे मेरारोग दूर न कर सके। पिता ने विपुल सम्पत्ति खर्च की परन्तु वे भी रोगजन्य मेरे कष्टको दूरनकर सके। रोती हुई माता, बहिन, पत्नी आदि सम्बन्धीजन भी मुझे दुःख से मुक्त न कर सके। यही मेरी अनाथता है। इस तरह नाना प्रकार के प्रयत्न किए जाने पर भी जब मेरा चक्षुरोग ठीक न हुआं तो मैंने एक दिन संकल्प किया कि यदि मैं इस रोग से मूक्त हो जाऊँगा तो साधु बन जाऊँगा। इस संकल्प के साथ मैं सो गया। जैसे-जैसे रात्रि बीतती गई, रोग शान्त होता गया और प्रातःकाल पूर्ण स्वस्थ हो गया। संकल्प के अनुसार मैंने भी माता-पिता से अनुमति लेकर प्रव्रज्याले ली। तभी से मैं अपनाव दूसरों का नाथ हो गया। यही मेरी सनाथता है। जो आत्मा को संयमित रखकर श्रमणधर्म का सम्यक्षालन करते हैं वे सनाथ हैं और जो श्रमण होकर भी विषयासक्त रहते हैं व धर्म का विधिपवंक पालन नहीं करते हैं वे अनाथ हैं।'

राजा (सनाथ और अनाथ विषयक इस अश्वतपूर्व अर्थ को सुनकर प्रसन्न होता हुआ व हाथ जोड़कर )—हे भगवन्! आपने मुझे सनाथ और अनाथ शब्द का ठीक-ठीक अर्थ बतला दिया। आपका मनुष्य जन्म सफल है। आप सनाथ एवं सबान्धव हैं। इतना ही नहीं आप नाथों के भी नाथ हैं। मैं आपसे धर्म में अनुशा-सित होना चाहता हूँ। मैंने आपको भोगों के लिए निमन्त्रण देकर व प्रशन पूछकर आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा करें।

इसके बाद राजा अपने बन्धुजनों के साथ धर्म में दीक्षित होकर व मुनि की वन्दना करके चला गया। मुनि भी निर्मोही भाव से अन्यत्र विहार कर गए। इस तरह इस परिसंवाद में अनाथ शब्द की बहुत ही रोचक व सटीक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इससे निम्नोक्त बातों पर प्रकाश पड़ता है:

- १. धर्माचरण से युक्त व्यक्ति सनाथ है और धर्महीन अनाय है।
  - २. धनादि से कोई सनाथ नहीं होता है।
  - ३. बाह्यलिङ्ग की अपेक्षा अभ्यन्तर-सुद्धि की प्रधानता।
  - ४. विनीत व्यक्तिकास्वरूप।
  - स्वल्प भी अपराध के लिए क्षमा-प्रार्थना।

# इषुकारीय आख्यान ः

देवलोक के एक ही विमान में रहने वाले छ: जीव अविशिष्ट पुण्य कमों का उपभोग करने के लिए इष्कार नगर में उत्पन्न हुए। वे छ: जीव इस प्रकार थे: १. पुरोहित, २. पुरोहित की पत्नी यशा, ३-४. पुरोहित के दो पुत्र, ५. राजा विशालकीति (इषुकार) और ६. राजा की पत्नी रानी कमलावती। संयोगवश एक दिन पुरोहित के दोनों पुत्रों को जातिस्मरण हुआ और उनका अन्तः करण वैराग्य की भावना से भर गया। इसके बाद वे दोनों दीक्षार्थ अनुमित के लिए माता पिता के पास जाकर इस प्रकार बोले—

. पुत्र — यह जीवन विघ्नबहुल तथा दुःखमय है। हमारी आयु अत्यल्प है। हमें घर में आनन्द नहीं मिलता है। अतः दीक्षार्थ अनुमति देवें।

पिता—वेदिविद् ब्राह्मणों का कहना है कि पुत्र के बिना सद्गित नहीं मिलती है। अतः पहले वेद पढ़ो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ। स्त्रियों के साथ भोग भोगो। पुत्र पैदा करो। पश्चात् दीक्षा लेना।

पुत्र – वेदाघ्ययन, ब्राह्मण-भोजन आदि रक्षा करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा विषय भोग क्षणिक सुखरूप व अनर्थों की स्वान हैं।

१. उ० अध्ययन १४.

पिता-जिस प्रयोजन से लोग तप करते हैं वह सब कुछ (प्रचुर धन, स्त्रियाँ आदि) जब तुम्हें यहीं प्राप्त है तो फिर क्यों दीक्षा लेना चाहते हो ?

पुत्र-पिता जी ! तपरूपी धर्मधुरा को धारण करने वाले को धनादि से क्या प्रयोजन है ? हम तो गुणसमूह को धारण करने के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं।

विता—हे पुत्रो ! जिस प्रकार अविद्यमान भी अग्नि अरिण से, घी दूध से, तेल तिल से उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार अविद्यमान जीव भी शरीर से उत्पन्न हो जाता है और शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है।

पुत्र—जीव अमूर्त स्वभाव वाला होने से मूतं इन्द्रियों के द्वारा दिखलाई नहीं देता है। अमूर्त होने से वह नित्य भी है। वह न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है। इसका सम्यक् ज्ञान न होने से हम लोगों ने अब तक घर में रहकर पापकर्म किए। अतः अब देर करना उचित नहीं है।

पिता – यह लोक किससे पीड़ित है, किससे घिरा हुआ है और

अमोघा कौन है ? यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ।

पुत्र-यह लोक मृत्यु से पीड़ित है, बुढ़ापे से घिरा हुआ है और रात्रि को अमोघा कहा गया है। धर्म करने वाले की सभी रात्रियाँ सफल हैं और अधर्म करने वाले की असफल।

पिता-पहले हम सब गृहस्थ-धर्म का पालन करें, बाद में दीक्षा लेंगे।

पृत्र – जिसकी मृत्यु से मित्रता हो, जो मौत से बच सकता हो या जिसे यह विश्वास हो कि वह नहीं मरेगा वही कल के बारे में सोचे । हम दोनों तो आज ही दीक्षा लेंगे।

इस तरह पुरोहित के दोनों पुत्र जब अपने निश्चय से विचलित न हुए तो उसने भी पुत्रहीन की दयनीय स्थिति का विचार करके दीक्षा लेने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोला –

पुरोहित-हे वासिष्ठी ! अब मेरा भिक्षाचर्या का समय आ गया है क्योंकि प्राखाविहीन वृक्ष की तरह पुत्रविहीन का घर में रहना निर्थंक है। वासिष्ठी—पहले उपलब्ध इन प्रचुर भोगों को भोगें फिर दीक्षा लेंगे।

पुरोहित-हम भोग भोग चुके हैं। आयुक्षीण होती जा रही है। अतः अब मैं संयम धारण करने के लिये भोगों को छोड़ना चाहता हूँ।

वासिष्ठो—अभी मेरे साथ भोगों को भोगो । कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें प्रतिस्नोत में बहने वाले वृद्ध हंस की तरह दीक्षा लेने के बाद बन्धुओं की याद करके पछताना पड़े।

पुरोहित—जब पुत्रों ने निर्ममत्वभाव से भोगों को छोड़ दिया है तो फिर मैं भी उनका अनुगमन क्यों न करूं।

इस तरह पुत्र और पित का दृढ़ निश्चय देखकर वासिष्ठी भी सोचती है कि जैसे क्रौश्व पक्षी जाल का भेदन करके चले जाते हैं वैसे ही मेरे पुत्र और पितदेव जा रहे हैं। अतः मैं भी उनका अनुगमन क्यों न करूं। यह सोच वह भी पुत्र व पित का अनुगमन करती है।

इस प्रकार पुरोहित के सपरिवार दीक्षा ले लेने पर जब उस देश के राजा इयुकार ने राजधर्मानुसार उसके धन को लेना चाहा तो उसकी पत्नी कमलावती ने कहा— जैसे वमन किए हुए पदार्थ को खानेवाले की कहीं प्रशंसा नहीं होती वैसे ही ब्राह्मण के द्वारा त्यक्त धन को लेने वाले की प्रशंसा नहीं होती। धन से न तो तृष्ति होती है और न रक्षा। रक्षक एकमात्र धर्म है। अतः उसी का आचरण करना उचित है। इस तरह विविध प्रकार से कमलावती के द्वारा समझाए जाने पर राजा ने भी अपनी पत्नी के साथ दीक्षा ले ली। अन्त में श्रमणधर्म का पालन करके वे छहीं जीव मुक्त हो गए।

इस परिसंवाद से निम्नोक्त विषयों पर प्रकाश पड़ता है :

- १. विषयभोगों की असारता व दुःखरूपता।
- २. वेदाघ्ययन, ब्राह्मणभोजन, पुत्रोत्पत्ति आदि रक्षक नहीं हैं। रक्षक एकमात्र धर्म है।
- तप का प्रयोजन गुणधारण है न कि भोगों की प्राप्ति ।
- ४. आत्मा की सिद्धि व उसकी अजरता-अमरता।
- ५. कल की प्रतीक्षा वहीं करे जो मृत्यु से बच सकता हो।

- ६. पुत्र के अभाव में माता-पिता की दयनीय स्थिति।
- ७. परित्यक्त घन का ग्रहण विमत पदार्थ का खाना है।
- लावारिस धन का अधिकारी राजा होता है।
- ह. श्रमणधर्म अङ्गीकार करने का फल।

# हरिकेशिबल आख्यान :

हरिकेशिबल मुनि का जन्म चाण्डाल कुल में हुआ था। उन्होंने जैन श्रमण बनकर उग्र तपस्या की। तप के प्रभाव से एक तिन्दुक वृक्ष वासी यक्ष इनकी सेवा करने लगा था। इनका रंग काला था। उग्र तपस्या करने से इनका शरीर कुश हो गया था और वस्त्रादि उपकरण जीणं-शीणं व मिलन हो गए थे। इनका रूप विकराल होने पर भी तप के प्रभाव से भास्वर था। एक समय ये भिक्षार्थ यज्ञमण्डप में गए। वहाँ जाति से पराजित, अजितेन्द्रिय व अजानी बाह्मणों ने इन्हें आते हुए देखकर निन्दायुक्त वचनों में कहा—

बाह्मण-ओ वीभत्स रूपवाले ! तुम कौन हो ? किसलिए यहाँ आए हो ? यहाँ क्यों खड़े हो ? हमारी आंखों से दूर भाग जाओ ।

यक्ष (मुनिरूपधारी) — मैं धनादि के संग्रह से विरत संयमी श्रमण हूँ। भिक्षान्न प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप बहुत-सा भोज्यान्न बाँट रहे हैं। अतः शेषावशेष अन्न मुझे भी प्राप्त हो।

**बाह्यण**—यह भोज्यात्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। हम यह तुम्हें नहीं देंगे। फिर क्यों यहाँ खड़े हो?

यक्ष- जैसे किसान अच्छी उपज की आशा से ऊँची-नीची सभी जगह बीज बोता है वैसे ही पुण्याभिलाषी तुम मुझे भी दान दो। यह पुण्यक्षेत्र है। यहाँ दिया गया दान खाली नहीं जाएगा।

बाह्मण -पुण्यक्षेत्र तो श्रेष्ठ जाति व विद्या से युक्त ब्राह्मण ही हैं।

यक्ष-क्रोघादि में आसक्त ब्राह्मण पापक्षेत्र हैं। वे वेदों को पढ़-करके भी उनके अर्थ को नहीं जानते हैं। जो श्रमण सभी कुलों में भिक्षा के लिए जाते हैं वे ही पुण्यक्षेत्र हैं।

१. उ॰ अध्ययन १२.

श्राह्मण —ओ निर्प्रन्य! वकवास मत कर। यह अन्न नष्ट भले ही हो जाए मगर हम तुझे नहीं देंगे।

यक्ष-यदि मुझ जितेन्द्रिय को यह अन्न नहीं दोगे तो इस यज्ञ से तुम्हें क्या लाभ होगा ?

इसके बाद ब्राह्मण की आज्ञा पाकर उसके बहुत से शिष्य मुनि को पीटने लगे। यह देख राजा कौशलिक की प्त्री भद्रा (ब्राह्मण की पत्नी ) शिष्य कूमारों को ज्ञान्त करते हुए बोली — 'यह ऋषि उग्र तपस्वी तथा ब्रह्मचारी है। यह राजाओं और इन्द्र आदि से भी पुजित है। एक बार देवता की प्रेरणा से स्वयं मेरे पिता द्वारा दी गई मुझे इसने मन से भी नहीं चाहा था। यह अचिन्त्यशक्तिवाला है। इसकी अवहेलना करने पर यह तुम सब को तथा समूचे संसार को भी भष्म कर सकता है। यदि तुम जीवन और धन की अभिलाषा रखते हो तो इसकी शरण में जाकर क्षमा मांगो।' इसी बीच मूनि की सेवा करने वाले यक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिष्य कुमारों को क्षत-विश्लत कर डाला। यह सब देख उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी भद्रा के साथ मिलकर मुनि से क्षमा मांगी। उसने कहा-- 'भन्ते ! मृढ बालकों ने अज्ञानवश आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा करें क्योंकि मूनि किसी पर कोप नहीं करते हैं, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपके सभी अङ्ग पूजनीय हैं। यह प्रभूत अन्न-पान ग्रहण करके हमें अनुगृहीत करें।' यह सुन मुनि ने उत्तर दिया-'मेरे मन में न तो पहले कोई द्वेष था, न अभी है और न आगे होगा। कुमारों को जो प्रताड़ित किया है वह मेरी सेवा करने वाले यक्ष का कार्य है। दसके बाद मुनि ने एक मास के उपवास के बाद उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से अन्न-पान ग्रहण किया। यह देख देवों ने पुष्पवृष्टि की और 'आश्चर्यकारी दान' कहते हुए दुन्दुभि बजाई। पश्चात् मूनि ने ब्राह्मणों के कल्याण के लिए भावयज्ञ का व्याख्यान किया।

इस आख्यान से निम्न विषयों पर प्रकाश पड़ता है :

१. श्रेष्ठ जाति में पैदा होना श्रेष्ठता का सूचक नहीं है अपितु कर्म से श्रेष्ठता होती है।

## ४६६ ] उत्तराध्ययत-सूत्र : एक परिशीलन

- २. तपस्वी की महिमा।
- ३. दान का माहातम्य व दान का सुपात्र।
- ४. भावयज्ञ की श्रेष्ठता।
- ५. मुनिकास्वरूप।

#### जयघोष-विजयघोष आख्यानः

जयघोष और विजयघोष नाम के दो वेदविद् बाह्मण थे। उनमें से जयघोष श्रमण बन गया और विजयघोष वैदिक यज्ञों को करते हुए वाराणसी में रहने लगा। एक समय इन्द्रियनिग्रही व कर्म-विनाशक यमयज्ञ को करनेवाला महायशस्वी जयघोष श्रमण ग्रामा-नुग्राम विचरण करता हुआ वाराणसी आया। वहाँ वह शहर के बाह-प्रासुक शय्या व संस्तारक लेकर 'मनोरम' उद्यान में ठहर गया। उस समय वहाँ पर विजयघोष वैदिक यज्ञ कर रहा था। जयघोष मुनि एक मास के अनशन तप की पारणा के लिए विजयघोष के यज्ञमण्डप में गया। वहाँ पहुँचने पर यज्ञकत्तां विजयघोष ने कहा—

विजयघोष-हे भिक्षो ! में तुझे भिक्षा नहीं दूगा । तुम अन्यत्र जाकर भिक्षा मांगो । यह यज्ञात्र सिर्फ उन्हीं बाह्यणों के लिए है जो वेदविद्, यज्ञविद्, ज्योतिषाङ्गविद्, धर्मशास्त्रविद् और स्व-पर-कल्याणकर्त्ता हैं।

जयघोष (विजयघोष का कल्याण करने के लिए न कि अज्ञ-पानादि की अभिलाषा से समतापूर्वक )—आप लोग वेदादि के सम्यक् अर्थ को नहीं जानते हैं। यदि जानते हैं तो हमें बतलाएँ।

विजयधोष ( उत्तर देने में असमर्थ हो हाथ जोड़कर ) — आप स्वयं वेदादि का सम्यक् अर्थ बतलाएँ।

यह सुन जयघोष मुनि ने वेदों का मुख, यज्ञों का मुख, नक्षत्रों का मुख, धर्मों का मुख, स्व-पर का कल्याणकर्ता, सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप, ब्राह्मिल्क्ष्म की अपेक्षा आभ्यन्तरिलङ्ग की श्रेष्ठता, जन्मना जातिवाद का खण्डन, कर्मणा जातिवाद की स्थापना आदि विविध विषयों का स्पष्टीकरण किया।

१, उ० अध्ययन २५.

विजयघोष (प्रसन्न होकर)—आपने मुझे ब्राह्मणत्व का यथार्थं स्वरूप समझा दिया। आप वेदविद्, यज्ञविद्, ज्योतिषाङ्गविद्, धर्मविद् तथा स्व-परकल्याणकर्ता हैं। हे भिक्षुश्रेष्ठ! आप मुझ पर अनुग्रह करके यज्ञात्र ग्रहण करें।

जयघोष-मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम संसाररूपी सागर से पार उतरने के लिए मुनिधर्म को स्वीकार करो।

इसके बाद विजयघोष भी प्रवृजित हो गया और दोनों ने संयम व तप की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया।

इस आख्यान से निम्नोक्त विषयों पर प्रकाश पड़ता है:

- १. सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप ।
- २. वेदादि का मुख।
- जन्मना जाति की अपेक्षा कर्मणा जाति की श्रेष्ठता।
- ४. बाह्यमुद्धि की अपेक्षा आभ्यन्तर मुद्धि की श्रेष्ठता।
- ४. वैदिक द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा यमयज्ञ की श्रेष्ठता।
- ६. अनुकृल और प्रतिकृल परिस्थितियों में मुनिधर्म-समता ।
- ७. मुनि के उपदेश का प्रयोजन-पर-कल्याण।

#### राजीमती-नेमि आख्यान :

शौर्यपुर नगर में राजा वसुदेव और राजा समुद्रविजय राज्य करते थे। वसुदेव की दो पित्नियाँ थीं — रोहिणी और देवकी। इन दोनों पित्नियों से क्रमशः दो पुत्र हुए — राम (बलराम) और केशव (कृष्ण)। राजा समुद्रविजय की पत्नी का नाम था 'शिवा'। उसके एक पुत्र का नाम था 'अरिष्टनेमि' और दूसरे का नाम था 'रथनेमि'।

उसी समय द्वारकापुरी में भोगराज (उग्रसेन) राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम था 'राजीमती'। वह सभी श्रेष्ठ राज-कन्याओं के लक्षणों से युक्त, चमकती हुई बिजली की प्रभा की तरह दीप्तिमती, चारुपेक्षिणी और सुशील थी। समुद्रविजय के पुत्र

१. उ० अध्ययन २२.

अरिष्टनेमि भी इसी प्रकार सर्वगुणों से सम्पन्न थे। वे श्याम वर्ण के थे। संहनन 'वज्जवृषभ' था। संस्थान 'समचतुरस' था। पेट मछली के पेट जैसा था। अरिष्टनेमि और राजीमती के युवा होने पर केशव ने भोगराज से उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखा। भोगराज की अनुमित मिलने पर दोनों तरफ विवाह की तैयारियाँ की जाने लगीं। वृष्णिपुंगव अरिष्टनेमि को शुभ मुहूर्त में सबौष-धियों से स्नान कराया गया। कौतुक एवं मंगल कार्य भी किए गए। दिव्य वस्त्र-युगल (उत्तरीय और अधः) पहनाए गए। आभूषणों से अलंकृत किया गया। वासुदेव के मतवाले ज्येष्ठ गन्धहस्ती पर बैठे हुए वे मस्तक पर स्थित चूडामणि की तरह सुशोभित हुए। उनके ऊपर छत्र और चामर ढुले जा रहे थे। चारों ओर दशाई लोग बैठे हुए थे। गगनस्पर्शी दिव्य बाजे बज रहे थे।

ऐसे शुभ मुहुर्त में अरिष्टनेमि वर के रूप में अपने भवन से निकले और चतुर्गिणी सेना के साथ भोगराज के घर प्रस्थान किया। द्वारका पहुँचने पर उन्होंने पिजरों एवं बाड़ों में निरुद्ध तथा भय से पीडित पश्-पक्षियों को देखा। दयाई होकर उन्होंने अपने सारिथ से इसका कारण पूछा। सारथि ने कहा - 'ये प्राणी तुम्हारे विवाह की खुशी में बहुत से लोगों को खिलाने के लिए यहाँ निरुद्ध हैं।' सारिय के इन वचनों को सुनकर अरिष्टनेमि ने सोचा- मेरे निमित्त से यदि इन बहत से प्राणियों का बध होने वाला है तो यह मेरे लिए परलोक में कल्याणकारी नहीं होगा ।' ऐसा विचारकर उन्होंने अपने सभी वस्त्राभूषण उतारकर सारथि को दे दिए और दीक्षा लेने का संकल्प किया। दीक्षा का संकल्प करते ही देवतागण अरिष्टनेमि का अभिनिष्क्रमण महोत्सव करने के लिए पधारे। इसके बाद हजारों देव और मनुष्यों से घिरे हुए अरिष्टनेमि ने चित्रा नक्षत्र में अभिनिष्क्रमण किया। अभिनिष्क्रमण करते समय वे रत्ननिर्मित पालकी पर बैठकर गिरनार पर्वत पर गए। वहाँ शीघ्र ही अपने सुगन्धित बालों को अपने हाथों (पञ्चमुष्टि) से उलाड़ा । वासुदेव ने अभीष्ट सिद्धिका आशीर्वाद दिया। इसके बाद राम, केशव आदि सभी अरिष्टनेमि की वन्दना करके द्वारकापूरी लौट गए।

जब राजीमती ने अपने होनेवाले पित की प्रव्रज्या का समा-चार सुना तो वह अपनी हंसी व खुशी को खो बैठी। पश्चात् उसने भी विचार किया—'मुझ पित-परित्यक्ता के जीवन को धिक्कार है। अतः मेरा भी प्रव्रजित होना उचित है।' इसके बाद कृत-निश्चया धृतिमती राजीमती ने भी अपने सुवासित बालों को अपने हाथों से उखाड़ दिया और स्वयं प्रव्रजित होकर अन्य बहुत से स्वजनों को भी प्रव्रजित किया। यह देख वासुदेव ने बहुश्रुता राजी-मती को भी अभीष्टसिद्धि का ग्रुमाशीवाद दिया।

प्रवृजित होने के बाद जब राजीमती एक दिन रैवतक पर्वत पर जा रही थी कि मार्ग में अचानक वर्षा होने से वह भीग गई। वर्षा व घोर अन्धकार देख राजीमती ने समीपस्य गुफा में जाकर वस्त्रों को उतारा और उन्हें सुखाने लगी। इसी बीच पहले से वहाँ वर्तमान रथनेमि ने राजीमती को यथाजात (नग्न) रूप में देख लिया। उसे देख रथनेमि अस्थिर चित्त वाला हो गया। राजीमती भी वहाँ रथनेमि को देख भयभीत हो गई और कांपती हुई उसने अपने गुह्याङ्गों को छिपा लिया। पश्चात् भयभीत राजीमती से रथनेमि ने सान्त्वना भरे शब्दों में प्रणय निवेदन किया। इस तरह रयनेमि को संयम से च्युत होते हुए देख राजीमती अपने शरीर को वस्त्रों से ढकती हुई दढ़तापूर्वक बोली-'यदि तु रूप में वैश्ववण और लालित्य में नलक्बर है या साक्षात् इन्द्र ही है तो भी मैं तुझे नहीं चाहती हूँ। हे यशःकामिन् ! तुझे धिक्कार है जो तू वमन की हुई वस्तु को पीने की अभिलाषा रखता है। इससे तो मरना अच्छा है। इसके बाद उसने दोनों के कूलों की श्रेष्ठता आदि को बतलाते ्हुए पुनः कहा—'यदि तू स्त्रियों को देखकर रागभाव करेगा तो अस्थिरात्मा ( चञ्चल चित्तवृत्तिवाला ) होकर श्रमण बनने के फल को प्राप्त न कर सकेगा।

इस तरह संयमिनी राजीमती के सुभाषित वचनों को सुनकर रथनेमि संयग में उसी प्रकार दृढ़ हो गया जिस प्रकार अंकुश से मदोन्मत हाथी। इसके बाद दोनों ने निश्चलभाव से आजीवन दृढ़ संयम का पालन करके मुक्ति प्राप्त की।

## ४७० ] उत्तराध्ययत-सूत्र : एक परिशीलन

इस प्रभावोत्पादक आख्यान से निम्नोक्त विषयों पर प्रकाश पड़ता है:

- १. विभिन्न परिस्थितियों में नारी का कर्तव्य व शीलरक्षा।
- २. राजीमती, रथनेमि और अरिष्टनेमि का उदात्त-चरित्र ।
- ३. रीति-रिवाज एवं राज्य-व्यवस्था आदि का चित्र।
- ४. पश्-हिंसा में निमित्तमात्र बनने का परिणाम ।
- कृष्ण आदि ऐतिहासिक महापुरुषों का प्रथमतः उल्लेख ।

## संजय आख्यान ः

एक समय देवलोक से च्युत होकर राजा संजय ने कांपिल्य नगर में जन्म लिया। एक बार वह घोड़े पर बैठकर चतुरंगिणी सेना के साथ 'केशर' उद्यान में शिकार के लिए गया। वहाँ उसने संत्रस्त मृगों को मारा। उसी उद्यान के अप्फोब-मण्डप (लता-मण्डप ) में तपस्वी गर्दभाली मूनि ध्यानमम्न थे। इधर-उधर घूमने के बाद राजा संजय ने उसी लतामण्डप के पास पहले तो मरे हुए मृगों को और बाद में घ्यानस्थ मुनिको देखा। मुनिको देखकर राजा डर गया। उसने सोचा कि रसलोल्पी मैंने यहाँ के मुगों को मारकर मुनि का अपराध किया है। अतः मुनि के कोप से भयभीत राजा शोध ही घोड़े पर से उतरा और विनयपूर्वक बोला – 'हे भगवन् ! मुझे इस विषय में क्षमा करें।' मुनि उस समय ध्यानमग्न थे । अतः उन्होंने कोई प्रत्यूत्तर नहीं दिया । इससे राजा और भी अधिक भयभीत हो गया। पश्चात् राजा ने अपना परिचय देते हुए पुनः विनती की। घ्यानस्थ मुनि ने मौन भंग करते हुए कहा—'हे राजन्! तुझे अभय है। तू भी दूसरों को अभय करने वाला बन । तू हिसावृत्ति क्यों करता है ? यह संसार असार एवं अनित्य है। एक दिन तुझे भी सब कुछ यहीं छोड़कर परलोक जाना होगा।

इस तरह विविध प्रकार से मुनि के द्वारा समझाया गया राजा संजय राज्य छोड़कर उनके समीप ही जिनशासन में दीक्षित हो

१. उ० अध्ययन १८.

गया। एक दिन संजय मुनि के सौम्य रूप को देखकर किसी क्षत्रिय मुनि ने पूछा—

क्षत्रिय मुनि-तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है? तुम मुनि किसलिए बने हो? आचार्य की सेवा कैसे करते हो और विनीत कैसे कहलाते हो?

संजय मुनि—नाम से मैं संजय हूं। मेरा गोत्र गौतम है। गर्दभालि मुनि मेरे आचार्य हैं। मुक्ति के लिए मुनि बना हूँ और आचार्य के उपदेशानुसार सेवा करता हूँ। अतः विनीत हूँ।

संजय मुनि के इस उत्तर से आकृष्ट होकर क्षत्रिय मुनि ने बिना पूछे ही कई बातें बतलाई और प्रसंगवश भरत, सगर आदि बहुत से महापुरुषों के दृष्टान्त दिए जिन्होंने अपनी विपुल सम्पत्ति त्याग-कर जिनदीक्षा ली तथा मोक्ष प्राप्त किया।

इस तरह इस आख्यान से निम्नोक्त विषयों पर प्रकाश पड़ता है:

- १. दीक्षा लेने का परिणाम मुक्ति ।
- २. संसार की असारता।
- ३. हिंसावृत्ति का त्याग।
- ४. अभयदाता होना ।

# समुद्रपाल आख्यान :े

चम्पा नगरी में भगवान महावीर का शिष्य पालित नाम का बिणक् रहता था। वह निर्प्रन्थ-प्रवचन में विशारद था। एक बार जल-पोत से वह व्यापार के लिए 'पिहुण्ड' नगर गया। वहाँ किसी सेठ ने अपनी कन्या का पाणिग्रहण उसके साथ कर दिया। कुछ समय वहाँ रहने के बाद वह अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर स्वदेश लौटा। रास्ते में उसकी पत्नी ने पुत्र का प्रसव किया। समुद्र में पदा होने के कारण उसका नाम 'समुद्रपाल' रखा गया। धीरे-धीरे युवा होने पर उसने बहुत्तर कलाओं तथा नीतिशास्त्र में पाण्डित्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसके पिता ने उसकी शादी रूपिणी

१. उ० अध्ययन २१.

नाम की कन्या के साथ कर दी। उसके साथ वह सुरम्य महलों में देवसदृश भोग भोगने लगा।

एक दिन जब वह झरोखे में बैठा हुआ था तो उसकी दृष्टि अचानक एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो वधभूमि की ओर ले जाया जा रहा था। उसे देख समुद्रपाल का हृदय वैराग्य से भर गया। वह सोचने लगा—'अहो! अशुभ कमों का फल बुरा होता है।' इसके बाद उसने माता-पिता से अनुमति लेकर श्रमणधर्म अङ्गीकार किया। श्रमणधर्म का सम्यक् पालन करके उसने सभी प्रकार के कमों को नष्ट कर दिया और विशाल संसार ह्मपी समुद्र को पार करके मोक्ष चला गया।

इस आख्यान से निम्नोक्त विषयों पर प्रकाश पड़ता है :

- १. श्रमणधर्म पालन करने का फल-मुक्ति।
- २. व्यापार व दण्ड-व्यवस्था।
- ३. कर्मों का फल।

इस तरह सभी कथात्मक संवादों में मुर्ख्यरूप से धार्मिक चर्चा की गई है। इनसे मिलते-जुलते कथानक व संवाद आदि महाभारत व बौद्धग्रन्थों में भी मिलते हैं।



१. देखिए—प्रास्ताविक, पृ०४४-४६; उ० समी० अध्ययन, खण्ड २, प्रकरण १.

## परिशिष्ट २

# विशिष्ट व्यक्तियों का परिचय

ग्रन्थ में उल्लिखित निम्नोक्त सभी व्यक्ति ऐतिहासिक तो नहीं हैं फिर भी विषय को रोचक एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए संवाद एवं कथाओं के रूप में इन्हें जोड़ा गया है। जैसे:

## अनायी मूनि :

प्रभूतधनसंचय इनके पिता थे। ये जीवन की प्रथम अवस्था में ही चक्षुरोग से पीड़ित हो गये थे। अनेक प्रयत्न करने पर भी जब रोग ठीक न हुआ तो जैन-श्रमण बन गए। इनका राजा श्रेणिक के साथ वार्तालाप हुआ जिसमें इन्होंने धर्महीन को 'अनाथ' और धार्मिक आचरणवाले को 'सनाथ' बतलाया। इनका रूप और तेज आश्चर्यकारी था। इन्होंने अनाथता का वर्णन किया। अतः ये 'अनाथी मुनि' के नाम से कहे गए।

अर ( अरहनाथ ) : र

ये सातवें चक्रवर्ती अराजा और अठारहवें तीर्थञ्चर हुए।

१. देखिए-परि० १, पृ० ४५६.

२ उ० १८,४०.

३. बारह चकवर्ती राजा इस प्रकार हैं। १. भरत, २. सगर, ३. मध्या, ४. सनत्कुमार, ४. शान्ति, ६. कुंगु, ७. बरह, ८. सुभूम, ६. महादच, १०. हरिषेण, ११. जय और १२. ब्रह्मदत्त।

४. जैनधर्म में चौबीस तीर्थक्कर इस प्रकार हैं: १. ऋषभ, २. अजित, ६. संभव, ४. अभिनन्दन, ५. सुमित, ६. पद्मप्रभ, ७. सुपार्थ, ६. चन्द्रप्रम, ६. पुष्पदन्त (सुविधि), १०. जीतल, ११. श्रेयांस, १२. वासुपुष्प, १३. विमल, १४. अनन्त, १४. धर्म, १६. शान्ति, १७. कुन्यू, १८. अर (अरह), १६. मिलल, २०. मुनिसुन्नत, २१. निम, २२. नेमि, २३. पार्थ्व और २४. महावीर।

868

उत्तराध्ययन-सूत्रः एक परिशीलन

#### अन्धकवृष्टिण : १

ये समुद्रविजय, वसुदेव, अरिष्टनेमि, कृष्ण आदि के पूर्वज हैं। इन्हीं के नाम से आगे इनके कुन का नाम अन्धकवृष्णि पड़ा।

#### अरिष्टनेमि ः

ये बाईसवें तीयं क्कर हैं। ये गौयंपुर के राजा समुद्रविजय की पत्नी शिवा के पुत्र थे। ये कृष्ण वर्ण के थे। महापुरुषोचित १००८ लक्षणों से युक्त थे। इनके शरीर की अस्थियों आदि का गठन एक विशेष प्रकार का था। जब ये राजीमती के साथ विवाह करने के लिए बारात के साथ जा रहे थे तभी वैराग्य हो जाने से जिन दीक्षा ले ली। इन्हें वृष्णिपुंगव (यादववंशी राजाओं में प्रधान) कहा गया है।

#### इषुकार:3

यह इषुकार नगर (कुरु जनपद ) का राजा था। इसने अपनी पत्नी कमलावती के द्वारा प्रबोधित किए जाने पर जिनदीक्षा ली और कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त किया। बृहद्वृत्ति में इसका मौलिक नाम 'सीमंघर' आया है तथा बौद्ध-ग्रन्थों में 'एषुकारी' नाम से इसका उल्लेख हुआ है।

#### इन्द्र :"

यह देवों का शासक है। इसे शक्त और पुरन्दर के नाम से भी कहा गया है। इसने ब्राह्मण के वेश में राजा निम की दीक्षा के अवसर पर राजा के कर्त्तां का उल्लेख करते हुए उनके संयम की दृढ़ता की परीक्षार्थ कुछ प्रक्त पूछे। पश्चात् निम के सयुक्तिक उत्तरों को सुनकर उनकी स्तुति की।

१. देखिए - उ० समी० अध्ययन, पृ० ३६६.

२. देखिए-राजीमती आस्यान, परि०१.

३. उ० १४. ३, ४८.

४. उ० बृहद्वृत्ति, पत्र ३६४; हस्तिपाल जातक, ५०६.

५. उ०अ^६ययन ६.

#### उदायन : 1

यह सौवीर (सिन्धु) देश का राजा था। इसने महावीर से दीक्षा धारण करके मुक्ति प्राप्त की।

#### **भृषभ**ः

ये जैनधर्म के प्रथम तीर्थं द्धार हैं। इनका गोत्र काश्यप था। इन्हें धर्मों का मुख कहा गया है। इन्द्रादि देव इनकी पूजा करते हैं। इनका धर्म भगवान् महाबीर की तरह पंच महाव्रत रूप था। किपल: 3

ये उत्तराध्ययन के आठवें अध्ययन के आख्याता कहे गए हैं।
आप विशुद्ध प्राज्ञ थे। टीकाकारों ने लिखा है कि एक दासी के साथ
प्रेम हो जाने पर ये उस दासी की अभिलाषा की पूर्ति के लिए राजदरबार में याचना के लिए गए। संयोगवश राजा ने इनसे प्रसन्न
होकर यथेच्छ धन मांगने को कहा। इसी समय इन्हें लोभ की
असीमता का ज्ञान हुआ और सब कुछ छोड़ कर जैनसाधु बन गए।
कमनावनी:

यह इषुकार देश के राजा की धर्मपत्नी थी। इसके उपदेश से ही राजा को बोध की प्राप्ति हुई और फिर दोनों जिन-दीक्षा लेकर व कर्मों का क्षय करके मोक्ष गए।

#### करकण्डु :

ये किलग देश के राजा थे। ये प्रत्येक-बुद्धों भी गिने जाते हैं। इन्होंने पुत्र को राज्य-भार सौंपकर जिन-दीक्षा ली और मोक्ष पाया।

१. उ० १८. ४८. २. उ० २४. ११, १४, १६.; २३. ८७.

[्]रे. उ० द. २० व टीकाएँ। ४. उ० १४. ३, ३७.

४. उ० १८. ४६-४७

६. बोधि प्राप्त करने वाले मुनि तीन प्रकार के होते हैं: १. स्वयं-बुद्ध (जो स्वयं बोधि प्राप्त करते हैं), २. प्रत्येक-बुद्ध (जो किसी एक घटना के निमित्त से बोधि प्राप्त करते हैं) और ३. बुद्ध-बोधित (जो बोधिप्राप्त व्यक्तियों के उपदेश से बोधि प्राप्त करते हैं)।

[—]आचार्य तुलसी, उ० भाग १, पृ**० १०**५.

## ४७६ ] उत्तराध्ययेन-सूत्र: एक परिश्रीलन

#### काशीराजः 1

इन्हें टीकाओं में 'नन्दन' नामवाले सप्तम बलदेव के नाम से कहा गया है। इन्होंने काम-भोगों को छोड़कर जिन-दीक्षा ली थी। कुन्यु:

ये छठे चक्रवर्ती तथा सत्रहवें जैन तीर्थं द्धर हैं। इक्ष्वाकु कुल में ये वृषभ के समान श्रेष्ठ और विख्यात कीर्तिवाले थे। केशवः

ये शौर्यपुर के राजा वसुदेव के पुत्र वासुदेव (कृष्ण) हैं। ये अंतिम (नौर्वे) वासुदेव हैं। ये शंख, चक्र तथा गदा धारण करते थे। ये अप्रतिहत योद्धा भी थे। देवकी इनकी माता थी। इन्होंने ही अरिष्टनेमि की शादी के लिए भोगराज की पुत्री राजीमती की याचना की थी तथा इनके ही मदोन्मल हाथी पर आरूढ़ होकर अरिष्टनेमि विवाहार्थ गए थे। ज्येष्ठ होने के नाते इन्होंने अरिष्टनेमि को अभीष्ट फलप्राप्ति का आशीर्वाद

१, उ०१द. ४६.

२. नी बलदेश ये हैं : १. अचल, २. विजय, ३. भद्र, ४. सुप्रभ, ४. सुदर्शन, ६. आनंद, ७. नंदन, ८. पद्म (रामचन्द्र)और १. राम (बलराम).

३. उ० १८. ३६.

४. उ० २२.२, ६, स, १०, २७; ११. २१.

५. वासुदेव बलदेव के छोटे भाई कहलाते हैं। वासुदेवों की संख्या नौ है तथा इनके शत्रु प्रतिवासुदेवों की संख्या भी नौ है। वासुदेव और प्रतिवासुदेव इस प्रकार हैं:

वासुदेव- १. त्रिपृष्ठ, २. द्विपृष्ठ, ३. स्त्रयम्मू, ४. पुरुषोत्तम, ५. पुरुषसिंह, ६. पुरुषपुण्डरीक, ७. दत्त, ८. नारायण (लक्ष्मण) और ६. कृष्ण (केशव)।

प्रतिवासुदेव—१. अश्वशीव, २. तारक, ३. मेरक, ४. मधुकैटभ, ४. निशुंभ, ६. बलि, ७. प्रह्लाव, ५. रावण और ६. जरासन्ध ।

दिया तथा अरिष्टनेमि के दीक्षा ले लेने के बाद इन्होंने उन्हें स्वयं नमस्कार भी किया। संभवतः कृष्ण का चरित्र जैन-ग्रन्थों में सर्व-प्रथम यहीं मिलता है। ये अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे।

#### केशिकुमार श्रमण ः

ये पार्श्वनाथ के महायशस्त्री शिष्य ( चौथे पट्टधर) थे। ये शिष्यों के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए श्रावस्ती के 'तिन्दुक' नाम के उद्यान में ठहरे और वहाँ इन्होंने भगवान् महावीर के शिष्य गौतम से धर्म-भेदविषयक शिष्यों की शंका को दूर करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। इन्हें अविद्यान था।

#### कोशल राजा:^२

ये कोशल देश के प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने यक्ष देवता की प्रेरणा से अपनी कन्या 'भद्रा' हरिकेशिबल मुनि को देना चाही थी परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं की थी।

## क्षत्रिय मुनिः

इन्होंने राज-पाट त्यागकर जिन-दीक्षा ली थी। संजय ऋषि से इनका वार्तालाप हुआ जिसमें इन्होंने जिन-दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त करने वाले कई धार्मिक महापुरुषों के दृष्टान्त दिए। आत्मारामजी ने इन्हें महावीर के सम-समयवर्ती लिखा है। ४

## गर्गाचार्यं मूनि :

इन्होंने अविनीत शिष्यों को समाधि में बाधक समझकर उनका त्याग किया और पृथिवी पर एकाकी विचरण किया।

## .गर्दभाली मुनि: ^६

ये उग्र तपस्वी थे। एक बार जब ये काम्पिल्य नगर के 'केशर' उद्यान में धर्मध्यान कर रहे थे तो उसी समय इनके समीप आए हुए मृगों को मारनेवाले राजा संजय ने इनसे क्षमा मांगी और जिनदीक्षा ली।

[·] १. उ• अध्ययन २३.

२. उ० १२.२०, २२.

३. उ० १६.२०, २४.

४. वही, टीका, पृ० ७४२.

४. उ० २७.१, १६-१७.

६. उ० १८.६, १६, २२.

#### गौतमः ।

ये महावीर के प्रथम गणधर (प्रमुख शिष्य) थे। इनका समय ई० पू० ६०७ के करीब है। एक बार ये अपने शिष्य-परिवार के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए श्रावस्ती के 'कोष्ठक' उद्यान में ठहरे। वहाँ केशिकुमार के साथ हुई धर्म-भेदविषयक तत्त्वचर्म में इन्होंने समाधानात्मक उत्तर दिया और दोनों परम्पराओं में ऊपरीतौर पर दिखलाई पड़ने वाले मतभेद को दूर किया। पश्चात् केशिकुमार ने अपने शिष्य-परिवार के साथ इनके बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण किया। दसवें अध्ययन में गौतम को लक्ष्य करके अप्रमहा होने का उपदेश दिया गया है। इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।

## चित्तमुनि :³

ये पुरिमताल नगर के विशाल श्रेष्ठिकुल में उत्पन्न हुए ये। बाद में जैन श्रमण बन गए। ये अपने पिछले पाँच जन्मों में क्रमशः दशाणं देश में दासरूप से, कॉलजर पर्वत पर मृगरूप से, मृतगंगा के तीर पर हसरूप से, काशी में चाण्डालरूप से और देवलों के में देवरूप से अपने भाई संभूत (ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती) के साथ-साथ उत्पन्न हुए परन्तु छठे जन्म में दोनों भाई पृथक्-पृथक् हो गए। एक बार छठे जन्म में जब ये दोनों काम्पिल्य नगर में मिले तो दोनों ने अपने-अपने सुख दु:ख का हाल एक दूसरे से कहा। ब्रह्मदत्त ने अपना वैभव चित्त मुनि को देना चाहा परन्तु चित्त मुनि ने उसे स्वीकार नहीं किया। इन्होंने ब्रह्मदत्त को धर्मोपदेश दिया परन्तु जब उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा तो फिर उसे उपदेश देना व्यथं समझकर वहाँ से चले गए। पश्चात् उग्र तप करके मोक्ष प्राप्त किया।

१. उ० अध्ययन १० व २३.

२. गौतम अपने शिष्य-परिवार के साथ महावीर के शिष्य कैसे बने ? देखिए—विशेषावश्यकभाष्य में गणधरवाद।

३. देखिए--चित्त-संभूत संवाद, परि० १.

#### परिशिष्ट २ : विशिष्ट ध्यक्तियों का परिचय

**४७**६

#### चलनी रानी ः

यह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता थी।

#### जय :ै

यह ग्यारहवां चक्रवर्ती राजा था। इसने सैंकड़ों राजाओं के साथ राज्य छोड़कर जिन-दीक्षा ली और मुक्ति प्राप्त की। जयघोष:³

यह जाति से ब्राह्मण था परन्तु बाद में जैन मुनि बनकर इसने यमयज्ञ किए। एक बार जब यह अपने भाई विजयघोप के यज्ञ-मण्डप में पहुंचा तो ब्राह्मणों के साथ हुए संवाद में यज्ञ और ब्राह्मण का सच्चा स्वरूप बतलाया। इसके उपदेश के प्रभाव से विजयघोष भी जैन श्रमण बन गया। पश्चात् दोनों ने मुक्ति प्राप्त की।

#### दशार्णभद्र : ४

दशार्णदेश का राजाथा। इन्द्र की प्रेरणा से जिन-दीक्षाली। दिर्मुखः "

पांचाल देश का राजा था। पुत्र को राज्य देकर जिन-दीक्षा ली। देवकी:^६

ं यह राजा वसुदेव की पत्नी तथा केशव की माता थी। **बोगुन्दुक देव:**°

नित्य प्रसन्नचित्त व स्वर्ग के सुखों का अनुभव करनेवाला देव।

गान्धार देश का राजा था । पुत्र को राज्य सौंपकर जिन-दीक्षा ली । निमः

ें ये विदेह के राजा थे। इनकी राजधानी मिथिला थी। दीक्षा के समय ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र से इनका संवाद हुआ जिसमें आपने

१. उ० १३.१.

२. उ० १ द. ४३.

३, उ० २५.१, ३६.

४. उ० १८.४४.

[.]४. उ० १८.४६-४७.

६. उ० २२.२-**३.** 

७. उ० १६.३,

न. उ० १न.४६-४७.

६. देखिए च्हन्द्र-नमि संवाद, परि ॰ १.

#### उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशोलन ४५० ो

अपने दढ संयम का परिचय दिया। अन्त में पुत्र को राज्य सौंपकर जिन-दोक्षा ली और मोक्ष प्राप्त किया।

नलकबरः

लीला-विलास में प्रसिद्ध देव-विशेष ।

# पालित वणिकः

यह चम्पा नगरी में रहने वाला भगवान् महावीर का शिष्य था। एक बार जब यह पिहुण्डनगर व्यापार करने गया तो वहाँ के किसी सेठ ने इसे अपनी कन्या विवाह दी थी। उससे इसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम 'समुद्रपाल' रखा गया।

#### पार्श्वनाथ :४

ये तेईसवें तीर्थं दूर व ऐतिहासिक महापुरुष हैं। इनका समय महावीर से २४० वर्ष पहले ई० पूर्व दवी शताब्दी माना जाता है। इनका धर्म चतुर्याम और सान्तरोत्तर था। 'केशि' इनका शिष्य था। प्रभृतधनसंचयः "

ये कौशाम्बी में रहते थे। अनाथी मूनि इनके ही पुत्र थे।

# ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीः

यह पांचाल देश का राजा था। यह चित्त मुनि के पूर्व भव का भाई संभूत था जो पाँच भवों तक अपने भाई चित्त के साथ-साथ

देखिए—आचार्य तुलसी, उ॰ माग १, पृ० १०७.

- २. उ० २२.४१.
- ₹. उ० २१.१-४.
- ४. उ० २३.१. १२, २१, २६.
- ५. उ० २०. १८.

प्रभतघनसञ्चय नाम है या विशेषण इस विषय में मतभेद है। मालूम पड़ता है कि इनके पुत्र 'अनायी' की तरह ही इनका भी नाम बहुत धन सञ्चय करने के कारण प्रभृतधनसञ्चय पड़ गया हो ।

६. देखिए-चित्त-संभूत संवाद, परि० १.

विदेहदेश में दो निम राजा हुए हैं। उनमें से एक २१ वें तीर्यक्कर हुए हैं और दूसरे प्रत्येक बुद्ध। यहाँ जो निम राजा का उल्लेख है वे प्रत्येक-बुद्ध हैं, तीर्थङ्कर नहीं।

उत्पन्त हुआ। पूर्वजन्म में निदान बांधने के कारण यह छठे भव में अपने भाई से पृथक हो गया और चूलनी रानी की कुक्षि से उत्पन्त होकर आठवां चक्रवर्ती राजा हुआ। इसका चित्त मुनि से संवाद भी हुआ। धर्म का पालन न करने के कारण सातवें नरक में गया। भदाः

यह कोशल राजा की सुन्दर अंगों एवं तदनुरूप गुणोंवाली पुत्री थी। इसने हरिकेशिबल मुनि पर प्रहार करनेवाले ब्राह्मणों को उनके तपोबल का परिचय देकर पीटने से रोका था। पहले यह अपने पिता के द्वारा देवता की प्रेरणा से इन्हीं मुनि को दे दी गई थी परन्तु बीतरागी होने से मुनि ने इसे स्वीकार नहीं किया था। टीकाकारों ने इसे राजा सोमदेव की पत्नी बतलाया है।

#### भरतः २

ये भगवान् ऋषभदेव के प्रथम पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती राजा थे। इनके नाम से ही इस देश का नाम 'भारत' पड़ा। इन्होंने राज्य त्यागकर जिन-दीक्षा ली थी।

भग पुरोहित व पुत्रद्वयः

ये तीनों पूर्वजन्म में देव थे। वहाँ से च्युत होकर इषुकार नगर में ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए। भृगु पुरोहित के दोनों पुत्र जब जैन श्रमण बनने के लिए पिता से आजा लेने आए तो पिता ने उन्हें भोगों से प्रलोभित करना चाहा परन्तु उन्होंने अपने प्रभाव से माता-पिता को भी भोगों से विरक्त करके सबके साथ दीक्षा ले ली। मूल ग्रन्थ में पुरोहित और उसके पुत्रों का नाम नहीं है। यहाँ पुरोहित का 'भृगु' नाम टीका-ग्रन्थों के आधार से दिया गया है। भोगराज: '

ं ये राजीमती के पिता (उग्रसेन) थे। केशव ने अरिष्टनेमि के साथ विवाह के लिए इनसे ही राजीमती की याचना की थी। मधवा: "

.. ये तृतीय चक्रवर्ती थे । इन्होंने राज्य छोड़कर जिन-दीक्षा ली थी ।

१. उ० १२.२०, २२, २४-२४.

२. उ० १=.३४.

३. देखिए--इषुकार आख्यान, परि० १.

^{¥,} उ० २२,5, ४¥,

प्र. उ०१८.३६.

४८२ ] अत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

#### मृगाः'

ँ यह सुग्रीव नगर के राजा बलभद्र की पटरानी तथा मृगापुत्र की माता थी।

#### मृगापुत्र ः

इसका जन्म-नाम 'बलश्री' होने पर भी इसकी प्रसिद्धि 'मृगापुत्र' के नाम से हुई। यह माता-िपता को प्रिय था। प्रासाद में स्त्रियों के साथ कीड़ाएँ किया करता था। एक बार गवाक्ष से एक साधु को देखने पर जब इसे पूर्वजन्म का ज्ञान हुआ तो इसने अपने माता-िपता से जिन-दीक्षा लेने की अनुमित मागी। पहले तो माता-िपता ने इसे संसार के भोगों से प्रलो भित करना चाहा परन्तु बाद में इसका दृढ़ संयम देखकर दीक्षार्थ अनुमित देदी। अन्त में मोक्ष प्राप्त किया। माता-िपता के साथ हुए संवाद में इसने नरकों के कष्ट और साधुधर्म का वर्णन किया।

#### महावीर:3

ये अन्तिम ( चौबीसवें ) तीर्थं द्ध्र रहें। इनका समय आज से २५०० वर्ष पूर्व (ई० पूर्व छठी शताब्दी) था। इन्होंने पार्श्वनाथ के 'चतुर्याम' तथा 'सान्तरोत्तर' धमं को देश-काल का विचार करके पंचयाम' तथा 'अचेलक' के रूप में परिवर्तित किया था। इनका गोत्र काश्यप था। इन्हें प्रन्थों में वरदर्शी (प्रधानदर्शी), ज्ञातपुत्र, जिन, वर्धमान, वीर, बुद्ध आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। गौतम इनका प्रधान शिष्य था। इनके पिता का नाम 'सिद्धार्थ' और माता का नाम 'त्रिश्रला' था।

१. उ० १६.१-२.

२. देखिए-मृगापुत्र आ**ख्यान, परि•** १.

३. उ० २३. २३, २६; ३६ २६६ आदि !

४. काश्यप २.४६; ज्ञातपुत्र २६.२६६; बुद्ध १८.३२; २४.३४; वरदर्शी २८.२; वीर २०.४०; जिन २.६; १०.३२; १४.४२; १८.१६, ३२, ४३, ४७; २१.१२; २२.२८, ३८; २४.३; २८.१-२, १८-१६, २७, ३३; ३६.६०, २६१-२६२; वर्षमान २१.२६.

महापद्म : १

ये नौवें चक्रवर्ती राजा थे । इन्होंने राज्य त्यागकर जिन-दीक्षा ली और तपश्चरण किया।

# महाबल राजाः र

इन्होंने उग्र तप करके मुक्ति प्राप्त की।

# यशा (वासिष्ठी) :3

यह भृगु पुरोहित की धर्मपत्नी थी। पित और पुत्र के दीक्षा ले लेने पर यह भी साध्वी बन गई। विसष्ठ कुल में उत्पन्न होने के कारण इसे 'वासिष्ठी' भी कहा गया है।

#### रथनेमि :४

ये अरिष्टनेमि के छोटे भाई तथा समुद्रविजय के पुत्र थे। इनका कुल अगन्धन था। समय पाकर इन्होंने दीक्षा ले ली। एक समय राजीमती को अन्धकारपूर्ण गुफा में नग्न देखकर इन्होंने उससे भोग भोगने के लिए प्रार्थना की। बाद में राजीमती के द्वारा प्रबोधित किए जाने पर संयम में दृढ़ होकर इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। राजीमती:

यह भोगराज (उग्रसेन) की सर्वगुणसम्पन्न कन्या थी। अरिष्ट-नेमि के लिए वासुदेव ने इसी की याचना की थी। होने वाले पित अरिष्टनेमि के दीक्षित हो जाने पर इसने भी जिन-दीक्षा ले ली और घुँघराले केशों को अपने हाथों से उखाड़ फैंका। पश्चात् अन्य स्त्रियों को भी दीक्षित किया। रथनेमि जैसे तपस्वी के द्वारा प्राधित होकर भी यह संयम में दृढ़ रही और उसे भी संयम में दृढ़ करके मोक्ष प्राप्त किया। इसके द्वारा प्रदिश्तित पितन्नता धर्म तथा ब्रह्मचर्य न्नत एक उदात्त आदर्श है।

१. उ० १८.४१.

२. उ० १८.५१.

^{₹. 30} १४.₹, २६.

४. देखिए-राजीमती बाख्यान, परि०१; जै० भा० स०, पृ० ५००-५०१.

५. वही।

#### 

# राम (बलराम)ः

ये यदुवंशी वसुदेव के पुत्र थे। इनकी माता का नाम रोहिणी था। केशव इनके बड़े भाई थे। ये नौवें बलदेव हैं।

# रूपिणी :3

यह समुद्रपाल वणिक् की रूपवती पत्नी थी।

# रोहिणी :*

यह प्रसिद्ध यदुवंशी राजा वसुदेव की पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम राम 'बलराम' था।

#### **ब**लभदः "

यह सुग्रीव नगर का राजा था। 'मृगा' इसकी अग्रमहिषी (पट-रानी) थी तथा 'मृगापुत्र' (बलश्री) इसका प्रिय पुत्र था।

#### वसूदेव : ६

ये शौर्यपुर के यदुवंशी राजा थे। इनकी 'रोहिणी' और 'देवकी' ये दो रानियां थीं जिनके क्रमशः 'राम' और 'केशव' ये दो पुत्र थे। समुद्रविजय इनका भाई था।"

# वासुदेव :

यह केशव (कृष्ण) का ही दूसरा नाम है।

#### विजयः

यह दूसरा बलदेव है। यह कीर्तिशाली राजा था। इसने राज्य-वैभव छोड़कर जिन-दीक्षा ली थी।

#### विजयघोष : 1°

यह जयघोष ब्राह्मण का भाई था और बनारस में वैदिक यज्ञ किया करताथा। बाद में जयघोष मुनि की प्रेरणा से दीक्षा लेकर इसने मुक्ति प्राप्त की थी।

१. उ० <b>२</b> २.२,२७.	२. देखिए-पृ० ४७६, पा० टि० २-१
३. उ० २१.७.	४. उ० २२.२-३.

प्र. उ**० १९.१-२.** ६. उ० **२**२.१-३.

٧.

७. देखिए--जै॰भा॰स॰,पृ॰ ५००-५०१. द. उ॰ २२.८.

ह. उ० १८.४०. १०. उ० रेश.४-४,३६,४४.

#### वंश्रवण देव :ै

यह सौन्दर्यशाली देव-विशेष है। राजीमती ने अपने संयम की दुढ़त! बतलाते समय इसका उल्लेख किया था।

#### श्रास्ति :³

ये शान्ति को देने वाले पाँचवें चक्रवर्ती राजा तथा सोलहवें प्रसिद्ध जैन तीर्थे दूर हैं।

#### शिवा :3

यह राजा समुद्रविजय की पत्नी तथा अरिष्टनेमि की माता थी। श्रोणिक :४

यह (महावीर का समकालीन) मगध जनपद का राजा था। जैन. बौद्ध और वैदिक तीनों परम्पराओं में इस राजा का सिवशेष उल्लेख मिलता है। यह किस धर्म को मानने वाला था इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। जैन-ग्रन्थों में इसे भावी तीर्थंङ्कर माना गया है तथा इसका सविशेष उल्लेख भी किया गया है। इस राजा के तीनों परम्पराओं में कई नाम मिलते हैं। जैसे: जैन-परम्परा में-श्रेणिक और मंभसार: बौद्ध-परम्परा में-श्रेणिक और बिम्बिसार; पुराणों में अजातशत्रु और विधिसार। मण्डिकृक्षि उद्यान में इसका अनाथी मृनि से 'अनाथ' विषय पर संलाप हुआ जिसके प्रभाव से इसने धर्म को स्वीकार किया था।

#### सगर : ह

ये द्वितीय चक्रवर्ती राजा थे। इन्होंने राज्य के वैभव को छोड़-कर जिन-दीक्षाली और मृक्तिको प्राप्त किया।

# सनत्कुमारः

यह चतुर्थ चक्रवर्ती राजा था। इसने भी पुत्र को राज्य सौंपकर जिन-दीक्षा ली और तप किया।

१. उ० २२.४१.

२. उ०१८.३८.

३. उ० २२.४.

४. उ० २०.२,**१**०,१४-१५,५४.

विशेष—उ० समी० अध्ययन, पृ० ३६२-३६६.

६. उ० १८.३४.

७. उ० १**५.३७.** 

#### संजय :1

यह काम्पिल्य नगर का राजा था। आत्मारामजी ने इसे महा-वीर का समसामयिक लिखा है। एक बार यह चतुरंगिणी सेना के साथ मृगया के लिए गया। वहाँ अज्ञानवज्ञ मुनि की शरण में आए हुए मृगों को मारने के कारण मुनि से क्षमा मांगी। मुनि के उत्तर न देने पर यह डर गया। पश्चात् उन्हीं गर्दभालि मुनि से दीक्षा ले ली। बाद में इनका क्षत्रिय मुनि से समागम हुआ जिससे ये और अधिक संयम में दृढ़ हो गए। क्षत्रिय मुनि भी इनसे प्रभावित हुए थे।

#### समृद्रपालः ३

यह पालित विणिक् का पुत्र था। इसकी माता पिहुण्डनगर की थी। समुद्रयात्रा करते समय जन्म होने के कारण इसका नाम 'समुद्रपाल' रखा गया था। पिता के द्वारा कहीं से लाई गई रूपवती 'रूपिणी' स्त्री के साथ यह देवसदृश भोग भोगा करता था। एक बार वध स्थान को ले जाए जाने वाले वध-योग्य वस्त्रों से विभूषित वध्य (चोर) को देखकर वैराग्य हो गया। पश्वात् माता-पिता से आज्ञा लेकर जिनदीक्षा ली और अन्त में मुक्ति को प्राप्त किया।

# समुद्रविजय : 3

ये शौर्यपुर के राजा थे। इनकी पत्नी 'शिवा' और पुत्र 'अरिष्ट-नेमि' था। 'रथनेमि' भी इन्हीं का पुत्र था। ये 'अन्धकवृष्णि' कुल के नेता थे। यह कुल श्रेष्ठकुल माना जाता था। इसीलिए राजीमती रथनेमि को संयम से च्युत होते देखकर उसे उसके इसी कुल की याद दिलाती है।

# हरिकेशिबल मुनिः

यह श्वपाक (चाण्डाल) कुलोत्पन्न उग्र तपस्वी जैन मुनि था। एक यक्ष इसकी सेवा किया करता था। इसने यक्ष देवता की प्रेरणा से कोशल राजा के द्वारा दी गई सुन्दरी 'यशा' कन्या को स्वीकार नहीं किया था। एक बार जब यह भिक्षार्थ यज्ञ-मण्डप में गया

१. देखिए-संजय आख्यान, परि० १.

२. देखिए-समुद्रपाल, परि० १. ३. उ० २२.३, ३६, ४३-४४.

४. उ० १२.१, ३, ४, ६, १७, २१-२३, ३७, ४०.

तो बाह्मणों ने इसके कुत्सित रूप को देखकर इसकी निन्दा की और पीटा। यह देख यक्ष ने रक्षा की। बाद में ब्राह्मणपत्नी यशा के द्वारा सपरिवार क्षमा मांगने पर इस मुनि ने यज्ञान्न को ग्रहण किया और भावयज्ञ का प्रतिपादन किया।

# हरिषेण ः

यह मनुष्यों में इन्द्र के समान शत्रुओं का मानमदंन करने वाला तथा पृथिवी पर एक छत्र राज्य करनेवाला दसवां चक्रवर्ती राजा था। इसने दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त की।

इस तरह इन महापुरुषों में कुछ तो क्षत्रिय राजा हैं, कुछ जैन मुनि हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ देव व तीर्थङ्कर हैं। ऋषभ, पार्क, महावीर, श्रेणिक, उदायन आदि ऐतिहासिक महापुरुष हैं।

^{₹.} उ० १**८.४२.** 

२. देखिए-जै० भा० स०, परि० २.

# परिशिष्ट ३

# साध्वाचार के कुछ अन्य ज्ञातन्य तथ्य

उत्तराघ्ययन के चरणविधि नामक इकतीसवें अध्ययन में साधु को कुछ विषयों में विवेकवान् होने का उल्लेख किया गया है तथा उसका फल मुक्ति बतलाया गया है। मूल ग्रन्थ में उन विषयों की सिर्फ संख्या गिनाई गई है। टीका-ग्रन्थों में उनका विस्तार किया गया है। साघ्वाचार के प्रसङ्घ में जिन विषयों का उल्लेख किया जा चुका है उन्हें छोड़कर शेष को मुख्यत: दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: १. त्याज्य संज्ञादि दोष तथा २. अध्ययनीय गाथादि ग्रन्थाध्ययन।

#### त्याज्यः

त्याज्य संज्ञादि दोष इस प्रकार हैं:

संज्ञाएँ (Expressions of the emotions)—संवेदनात्मक चित्तवृत्ति या भावना-विशेष का नाम संज्ञा है। इसके आहार, भय, मैथुन तथा परिग्रह के भेद से चार भेद किए गए हैं। सांसारिक सभी विषयों की अभिलाषारूप चित्तवृत्ति से विरक्त होने के कारण साधु को इन सब से भी विरक्त होना आवश्यक है।

क्रियाएँ (Actions) — व्यापार-विशेष का नाम क्रिया है। इसके पाँच प्रकार गिनाए गए हैं: १. कायचेष्टारूप सामान्य क्रिया (कायिकी), २. खड्गादि साधन के साथ की गई क्रिया (आधिकरणिकी), ३. द्वेषभावजन्य क्रिया (प्राद्वेषिकी), ४. कष्ट देनेवाली क्रिया (पारितापनिकी) और ५. प्राणविनाशक किया (प्राणातिपातिकी)। साधुको अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए इन सब क्रियाओं का त्याग करना आवश्यक है।

१. उ० ३१.६; समवा॰, समवाय ४.

२. उ० ३१.७; समवा॰, समवाय ४.

भयस्थान' (Causes of danger)— चित्तोद्वेग का नाम भय है। इसके सात प्रकार गिनाए गए हैं: १. स्वजातीय जीव को स्वजातीय जीव से होनेवाला भय (इहलोक भय), २. परलोक भय, ३. धन के विनास का भय, ४. अकस्मात् अपने आप सशंक होना (अकस्मात् भय), ५. आजीविका का भय, ६. अपयस का भय और ७. मृत्यु का भय। भयवाला व्यक्ति सदाचार में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। अतः साधु को सब प्रकार के भय का त्याग करना आवश्यक है।

क्रियास्थान ( Actions-Productive of Karman )-जिस प्रवित्त से कर्मों का आस्रव हो उसे क्रियास्थान शब्द से कहा गया है। इसके तेरह भेद गिनाए गए हैं : १ प्रयोजनपूर्वक की गई हिसादि में प्रवृत्ति, २. प्रयोजन के बिना की गई हिसादि में प्रवृत्ति, ३. प्रतिपक्षी को मारने के लिए की गई प्रवृत्ति, ४. अनजाने में हुई प्रवृत्ति (अकस्मात् क्रिया), ५. मतिस्रम से की गई हिंसादि में प्रवृत्ति ( दृष्टिविपर्यास क्रिया ), ६. झूठ बोलना, ७ चोरी करना, द. बाह्य निमित्त के अभाव में शोकादि करना (आध्यात्मिक क्रिया), ६ मान क्रिया, १० प्रियजनों को कब्ट देना, ११ माया क्रिया, १२ लोभ क्रिया और १३ संयम-पूर्वक गमन । इनमें आदि के १२ क्रियास्थान हिसादिरूप होने से सर्वथा त्याज्य हैं और अन्तिम कियास्थान समितिरूप होने से उपादेय है परन्तु सदाचार की चरमावस्था (अयोग केवली की अवस्था ) में वह भी हेय ही है क्योंकि प्रत्येक किया से शुभ अथवा अभुभ कर्मों का आस्रव तो होता ही है। इसीलिए ध्यान तप की चरमावस्था में श्वासोच्छ्वास जैसी सुक्ष्म क्रिया का भी निरोध बतलाया गया है।

असंयम³ ( Neglect of self-control )—संयम का अर्थ है—सावधानी ( नियन्त्रण ) तथा असंयम का अर्थ है—असावधानी

१. उ० ३१.६; समवा•, समवाय ७.

२. उ० ३१.१२; समवा०, समवाय १३.

३. उ० ३१.१३; समवा०, समवाय १७.

(अनियन्त्रण)। असावधानी होने पर 'समिति' का पालन नहीं हो सकता और समिति का पालन न करने पर पाँच महाव्रतों की रक्षा नहीं हो सकती। अतः सब प्रकार के असंयम का त्याग आवश्यक है। इसके १७ प्रकार गिनाए गए हैं: १-६. पृथिवी, अप्, तेज, वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियकाय के जीवों की रक्षा में असावधानी, १०. अचेतन वस्तुओं के ग्रहण करने में असावधानी, ११. ठीक से न देखता, १२. उपेक्षापूर्वक वस्त्रादि की प्रतिलेखना करना, १३. अविधिपूर्वक मूत्रादि का त्याग करना, १४. पात्रादि का ठीक से प्रमार्जन न करना, १४-१७ मन, वचन और काय को वश में न रखकर हिसादि में प्रवृत्त होना।

असमाधिस्थान (Causes of not concentrating)— चित्त की एकाग्रता को समाधि (घ्यान) कहा जाता है। अतः असमाधिस्थान का अर्थ है—जिससे चित्त में एकाग्रता की प्राप्ति न हो। इसके २० स्थान गिनाए गए हैं: १. जल्दी-जल्दी चलना २. रजोहरण से मार्ग को बिना प्रमाजित किए चलना, ३. दुष्प्रमाजना करके चलना, ४. अधिक शयन करना, ५. गुरु आदि से विवाद करना, ६. गुरु आदि को मारने का विचार करना, ७. प्राणियों के घात के भाव करना, ८. प्रतिक्षण क्रोध करना, ६. (सामान्य) क्रोध करना, १०. पिशुनता करना, ११. पुनः पुनः निश्चयात्मक भाषा बोलना, १२. नवीन-नवीन क्रोधादि को उत्पन्न करना, १३. शान्त हुए क्रोधादि को पुनः जाग्रत करना, १४. सचित्त धूलि आदि से हाथ-पँर के भरे हुए होने पर भी अयत्नपूर्वक शय्या पर जाना, १५. निश्चित समय पर स्थाध्याय न करना, १६. व्यर्थ शब्द करना, १७. क्लेश करना, १८. संघभेद करना, १६. रात्रिभोजन करना और २०. एषणसमिति का पालन न करना।

शबलदोष^२ (Forbidden actions) — सदाचार को मिलन करने में कारण होने से इन्हें शबल दोष कहा गया है। यद्यपि

१. उ० ३१.१४; समवा०, समवाय २०.

२. उ० ३१.१४.

क्रोधादि कषाय व असमाधिस्थान आदि भी सदाचार को मलिन करने वाले हैं परन्तु यहां पर निम्नोक्त २१ दोषों को रूढ़ि से शबल दोष कहा गया है: १. हस्तमैथुन, २. स्त्रीस्पर्शपूर्वक मैथुन, रात्रिभोजन, ४. साधु को निमित्त करके बनाए गए भोजन का ग्रहण, ५ राजपिण्ड लेना, ६ मोल लिया हुआ आहार लेना, ७. उधार लिया हुआ आहार लेना, ८. बाहर से उपाश्रय में लाया हुआ आहार लेना, ६ निर्वल से छीनकर लाया हुआ आहार लेना, १०. त्यागी हुई वस्तुको व्रत भंग करके बार-बार खाना, ११. छ: माह के भीतर एक गण छोड़कर दूसरे गण में जाना, १२. एक माह में तीन बार जलप्रवेश तथा तीन बार मायास्थानों का सेवन, १३. हिंसा करना, १४. झूठ बोलना, १५. अदत्त का ग्रहण, १६. सचित्त भूमि पर बैठना, १७. सचित्त रज या घुनवाले काष्ठ आदि पर बैठना, १८. अण्डे आदि से युक्त स्थान पर बैठना, १६. कन्दमूलादि हरित वनस्पतियों को खाना, २०. एक वर्ष में दस बार जलप्रवेश व दस बार मायास्थानों का सेवन करना और २१. सचित्त जल आदि से भीगे हुए हस्तादि के द्वारा दिए गए भोजन-पान का ग्रहण करना।

मोहस्थान (Causes of delusion)—मोह के ३० स्थान गिनाए गए हैं: १. त्रसादि जीनों को पानी में डुबाकर मारना, २ हाथ आदि से मुखादि बन्द करके मारना, ३. मस्तक को बांधकर मारना, ४. अस्त्र से प्रहार करके मारना, ५ अेष्ठ नेता को मारना, ६ स्वाश्रित रोगी का इलाज न करना, ७. भिक्षादि के लिए आए हुए साधु को मारना, द. मुक्ति के मार्ग में स्थित साधक को पथम्रब्ट करना, ६. धर्मादि की निन्दा करना, १०. आचार्य आदि के प्रति कोध करना, ११. आचार्य आदि की समुचित सेवादि न करना, १२. पुन: पुन: विकथाओं का प्रयोग करना, १३. जादूरोना आदि की विद्याओं का प्रयोग करना, १४. विषयभोगों का त्याग करके पुन: उनकी प्राप्ति की प्रार्थना करना, १४. अबहुश्रुत होने पर भी खार-बार अपने को बहुश्रुत कहना, १६. तपस्वी न होने पर भी स्वयं को तपस्वी कहना, १७. अग्नि के धूएँ

इ० ३१.१६; श्रमणसूत्र, पृ० १६४.

में दम घोटकर मारना, १८. स्वयं पाप करके दूसरे के मत्थे मढ़ना, १६. छलादिपूर्वक ठगना, २०. दूसरे को असत्यवक्ता कहना, २१. दूसरे को क्लेश देना, २२. मार्ग में लोगों के घन को लूटना, २३. परस्त्री को विश्वास देकर गुप्तरीति से अनाचार का सेवन करना, २४. बालब्रह्मचारी न होने पर भी बालब्रह्मचारी कहना, २५. ब्रह्मचारी न होने पर भी ब्रह्मचारी कहना, २६. आश्रयदाता का घन चुराना, २७. जिसके प्रभाव से ऊपर उठा हो उसके प्रभाव में विघन उपस्थित करना, २८ नायक व श्रेष्ठि आदि की हत्या करना, २६. देवदर्शन न करने पर भी कहना कि देवदर्शन करता हूँ और ३०. देवों की निन्दा करना।

इस तरह इन संज्ञादि सभी दोषों की संख्या का विभाजन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनमें हीनाधिकता संभव है। पहले बतलाए गए साध्वाचार-सम्बन्धी दोषों से इन्हें सर्वथा पृथक् भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये अहिंसादि व्रतों के ही घातक हैं।

#### अध्ययनीय :

अध्ययनीय गाथादि ग्रन्थाध्ययन इस प्रकार हैं:

गाया-षोडशक १ - 'सूत्रकृताङ्ग' के प्रथम भाग (श्रुतस्कन्ध) के गाथा-अध्ययन पर्यन्त १६ अध्ययन यहाँ गाथा-षोडशक सब्द से कहे गए हैं। यह उत्तराध्ययन से भी प्राचीन प्रन्थ है। याकोबी ने उत्तराध्ययन के साथ इसका भी अनुवाद किया है।

ज्ञाताध्ययन अस्ति ज्ञाताध्ययन से ज्ञातृधर्मकथा के प्रथम भाग के १९ अध्ययन अभिन्नेत हैं। इनमें नीतित्रद कथाओं के द्वारा धर्मोपदेश दिया गया है।

 ^{&#}x27;नाथाभिधानमध्ययनं षोडशं येषां तानि गाथाषोडशकानि' सूत्रकृताञ्जनः प्रथमश्रुतस्कन्धाध्ययनानि तेषु।

⁻⁻ उ॰ ३१.१३ भविविजय-टीका ।

गाहाए सह सोलस अज्झयणा तेसु सुत्तगडपढमसुतवसंध अज्झयणेसु इत्यर्थ:।

[—] उद्घृत, श्रमणसूत्र, पृ० १८०.

२. देखिए-से ० बु० ई०, भाग ४५.

३. उ० ३१.१४; समवा०, समवाय रें.

स्त्रकृताङ्गं के तेईस अध्ययन —यहाँ सूत्रकृताङ्गं के दोनों भागों के २३ अध्ययन अभीष्ट हैं। इनमें गाथाषोडशक-सम्बन्धी सोलह अध्ययन भी सम्मिलित हैं।

दशादि उद्देश - - दशाश्रुतस्कन्ध के १० उद्देश, बृहत्कल्प के ६ उद्देश और व्यवहारसूत्र के १० उद्देश यहाँ 'दशादि' शब्द से कहे गए हैं।

प्रकल्प के अचार का प्रतिपादक आचाराङ्गसूत्र यहाँ 'प्रकल्प' शब्द से कहा गया है। इतना विशेष है कि यहां आचाराङ्गसूत्र में 'निशीथ' को भी मिला लिया गया है जो कि आचाराङ्ग के परिशिष्ट (चूलिका) के रूप में लिखा गया है। इसका कारण यह है कि 'प्रकल्प' शब्द का उल्लेख २८ संख्या के क्रम में आया है जबिक आचाराङ्ग में कुल २५ ही अध्ययन हैं। अतः इस संख्या की पूर्ति के लिए निशीथसूत्र को भी ले लिया गया है। यद्यपि यह निशीथसूत्र बहुत विशाल है और कई भागों में विभक्त है फिर भी सम्पूणं निशीथ को तीन भागों में विभक्त करके २८ की संख्या पूणं की गई है। समवायाङ्गसूत्र में 'आचार-प्रकल्प' शब्द आया है और वहाँ उसके अन्य प्रकार से भेद किए गए हैं। '

इन सभी ग्रन्थों में साधु के ज्ञान, दर्शन और चारित्र से सम्ब-न्धित धार्मिक एवं दार्शनिक विषयों का ही विशेषरूप से वर्णन किया गया है। दशाश्रुतस्कन्ध आदि छेदसूत्रों में मुख्यरूप से आचारादि

१. उ० ३१.१६; समवा०, समवाय २३.

२. उ० ३१.१७; समवा०, समवाय २६.

३. 'प्रकृष्टः कल्पो' यतिब्यवहारो यत्र स प्रकल्पः, स चेहाचाराङ्गमेव शास्त्रपरिज्ञाद्यष्टाविशत्यव्ययनात्मकम् ।

[—] उ० ३१.१८ मावविजय-टीका आचार प्रथमाङ्क तस्य प्रकल्पः अध्ययनविशेष निशीयिनित्यपरामि-घानम्। आचारस्य वा साध्वाचारस्य ज्ञानादिविषयस्य प्रकल्पो व्यवस्थापनमिति आचारप्रकल्पः।

[—] उद्धृत, श्रमणसूत्र, पृ० १८६.

४. समवा०,समवाय २८.

# ४६४ ] उत्तराध्ययन-सूत्र: एक परिशीलन

में लगे हुए दोषों की प्रायश्चित्त-विधि का वर्णन है। इस तरह इन ग्रन्थों के अध्ययन में यत्नवान् होने से उपर्युक्त चारित्र मिलन नहीं होता है। अतः ग्रन्थ में साधु को इनके विषय में भी यत्नवान् रहने को कहा गया है। इसका यह ताल्पर्य नहीं है कि इनका ही अध्ययन करना चाहिए, अन्य का नहीं अपितु एतत्सदृश अन्य ग्रन्थों का भी अध्ययन करना चाहिए और तदनुकूल प्रवृत्ति भी करनी चाहिए।



#### परिशिष्ट ४

# देश तथा नगर

उत्तराध्ययन के विभिन्न स्थलों में कुछ देशों तथा नगरों का जल्लेख हुआ है। ये देश तथा नगर भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा विचारणीय भी हैं। अधिकांश देश व नगर जो उस समय बड़े समृद्ध थे आज खण्डहर मात्र रह गए हैं। कुछ के नामों में परिवर्तन हो गया है और कुछ की ठीक-ठीक स्थिति अभी भी संदिग्ध है। कुछ अपनी प्राचीन गरिमा को आज भी किसीन किसी रूप में लिएं हुए हैं। उत्तराध्ययन में आए हुए देशों व नगरों का परिचय अकारादि क्रम से इस प्रकार है:

# इषुकार नगरः

यहां के राजा का नाम था 'इषुकार'। इसका प्राकृत नाम 'उसुयार' है। निर्युक्तिकार ने इसे 'कुर' जनपद का एक नगर माना है। राजतरंगिणी में भी 'हुशकपुर' का उल्लेख हुआ है। उसे भवतः कश्मीर की घाटी में वीहट नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित 'हुशकार' (उसकार) नगर ही उस समय का इषुकार (उसुयार) रहा हो। ४

^{₹.} उ० **१**४,१.

२. उ० नि०, गाया ३६५.

३. उद्धृत- उ० समी०, पृ० ३७७-३७८.

४. उत्तराघ्यथन के इपुकार आख्यान से साम्य रखने वाली बौद्ध-जातक (५०६) की एषुकार कथा में एषुकार राजा को वाराणसी का राजा बतलाया गया है जिससे प्रतीत होता है कि वाराणसी या उसके आसपास का प्रदेश इपुकार रहा है। परन्तु ऐसी घारणा आत्त है क्योंकि इषुकार और वाराणसी एक नहीं हैं। इपुकार कीई समृद्ध नगर रहा है।

#### कम्बोज :

उत्तराघ्ययन में कम्बोज (काम्बोज) देश के 'कन्थक' घोड़े से 'बहुश्रुत' की प्रशंसा की गई है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ के घोड़े उस समय प्रसिद्ध रहे हैं। आचार्य बुद्धघोष ने इसे 'घोड़ों का घर' कहा है। महाभारत में भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है। अक अफगानिस्तान के आस-पास (कश्मीर में) हिमालय और सिन्धु नदी के बीच (गान्धार के पश्चिम प्रदेश) का जनपद था। इस तरह यह पश्चिमोत्तर भारतखण्ड का एक जनपद रहा है। बौद्ध साहित्य के सोलह महाजनपदों में इसका उल्लेख है तथा इसकी राजधानी द्वारका बतलाई गई है परन्तु जैन-सूत्रों में उल्लिखत सोलह जनपदों में इसका उल्लेख नहीं है। अ

# कलिङ्गः "

करकण्डू यहांका राजा था। वर्तमान उड़ीसा का दक्षिणी भाग कलिङ्ग कहा गया है। जैन ग्रन्थों में उल्लिखित

१. उ० ११.१६.

२. सुमंगलविलासिनी, भाग १, पृ० १२४.

३. देखिए-महाभारत नामानुकमणिका, पृ० ६३.

४. बौद्ध साहित्य में उल्लिखित सोलह महाजनपद ये हैं: १. अंग, २ मगध, ३. कासी, ४. कोसल, ४. विजि, ६. मल्ल, ७. चेति, ६. वंस, ६. कुरु, १०. पंचाल, ११. मच्छ, १२. सूरसेन, १३. अस्सक, १४. अवित, १५. गंघार और १६. कम्बोज।

जैन-सूत्रों में उल्लिखित सोलह जनपद ये हैं: १. मगम, २. अंग, ३. वंग, ४. मलय, ५. मालवय, ६. अच्छ, ७. वच्छ, म. कीच्छ, ६. पाढ, १०. लाढ, ११. विज्ज, १२ मोलि (मल्ल), १३. कासी, १४. कोसल, १४. अवाह, १६. संमुत्तर (सुद्धोत्तर)।

देखिए-जै॰ भार स॰, पृष्ठ ४६०, फुटनोट १; बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १७, २१.

५. उ० १८.४४.

साढ़े पच्चीस आर्य-देशों भें इसकी गणना की जाती है परन्तु बौद्ध ग्रन्थों में उल्लिखित सोलह महाजनपदों में इसका उल्लेख नहीं हुआ है। जैन-सूत्रों के अनुसार इसकी राजधानी कांचनपुर (भुवनेश्वर) थी। इस जनपद का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान 'पुरी' (जगन्नाथपुरी) था।

#### कास्पिल्य नगरः

यहां का राजा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था। संजय राजा ने भी यहीं पर शासन किया था। उत्तर प्रदेश के फर्रू खाबाद जिले में कायमगंज स्टेशन (हाथरस के पास ) से द मील दूर गंगा के

# १. साढे पच्चीस आर्यदेश व उनकी राजधानियां इस प्रकार हैं:

जनपद	राज्ञधानी 💮	जनपद	राजधानी	
अंग	चम्पा	पांचाल	कांपिर्यपुर	
कलिङ्ग	कांचनपुरं	बंग	ताम्रलिप्त	
काशी	वाराणसी	भंगि	पापा (पावापुरी)	
कुणाल	श्रावस्ती	मगघ	राजगृह	
(उत्तर कोशल	r) ´	मत्स्य	वैराट	
कुशार्त	सोरिय (शौर्यपुर)	मलय	भद्रिलपुर	
कुरु	गजपुर(हस्तिनापुर)	लाढ	कोटिवर्ष.	
केकय (अघं)	श्वेतिका	वत्स	कौशाम्बी	
(श्रावस्ती से		बट्टा	मासपुरी	
पूर्व-नेपाल की	<b>t</b> .	वरणा	अच्छा	
तराई में)		विदेह	मिथिला	
कोशल	साकेत	शाण्डित्य	नस्दिपूर	
चेदि	शुक्तिमती	शूरसेन	मथुरा	
जांगल	अहिच्छत्रा	सिंघु-सौवीर	वीतिभयपट्टन	
दशार्ण	मृत्तिकावती	सौराष्ट्र	द्वारवती (द्वारका)	
न्द्रध्य — जै० मा० म० प० ४५६				

उद्धृत-जै० मा० स०, पृ० ४५६.

२. जै० भा० स०, पृ० ४६६.

^{₹.} उ॰ १३.२; १5.१.

४. महाभारत के शान्तिपर्व (१३६.५) में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। देखिए-महा ना ना , पृ० ६३.

#### ४१८ ] उत्तराज्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

समीप स्थित 'कांपिल' गांव से इसकी पहचान की जाती है। यह दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी थी। महाभारत के अनुसार यहाँ के राजा द्रुपद थे। यह जैनियों का तीर्थक्षेत्र है क्योंकि यहां पर १३वें तीर्थक्कर 'विमलनाथ' के चार कल्याणक र (अतिशय) हुए थे।

#### काशी:3

यहां की भूमि में ही चित्त और संभूत नाम के दो चाण्डाल हुए थे। यहां के राजा काशीराज का भी उत्तराध्ययन में उल्लेख मिलता है। इस जनपद की राजधानी वाराणसी थी। जैन-बौद्ध दोनों के साहित्य में इसका समानरूप से उल्लेख मिलता है। इसमें वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ जिले का भूभाग बाता था। इसके पूर्व में मगध, पश्चिम में वत्स, उत्तर में कोशल और दक्षिण में सोन नदी का भूभाग था। काशी और कोशल जनपद की सीमाओं में यदाकदा हेरफेर भी होता रहता था।

# कोशल:"

इसका प्राचीन नाम 'विनीता' था। विविध विद्याओं में कुशलता प्राप्त करने के कारण इसे 'कुशला' (कोशल) कहने लगे थे। उत्तराध्ययन में कोशलराज की पुत्री 'भद्रा' का उल्लेख आया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार इस जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। इसमें लखनऊ, अयोध्या आदिं नगर आते थे। जैन साहित्य के अनुसार कोशल (कोशलपुर-अवध) की राजधानी 'साकेत' (अयोध्या) थी। किन्धम ने आयुपुराण और रत्नावली के आधार से इसकी स्थित दक्षिण भारत में नागपुर के आसपास मानी है।"

१. वही।

२. जैन तीर्थक्करों के पाँच कल्याणक माने जाते हैं। उनके कमश्र: नाम ये हैं: १. गर्भ, २. जन्म, ३. तप, ४. ज्ञान और ५. मोक्षा

३. उ० १३.६; १८.४८.

४. उ० समी०, पृ० ३७६.

ध. उ० १२.२०,२२.

६. जै० मा० स०, पृ०, ४६८-६९.

v. Ancient Geography of India, p. 438.

# कौशाम्बी ः

यह जैनों का प्रमुख केन्द्र था। उत्तराध्ययन में इसे 'पुराणपुर-भेदिनी' कहा गया है। 'अनाथी' मुनि के पिता 'प्रभूतधनसश्चय' यहीं पर रहते थे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद-कानपुर रेलवे लाइन पर 'मरवारी' स्टेशन से २०-२५ मील दूर (प्रयाग से ३२ मील दूर) 'फफोसा' गांव है। यहां से ४ मील दूर 'कुशवा' (कोसम) गांव है। इससे कौशाम्बी की पहिचान की जाती है। इसे छठे तीर्थं द्धर पद्मप्रम का जन्मस्थान भी माना जाता है। किन्यम ने इसे बौद्ध भौर बाह्मणों का केन्द्र माना है। यह 'वत्स' जनपद की राजधानी थी।

#### गान्धारः

यहां के राजा का नाम था 'नगाति'। इसमें पश्चिमी पंजाब और पूर्वी अफगानिस्तान सम्मिलित था। स्वात से झेलम नदी के मध्य का प्रदेश इस जनपद में आता था। महाभारत की नामानु-क्रमणिका में इसकी सीमा सिन्धु और कुनर नदी से लेकर काबुल नदी तक तथा पेशावर व मुल्तान प्रदेश तक बतलाई है। जैन साहित्य में इसकी राजधानी 'पुण्ड्रवर्धन' (पूर्वीय बंगाल) बतलाई है और बौद्ध साहित्य में 'तक्षशिला'। आचार्य तुलसी ने लिखा है कि उत्तरापथ का यह प्रथम जनपद था। इ

#### चम्पा :"

यह बनिज व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहां के व्यापारी मिथिला, पिहुण्ड आदि स्थानों पर व्यापारार्थ जाते थे। पालित विणक् और उसका पुत्र समुद्रपाल यहीं रहते थे। यह अंग जनपद (जिला भागलपुर) की राजधानी थी। इसकी पहचान बिहार-

१. उ० २०.१५.

^{2.} Ancient Geography of India, p. 330.

[.] इ. जै० भा० स०, पृ० ४७५.

^{8. 30} **የ**ፍ.४ሂ.

४. महा० ना०, पू० १०१.

६. उ० समी०, पृ० ३७८.

उ० २१.१,४.

द. जै • मा • स•, पृ० ४६४.

#### ५०० ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

प्रान्त में भागलपुर स्टेशन से २४ मील पूर्व में स्थित चम्पापुर (चम्पानगर) के आसपास के प्रदेश से की जाती है। यह जैनियों का तीर्थस्थान भी है क्योंकि यहां से बारहवें तीर्थङ्कर वासुपूज्य मोक्ष गए थे।

# दशार्णः

यहां का राजा 'दशाणंभद्र' था। चित्त और सम्भूत नाम के जीव पूर्वभव में दासरूप में यहीं पैदा हुए थे। कालिदास ने दशाणं जनपद की राजधानी 'विदिशा' (भेलसा) बतलाई है। उजैन और बौद्ध दोनों के साहित्य में इस जनपद का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान मध्यप्रदेश की घसान नदी के .आस-पास के प्रदेश से की जाती है। दशाणं नाम के दो जनपद मिलते हैं: १. पूर्व दशाणं (मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में) और २. पश्चिम दशाणं (भोपाल व पूर्वमालव का प्रदेश)। उजैन ग्रन्थों के अनुसार इसकी राजधानी मृत्तिकावती (मालवा में बनास नदी के पास) थी। दशाणंपुर और दशपुर (मंदसौर) इस जनपद के प्रमुख नगर थे। दशरका: पर्वे

भोगराज ( उग्रसेन) यहां के राजा थे। यहां से रैवतक पर्वत पास में ही था। इसीलिए अरिष्टनेमि ने दीक्षा लेकर रैवतक पर्वत पर केशलुश्वन किया था। यह सौराष्ट्र (काठियावाड़) जनपद की राजधानी मानी जाती है। आर० डेविड्स ने इसे कम्बोज जनपद की राजधानी बतलाया है। उत्तराध्ययन के राजीमती-नेमि आख्यान से प्रतीत होता है कि अन्धकवृष्णि, कृष्ण, दशाई आदि इसी के आस-पास रहने वाले थे।

#### पाञ्चाल :

उत्तराध्ययन में यहां के दो राजाओं का उल्लेख मिलता है— १. ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और २. द्विर्मुख। यह जनपद कुरुक्षेत्र

१. उ० १३.६; १८.४४.

२. मेघदूत, श्लोक २३-२४.

३. उ० समी०, पृ० ३७६.

४. उ० २२.२२,२७.

५. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २१.

६. उ० १३.२६; १८.४५.

के पश्चिम व उत्तर में था। इसकी सीमा में बदायं, एटा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद और उसके आस-पास के प्रदेश आते थे। गंगा नदी के कारण पांचाल दो भागों में विभक्त था-दक्षिण और उत्तर। महाभारत के अनुसार दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी और उत्तर पांचाल की अहिच्छत्रा। महाभारत में पांचाल का कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है। पांचाल में उत्पन्न होने के कारण राजा द्रपद की पुत्री द्रौपदी 'पांचाली' कहलाती थी।

# विहण्ड नगर :ै

चम्पा नगरी का पालित वणिकु जलपोत से समृद्र पार करके इस नगर में व्यापार के लिए आया था और यहां शादी करके अपने देश लौट गया था । इससे प्रतीत होतां है कि यह भारत के समीपवर्ती समुद्र के किनारे का कोई प्रदेश रहा है। शापेंन्टियर ने इसे वर्मा का कोई तटवर्ती प्रदेश माना है। 3 इस नगर की स्थिति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। ४ डा० जगदीशचन्द्र जैन ने इसे चिकाकोल और कलिंगपट्टम का एक प्रदेश माना है।"

# पूरिमताल नगर:

चित्त मुनि इसी नगर में पैदा हुए थे । हेमचन्द्र ने इसे अयोध्या का श्रेष्ठ शाखानगर माना है। उँ डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ने इसकी स्थिति काशी-कोशल के बीच मानी है।

#### मगधः

राजा श्रेणिक यहां का राजा था। दक्षिण बिहार अर्थात बिहार . प्रान्त के गया और पटना जिलों के भूभाग को मगद्य जनपद कहा गया है। इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में

१. जै० भागस०, पृ०४७०. २. उ०२१.६.

३. उ० शा०, पु० ३५७.

४. देखिए-उ० समी०, पू० ३५१.

५, जै० भा० स**०,** ४६५.

६. उ० १३.२.

७. त्रिष्टिशलाकापुरुषचरित, १.३.३८६.

इ, बादिपुराण में प्रतिपादित भारत, पु॰ दह-ह॰.

^{€.} उ० २०.१.

#### ५०२ ] उत्तराध्ययन-सूत्रं : एक परिशीलन

विन्ध्याचल पर्वत तथा पूर्व में चम्पा नदी थी। आर॰ डेविड्स ने लिखा है कि भगवान् बुद्ध के समय इस जनपद में ६० हजार गांव थे और क्षेत्रफल करीब २३०० मील था। ई॰ पू० ६ ठी अताब्दी में यह जनपद जैनियों और बौद्धों का प्रमुख केन्द्र था। इसकी राजधानी राजगृह (राजगिर) थी। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) थी।

#### मिथिला:

यहां पर ही राजिष निम की प्रविज्या के समय इन्द्र के साथ सवाद हुआ था। यह एक समृद्ध एवं खुशहाल नगरी थी। अतः इन्द्र ने मिथिला में कुहराम देखकर राजिष निम से इसका कारण पूछा था। यह विदेह जनपद की राजधानी थी। यहां १६ वें मिलिनाथ और २१ वें निमनाथ तीथं द्धर का जन्म हुआ था। बिहार प्रान्त में मुजफ्फरपुर और दरमंगा जिले की नेपाल सीमा के पास स्थित जनकपुर को मिथिला कहा जाता है। आर॰ डेविड्स ने इसकी पहचान 'तिरहुत' (तीरहुत) से की है। इसका कारण है कि मिथिला शब्द का प्रयोग जनपद और राजधानी दोनों के लिए हुआ है। इसीलिए विदेहराज की पुत्री वैदेही (सीता) 'मिथिलो' कहलाती थी। '

# वाणारसी (वाराणसी) :

यहां जयघोष और विजयघोष का सवाद हुआ था। यह काशी जनपद की राजधानी थी। आज भी इसे काशी, बनारस और वाराणसी कहते हैं। यहां ७ वें सुपाश्वंनाथ और २३ वें पार्श्वंनाथ तीर्थं द्धर का जन्म हुआ था। 'वरुणा' और 'असि' नाम की दो निदयों के बीच अवस्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। वाराणसी गंगा नदी के वाम तटभाग में घनुषाकार रूप से अवस्थित है। जैन, बौद्ध और हिन्दुओं का यह पवित्र तीर्थंस्थल है। महाभारत के अनुसार यहां प्राणोत्सर्ग करने वाले को मोक्ष मिलता

१. जै० भा० स०, पृ• ४६२.

३. उ० ६.४-१४.

प्र. महा० ना०, पृ० २४६.

२. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १७.

४. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ. २७.

६. उ० २४. २-३.

है। राजा दिवोदास ने इन्द्र की आज्ञा से इसका निर्माण किया था और भगवान् श्रीकृष्ण ने इसे जलाया था।

# विदेह :ै

इस जनपद का राजा निम था। इसकी राजधानी मिथिला थी। भगवान् महावीर की जन्मभूमि विदेह ही थी। इसकी पहचान 'तिरहुत' है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक समृद्ध जनपद था। इसकी सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी और पूर्व में मही नदी तक थी। वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर) विदेह की दूसरी महत्त्वपूर्ण राजधानी थी। व

# शौर्यपुरः"

यहां बसुदेव और समुद्रविजय राज्य करते थे। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास (मैनपुरी जिले में) शिकोहाबाद नामक स्थान से १०-१२ मील दूर यमुना नदी के किनारे वटेश्वर गांव है। इस बटेश्वर गांव के पास ही एक 'सूर्यपुर' गांव है जिससे इस 'शौर्यपुर' की पहचान की जाती है। यह कुशार्त जनपद की राजधानी थी। यहां आज भी विशाल मंदिर है। कृष्ण और उनके चचेरे भाई अरिष्टनेमि (२२ वें तीर्थ इन्नर) की यह जन्मभूमि थी।

#### भावस्ती ः^६

यहां केशि-गौतम संवाद हुआ था। यहां उस समय दो बड़े-बड़े उद्यान थे जिनके नाम थे: १. कोष्ठक और तिन्दुक। उत्तरप्रदेश में वहराइच से २६ मील दूर (फैजाबाद से गोंडा रोड पर २१ मील दूर बलरामपुर है और बलरामपुर से १० मील दूर) पर एक 'सहेट-महेट' (सेट मेंट) गांव है। उससे श्रावस्ती की पहचान की जाती है। आज भी यहां उस समय के खण्डहर मौजूद हैं। इसे तीसरे तीर्थंक्कर संभवनाथ की जन्मभूमि माना जाता है। जैन ग्रन्थों के अनुसार कुणाल (उत्तर कोशल) जनपद की यह राजधानी थी।

१. महा० ना०, पृ० ३०४.

३. उ० समी०, पृ० ३७१.

५. उ० २२.१.

२. उ०१८.४५.

४. जै० भार सर, पुरु ४७४.

६. उ० २३.३,

# सुग्रीव नगर:

इसके विषय में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। राजा बलभद्र और उसका पुत्र 'बलश्री' (मृगापुत्र) यहीं रहते थे। यह नगर रमणीक तथा बन व उपवनों (उद्यानों) से सुशोभित भी था। सौवीर: 3

प्राचीन समय में सिन्धु-सौवीर एक प्रसिद्ध जनपद था। यहां का राजा उदायन था। 'सिन्धु-सौवीर' यह संयुक्त नाम ही प्रचलित है। आदिपुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। सौवीर जनपद सिन्धु नदी और झेलम नदी के मध्य का भूभाग रहा है। अभयदेव के अनुसार सिन्धु नदी के पास होने के कारण सौवीर (सिन्ध) को सिन्धु-सौवीर कहा जाता था। इसकी राजधानी जैन ग्रन्थों के अनु-सार वीतिभयपट्टन थी। बौद्धग्रन्थों में सिन्धु और सौवीर को अलग-अलग मानकर सौवीर की राजधानी 'रोहक' बतलाई गई है।

# हस्तिनापुर:

बहादत्त चक्रवर्ती के पूर्वभव के (संभूत के) जीव ने यहीं पर निदानबन्ध किया था जिसके प्रभाव से वह अगले भव में वस्तुस्थिति को जानकर भी विषयभोगों को नहीं त्याग सका था। मेरठ से २२ मील (उत्तर-पूर्व में) दूर स्थित हस्तिनापुर गांव से इसकी पहचान की जाती है। जैनियों का यह तीर्थक्षेत्र है। यह कुरु जनपद की प्रसिद्ध राजधानी थी। यहां १६वें, १७वें और १६वें तीर्थक्कर के चार-चार कल्याणक हुए थे। आदिपुराण में इसे गजपुर कहा गया है। महाभारत के अनुसार यह कौरवों की राजधानी थी और किसी समय यहाँ राजा ज्ञानतनु राज्य करते थे। सुहोत्र के पुत्र राजा हस्ती ने इसे बसाया था। अतः इसका नाम हस्तिनापुर (हस्तिपुर) पड़ा। "



१. उ० १६.१. २. उ० १६.४८. ३. आदिपुराण, १६.१५५. ४. जै०भा०सण, पृ० ४८२. ५. उ० १३.१. ६. आदिपुराण, ४७.१२८. ७. महा० ना०, पृ० ४०४.

# सहायक ग्रंथ-सूची

# मूलग्रन्थ

अंगपण्णत्तिचूलिका-माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बम्बई.
<b>अट्ठशालिनी</b> –संपा० पी० व्ही० बाप्टे और आर० डी० वाडेकर—
पूना, १६४२.
अभिधर्मकोश-आ० वसुबन्धु-विद्यापीठ संस्कृत प्रन्थमाला,
वाराणसी, वि० सं० १६८८.
अर्थसंग्रह – लौगाक्षी भास्कर – बम्बई, १६३०.
अनुयोगद्वार (मलधारी हेमचन्द्रकृत वृत्ति सहित )—आगमोदय
समिति, सुरत, १६२४.
<b>आचाराङ्ग</b> (आत्मारामकृत हिन्दी टीका सहित ) — जैन स्थानक,
लुधियाना, पंजाब, १९६३-६४.
आचाराङ्गवृत्ति—शीलाङ्काचार्य-सिद्धचक्र साहित्य समिति,
बम्बई, वि० स० १६६१
<b>आत्मानुशासन</b> —गुणभद्र —जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, चिरगांव,
वास्तानुसासन—गुणम् — जग क्रान्य राजागर नामाराज, राजराज, वाराजान, वाराजान, वाराजान, वाराजान, वाराजान, वाराजान,
आदिपुराण-पुष्पदन्त-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० स० २०००.
आदिपुराण-पुरुषदन्त-भारताय ज्ञानपाठ, काशा, १५० स० ५०००.
आवश्यकिमर्युक्ति—(दीपिका टीका सहित)—भद्रवाहु जैन ग्रन्थ-
माला, गोपीपुरा, सूरत, १९३६.
आवश्यकसूत्र ( मलयगिरि टीका सहित )—आगमोदय समिति,
बम्बई, १६२८-१६३६.
<b>उत्तराध्ययनचूर्णि</b> जिनदासगणिमहत्तरजैनबन्धु मुद्रणालय,
१६३३.
उत्तराध्ययनसूत्र (आत्मारामकृत हिन्दी टीका सहित ) - जैन-
शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, १९३६-४२.
उत्तराध्ययनसूत्र (घासीलालकृत संस्कृत-हिन्दी-गुजराती टीका सहित)
ं भैद्ध लास्त्रोतार समिति राजकोत १६५६-६०

उत्तराध्ययनसूत्र (नेमिचन्द्रकृत सुखबीधा वृत्ति सहित) — आत्मवल्लभ ग्रन्थावली, बलाद, अहमदाबाद, १६३७. उत्तराध्ययनसूत्र—अनु० मुनि सौभाग्यचन्द्र सन्तबाल—श्वे० स्था० जैन कान्फरेन्स, बम्बई, वि० सं० १६६२. उत्तराध्ययनसूत्र (भद्रबाहुकृत निर्युक्ति, शान्तिसूरिकृत शिष्यहिता-

**उत्तराध्ययनसूत्र (भ**द्रबाहुकृत नियुक्ति, शान्तिसूरिकृत शिष्यहिता-बृहद्वृत्ति टीका सहित )—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई १९१६-१७.

उत्तराध्ययनसूत्र ( भावविजयगणिकृत वृत्ति सहित )-विनयभिक्त सुन्दर चरण ग्रन्थमाला, वेणप, वि० सं० १६६७.

उत्तराध्ययनसूत्र भाग १ (आचार्य तुलसीकृत हिन्दी टीका सहित)— जन एवे० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता, १६६७.

उपासकदशाङ्ग-आगमोदय समिति, बम्बई, १६२०

ऋगवेद-प्रका० श्रीपाद सातवलेकर-भारत मुद्रणालय, औन्धनगर, १६४०.

ओधनिर्युक्ति ( द्रोणाचायंकृत वृत्ति सहित )-आगमोदय समिति, मेहसाना, १६१६.

कर्मप्रकृति—नेमिचन्द्राचार्य—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६६४.

कल्पसूत्र-जैनपुस्तकोद्धार फण्ड-सूरत, वि० सं० १६६७.

काषायपाहुड भाग १ (जयधवला टीका सहित) - आ०गुणधर-संपा० पं० फूलचन्द्र शास्त्री, भा०दि० जैनसंघ, मथुरा, १६४४.

गीता (भगवद्गीता ) — संपा० कृष्णपंत शास्त्री अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, वि० सं० १६६८.

गोम्मटसार कर्मकाण्ड---नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती---रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, १६९८.

गोम्मटसार जीवकाण्ड (संस्कृत टीका सहित) -- प्रका० गांधी हरीभाई देवकरण जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ताः

चन्द्रश्रज्ञाप्त (अमोलक ऋषिकृत हिन्दी अनुवाद सहित)— हैदराबाद, वी • नि ० सं ० २४४५.

छान्दोग्योपनिषद—आ० शंकर—गीता प्रेस, गोरखपुर, वि०सं० २०१३

जातक - संपा० भदन्त आनन्द कौसल्यायन-हिन्दी सहित्य सम्मेलन, प्रयाग, बुद्धाब्द २४८५. जोवाभिगमसूत्र (अमोलक ऋषिकृत हिन्दी टीका सहित)— हैदराबाद, वी० नि० सं० २४४५.

जैनधर्मवरस्तोत्र -- भावप्रभसूरि--देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, १६३३

त्राताधर्मकथा-अनु० अमोलक ऋषि-हैदराबाद, वी० नि० सं० २४४६.

तत्वार्थराजवातिक (तत्त्वार्थ वातिक)—अकलक देव—मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १६५३, १६५७.

तत्त्वार्थसूत्र - उमास्वाति - अनु० कैलाशचन्द्र, भा० दि० जैनसंघ, चौरासी, मथुरा, वी० नि० सं०, २४७७.

तत्त्वार्थसूत्र-अनु० सुखलाल संघवी-जैनसंस्कृति संशोधन मण्डल, वाराणसी, १६५२.

तर्क संग्रह-अन्नंभट्ट-हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला, चौखम्बा, वाराणसी १६४३.

त्रिलोकप्रक्ति-यतिवृषभाचार्य-जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १६४३, १६४१.

त्रिषाटिशलाकापुरुषचरित्र- हेमचन्द्रसूरि-जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, बंबई, वि० सं० १६६४.

द्रव्यसंग्रह—नेमिचन्द्र—गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी, १६६६.

**दशवंकालिक (** आत्मारामकृत हिन्दी टीका सहित ) — महेन्द्रगढ़ वि० सं० १६ द ६

दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन—संपा० आचार्य तुलसी - जैन श्वे० तरापथी महासभा, कलकत्ता, वि० सं० २०२३.

वश्येकालिकनिर्युक्ति-भद्रबाहु-देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तको-द्धार भण्डागार, बम्बई, १६१८.

दशाश्रुतस्कन्ध (आत्मारामकृत टीका सहित)—जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, १६३६.

**घरमपद** – संपा० अवधिकक्षोर नारायण, महाबोधि ग्रन्थमाला, वि० सं० १६६५.

नन्दोसूत्र - घासीलाल-जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, १९४८.

न्यायकुमुदचन्द्र-प्रभाचन्द्र-संपा० महेन्द्रकुमार, माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला, गिरगांव, बम्बई. १९४१.

न्यायदोपिका-अभिनव धर्मभूषण यति-सपा० दरबारीलाल कोठिया, वीर सेवा मंदिर, दिल्ली, १६६ ..

नवपदार्थ-आचार्य भिक्षु-अनु० श्रीचन्द्र रामपुरिया, जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता, १६६१.

नियमसार-कुन्दकुन्द-जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १९१६. पंचास्तिकाय-कुन्दकुन्द-रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, वी ० नि० सं० २४४१.

पाइअसहमहण्णवो-पं हरगोविन्ददास त्रिकम चन्द सेठ-प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी, १६६३.

पातञ्जल योगदर्शन (तत्त्ववैशारदी तथा व्यासभाष्य सहित )— संपा० रामशंकर भट्टाचार्य, भारतीय

विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९६३.

प्रजापना सूत्र (वृत्ति सहित )-श्यामाचार्य-आगमोदय समिति, मेहसाना, १६१८

प्रभावकचरित—ं चन्द्रप्रभसूरि—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६०६. प्रमाणमीमांसा—हेमचन्द्र—सिंघी जैनग्रन्थमाला, अहमदाबाद, १६३६. प्रमाणवातिक (सभाष्य)—संपा० राहुल सांकृत्यायन, काशीप्रसाद जायसवाल अनुशीलन संस्था, पाटलिपुत्र, वि० सं० २०१०.

प्रवचनसार-कुन्दकुन्द-रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई, १६३५. प्रश्नव्याकरण-आगमोदय समिति, बम्बई, १६१६.

विण्डनिर्युक्ति (मलयगिरिकृत वृत्ति सहित)—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, १६१८.

पुरुषार्थसिद्धयुपाय-अमृतचन्द्रसूरि-रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई, बीठ निठ संठ २४३१.

बृहद्कल्पसूत्र—जीवराज घेलाभाई दोशी, अहमदाबाद, १६१५. . बुद्धचर्या—राहुल-सांकृत्यायन—भारतीय संस्कृति ग्रन्थमाला, काशी, वि० सं० १६८८.

भगवतीसूत्र - देखिए - व्याख्याप्रज्ञप्ति । भतृहरिशतकत्रयम् (वैराग्यशतक) - भर्तृहरि - भारतीय विद्या-भवन, बम्बई, १९४६. मनुस्मृति—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६४६. महाभारत (शान्ति पर्व)—महर्षि वेदव्यास—गीता प्रेस, गोरखपुर. मृलाचार—वट्टकेर—माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, वि० सं० १६७७.

मूलसूत्राणि—संपा० कन्हैयालाल 'कमल'—गुरुकुल प्रिटिंग प्रेस, व्यावर, वि० सं० २०१०

मेचदूत—कालिदास—निणंय सागर प्रेस, बम्बई, १६२६. मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्र)—अनु० पं० फूलचन्द्र शास्त्री—गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी, बी० नि० सं० २४७६.

यशस्तिल कच म्पू-सोमदेवसूरि-निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, योगशास्त्र (स्वोपज्ञवृत्ति सहित )-एसियाटिक सोसायटी, बंगाल, १६२१.

लघु द्रव्यसंग्रह—देखिए-द्रव्यसंग्रह.

विशुद्धिमग्ग-आ० बुद्धघोषं-महाबोधिसभा, सारनाथ, वाराणसी, १९५६-१९५७.

विशेषावश्यकभाष्य-जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण-जैन सोसायटी, अहमदाबाद, १६३७.

विशेषावश्यकभाष्य—टीका-मलधारी हेमचन्द्र —यशोविजय, जैन ग्रन्थमाला, वीठ निठ संठ २४३६.

वेदान्तसार—सदानन्द—विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला, चौखम्बा, वाराणसी, १९४४.

व्यवहारसूत्र (निर्युक्ति तथा भाष्य सहित )-केशवलाल प्रेमचन्द्र, अहमदाबाद, वि० सं० १६८२-८४.

व्यवहारभाष्य—संशोधक मुनि माणक—प्रका० केशवलाल प्रेमचन्द्र, भावनगर, वि० सं० १६६४.

व्याख्याप्रज्ञाप्त (भगवती सूत्र-अभयदेवकृत वृत्ति सहित)-आममोदय समिति, वस्वई, १९१८-१६२१.

श्वेताश्वतरोपनिषद्—हरिनारायण आप्टे, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थ-माला, १६०५.

षट्खण्डागम (पुस्तक १ धवलाटीका सहित) - पुष्पदंत भूतबलि--संपा० हीरालाल जैन, जैन साहित्योद्धारक फंड

कार्यालय, अमरावती, बरार, १६३६.

षट्खण्डागम (पुस्तक ६)-वही, १६४६.

षड्दर्शनसमुख्वय (गुणरत्नसूरिकृत टीका सहित)—हरिभद्रसूरि— भावनगर, वि० सं० १६७४.

समवायाङ्ग-अनु० मुनि घासीलाल-अ० भा० श्वे० स्था० जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, १६६२.

समीचीन धर्मशास्त्र—समन्तभद्र—अनु० जुगल किशोर मुख्तार, वीर सेवा मन्दिर, दरियागंज, दिल्ली १९४४

सर्वाथंसिद्धि-पूज्यपाद देवनदी-माणिकचन्द्र दिः जैन परीक्षालय, बम्बई, १६३६

सांख्यकारिका-ईश्वरकृष्ण-प्रका० पं० नारायण मूलजी पुस्त-कालय. बम्बई, १६२६-

सागारघर्मामृत पं आशाघार अनु मोहनलाल जैन शास्त्री, सरल जैन ग्रन्थ भण्डार, जबलपुर, बी विवस्

२४८२--२४८६.

मुत्तनिपात—संपा० पी० व्ही० बाप्टे—विश्वभारती शान्तिनिकेतन, १६२४.

सूत्रकृताङ्ग ( निर्युक्ति सहित ) - आगमोदय सिमिति, बम्बई, १६१७.

स्थानाङ्ग (अभयदेवकृत वृत्ति सहित ) — माणेकलाल चुत्रीलाल, अहमदाबाद, १६३७.

स्याद्वावमञ्जरी-मल्लिषेण-विद्या विलास प्रेस, बनारस, १६००. हरिवशपुराण-जिनसेन-संपा० पन्नालाल जैन, भारतीय ज्ञान-पीठ, काशी, १६६२.

# निबन्ध-ग्रन्थ (हिन्दी)

आदिपुराण में प्रतिपादित भारत-डा० नेमिचन्द्र शास्त्री-गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला, वाराणसी, १६६८.

उत्तराध्ययन: एक समीक्षात्मक अध्ययन—आचार्य तुलसी—श्वे० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता, १९६८.

छहढाला-पं विलतराम-रत्नाकर कार्यालय, सागर, १६६४. जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज-डा० जगदीशचन्द्र जैन-चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, १६६४. जैन आचार—डा० मोहनलाल मेहता—पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी, १६६६

जैनदर्शन - महेन्द्रकुमार जैन-गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशो, १६५६.

जैनदशंन-डा॰ मोहनलाल मेहता-सन्मित ज्ञानपीठ, आगरा,१६५६. जैनवर्म-पं॰ कैलाशचन्द्र - भा० दि॰ जैन संघ, चौरासी, मथुरा, १६४५.

जैनभारती-मासिक पत्रिका, वर्ष ७, अंक ३३.

जैन साहित्य का इतिहास-पूर्वपीठिका-पं० कैलाशचन्द्र - गणेश-प्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी, बी० नि० सं० २४८६.

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास (भाग १)-पं० बेचरदास दोशी-पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी, १६६६.

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास (भाग २)—डा० जगदीशचन्द्र— पाश्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी, १९६६.

तत्त्वसभुच्चय—डा० हीरालाल जैन—भारत जैन महामण्डल, वर्घा, १९५२

प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा० नेमिचन्द्र शास्त्री—तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी, १६६६.

प्राकृत साहित्य का इतिहास - डा॰ जगदीशचन्द्र जैन - चौसम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६६१.

पाश्चात्य दर्शन—चन्द्रघर शर्मा—भार्गव बुक डिपो,बनारस, १९४४. बुद्धचर्या—राहुल सांकृत्यायन—शिवप्रसाद गुप्त सेवा उपवन, काशी, वि० सं० १९८८.

बौद्धदर्शन—बलदेव उपाध्याय—शारदा मन्दिर प्रकाशन, काशी,

भारतीय दर्शन-बलदेव उपाध्याय-शारदा मन्दिर, वाराणसी, १६६०.

भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान—डा० हीरालाल जैने— मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्, भोपाल, १६६२.

महाभारत को नामानुक्रमणिका-गीता प्रेस, गोरखपुर, वि० स० २०१६.

अमण ( मासिक पत्र )-संपा० कृष्णचन्द्राचार्य-पार्श्वनाथ विद्या-श्रम, वाराणसी-५

अमण सूत्र-मुनि अमरचन्द्र-सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, वि० सं० २००७.

# निबन्ध ग्रन्थ (अंग्रेजी)

Ancient Geography of India--A. Cunningham--Indological Book House, Varanasi, 1963.

Buddhist India-T. W. R. Davids-Pub. Susil Gupta, Calcutta, 1950.

Corporate Life in Ancient India - R. C. Majumdar - Oriental Book Agency, Poona, 1922.

Doctrine of the Jainas—W. Schubring—Trans. W. G. Beurlen, Motilal Banarasidas, Delhi, 1962.

History of the Canonical Literature of the Jainas-H. R. Kapadia-Pub. Hiralal Rasikdas Kapadia, Gopipura, Surat, 1941.

History of Indian Literature (Vol-II)—M. Winternitz—University of Calcutta, 1933.

Indian Philosophy (Volume-I)-Dr. S. Radha-krishnan-1929.

Jaina Yoga-R. Williams-London Oriental Series, 1963.

Jinaratna Kosa (Vol-I)-H. D. Velankar-Government Oriental Series, Poona, 1944.

Pali English Dictionary—R. Davids—Pali Text Society, London, 1921.

Sacred Books of the East (Vol. XLV-Uttarā-dhyayana Sūtra-Translation by Hermann Jacobi) + Ed. E. Maxmuller, Oxford, 1895.

Sumangalavilāsini (Part I—Buddhaghosa's Commentary on the Dighanikāya)—Ed. T.W. Rhys Davids and J. Estlin Carpenter, London 1886.

Uttarādhyayana-Sūtra-E. Jarl Charpentier-Uppsala, 1922.



# अनुक्रमीणका

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
अ		अजर	११६
प्रंकुश	४२६	अजितदेवसूरि	38
र्अंग	१,५,२०८	अजीव	१७६,१८०
अंगप्रविष्ट	٤	अजीव-द्रव्य	६१
अंगबा ह्य	. १,४,२०५	अज्ञान	६४४,३४८
अंजलिकरण	२२४,३४४	अज्ञानवादी	०इ४
ं <mark>अंतरद्वी</mark> प	४८,६०	अणु भवनन्त्रिक	१ ७
अंतराय	१५४,१६१	अदत्तचित्त अद्धासमय	२६८
अंघकवृष्णि	४७४	अछासमय अधर्म	50 000
क्ष *र	90	अधर्मद्रव्य	६३,७४,१६६
अक्. े	५८,५६	अधोलोक अधोलोक	<b>६२,७६</b> ५५ ६०
अक ी	३८७	अध्ययन	१ <b>५,</b> ६० ३४,६०,३४६
अकामन :	१७,३६६,३६७	अनंग	42,400,40E
अकालमरण	<b>१</b> १७	अनंतानुबंधी	•
अकिचन	२७८	अनगार	२४ १५६
अक्रिय गदी	४३०	अनवस्थापना	२० ३४४
अग्वन	338	अनशन	३०° ३३२
अग्निक'यिक	<i>e3</i>	अनाथ	१३३,४७३
अग्निकुभार अग्निहोत्र	888	अनाथप्रव्रज्या	20
आगहात. अघातिया	१४४ ४०७	Γ.	ફેર, ૨૪૬,૪૫૬,
अचेतन	<i>६</i> १,६३	अनाथी मुनि	,०५,५००,५५८, १३३,४७३
_	, १९४,४४,४३ <b>१</b> १९४,४४,४४	अनापात-असंलो	
. अचौर्य-महावृत	757,	अनापात-संलोक	,
अच्युत	668	अनार्य	36 <b>१,</b> 36२
•	• •		

# 🔧 ५१४ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

शब्द	पृष् <b>ठांक</b>	शब्द	पृष्ठाक
अनिवार्यतावाद	१५३	अमूढदृष्टि	. 200
अनुकंपा	१६५,२३४	अयोगकेवली	३८८
अनुसर	११४	अर	, इ.७४
अनुत्तरगति	३७६	अरति	१६०,३४४
अनुप्रेक्षा	३४७	अरहनाथ	४७३
अनुभाग	१६४	अरिष्टनेमि २१,११	
अनुमान	२१०		8,880,888,
अनुयोग	ሂ	. (	४६७,४७४
अनुयोगद्वार	१०,३०६	अरूपी	६३
अनेकरूपधूना	२१ ह	अर्थ	१८३
अपंडित	२२⊏	अलाभ	३४७
अपराजित	668	अलोक	49,44
अपरिकर्म	३६४	अलोकाकाश	३७,४४
अपरिग्रह	२५१	अल्प-पाशबद्ध	३६७
अपरिग्र <b>ह-महा</b> व्रत	२७८	अल्प संसारी	३८७
अपर्याप्तक	83	अवधिज्ञान	२० <i>५,<b>२</b>१</i> २
अपुनरावृत्त	३७७	अवधिज्ञानावरण	१५५
अपुनरावृत्तिपद	१८६	अवधिदर्शनावरण	१५६
अप्कायिकजीव	<u>६</u> ६	अवमोदर्य	३३४
अप्रत्यास्यानावरणी	3 % 8	अवसर्पिणी	१७०
अप्रमाद	२३	अविचार	्३६४
अबाल	235	अविनय	<b>२</b> २५
अभयदेवसूरि	२०४	अविनीत	२१८
अभिगमरुचि	२०३	अन्याबाध	३७८
अभिग्रह	३३७	अश्रीरी	55
,अभिनिबोध	२१०	असंयत	२३६
अभियोग-भावना	३ <b>६</b> ४	असंयम	8≃€
	,३०७,३४४	असंस्कृत	<b>१</b> ७
अमर्	११६	असमाधिस्थान	860
अमरदेवसूरि	38	असातावेदनीय	. १४७

् अनुक्रमणिका	[ ५१५
---------------	-------

शबद	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
असावघानता	२२४	आभिनिबोधिन	•
असि	४२६	आभ्यंतर-तप	<b>३</b> ४२
असुरकुमार	888	आमोष	४२६
अस्तिकाय	७२	आ म्रफल-भक्षण	
अहंकार	288	आयु	१५४,१६०
अहमिद्र	११३	- आरंभ	२८७
अहिंसा	२६१	आरण	668
अहिंसा-महाव्रत	२६१	आरण्यक	४०८
774		आरभटा	939
आं		आर्तघ्यान	३४८
आकाश	६२,६३,७४	आर्थ	३ <b>६</b> १,३ <b>६२</b>
आकाशद्रव्य	७७	आर्यकर्म	734
आक्रोश	३५६	आर्यश्या <b>म</b>	२०५
आगम	X	आलस्य	<b>२२४</b>
आचारांग	<b>३</b> ३	आलोचना	३४२
आचारांग सूत्र	286,386	आवश्यक	₹,६,२४८,३००
आचार्य 	२२६	आवश्यक-व्यति	
आज्ञारुचि	२०२	आवश्यकी	३०६
आतप	90	आश्रम	33\$
आत्मवसति	३७६	आशातना	२२०
आत्महनन	३६२	आसनदान	२२४,३४४
आत्मा	<b>५</b> २	आसव	४१६
आत्मानुशासन	२०४	आसुरी-भावना	३६६
आदान-निक्षेपसमिति	,	आस्तिक्य	१६५
आदिनाथ	२४७	आस्रव	१८०
अनित	११४		४5,308,3 <b>१</b> ३
आपात-असंलोक	339	आहारक	37,401,414
आपात-संलोक	335		*
आपृच्छना	३०७	इ ⁻	
आभिनिबोचिकज्ञान	२०८,२१०	इंगिनीमरण	₹ <b>₹</b>

# प्र१६ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशोलन

श∘द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
इंद्र १८,१४४	x35,x55,305,	उपपादजन्म	. 83
	४ <i>०६,</i> <b>४४</b> ३,४७४	उपवृ [:] हा	२००
इंद्र-निमसंवाद	२१२,४५३	उपभोग	१६२
इंद्रिय	ξ3	उपमा	४१
इच्छाकार	<i>७०६</i>	उपयोग	5 8
इषुकार १६,	२४६,३६४,४०२,	<b>उ</b> पवास ं	१८६,२३५
-	४६१,४७४,४६५	<b>उ</b> पसंपदा	<i>७०६</i>
इषुकारीय	39	उपसर्ग	ं ३५२
•	र्ड	उपांग	X
		उपाध्याय	े २२६
ईर्यासमिति	२६१	उपाश्रय	२४८,३१०
ईशान	११४,१७२	उपासक	२३६
ईषत्प्राग्भारा	५६	<b>उरभ्रीय</b>	<b>१</b> ८
	उ	उष्ण ्र	३५४
उग्रसेन	४१०,४१२,४६७		ऊ
उच्चारसमिति	785	<b>ऊनोदरी</b>	३३४
उत्कालिक	२	ऊर्घिदशा	३७७
उत्कीर्तन	३०६	<b>ऊर्घ्वलोक</b>	५५
उत्तर	. ३७,३६	!	Æ
उत्तरकुरु	४८,६०	ऋजुजड़	४२५
उत्तराध्ययन	<b>१</b> ,६, <b>१,</b> १४	ऋजुप्राज्ञ	४२ न
उत्सर्पिणी	१७०	ऋजुश्रेणी	३८७
उदधिकुमार	. १११	ऋषभ	४७५
उदयसागर	38	ऋषभदेव	४०५
उदायन	४७४	1	ए
उद्योत	৩০	एकत्ववितकं-नि	वींचार ३४६
उपकरण	२४७,२४४	एकामर्षा	२१६
उपगूहन	२००	एलय	१८
उपदेशरुचि	२०२	एषणा	३३७
उपधि	२४७,२५४	एषणासमिति	· 783

	अमुक्तमणिका		[ પ્રશેષ્ઠ
शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
	ऐ	कर्मपरमाणु	388
ऐरावत	, ሂፍ,ሂ <b>ዩ</b>	कर्मप्रकृति	२४
1	ओ	कर्म-बंध	१४७,१५०
ओघनिर्यक्ति	•	कमंभूमि	¥5,48
आयोपधि ओघोपधि	१० २ <b>५</b> =	कर्मयोग	१६०
4117117	औ	कर्मरज	१५०
-3- <i>-</i> £-		कर्मवन	१५०
औदारिक क्षेत्रकारिकोर्ज	<b>५</b> ६	कर्मसिद्धान्त	१४३
औपग्रहिकोपरि 		कर्षक	338
अ.षिसिवन	४२१	कलिंग	४६६
औषधोपचार	४२०	कल्प	<b>च्</b> ३
	क '	कल्पनी	. ४२६
कदर्प-भावना	३६५	कल्पव्यवहा <b>र</b>	Ę
कंबल	२६०	क <b>ल्पाक</b> रुप	Ę
कंबोज	२०६,४१३,४६६	कल्पातीत	११४
कथा	४३	कल्पोस्पन्न	<b>१</b> १३
कपिल	४७४	कषाय	3 × 8
कपिल ऋषि	१८	कांपिल्य	४४६,४७०,४६७
कपोतवृत्ति	<b>३३</b> ६	काकिणी	388,088
कमंडलु	3.8	कापिलीय	१८
कमलसंयम	38	कापोतलेश्या	<b>१</b> ६७
कमलावती	४०४,४६१,४७५	कामगुण	२७३
करकंडू	४७४	कायक्लेश	3 <b>\$</b> \$
करणगुणश्चेणी	३८७	कायगुष्ति	२८८,२६०
करणसत्य	२६६	कायोत्सर्ग	₹00,₹0₹,₹४0
करपत्र	४२६	कार्मण	58
कर्म	१४७,१५३	काल	६२,६३,७४
कर्मकंचुक	ي لاه	कालद्रव्य	50
कर्मगुरु	રે પ્ર	कालिक	 ₌₹
कर्मग्रंथि	१५०	काशी	४६ँ६

५१८ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष् <b>ठांक</b>
काशीराज	४७६	कोष्ठक	४१=,४५०
काश्यप	338	कौशलिक	४६५
किपाक	१३६	क्रकेच	४२६
किंपुरुष	११२	क्रिया	855
किन्नर	११२	क्रियारुचि	२०३
किल्विषिकी-भावना	३६५	क्रियावादी	830
कीर्तिवल्लभगणि	38	क्रियास्थान	४५६
कुठार	४२६	क्रोध	१५६,२२४
कुत्ता	४१४	क्रौंघ	२५१
<b>कुन्</b> थु	४७६	क्षत्रिय	x36,836
कुमार	888	क्षपकश्रेणी	३८७
कुल	338	क्षमा	3=8
कृति <b>कर्म</b>	Ę	क्षुघा	३५३
कृष्ण २१,४१०,४	४ <b>६</b> ७,४७४	क्षुरिका	४२६
कृष्णलेश्या	१६६	क्षुल्लक-निर्म्न	यीय १७
	२०५,२१३		ख
केवलज्ञानावरण	१४५	खर-पृथिवी	." £X
केवलदर्शनावरण	१५६	•	•
केवली	३८८	खलुङ्कीय. खान-पान	<b>२</b> २
केशर	860	लाग-नान	४१४
	१५४,३४०	•	ग
केशव ४१०,४	१ <b>६७</b> ,४७६	गंघ	६५
केशिकुमार ३८४,४	. १८,४४६,	गंघन	335
	४७७	गंधर्वं	११२
केशि-गौतम-संवाद १	दद,२४७ <b>,</b>	गंधहस्ती	४१३
	२५५	गति	87,878
केशिगौतमीय	२१	गदा	४२६
केशि-श्रमण	२४६	गर्गे	338
केशी	7 ?	गर्गाऱ्यार्य	<i>७७४</i>
कोशल ४११,	४७७,४६८	गर्दभालि	388,800,800

4	
अनुऋम	श्यका

[ ५१६

श∘द	पृष्ठांक	शब्द	पष्ठांक
गर्भज	83	8	1
गवेषणा	.२६३	घातिया	0 U V
गांधार	338	योराश्र <b>मी</b>	१५४
गाथा-षोडशक	४६२	गरानग	२३४
गीत	४१६		च
गुण	११६,१२०	चंद्रगुप्त	२७
गुणघारण	३०६	चंद्रमा	<b>१</b> १२,४०८
गुणभद्र	२०४	चंपा _	३३४,४७४
गुणबत्प्रतिपत्ति	३०६	चक्रवर्ती	४७३
गुणशेखर	38	चक्षुर्दर्शनावरण	१५६
गुणस्थान	२३२,२३३	चतुरंगीय	१७,१६४
गुणित	ं २५४	चतुरिद्रिय	१०२
गुप्ति	२८६	चतुर्विशतिस्तव	६,३००,३०१
गुँह	२१४,२२६,२५३	चरणविधि -	२३
गुरुभक्ति	ॅ २२४,३४५	चर्या	३५५
गृहस्थ	२३६,२३८,२३६	चांडाल	३ <b>६</b> ५
गृहस्थाचार	• २३४	चारित्र	१८५,१६१
गृहस्थाश्रम	२३६,४००	चारित्रमोहनीय	१५८,१५६
गोचरी	३३६,३३७	चिता	२१०
गोच्छक	. २५६	चिकित्सक	४२१
गोतम	33€	चिकित्साचार्य	33\$
गोत्र	३३६,१६१,३६६	चिस १६,२	२८,२३४,३६८,
गोपाल	३६८		४० २,४४४
गोतम २१,	९५६,३८५,४१८,	चित्तमुनि	१३६,४७८
-4	४४ <b>६</b> ,४७८	चित्तसभूतीय -	१६
गौरव	२०१	चीराजिन	४३०
ग्रंथि-भेदक	४२६	चूर्णि	४८
ग्रह <b>-</b>	११२	चूलनी	४५६,४७६
ग्रहणैषणा	588	चेतन	६१
ग्रैवेयक	११४	चैत्य	४१८

### १२० ] उत्ताराध्ययन-सूत्र: एक परिशोलन

য়াভহ	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
चोर	४२६	जीवन्मुक्ति	354
चोरी	२६७,४२७	जीवस्थान	र३३
		जीवाजीवविभ	क्ति २४
	छ	जुगुप्सा	१६०
छंदना	७ ० ६	शाताध्यय <b>न</b>	४६२
छाया	90	जातासूत्र	33
छेद	३४३	ज्ञान ५१	,१८८,१६१,२०८,
छेदसूत्र	ሂ	ज्ञानयोग	989
छेदोप <b>स्था</b> प	नाचारित्र २३०	ज्ञानावरणीय	१५३,१५४
	জ	ज्ञानोपयोग	. ५१
		ज्ञानशीलगणि	38
जंबूद्वीप ————	ሂፍ	ज्ञानसागरसूरि	38
जटाधारी 	४३१	ज्योतिषी	११२,१७२
जनपद	४६६	•	झ
जन्म-मरण	१४१	झूठ	२६४
जयंत	११४		
जय	368	•	त
जयघोष २	१२,४०२,४०७,४६६,	तस्य .	६१,१७७,१५३
	308	तत्त्वार्थ	१८३
जलचर	१०६	तत्त्वार्थसूत्र	२०६,२१०,३४४
<b>ज</b> रुल	३५८	तथाकार	<b>७०</b> ६
जाति	335,935	तदुभय	३४३
जिन	३६८	<b>ल</b> प	१८८,३२६,३४३
जिनकल्प	२५७,४३१	तपश्चर्या री	२४६,३२६
जिनकल्पी	इर्४४	तपस्वी	२३८
जिनदास	४८	तपोमार्ग	<b>२</b> ३
जिनभद्र	३०१	तपोरत्नवाचक	38
जीतकल्प	388	तमःप्रभा	Ę ę
जीव	<b>६३,</b> ५ <b>१,१</b> ७६,१५०	तर्क	२१०
जीव-द्रव्य	६१	तस्कर	· ¥२६

	अनुक्रमणिका		[ ५२१
श∘द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
तारा	११२	दशार्ण	४००
तिद्क	४१८,४५०	दशार्णभद्र	3७४
तियं च	६२,१०५,१३१	दशाश्रुत	३३
तिर्यं चगति	१२६	दशाश्रुतस्कंध	३६०
तिर्यं चायु	१६०	दस्यु	४२६
तिर्यक्लोक	<b>५</b> ५,५७	दान	<b>१</b> ६१
तीर्थंङ्कर	१७३	दाह-संस्कार	४१३
तूर्य	४२६	दिवकुमार	११२
तृणस्पर्श	७५६	दिगंबर	३५४,४३१
तृषा .	३५३	दिनचर्या	३०५
तृष्णा	१४५	दिशा	<b>৬</b> =
ट तेजोलेश्या	१६७	दीक्षा	<b>२</b> ४७,२४=
तैजस	32	दीक्षागुरु	२५३
त्रस ,	१०,१०१	दीपिका-टीका	38
त्रिशला	इ.इ.	दु:ख	१४१,१८५
<b>সি</b> খূল	४२६	दु:खकारण	१८५
त्रीद्रिय	१०२	दु:स्रिनिरोध	<b>१</b> <i>≒</i> <b>५</b>
	_	दु:खिनरोधमार्ग	
	द	दुरारोह	<i>७७</i> इ
दंड	२०१	दुर्गति	१३०
दंशमशक	३५४	दृष्टांत	४१
दया	<b>२३</b> ५	दृष्टिवाद	३,३२
दर्शन	द१ <b>,१</b> दद,३५६	देव	६२,११०,१७१
दर्शनावरणीय	१५३,१५५	देवकी	४१२,४६७,४७६
दर्शनमोहनीय	१५७,१५८	देवकुरु	४८,६०
दर्शनोपयोग	द <b>१</b>	देवगति	१२६,१३२
दशवैकालिक	35,3	देवधिगणि 	२७
दशवैकालिक-च		देवलोक	४५
दशा	₹ <b>₹</b>	देवायु २२:	१६०
दशादि	४६३	देवेंद्रगणि	४६

५२२ ] उत्तराध्ययस-सूत्र : एकः ।	पारसालन
---------------------------------	---------

शēद	पृष्ठांक	शब्द .	पृष्ठांक
देश	৬१	नपुंसक	१६०
दोगु ंदुक	308	नभचर	१०६
चूतक्रीड़ा	४१६		308,588,
द्रव्य	४३,११८,१८३	नमिप्रव्रज्या	<b>१</b> 5,२३५
द्रव्ययज्ञ	308	नमिराजर्षि	888,388
द्रुमपत्रक	१८	नरक	ξo
द्वादशांग	२,२०६	नरकगति	978,379
द्वारकापुरी	४ <b>६७</b>	नरकायु	१६०
द्वारिका	ሂ००	नलकूबर	४८०
द्विमुं ख	३७४	नागकुमार	8 8 8
द्वीदिय	१०१	नागार्जुनसूरि	२७
द्वीपकुमार	१११	नाम .	१५४,१६१
द्वेष	१४३	नारक	. ٤૨
	ម	नारकी ,	१०३,१७१
	•	नारी	४०२
धर्म	£3,98,883,88X	नाविक	<b>3</b> 3\$
धर्मकथा	३४७	नि:कांक्षित्	२००
धर्मद्रव्य	६२,७६	निद्रा	१४४,३०६
धर्मध्यान सर्वेतंत्रिक	₹ <b>४द</b>	निद्रानिद्रा	१५६
धर्ममंदिर	38	निर्जरा	१८०,१८२
धर्मरुचि धर्माचार्य	२०४	निर्यु क्ति	80
धमाचाय धातकीखंड-	२२६ जीम ४ -	निर्लोभिता	१८६
	•	निर्वाण	३७५
धूमप्रभा इसस्य	<b>9</b> 3 =>= 2 = 2 = =	निर्विचिकित्सा	२००
ध्यान	३०६,३४८	निर्वेद	१६८
	न	निशीथ	<b>३</b> ३
नंदी	ሂ, <b>१</b> ०	निश्चयकाल	50
नक्षत्र	११२,४०=	निषिद्धिका	Ę
नग्गति	308	निष्क्रिय-अबद्धकर्म	१४६
न्गन	४३१	निसर्गरुचि	- २०१

_	अनुक्रमणिका		[ ४२३
शब्द	पृष्ठां <b>क</b>	शब्द	पृष्ठांक
नीललेश्या	ઁ १६ <b>૬</b>	पाटलिपुत्र	२७
नीलवंत	308	पात्र	२५६, २६०
नृत्य	४१६	पादकंबल	३५,६
नेमिचन्द्र	38	पादप्रोंछन	२६०
नैषेधिकी	३०७, ३४४	पादोपगमन	३६३
नोकषाय	3 % \$	पाप	१८०
न्यूनाधिक	२६ =	पापश्रमणीय	. २०
	प	पापश्रुत	२०७
पंकप्रभा	· ६१	पारांचिक	३४४
पंचेंद्रिय	ξ <b>ο</b> \$	पार्श्वनाथ	२४७, २४४, ४८०
पंडित	<b>२</b> २=	पालित	३६६, ४७१, ४८०
पंडित <b>म</b> रण	३६१,३६७	पिंडनियुँ क्ति	3
पदार्थ	१८३	पिता	४०१
पद्मलेश्या	१६८	पिशाच	११२
परमाण् .	- ७१	पिहुंड	३६६, ४७१, ५०१
परिभोगैषणा	२६५	पीठ	२६•
परिवर्तना	३४७	पुंडरीक	Ę
परिवार	800	पुण्य	१७६, १८०
परिहार	<i>\$</i> 88	पुत्र	४०१
परिहारविश्रुद्धि	चारित्र २३०,२३१	पुद्गल	६२, ६३, ६४
परीतसंसारी	३≒७	पुनरुक्ति	83
परीषह 🕟	१७, ३४२	पुरिमताल	४०१
· परीषहजय	२४⊏, ३५२	पुरुष	<b>१</b> ६०
परोक्ष	२११	पुरुषविद्या	१५
पर्याप्तक	93	पुरुषार्थ	\$ 68
पर्याय	११६, १२१	पुरुषार्थवा <b>द</b>	१५३
पलाय <b>न</b> वाद	२५२	पुष्करद्वीप	· ५८
पशु-पालन	४१३	पुष्करार्घ	ሂട
पाइय-टीका	४८	पूज्य	२२६
पाक्षिकसूत्र	\$ o	पृच्छना	३४७

#### • १^२४ ] उत्तराध्ययन-सूत्र : एक परिशीलन

शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक [े]
पृयक्त्ववितर्क-सवीचार	388	प्रशम	884
पृथिवीकायिक	દય	प्रशिथिल	२६द
	, 883	प्रस्फोटना	२१७
प्रकीर्णक	<b>४,</b> ३३	प्रांतकूल	338
प्रकृतिबंध	१५३	प्राणत	888
प्रचला	१५६	प्राप्तनिर्वाण	३०६
प्रज्ञा १६:	३, ३४८	प्रायश्चित्त	. ३४२
प्रज्ञापना	. २०४	प्रोषघ	रे३४
प्रतिक्रमण ६,३००,३०	२,३४३		
प्रतिपृच्छना ३०।	७, ३४७	फ	
प्रतिमा २३४,२३६,२४	८,३६०	फल	४१७
प्रतिलेखना २६२,३०६	30€,	फलक	२६०
प्रतिसंनीनता	380	फाँसी	४२७
प्रत्यक्ष	२११	फूल	४१७
प्रत्यभिज्ञान	२१०	_	
प्रत्याख्यान ३००	, ३०३	. ब	
प्रत्याख्यानावरणी	3 X \$	बंध	१७६, १८१
प्रत्येक-शरीर	હ3	बंधन	१४७
प्रदेश	ও ধৃ	बधु	४०२
प्रदेशाग्र	<b>१</b> ६३	बकरा	१४०, ४१४
प्रघानगति	३७६	बकरा-पालन	४१५
प्रभा	90	बढ़ई	₹8⊊
प्रभावना	२००	बद्ध	<b>5 5</b>
प्रभूतधनसंचय ३९७	, ४८०	बलभद्र ४१ः	२, ४५७, ४८४
प्रमाण-प्रमाद	२६=	बलराम	४६७, ४८४
प्रमाद	२२४	बलश्री	४५७
प्रमादस्थानीय २३	3, 860	बहिःविहार	३७६
	, ३०६	बहुश्रुत	305
प्रलंब	२६५	बहुश्रुत-पूजा	38
प्रवचनमाता २१, २४७	, २८४	बहुश्रुता	. 80X

। भिका	[ ५२५

शब्द	पृष्ठां <b>क</b>	शब्द	पृष्ठांक
बाल	२३६	भयस्थान	४८६
बालमरण ३६६	, ३६७	भरत	५८, ५६, ४८१
बाह्यत <b>प</b>	३३२	भल्ली	४२६
बीजरुचि	२०२	भव	१न्६
बुक्कुस	338	भवप्रपंच	<b>3</b>
बुद्ध	२२६	भवनपति	१११, १७२
बृहत्कल्प	३१२	भवनवासी	१११
बृहद्वृत्ति	४५	भाई	४०२
बोधिलाभ १८६	, २०६	भांडक	२५६
ब्रह्म ११४	, १७२	भाग्यवाद	१५३
ब्रह्मचर्य	२०	भारवाहक	३६५
ब्रह्मचर्य-महावृत	२६७	भावना	<b>१</b> 58
ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान	२०		४०६, ४०८, ४०६
ब्रह्मचर्याश्र <b>म</b>	800	भावविजयगि	ण ४६
ब्रह्मदत्त १६, ४५६	, ४५०	भावशुश्रूषा	२२४, ३४४
ब्रह्मदत्त-चक्रवर्ती १३६	६, १५२	भावसत्य	२६४
१४७, २२	, २३५	भाषासमिति	787
<b>ब्रह्मलोक</b>	ሂሂ	भिक्षाचर्या	३२१, ३३६
ब्रह्माण्डपुराण	४०५	भूत	. ११२
ब्राह्मण २३८, ३६१	₹3₽,	भूतिकर्म	849
· +		भृगु	४०१, ४८१
भंडपाल	३६६	भृगु-पुरोहित	१३४,१६२,२४६,
भते	२२६		্ইইদ
भक्तप्रत्याख्यान	३६३	भोग	१६१,३६६
भक्तियोग	980	भोगभूमि	3 X
<b>भग</b> वतीसूत्र	३०८	भोगराज	४६७, ४८१
भदंत	२२६	भोजन	इ१इ
भद्रबाहु २	৬, ४८		
भद्रा ३३८, ४६४	, ४८१		म
भेय	१६०	मंत्र	४२१

## ५२६ ] उत्तराध्ययन-सूत्र ः एक परिशोसन

शब्द	पृष <del>्ठांक</del>	शब्द	पृष् <b>ठांक</b>
मंदार	210	महाबल	४८३
मकरंदटीका	38	महाविदेह	3.8
<b>म</b> गघ	४४६, ४०१	महावीर २४७,२४४	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
मघवा	४८१		• ४८२
मति	२१०	महावृत .	- २४७,२६०
मतिज्ञान	२०८, २१०	महाशुक्र	8 6 8
मतिज्ञानावरण	१४४	महिष	४१४
मत्स्य	४१५	महोरग .	११२
मधुरा	२७	मांसभक्षण	४६४
मद .	208	माणिक्यशेखरसूरि	38
मदिरा	867	माता	४०१
मद्य	४१६	मान	3 % 8
मधु	४१६	मानुषोत्तर	५८
मध्यलोक	५५, ५७	माया	१५६
मनःपर्यायज्ञान	२०८, २१२	माहण	₹88
मनःपर्यायज्ञानावरण		माहेंद्र	868
मनुष्य ६२, १०८,	१३२, १७१	मिथिला -	४४३,४०२
मनुष्य-क्षेत्र	५७	मिथ्याकार ्	३०७
मनुष्य-गति	१२६	मिध्यात्वमोहनीय	१५८
मनुष्यत्व	888	मिथ्याशास्त्र	२०७
मनुष्यायु	१६०	मिश्रमोहनीय	१५५
मनोगुप्ति	२८७, २६०	मुंडित	४३१
मनोरंजन	४१६	मुक्त	55
<b>मम</b> त्व	<b>\$</b> &\$	मुक्तात्मा	३≂२
महाकल्प	Ę	मुक्ति	१८६,३७५
महाजनपद	४६६	मुखवस्त्रिका 	२५५
महातमःप्रभा	६१	मुद्गर	४२ <b>६</b>
महानिर्भं थीय	२०	मूसल	४२६
महापद्म	8=3	मुनि 	२३८
महापु डरीक	Ę	मुनिचंद्रसूरि	38

	अनुक	अनुक्रमणिका	
शब्द	पृष् <b>ठांक</b>	য়াৰ্হ	पृष्ठांक
मूल	३४४	यज्ञीय	२२
मूलधन-रक्षक	६२	यथाख्यातचारि	त्र २३०,२३१
मूलधन-वर्धक	६२	यमयज्ञ	४०६,४०५
मूलघन-विनाः	गक ६२	यशा	४८३
मूलसूत्र	४,६	याकोबी	२० ५
मूलाचार	३०८	याचना	७४,६
मृगचर्या	२०,३३६	योग	388
मृगया	४१६	योगसत्य	<b>२६</b> ६
मृग-हनन	४१५		₹
मृगा	४५२	>	•
मृगापुत्र २०	,१३१,१३४,१८६,	रजोहरण	२५६
३४६	,३४७,४१२,४४७,	रति	१६०
_	४८२	रत्नत्रय	<b>१</b> ७ <i>६</i> , <b>१</b> =६
मृगापुत्रीय	२०	रत्नप्रभा	६१
मृगावती .	४४७	रथनेमि २१,	१८६,२००,२७४,
मृदु-पृथिवी	EX		४०४,४६७,४८३
मेरक	. 86%	रथनेमीय	<b>२</b> १
<b>मै</b> थुन	२६७	रम्यक	<b>५</b> ८,६०
मोक्ष	१८०,१८३,३७५	रस	६५,४१६
मोक्षमार्गगति	२ <b>२,१</b> ८८	रस-परित् <b>याग</b>	3 \$ \$
मोसली	२६७	राक्षस	११२
मोह	१४५	राग	१४३
मोहस्थान —	888	राग-द्वेष-बुद्धि	१४२
मोहनीय	१५४,१५७	राजा	४२३
मोह-भावना	३६५	राजीमती २१,	२००,२४६,२५०,
म्लेच्छ	४२६		२७४,४०४,४१०,
	य	,	४१२,४६७,४८३
यक्ष	११२	राज्य-व्यवस्था	४२३
यक्षलोक	प्रथ	रात्रिचर्या	३०५
यज्ञ	२२,४०६	रात्रिभोजन-त्या	ग २७८,२८४

४२८ ]	उत्तराध्ययन-सूत्रे :	एक परिशीलन	
शब्द	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
राम	४६७,४८४	वंशीधर	२०४
रूप	ĘX	वक्रजड़	४२८
रूपक	४२	वणिक्	, ३ <b>६६</b>
रूपिणी	४७१,४८४	वचनगुष्ति	२८८,२६०
रूपी	६३	बट्टकेर	३०६
रैवतक .	४६६	वध	३५६
रोग -	२२४,३४७,४२०	वनचारी	· ११२
रोहिणी	४१२,४६७,४5४	वनस्पतिकायिक	१६
रोहित	२५१	वरगति	३७६
रौद्रध्यान	३४८	वर्ण	335,935
	ल	वर्णसंकर	338
लक्ष्मीवल्लभ	૪૬	वर्णाश्रम	३८१
लांतक	११४,१७२	वर्तना	50
लांतव	848	वस्ति 🗸	२४८,३१०
लाभ	१६१	वसिष्ठ	33\$
लेश्या	२४,१६५	वसुदेव	४१२,४७४,४८४
लोक	५ <b>३,५</b> ४	वस्त्रः	२५६
लोकांत	५७	वाचना .	२७,३४६
लोकांतभाग	પ્રદ્	वाणव्यन्तर 	799
लोकाकाश	५४,७६	वाणारसी वात्सल्य	४०२ २००
लोकाग्र	५७	वाद्य	४१ <b>६</b>
लोकोत्तमोत्तम	३७⊏	नाय वानप्रस्थाश्रम	-
लोभ	१४५,१४६	वायु	६७
लोमहरं	४२६	गाउँ वायुकायिक	, e,=
लोल े	78≒	वायुक्मार	११२
लोहकार	३९ द	वाराणसी	४६६.५०२
लोहरथ	४२६	वारणी	४१६
	व	वालुकाप्रभा	६१
वंदन	300,308	वासिष्ठी	ु ४५३
वंदना	Ę	वासी	* ४२ <b>६</b>

	<b>अनुक्रमणिका</b>		35× ]
<b>য</b> ়েব	पृष्ठांक	शब्द	पृष्ठांक
वासुदेव १८६.२०	६,४६७,४८४	वैद्य	४२१
विक्षिप्ता	<i>ए3</i> इ	वैन्यिक	Ę
विजय	<b>१</b> १४,४८४	वैमानिक	११३
् विजयघोष ४०३	२,४०७,४६६,	<u>वै</u> यावृत्य	३४४
	४८४	वंश्य	३६१,३६६
विदेह	४८,४०३	वेश्ववण	४५४
्विदेहमु <b>क्ति</b>	३८५	<u>ब्युंतर</u>	<b>१</b> १२,१७ <b>२</b>
विद्या	४२१	ब्युवहार	₹ ₹
विद्युतकुमार	\$ \$ \$	व्यव्हारका <b>ल</b>	দ০
विनय	२२४,३४४	व्यापार	४१द
विनयवादी	४३०	व्यापारी <u>१</u>	980
विनयश्रुत	१६	ब्युत्सर्ग	<b>₹</b> ४३,३ <b>४</b> •
विनयहंस	38	व्युत्सर्जन	388
विनीत	२१४	व्रणचिकित्सा	<b>२०६</b> 
विवाह	४१०		श
विविक्तशयनासन	३१३,३४०	श्किते-गणनो	ग्योगः २६८
विवेक	383	शकुन	858
विशालकीति	४०५,४६१	शक्ति	१६२
<u>विषमता</u>	१५०	शबलदोष	038
विषयभोग	<b>१</b> ३४	शब्द	६६,७=
विस्ताररुचि	२०इ	शय्यंभवसूरि	3,5
दिहार-यात्रा	880	शय्याः	२६०,३११,३४६
वीतराग	२०४	शय्यैषणा	311
बृक्ष	840	शरीर	3 =
वेद	१६०,४६७	शरीर प्रमा <b>ण</b> — र्	305
वेदनीय	१५३ <b>,११६</b>	श् <b>र्करा</b> प्रभा	६१
वेदिका	र्भर रूप स्टें	श्रुल्य	२०१
- वेकियक -	५०७ नहें	शांति सांक्रिक्ट	४८४
वं जयंत वं जयंत	न इ	शांतिभद्र सांक्रिकटि	38
न गण्य	र १ ठ	शांतिसूरि	४८

१३० ] उत्तराध्ययन सूत्र : एक परिशीलन

- श <b>ें</b> द	<b>पृ</b> ष्ठां <b>क</b>	<b>য়</b> িব	पृ ^ह ठां
शास्त्रत	₹ <i>७७</i>	स	
शाश्वतवादी	830	संक्षेपरुचि	२०४
शिक्षाशील	. २२३	संग्राम-शीर्ष	818
शिल्पी	33 €	संघाटी	४३१
शिवा	४ <b>६</b> ७,४द५		२०,४७०,४८६
शिष्य	<b>२१४</b>	संज्ञा	२१०,४८८
शिष्यहिता-टीव	हा ४५	संज्वलन	१५६
शीत	३५३	संथारा	३६७
शीता	२१०	संन्यासाश्रम	800
शील	१३१	संप्रदाय	४२६
शुक्लघ्यान	388	संभूत १ <b>६</b> ,२२८,	
शुक्ललेश्या ्	3 7 8	संमदी	२६७
शुभाशुभ-कर्मबं		संयम	१६४
शूकर	४१४	संरंभ	रेदं७
शूद्र	. * 38,380	संलीनता	३१३,३४०
शोक	१६०	संवर	१८०,१८१
शौर्यपुर	४६७ ४०३	संवाद	४३
श्रद्धा	१८७,१६१,१६४	संवेग	१६८
श्रमण	२३६	संसार	१२६
<b>প্ৰা</b> বক ^	२३६.३६७	संसारी	55,58
श्रावस्ती	४१८,४४६,४०३	संस्कृति	388
श्रृतज्ञान 	. २०५	संस्तारक	२६०,३६७
्रश्रुतज्ञानावरण 		संस्थान	ે <b>દ્</b>
श्रुतिश्रवण	४३१	सकाममरण	३६१३६७
	`&×€'&68'3X&'	सक्रिय-अबद्ध-कम	र्भ १४६
श्रेष्ठि	३६७	सक्रिय-बद्ध-कर्म	. 88€
श्वपाक	338	सगर	ሄፍሂ
. <b>श्</b> वेतांबर	३५४,४५६	सचेल	२१,२४४,४३१
	ঘ	सत्कार-पुरस्कार	३४५
षट्-द्रव्य	६१	सत्य-महाव्रत	२ <b>६</b> ४

श∘द	पृ ^ष ठा <b>क</b>	श©∉	पृष्ठांक
सनत्कुमार	११४,१७२,४८५	सर्वार्थसिद्ध	
सनाथ	४७३	सर्वार्थंसिद्धि	५६,१७२
सनाथी	६२	सल्लेखना	२४,३६१,३६७
_ सपरिकर्म	- <b>३६</b> ३	सवार	338
भयमरण	३६६	सविचार	३ <b>६३</b>
<b>त्रभिक्षु</b> ्	3 \$	सशरीरी	<b>5</b> 5
समय-क्षेत्र	५७	सहस्रार	. 888
समयक्षेत्रिक	५७	सांतरोत्तर	<b>२</b> ५५
समाज समाधि	₹3€	सागार	२३६
समाधिमरण	१८३ २४,२४८,३६१	सातावेदनीय	१५७
समाधिस्थान	रकार०जान <i>कर</i> . २६८	सादिमुक्तता	. ३६२
समारंभ	. <i>२५</i> न २८७	साधारण-शरीर	- 80
समिति	२ <b>८४,२१</b>	साधू ः	२३८,२३६ २४७
समितीय	- २१	साध्वाचार	२४७
समिला	४२६	सामाचारी	२२,२४८,३०६
्समुच्छिन्नक्रिय।	-निवृत्ति ३४६	सामाजिक	७३६
समुद्रपाल	४७१,४८६	सामायिक	६,३००
समुद्रपालीय	<b>२१</b>	सामायिकचारिः	त २३०
समुद्रयात्रा	४१८	सारिथ	३ <b>६</b> ८
समुद्रविजय	४६७,४७४,४८६	सावद्ययोगविरति	त ३०६
सम् <b>मा</b> न	. २२४	सिद्ध ं	55
सम्मूच्छिम	13	सिद्ध-जीव	दद
ं सम्यक्चारित्रः	१७६ २२८	सिद्धलोक	३७६
सम्यक्तव	१३१,७३१	सिद्ध-शिला	५६,३८२
	म २२,२०६,३०३	सीता	४६
	त्व मोहनीय १५५	सीघु	<b>८ १</b> ४
सम्यवस्वमोहनी	•	सुख	३८०
ंसम्यग्ज्ञान	१७६.२०७	सुसबोधा-टीका	38
सम्यग्दर्शन	१७६,१६७	सुगति	१३०,३७६
सयोगकेवली	३८८	सुग्रीव	४४७ ४०४

शब्द	पृ ^ए ठांक	शब्द	पृष् <b>ठांक</b>
सुदर्शन	२०१	स्थावंर	89,03
सुपर्णकुमार	28	स्थिति	१६२
<b>सुभाषित</b>	४३	स् <b>य</b> रीकरण	<b>₹</b> 00
सुमेरु	२१०	स्थेल	· 3
सुरा	४१४	स्र्थेलंभद्र	र्विद
सुराग	२०४	<del>र</del> ्दनातक	3 a 12 E
सूक्ष्म	80	र्स्पर्श	६६ २
सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाति	388	स्मृति .	२१०
सुक्ष्मसंपरायच <u>ा</u> रित्र	२३०,२३१	स्वयभूरमण	२ <b>१</b> ०
सूत्र	३८	स्वर्गलोक	
सूत्रकृतांग •	३३,४६३	स्वाघ्याय	३०५,३०६,
सूत्ररुचि	२०२		३१०,३४६
सूर्य	११२		
सेवा	४४६	•	ह
सोमदेव	३३८	, हरि	४८,६०
सौंदर्य-प्रसाधन	865	हरिकेशिबल हरिकेशिबल	१६,२४८,२४६,
सींधर्म	११४,१७२		,३६२,३६८,४०७,
सौदीर	४०४	•	:'&66'8 <b>6</b> 8'86 <u>=</u>
स्कदिल	२७	हरिकेशीय -	
स्कृष 	७१	हारपाय है <b>रिषेण</b>	31
स्बैलितनिदना <del>इ.स.</del>	30€		४८७
स्तिनितकुमार	११२	हें <b>पंकुं</b> ल	38
स्त्यानगृद्धि स्त्री	१५६	हर्षनंदनगणि	38
	१६०,३५५	हस्तिनीपुर	ΧοΧ
स्येलचेर	१०६	हस्य	१६०
स्थैविरकल्प <del>१०००</del>	२५७,४३१	हिंसा	२६१
<b>स्य</b> विरकल्पी -≅	<b>\$</b> X\$	हैमवत	४५∎६०
स्यानांग	२०४	हैरण्यवत	४=,६०

#### उद्देश्य

- जैन आगम, दर्शन, पुरातस्य तथा अन्य विषयों के गम्भीर विद्वान् एवं लेखक तैयार करना।
- जैन संस्कृति-सम्बन्धो प्रामासिक साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन करना ।
- योग्य विद्वानों को श्रमण-संस्कृति का सन्देशश्राहक बनाकर देश तथा विदेश में भेजना।
- ४, भारतीय तथा विदेशी विद्वानों का च्यान जैन संस्कृति की श्रोर खींचना।
- श्रमण-तंस्कृति को प्रकाश में लाने के लिए प्रोत्साहन देना ।

#### हमारे अन्य प्रकाशन

1. Jaina Psychology—
Dr. Mohan Lal Mehta-Rs. 8-00
2. Political History of Northern India from
Jaina Sources-Dr. Gulab Chandra Chou-
dhary-Rs. 24-00
3. Studies in Hemacandra's Desinama-
mala-Dr. Harivallabh C. Bhayani-Rs. 3-00
4. Jaina Culture-Dr. Mohan Lal Mehta-Rs. 10-00
५. प्राकृत भाषा - डा० प्रबोध वेचरदास पंडित - ६० १-५०
६. बीन आचारडा० मोह्नलाल मेहता ६० ५-००
७. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास-भाग १
पं० बेचरदास दोशी— ६० १४-००
<ul> <li>जैन साहित्य का बृहद् इतिहाल-भाग २—</li> </ul>
डा० जनदीशचन्द्र जैन व डा० मीहनलाल मेहता — ६० १५-००
<ol> <li>जैन ताहित्य का यृहद् इतिहास-भाग ३—</li> </ol>
डा॰ मोहनलाल मेहता— ६० १५-००
(उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा १५०० रु० के रबीन्द्र पुरस्कार से पुरस्कृत)
१०. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास-भाग ४
डा॰ मोहनलाल मेहता व प्रो॰ हीरालाल कापड़िया-६० १५-००
११. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास-भाग ५—
पं० अंबालाल शाह— ह० १५-००
१२. बौद्ध और जैन आगमों में गारी-जीवन-
डा० कोमलचन्द्र जैन- रु० १५-००
१३. जीवत-दर्शन-श्री गोपीचन्द घाड़ीवाल- ६० ३-००
१४. यशस्तिलक का सांस्कृतिक अन्ययन-डा॰ गोकुलचन्द्र जैन-र० २०-००
( उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा ५०० ६० के पुरस्कार से पुरस्कृत )
( कर्म कर्मार है। ते एक एक से बेर्ट्सन से में रहकेंगे )

—िलिखए— पारवंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान जैना श्रम हिन्दू यूनिवसिटी, वाराणसी--५